सप्तम माला, खंड 30, अंक 16, सोमवार, 2 अगस्त, 1982/11 श्रावण, 1904 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिंदी संस्करण

(नौवां सत्र)

(खंड 30 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय,
नई दिल्ली।

मूल्य : चार रुपये

विषय सूची

अंक 16, सोमवार, 2 अगस्त, 1982/11 श्रावण, 1904 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	1—20
*तारांकित प्रश्न संख्या : 326,327,329,332 से 334 और 337	1—20
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	21—275
तारांकित प्रश्न संख्या : 328,331,335,336,338 से 341, 343 से 345 और 231	21—28
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3588 से 3626,3628 से 3637, 3639 से 3667,3669 से 3690, 3692 से 3704, 3736 से 3767, 3769 से 3798	33—274
सभा पटल पर रखे गए पत्र	276—281
राज्य सभा से सन्देश	281
राष्ट्रीय जलमार्ग (गंगा-भागीरथी-हुगली नदी का इलाहाबाद-हल्दिया क्षेत्र) विधेयक, 1982	281
राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में	281
नियम 377 के अधीन मामले	282—287
(एक) हिमाचल प्रदेश और जम्मू तथा कश्मीर में सेब की फसल पर लगे कीड़े से फसल बचाने की आवश्यकता	282
श्री चिन्तामणि जेना	282

*किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय पृष्ठ

(दो) कुछ गिरोहों द्वारा भिक्षावृत्ति के लिए बच्चों का अपहरण किए जाने की घटनाओं को रोकने के उपाय 284

श्री चन्द्रपाल शैलानी 284

(तीन) देश में हथकरघा बुनकरों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए कदम उठाना 285

श्री हरिकेश बहादुर 385

(चार) दिल्ली में दहेज सम्बन्धी मौतों को लेकर महिलाओं द्वारा निकाले गए जुलूस 285

श्री अटल बिहारी वाजपेयी 285

(पांच) दिल्ली में मच्छरों के प्रकोप तथा मलेरिया की कथित वृद्धि का रोकने के लिए अविलंब उपाय करने की आवश्यकता 286

श्री राम विलास पासवान 286

(छः) फरक्का के निकट भागीरथी नदी के किनारों पर भूमि का कटाव 286

श्री जायनल अबेदिन 286

चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय (संशोधन) विधेयक 287

विचार करने का प्रस्ताव 287

श्री चित्त बसु 288

श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ 297

खंड 2 और 1 297

पारित करने का प्रस्ताव

श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल) 1982-83 297—336

श्री अजित कुमार साहा 298

श्री बनवारी लाल बेरवा 303

विषय	पृष्ठ
श्री सत्य नारायण जटिया	306
श्री उत्तस राठौर	309
श्री रवीन्द्र वर्मा	311
श्री काजी सलीम	316
प्रो० सत्यदेव सिंह	324
श्री जगपाल सिंह	327
श्री ईरा मोहन	330
श्री रामावतार शास्त्री	322
श्री आर० एन० राकेश	335
श्री प्रकाश चन्द्र सेठी	328
बम्बई हाई तेल क्षेत्र में खोदे जा रहे कूएं के फट जाने के बारे में वक्तव्य	337—339
श्री पी० शिवशंकर	337
विनियोग (रेल) संख्या 3 विधेयक, 1982	348—355
पुरः स्थापित करने का प्रस्ताव	
विचार करने का प्रस्ताव	
श्री प्रकाश चन्द्र सेठी	248
श्री सुधीर गिरि	249
प्रो० अजित कुमार मेहता	249
श्री गिरधारी लाल व्यास	351
श्री बापू साहिब परुलेकर	352
श्री कमला मिश्र मधुकर	353
खंड 2,3 और 1	354
पारित करने का प्रस्ताव	
श्री प्रकाश चन्द्र सेठी	354
अनुदानों की अनुपूरक मांगे (सामान्य), 1982-83	355—393
श्री सोमनाथ चटज	356
श्री समीनुद्दीनी	363

विषय	पृष्ठ
श्री जगन्नाथ पाटिल	366
श्री गिरधारी लाल व्यास	360
प्रो० अजित कुमार मेहता	372
श्री राम सिंह यादव	375
श्री प्रमिला दंडवते	375
श्री पी० के० कोडियन	380
श्री रामलाल राही	382
श्री जनार्दन पुजारी	385
विनियोग संख्या 3 विधेयक, 1982	394—397
पुरः स्थापित करने का प्रस्ताव	
विचार करने का प्रस्ताव	
श्री जनार्दन पुजारी	394
श्री रामावतार शास्त्री	394
खंड 2,3 और 1	396
पारित करने का प्रस्ताव	396
श्री जनार्दन पुजारी	396
आधे घंटे की चर्चा	397—410
रेल गाड़ियों का विलम्ब से चलना	397
श्री गीता मुखर्जी	397
श्री मल्लिकार्जुन	403
श्री सत्य गोपाल मिश्र	405
श्री हरिकेश बहादुर	407

लोक-सभा

सोमवार, 2 अगस्त, 1982/11 श्रावण, 1904 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

खाद्य स्थिति पर सूखे और बाढ़ का प्रभाव

*326. श्री बी० वी० देसाई : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के बहुत से भागों में बाढ़ और सूखा दोनों से देश में खाद्यान्नों की पहले ही निरन्तर हुई कमी में वृद्धि होगी;

(ख) यदि हां, तो क्या खाद्य और कृषि संगठन से कहा गया है कि वह खाद्य स्थिति से निपटने में भारत की सहायता करे ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों मे उपमन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) यह कहना सही नहीं है कि देश में खाद्यानों की पहले ही निरन्तर कमी हो रही है तथापि, इस वर्ष मानसून अनियमित रहा और सूखे की स्थिति रही है। पिछले कुछ दिनों के दौरान देश के अनेक भागों में सामान्य से भारी वर्षा होने से खरीफ की फसलों को लाभ पहुंचेगा। तथापि, इस स्थिति में अभी खरीफ उत्पादन की सम्भावनाओं का मूल्यांकन करना सम्भव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(ग) कृषि विभाग ने मई के शुरू से सूखे के सम्बन्ध में एक आकस्मिक योजना आरम्भ कर रखी है। राज्य सरकारों तथा भारत सरकार के विभिन्न विभागों को विस्तृत मार्गदर्शन दिए गए थे और उनसे अनुरोध किया गया था कि वे स्थिति पर कड़ी नजर रखने के लिए

उपयुक्त कदम उठाएं तथा यह सुनिश्चित करें कि मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में किसानों की सहायता करने के लिए ठीक समय पर कार्यवाही की जाए। कृषि कार्यक्रम में विशिष्ट कार्यवाही की मदों का पता लगाया गया और राज्य, जिला तथा खण्ड स्तरों पर उन मदों पर सावधानी बरतने के लिए कहा गया। सूखा प्रबन्ध के लिए प्रधान मन्त्री का 12 सूत्री कार्यक्रम, जो 1979 के सूखे का सामना करने का आधार भी था, राज्य सरकारों के ध्यान में लाया गया है ताकि वे इस वर्ष सूखे की स्थिति से निपट सकें। बैंकिंग क्षेत्रों से भी अनुरोध किया गया है कि वे सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में किसानों की सहायता करें। इसी प्रकार सिंचाई मन्त्रालय ने भी उत्तर-पश्चिम क्षेत्र, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों को निर्देश जारी कर दिए हैं जिसमें उनसे अनुरोध किया गया है कि वे फसल-उत्पादन के प्रयोजनों के लिए जलाशयों में उपलब्ध सिंचाई जल का इष्टतम उपयोग करें।

2. कृषि मन्त्रालय में विपदा प्रबन्ध सम्बन्धी एक अन्तर-मन्त्रालय समन्वय समिति ने 9 जून, 1982 को मानसून की स्थिति तथा खरीफ मौसम के लिए आनुषंगिक योजनाओं की समीक्षा की। क्षेत्रीय अधिकारियों को राज्यों का दौरा करने तथा सूखा प्रबन्ध सम्बन्धी आकस्मिक योजनाओं की समीक्षा करने के लिए मनोनीत किया गया है। मन्त्रिमण्डल के सचिव द्वारा स्थिति का जायजा लेने तथा ठीक समय पर कार्यवाही करने के लिए साप्ताहिक बैठकें की जा रही हैं। अल्पावधि किस्मों के बीजों, ऋणों और उर्वरकों की व्यवस्था करने, सिंचाई प्रणाली में जल का इष्टतम उपयोग करने, कृषि कार्यों के लिए बिजली तथा डीजल की सप्लाई को प्राथमिकता देने, पेय जल की व्यवस्था आदि के सम्बन्ध में विभिन्न मन्त्रालयों से सम्बन्धित अनेक मामलों की सतत समीक्षा की जा रही है।

3. भारत सरकार ने राज्यों को कृषि-आदानों की खरीद करने एवं किसानों में उन्हें वितरित करने के लिए 113.56 करोड़ रुपए का अल्पकालिक ऋण दिया है।

4. यह मंत्रालय उन राज्यों में दौरा करने के लिए कृषि, सिंचाई तथा ऊर्जा (ग्रामीण विद्युतीकरण निगम) मंत्रालयों के अधिकारियो के संयुक्त दल भेज रहा है, जहां कम वर्षा हुई है ताकि स्थिति का जायजा लिया जा सके और बिजली डीजल तथा अन्य कृषि आदानों की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों पर प्रभाव डाला जा सके, जिससे उत्पादन को किसी प्रकार की हानि न हो।

श्री बी॰ वी॰ देसाई : मैंने अपने प्रश्न का माननीय, मन्त्री जी द्वारा दिया गया उत्तर पढ़ा है। 20 जुलाई, 1982 को माननीय कृषि मन्त्री ने सूखे की स्थिति तथा इस सम्बन्ध में किए तथा किए जाने वाले उपायों के बारे में एक वक्तव्य दिया था। अपने वक्तव्य में उन्होंने लगभग 9 राज्यों 243 जिलों का उल्लेख किया है। इन 243 जिलों में से 181 जिले सूखे से प्रभावित हैं। वहां अत्यन्त कम या बिल्कुल ही वर्षा नहीं हुई। आज भी इकनामिक टाइम्स ने लिखा है कि

देश के 3 / 4 भाग में बहुत कम वर्षा हुई है और उसने राज्यवार स्थिति बतायी है। अपने वक्तव्य में उन्होंने सूखे से निपटाने के लिए आयात योजना, प्रधान मन्त्री के 12 सूत्री कार्यक्रम अन्तर मन्त्रालय समन्वय समिति के उपायों आदि का भी उल्लेख किया है। अन्त में उन्होंने कहा कि राज्यों को 113 करोड़ रुपये का ऋण देने की व्यवस्था की गयी है। ये सभी अस्थायी उपाय हैं। देश में बाढ़ और सूखे की स्थिति से निपटने के लिए कुछ स्थायी उपायों के बारे में भी मन्त्री जी बतायें।

कृषि तथा ग्रामीण विकास और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : सूखे की समस्या का स्थायी समाधान तो सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से ही हो सकता है और उनका विस्तार तेजी से किया जा रहा है सूचना दी जाने पर मेरे सहयोगी सिंचाई मन्त्री उसका उत्तर देंगे। हम समय-समय पर सूखा प्रभावित क्षेत्र को राहत देते रहे हैं और माननीय सदस्यों को पता है कि पिछले अनेक वर्षों में सूखे से मुकाबला करने की क्षमता में वृद्धि हुई है। बेहतर तकनीक, सूखा प्रतिरोधी बीजों का विकास और किसानों को भूमि विकास तथा भू संरक्षण के लिए अधिक ऋण तथा राज सहायता के कारण अब सूखे से पहले जितनी हानि नहीं होती।

सभा के समक्ष जब मैंने पहले वक्तव्य दिया था तब से अब तक वर्षा हुई थी वहां भी अब वर्षा हो रही है। उदाहरण के लिए राजस्थान में अब 20 जुलाई की अपेक्षा स्थिति बेहतर है। पहले 24 जुलाई को वहां 24 जिले प्रभावित थे, वहां 28 जुलाई को ये केवल 13 रह गए हैं। पंजाब और हरियाणा में, जहां पहले वर्षा कम हुई थी अब पंजाब में सामान्य तथा हरियाणा में सामान्य से कुछ अधिक वर्षा हुई है। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल में कल से वर्षा हो रही है और अगले 3-4 दिनों में और होने की आशा है। मौसम-विज्ञानियों के अनुसार अगले कुछ दिनों में उड़ीसा और बिहार में भी हम वर्षा होने की उम्मीद कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप चिंता मत करो, बारिस होने वाली है।

श्री बी० वी० देसाई : मेरा प्रश्न सूखे और बाढ़ के प्रभाव के बारे में था। श्री राव साहिब.....

श्री एम० एम० गोपाल रेड्डी : राव साहिब ?

श्री बी० वी० देसाई : हां, माननीय अध्यक्ष ने उन्हें राव साहिब कहा था। मेरा प्रश्न स्थायी उपायों के बारे में था...

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : राव साहिब से तात्पर्य कृषि मन्त्री से है।

श्री बी० वी० देसाई : ये सभी उपाय तो हैं लेकिन सूखा और बाढ़ प्रतिवर्ष की चीज हो गए है। कुछ योजनाएं हैं और यदि हमारे कृषि मन्त्री उन्हें अमल में लायें तो बहुत लाभ हो सकता है। यदि बाढ़ -नियंत्रण के उपायों को सूखा पड़ने वाले क्षेत्रों में सम्बद्ध कर दिया जाये तो

अतिरिक्त जल को वहां ले जाकर दोनों प्रकार की स्थिति पर काबू पाया जा सकता है । क्या माननीय मन्त्री जी आश्वासन देंगे कि इस कार्य की शुरूआत की जाएगी ?

प्रो० एन० जी० रंगा : राजस्थान नहर ।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : गंगा-कावेरी सम्पर्क योजना ।

राव बीरेन्द्र सिंह : ये सभी एक दूसरे से सम्बद्ध हैं । मैंने इस सम्बन्ध में सिंचाई मंत्रालय के माध्यम से अनुदेश जारी किये जाने का उल्लेख अपने वक्तव्य में किया है । राज्य सरकारों के साथ समय-समय पर बैठकें की जाती हैं ताकि सिंचाई परियोजनाओं के विस्तार और उनके कार्यान्वियन का काम आरम्भ किया जा सके । राजस्थान के मुख्य मन्त्री तथा अन्य मन्त्रियों ने वित्त मन्त्री से मुलाकात की है । मैं भी उपस्थित था । राजस्थान नहर को शीघ्र पूरा करने के लिए हम राजस्थान की आर्थिक सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं ।

प्रो० एन० जी० रंगा : नर्मदा परियोजना का क्या बना ?

कुछ माननीय सदस्य : खड़े हुए ।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे ।

श्री अनन्त रामलु मल्लु : प्रश्न संख्या 327

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : राव साहिब

राव बीरेन्द्र सिंह : आज मेरे क्वेश्चन वाले सारे ही मौजूद हैं ।

एक माननीय सदस्य : आप तो यही चाहते थे ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : आज शाम को.....हैं।

श्री राव बीरेन्द्र सिंह : चार बजे जो अलग से डिस्कशन हो रहा है, आप तो कह रहे थे कि वह पोस्टपोन हो रहा है ।

गेहूं की खरीद

*327. श्री अनन्त रामलू मल्लु : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गेहूं की खरीद की गति बहुत धीमी रही है और पर्याप्त मात्रा में खरीद होने की संभावना नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें गेहूं की खरीद संतोषजनक नहीं रही ; और

(ग) खरीद में अनुमानित कितनी कमी रह जाएगी और रक्षित भण्डार तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली और इसकी कीमतों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) जी नहीं । 28 जुलाई, 982 तक प्राप्त सूचनानुसार चालू विपणन मौसम के दौरान 76.4 लाख मीटरी टन गेहूं की वसूली हुई थी । तथापि, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पिछले वर्ष की तुलना में गेहूं की वसूली अपेक्षाकृत कम है ।

(ग) गेहूं की अधिक वसूली के फलस्वरूप स्टाक की भरपाई हुई है । इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली/जिसका मूल्यों पर स्वस्थ प्रभाव है, को बनाए रखने में मदद मिलेगी ।

श्री अनन्त रामलु मल्लु : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कम खरीद के क्या कारण हैं । क्या यह उत्पादन में कमी के कारण हैं या खरीद ऐजेंसियों का आलस्य है ? क्या किसानों को कम मूल्य देने के कारण ऐसा हुआ है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : देश भर में किसानों को एक समान मूल्य दिया जाता है और इस वर्ष गेहूं की खरीद दूसरी बार सबसे बढ़िया हुई है :

1978-79 में हमने 80 लाख टन की खरीद की थी और इसके मुकाबले में हम 76 लाख टन की खरीद कर चुके हैं । लेकिन इस वर्ष चावल और गेहूं दोनों अनाजों की खरीद मिलाकर तो यह 1978-79 से भी अधिक है । इस वर्ष 148 लाख टन की खरीद हुई है जबकि इस वर्ष 143 लाख टन थी ।

असमय वर्षा के कारण गेहूं की फसल को हानि होने के बावजूद हमने बहुत अधिक खरीद की है । पंजाब, हरियाणा तथा जो अन्य राज्य हमारी सहायता करते हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम कर दिखाया है और हम यह नहीं कह सकते कि अलाभकारी मूल्य के कारण बिहार, मध्य प्रदेश तथा अन्य स्थानों पर गत वर्ष की अपेक्षा कम खरीद हुई है ।

मैं इस बात से सहमत हू कि कम वर्षा और सूखे की स्थिति के कारण उन राज्यों में उत्पादन में कमी हुई है जहां खरीद की स्थिति इतनी अच्छी नहीं । लेकिन शायद मुख्य कारण राज्य सरकारों द्वारा खरीद अभियान में कम रुचि लेना है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री जी० वाई० कृष्णन ।

श्री अनन्त रामलु मल्लु : मुझे एक और पूरक प्रश्न पूछना है ।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है ? इस विषय पर आज चर्चा होगी ।

श्री अनन्त रामलु मल्लु : मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि क्या किसानों को वसूली मूल्य

की तुलना में अच्छा मूल्य मिल रहा है और क्या इस वर्ष गेहूं की वसूली का कोई लक्ष्य रखा गया है ? यदि हां, तो अब तक कितनी वसूली हुई है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : राज्यवार कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। परन्तु हम अधिक से अधिक वसूली करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यदि किसानों को सरकार की बजाय किसी और से अधिक मूल्य मिलता है तो वे किसी को भी बेचने को स्वतन्त्र हैं। परन्तु ऐसा केवल मूल्यों को स्थिर करने और किसानों को लाभप्रद मूल्य देने के लिए किया गया है। किसानों ने इसे पसन्द किया है। और यही कारण है कि सरकारी एजेंसियों को इतना अधिक अनाज बेचा गया है। इतना पहले कभी नहीं बेचा गया।

श्री मलिक एम० एम० ए० खां : अध्यक्ष महोदय, चूंकि मंत्री महोदय ने प्रोक्योरमेंट प्राइस 142 रुपये रखी थी, जिसकी वजह से, आप बतला रहे हैं, कि रिकार्ड प्रोक्योरमेंट हुआ है। लेकिन ऐसी कौन सी वजह हुई – जबकि किसान के पास होर्डस के पास, सरकारी एजन्सीज या प्राइवेट एजेंन्सीज के पास चला गया तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन कास्ट गवर्नमेंट ने बढ़ा दी, जिससे कन्ज्यूमर के ऊपर बहुत बड़ा बोझ पड़ा है, क्या आप इसकी वजह बतलायेंगे ?

श्री जगपाल सिंह : आज के पेपर्स में आया है कि देसी गेहूं 280 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है।

राव बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय से कहिए, वह इजाजत देंगे तो आप का जवाब भी दे दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : सुनी सुनाई बात का जिक्र नहीं किया करते हैं। आप मालिक साहब के सवाल का जवाब दीजिए।

राव बीरेन्द्र सिंह : गेहूं की ईशू प्रायस सिर्फ इतनी बढ़ाई गई है जितनी कीमत किसान के गेहूं की प्रोक्योरमेंट के लिए इस साल बढ़ाई गयी है 130 रुपये से 142 रु०...।

श्री सतीश अग्रवाल : उससे ज्यादा है।

राव बीरेन्द्र सिंह : ओवर-हैड चार्जेज तो शुमार होते हैं। आप तो दुकानदारी की बात जानते हैं—ये चार्जेज भी उसमें शामिल होते हैं ;

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वह जानते हैं, लेकिन डण्डी आप मार रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : कहीं यह गुरु-मन्त्र तो नहीं सिखला दिया।

एक माननीय सदस्य : हो सकता है, सीख गये हों।

पहले जिनी सब्सिडी एक क्विंटल गेहूं के ऊपर थी, सब्सिडी नमी के मुताबिक अब भी करीब-करीब चल रही हैं।

श्री संतोष अग्रवाल : 35 करोड़ कम हो गया है।

राव बीरेन्द्र सिंह : वह इसलिए थोड़ा कम है, क्योंकि मिल्स की कीमत ज्यादा कर दी। मिल्स की जो गेहूं की कीमत थी, उसमें कुछ बचत हो गई, लेकिन कन्ज्यूमर्स के लिए जो कीमत बढ़ाई गई है, उसमें गवर्नमेंट की सब्सिडी उतनी की उतनी अगले साल भी करीब-करीब रहेगी। यह 12 रु० कीमत बढ़ाने के बाद मंडी चार्जेज और दूसरे जो खर्चे हैं, उनको मिलाकर 15 रु० करीब करीब पड़ता है। कन्ज्यूमर के लिए उतना ही बढ़ाया गया है, ज्यादा नहीं बढ़ाया गया है।

प्रो० अजित कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने कहा कि बिहार में भी बरसात हुई है, लेकिन मैं समझता हूं कि शायद बिहार की फसल के बारे में मंत्री को ज्ञान नहीं है। यह...

राव बीरेन्द्र सिंह : पिछले सवाल पर चले गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : बात ही पिछली कर रहे हैं, आप तो कल की बात कर रहे हैं।

प्रो० अजित कुमार मेहता : उन्होंने यह कहा कि बिहार में बरसात हो रही है। क्या आपको पता है कि बरसात कब हुई, जबकि खरीफ के लिए बिचड़े वगैरह सब मारे जा चुके हैं? इन बातों को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने अतिरिक्त आवंटन की मांग की थी, क्योंकि उनके कोटे में कटौती हुई हैं। प्रोक्योरमेंट अधिक होने की वजह से आपके पास भण्डारन अधिक होगा, तो क्या आप बिहार सरकार की अतिरिक्त मांग को पूरा करेंगे?

अध्यक्ष महोदय : आवंटन की बात तो इस सवाल में नहीं है।

...(व्यवधान)...

प्रो० अजित कुमार मेहता : जवाब में है।

श्री राम विलास पासवान : चला दीजिए, चला दीजिए।

...(व्यवधान) ..

अध्यक्ष महोदय : हां, मिनिस्टर तगड़ा देखकर, आप चलाना चाहते हैं, तो चलवा दीजिए।

...(व्यवधान)...

प्रो० अजित कुमार मेहता : जवाब दिला दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है।

राव बीरेन्द्र सिंह : बात प्रोक्योरमेंट की है, वे इशू पर आ गए हैं।

प्रो० अजित कुमार मेहता : क्या आप बिहार की मांग को पूरा करेंगे ?

राव बीरेन्द्र सिंह : बिहार सरकार को जितनी मांग है, वह पूरी की जाएगी, इस बात का मैं आश्वासन नहीं दे सकता हूं। क्योंकि हमारा ख्याल है कि सारी स्टेट्स बढ़ाचढ़ाकर मांग रखती हैं...(व्यवधान)...हम अन्दाजा लगाते हैं कितना अनाज स्टेट के लिए जरूरी है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को आप डिसमिस कर दीजिए, क्योंकि ये गड़बड़ काम करती हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : लोगों की बनाई हुई सरकार है, आपके कहने से नहीं टूट सकती है।

प्रो० अजित कुमार मेहता : मन्त्री जी ने मान लिया है कि बिहार में कमी है और इसी कारण प्रोक्योरमेंट कम हुआ है। कम से कम वहां जो कमी है, उसको तो आप पूरा कर दीजिए।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैंने कहा है कि बारिश से हालात सुधर गए हैं। जो फसल पिछली बाकी रह गई है, उसको भी इस बारिश से फायदा होता है। अभी भी जो बारिश हो रही है, हालांकि यह लेट है, लेकिन कई दफा देखा गया है कि जो लेट बारिश होती है, उससे खरीफ भी अच्छी बन जाती है। (व्यवधान)

प्रो० अजित कुमार मेहता : हमारे तो सारे बिचड़े मारे गए हैं।

...(व्यवधान)...

राव बीरेन्द्र सिंह : ना उम्मीद होने की बात नहीं है। अब भी आगे चावल की फसल लगाई जा सकती है।

ट्रैक्टर चालित गन्ना कटाई मशीन का विकास

*329. डा० कृपा सिन्धु भोई : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ के इंजीनियरों द्वारा ट्रैक्टर चालित गन्ना कटाई मशीन का डिजाइन और निर्माण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यह मशीन कब तक बाजार में आ जायेगी और गन्ने की कटाई में कहां तक सहायक

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है ।

विवरण

(क) जी नहीं, श्रीमान् । फिर भी, एक सामान्य ट्रैक्टर-चालित गन्ना हारवेस्टर का डिजाइन तैयार किया गया जो अभी विकास और परीक्षण अवस्था में है ।

(ख) इसकी प्रमुख विशेषता है कि इसमें आड़ा घूमने वाला मोटा तवा होता है जिससे गन्ना ऊपर से कट जाता है । कटे हुए गन्ने की पूलियां यन्त्र के बांई तरफ रखी जाती हैं, जिन्हें हाथ से तोड़ा जाता है, साफ किया जाता है और छीला जाता है ।

(ग) बाजार में हारवेस्टर की बिक्री के लिए समय निश्चित करना कठिन है क्योंकि अभी यन्त्र अनुसंधान और विकास के चरण में है और इसकी बाजार में बिक्री हेतु उपलब्धता निर्माताओं द्वारा हारवेस्टर को अपनाने पर निर्भर है । इसमें सन्देह नहीं है कि यह हारवेस्टर समय और श्रम बचाने के मामले में गन्ना उत्पादकों के लिए बहुत उपयोगी होगा ।

डा० कृपा सिन्धु भोई : आप कृपया प्रश्न और उसका उत्तर देखें । प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में मन्त्री महोदय ने कहा है :

"जी नहीं, श्रीमान । फिर भी एक सामान्य ट्रैक्टर चालित गन्ना हारवेस्टर का डिजाइन तैयार किया गया है जो अभी विकास और परीक्षण की अवस्था है ।

यह उन वैज्ञानिकों का अपमान है जिसने इस मशीन का आविष्कार किया, जबकि हमें उन्हें बधाई देनी चाहिए थी । मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने इसके आविष्कार में शीघ्रता के लिए विशेष धन निर्धारित किया है और क्या सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी है कि किसी पश्चिम देश अथवा कृषि प्रधान देश ने इस प्रकार के गन्ना हारवेस्टर का आविष्कार किया है और क्या सरकार उसके डिजाइन का आयात कर रही है जिससे हमारे वैज्ञानिकों को इस विकास कार्यक्रम में शीघ्र पूरा करने में सहायता मिल सके ।

राव बीरेन्द्र सिंह : लगता है माननीय सदस्य के पास मुझसे अधिक जानकारी है । एक ओर तो उन्होंने जो कुछ मैंने बताया है उस पर आपत्ति उठायी है कहा है कि सरकार की सूचना गलत है । साथ ही साथ वे हमारे वैज्ञानिकों की प्रशंसा कर रहे हैं । इसका स्वागत है । सरकार के मंतव्य के बारे में मैंने पहले ही बताया है कि यह मशीन अभी तक पूरी तरह विकसित नहीं है। इसका ढांचा सरकार के इच्छा के अनुसार पूरा नहीं है और इसका विकास करने में, विशेषकर इस विशेष मशीन का विकास करने में अभी काफी समय लगेगा ।

डा० कृपा सिंधु भोई : इसके लिए वे वैज्ञानिक कितना समय लेंगे ।

राव बीरेन्द्र सिंह : इसका ढांचा तैयार हो चुका है ।

एक माननीय सदस्य : कम से कम एक वर्ष या उससे अधिक ?

डा० कृपा सिंधु भोई : सामान्यत: मैंने आपके उत्तर पर कोई आपत्ति नहीं उठाई है परन्तु आपका "जी नहीं" कहना गलत है ।

राव बीरेन्द्र सिंह : यह अभी प्रगति की अवस्था में है। आपने पूछा था कि क्या इसका विकास किया जा चुका है । मैंने बताया कि अभी विकसित नहीं हो सकी है ।

डा० कृपा सिंधु भोई : "जी नहीं" उत्तर के अन्त में कहा जाना चाहिए था ।

श्री एम० गोपाल रेड्डी : मैं जानना चाहता हूं कि हारवेस्टिंग की सुविधा के लिए क्या कोशिश की जा रही है, क्योंकि यह लेबर इंसेटिव वर्क है, इसको आसान बनाने के वास्ते क्या मन्त्री जी जल्द से जल्द इसका इन्तजाम कराएंगे । क्या साइंस्टों को दूसरे देशों में भेज कर वहां किस तरह से काम किया जा रहा है, इसका अवसर प्रदान करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो हो गया है ।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं पहले ही बता चुका हूं कि मशीन अर्ध-विकसित है । इसका पूरा विकास करने में अभी कुछ और समय लगेगा । हमने अपने वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों से पूछा है कि क्या इस समय को कम किया जा सकता । अत: इस दिशा में और अधिक प्रयत्न किए जायेंगे इस अर्ध विकसित मशीन से श्रम और लागत में बड़ी सीमा तक बचत होगी । एक हैक्टेयर गन्ने की कटाई के लिए लगभग एक-सो जन दिवस लगते हैं । परन्तु इस मशीन के उपयोग करने पर इनमें 40 जन-दिवसों की कमी आयेगी । और इसका अर्थ होगा कि गन्ने की कटाई में आने वाली लागत में बड़ी सीमा तक कमी होगी । इस प्रकार प्रति एकड़ दो सो दो सो अस्सी रुपये की बचत होगी ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मन्त्री महोदय द्वारा बताए गये तथ्यों की दृष्टि से क्या मैं यह जान सकती हू कि इस मशीन के तैयार होने पर इसे काम में लाये जाने से से पहले क्या मन्त्री महोदय इसके इन पहलुओं पर भी विचार करेंगे कि इसका उन कृषि श्रमिकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा जिन्हें पहले ही उचित वेतन पा सकने में कठिनाई होती है । कृषि मजदूरों में व्याप्त बेरोजगारी और गन्ना मजदूरों की दयनीय अवस्था को देखते हुए क्या मन्त्री महोदय इस मशीन का उपयोग शुरू करने से पहले पर्याप्त सावधानी बरतेंगे ।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : साम्यवादी, मार्क्सवादी नेता को यह नहीं पता कि गांवों में मजदूर मिलते नहीं है ।

राव बीरेन्द्र सिंह : इस कारण किसी प्रकार का सन्देह नहीं होना चाहिए। यह एक छोटी और सस्ती मशीन है। इस मूल्य मात्र 4000 रुपये होगा। लागत को कम करने के लिए किसान की मदद करना आवश्यक है क्योंकि इसका प्रभाव उपभोक्ता द्वारा दिए जाने मूल्य पर पड़ता है।

परन्तु हमें सन्तुलन बनाए रखना होगा। हमारे देश में बड़ी और जटिल मशीनों का उपयोग नहीं किया जा सकता। यह किसानों की भूमि और किसानों को मजदूरों की आवश्यकता सदैव रहेगी।

भूमि का कटाव रोकने के लिए धन के लिए गंगा बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड को प्राप्त पश्चिम बंगाल का अनुरोध

*132. श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने भूमि का कटाव रोकने के लिए वित्तीय वर्ष 1980-81 में गंगा बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड से अनुदान देने की मांग की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त धनराशि अब तक दे दी गई है; और

(च) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में असाधारण विलम्ब होने के क्या कारण हैं?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ख) ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं यह नहीं जानता कि मन्त्री महोदय यह कह कर कि फरक्का बांध के निर्माण के कारण पश्चिम बंगाल में भू-क्षरण निरोधी कार्य के लिए धन की मांग नहीं की गई प्रश्न की शब्दावली का लाभ उठा रहे हैं अथवा नहीं। परन्तु मेरे पास 6 जुलाई, 1982 को हुई गंगा बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड की बैठक में राज्य मंत्री द्वारा दिए गए भाषण की एक प्रति है। यह प्रश्न वहां उठाया गया था। आपकी अनुमति से मैं उसमें से एक वाक्य पढ़ूंगा। इसमें कहा गया है;

"उपरोक्त गंगा नदी भःक्षरण समिति की सिफारिशों के अनुसरण में हमने करते जा रहे किनारों की स्थायी सुरक्षा के लिए 198 करोड़ रुपए का प्राक्कलन तैयार कर प्रस्तुत किया है"

राज्य सरकार ने इस वक्तव्य को बार-बार दोहराया है। इस प्रकार भूमि कटाव को रोकने वाले कार्य को इस उच्च शक्ति प्राप्त समिति ने अत्याधिक महत्व दिया है।

इस समिति के अध्यक्ष केन्द्रीय जल एवं विद्युत आयोग के बाढ़ सम्बन्धी सदस्य है । समिति ने इस बात की ओर भी संकेत किया है कि राज्य सरकारों के लिए अपने संसाधनों से 108 करोड़ रुपया खर्च करना क्यों कर असम्भव है फिर अब लागत भी बहुत अधिक बढ़ गई है । राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को अपना प्राक्कलन भेजा था जिसने बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड से इसमें सहयोग देने को कहा था । अत: मैं नहीं जानना कि मन्त्री महोदय किस प्रकार 'न' कह सकते हैं ? क्या अनुदान के लिए अनुरोध नहीं किया गया ? मैं नहीं जानता कि वे शब्दों का खिलवाड़ कर रहे हैं अथवा नहीं । मैं यह जानना चाहता । हूं कि क्या इन भू-क्षरण निरोधी कार्यों के लिए केन्द्र सरकार अथवा सिंचाई विभाग या किसी अन्य एजेन्सी से कोई अनुरोध किया गया था मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं ।

श्री जियाउर रहमान अन्सारी : प्रश्न के साथ-साथ ही मेरा उत्तर भी तथ्यात्मक है । प्रश्न का सम्बन्ध 1980-81 में पश्चिम बंगाल द्वारा केन्द्रीय सहायता मांगे जाने से है और मैंने इसका स्पष्ट उत्तर ही नहीं दिया है । परन्तु अब वे पूछने को व्यापक बना रहे हैं । मैं इसका टालने वाला उत्तर नहीं देना चाहता । गंगा बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड की बैठक अगस्त, 1981 में हुई थी उसमे पश्चिम बंगाल सरकार ने यह बात उठाई थी गंगा द्वारा अपना रास्ता बदलने के कारण भू-क्षरण विरोधी कार्यों पर बड़ी राशि व्यय करने की आवश्यकता है । वे इसे कार्य-सूची में रखना चाहते थे । इस पर 1981 1982 में चर्चा हुई थी । पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिनिधि का कहना था कि फरक्का बांध के कारण भू-क्षरण की समस्या बहाव के ऊपर की ओर तथा नीचे की ओर दोनों तरफ बढ़ गई है । केन्द्र और राज्य सरकार के विचारों में मुख्य मतभेद यह है कि उनके अनुसार फरक्का बांध के कारण भू क्षरण की समस्या बढ़ गई हैं ।

हमारा विचार यह है कि यह एक ऐसी चीज है जो पहले से मौजूद थी, फरक्का बांध परियोजना बनाने से पूर्व भी और जैसा कि आप जानते हैं कि अनेक एल्युविएल नदियों के समान विसर्पण की समस्या बनी हुई है । अत: एक समिति पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गठित की गई थी । केन्द्रीय जल आयोग के सदस्य (बाढ़) श्री प्रीतम सिंह को अध्यक्ष नियुक्त किया गया था तथा अन्य व्यक्तियों को भी इसमें शामिल किया था । उन्होंने कतिपय सुझाव दिए हैं ।

जहां तक फरक्का बांध परिसर का सबध है, फरक्का बांध अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम और जांजीफर बांध फरक्का परियोजना परिसर के अंग है । भारत सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि इस परियोजना में कोई सरकारी न आने पाए । और वे भूमि-कटाव पर भी जो फरक्का बांध परियोजना पर प्रभाव डालती है, नजर रखते है । लेकिन जहां तक अन्य क्षेत्रों का सम्बन्ध है, निश्चित रूप से इसका उत्तरदायित्व राज्य सरकार पर है और चूंकि पश्चिम बंगाल सरकार ने कतिपय कठिनाईयों का उल्लेख किया है, सिंचाई मन्त्रालय ने आश्वासन दिया है कि उनके समक्ष परियोजना आने पर अर्थात गंगा बाढ़ नियन्त्रण आयोग से मंजूरी न मिलने पर, वे उन संस्थानों अर्थात रेल तथा सड़क संस्थानों की बैठक बुलाएंगे । (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, अ झगड़ा नहीं करना चाहिए कि भूमि-कटाव का क्या कारण है। तीन वर्ष भागीरथी के बीच भूमि अन्तर 5 किलो० मीटर था। तीन वर्षों के अन्दर या कम होकर केवल 1 1/2 कि० मी० रह गया है। अतः समस्या की गम्भीरत हमें इस बात पर विवाद नहीं करना चाहिए कि इसके लिए जिम्मेदार कौ अथवा राज्य सरकार या भूमिका यह कटाव फरक्का बांध के कारण हुआ का उत्तरदायित्व है कि देश के इस भाग को बचाया जाए। जांगीपुर बांध भ का एक भाग है, गंगा के किनारे से 1,250 मीटर दूर रह गया है दाहिने कारण गंगा सांकोपड़ा में पूर्व रेलवे के फरक्का-दुलियां-जांगीपुर बड़ी लाइ नजदीक चली आई है। दुर्गापुर में 800 मीटरी तथा बाजिनपुर में 1200 खतरे में है। रेलवे लाइन खतरे में हैं। वर्तमान सिंचाई मन्त्री भूतपूर्व रेल म सिंह एक अनभवी व्यक्ति हैं। वे इस समिति के अध्यक्ष थे। इस समिति व अधीन नियुक्त किया गया था, परन्तु केन्द्रीय सरकार का अधिकारी अध्यक्ष राय है कि इस बांध के कारण ही ऐसा हुआ है। मैं इस बात के लिए झग कि इसका क्या कारण है। परन्तु तथ्य इतना गम्भीर है तथा खतरे की तल हमारे पास संसाधन नहीं है। हमारे मन्त्रियों को नाम मात्र की योजना स चोटी एक करनी पड़ती है। सीमित संसाधनों को देखते हुए क्या राज्य सर करना सम्भव है ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार का भूमि लिए कोई उत्तरदायित्व है। मन्त्री महोदय, कृपया यह भी हमें बतलाए कि की इस सम्बन्ध में क्या स्थिति है और इस मामले म सहायता से काम लें।

श्री जियाउर रहमान अन्सारी : हम समस्या से अवगत हैं और हम कि हम प्रीतम सिंह समिति की सिफारिशों की जांच कर रहे हैं। इसके अ बंगाल से कहा है कि वह रेल, सड़क तथा अन्य हिताधिकारियों से सहायता प्रस्तुत करें। सिंचाई मन्त्री ने आश्वासन दिया है कि उन संस्थानों की एक ओर पश्चिम बंगाल को सहायता दी जाएगी। माननीय सदस्य को गलत समिति के अध्यक्ष ने कहीं यह कहा था कि समस्या फरक्का बांध के है।

प्रो० के० के० तिवारी : माननीय सदस्य अन्ततः सहमत हो गए प्रश्न उसके कारणों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं बिहार विशेषकर के अपना (व्यवधान) के बारे में उल्लेख कर रहा हूं। यह भूमि-कटाव का प्रश्न है 377 के अधीन सभा में उठाया था। मैं मन्त्री से कुछ आश्वासन चाहता हूं इस कटाव का सबसे ज्यादा शिकार है। (व्यवधान)। मैं चाहता हूं कि म में आश्वासन दें। मेरे क्षेत्र को खतरा है।

अध्यक्ष महोदय : आप दूसरा प्रश्न पूछें, मैं अनुमति दूंगा। वे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते ।

प्रो० के० के० तिवारी : आप पूरक प्रश्नों की अनुमति देते रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है ।

प्रो० के० के० तिवारी : यह कैसे असंगत है। यह भूमि-कटाव से सम्बन्धित है और हमें बिहार में इसका खतरा है ।

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय आप प्रश्न से संतुष्ट हैं ? आप स्थिति से अवगत हैं ? क्या आप इस प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं ?

श्री जियाउर रहमान अन्सारी : यह एक विशिष्ट प्रश्न है ।

प्रो० के० के० तिवारी : आप हमें कुछ आश्वासन दें ।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न करें, मैं उसे स्वीकृत करूंगा, लेकिन इस तरह नहीं । यह एक सामान्य प्रश्न है ।

प्रो० के० के० तिवारी : आप मन्त्री मन्डलीय स्तर के मन्त्री से आश्वासन देने के लिए क्यों नहीं कहते ?

सिंचाई मन्त्री (श्री केदार पांडे) : आरा से बक्सर तक तटबन्ध बनाने के लिए एक स्कीम विचाराधीन है। (व्यवधान)

श्री चित्त बसु : मै समझता हू कि आप तथा पूरी सभा समस्या की गंभीरता से परिचित है। क्या मै माननीय मन्त्री जी से जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार से इसकी सुरक्षा हेतु एक पुनर्संशोधित परियोजना प्रस्तुत करने को कहा गया था और पश्चिम बंगाल सरकार पहले ही एक पुनर्संशोधित योजना प्रस्तुत कर चुकी है ? इस बात को देखते हुए कि राज्य सरकार इस समस्या का सामना नहीं कर सकती, क्या केन्द्रीय सरकार सभा को आश्वासन देगी कि वह समयबद्ध योजना के तहत प्रीतम सिंह समिति की सिफारिशों के अनुसार एक योजना बनाएगी ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उनका कहना है कि वे एक प्रेगमैटिक परियोजना की पुनरीक्षा कर रहे है ।

श्री चित्त बसु : वह मेरा प्रश्न नहीं समझे हैं । वह कहते हैं, "पश्चिम बंगाल सरकार से

कहा गया है कि वह एक प्रैगमैटिक प्रस्ताव प्रस्तुत करे"। मेरा कहना कि 17 अथवा 18 करोड़ रुपये का प्रस्ताव पहले ही भेजा जा चुका है। सरकार की उसके सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

अध्यक्ष महोदय : यही प्रश्न श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा भी किया गया है।

श्री जियाउर रहमान अन्सारी : मूलतः पश्चिम बंगाल सरकार ने गंगा डेल्टा में भूमि कटाव रोकने के लिए 200 करोड रुपये का प्रस्ताव भेजा था। केन्द्रीय सरकार ने उससे संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा; और अब संशोधित प्रस्ताव गंगा बाढ़ नियन्त्रण आयोग को प्राप्त हो गया है और वह इसकी जांच कर रहा है: ज्यों ही जांच कार्य समाप्त होने के बाद वे उसे केन्द्रीय सरकार को भेजेंगे हम निश्चित रूप से इस पर विचार करेंगे तथा अन्य हिताधिकारियों से बात करेंगे।

केन्द्रीय राज्य फार्म में सुधार हेतु विशेषज्ञ, समिति का गठन

*3 3. **श्री कुम्भा राम आर्य :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राज्य फार्म निगम ने सरकार को केन्द्रीय राज्य फार्मों के कार्य में सुधार करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने का सझाव दिया;

(ख) क्या विशेषज्ञ समिति का गठन हो गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या समिति से कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि समिति का गठन नही किया गया है तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) से (घ) भारतीय राज्य फार्म निगम ने सरकार को केन्द्रीय राज्य फार्मों के कार्य में सुधार लाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने का कभी सुझाव नहीं दिया है। तथापि सरकार ने राष्ट्रीय बीज निगम तथा भारतीय राज्य फार्म निगम के कार्यों का अध्ययन करने के लिए 20-4-1982 को एक समिति गठित की है। समिति को अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

श्री कुम्भा राम आर्य : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह समिति कब बनाई गई और उस के द्वारा आज तक रिपोर्ट पेश न किए जाने का क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : यह तो जवाब में बता दिया है कि यह कमेटी इसी साल 20 अप्रैल को बनाई गई।

एक माननीय सदस्य : डीले हो रही है।

राव बीरेन्द्र सिंह : डीले कहां हो रही है? अभी कमेटी अप्रैल में बनी है और इसकी रिपोर्ट का इन्तजार है।

अध्यक्ष महोदय : तो अगला सवाल यह होगा कि अगर डीले नहीं हो रही है, तो क्यों नहीं हो रही है।

श्री कुम्भा राम आर्य : समिति से कितनी अवधि में रिपोर्ट मांगी गई है?

राव बीरेन्द्र सिंह : रिपोर्ट के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं किया गया है, लेकिन हम जल्दी रिपोर्ट चाहते है।

ग्रीष्म ऋतु में दालों की खेती सुविधाएं

*334. श्री आर० एन० राकेश :

श्री नवल किशोर शर्मा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार गर्मी की फसलों के लिए किसानों को बिजली, पानी जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय करने का है विशेषकर दालों के उत्पादन में वृद्धि के लिए ताकि देश में दाल की मांग को पूरा किया जा सके;

(ख) चालू ग्रीष्म ऋतु में दालों के कितने उत्पादन की आशा है; और

(ग) उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर दालें सप्लाई किए जाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे ग्रीष्म की मूंग के लिए डीजल, बिजली तथा सिंचाई के पानी को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराएं।

दलहन विकास केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत 1982 से ग्रीष्म की मूंग पैदा करने वाले संभावित राज्यों में ग्रीष्म की मूंग के उत्पादन के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत बीज एवं सिंचाई प्रभार की आंशिक लागत की पूर्ति के लिए सहायता प्रदान की जाती है। वृहत स्तर पर प्रौद्योगिकी के प्रसार के लिए किसानों के खेतों में प्रदर्शन करने तथा प्रचार करने के लिए भी प्रावधान रखा गया है। केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के तहत किसानों को 54600 मिनिकिट बीज के पाकेट भी निःशुल्क वितरित किए गए हैं।

(ख) राज्यों से प्राप्त प्राथमिक सूचना के आधार पर 1982 के ग्रीष्म के दौरान लगभग 5.70 लाख मीटरी टन ग्रीष्म मूंग के उत्पादन की आशा है।

(ग) देश के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए नए बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं। इससे उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर दालें आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी।

श्री आर० एन० राकेश : अध्यक्ष महोदय, मेरे क्वेश्चन के पार्ट (ए) के जवाब में मन्त्री महोदया ने कहा है : —

> "राज्य सरकारों से डीजल, बिजली तथा सिंचाई के लिए प्राथमिकता के आधार पर गर्मी में पैदा की जाने वाली मूंग की फसल हेतु कहा गया है।"

तभी पिछले हफ्ते बिजली मन्त्री ने इसी सदन में जवाब दिया है कि किसानों को आठ-आठ, दस-दस घंटे प्रतिदिन बिजली दी जाती है, जबकि वास्तव में किसानों को हफ्ते भर में भी आठ-दस घंटे बिजली नहीं मिलती है। मैं जानना चाहता हूं कि इस साल मार्च से लेकर अब तक स्टेटवाइज किस स्टेट में कितनी बिजली दी गई है, विशेषकर उत्तर प्रदेश में मार्च से अब तक किसानों को दालों की समर फसल के लिए प्रतिदिन कितनी-कितनी बिजली दी गई है।

राव बीरेन्द्र सिंह : सवाल तो दालों के मुताबिक था, बिजली का तो कोई इल्म मुझे नहीं है।

श्री आर० एन राकेश : आपने जवाब में कहा है कि राज्य सरकारों को यह ऐडवाइस दी गई है तो मैं यह कह रहा हूं कि आपने जो एडवाइस दी है वह एग्जीक्यूट हुई है या नहीं ? यदि एग्जीक्यूट हुई हैं तो कितनी हुई है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : सरकार ने जो हिदायतें दी हैं और जो पालिसी है उसका जिक्र मैंने कर दिया। एनर्जी मिनिस्ट्री ने स्टेट गवर्नमेंट्स को हिदायतें दी हैं। बिजली का ब्यौरा रखने का सवाल तो आप एनर्जी मिनिस्ट्री से पूछें। लेकिन ज्यादा से ज्यादा बिजली दिलाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं और पानी भी दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी की वजह से जैसा जवाब में बताया गया रकबा भी बढ़ गया है समर दालों और समर मूंग के नीचे और पैदावार भी बढ़ गई है। जवाब में बताया कि 3 लाख 80 हजार टन से लेकर 5 लाख 70 हजार टन इस साल पैदावार बढ़ गई है। काफी बढ़ोतरी उसमें हुई है।

श्री आर० एन० राकेश : आपने एडवाइज किया है डीजल और बिजली ज्यादा से ज्यादा देने के लिए, वही मैं पूछ रहा हूं कि जो आपने हिदायत दी है वह एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं ?

श्री आर० एन० राकेश : आपने ऐडवाइज किया है डीजल और बिजली ज्यादा से ज्यादा ज्यादा देने के लिए, वही मैं पूछ रहा हूं कि जो आपने हिदायत दी है वह एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं ?

राव बीरेन्द्र सिंह : कौन से दिनों में ?

श्री आर० एन० राकेश : उत्तर प्रदेश में विशेषकर बता दीजिए ।

राव बीरेन्द्र सिंह : उत्तर प्रदेश में कौन से महीनों की बात कर रहें हैं ?

श्री आर० एन० राकेश : मार्च 82 से अब तक का बता दीजिए ।

राव बीरेन्द्र सिंह : अब तक का तो सवाल पैदा नहीं होता क्योंकि जून तक तो समर मूंग की फसल कट जाती है ।

श्री आर० एन० राकेश : जून तक का बता दीजिए ।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैंने अर्ज किया कि कितने घण्टे किस लाइन पर बिजली मिली, किस खेत में कितनी मिली किस खेत में कितनी नहीं मिली इसका ब्यौरा एनर्जी मिनिस्ट्री से पूछ सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अब रहने दीजिये नहीं तो किसी ने पूछ लिया कि मूंग की फसल कब बोयी जाती है तो पोल खुल जाएगी । सीधी बात कर लीजिए ।

श्री हरिकेश बहादुर : ऐक्चुली यह कहा गया है कि नौ दस घण्टे रोज बिजली दी जाती है जबकि हफ्ते में भी नौ दस घण्टे नहीं दी जाती है ।

श्री आर० एन० राकेश : इस सवाल के (बी) भाग के उत्तर में कहा है कि आल दि एफर्ट्स आर० बीइंग मेड-चीजों को सस्ता करने के लिए और दाल को सस्ता करने के लिए आप की सरकार ज्यादा से ज्यादा प्रयास कर रही है । इसके बारे में मुझे कुछ पूछना नहीं है क्योंकि मेरा कहना यह है (सी) के बारे में कि 1980 के पूर्व खाना सस्ता था, खाने वालों की जिन्दगी महगी थी, 1980 के बाद खाना मंहगा हो गया है, कमरतोड़ महगाई हो गई है और खाने वाले इन्सानों की जिंदगी और महिलाओ की इज्जत सस्ती हो गई है । वह आपकी पकड़ के बाहर है । इसलिए मै (सी) के बारे मे नही बोलूंगा ।

(बी) के बारे में पूछना चाहता हूं, आपने कहा है कि 1982 में 5.70 लाख टन दाल पैदा करने जा रहे हैं और आपने कहा है कि यह पैदावार बढ़ भी गई है । सारे प्रदेशों में आपने महसूस किया है कि पानी नही बरसा है और पानी न बरसने के कारण बिजली भी नहीं मिली जिससे काफी नुकसान हुआ है । तो ये आंकड़े तो आपने तब दिये थे जब खेत में फसल बोयी भी नहीं गई थी । ये आंकड़े तो पहले के हैं और अब जो नुकसान हुआ है सूखे के कारण से उसके बारे में मैं जाना चाहता हूं कि सूखे के कारण आपकी इस फिगर में कितनी कमी हुई और कितना डैमेज हुआ है दाल के उत्पादन में ।

राव बीरेन्द्र सिंह : फसल को पानी दिलाने के लिए बिजली ज्यादा से ज्यादा दिलाने के लिए भारत सरकार ने कोशिश की है, आग्रह किया है बार-बार राज्यों सरकारों से कि फसल के पकने के लिए किसानों को ज्यादा से ज्यादा सहायता दें। हमने यहां से भारत सरकार की टीमें भेजी है कि वह जाकर किसानों से पूछें, जिलों में जाए, इस तरह का सिलसिला पिछले साल से शुरू हुआ है ताकि हम यह जांच कर सकें कि स्टेट सरकारें जितना कहती हैं उसके मुताबिक किसानों को बिजली और नहर का पानी मिल रहा है या नहीं। तो कोशिश हमने इन्हाई की है। उसके मुताबिक जो हमारा अन्दाजा था कि कितनी फसल दाल की बढ़ेगी वह हमने बतला दिया। उसमें नुकसान कितना हुआ है यह ब्योरा अभी तक हमारे पास नहीं है।

श्री राजेश पाइलट : प्रथमतः, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या उनके दिमाग में नियमित आधार पर किसानों को दी जाने वाली ऐसी सुविधाओं पर नजर रखने के लिए एक प्रबोधन एकक बनाने का विचार है, क्योंकि हमेशा आश्वासन तो दे दिया जाता है किन्तु उसे कार्यान्वित नहीं किया जाता है ? जब सरकार अनुदेश देती है तो इसका अवश्य सुनिश्चित होना चाहिए कि अनुदेशों का पालन हो रहा है। यदि यह प्रश्न है कि प्रदेश से आग्रह कर दिया गया है या हिदायत कर दी गई है लेकिन वे अपना कर्तव्य पालन नहीं कर रहे हैं। क्या मुझे आश्वासन दिया जायेगा कि मन्त्रालय में नियमित रूप से प्रबोधन करने हेतु एक प्रबोधन एकक बनाया जाएगा ? यदि अनुदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है तो सभा को इसकी सूचना तुरन्त दी जानी चाहिए।

राव बीरेन्द्र सिंह : जब से यह सरकार 1980 में बनी है तभी से हमने कार्रवाई करनी शुरू कर दी थी। हमने सबसे पहले यह व्यवस्था 1980 में शुरू की थी और तबसे यह जारी है। माननीय सदस्य द्वारा दिया गया सुझाव हमारे दिमाग में पहले से था और हम तदनुसार काम कर रहे हैं ?

श्री सत्य नारायण जटिया : अध्यक्ष महोदय, जैसी कि आपको जानकारी होगी यह जो सिंचाई का मामला है इसमें फ्लो इरीगेशन सस्ती होती है, उसके बाद बिजली द्वारा जो एरीगेशन होती है वह फ्लो इरीगेशन के मुकाबले कुछ मंहगी होती हैं और डीजल द्वारा की गई इरीगेशन उससे भी महंगी होती है। मेरा कहना यह है कि बिजली प्रदाय लगातार होती रहे, यह तो संभव है नहीं।

अध्यक्ष महोदय : क्या सवाल कर रहे हैं ?

श्री सत्य नारायण जटिया : मैं यह जानना चाहता हूं कि डीजल प्रदाय करने में क्या कोई प्राथमिकता और कन्सेशन देने की बात आपकी मिनिष्ट्री में विचाराधीन है ?

अध्यक्ष महोदय : डीजल की कमी है क्या ?

श्री सत्य नारायण जटिया : डीजल मंहगा है इसलिए क्या मन्त्री जी कोई कन्सेशन देने की बात सोच रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : डीजल की तो कोई कमी नहीं है ।

दूध की कीमत निर्धारित करने का मानदण्ड

*317. श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी डेयरी जैसे मदर डेयरी के दूध की कीमत निर्धारित करने के लिए सरकार द्वारा क्या मानदण्ड निश्चित किया गया है;

(ख) क्या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के चेयरमैन ने इस मानदण्ड से अपना विरोध व्यक्त किया है;

(ग) यदि हां, तो यदि कोई सुझाव दिए गए हैं; तो वे क्या हैं; और

(घ) क्या सरकार इस पर फिर से विचार करेगी ताकि उपभोगताओं और दूध सप्लायरों का हित उचित स्तर पर बना रहे ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) आम तौर पर डेरियों के दूध के मूल्य का निर्धारण करना, राज्य सरकारों अथवा डेरी संयंत्रों को चलाने के लिए उत्तरदायी संबद्ध अधिकरणों जैसे सरकारी क्षेत्र के निगमों सहकारी संघों आदि का काम है ।

आम तौर पर संबद्ध अधिकरण दूध का मूल्य निर्धारित करते समय दूध के क्रय मूल्य संसाधन, परिवहन तथा वितरण लागत आई जैसी विभिन्न बातों को ध्यान में रखते हैं । दिल्ली दुग्ध योजना के मामले मे दूध का बिक्री मूल्य सरकार की पूर्व अनुमति से निर्धारित किया जाता ।

तथापि डेरियों द्वारा दूध का मूल्य निर्धारित करने के लिए संघ सरकार द्वारा कोई विशेष मानदण्ड निर्धारित नहीं किए गए हैं । उन्हें केवल इस आशय के सामान्य मार्ग-दर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं कि दोनों उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों का पूरा ध्यान रखा जाए ।

(ख) और (ग) चूंकि दूध का मूल्य निर्धारित करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किए गए हैं, अतः यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) सरकार का सदा यह प्रयत्न रहा है कि दूध उत्पादकों तथा उन उपभोक्ताओं के हित उचित स्तर पर बने रहें ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

शहरी और देहाती इलाकों में आवासीय योजनाएं

*328. श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों के विशेषकर कर्नाटक के विभिन्न नगरों, कस्बों और ग्रामीण इलाकों में आवासीय योजनायें केन्द्रीय सरकार की सहायता के बिना रुकी पड़ी हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

त्रिपुरा में चावल का स्टाक मनुष्य के खाने योग्य नहीं

*331. श्री बाजू बनरियान : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि त्रिपुरा में भारतीय खाद्य निगम के पास भारी मात्रा में ऐसा चावल पड़ा हुआ है जो मनुष्य के खाने योग्य नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसा कुल कितना चावल पड़ा हुआ है ;

(ग) क्या त्रिपुरा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि इस चावल की जांच के लिए विशेषज्ञों का एक दल भेजा जाए ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने विशेषज्ञों का दल भेजा है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) त्रिपुरा में भारतीय खाद्य निगम के पास पड़े हुए स्टाक में से 370 मीटरी टन चावल मानव उपभोग के योग्य नहीं पाया गया है। राज्य सरकार ने यह भी इच्छा व्यक्त की थी कि भारतीय खाद्य निगम के पास पड़े हुए 3392 मीटरी टन चावल के स्टाक की सार्वजनिक उपभोग के लिए जानकारी करने से पहले फिर से कुटाई और सफाई करवा ली जानी चाहिए। मामले की

निगम ने 2600 मीटरी टन स्टाक के बारे में फिर से कुटाई और सफाई करने के प्रभारों के प्रति 12.13 रुपये प्रति क्विंटल का रिबेट देने के बारे में राज्य सरकार को अनुमति प्रदान करने के लिए सहमति प्रकट की है।

(ग) से (ङ) जी हां भारतीय खाद्य निगम के जोनल कार्यालय, कलकत्ता, के दो अधिकारियों की एक समिति चावल के स्टाक की क्वालिटी की जांच करने के लिए जून, 1982 में त्रिपुरा गई थी। उस दल ने यह सिफारिश की थी कि जैसा कि राज्य सरकार ने इच्छा व्यक्त की है, शेष 792 मीटरी टन स्टाक की भी उसे जारी करने से पहले फिर से कुटाई और सफाई कर ली जाती जाए ;

"फूड कारपोरेशन फेसिंग ग्रेन पिलफरेज" समाचार

*335. श्री निहाल सिंह : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 अप्रैल, 1982 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित "फूड कारपोरेशन फेसिंग ग्रेन पिलफरेज'. (खाद्य निगम के खाद्यान्न की चोरी) शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या भारतीय खाद्य निगम के खाद्यान्न की चोरी हो रही है और रेल सुरक्षा बल और स्थानीय पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है क्योंकि उनके क्षेत्राधिकार के संबंध में विवाद है, और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार पिछले वर्ष कुल कितनी हानि हुई है और क्या विवाद को सुलझा लिया गया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) : जी हां। यह समाचार भारतीय खाद्य निगम के सुल्तानपुर लोधी रेलवे स्टेशन (पंजाब) में अप्रैल, 1982 में लदान के लिए भण्डारित स्टाक से खाद्यान्नों की चोरी से संबंधित है।

(ख) और (ग) भारतीय खाद्य निगम के सुल्तानपुर लोधी रेलवे स्टेशन पर लदान के लिए रखे गए स्टाक से खाद्यान्नों की छुट-पुट चोरी के कुछ मामले हुए हैं। रेलवे सुरक्षा बल और स्थानीय पुलिस के बीच क्षेत्राधिकार के बारे में कोई विवाद पैदा नहीं हुआ था। संबंधित क्षेत्र सरकार के रेलवे पुलिस के क्षेत्राधिकार में आता है और इस संबंध में कोई विवाद नहीं है। भारतीय खाद्य निगम ने इस प्रकार की छोटी-मोटी चोरियों को रोकने के लिए अपने स्वय के सुरक्षा प्रबन्धों में सुधार करने के लिए पग उठाए हैं। क्योंकि छोटी-मोटी चोरी हुई थी, इस लिए पिछले वर्ष के दौरान सुल्तानपुर लोधी स्टेशन पर इसके कारण हुई कुल हानि की राशि नगण्य थी।

सरकार और अन्य एजेन्सियों द्वारा आरम्भ की गई आवास परियोजनाएं

*336. **श्री दिलीप सिंह भूरिया :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जान कारी है कि सरकार तथा अन्य एजेन्सियों द्वारा आरम्भ की गई आवास परियोजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की स्थिति में सुधार करने और अपना प्रभाव डालने में विफल रही है;

(ख) क्या सरकार ने आवासीय गतिविधियों में बड़ी-बड़ी खामियों की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) देश में आवासीय और निर्माण परियोजनाओं में सुधार लाने के लिए कौन से प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) सरकार तथा अन्य अभिकरणों द्वारा आरम्भ की गई आवास परियोजनाओं ने देश में आवासीय स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) सरकार ने सर्वदा ही ग्रामीण आवास जनसंख्या के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग तथा अन्य सामाजिक आवास योजनाओं को उच्च प्राथमिकता दी है। छठी पंच वर्षीय योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के सभी शेष 68 लाख भूमिहीन परिवारों को आवास स्थल तथा 36 लाख ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को निर्माण सहायता देने का है। इस योजना की नीति आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के आवास पर बल देना है। इस योजना में हुडको का लगभग 600 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश का विचार है जिस का 55 प्रतिशत आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय-वर्ग के आवास के लिए है।

सूखा राहत निश्चित करने के लिए दूसरा अध्ययन दल भेजने का राजस्थान का अनुरोध

*338. **श्री कृष्ण कुमार गोयल :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान सरकार ने सूखा राहत के लिए उनकी वित्तीय आवश्यकता का ठीक-ठीक अनुमान लगाने के लिए केन्द्र सरकार से राज्य में दूसरा अध्ययन दल भेजने का अनुरोध किया है और 280 करोड़ रुपए की विशेष सहायता की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार के अनुरोध पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) (क) तथा (ख) जी हां। राजस्थान सरकार ने पूरक ज्ञापन भेजा है, जिसमें रोजगार उत्पन्न संबंधी कार्यों के लिए 61.00 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केन्द्रीय ससायता मांगी गई है, जो विचाराधीन है ।

काश्तकारों को मालिकाना अधिकार

*339. श्री भोगेन्द्र झा : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां काश्तकारों को क्रमशः मालिकाना अधिकार अथवा काश्तकारी की सुरक्षा सहित पट्टे दिए जाने की अनुमति दी गयी है और क्या इस प्रश्न के सम्बन्ध में पूरे देश में एकरूपता लाने का विचार है ;

(ख) यदि नही, तो उसके कारण क्या हैं ; और

(ग) काश्तकारों के नामों का उनके द्वारा जोती जाने वाली भूमि के लिए सही इन्दराज सुनिश्चित करने के लिए कौन-सी विशिष्ट प्रक्रिया अपनायी गयी है, अथवा अपनायी जा रही है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, बिहार, पंजाब, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों में काश्त करने वाले काश्तकारों को मालिकाना अधिकार दिए गए हैं। असम, कर्नाटक, केरल, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र तथा उत्तर प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों में पट्टे दिए जाने की पूर्ण अथवा आंशिक अनुमति है। जहां भूमि को पट्टे पर दिए जाने की अनुमति है, वहां आन्ध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल को छोड़कर काश्तकारों की स्थिति आमतौर पर सुरक्षित हैं। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि उन राज्यों में जहां काश्तकारी कानूनों में स्वीकृत राष्ट्रीय नीति की अपेक्षा कमी है, उपयुक्त उपाय अपनाये जाएं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अधिकार अभिलेख में काश्तकारों के नाम दर्ज करना स्वीकृत राष्ट्रीय नीति है। सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त, वार्षिक निरीक्षण तथा परिवर्तन कार्यों के माध्यम से इन इन्दराजों की व्यवस्था की गई है।

शांत घाटी का राष्ट्रीय पार्क के रूप में विकास

340. श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने शांत घाटी (साइलेंट वैली) का राष्ट्रीय पार्क के रूप में विकास करने के लिए क्या कार्यवाही की है;

(ख) क्या केरल सरकार ने इस दिशा में कुछ काम किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(घ) केरल सरकार ने केन्द्र सरकार को इस बारे में क्या सुझाव दिए हैं ; और

(ड.) केन्द्र सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० पी० स्वामीनाथन) :(क) भारत सरकार ने केरल सरकार को बारम्बार सलाह दी है कि वह शांत घाटी-राष्ट्रीय-पार्क को वन्य प्राणि (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुरूप बनाए । इस प्रकार से तैयार किए गए राष्ट्रीय पार्क के विकास के लिए 1980-81 से वित्तीय सहायता भी दी जा रही । है

(ख) तथा (ग) 26 दिसम्बर, 1980 को केरल सरकार ने वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 35 (1) के तहत एक अधिसूचना जारी की जिसमें उसने "शांत घाटी आरक्षित वन क्षेत्र को निश्चित करने के बारे में अपने आशय की घोषणा की थी । तदुपरान्त, 30 जनवरी, 1981 को केरल सरकार ने शांत घाटी पन बिजली परियोजना के लिए अपेक्षित क्षेत्र को अलग निकालने हेतु एक शुद्धि अधिसूचना जारी की थी । राष्ट्रीय पार्क का निर्धारण करने के लिए अन्तिम अधिसूचना अभी जारी नहीं की गयी है । भारत सरकार शुद्धि अधिसूचना वापस लेने के लिए राज्य सरकार से बार-बार अनुरोध करती रही है क्योंकि इससे राष्ट्रीय पार्क बनाने का मुख्य उद्देश्य पूरा नहीं होता और इससे वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों का भी उल्लंघन होता है।

(घ) तथा (ड.) केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार का उपरोक्त सुझाव अभी स्वीकार नहीं किया है । तथापि, राज्य सरकार ने कहा है कि वह योजना आयोग के सदस्य प्रो०एम०जी० मेनन की अध्यक्षता वाली संयुक्त केन्द्रीय—राज्य समिति की सिफारिशों पर अन्तिम निर्णय लिए जाने तक शांत घाटी की यथास्थिति को बरकरार रखेगी ।

बिहार में आटा मिलों का बन्द होना

*341 श्री मूल चन्द डागा : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में सभी आटा मिल मई, 1982 के प्रथम सप्ताह में बन्द पड़े रहे थे ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण थे ; और

(ग) राज्य सरकार को दी गई गेहूं की कुल मात्रा की तुलना में इन आटा मिलों की कुल आवश्यकता कितनी थी ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री(राव बीरेन्द्र सिंह): (क) (मई, 1982 के प्रथम सप्ताह में बिहार में सभी आटा मिलो के बन्द होने के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जैसाकि राज्य सरकार ने बताया है, बिहार में रोलर आटा मिलों की गेहूं की कुल क्षमता 33,000 मीटरी टन प्रतिमास है जिसके प्रति उन्हें इस समय 15,774 मीटरी टन का आवंटन किया जा रहा है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के गांवों में सड़कों का बनाया जाना

*343. श्री राम विलास पासवान : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के गांवों मे सड़कें बनाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : ग्रामीण सड़कें न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का घटक है और इस घटक के लिए परिव्यय राज्य योजनाओं में सुलभ किए जाते हैं। छठी योजना (1980-85) प्रलेख मे निर्धारित मानदण्डों के अनुसार 1500 तथा उससे ऊपर की जनसंख्या वाले शत प्रतिशत गांवों और 1000 से 1500 के बीच की जनसंख्या वाले 50 प्रतिशत गांवों को 1990 तक सभी मौसमों में खुली रहने वाली सड़कों से जोड़ा जाना है और इस कार्यक्रम का लगभग 50 प्रतिशत लक्ष्य 1985 तक पूरा किया जाना है। पहाड़ी तथा आदिवासी क्षेत्रों के मामले में इस मामदण्ड में "सामूहिक गांवों" के दृष्टिकोण को अपनाने की अनुमति हेतु ढील दे दी गई है। राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को सलाह दी गयी है कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की पाक श्रेणी में आने वाले गांवों में से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की अधिक जनसंख्या वाले गांवों का चयन किया जाए और इन गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए भौतिक लक्ष्यों को विशिष्ट रूप से स्पष्ट किया जाए और इन गांवों को सभी मौसमों में खुली रहने वाली सड़कों से जोड़ने के लिए वित्तीय प्रावधान निर्धारित किया जाए।

केरल में नारियल के पौधों में विषाणु रोग

344. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि केरल में विषाणु रोग के कारण नारियल के बाग प्रायः समाप्त होने की स्थिति में है;

(ख) क्या इस रोकथाम के लिए कोई कदम उठाये गए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) केरल में नारियल का लगभग 30 प्रतिशत क्षेत्र जड़ मुर्झान रोग से प्रभावित है, जिसके कारण उत्पादकता में गिरावट आ जाती है ।

(क) तथा (ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नारियल के जड़ मुर्झान जैसे गम्भीर रोग के कारणों का निदान करने के लिए सघन अनुसंधान कार्य कर रही है तथापि इसके कारणों का अभी पता नहीं चला है । अनेक घटकों का उल्लेख किया गया है, जिनमें से एक या एक से अधिक घटक इस रोग के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं । इस दिशा में आगे कार्य किया जा रहा है । जड़ मुर्झान रोग को फैलने से रोकने के लिए नीति तैयार की गयी है और रोपण कार्यक्रम बनाया गया है । रोग के निदान विज्ञान और नियंत्रण के सम्बन्ध में अनेक प्रकार की जांच पड़ताल की जा रही है । केरल कृषि विश्वविद्यालय द्वारा भी अनुसंधान कार्य किया जा रहा है ।

भूमि सुधार अधिनियम के अन्तर्गत हरिजनों और आदिवासियों को बंजर और ग्राम सभा की भूमि का आबटन

*345. श्री राजस्थान सोनकर शास्त्री : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बड़े जमीदारों और हरिजनों/आदिवासियों के बीच निरंतर बढ़ते हुए तनाव का एक कारण यह है कि भूमि सुधार अधिनियम के अन्तर्गत हरिजनों और आदिवासियों को बंजर और ग्राम सभा की भूमि का आवंटन किया जा रहा है ;

(ख) क्या इस भूमि क आबंटन और कब्जे के प्रश्न पर ही इस वर्ष बिहार और उत्तर प्रदेश में हरिजनों और सवर्ण हिन्दुओं के बीच बहुत से गंभीर झगड़े हुए है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इन झगड़ों को रोकने और इन भूमिहीन और निर्धन लोगों को आवंटित भूमि का तत्काल कब्जा देनें के लिए किसी ठोस प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) (क) और (ख) ऐसी कोई विशिष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ग) और (घ) गृह मन्त्रालय द्वारा राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे भूमि के आबंटन तथा कब्जे सहित विभिन्न कारणों से होने वाले ऐसे विवादों के बारे में पूर्णतः अवगत रहे। गृह मन्त्रालय द्वारा राज्यों को एहतियाती, निवारक, दण्डात्मक, पुनर्वास सम्बन्धी तथा अन्य नीति-परक उपायों के बारे में विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए हैं।

भारत-अमरीकी कृषि उप-आयोग की बैठक

*231. प्रो० रूपचन्द पाल : क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन महीनों के दौरान भारत-अमरीकी कृषि उप-आयोग की कोई बैठक हुई थी; और

(ख) उपरोक्त उप-आयोग ने किन-किन विषयों पर विचार किया ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) तथा (ख) उप- आयोग और इसके निम्नलिखित चार कार्यकारी दलों की 3 से 9 जून तक वाशिंगटन में बैठक हुई थी :—

1. कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा।

2. आदान एवं सम्बद्ध प्रौद्योगिकी।

3. प्राकृतिक संसाधन प्रबन्ध।

4. विस्तार एवं प्रशिक्षण

विचार किए गए विषयों को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

3 जून, से 9 जून, 1982 तक वाशिंगटन में भारत-अमरीकी कृषि उप-आयोग द्वारा अपने द्वितीय सत्र में विचार किए गए व स्वीकृत विषयों की सूची

i. कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा :

1. सहजीवी और गैर-सहजीवी दोनों जैविक नाइट्रोजन निर्धारण पर बल देते हुए समेकित वनस्पति पोषक प्रबन्ध व्यवस्था।

2. कृषि में उर्जा प्रबन्ध

3. मृदा एवं जल प्रबन्ध

4. कटाई-उपरांत प्रौद्योगिकी :

क. सोयाबीन परिसस्करंण एवं उपयोग अनुसंधान,

ख. टिकाऊ कृषि जिसें

ग. फल एवं सब्जी परिरक्षण

5. निम्बू प्रबन्ध

6. मूंगफली अनुसंधान

7. उपयुक्त आहार, चारा और ईन्धन पद्धति इत्यादि की कृषि वानिकी, वन चरागाह विकास

8. कृषि फीरोमोन का उपयोग करके कीट प्रबन्ध

(ख) मेलायडजीन गोल कृषि परियोजना।

9. पुनः उत्पादक शरीर एवं पेंनाईड झींगा मछली का प्रजनन।

10. पशुधन के रुधिर सम्बन्धी रोग तथा उनका नियन्त्रण।

11. पशुधन प्रजनन विकास :

क. पद्धति विज्ञान एव पशुधन में कुशल पोषक तत्वों का उपयोग।

ख. भैंसों/पशुओं में नाइट्रोजन रूपान्तरण सम्बन्धी अध्ययन

12 क. उपयोग में न लाये गये तथा कम उपयोग में लाए गये वनस्पतियों का दोहन,

ख. वनस्पति हारमोन तथा अन्य बायों रेगुलैंट।

प्राथमिकता क्षेत्रों के रूप में अभिज्ञात किये गये नये क्षेत्र।

1. जैविक नाइट्रोजन निर्धारण सहित समेकित वनस्पति पोषक तत्वों का प्रबन्ध

2. इम्योनोप्रिओफाइलैक्सिस विकास के विशेष सन्दर्भ में रुधिर सम्बन्धी रोग विशेषकर थियेलरीएसिस,

3. पशुधन में भ्रूण प्रतिरोपण, तथा

4. पशुधन आहार के लिए लिगनोसेलुलोज का सूक्ष्मजी निम्नीकरण

ii. कृषि आदान एवं सम्बद्ध प्रौद्योगिकी :

1. सामान्य कृषि सूचना का आदान प्रदान।

2. उर्वरक

(क) उर्वरकों के प्रयोग की कुशलता,

(ख) उर्वरकों की ढुलाई, संभाल, व भण्डारण,

(ग) उत्पादन प्रौद्योगिकी,

(घ) जैविक उर्वक ।

3. कीटनाशी दवाईयां

(क) कीटनाशी विश्लेषण प्रोद्योगिकी,

(ख) कीटनाशी दवाईयों के पंजीयन की प्रक्रियाएं ।

4. बीज परीक्षण प्रौद्योगिकी

iii. प्राकृतिक संसाधन प्रबन्ध :

1. प्रशारण नियत्रण तथा समेकित पनधारा प्रबन्ध के लिए भाद का प्रबोधन ।

2. वन प्रबन्ध तथा वन अनुसंधान क्षेत्रों में वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग ।

3. परियोजना के आयोजन डिजाइन तथा प्रचालन के लिए गाद का पूर्वानुमान ।

4. वन्य प्राणी प्रबन्ध एवं अनुसधान ।

5. वन रोपण, सामाजिक वानिकी, फार्म वानिकी ।

6. वन्य प्राणियों का बन्दी अवस्था में प्रजनन तथा चिड़ियाघर का प्रबन्ध ।

7. सिचाई, जल निकासी और भूमि सुधार में अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में वैज्ञानिक तथा तकनीकी आदान-प्रदान एव सहयोग ।

8. मैदानी इलाकों में बाढ़ का क्षेत्र निर्धारण, मैदानी इलाकों में क्षेत्रीकरण बाढ़ जोखिम मानचित्रण, बाढ़ बीमा सम्बन्धी प्रौद्योगिकी

9. पशुओं का संकर प्रजनन और हिमित वीर्य तकनीकों के प्रयोग द्वारा भैंसों का संवर्द्धन

10. दक्षिण भारत में पशुओं के रोग मुक्त क्षेत्रों का निर्माण ।

11. नर्मदा बेसिन की पद्धति अध्ययन ।

12. नदी मर्फोलॉजी एवं नदी प्रशिक्षण सम्बन्धी प्रौद्योगिकी ।

13. सीमित सिचाई द्वारा खेती करना ।

14. जल संसाधन विकास के नवीनतम प्रौद्योगिकी का आदान-प्रदान करना

15. रेंज एवं चरागाह प्रबन्ध

16. जल संसाधन विकास परियोजना का पर्यावरण सम्बन्धी प्रभाव का निर्धारण

17. खदान कार्य से विकृत हुए वन क्षेत्रों का सुधार

18 ऊबड़ खाबड़ भूमि का सुधार

19. लकड़ी एवं वन अवशिष्ट पदार्थों का उपयोग ।

20. राष्ट्रीय पार्कों और अन्य संरक्षित क्षेत्रों के सार्वजनिक शिक्षा और व्याख्या ।

iv. विस्तार एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम

क. आदान-प्रदान, दौरा और प्रशिक्षण कार्यक्रम

1. कृषि अनुसंधान और शिक्षा के कार्यकारी दल के विषयों के अन्तर्गत कृषि अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में समस्त 12 क्षेत्रों में प्रशिक्षण सुविधाएं ।

2. जैसा कि कृषि आदान और सम्बन्धित प्रौद्योगिकी पर कार्यकारी दल के द्वारा सिफारिश की गयी है बीजों, कृषि उपस्करों और मशीनरी, की टनाशी दवाइयों और उर्वरकों के क्षेत्र में प्रशिक्षण ।

3. प्राकृतिक संसाधन प्रबन्ध :

क. कैट मछली पालन ।

ख. भू-कटाव रोकने और बड़े, मझोले तथा छोटे जलाशयों में गाद में कमी लाने और उसे समाप्त करने में विशेष रूप से प्रयोग की जाने वाली अवसान प्रौद्योगिकी ।

ग समेकित पनधारा विकास के लिए भू-कटाव नियन्त्रण प्रौयोगिकी ।

घ. कृषि जल निकासी प्रौद्योगिकी ।

ड. मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ का क्षेत्र निर्धारण, मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ प्रबन्ध बाढ़ जोखिम मानचित्रण तधा बाढ़ बीमा

च. नर्मदा बेसिन का पद्धति अध्ययन ।

छ. नदी रूप विधान तथा नदी प्रशिक्षण सम्बन्धी प्रौद्योगिकी ।

ज. सिंचाई जल प्रबन्ध में अनुसधान और प्रशिक्षण के क्षेत्र में वैज्ञानिक एवं तकनीकी आदान प्रदान एवं सहयोग ।

भ. हिमित वीर्य तकनीक का प्रयोग करके पशुओं का संकर प्रजनन तथा भैंसों का सुधार।

ट. बाढ़ सम्बन्धी पूर्वानुमान, बाढ़ चेतावनी और प्रचार प्रसार सम्बन्धी प्रौद्योगिकी

ठ. जलमग्न तथा खार से प्रभावित क्षेत्रों का भूमि सुधार।

ड. बन्दी अवस्था में वन्य प्राणी प्रजनन।

ढ. वन प्रबन्ध में सहकारी, वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहायता।

ण. दक्षिण भारत में पशुओं के लिए रोग मुक्त क्षेत्र का निर्माण।

त. बाढ़ नियन्त्रण के लिए तंत्रात्मक उपायों से सम्बन्धी प्रौद्योगिकी जैसे जलाशय, बांध, जल-विकास, निर्माण कार्यों मे सुधार तथा नदियों का मार्ग बदलना

v. विस्तार तथा प्रशिक्षण :

प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्राथमिकता के क्षेत्र

क. उत्पादन, परिसंस्करण एवं प्रमाणीकरण के क्षेत्रों सहित बीज प्रौद्योगिकी।

ख. तिलहन उत्पादन और परिसंस्करण की प्रौद्योगिकी, विशेषकर मूंगफली और सोयाबीन के सम्बन्ध में

ग. दलहनों के उत्पादन की प्रौद्योगिकी, विशेषकर मटर के सम्बन्ध में।

अन्य क्षेत्र

घ. कम लागत वाले फार्म संचार की तकनीकों तथा कृषि पत्रकारिता के क्षेत्र

ड. क्षेत्र विस्तार सेवाओं और कृषि विश्वविद्यालयों से व्यवसायिक प्रशिक्षण विशेषकर अनौपचारिक कृषक प्रशिक्षण।

च. विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्य विषय तैयार करना

छ. कृषि विकास एवं खाद्य उत्पादन से सम्बद्ध उपयोगी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को समर्थन देने के लिए संचार तन्त्र में सुधार।

भारतीय प्रतिनिधि मंडल द्वारा प्रस्तावित सात प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की अनन्तिम अनुसूची

पाठ्यक्रम	प्रशिणार्थियों की	पाठ्यक्रम की तिथि
टी० सी० 110-3 कृषि संचार तथा माध्यम सम्बन्धी कार्यनीति	18	अक्टूबर, 18-26 नम्वम्बर, 1982
टी० सी० 110.5 कृषि विस्तार कार्यक्रमों का विकास तथा प्रचालन		
दल 1	20	28 मार्च,— 27 मई, 1983
दल 2	20	12 सितम्बर— 11 नवम्बर, 1983
टी० सी० 110-14 सामुदायिक स्तर पर कृषि अनुसधान परिणामों का प्रयोग व प्रसार	25	16 मई—24 जून, 1983
टी० सी० 110-15 कृषि प्रशिक्षक विकास	18	10 अक्टूबर— 3 दिसम्वर, 1982
टी० सी० 110-16 विकासशील देशों में व्यवसायिक कृषि शिक्षा प्रणाली	30	21 मार्च—29 अप्रेल, 1983
टी० सी० 120-7 खाद्य प्रयोग के लिए सोयाबीन परिसस्करण	6	16 मई,— 1 जुलाई, 1981

बिहार में पटना में पेयजल की कमी

3588. श्री रामावतार शास्त्री : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार की राजधानी पटना में पेयजल की सुविधाएं जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में नहीं बढ़ाई गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इसके कारण पटना के लगभग आठ लाख नागरिक गर्मी के मौसम में भारी जल सकट का सामना कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन नागरिकों को इस संकट से उतारने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा भविष्य में उठाये जाने हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) बिहार सरकार के अनुसार यह सच नहीं है कि जनसंख्या में वृद्धि के अनुपात में पेयजल सुविधाएं नहीं बढ़ाई गई है। 1952 में 13 गहरे नलकूप थे जिनके द्वारा 2,83,000 व्यक्तियों को पानी दिया जा रहा था। 1951 से 1971 के मध्य पटना की जनसंख्या में 4,75,300 वृद्धि हुई और गहरे नलकूपों की संख्या 22 बढ़ी। 1981 की जनगणना के अनुसार पटना की जनसंख्या 8,11,249 है नलकूपों की संख्या अब 64 तक बढ़ गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान पटना में जलपूर्ति पद्धति में सुधार पर कुल 111.30 लाख रुपये की राशि खर्च की गयी थी।

(ख) यह सच नहीं है कि पटना की समस्त जनता पेयजल की कठिनाई का सामना कर रही है। गर्मियों में बिजली की अनिश्चतता और मौसमी आवश्यकता में वृद्धि के कारण कुछ क्षेत्रों में अपर्याप्त पूर्ति होती है जिसके कारण कुछ कठिनाइयां होती है।

(ग) इस समय कई विस्तार योजनाएं निष्पादित की जा रही हैं। दीर्घकालीन उपायों के रूप में पटना जलपूर्ति योजना के लिए परियोजना रिपोर्ट बना ली गई है।

भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों की मांग

3589. श्री भीखा भाई : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारी) कांग्रेस ने लम्बे समय से पड़ी हुई उनकी मांगों, अन्तरिम राहत, गतिरोध दूर करने आदि की मनवाने के लिए दिनांक 26.7.1982 से आन्दोलन करने की सूचना दी थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन मांगों के बारे मे प्रबन्धकों ने अप्रैल, 1981 से अनेक बार उनके साथ विचार किया है, किन्तु उन्हें दिये गये वायदे पूरे नहीं किये गये;

(ग) यदि हां, तो कर्मचारी कांग्रेस को दिए गए वायदों को पूरा करने के लिये अब क्या कार्यवाही की जा रही है अथवा कमचारी कांग्रेस के साथ समय-समय पर किए गय निर्णयों को क्रियान्वित करने में क्या कठिनाइयां हैं और उसके क्या कारण है; और

(घ) यदि हां, तो क्या कठिनाई के मामले मे कर्मचारी कांग्रेस के साथ कोई बैठक करने की व्यवस्था की जा रही है ताकि उन्हें विश्वास मे लिया जा सके ?

कृषि मन्त्रालय तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों मे उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी कांग्रेस ने अपनी मांगों के सम्बन्ध में 26 जुलाई, 1982 को क्रमिक भूख हड़ताल करने का नोटिस दिया था जिनमें उनकी यूनियन को मान्यता देना, वेतन वृद्धि, अन्तरिम राहत का भुगतान, पदोन्नति के गतिरोध को दूर करना, आदि मांगें शामिल हैं; तथापि, उन्होंने इस आन्दोलन को अब स्थगित कर दिया है।

(ख) (ग) और (घ) भारतीय खाद्य निगम में अखिल भारतीय स्तर पर विधित मान्यता प्राप्त कोई यूनियन नहीं है। ऐसी यूनियन के न होने से प्रबन्ध समय-समय पर विभिन्न यूनियनों के साथ बैठकें आयोजित कर रहा है। यूनियन ने जिन मांगों का प्रश्न उठाया है वे अखिल भारतीय स्वरूप की हैं और निगम की विभिन्न यूनियनों के साथ हो रही बैठकें पहले ही प्रगति पर हैं। भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी संघ के साथ भी विचार-विमर्श हुआ है जिससे भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी कांग्रेस को सम्बद्ध बताया जाता है। इन बैठकों में जिन कुछ प्रस्तावों पर सहमति हुई है उन्हें कार्यान्वित किया जा चुका है, अन्य प्रस्ताव कार्यान्वयन/विचार के विभिन्न अवस्थाओं में है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का असन्तोषजनक कार्यकरण

3590. डा० ए० यू० आजमी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के असन्तोषजनक कार्यकरण के बारे में, जैसाकि चन्द्रशेखर सिंह समिति ने प्रकट किया है, प्रकाशित समाचार (फाइनेन्शियल एक्सप्रेस, दिनांक 0-6-82 की ओर दिलाया गया है,

(ख) क्या यह सच है कि सुजानसिंह समिति के प्रतिवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या एन० सी० ए० प्रतिवेदन के अनुसार, इस समय उत्पन्न होने वाली अधिकांश समस्याओं का मूल कारण गजेन्द्रगढ़कर समिति द्वारा की गई अनिवार्य सिफारिशों का क्रियान्वित न किया जाना है; और

(घ) क्या पुनर्गठित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्ण असफलता ही इस परिषद को सीधे ही प्रधान मन्त्री के अधीन कर देगी जैसा कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के मामले में हुआ है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) दिनांक 10-6-1982 के फाइनेन्शियल एक्सप्रेस में चन्द्रशेखर सिंह समिति के बारे में व्यक्त किये गये विचार समिति के विचार नहीं है। यह सही नहीं है कि समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कार्यकरण असन्तोषजनक है। इस समिति का गठन श्री चन्द्रशेखर सिंह, सदस्य शासी निकाय, की अध्यक्षता में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के शासी निकाय द्वारा किया गया था जिसका कार्य परिषद के कुछ वित्तीय और प्रशासनिक मामलों के कार्यकरण की समीक्षा और उसमें सुधार लाने के लिए सुझाव देना था। इस समिति ने दो अन्तरिम रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं। दूसरी रिपोर्ट की परिषद में जांच की जा रही है जबकि पहली रिपोर्ट परिषद द्वारा स्वीकार कर ली गई है और उसे अमल में लाया गया है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान । कर्मचारियों के कार्मिक, प्रशासनिक और सेवा सम्बन्धी मामलों से सम्बन्धित कुछ मदों पर विचार करने के लिए, शासी निकाय के एक सदस्य, सुजानसिंह, संसद सदस्य की अध्यक्षता में शासी निकाय ने एक उप समिति का गठन किया था । इस उप-समिति ने विभिन्न उल्लिखित मदों पर चरणबद्ध रूप में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी । अधिकतर सिफारिशों पर कार्यवाई की गई है और शेष सिफारिशों की जांच-पड़ताल की जा रही है । इसलिए, यह कहना सही नहीं है कि सुजानसिंह समिति की रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

(ग) जी हां, श्रीमान । जून, 1972 में गठित की गयी गजेन्द्रगढ़कर समिति की मुख्य सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार किया गया था और जिन्हें सरकार ने स्वीकृत कर ली थी उनको भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विधिवत रूप से लागू किया गया है । इस सूचना को लोकसभा के अतरांकित प्रश्न संख्या 4747 के उत्तर में सभा के पटल पर 25-7-1977 को रखा भी गया था ।

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मौजूदा समय में कृषि और ग्रामीण विकास तथा सहकारिता मन्त्री के कार्यभार के अन्तर्गत है और यह प्रणाली सुचारू रूप से कार्य कर रही है तथा परिषद के क्रिया कलाप बहुत हद तक राष्ट्रीय मुख्य धारा के अनुरूप हैं । इसके अलावा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पुनर्गठन के प्रश्न पर विचार करने के लिए जो पहले समितियां गठित की गयी थीं उन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सीधे प्रधान मन्त्री के कार्य भार के अन्तर्गत लाने की आवश्यकता महसूस नहीं की । इसलिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सीधे प्रधान मन्त्री के कार्यभार के अन्तर्गत लाने की आवश्यकता नहीं है ।

राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान सस्थान द्वारा मछलियां पकड़ने संबधी अध्ययन

3591. श्रीमती संयोगिता राणे : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ने मछली पकड़ने गत्यावरोध तथा इसे बढ़ाने के साधनों का अध्ययन किया है;

(ख) देश में इस समय मछलियों की मांग तथा पूर्ति कितनी है;

(ग) छठी योजना के दौरान मछलियों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या परियोजनाएं शुरू की जानी है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां ।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के लिए बनाये गये प्रक्षेपणों के अनुसार, 1985 तक मछलियों

की मांग 35 लाख मीटरी टन है। इस समय भारत में मछलियों की सप्लाई 23 लाख मीटरी टन है।

(ग) केन्द्रीय क्षेत्र अथवा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओ के अन्तर्गत छठी योजना अवधि में मछलियों का अधिक उत्पादन करने के लिए शुरू की जाने वाली परियोजनायें निम्नलिखित है :—

1. जलपोतों के विकास के लिए जहाजरानी विकास निधि समिति को सहायता देना।

2. डिम्पोना विकास के लिए कार्यक्रम।

3. जल कृषि का विकास (एफ० एफ० डी० ए०)।

4. समुद्र तटीय राज्यों में झींगा हेचरी की स्थापना और झींगा पालन करना।

5. विश्व बैंक की सहायता से अन्तर्देशीय मत्स्यकी परियोजना।

इसके अतिरिक्त, मछलियों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए राज्य योजनाओं के अन्तर्गत कई परियोजनाएं हैं।

अधिक कृषि विज्ञान केन्द्र खोलना

3592. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भारतीय कृषि अनुसधान परिषद को अधिक कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने की सम्भावनाओं पर विचार करने को कहा है जिनमें ग्रामीण महिलाओं को कृषि और अन्य संबंधित कार्यों का प्रशिक्षण दिया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय कार्य कर रहे और खोले जाने वाले कृषि विज्ञान केन्द्रों की राज्यवार संख्या क्या है, और

(घ) उन्हें कब खोला जायेगा ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां, श्रीमान। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पास किसानों, कृषि महिलाओं और किशोर बालक बालिकाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिये देश भर में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने की एक योजना है।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना (प्लान स्कीम) में कृषि विज्ञान केन्द्र योजना के लिए भारत सरकार ने 6 करोड़ रुपये निर्धारित किये है। यह राशि वर्तमान 19 कृषि विज्ञान केन्द्रों और

7 प्रशिक्षक प्रशिक्षण केन्द्रो को छठी पंचवर्षीय योजना 1984-85 तक की अवधि तक जारी रखने और छठी पचवर्षीय योजना के दौरान 45 नए कृषि विज्ञान केन्द्र व प्रशिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के लिए निर्धारित की गई है।

भा० कृ० अ० प० ने विशिष्ट स्थानों पर, खासकर पिछड़े जिलों में भी 12 कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना परिषद की उपकर निधि से वर्ष 1979-80 के दौरान की है। परिषद ने आगे भी वर्ष 1982-83 में 14 नये कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना उपकर निधि मे करने की स्वीकृति दी है। इस प्रकार आशा की जाती है कि छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक देश में लगभग 90 कृषि विज्ञान केन्द्र हो जायेंगे।

(ग) वर्तमान समय में कार्यरत कृषि विज्ञान केन्द्रों की संख्या 34 है। वर्तमान कार्यरत कृषि विज्ञान केन्द्रों की राज्यवार सूची विवरण में दी गई है। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 56 नए कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने की परिषद की योजना है।

(घ) छठी पचवर्षीय योजना के दौरान नये कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना राज्यों के कृषि विभाग व सम्बन्धित कृषि विश्व विद्यालयों की सलाह से राज्यों में उपयुक्त पाये गये स्थानों पर की जाएगी।

विवरण

वर्तमान समय में विभिन्न राज्यों में कार्यरत कृषि विज्ञान केन्द्रों की सूची

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	क्र० स०	कृषि विज्ञान केन्द्र का स्थान
आंध्र प्रदेश	1.	हयात नगर, हैदराबाद
अरुणाचल प्रदेश	2.	बासर, जिला-सियांग
असम	3.	ना-पाम, जिला-तेजपुर
बिहार	4.	सोखोदेवरा, जिला-नवादा
	5.	मुंगेर, जिला-मुंगेर
	6.	मोंराबादी, जिला-रांची
गुजरात	7.	दीसा, जिला-बनास कांठा
	8.	रन्धेजा ग्राम, जिला-गांधीनगर
हरियाणा	9.	करमाल, जिला-करनाल
कर्नाटक	10.	हनुमानमट्टी, जिला-धारवाड़

1	2	3
	11.	चेताल्ली, जिला-उत्तरी कोडागु
केरल	12.	नराक्कल, जिला-एर्नाकुलम
	13.	वेल्लानाड, जिला-त्रिवेन्द्रम
मध्य प्रदेश	14.	कस्तूरबा ग्राम, जिला-इन्दौर
	15.	टी० टी० नगर, जिला-भोपाल
महाराष्ट्र	16.	कोसबादहिल, जिला-थाणे
	17.	सेलसुरा, जिला-वर्धा
मणिपुर	18.	लाम्फेलपट, पूर्वी जिला (उखरूल)
मेघालय	19.	तुरा, गेरो हिल्स
मिजोरम	20.	कोलासिब, जिला-कोलासिब
नागालैंड	21.	झरनापानी, जिला-कोहिया
उड़ीसा	22.	धौली, जिला-पुरी
	23.	कौंझर, जिला-कौंझर
पांडिचेरी	24.	पांडिचेरी
पंजाब	25.	गुरदासपुर (गुरदासपुर)
राजस्थान	26.	फतेहपुर शखावाटी, जिला-सीकर
सिक्किम	27.	सरमसा, सिक्किम
तमिलनाडु	28.	नवालुर कोट्टापट्टु, जिला-त्रिचि
	29.	विवेकानन्द पुरम, जि० कोयम्बटूर
त्रिपुरा	30.	खोवई, जिला-प० त्रिपुरा
उत्तर प्रदेश	31.	सुलतानपुर (सुलतानपुर)
प० बंगाल	32.	कपगरी, जिला-मिदनापुर
	33.	नीमपीठ आश्रम (सुन्दर बन) जिला-24 परगना
	34.	काकद्वीप (सुन्दर बन) जिला-24 परगना

भारी मात्रा में जल प्राप्त करने वाले संस्थाएं

3593. श्री एन० ई० होरो : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के करोल बाग जोन में अनेक समितियां/संस्थान तरवता/घरेलू/वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए भारी मात्रा में जल की सप्लाई प्राप्त कर रहे हैं ;

(ख) क्या भारी मात्रा में जल की सप्लाई के लिए इस प्रकार की समितियों/संस्थानों को कोई अनुमति प्रदान की गई है ;

(ग) क्या उन्हें निर्धारित दरों की तुलना में ऊंची दरों पर जल बेचने की अनुमति है ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या इस पर सरकार का कोई नियन्त्रण है और दिल्ली में वाणिज्यिक और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए जल की निर्धारित दरें क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उत्तर पूर्व के पहाड़ों में चारे की फली (फोरेज लेग्यूम सीड्स) का उत्पादन करने के लिए खाद्य और कृषि संगठन से सहायता।

3594. श्री चिंगवांग कोनयक : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्य और कृषि संगठन ने उत्तरी पहाड़ी राज्यों में चारे की फली का उत्पादन करने की योजनाओं के लिए भारत को सहायता देने का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो सहायता का ब्योरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां।

(ख) पहाड़ी राज्यों के वर्षा सिंचित क्षेत्रों की उच्च भूमि में चारे के फलीदार बीजों का उत्पादन करने के लिए 1,28,000/- अमरीकी डालर की कुल लागत की एक अल्पकालीन परियोजना पर भारत सरकार तथा खाद्य एवं कृषि संगठन के बीच हस्ताक्षर किए गए हैं। एक वर्ष की अवधि की परियोजना के लिए सहायता के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

(1) छः माह की अवधि के लिए परामर्शदात्री सेवाएं ।

(2) पहाड़ी भू-भाग के लिए विशिष्ट कृषि उपस्करों, भारत में उपलब्ध न होने वाले बीज साफ करने तथा उनका वर्गीकरण करने के उपस्करों, तथा इस कार्यक्रम के तहत बढ़ाए जाने वाले अधिक उपज देने वाली शीतोष्ण बहु चारे की फलीदार किस्मों के केन्द्रक बीजों की सप्लाई ।

(3) शीतोष्ण चारा बीज उत्पादन के क्षेत्र में निदेश में तीन भारतीय नागरिकों को प्रशिक्षण देना ।

कृषि वन विभाग के कर्मचारियों को नियमित करना

3595. श्री दया राम शाक्य : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन के कृषि वन विभाग के कितने श्रमिकों (दैनिक मंजूरी) की मामलों की जाच की जा चुकी है,

(ख) कितने श्रमिकों की अभी जांच की जानी है, और

(ग) जिन श्रमिकों ने दैनिक मंजूरी पर 240 दिन काम किया है उनकी सेवाएं दिल्ली प्रशासन कब तक नियमित करेगा ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

आवश्यक वस्तुओं का मूल्य

3596. श्री के० मालन्ना : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आवश्यक वस्तुओं के मासिक मूल्य क्या थे और 30 जून, 1982 के अनुसार उनके मूल्य में 30 जून, 1981 के आधार पर कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई ; और

(ख) उन वस्तुओं के नाम क्या हैं जिनके मूल्य उपर्युक्त अवधि के दौरान कम हुए हैं ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) : (क) जुलाई, 1978 से गत तीन वर्षों के दौरान चुनी वस्तुओं के मासिक थोक मूल्य सूचकांक अनुबन्ध 1 पर दिए विवरण में दिये गये हैं ।

जून, 1981 और जून, 1982 के अन्तिम सप्ताहों के बीच चुनी वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांकों में हुए उतार-चढ़ाव का प्रति अनुबन्ध-2 में दिया गया है ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 4387/82]

(ख) ज्वार, बाजरा, रागी, चना, मूंग, मसूर, काली मिर्च, चीनी, खांडसारी, गुड़, मूंगफली के तेल, सरसों के तेल, हथकरघे और विद्युत करघे के कपड़े, सोड़ा-राय और दियासलाइयों के थोक मूल्य सूचकांक जून, 1981 के अन्तिम सप्ताह की तुलना में जून, 1982 के अन्तिम सप्ताह में कम थे।

राज्यों को सिंचाई सुविधाओं के लिए राशि

3567. श्री अर्जुन सेठी। क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिन्न-भिन्न राज्यों को विशेष कर उड़ीसा को गत दो वर्षों के दौरान सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित राशि का ब्योरा क्या है ;

(ख) राज्य को गत दो वर्षों के दौरान लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए कितनी वार्षिक राशि निर्धारित की गई; और

(ग) इस बारे में अब तक हुई प्रगति का ब्योरा क्या है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) सिंचाई एक राज्य-विषय है। केन्द्रीय सरकार किसी राज्य को सिंचाई परियोजनाओं के लिए कोई धनराशि स्वीकृत नहीं करती है। वित्त मन्त्रालय द्वारा अनाक ऋणों अनुदानों के रूप में राज्यों को केवल कुछ केन्द्रीय सहायता दी जाती है और यह किसी विकास शीर्ष अथवा विशिष्ट स्कीम से सम्बन्ध नहीं की जाती है। राज्य सरकारों द्वारा सिंचाई सेक्टर के लिए यथा-प्रस्तावित परिव्यय, योजना आयोग द्वारा स्वीकृत कर लिए जाते हैं। योजना आयोग द्वारा गत दो वर्षों के दौरान, बृहद्, मध्यम और लघु सिंचाई के लिए अनुमोदित किए गए परिव्यय और बृहद्, मध्यम तथा लघु सिंचाई के जरिये सृजित की गई क्षमता नीचे दी गई है :—

वर्ष	अनुमोदित परिव्यय (करोड़ रुपये)		सृजित की गई क्षमता (हजार हैक्टेयर)	
	बृहद और मध्यम	लघु	बृहद और मध्यम	लघु
1980-81	1239.85	281.86	877	1400
1981-82	1400.46	299.25	1022 (प्रत्याशित)	1500

उड़ीसा में खुदे कुओं को स्थापित करना

3598. श्रीमती जयंती पटनायक : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) डेनमार्क सरकार की सहायता से उड़ीसा में कुल कितने खुदे कुंए लगाए गए ;

(ख) उड़ीसा के किन जिलों में इन खुदे कुओं को लगाया गया है

(ग) जिलावार इनकी संख्या कितनी है और इन खुदे कुओं को कब लगाया क्या था ; और

(घ) तत्सगन्धी ब्यौरे क्या हैं ।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) (क) से (घ) उड़ीसा की सलाइन बेल्ट में डेनमार्क सरकार की सहायता से एक ग्रामीम जलपूर्ति परियोजना कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है । परियोजना के प्रारम्भिक चरण हेतु करार को अन्तिम रूप दिया जा चुका है । डैनिश विशेषज्ञों की सेवा सहित ड्रिलिंग रिगों, जीपों तथा प्रयोग शाला उपस्कर के प्रावधान पर विचार किया गया है । परियोजना का वास्तविक कार्यान्वयन अभी आरम्भ नहीं किया है क्योंकि उपस्कर अभी आना है ।

मिट्टी के तेल के डिपुओं द्वारा मिट्टी के तेल का माप

3599. डा० ए० यू० आजमी : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में मिट्टी के तेल के डिपो उपभोक्ताओं को कम तेल मापकर अतिरिक्त धन कमाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या तेल विक्रेताओं की इन अवांछित गतिविधियों को रोकने के लिए कोई विशेष सर्वेक्षण किया गया है ; और

(क) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी परिणाम और ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रालयों में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि उनके बाद तथा माप संगठन के निरीक्षण कर्मचारी दिल्ली में मिट्टी के तेल के व्यापारियों की गतिविधियों की जांच एक नियमित व्यवस्था के अनुसार करते है । चालू वर्ष के दौरान अभी तक कम नापने के केवल एक ही मामले का पता लगा है ।

शालीमार बाग और अशोक बिहार दिल्ली में एल० आई० जी० फ्लैटों के आवंटन के लिए आवेदन पत्र

3600. श्री चंद्र शेखर प्रसाद वर्मा : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 1979 तक की सामान्य आवास योजना के अन्तर्गत शालीमार बाग, अशोक बिहार आदि जैसी विभिन्न लोकेलिटियों के लिए एम० आई० जी० फ्लैटों के आवंटन हेतु दिसम्बर, 1981 में आवंटन पत्र मांगे थे;

(ख) क्या विशिष्ट फ्लैटों के आवंटन मार्च, 1981 में निकाली गई लाटरी में जिन व्यक्तियों के नाम आये थे उनको आवंटन एवं मांग-पत्र जारी कर दिए गए हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो आवंटन एवं मांग-पत्र जारी करने में अधिक विलम्ब के क्या कारण है; और

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटियों को आवंटन एवं मांगपत्र कब तक जारी किए जाने की सम्भावना है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) तथा (घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

रामकृष्ण पुरम में टाइप-4 क्वार्टरों के रसोई घरों में "सिंक बदलना

6601. श्री दिगम्बर सिंह : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली के सेक्टर-8 और सेक्टर-12 के 4 क्वार्टरों के रसोई घरों में सिंक बदलने का अनुरोध करने के कितने दिन पश्चात केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के प्राधिकारियों द्वारा "सिंक" को बदल दिए जाने की सम्भावना है;

(ख) समय बीतने के साथ-साथ तथा घिसने के कारण टूटने वाले ऐसे "सिंकों" को बदलने में केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग कितना समय लेता है; और

(ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग पूछताछ के कार्यालय सेक्टर-8 और 12 रामाकृष्णपुरम के पास "सिंक" बदलने की कितनी शिकायतें पड़ी हुई हैं और पिछले दो वर्षों में उन्होंने कितनी सिंक बदले हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) 10 वर्ष की सामान्य अवधि के बाद टूट फूट के कारण रसोई घरों के टूटे सिंकों को अनुरोध करने पर बदल दिया जाता है बशर्ते कि सामग्री उपलब्ध हो ।

(ग) निलम्बित पड़ी शिकायतों की संख्या 42 है तथा बदले गए सिंकों की संख्या 23 है ।

मयूर बिहार में मूल आवश्यक सुविधाओं का अभाव

3602. **श्री ईरा अनवानरासु** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डी० डी० ए० की नयी कालोनी मयूर बिहार में (एक) वर्षा ती पानी निकालने की नालियां (दो) पर्याप्त पेय जल सुविधायें जैसी अनेक मूल आवश्यक सुविधाओं की कमी है (तीन) खेल के मैदान, बगीचा कम्यूनिटी हाल आदि; और

(ख) यदि हां, तो उक्त मामले को उचित विभाग में साथ उठाकर ये सुविधायें प्रदान करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

छठी योजना के पहले दो वर्षों में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए धनराशि

3603. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या ग्रामीण विकास मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजनावधि के पहले दो वर्षों में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए निर्धारित धनराशि क्या है;

(ख) अब तक कितनी धनराशि या तो ऋण के रूप में या अनुदान के रूप में वास्तव में दी गई है;

(ग) क्या खर्च किए गए धन की उपयोगिता के बारे में मूल्यांकन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए बजट में 227.50 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया था ।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों में राज्य अंश सहित कुल अनन्तिम व्यय 409.70 करोड़ रुपये था । इसमें उपादानों के अतिरिक्त प्रशासन तथा आधार भूत ढांचे पर खर्च

की गई कुछ धन राशि शामिल है। वित्तीय संस्थाओं से कुल 677.10 करोड़ रुपये का आवधिक ऋण जुटाया गया है।

(ग) और (घ) गुजरात राज्य सरकार ने कार्यक्रम के प्रभाव के बारे में नमूना अध्ययन किए थे। राज्य सरकार द्वारा 194 खण्डों में 1892 परिवारों को किए गए अध्ययन से पता चला है कि वर्ष 1980-81 में 80 प्रतिशत परिवारों की 3500 रुपये के स्तर से ऊपर वृद्धि हुई है, 50 प्रतिशत परिवारों ने अपनी आय में 2000-3500 रुपये स्तर तक सुधार किया है तथा 33½ प्रतिशत परिवारों की आय में 1000-2000 रुपये के स्तर तक सुधार हुआ है। राजस्थान सरकार ने भी ऐसा ही अध्ययन किया है। इसके परिणामों की प्रतीक्षा की जा रही है। केरल के योजना बोर्ड द्वारा एक मूल्यांकन किया गया है। उनके निष्कर्षों का सार संलग्न है (विवरण) 1 अब सभी राज्य सरकारों का अक्तूबर, 1982 तक ऐसे अध्ययन करने के लिए अनुरोध किया गया है। योजना आयोग के योजना मूल्यांकन संगठन द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन भी किया गया है।

विवरण

यद्यपि विभिन्न एजेंसियों द्वारा अलग-अलग राज्यों में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम से सम्बन्धित मूल्यांकन अध्ययन किए जाने की सूचना मिली है, लेकिन मन्त्रालय को केवल केरल से उस राज्य मे आयोजना बोर्ड द्वारा किए गए मूल्यांकन अध्ययन के बारे में ही एक व्यापक रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इस कार्यक्रम को सभी विकास खंडों में चलाये जाने से पहले मार्च, 1980 में संदर्भित अवधि के लिए अध्ययन किया गया था। इस अध्ययन के अन्तर्गत 11 खण्डों को लिया गया है और 557 लाभभोगी परिवारों तथा 220 गैर-लाभभोगी परिवारों और 95 जानकार व्यक्तियों से जो किसी न किसी प्रकार समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन से सम्बन्धित थे, सूचना एकत्र की गई थी। उस अध्ययन के निम्नलिखित मुख्य निष्कर्ष हैं:

(1) सहायता प्राप्त लाभभोगियों का एक बड़ा भाग श्रमिक वर्ग है जिनके पास सामान्यतः कोई परिसम्पत्ति नहीं है अथवा कम परिसम्पत्ति है।

(2) कृषि तथा सम्बद्ध गतिविधियों पर काफी बल दिया गया है और लघु उद्योग योजनाओं पर कम बल दिया गया है।

(3) लाभभोगियों के लिए ब्याज की विभिन्न दर के अन्तर्गत ऋण सहायता का प्रतिशत कम रहा है।

(4) शुरू की गई अधिकांश योजनाएं कम अवधि की थी तथा ऐसे मामलों में कुल वृद्धि पर्याप्त रही है। शुद्ध आय में वृद्धि अपेक्षाकृत कम रही है। वार्षिक पारिवारिक

आय के सम्बन्ध में साहित्य परिवारों के 18.6 प्रतिशत ने गरीबी की रेखा पार कर ली है। 60 प्रतिशत लाभभोगियों के मामले में रोजगार में कुछ वृद्धि हुई है।

अण्डमान और निकोबार प्रशासन द्वारा पशु चिकित्सा के लिए वाहनों की खरीद

3604. श्री मनोरंजन भक्त : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अण्डमान निकोबार प्रशासन द्वारा पशु चिकित्सा के लिए चलते-फिरते औषधालयों के रूप में उपयोग के लिए पांच वाहनों की पहले ही खरीद की गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन चलते-फिरते-भिरते औषधालयों में पशु चिकित्सा कम्पाउण्डर ड्रेसर और ड्राईवर सहित कोई भी कर्मचारी नियुक्त नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे चलते-फिरते औषधालयों के लिए पदों को स्वीकृति करने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) (क) से (घ) जानकारी अन्डमान तथा निकोबार प्रशासन से एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय कृषि फार्म

3605. श्री ए० के० राय : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 और 1981-82 में केन्द्र सरकार के कृषि फार्मों में विभिन्न जिन्सों का प्रति एकड़ उत्पादन कितना हुआ और उक्त अवधि में ही प्रति टन उनकी उत्पादन लागत कितनी थी;

(ख) क्या जापान, चीन और अमेरिका की तुलना में उन फार्मों के उत्पादन में सफलता मिली है;

(ग) क्या सरकार उचित दर दुकानों को तेजी से सप्लाई सुनिश्चित करने हेतु और गैर-सरकारी उत्पादकों को मार्ग निर्देशन देने के लिए कृषि में एक सार्वजनिक क्षेत्र खोलने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) भारतीय राज्य फार्म निगम लि० द्वारा संचालित केन्द्रीय राज्य फार्मों में वर्ष 1980-81

और 1981-82 में विभिन्न मुख्य फसलों का प्रति एकड़ औसत उपज और 1979-80 और 1980-81 में प्रति टन उत्पादन लागत विवरण-1 में दी गई है। चूंकि निगम का लेखा वर्ष 30 जून, 1982 को ही समाप्त हुआ है, अतः वर्ष 1981-82 की उत्पादन लागत अभी तक नहीं निकाली गयी है।

(ख) विवरण-1 की तुलना में जापान, चीन और अमरीका में उत्पादन स्तर विवरण-2 में देखा जा सकता है। भारतीय राज्य फार्म निगम लिमिटेड के फार्मों में होने वाली पैदावार, उपरोक्त देशों के उत्पादन स्तर से कम है।

(ग) तथा (घ) उचित दर की दुकानों के लिए नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने या प्राइवेट कृषकों के मार्गदर्शन के उद्देश्य से कृषि फसलों के उत्पादन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का नया उपक्रम खोलने के बारे में भारत सरकार की कोई योजना नहीं है। फसलें बाजार में आती हैं तो विभिन्न जिन्सों की अधिप्राप्ति करके उचित दर की दुकानों के लिए उनकी सप्लाई सुनिश्चित की जाती है। प्राइवेट कृषकों को, कृषि विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और भारत सरकार तथा राज्य सरकारों की विस्तार एजेन्सियों के माध्यम से मार्गदर्शन किया जाता है।

विवरण-1

विभिन्न फार्मों में मुख्य फसलों का औसतन प्रति एकड़ उत्पादन और प्रति मीटर टन उत्पादन की लागत

क्र० सं	फार्म	फसल	औसतन उपज/एकड़ में क्विंटल		निम्नलिखित वर्ष में प्रति मीटरी टन उत्पादन की लागत रुपयों में	
			1980-81	1981-82	1979-80	1980-81
1.	सूरतगढ़ (राजस्थान)	धान	7.71	7.45	1513.40	2021.50
		गेहूं	9.98	9.86	1561.10	1812.00
		चना	3.59	2.34	3271.30	3470.70
2.	जेतसर (राजस्थान)	धान	10.96	16.90	1235.30	1726.50
		कपास	4.14	3.58	3262.30	462.680
		गेहूं	8.88	10.34	1481.60	1774.60
		चना	4.05	4.42	3412.20	3155.60

1	2	3	4	5	6	7
3.	हिसार (हरियाणा)	कपास	7.21	10.07	3439.50	2938.10
		गेहूं	13.74	14.93	918.50	1358.70
		चना	5.23	4.39	1918.20	2649.50
4.	लाड़वाल (पंजाब)	धान	12.09	8.15	1303.40	उ० न०
		गेहूं	8.69	9.87	1787.30	उ० न०
5.	बहराइच (उ० प्र०)	धान	7.68	11.81	3392.00	2564.20
		गेहूं	5.61	6.14	2224.80	2753.60
6.	कोकिलाबड़ी (असम)	धान	7.50	9.66	1353.00	उ० न०
7.	उसर सुधार परियोजना रायबरेली (उ० प्र०)	धान	7.16	9.08	1791.80	उ० न०
8.	चंगम (तमिलनाडु)	मक्का	6.20	6.98	2859.10	उ० न०
9.	रायपुर (कर्नाटक)	कपास	6.54	9.83	5538.00	5531.50

उ० न०=उपलब्ध नहीं है।

विवरण-2

1980-81 में चुने हुए देशों में महत्वपूर्ण फसलों की प्रति हैक्टार उपज

(किलो में)

फसल	जापान			चीन			अमरीका		
	1978	1979	1980	1978	1979	1980	1978	1979	1980
गेहूं	3274	3631	3052	1982	2139	1934	2114	2298	2249
चावल	6416	5986	5128	4095	4249	4163	5028	5155	4935
मक्का	2917	2591	3000	2790	2980	2980	6342	6883	5711

स्रोत : खाद्य एवं कृषि संगठन उत्पादन वार्षिक पुस्तिका-1980

चालू वर्ष के दौरान पंजाब को खाद्य तेल की सप्लाई

3606. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या नागरिक पूर्ति यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य को चालू वर्ष के दौरान अब तक कुल कितनी मात्रा मे खाद्य तेल उपलब्ध कराया गया और वर्ष की शेष अवधि में कितना तेल उपलब्ध कराए जाने की आशा है; और

(ख) यह मात्रा राज्य की आवश्यकताओं से कितनी कम पड़ती है ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) और (ख) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को आयातित खाद्य तेलों का आबंटन करने का निर्णय उनकी मांग, उनकी खपत के स्वरूप, त्यौहार मौसम, राज्य अथवा क्षेत्र में देशी खाद्य तेलों की उपलभ्यता राज्य व्यापार निगम के पास उपलब्ध आयातित खाद्य तेलो की मात्रा, पहले किए गए आवंटन तथा उनमें से उठायी गयी तेल की मात्रा जैसी विभिन्न बातों के आधार पर हर मास किया जाता है। चालू तेल वर्ष की शेष अवधि के दौरान पंजाब को आबंटित की जाने वाली मात्रा इन्हीं बातों पर निर्भर करेगी। नवम्बर, 1981 से जुलाई, 1982 के अन्त तक पंजाब को आवंटित की गई आर० बी० डी० ताड़ के तेल की मासिक मात्रा कुल मिलाकर 8390 मीटरी टन बनती है। पंजाब सरकार प्रति माह 3000 मीटरी टन मात्रा का आवंटन करने के लिए अनुरोध करती रही है।

महरौली का विकास तथा उसे सुन्दर बनाना

3607. श्री भीकूराम जैन : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महरौली, दिल्ली का विकास और उसे सुन्दर बनाने के कार्य के लिए लम्बे समय से कार्य नहीं किया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उस क्षेत्र के लिए एक वृहद योजना तैयार की गई थी किन्तु उसे क्रियान्वित नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो महरोली क्षेत्र की प्रसिद्धि और गांव को ध्यान मे रखते हुए वहां के विकास के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सहकारी आवास समितियों में कदाचार

3608. **श्री के० राममूर्ति :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक सहकारी आवास समितियां लम्बे समय से वार्षिक आम बैठक नहीं करते हैं और विद्यमान पदधारी ही एक अथवा दूसरे बहाने अपने पद पर बने रहते हैं वे कुछ अन्य आधारों पर पर अपनी इच्छा से सदस्य बनाते हैं और समितियों के असली सदस्यों को बनावटी आधारों पर अयोग्य ठहरा कर अपनी इच्छा से बनाए गए सदस्यों को प्लाट/फ्लैट आवंटित करते हैं;

(ख) क्या सहकारी आवास समितियों का रजिस्ट्रार आवास समिति में कदाचार समाप्त करने के लिए पर्याप्त उपाय कर रहा है; और

(ग) उन सामूहिक आवास समितियों के नाम तथा पते क्या हैं जिन्होंने वर्ष 1982 के दौरान अपनी वार्षिक आम बैठक नहीं बुलाई यद्यपि बुलाई जानी चाहिए थी, और उन समितियों के नाम क्या हैं जिनके प्रेजीडेन्ट, जनरल सेक्रेट्री/सेक्रेट्री, कोषाध्यक्ष दो से अधिक वर्षों में से काम कर रहे हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली की सहकारी समितियों के पंजीकरण ने बताया है कि जब उनके ध्यान में आता है कि सहकारी आवास समितियों के चुनाव कराने का समय अधिक हो गया है, वह दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 1972 की धारा 30 के अन्तर्गत तत्काल ही कार्यवाही करता है। पंजीकरण ने आगे बताया है कि प्रत्येक समिति की आम सभा तथा चुनावों के बारे में कोई रिकार्ड नहीं रखे जाते हैं। पंजीकरण ने आगे बताया है कि जैसे ही प्लाटों/फ्लैटों के आवंटन के लिए नये सदस्यों के बनाने की अनियमितताओं के सम्बन्ध में शिकायतें मिली हैं, वैसे ही सम्यक जांच की जाती है और यदि शिकायतें सही पाई जाती हैं तो उपचारात्मक उपाय किये जाते हैं।

(ख) जी हां। समितियों की वार्षिक लेखा परीक्षा करने तथा जब भी अपेक्षित हों निरीक्षण/जांच करने के आदेश देने की प्रक्रिया के माध्यम से।

(ग) जैसे उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर में बताया गया है सहकारी समितियों के पंजीकरण द्वारा ऐसे रिकार्ड नहीं रखे जाते हैं। तथापि जब कभी कार्यकारिणी के सदस्य के दो से अधिक समयावधि तक पद पर बने रहने की अनियमितता को उनको ध्यान में लाया जाता है। सहकारी समितियों के पंजीकरण द्वारा उचित कार्यवाही की जाती है।

पश्चिम बंगाल के लिए खाद्य तेल की सप्लाई

3 09. श्री सनत कुमार मंडल : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पश्चिम बंगाल को अब तक कितना खाद्य तेल दिया गया है;

(ख) आगामी त्योहारों के मौसम के आरम्भ होने से पूर्व कितना खाद्य तेल उपलब्ध कराये जाने की सम्भावना है; और

(ग) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है कि पश्चिम बंगाल की जनता को यह तेल पर्याप्त मात्रा में सप्लाई और उपलब्ध किया जा सके।

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) : (क) से (ग) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आयातित खाद्य तेलों का आबंटन उनकी मांग, उनकी खपत के स्वरूप, त्योहार मौसम, राज्य अथवा उस क्षेत्र में देशी खाद्य तेलों की उपलब्धता राज्य व्यापार निगम के पास उपलब्ध मात्रा, पहले किए गए आबंटन तथा इन आबंटनों में से उठाई गई मात्रा जैसी विभिन्न बातों के आधार पर हर मास किया जाता है। आगामी त्योहार के मौसम के दौरान पश्चिम बंगाल को इन तेलों का आबंटन इन बातों को देखते हुए किया जायेगा। चालू तेल वर्ष (नवम्बर 1981 से अक्तूबर 1982) में जुलाई, 1982 को समाप्त पहले नौ महीनों के लिए पश्चिम बंगाल को 11,4000 मीटरी टन आर० बी० डी० ताड़ का तेल और 35,539 मीटरी टन परिष्कृत रेपसीड तेल आबंटित किया गया है।

सीता माता वन्य जीव शरण स्थल

3610. श्री जय नारायण रौत : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में सीता माता वन्य प्राणी शरण-स्थल है;

(ख) यदि हां, तो उसके लिए विकास योजनाएं क्या हैं;

(ग) इस आदिवासी क्षेत्र के इस शरण-स्थल के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(घ) क्या राजस्थान में आदिवासी क्षेत्रों में वन्य जीव-संरक्षण के लिए कोई और योजना है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, हां।

(ख) सीता माता आश्रय स्थल राजस्थान के चित्तौड़गढ़ तथा उदयपुर जिलों में स्थित है। इसका विस्तार लगभग 500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है। आश्रय स्थल की विकास योजना

का लक्ष्य, क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति का पुनःस्थापना, उसमें रहने वाले वन्य प्राणियों का कारगर संरक्षण तथा आश्रय-स्थल में पाई जाने वाली खतरे में पड़ी प्रजातियों का वैज्ञानिक प्रबन्ध करना है।

(ग) राजस्थान सरकार ने इस आश्रय-स्थल का विकास करने के लिए 1982-83 तथा 1984-85 के दौरान 14.03 लाख रुपये के व्यय का अनुमान लगाया है। राज्य सरकार ने 1981-82 के दौरान 0.20 लाख रुपये की लागत का कार्य शुरू किया, जिसका 50% केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया गया था।

(घ) राजस्थान सरकार राज्य के आदिवादी क्षेत्रों में वन्य-प्राणी संरक्षण के लिए प्रयत्न कर रही है। राष्ट्रीय पार्कों तथा आश्रय-स्थलों का विकास करने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत भागीदारी आधार पर केन्द्रीय सहायता उपलब्ध है।

अमरीका से मछली पकड़ने वाली नौकाओं का आयात

3611. **श्री डी० पी० जडेजा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन भारतीय कम्पनियों का ब्योरा क्या है और उनके भारतीय निदेशकों और प्रोमोटरों के नाम क्या हैं जिन्होंने 1980, और 1921 और 1982 में अमरीका से मछली पकड़ने वाली नौकाओं के आयात हेतु अनुमति के लिए आवेदन किया था, और

(ख) वर्ष 1980, 1981 और 1982 में दिए गए गए आवेदन-पत्रों का ब्योरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) :

(क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

कम्पनी का नाम	मत्स्यन जलयानों की संख्या	निदेशकों और सम्बर्धकों के नाम
1. आर्य फिशरीज प्रा० लि०, बम्बई	2	श्री सी० जे० पास्टाकिया श्री पोरुस जे० पस्टाकिया श्री केखुशरू ई० सुखिया
2. सी० गार्डन प्रा० लि०, विशाखापतनम	2	श्री एच० अहमद श्री डी० सी० विशेश्वर राव श्री के० विजय भास्कर श्री नेक्कान्ती रमैय्या

	2	3
3. अर्तिना फिशिंग कम्पनी प्रा० लि०, विशाखापतनम	2	श्री के० वी० उपेन्द्र गुप्त श्री बी० गोपाल राव श्री दीपशकर हल्दर श्री के० हरि बाबू
4. सी० गुल्फ सी० फूड्स प्रा० लि०, विशाखातनम	2	श्री एम० आर० बाबू श्री कोदण्ड रमैया
5. प्रकाश मेराइनग इक्सपोर्ट प्रा० लि०, हैदराबाद	2	डा० टी० एस० प्रकाश
6. संचेती फुड प्रोडक्ट्स लि०, कलकत्ता	2	श्री पी० एस० सिघवी श्री डी० सी० बोधरा श्री अशोक संचेती
7. केरमीन सी० फुड्स प्रा० लि०, बम्बई	6	श्री बी० वी० केश कामत श्री एन० एम० दत्तानी
8. अंजादिव फिशरीज प्रा० लि०	2	श्री वी० वी० केश कामत श्री एन० वी० केश कामत
9. इंडो आइसलैंडिक फिशरीज प्रा० लि०, बम्बई	4	श्री वी० वी० केश कामत श्री एस० रामास्वामी
10. जेमिनी डिस्टीलेरीज प्रा० लि०, बगलोर	2	श्री एम० एल० अडवानी श्री एच० टी० रामुलू श्री सी० लक्षमण श्री जी० एच० अल्लापा श्री रविराज

फेडरेशनों को मान्यता देना

3612. श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्माण और आवास मन्त्रालय के प्रशासनिक नियन्त्रण में कार्यरत फेडरेशनों के नाम क्या हैं;

(ख) प्रत्येक फेडरेशन से सम्बन्धित यूनियनों के अध्यक्षों और महासचिवों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या यूनियनों के सदस्यों के बारे में कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो किस फेडरेशन को बहुमत प्राप्त है और मान्यता दी गई है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही हैं तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

गुजरात के चीनी के कोटे को बढ़ाना

3613. श्री दिग्विजय सिंह : क्या कृषि यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी की 720 ग्राम की राष्ट्रीय औसत खपत की तुलना में गुजरात में चीनी की प्रति व्यक्ति खपत लगभग 882 ग्राम है ;

(ख) क्या गुजरात राज्य को 14433 टन चिनी की बजाय 28412 टन चीनी का आवंटन होना चाहिए ; और

(ग) क्या सरकार गुजरात का राज्य का चीनी का कोटा बढ़ाएगी ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालय में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) (क) , से (ग) गुजरात सरकार ने अपने पत्र, दिनांक 21.5.86 में इस बात का उल्लेख किया था कि गुजरात में चीनी की प्रति व्यक्ति खपत 882 ग्राम है जबकि राष्ट्रीय औसत 720 ग्राम है । तथापि, वर्तमान अनुमानों के अनुसार, वर्तमान चीनी वर्ष 1981-82 के दौरान देश में चीनी की प्रति व्यक्ति औसत खपत 8.1 किलोग्राम प्रति वर्ष अथवा 675 ग्राम प्रति मास होगी । इसमें लेवी और मुक्त बिक्री की चीनी दोनों की खपत शामिल हैं ।

1.3.1982 को जनसंख्या के संदर्भ में 425 ग्राम की प्रति व्यक्ति उपलब्धता के आधार पर अप्रैल, 1982 से लेवी चीनी के राज्यवार मासिक कोटों का पुनर्निर्धारण करने से, गुजरात सरकार को उसी महीने से 14,433 मीटरी टन का मासिक घाटा प्राप्त हो रहा । है क्योंकि विभिन्न राज्यों के लेवी चीनी के मासिक कोटे समान कसौटी के आधार पर निर्धारित किए गए हैं, इसलिए उससे हटना और गुजरात राज्य को अधिक कोटा आवंटित करना सम्भव नहीं है । उपभोक्ताओं की चीनी की अतिरिक्त आवश्यकता को खुले बाजार की चीनी से पूरा किया जाना होगा ।

"चार्जेज आफ मिसयूज आफ लैण्ड" शीर्षक समाचार

3614. श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या निर्माण और आवास मन्त्री दिनांक 3 मई, 1982 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित "चार्जेज आफ मिसयूज आफ लैण्ड रिवाइज्ड" शीर्षक

समाचार की ओर ध्यान देंगे, और "मिसयूज चार्जेज" की व्याख्या तथा अर्थ सहित उक्त आदेश प्रेस रितीज की एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सभी पट्टाधारी सम्पत्तियां इस आदेश से प्रभावित हुई हैं या केवल भूमि और विकास कार्यालय के माध्यम से पट्टे पर दी सम्पत्तियां ही प्रभावित हुई हैं ; और

(ख) सरकार द्वारा इस आदेश के जारी किए जाने के बावजूद भूमि और विकास कार्यालय ऊंची दरों पर दुरुपयोग प्रभारों की मांग क्यों कर रहा है और क्या सरकार ने 1981 से ऊंची दरों पर दुरुपयोग प्रभारों के भुगतान करने के बारे में पट्टाधारियों को जारी किए गए नोटिस वापस ले लिए हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : प्रश्नगत आदेश विभागीय कार्यकारी निर्देश है और इन्हें सभा पटल पर रखने का कोई प्रस्ताव नहीं है। समाचारों को सभा पटल पर रखने की भी कोई प्रथा नहीं है ;

(क) यह रिआयत कि 1981 से पूर्व के भूमि दरें दुरुपयोग प्रभारों के हिसाब लगाने में लागू होगी, 100 वर्ग गज या उससे कम माप के सभी रिहायशी पट्टों पर लागू होती हैं। दुरुपयोग, प्रभारों को आंकने के लिए संशोधित सूत्र में बताई गई अन्य छूटें केवल पुनर्वास रिहायशी पट्टों पर लागू हैं।

(ख) पुराने मामलों में जहां उस समय लागू आदेशों के अनुसार दुरुपयोग प्रभार पहले ही वसूल किए गये हैं, वहां ये छूटें लागू नहीं हैं। उपयुक्त शर्तों के अनुसार भूमि तथा विकास कार्यालय को तदनुसार मांग नोटिसों को संशोधित करने के लिए कहा जा रहा है।

मानसून के दौरान मछली पकड़ने पर रोक

3615. श्री बी० के० नायर : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून और जुलाई, मानसून के दो महीनों के दौरान मछली पकड़ने पर रोक लगाई गई है ;

(ख) इसे राज्य सरकारों द्वारा कहां तक प्रभावकारी ढंग से लागू किया गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि हमारे मछली संसाधनों के क्षीण होने का कारण उचित नियन्त्रण का अभाव है; और

(घ) क्या केन्द्र का इस सम्बन्ध में कठोर अनुशासन बरतने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

भारत सरकार प्रेस, नीलोखेड़ी के मृतक कर्मचारी के कानूनी उत्तराधिकारी की अनुमति

616. श्री हीरालाल आर० परमार : क्या निर्माण और आवास मन्त्री भारत सरकार मुद्रणालय; नीलोखेड़ी के मृतक कर्मचारियों के कानूनी उत्तराधिकारियों की नियुक्ति के बारे में 19 जुलाई, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1567 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मृतक सरकारी कर्मचारियों के कानूनी उत्तराधिकारियों को रोजगार देने के लिए सरकार के मार्गदर्शी सिद्धान्तों की विस्तृत नीति क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : भारत सरकार के मुद्राणालयों में मृतक सरकारी कर्मचारी के कानूनी उत्तराधिकारियों को नौकरी देने का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, गृह मन्त्रालय (कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा 25-11-1978 के अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 14014/1/7 स्थापना (डी) जो तारीख 18-3-82 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14014/10/80 स्थापना-(डी) के द्वारा संशोधित में जारी किए गए नीति मार्ग निर्देशनों के अनुसार उन मृतक सरकारी कर्मचारियों, जिनका अपनी सेवावधि में देहान्त हो जाता है और जिनके परिवार में कोई और उपार्जक सदस्य न हों, तथा जिनके परिवार को तत्काल सहायता की आवश्यकता हो, उनके पुत्र/पुत्री/निकट के सम्बन्धी को अनुकम्पा के आधार/पर ग्रुप-सी० या ग्रुप-डी० में रोजगार दिया जाय।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-4388/82]

अधिक खाद्य तेलों के लिए गुजरात से अनुरोध

3617. श्री उत्तम भाई एच० पटेल : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने खाद्य तेलों और आयातित पामोलिन तेल आदि का अधिक आवंटन और सप्लाई करने के लिए केन्द्र को कई बार पत्र लिखे हैं और अनुरोध किए हैं;

(ख) यदि हां, तो 1 फरवरी, 1982 से 30 जून, 1982 के दौरान किए गए ऐसे अनुरोधों का ब्योरा क्या है ;

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान गुजरात की विभिन्न खाद्य तेलों के मामले में आवश्यकता कितनी है और इसे आवंटन और सप्लाई कितनी की गई है;

(ग) कम आवंटन और सप्लाई के क्या कारण हैं; और

(ङ) कमजोर वर्गों और नये 20 सूत्री कार्यक्रम अन्तर्गत इसकी आवश्यकता देखते हुए आवंटन और सप्लाई में किस प्रकार और कब वृद्धि की जायेगी ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) : (क) से (ङ.) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण के लिए आयातित खाद्य तेलों का आवंटन विभिन्न बातों को ध्यान में रखकर किया जाता है, जैसे तेलों की मांग, खपत का स्वरूप, राज्य या उस क्षेत्र में देशी खाद्य तेलों की उपलब्धता, राज्य व्यापार निगम के पास उपलब्ध मात्रा, पहले किया गया आवंटन तथा उसमें से उठाई गई मात्रा।

गुजरात, देश के अत्यन्त महत्वपूर्ण तेल उत्पादक राज्यों में से एक है। मूंगफली के तेल के अलावा इस राज्य में तिल के तेल, रेपसीड तेल तथा सरसो के तेल का उत्पादन भी होता है। इस राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा आयातित सोयाबीन और रेपसीड तेल भी प्राप्त होता है। इसके अलावा, केन्द्रीय सरकार द्वारा भारी मात्रा में आयाति पामोलीन का आवंटन गुजरात को किया जा रहा है। नवम्बर, 1981 से इस वर्ष जुलाई तक की अवधि के दौरान, गुजरात को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए 29,295 मीटरी टन आर० बी० डी० ताड़ के तेल का आवंटन किया गया है।

यह सही है कि गुजरात सरकार समय-समय पर राज्य को आयातित पामोलीन का आवंटन बढ़ाने का अनुरोध करती है। तथापि, ऊपर कही गयी बातों को ध्यान में रखते हुए गुजरात को आवंटित किए गये आयातित खाद्य तेलों की मात्रा कुल मिलाकर पर्याप्त है।

निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाएं

3636. श्री नवीन रवाणी : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उन 66 सिंचाई परियोजनाओं का ब्योरा क्या है जो निर्माणाधीन हैं और जिन्हें चालू योजनावधि के अन्दर पूरा करने के लिए उन्होंने राज्य सरकारों को निदेश दिए हैं;

(ख) सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) राज्य सरकारों द्वारा उन्हें समय पर पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

सिंचाई मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) सम्बन्धित राज्यों को 65 निर्माणाधीन वृहत सिंचाई स्कीमों को, जिन्हें 1-4-1976 से पूर्व आरम्भ किया गया था, छठी योजना के अन्दर पूर्ण करने की सलाह दी गई है। प्रत्येक राज्य में इन परियोजनाओं के नामों, उनकी परियोजना क्षमता तथा प्रत्येक परियोजना में जून, 1982 तक सृजित की गई क्षमता को दिखने वाला एक विवरण संलग्न है। राज्य सरकारें इन परियोजनाओं को समय के अन्दर, अर्थात् छठी योजना अवधि के दौरान पूर्ण करने के लिए सभी प्रयास कर रही हैं।

विवरण

1-4-1976 से पूर्व हाथ में ली गई निर्माणाधीन बृहत परियोजनाओं के ब्योरे को दिखाने वाला विवरण।

क्रम सं०	परियोजना का नाम	परियोजना क्षमता	जून, 1982 तक अभ्युक्ति सृजित क्षमता	
1	2	3	4	5
	आन्ध्र प्रदेश			
1.	गोदावरी बराज	स्थिरीकरण		
2.	नागार्जुन सागर	872	742	
3.	श्री रामसागर चरण-एक	284	188	
4.	सोमासिला चरण-दो	30.87	—	
5.	तुंगभद्रा उच्चस्तरीय नहर चरण दो	49.76	38	
6.	वम्सधारा चरण-एक और दो	41.83	22	
	असम			
7.	घनश्री	83.30	—	
	बिहार			
8.	गण्डक	1151	822	
9.	कोसी बराज तथा पूर्वी नहर	434	362	
10.	राजपुर नहर	125	124	
11.	सोन उच्च स्तरीय नहर	161	160	
12.	बरनार	22.40	—	

लिखित उत्तर			
1	2	4	5
गुजरात			
13. दमनगंगा	57	—	
14. कडाना (माही चरण-दो)	89	89	पूर्ण हो गई है।
15. पानम	53	20	
16. साबरमती	59	31	
17. माही चरण-एक	186	186	पूर्ण हो गई है।
18. उकई	153	153	पूर्ण हो गई है।
हरियाणा			
19. व्यास यूनिट-एक	कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं		
20. व्यास यूनिट-दो	—तदेव—		
21. गुड़गांव नहर	81	60	
22. जवाहर लाल नेहरू लिफ्ट सिंचाई	155.	53	
23. लोहारू लिफ्ट सिंचाई (अनुमोदित)	69	49	
24. सिवानी लिफ्ट सिंचाई (अनुमोदित)	46	35	
25. पश्चिमी यमुना नहर पुनरुद्धार	248	284	पूर्ण हो गई है।
कर्णाटक			
26. भद्रा	105	101	
27. तुंगभद्रा उच्च स्तरीय नहर चरण-दो	70	68	
केरल			
28. चित्तरपुझा	33	32	
29. कट्टियाडी	31	31	पूर्ण हो गई है।

1	2	3	4	5
30.	पम्बा	42	42	पूर्ण हो गई है।
31.	पझासी	32	12	
	मध्य प्रदेश			
32.	महा नदी जलाशय चरण-एक	24	24	पूर्ण हो गई है।
33.	तवा	333	246	
34.	अपर वेनगंगा	81	—	
35.	चरण (चरण-1 और 11)	273	273	पूर्ण हो गई है।
	महाराष्ट्र			
36.	भीमा	162.5	44	
37.	जयकवाड़ी चरण-एक	142	116	
38.	खड़कवासला	62	33	
39.	कृष्णा	112	54	
40.	मंजरा	24	14	
41.	मूला	86	82	
42.	अपर गोदावरी	64	51	
43.	वाग्यूर	33.6	—	
44.	अपर तापी चरण-चक	55	11	
	मणिपुर			
45.	लोकतक लिफ्ट सिचाई	40	15	
	उड़ीसा			
46.	आनन्दपुर बराज	40	20	
47.	महानदी डेल्टा	562.5	562.5	पूर्ण हो गई है।

1 2	3	4	
48. रंगाली बांध (सिंचाई विभाग)	—	—	
पंजाब			
व्यास यूनिट-1	कोई सीधा लाभ नहीं है ।		
व्यास यूनिट-2			
49. शाहनहर पम्प नहर का व्यपवर्तन	कोई सीधा लाभ नहीं है ।		
राजस्थान			
व्यास यूनिट-1	—तदेव—		
व्यास यूनिट-2	—तदेव—		
चम्बल चरण-1	142	219	
50. जाखम	21	—	
51. माही बजाज सागर	71.50*	—	*छठी योजना में गुजरात में पूरी क्षमता और राजस्थान में 40,000 हैक्टेयर क्षमता सृजित होगी ।
52. राजस्थान नहर परियोजना चरण-1	588	541	
तमिलनाडु			
53. वेगई का आधुनिकीकरण	10	—	
54. परम्बीकुलम अलियार	101.25	95	
उत्तर प्रदेश			
55. देवकली पम्प नहर की क्षमता में वृद्धि करना ।	74	31.30	

1	2	3	4	5
56.	पूर्वी बेंगुल जलाशय गंडक	15	15	पूर्ण हो गई है।
57.	गण्डक नहर	308	308	—वही—
58.	नारायण पुर पम्प नहर की क्षमता में वृद्धि करना	73	—	
59.	समान्तर लोअर गंगा नहर	90	56	
60.	शारदा सहायक	1582	1456	
61.	सोन पम्प नहर	31.27	—	
62.	कोसी सिंचाई	48.80	48.80	पूर्ण हो गई है।
	पश्चिम बंगाल			
63.	दामोदर घाटी निगम विस्तार एवं सुधार	515	475	
64.	कंसावती	401	368	
65.	तीस्ता चरण-1, उपचरण-			
	1. अवस्था-1 (ख)	380	—	धनराशि की कमी के कारण छठी योजना में पूर्ण करना कठिन है।
	गोवा, दमन तथा दीव			
66.	सलोली	14.50	—	
	जोड़	11412.03	8801.60	

डी० डी० ए० में निम्न श्रेणी लिपिकों की भर्ती

3619. श्री विलास मुत्तेमवार :

श्री धर्मदास शास्त्री : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 मई 1982 के नव भारत टाइम्स में प्रकाशित इस

समाचार की तरफ आकृष्ट किया गया कि डी०डी०ए० में निम्न श्रेणी लिपिकों की परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन निदेशक (कार्मिक) के कमरे में कनिष्ठ कर्मचारियों ने किया ;

(ख) यदि हां, तो ऐसा किन परिस्थितियों में किया गया और किस अधिकारी के आदेशों से ऐसा किया गया ; और

(ग) सरकार का विचार इस प्रकार की अनियमितताओं को भविष्य में न होने देने के लिए क्या कार्यवाही करने का है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि यह समाचार सही नहीं है कि कनिष्ठ कर्मचारियों ने निदेशक (कार्मिक) के कमरे म उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया।

(ग) उपयुक्त भाग "ख" के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

डी०डी०ए० आफीसर्स पेचर बिल्डर्स" शीर्षक से समाचार

3620. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 जून, 1982 के अंग्रेजी के दैनिक पत्र "इंण्डियन ऐक्सप्रेस" के पृष्ठ 3 के कालम 1 और 2 में प्रकाशित "डी० डी० ए० आफीसर्स पेचर बिल्डर्स" शीर्षक समाचार की तरफ आकृष्ट किया गया है, यदि हां तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ;

(ख) क्या भवन निर्माण करने वाली फर्म "स्किपर्स टार्बस से नीलामी की पूरी धनराशि वसूल करली गई है, यदि नहीं तो, इसके क्या कारण हैं, और

(ग) नीलामी की शर्तों का उल्लंघन करते हुए भुगतान करने की समय सीमा क्यों बढ़ाई गई है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। मैसर्ज स्कीपर कनस्ट्रक्शन कम्पनी ने अभी तक निलामी के पैसों का पूरा भुगतान नही किया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने भुगतान की मांग की और उक्त कम्पनी ने 8.10.80 को हुई निलामी की बोली राशि 9.82 करोड़ रुपये के बदले में केवल 5.83 करोड़ रुपये जमा करायें। उक्त कम्पनी पर बकाता प्रीमियम के रूप में 3.99 करोड़ की राशि और 1.46 करोड़ रुपये ब्याज को मिला कर कुल 5.45 करोड़ रुपये अभी भी बकाया है। पूरी राशि वसूल करने के लिये प्रयत्न किये गये थे परन्तु कम्पनी पूर्ण भुगतान करने में असफल रही।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि यदि कोई सफल बोलीदाता प्राधिकरण को समय बढाने के लिये अनुरोध करता तो उनकी पद्धति के अनुसार परिस्थितियों को ध्यान में

रखते हुये उस पर विचार किया जाता था और निरपवाद रूप से 18 प्रतिशत की दर से ब्याज लिया जाता था। इस मामले में भी अनुरोध प्राप्त हुआ था तथा 18 प्रतिशत की दर से ब्याज भुगतान करने की शर्त पर समय वृद्धि दे दी गई थी ।

जमीन हथियाने के मामलों के लिए जांच आयोग का गठन

3621. श्री अमर राय प्रधान : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार देश में जमीन हथियाने के सभी मामलों की जांच करवाने के लिए एक जांच आयोग का गठन करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) केन्द्रीय सरकार से संबंधित भूमि के बारे में भूमि हथियाने के मामलों अनाशिवास) को संगत कानून के प्रावधानों के अनुसार निपटाया जाता है ।

बेघर मजदूरो को बसाने की योजना

3622. श्री राम लाल राही : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में कहीं उन मजदूरों के परिवारों को बसाने की कोई योजना बनाने का है जो दिल्ली में काम कर रहें हैं परन्तु जिनके पास रहने के मकान नहीं हैं और जो जाड़ा गर्मी और बरसात में खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर हैं ; और

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब तक लागू हो जायेगी ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह): (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पीपुल्स एक्शन फार डिवलपमेंट (इंडिया) द्वारा शुरू की गई परियोजनायें

3623. डा० वसंत कुमार पंडित : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों दौरान पीपुल्स एकशन फार डिवलपमेंट (इंडिया) द्वारा कितनी परियोजनायें शुरू की गई वे कहां पर स्थित हैं, उसका ब्योरा क्या है, विदेशी एजेंसियों द्वारा कितनी वित्तीय सहायता दी गई : प्रत्येक राज्य में, राज्यवार, कार्य का स्वरूप और प्राप्त हुए लक्ष्य क्या हैं ;

(ख) क्या उपरोक्त पूरी की गई परियोजनाओं में से किन्हीं परियोजनाओं की उपलब्धि का अलग-अलग मूल्यांकन किया गया था यदि हां, तो वे परियोजनायें उनके मूल्यांकन परिणाम क्या हैं ;

(ग) क्या मध्य प्रदेश के राजगढ़ ,गुना और विदिशा के पिछड़े क्षेत्रों में पीपुल्स एकशन फार डिवलपमेंट (इंडिया द्वारा कोई परियोजनायें शुरू की जायेंगी;

(घ) यदि नहीं, तो पीपुल्स एक्शन फार डिवलपमेंट (इडिया) द्वारा परियोजनाओं के चयन की पूर्व शर्तें और मानदंड क्या हैं ; और

(ङ) कितनी परियोजनाये पीपुल्स एक्सन फार डिवलपमेंट (इंडिया) के विचाराधीन हैं और वे कहां पर स्थित है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) (क) : भारतीय विकास लोक कार्यक्रम (पी० ए० डी० आई०) से प्राप्त सूचना के अनुसार इसने गत पांच वर्षों के दौरान 53 परियोजनाओं के लिए स्वैच्छिक संगठनों आदि को सहायता सुलभ की है। ब्योरा अनुबन्ध 1 में दिया गया है।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल०टी०-4389/82]

(ख) पूरी की गई परियोजनाओं में से चार परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया है। वांछित ब्योरे अनुबन्ध-2 में दिए ग हैं ।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल०टी०-4389/82]

(ग) भारतीय विकास लोक कार्यक्रम प्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण विकास की किसी परयोजना को कार्यान्वित नहीं करता है। तथापि, यह पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों, संस्थाओं, न्यासों सहकारी सोसायटियों आदि द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने में मदद करता है। सर्वोदय मिशन, इन्दौर द्वारा प्रायोजित गूना जिसे के लिए एक परियोजना के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ तथा विदिशा ज़िलों के लिए भारतीय विकास लोक कार्यक्रम को कोई परियोजना प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ;

(घ) भारतीय विकास लोक कार्यक्रम की शासी परिषद द्वारा अनुमोदित अद्यतन मार्गदर्शी

सिद्धान्तों के अनुसार, सहायता के लिए पात्र बनने हेतु परियोजना प्रस्तावों में निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए :

1. उनका संबंध ऐसे कार्यक्रमों से होना चाहिए जो भूमिहीन श्रमिकों, छोटे तथा सीमान्त किसानों, महिलाओं तथा ग्रामीण समुदायक के कमजोर वर्गों जैसे गरीब ग्रामीणों के लाभ के लिए हों।

2. परियोजना प्रस्ताव पंजीकृत स्वैच्छिक संगठन अथवा संस्था अथवा एक सार्वजनिक न्यास पंजीकृत व्यापार यूनियन, गैर मुनाफा वाली कम्पनी, सहकारी सोसायटी द्वारा प्रायोजित किया होना चाहिए।

3. परियोजना आर्थिक रूप से सक्षम और तकनीकी रूप से व्यवहार्य होना चाहिए और गरीब ग्रामीणों के लिए आय व रोजगार पैदा करने वाली होनी चाहिए।

4. परियोजना प्रस्ताव को भारतीय विकास लोक कार्यक्रम द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

5. प्रस्ताव भेजने वाला संगठन ऐसा होना चाहिए :—

(क) किसी भी राजनैतिक पार्टी से कोई भी संबध नहीं होना चाहिए।

(ख) इसकी बुनियाद ग्रामीण क्षेत्रों में होनी चाहिए जो ग्रामीण पर्यावरण के आहाते में स्थापित कार्यालय के माध्यम से सेवारत होना चाहिए।

(ग) यह किसी धर्म, जाति तथा सम्प्रदायक के भेद-भाव के बिना ग्रामीण समुदायक के सभी वर्गों के लिए समर्पित सेवा के लिए ख्याति प्राप्त हो और दृष्टिकोण में धर्मनिर्पेक्ष होना चाहिए।

(घ) यह गैर-मुनाफाकारी होना चाहिए और कार्यालय के पदधारियों के लाभ के लिए नहीं होना चिहिए।

(ङ) यह वित्तीय मामलों में सत्यनिष्ठा और ईमानदारी में ख्याति प्राप्त होना चाहिए

(च) इनमें परियोजना की आयोजना, संरचना तथा परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए प्रबन्धकीय सक्षमता होनी चाहिए और यदि परियोजना के लिए इस बात की आवश्यकता है तो इसके पास परियोजना की आयोजना, संरचना तथा कार्यान्वयन में तकनीकी सलाह हेतु पहुंच होनी चाहिए।

(छ) इसके पास भौतिक तथा वित्तीय अंशदानों के रूप में लाभभोगियों का समर्थन होना चाहिए।

(ङ) भारतीय विकास लोक कार्यक्रम के विचाराधीन 209 परियोजनाएं हैं जो अनुबन्ध में दी गई हैं।

गंगा जल विवाद

3624. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 28 जून, 1982 को दिल्ली में आयोजित पुनर्विचार बैठक की असफलता के बाद भारत और बंगला देश के बीच फरक्का में गंगा जल के बंटवारे का राजनीतिक स्तर पर हल करने के लिए छोड़ दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में बातचीत शुरू करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ग) क्या सरकार कलकत्ता पत्तन के भविष्य की सुरक्षा और हुगली नदी को नौवहन योग्य बनाए जाने के बाद पर कायम है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) फरक्का में गंगा के जल का बंटवारा इस समय फरक्का में गंगा के जल के बंटवारे और उसके प्रवाह में वृद्धि करने से सम्बन्धित भारत-बंगला देश करार (1977) के उपबन्धों के अन्तर्गत विनयमित है, जो 4 नवम्बर, 1982 तक लागू रहेगा। इस करार की दूसरी पुनरीक्षा 26 जून, 1982, को नई दिल्ली में हुई दोनों देशों की मन्त्री स्तर की एक बैठक में की गई थी। पुनरीक्षा में यह नोट किया गया कि जहां तक करार के भाग 'क' का सम्बन्ध है, फरक्का में गंगा के जल के बटवारे की व्यवस्था का करार के उपबन्धों के अनुसार पूर्णतः क्रियान्वयत किया गया था। जहां तक शुष्क मौसम के दौरान गंगा के प्रवाह में वृद्धि करने से सम्बन्धित करार के भाग 'ख' का सम्बन्ध है, दोनों पक्षों ने यह दोहराया कि यह विषय अब भारत-बंगला देश संयुक्त नदी आयोग के समक्ष नहीं है और यह नोट किया कि इस मामले पर अब एक उच्च राजनैतिक स्तर पर दोनों सरकारों के बीच निर्णय किया जाना है और यह प्रक्रिया पहले ही आरम्भ हो चुकी है। दोनों पक्ष अगस्त, 1982 में, ढाका में बैठक करने के लिए सहमत हो गए हैं।

(ग) भारत सरकार कलकत्ता पत्तन और हुगली में नौसंचालन क्षमता के हितों की रक्षा करने के लिए सभी प्रकार के प्रयत्न करने की कोशिश कर रही है।

आनन्द विहार दिल्ली में आन्तरिक नागरिक सुविधाएं

3625. श्री तारिक अनवर : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली के यमुना पार की आवासीय कालोनी आनन्द विहार में आन्तरिक नागरिक सुविधाएं दिए जाने की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो यह सुविधाएं किस प्रकार दी गई हैं यदि नहीं तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) जब क्षेत्र के लोगों को कोई आन्तरिक नागरिक सुविधा नहीं दी गयी है तो मकान पर कर लगाने का औचित्य क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

उड़ीसा में सूखा

3626. श्री अर्जुन सेठी :
श्री चिन्तामणि जेना : क्या कृषि मंत्री हय बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को यह पता है कि उड़ीसा में तूफान द्वारा किए गए विनाश के तुरन्त बाद ही सूखे का खतरा पैदा हो गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि वर्षा की कमी के कारण चिंताजनक स्थिति पैदा हो गई है और खरीफ की फसल को बहुत नुकसान पहुंच रहा है,

(ग) क्या यह भी सच है कि राज्य में जून के महीने में बहुत कम वर्षा होने तथा तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाने के कारण खरीफ की फसल नष्ट जल्दी हो गई,

(घ) यदि हां, तो क्या इस खतरनाक स्थिति पर विचार करने के लिए केन्द्र में विशेषज्ञों की उच्च स्तर पर कोई बैठक हुई है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) से (ग) भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की रिपोर्ट के अनुसार समुद्री तूफान के पश्चात उड़ीसा में मानसून में रुकावट आई थी परन्तु रुक-रुक कर एवं छुट पुट वर्षा होती रही थी । तथापि, जुलाई के मध्य से उड़ीसा में कुछ वर्षा हुई है जिससे खरीफ की फसल को लाभ पहुंचेगा । राज्य सरकार ने सूचित किया है कि वह फसलों जो बचाने के लिए राज सहायता दर पर किसानों को बीज तथा उठाऊ-सिंचाई एवं डीजल पम्पों के माध्यम से पानी की सप्लाई करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है । खरीफ फसल के आसार का मूल्यांकन करना अभी सम्भव नहीं है ।

(क) तथा (ड.) कृषि मन्त्रालय मानसून के रुख तथा खरीफ की फसलों पर इसके प्रभाव के बारे में बराबर निगरानी रखे हुए हैं। मृदा की नमी का अधिकतम उपयोग करने के लिए उड़ीसा सहित सभी राज्य सरकारों को विस्तृत मार्ग दर्शन जारी किए गए हैं।

2. खरीफ मौसम के दौरान फसल उत्पादन कार्यों के लिए उपलब्ध सिंचाई के पानी का भरपूर उपयोग करने तथा किसानों को दिन में 8 से 10 घण्टे बिना किसी बाधा के लगातार बिजली की सप्लाई करने के लिए निर्देश जारी कर दिए गये हैं।

3. भारत सरकार ने उड़ीसा में किसानों को कृषि आदानों के वितरण के लिए 8.00 करोड़ रुपए का अल्पावधिक ऋण निर्मुक्त किया है।

. . भारत सरकार ने 3000 हैक्टार अतिरिक्त क्षेत्र में समुदायिक नर्सरियों के लिए 45 लाख रुपए भी निर्मुक्त किए हैं।

न जोते जाने योग्य कृषि भूमि की प्रतिशतता

3628. **श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी :**

श्री गुलाम मोहम्मद खां : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि भूमि की प्रतिशता क्या है कितने क्षेत्र में ऐसी भूमि है जो भू रक्षण पानी के जमाव और लवणता से प्रभावित है,

(ख) कितने क्षेत्र में बंजर भूमि और न जोते जाने योग्य है, और

(ग) विस्तृत क्षेत्र की जमीन को जोते जाने योग्य बनाने तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) देश में कुल कृषि योग्य/कृषि भूमि लगभग 1979.4 लाख हैक्टार है जिसमें परती काश्तकारी करने योग्य बंजर और विभिन्न प्रकार के बाग-बगीचों, स्थायी चारागाह तथा चराई भूमि के तहत आने वाला क्षेत्र भी शामिल है। वर्तमान परती भूमि सहित कृष्ट क्षेत्र लगभग 1553.8 लाख हैक्टार है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का करीब 47 प्रतिशत है। भू रक्षण तथा भूमि अवक्रमण से 1150 लाख हैक्टार का अनुमानित क्षेत्र प्रभावित है, जिसमें जल-मग्नता से 60 लाख हैक्टार क्षारीयता तथा लवणता से प्रभावित 70 लाख हैक्टार क्षेत्र भी शामिल है।

(ख) देश में बंजर तथा अकृष्ट भूमि लगभग 215 लाख हैक्टार है। 265 लाख हैक्टार परती भूमि, जिसमें वर्तमान परती भूमि और कृषि योग्य बेकार भूमि शामिल नहीं है, विभिन्न कारणों से कृषि योग्य नहीं है।

(ग) भू-रक्षण तथा भूमि आक्रमण की समस्याओं का निराकरण कई केन्द्रीय/केन्द्र द्वारा प्रायोजित तथा राज्य क्षेत्र की मृदा संरक्षण योजनाओं के माध्यम से किया जा रहा है। प्रथम पंच-वर्षीय योजना से 1980-81 के अन्त तक 748 करोड़ रुपये के व्यय से 244 लाख हैक्टार क्षेत्र का उपचार किया गया है। छठी योजना के दौरान, 485.01 करोड़ रुपए के परिव्यय से 64.7 लाख हैक्टार क्षेत्र का उपचार किए जाने का प्रस्ताव है। इन प्रयत्नों के अतिरिक्त, सूखा प्रवण तथा मरु क्षेत्रों तथा हिमालय क्षेत्र के स्थिरिकरण से सम्बन्धित केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत भी कार्य शुरू किए गए हैं।

खेती के तहत क्षेत्र तथा उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से, वर्तमान परती तथा क्षारीयता से प्रभावित क्षेत्रों को छोड़कर परती भूमि को फिर से ठीक-ठाक करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।

"राजस्थान रिजर्वायर्स गो ड्राई" समाचार

3629. **श्री आर० एन० राकेश :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 जुलाई, 1982 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "राजस्थान रिजर्वायर्स गो ड्राई" शीर्षक प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह बताया गया था कि राजस्थान के पश्चिमी जिलों में पानी के एक ड्रम की कीमत 10 से 15 रुपये हैं;

(ख) स्थिति को सामान्य बनाने के लिए और भविष्य में पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) ऐसे क्षेत्रों के पानी के अभाव के अध्ययन को सरकार कब तक पूरा कर लेने का विचार रखती है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) तथा (घ) पेय जल पूर्ति राज्य का विषय है और योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। पेयजल पूर्ति के लिए विधियों का बड़ा भाग राज्य योजनाओं में भी दिया जाता है समस्या ग्रस्त ग्रामों को जलपूर्ति मुहैया कराने के लिए त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुदान देकर केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों के संसाधनों को बढ़ाती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत छठी योजना के प्रथम दो वर्षों में राजस्थान सरकार को निम्नलिखित राशियां दी गई थी :—

वर्ष	राशि लाख रुपयों में
1980-81	559.10
1981-82	1433.19

यमुना बिहार दिल्ली में दुकानों का निर्माण

3630. श्री जैनुल बशर : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाई गयी यमुना बिहार कालोनी में प्रत्येक ब्लाक में दुकानें खुलवाई है;

(ख) यदि हां, तो इन दुकानों का आबंटन कब तक किया जाएगा और आबंटन हेतु क्या मानदण्ड अपनाए जाएंगे;

(ग) क्या यह सच है कि इन दुकानों में अनुसूचित जातियों और विकलांगों के लिए एक कोटा निर्धारित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो उपर्युक्त श्रेणियों में से प्रत्येक के लिए कितना कोटा निर्धारित किया गया है यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राजस्थान के पाली जिले में गांधी शांति प्रतिष्ठान द्वारा किया गया सर्वेक्षण

3631. श्रीमती प्रमिला दण्डवते :
श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा :
श्रीमती किशोरी सिन्हा : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान के पाली जिले के गांवो में गांधी शान्ति प्रतिष्ठान द्वारा किए गए सर्वेक्षण का प्रतिवेदन देख लिया है, और

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण के निष्कर्ष क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

मत्स्य-पालन स्थल (फिज सीड हैचरीश) स्थापित करना

3632. श्री अजीत कुमार साहा : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने मत्स्य पालन स्थल स्थापित करने के लिए कुछेक राज्यों का चयन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस सूची में पश्चिम बंगाल को शामिल किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां।

(ख) पश्चिम बंगाल उन राज्यों में से एक है जिसे विश्व बैंक की सहायता से अन्तर्देशस्य मात्स्यकी परियोजना के अन्तर्गत वाणिज्यिक डिम्पोना हैचरियां स्थापित करने के लिए चुना गया है। इस परियोजना के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल में नौ डिम्पोना हैचरियों, जो कि पूरी तरह विकसित होने पर प्रति वर्ष 1580 लाख बढ़िया डिम्पोना उत्पन्न करने में सक्षम होंगी, का निर्माण किए जाने का विचार है।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

मध्य प्रदेश में शिवनाथ नदी पर बेर खुर्द सिंचाई परियोजना की स्थिति

3633. श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के राजनन्द गांव जिले में शिवनाथ नदी पर बेरी-खुर्द नाम से जानी जाने वाली एक बड़ी सिंचाई परियोजना की क्या स्थिति है;

(ख) क्या परमाणु ऊर्जा मंत्रालय द्वारा इसके कागजात स्वीकृत कर दिए गए हैं, और

(ग) यदि नहीं, तो इसको कब तक स्वीकृत किए जाने की सम्भावना है।

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) शिवनाथ नदी पर बिखरी खुर्द परियोजना की रिपोर्ट मध्य प्रदेश सरकार से मार्च 1979 में केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त हुई थी। क्योंकि प्रस्तावित बांध स्थल के अन्तर्गत यूरेनियम के भण्डार वाले कुछ क्षेत्र जलमग्न हो जाने थे, अतः केन्द्रीय जब आयोग द्वारा राज्य सरकार से किसी वैकल्पिक स्थल पर अन्वेषण करने और संशोधित परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। उसके पश्चात, मध्य प्रदेश सरकार ने प्रतिवाह में 8 किलोमीटर की दूरी पर वैकल्पिक स्थल

का सुझाव दिया था किन्तु परमाणु ऊर्जा मंत्रालय ने इस स्थल को भी उपयुक्त नहीं पाया और राज्य सरकार को सुझाव दिया कि वे बांध स्थल को प्रति प्रवाह में 5-6 किलोमीटर और आगे ले जाएं। इस स्थल के लिए परियोजना रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा अभी प्रस्तुत की जानी है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

नियमित की गई कालोनियों में नागरिक सुविधा देना

3634. **श्री हरीश रावत :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन कालोनियो में नागरिक सुविधायें देने के लिए कोई व्यापक योजना तैयार की गई है जिनको नियमित किया गया है, और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य पर सदवार, कितना खर्च किया जाना है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने नियमतिकरण के लिए उदिद्ष्ट 912 अनाधिकृत कालोनियों में नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की है।

(ख) यह परियोजना रिपोर्ट सरकार के जांचाधीन है।

निर्माण कार्य के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को दिए गए ऋणों में अनुदान/रियायतें

3635. **श्री सत्य नारायण जटिया :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को अपने मकानों का निर्माण करने हेतु सरकार से प्राप्त ऋणों के मामले में दिए गए अनुदानों, सहायता और रियायतों का ब्योरा क्या है तथा किन-किन विभिन्न स्रोतों से वे ये रियायतें आदि प्राप्त कर सकते हैं, और

(ख) वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कितने-कितने परिवारों को अनुदान सहायता और ऋण की सुविधायें उपलब्ध कराके मकान दिए गए हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) सूचना राज्य सरकारों से एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

तीसता बांध परियोजना

3636. श्री चित्त बसु : क्या सिचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश सरकार ने उत्तरी बंगाल में तीसता बांध परियोजना के कार्यान्वयन से सम्बन्धित कुछ विवाद उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो ये विवाद किस किस्म के हैं;

(ग) बंगला देश द्वारा उठाए गए इन विवादों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने इस परियोजना के निष्पादन के लिए चालू वर्ष में 10 करोड रुपये की अतिरिक्त धनराशि का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) तीसता नदी भारत से बहती हुई बंगला देश में जाती है भारत और बंगलादेश, दोनों ने अपने-अपने क्षेत्रों में तीसता के प्रवाहों पर आधारित सिचाई परियोजनाओं की योजना बनाई है। पश्चिम बंगाल में भारतीय परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। गैर-मानसून ऋतु में, नदी में उपलब्ध प्राकृतिक प्रवाह दोनों देशों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। बंगलादेश सरकार ने तीसता के प्रवाह के बंटवारे के संबंध में बंगला देश के साथ कोई समझौता किए बिना भारत द्वारा अपनी परियोजना को कार्यान्वित किए जाने पर अपनी चिन्ता व्यक्त की है और कहा है कि ऐसा समझौता तत्काल किया जाना चाहिए।

(ग) परस्पर स्वीकार्य किसी समाधान पर पहुंचाने के लिए इस मामले पर अब भी भारत तथा बगला देश द्वारा विचार-विमर्श किया जा रहा।

(घ) और (ङ.) पश्चिम बगाल सरकार ने वर्ष 1981-82 के लिए तीसता बराज परियोजना हेतु 10 करोड़ रुपए की अग्रिम योजनागत सहायता के लिए योजना आयोग से अनुरोध किया था। साधनों की तंगी को ध्यान में रखकर, योजना आयोग ने किसी भी सिचाई परियोजना के लिए केन्द्रीय सहायता देने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है।

ग्रामीण रोजगार योजना के लिए धनराशि का आबंटन

3637 श्री हन्नान मोल्लाह : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण रोजगार योजना के लिए 60 करोड़ रुपये की धनराशि आबंटित की है;

(ख) यदि हां, तो राज्यों में उसके वितरण का, राज्यवार ब्योरा क्या है;

(ग) क्या देश में बेरोजगारी के घनत्व को देखते हुए यह धनराशि पर्याप्त होगी;

(घ) यदि हां, तो कैसे; और

(ङ.) यदि नहीं, तो ग्रामीण रोजगार योजना के लिए इतनी अल्प धनराशि के आबंटन का क्या औचित्य है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत चालू वर्ष की पहली दो तिमाहियों के लिए कुल 90.62 करोड़ रुपये की धनराशि आबंटित की गई हैं। विभिन्न राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों को किए गए आबंटनों को दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है। विभिन्न राज्यों के पिछले निष्पादन तथा उनके पास पिछले वर्ष की उपलब्ध शेष धनराशि को देखते हुए पर्याप्त समझी जाती है जैसा कि विवरण-2 में दर्शाया गया हैं।

विवरण-1

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 1-4-82 तक राज्य सरकार के पास उपलब्ध धनराशि को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	1-4-82 को राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के पास उपलब्ध धनराशि
1.	आन्ध्र प्रदेश	2.83.72
2.	असम	5,30.20
3.	बिहार	35,38.03
4.	गुजरात	5.76.86
5.	हरियाणा	
6.	हिमाचल प्रदेश	1.81.62
7.	जम्मू व कश्मीर	46.47
8.	कर्नाटक	9,72.75
9.	केरल	4,74.59
10.	मध्य प्रदेश	1,92.12
11.	महाराष्ट्र	7,39.40

1	2	3
12.	मणिपुर	31.40
13.	मेघालय	33.00
14.	नागालैंड	
15	उड़ीसा	12,01.84
16.	पंजाब	
17.	राजस्थान	4,01.36
18.	सिक्किम	11.13
19.	तमिलनाडु	7,59.50
20.	त्रिपुरा	
21.	उत्तर प्रदेश	42,61.89
22.	पश्चिम बंगाल	24,29.88
23.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	13.99
24.	अरुणाचल प्रदेश	24.02
25.	मिजोरम	33.30
26.	पांडिचेरी	22.6
27.	चंडीगढ़	—
		167,63.13

विवरण -2

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 198`-83 को प्रथम दो तिमाहियों के लिए किए गए आबंटनों को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	वर्ष 1982-83 की प्रथम दो तिमाहियों के लिए आबंटित निधियां
1.	आन्ध्र प्रदेश	9,48.00
2.	असम	2,00.00

1	2	3
3.	बिहार	12.10.00
4.	गुजरात	2.80.00
5.	हरियाणा	80 00
6.	हिमाचल प्रदेश	6.00
7.	जम्मू व कश्मीर	80.00
8.	कर्नाटक	4,14.00
9.	केरल	4,02.00
10.	मध्य प्रदेश	6,60.00
11.	महाराष्ट्र	7,10.00
12.	मणिपुर	10.00
13.	मेघालय	10.00
14.	नागालैंड	10.00
15.	उड़ीसा	4,10.00
16.	पंजाब	1,26.00
17.	राजस्थान	2,34.00
18.	सिक्किम	8.00
19.	तमिलनाडु	7,40.00
20.	त्रिपुरा	30.00
21.	उत्तर प्रदेश	16,70.00
22.	पश्चिम बंगाल	6,74.00
23.	अण्डेमान व निकोबार द्वीप समूह	16.00
24.	अरुणाचल प्रदेश	16.00
25.	मिजोरम	16.00
26.	पांडिचेरी	16.00
27.	चंडीगढ़	4.00
28.	गोवा, दमण व दिव	16.00
29.	बादर व नगर हवेली	8.00
30.	लक्षद्वीप	4.00
	योग	90,62.00

सिंचाई के देशी तरीके

3639. प्रो० रूप चन्द पाल : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सिंचाई के देशी तरीकों के सामर्थ्य के बारे में किए गए किसी अध्ययन की जानकारी है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार कोई ऐसा अध्ययन कराने का है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) माननीय सदस्य संभवतः लिफ्ट सिंचाई हेतु स्वदेशी पम्पसेटों के बारे में सूचना चाहते हैं। आन्ध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में पम्सेटों की प्रचालन सम्बन्धी कार्यक्षमता के सम्बन्ध में कृषि पुनर्वित्त तथा विकास निगम द्वारा अध्ययन किए गए हैं।

दिल्ली में भूमि के मूल्यों में कमी

3640. श्री पी० एस० सईद :

श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चार महीनों के दौरान दिल्ली में भूमि के मूल्यों में लगभग 10 प्रतिशत की कमी आई है तथा बने बनाए मकानों पर होने वाले फायदे में भी काफी गिरावट आई है।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस बात के बारे में आश्वास्त है कि आवेदकों को रोहणी योजना के अन्तर्गत भूमि आबंटित हो जाने के बाद दिल्ली में भूमि की कीमतें और गिरेंगी ; और

(ग) रोहिणी के आवेदकों को भूमि आबंटित करने का काम कब तक पूरा हो जायेगा ।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि गत चार महीनों के दौरान कतिपय क्षेत्रों में भूमि की कीमतों में गिरावट आई है तथापि बने बनाये मकानों के प्रीमियम में गिरावट से सम्बन्धी सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) भविष्य की प्रवृति के सम्बन्ध में बताना व्यवहार्य नहीं है।

(ग) रोहिणी योजना के आवेदकों को प्लाटों का आबंटन पांच वर्षों के दौरान चर्णवद्ध रूप में पूरा होने की सम्भावना है।

बिहार के नालन्दा और नवदाह जिलों में भूमिगत जल की संभाव्यता का सर्वेक्षण

3641. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड ने बिहार के नालन्दा और नवदाह जिलों में भूतिगत जल की संभाव्यता के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे ; और

(ग) उपरोक्त क्षेत्रों में सिंचाई परियोजनाओं के लिए भूमिगत जल के स्रोतों का उपयोग करने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए गए हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड ने सम्पूर्ण नालन्दा जिले में दो उत्पादन जलभृ वैज्ञानिक सर्वेक्षण किए हैं। इन सर्वेक्षणो के परिणामस्वरूप, इस क्षेत्र में दो उत्पादन जलभृतों का पता लगा है। इन जलभृतों से नलकूपों के द्वारा काफी हद तक जल निकाला जा रहा है। जहां तक नवादा जिले का सम्बन्ध है, इस जिले के लगभग 80 प्रतिशत क्षेत्र में भूमिगत जल सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षण कों अनुसार, इस जिले का लगभग 3000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भूमिगत जल विकास के लिए आशाप्रद प्रतीत होता है। इस जिले में भूमिगत जल क्षमता का मध्यम जलमान (ड्यूटी) नलकूपों द्वारा उपयोग किया जा रहा है। केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड द्वारा किए गए कार्य की सिफारिशें उपर्युक्त क्षेत्र में भूमिगत जल विकास की स्कीमें तैयार करने के लिए राज्य सरकार को उपलबध्द करा दी गई हैं। भूमिगत जल विकास का कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। इन जिलों में भूमिगत जल का विकास करने के लिए राज्य द्वारा किए गए विशिष्ट प्रयासों के सम्बन्ध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

सिंचाई परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त आबंटन

3642. **श्री डी० एम० बुते गौडा :**

श्री एच० एन० नन्जे गौडा : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न परियोजनाओं की लागत में हुई वृद्धि को पूरा करने के लिए उनके मंत्रालय ने छठी योजना के शेष तीन वर्षों के लिए 2600 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि के आबंटन का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग ने इस सम्बन्ध में अपनी मजूरी दे दी हैं ; और

(ग) यदि हां, तो अप्रैल, 1976 से पहले शुरू की गई ऐसी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए जो निर्माण के प्रारम्भिक चरणों में हैं सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां। यह अनुमान लगाया गया है कि लगतों में होने वाली वृद्धि को पूरा करने तथा 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित छठी पंचवर्षीय योजना में 14 मिलियन हैक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन करने के संशोधित लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से छठी योजना के शेष 3 वर्षों के दौरान 2600 करोड़ रुपये के अतिरिक्त परिव्यय की आवश्यकता होगी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) राज्य सरकारों को बहुत अधिक नई परियोजनाओं को हाथ में न लेने का परामर्श दिया गया है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप उपलब्ध संसाधनों की कमी हो जाती है। उन्हें यह भी परामर्श दिया गया है कि 65 निर्माणा-धीन परियोजनाओं को समय बद्ध तरीके से पूरा करने के लिए, जो अप्रैल, 1976 से पूर्व हाथ में ली गई थीं, अधिकतम उपलब्ध धनराशि आबंटित की जाए ताकि इन्हें छठी योजना के अन्दर ही पूरा किया जा सके। इसके अतिरिक्त, महत्वपूर्ण परियोनाओं की मानीटरिंग का कार्य परियोजना, राज्य तथा इसके साथ ही केन्द्रीय स्तरों पर भी हाथ में लिया गया है। निर्माण में देरी को कम करने के लिए दुलर्भ निर्माण सामग्रियों को उपलब्ध कराने के प्रयास भी किए जा रहे है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों के आबंटन के लिए पंजीकरण

3643. श्री कृष्ण चन्द्र पांडे : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979-80, 1980-81, 1981-82 में वर्षवार दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों के आबंटन के लिए विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत, श्रेणीवार, कितने पंजीकरण किये गए ;

(ख) विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत अब तक कितने फ्लेट आबंटित किये और बाकी फ्लैट कब तक आबंटित किये जायेंगे ;

(ग) क्या सरकार "जनता वर्ग" के अन्तर्गत कम आय वाले वर्ग के आवेदकों को शीघ्र फ्लैट आबंटित करने के लिए कार्यवाही कर रही है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है : और

(ख) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर रिसर्च सेन्टर द्वारा पौधों की वृद्धि करने वाले पोषक तत्वों का विकास

3644. श्री जार्ज फर्नान्डीस : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर रिसर्च सेन्टर को पौधों की वृद्धि करने वाले पोषक तत्वों का विकास करने में बहुत बड़ी सफलता मिली है जिसका प्रयोग किया जा चुका है और गेहूं, जौ और चावल के मामले में 15 प्रतिशत से 25 प्रतिशत और टमाटरों के मामले में 55 प्रतिशत तक उत्पादन में वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या सरकार ने इस पोषक तत्व के खुले बाजार में उपलब्ध कराने के लिए कार्यवाही की है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) अखिल भारतीय समन्वित फसल सुधार प्रायोजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों में, चावल, गेहूं और मक्का जैसी अनाज वाली फसलों पर मैसर्स हिन्दुस्तान लिवर रिसर्च सेंटर जिसका नाम "मिक्स्टालोल" है द्वारा विकसित पोध बढ़वार पोषकों की जांच की गयी है। पिछले एक-दो वर्षों में प्राप्त परिणामों से पता चलता है कि उसका फसलों पर अस्थिर प्रभाव पड़ा है और सामान्य रूप में फसल की उत्पादकना में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है, जैसाकि कम्पनी द्वारा दावा किया गया है। वर्तमान फसल मौसम के दौरान टमाटर और मिर्च जैसी सब्जी वाली फसलों पर भी इस रसायन की जांच की जा रही है। अन्तिम निष्कर्ष केवल तभी निकाला जा सकता है जब विभिन्न स्थानों से 2-3 फसल मौसमों के पूर्ण आंकड़े प्राप्त हो जाते हैं।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

राजस्थान नहर की प्रगति

3645. श्री पी० के० कोडियन :

श्री माधवराव सिंधिया : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परियोजना राशि की कमी के कारण राजस्थान नहर का कार्य धीमा हो कर लगभग प्रायः बन्द की स्थिति में है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं ; और

(ग) इस प्रसिद्ध परियोजना के महत्व को विचार में रख कर क्या सरकार परियोजना के लिए पर्याप्त धनराशि देगी ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्र रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष-प्रतिवर्ष उपलब्ध की जा रही धनराशि के कारण, जो अब 25-30 करोड़ रुपए के लगभग है, राजस्थान नहर परियोजना पर कार्य की गति धीमी नहीं हुई है । तथापि, समय-सूची के अनुसार, अर्थात् 1985-86 तक इस परियोजना को पूर्ण करने के लिए राज्य सरकार इस परियोजना के लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध करने में कठिनाई महसूस कर रही है । राज्य सरकार ने वर्ष 1982-83 के लिए इस परियोजना हेतु 27.5 करोड रुपय का आबंटन किया है ।

(ग) इस परियोजना का वित्तपोषण राज्य सरकार द्वारा अपनी स्वयं की योजना के अन्तर्गत किया जाना है ।

पश्चिम बंगाल तथा अन्य राज्यों में अमन की खेती

3646. श्री सत्य गोपाल मिश्र : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि देश में मानसून के देर से आने कारण पश्चिम बंगाल तथा अन्य राज्यों में अमन की खेती बुरी तरह प्रभावित हुई है ;

(ख) क्या सरकार को इस तथ्य की भी जानकारी है कि पश्चिम बंगाल को इस वर्ष दूसरी बार सूखे का सामना करना पड़ेगा ; और

(ग) पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को प्रथमत : ग्रीष्म काल में सूखे और पुन. मानसून देर से आने से राज्य में अमन की खेती के वास्तव में क्षतिग्रस्त होने की समस्याओं से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या सहायता देने के कदम उठाए गए हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उपमन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार से मिली सूचना के अनुसार के देरी से आने के कारण लगभग 12 जिलों में अमन फसल के पौध मुरझा गए हैं । अब तक अन्य किसी राज्य ने अमन फसल को नुकसान पहुंचने की सूचना नहीं दी है ।

(ख) पश्चिम बंगाल में हिमालय के निचले क्षेत्रों में पर्याप्त वर्षा हुई है तथापि पश्चिम बंगाल में गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में जून तथा जुलाई के महीनों में मानसून काफी देरी तक नहीं आया । नवीनतम रिपोर्टों से पता चलता है कि 25 जुलाई से आगे कुछ जिलों में व्यापक वर्षा हुई है बुरी तरह से प्रभावित जिले ये है :—हुगली (—98 प्रतिशत), हावड़ा (—8 प्रतिशत)

दिया (—68 प्रतिशत), बर्दवान (—58.6 प्रतिशत), पश्चिमी दीनाजपुर (—50 प्रतिशत), मिदनापुर (—44.6 प्रतिशत), बीरभूम (—42 प्रतिशत), बांकुरा (—40 प्रतिशत)।

(ग) वर्ष 1981-82 के दौरान सूखे से राहत के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु राज्य सरकार के अनुरोध पर विचार किया जा रहा है। बिलम्बित मानसून के कारण वर्तमान सूखे के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल सरकार के ज्ञापन की प्रतीक्षा है, जिसमें क्षति की मात्रा तथा स्थिति का सामना करने के लिए आवश्यक केन्द्रीय सहायता का ब्योरा दिया जाएगा। इसके प्राप्त होने पर एक केन्द्रीय दल राज्य को भेज दिया जाएगा।

कछार को खाद्यान की आपूर्ति

364. श्री सतोष मोहन देव : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम, गोहाटी द्वारा कछार को चावल, गेहूं और चीनी का प्रतिमाह कितना आवटन किया जाता है और इस आवंटन में से जिले की वास्त में कितनी आपूर्ति की जाती है ;

(ख) क्या यह सच है कि चावल, गेहूं और चीनी के आवंटन की मात्रा के प्राप्त न होने से कछार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली अस्त-व्यस्त हो रही है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि कछार में खुले बाजार में चावल 8 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जा रहा है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) राज्य के अन्दर राज्य सरकार द्वारा आवंटन किये जाते हैं। एक विवरण संलग्न है जिसमें जनवरी 1982 से जून, 1982 तक कछार को किए गए चावल, गेहूं और चीनी के मासवार आवंटनों और इन आवंटनों के प्रति वास्तव में उठायी गई मात्रा का ब्योरा दिया गया है।

(ख) जी नहीं। कछार में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखा जा रहा है।

(ग) जी नहीं। उपलब्ध सूचनानुसार, कछार में चावल के खुदरा मूल्य 3.25 रुपये और 3.50 रुपये प्रति किलोग्राम के रेंज के बीच चल रहे हैं।

विवरण

कछार जिले को चावल, गेहूं और चीनी के आवंटन और वास्तविक सुपुर्दगियों को बताने वाला विवरण ।

मास	आवटन			उठान/सुपुर्दगी		
	गेंहूं	चावल	चीनी	गेहूं	चावल	चीनी
					(मीटरी टन में)	
जनवरी; 82	12°0	5875	875.6	201	2770	659
फरवरी, 82	1250	5620	875.6	845	3671	525
मार्च, 82	1240	5820	875.6	709	2933	840
अप्रैल, 82	1220	5950	981.5	612	805	806
मई, 82	1220	5950	981.5	1140	3974	669
जून, 82	1210	3817	981.5	939	1718	711

राज्य में सिंचाई लक्ष्यों में वृद्धि

3648. श्री रामजी भाई भवणि :

श्री मोहन लाल पटेल : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों ने नए 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित किए गए सिंचाई लक्ष्यों को बढ़ाना स्वीकार कर लिया है ;

(ख) इसे स्वीकार करने वाले और अस्वीकार करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं ;

(ग) उच्च लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए गुजरात और अन्य राज्यों ने क्या कदम उठाए हैं ;

(घ) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें नए 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त क्षमता का सृजन किया जाना है ; और

(ङ) इस कार्य के लिए केन्द्र द्वारा गुजरात और अन्य राज्यों को कितनी वित्तीय सहायता और अन्य सहायता दी जाएगी ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) और (ख) सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 15.74 मिलियन हैक्टेयर के मूल योजना लक्ष्य के स्थान पर नए 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित

14 मिलियन हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी संभव उपाय करें। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्यों ने अतिरिक्त धन की मांग की है।

(ग) से (ङ) गुजरात सहित, सभी राज्य सरकारें उच्चतर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी प्रयत्न कर रही हैं। इसके अलावा, केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि वे बहुत अधिक नई परियोजनाएं हाथ में न लें, जिसके परिणामस्वरूप उपलब्ध साधनों की कमी हो जाती है। उन्हें निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध अधिकतम धन आबटित करने को भी सलाह दी गई है ताकि न्यूनतम निवेश से अधिकतम क्षमता सृजित की जा सके। महत्वपूर्ण परियोजनाओं की राज्यों तथा केन्द्र के स्तरों पर मानिटरिंग भी की गई है। सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण में विलम्ब को न्यूनतम करने के उद्देश्य से, दुलभ सामग्री उपलब्ध कराने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। तथापि, गुजरात सरकार ने छठी योजना के लिए 60 करोड़ रुपये के अतिरिक्त परिव्यय की मांग की है, जिसमें से नए 20 सूत्री कार्यक्रम के लिए यथानिर्धारित संशोधित लक्ष्य प्राप्त करने हेतु 1982-83 के लिए उन्होंने 19 करोड़ रुपए की अतिरिक्त निधि के लिए अनुरोध किया है।

छठी योजना के दौरान सभी राज्यों में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित की जानी है। आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, जम्मू तथा कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र, नागालैण्ड और उत्तर प्रदेश राज्यों के पास नए 20-सूत्री कार्यक्रम हेतु निर्धारित योजना लक्ष्यों से क्षमता में और अधिक वृद्धि करने के बारे में प्रस्ताव हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्लाटों और दुकानों का नीलाम

3649. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है विभिन्न स्थानों पर प्लाटों और दुकानों के हाल के नीलामों से पता चला है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण बहुत अधिक लाभ कमाने में लगा हुआ है और वे प्रस्ताव उन लोगों की पहुंच से वास्तव में बाहर हैं जिन्हें इनकी आवश्यकता है और जो इसके पात्र हैं ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन महीने के दौरान ऐसे कितने नीलाम आयोजित किए गए और उनमें प्रति बोली से कितना लाभ कमाया गया ; और

(ग) इनकी आवश्यकता वाले आम लोगों द्वारा छोटी दुकानों और प्लाट लेना सम्भव हो सके इसके लिए क्या उपाय अपनाने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

चीनी का उत्पादन और उपभोग

3650. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू चीनी मौसम के दौरान चीनी का कितना उत्पादन होने और देश में कितनी खपत होने की आशा है ; और

(ख) मिलों के पास चीनी के अतिरिक्त भंडार के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं या उठाने का विचार है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) वर्तमान अनुमानों के अनुसार, वर्तमान चीनी वर्ष 1981-82 के दौरान चीनी का उत्पादन और आन्तरिक खपत क्रमश: 84 लाख मीटरी टन और 56.5 लाख मीटरी टन के आस पास होगी।

(ख) अनुमान है कि वर्तमान चीनी वर्ष 1981-82 के अन्त को अर्थात् 1-10-1982 को चीनी का पिछला बचा स्टाक लगभग 31 लाख मीटरी टन होगा। 1-4-1982 से लेवी चीनी के मासिक आवंटन में वृद्धि करने, मुक्त बिक्री की चीनी की अधिक उदारता से निर्मुक्तियां करने तथा साथ-साथ 5 लाख मीटरी टन का बफर स्टाक तैयार करने और .5 लाख मीटरी टन सफेद के पूर्ण आवंटित कोटे का निर्यात करने जैसे उपाय किए जाने चाहिए जिनसे चीनी मिलों के पास चीनी के फालतू स्टाक की समस्या को हल करने में मदद मिलेगी।

बिहार में पलामू, हजारीबाग और गया में सिंचाई सुविधायें

3651. **श्री रणजीत सिंह** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार के पलामू, हजारीबाग और गया जिलों में पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने की संभावनाओं का पता लगाया है ;

(ख) क्या उक्त जिले पहाड़ी हैं और जंगलों से भरपूर हैं ; और

(ग) यदि सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने की सम्भावनाओं का पता लगाया गया है, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जिनके लिए सिंचाई योजनाएं बनाई गयी है और ये योजनाएं कब तक पूरी होंगी ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : (क) "सिंचाई' एक राज्य विषय होने के कारण, सिंचाई स्कीमों का अन्वेषण, सूत्रीकरण और क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

(ख) ये जिले एक पठार पर स्थित हैं, जिनमें विशाल क्षेत्र वनों से आच्छादित हैं।

(ग) बिहार के पलामऊ हजारीबाग तथा गया जिलों के लाभों के लिए बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित स्कीमों के ब्यौरे को दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

पलामऊ, हजारी बाग तथा गया जिलों में बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित बृहद और मध्यम सिंचाई स्कीमों की सूची।

क्रम सं०	परियोजना का नाम	लाभान्वित होने वाले जिले	पूर्ण होने की सम्भवित तारीख
1	2	3	4
	(क) अनुमोदित स्कीमें		
	(क) बृहत् स्कीमें		
1.	उत्तरी कोइल जलाशय स्कीम, पलामऊ, औरंगाबाद,		1984-85
2.	सोन उच्च स्तरीय नहर (पूर्वी) गया, रोहतास, औरंगाबाद		1983-84
	(ख) मध्यम स्कीमें		
1.	बुटनडुबा जलाशय स्कीम	पलामऊ	1982-83
2.	बटाने जलाशय स्कीम	—तदेव—	1983-84
3.	दनरे जलाशय स्कीम	—तदेव—	1983-84
4.	चिरका जलाशय स्कीम	—तदेव—	1983-84
5.	अनराज जलाशय स्कीम	—तदेव—	1984-85
6.	पंडरवा जलाशय स्कीम	—तदेव—	1982-83
	(ख) अननुमोदित स्कीमें		
	(क) बृहत् स्कीमें		
1.	औरंगा जलाशय परियोजना	पलामऊ	
2.	अमानत जलाशय परियोजना	—तदेव—	

1	2	3
3.	तहले जलाशय स्कीम	—तदेव—
4.	कनहार जलाशय स्कीम	—तदेव—
5.	कोनार जलाशय से सिंचाई	हजारीबाग
6.	मोहाने जलाशय स्कीम	हजारीबाग, गया
7.	तिल्लैया धधर व्यपवर्तन परियोजना	नवादा, गया
8.	लीलाजान जलाशय स्कीम	गया, हजारीबाग
9.	पुनपुन दर्धा बराज	गया, पटना
10	अपर सकरी जलाशय स्कीम	हजारीबाग, नवादा, मुंगेर
	(ख) मध्यम स्कीमें	
1.	मलय जलाशय स्कीम	पलामऊ
2.	दोमिनिया नाला जलाशय स्कीम	—तदेव—
3.	केवलदाग जलाशय	—तदेव—
4.	अन्कर जलाशय	—तदेव—
5.	हाथू नाला जलाशय	—तदेव—
6.	करारबार जलाशय स्कीम	—तदेव—
7.	दायां तट जलाशय	हजारीबाग
8.	जिगोई जलाशय स्कीम	—तदेव—
9.	अन्जनवा जलाशय स्कीम	—तदेव—
10.	भैरव जलाशय स्कीम	—तदेव—
11.	राशि भादरी जलाशय	—तदेव—
12.	मारकाये जलाशय	—तदेव—

1	2	3
13.	खेरो जलाशय	—तदेव—
14.	पंचखेडा जलाशय	—तदेव—
15.	उदेरस्थान सिंचाई स्कीम	—गया, नालंदा
16.	मोरहर जलाशय स्कीम	गया
17.	अन्धर जलाशय स्कीम	—तदेव—
18.	काशो	हजारीबाग

राज्य मछलीपालन निगमों को प्रोत्साहन देना

3652. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राज्य मछलीपालन निगमों को प्रोत्साहन देने का निर्णय किया है क्योंकि समुद्री सेवाओं का पूरा-पूरा लाभ उठाने के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र को अनेक सुविधाएं देने के बावजूद वे असफल रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाएगा ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) समुद्री मात्स्यकी संसाधनों का उपयोग करने में राज्य मात्स्यकी निगमों को प्रोत्साहन दिया जाता है, क्योंकि भारत सरकार इसमें अग्रणी भूमिका निभाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए उत्सक है।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों को किराये पर लेने तथा उनका आयात करने से सम्बन्धित आवेदन पत्रों पर विचार करते समय, राज्य मात्स्यकी निगमों को प्राथमिकता दी गयी है। विदेशी मत्स्यन जलयानों को किराये पर लेने के सम्बन्ध में, निजी कम्पनियों पर लागू प्रत्येक प्रकार के जलयानों के लिए पांच इकाइयों की वर्तमान सीमा, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों पर लागू नहीं होती हैं। मत्स्यन जलयानों की खरीदने के लिए राज्य निगमों के लिए आसान शर्तों पर ऋण भी उपलब्ध है। राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया गया है कि वे गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों को खरीदने के लिए अपने निगमों को प्रोत्साहित करें।

"विशेष संघटक संयोजना" के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों की बेहतरी और विकास के लिए उपलब्ध की गई राशि

3653. श्री सूरज भान : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके विभाग/मन्त्रालय में "विशेष संघटक योजना" के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों की बेहतरी और विकास के लिए वर्ष 1980-81 और 1981-82 के लिए अलग-अलग कितनी राशि उपलब्ध कराई गई ;

(ख) उक्त दो वर्षों के दौरान उक्त योजना के अन्तर्गत वास्तव में कितनी राशि अलग-अलग खर्च की गई ; और

(ग) प्रति वर्ष खर्च न करने/कम करने के कारण क्या हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) से (ग) ग्रामीण विकास मन्त्रालय के कुछेक मुख्य कार्यक्रम तथा उनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए लाभों से सम्बन्धित मार्गदर्शी सिद्धान्त निम्नलिखित है :—

1. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

लक्षित वर्ग के 15 मिलियन परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए छठी योजना में 1500 करोड़ रुपये का परिव्यय सुलभ किया गया है। यह निर्धारित किया गया है कि कुल लाभभोगियों के कम से कम 30 प्रतिशत लाभभोगी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के होने चाहिए और कुल लाभों के कम से कम 30 प्रतिशत लाभ उपदानों तथा ऋण के माध्यम से उन्हें पहुंचने चाहिए। वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में कार्यक्रम के लिए क्रमशः 91.98 करोड़ रुपये और 140.50 करोड़ रुपये सुलभ किए गये हैं। कार्यक्रम के लिए इतनी ही धनराशि राज्यों द्वारा अपने अंश के रूप में सुलभ की जानी है। इस प्रकार समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 1980-81 तथा 1981-82 के वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए क्रमशः लगभग 55.19 करोड़ रुपये तथा 84.30 करोड़ रुपये व्यय किए जाने की आशा है। राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों से अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/जनजातियों से सम्बन्ध रखने वाले 1980-81 में 701536 परिवारों और 1981-82 में 999262 परिवारों को सहायता पहुंचाई गई थी।

2. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

1980-81 के दौरान, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में 340 करोड़ रुपये का परिव्यय सुलभ किया गया था। 1981-82 के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में 181

रोड़ रुपये का परिव्यय सुलभ किया गया था और कार्यक्रम के लिए इतनी ही धनराशि राज्यों द्वारा अपने अंश के रूप में दी जानी थी । यह निर्धारित किया गया है कि कम से कम 1 प्रतिशत परिव्यय को ऐसी योजनाओं के लिए उपयोग में लाया जाना चाहिए जिनसे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचे । अनुसूचित जातियों के लाभ के लिए व्यय की गई वास्तविक धनराशि के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

3. सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम

ये लाभभोगी उन्मुख कार्यक्रम नहीं है लेकिन ये क्षेत्र विकास कार्यक्रम हैं जिनमें आधारभूत ढांचे के विकास पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है । तथापि, कार्यक्रमों को कार्यान्वित करते समय ऐसे क्षेत्रों के विकास के लिए यथोचित बल दिया जाता है जिनमें अधिकांश अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोग बसे हुए हैं ।

मध्य प्रदेश में शुल्क भूमि पर खेती की टैक्नोलाजी लागू करना

3515. श्री सुभाष यादव : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में हाल ही में शुष्क भूमि पर खेती की टेक्नोलाजी लागू की गई है ।

(ख) उक्त योजना की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) यह योजना किन-किन जिलों में लागू की गई है;

(घ) क्या इस योजना को मध्य प्रदेश के खारगोन जिले में भी लागू किया जायेगा;

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस प्रयोजन के लिए कोई सहायता भी दी है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(च) क्या शुष्क भूमि पर खेती की इसी टैक्नोलाजी को कुछ अन्य राज्यों में लागू किया जायेगा और यदि हां, तो कब तक ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (1) मध्य प्रदेश में बारानी खेती प्रौद्योगिकी का परीक्षण और प्रदर्शन करने के लिए 1970-71/72 से 1978-79 तक इन्दौर और रीवा जिलों में समेकित बारानी कृषि विकास की केन्द्रीय प्रयोजित योजना के अन्तर्गत दो परियोजनाएं क्रियान्वित की गई थी । तत्पश्चात 1979-80 से यह कार्यक्रम राज्य क्षेत्र को हस्तान्तरित कर दिया गया गया ।

(2) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद बारानी खेती से सम्बन्धित एक अखिल भारतीय समन्वित योजना लागू कर रही है जिसके रीवा और इन्दौरा स्थित मध्य प्रदेश में दो अनुसंधान केन्द्र हैं। ये केन्द्र जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर द्वारा चलाए जा रहे हैं। अच्छी फसलों, उर्वरक का उपयोग, मृदा नमी का संरक्षण तथा बहते हुए पानी का कुशल उपयोग करके वर्षों सचित क्षेत्रों में फसलों को बचाने के लिए उसे सिंचाई के लिए पुनः उपयोग में लाने के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रौद्योगिकी के विकास उपयुक्त फसल उत्पादन के लिए इन केन्द्रों पर अनुसंधान कार्य चल रहा है। जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से इन्दौर में बारानी खेती पर एक भारत-यू० के० परिचालन परियोजना भी शुरू की गई है। मध्य प्रदेश के गुना और सिधी जिलों में चलाई जाने वाली दो और परियोजनाएं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा मन्जूरी की जा रही है।

(3) अन्तर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबन्धीय फसल अनुसंधान संस्थान चालू खरीफ के दौरान उनके द्वारा विकसित की गई बारानी खेती प्रौद्योगिकी पर रायसेन और गुना में काली मिट्टी के सम्बन्ध में सीमित स्तर पर परीक्षण और प्रदर्शन करेगी।

(ख) बारानी खेती कार्यक्रम में भूमि विकास, उपयुक्त फसल प्रौद्योगिकी, स्थान विशेष की पैकेज पद्धतियों को अपनाने पर बल दिया जाता है ताकि कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए उपलब्ध मृदा और जल संसाधनों का अधिकतम प्रयोग किया जा सकें।

(ग) (1) समेकित बारानी कृषि विकास योजना इन्दौर और रीवा जिलों में लागू की जा रही है।

(2) अन्तर्राष्ट्रीय अर्द्ध शुष्क उष्णकटिबन्धीय फसल अनुसंधान संस्थान द्वारा रायसेन और गुना में 1982 में बारानी खेती प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में सीमित स्तर पर परीक्षण और प्रदर्शन किए जा रहे हैं।

(3) राज्य सरकार का शाजापुर, शाहडोल तथा सागर जिलों में बारानी खेती विकास योजना शुरू करने का भी प्रस्ताव है।

(4) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, जिसका बारानी खेती एक महत्वपूर्ण घटक है, सिधी, झबुंला, धार बेतुल, खडगांव और शहडोल जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है।

(घ) अभिज्ञात किए गए प्रत्येक खण्डों में 1000 हैक्टार के एक सुक्ष्म पनधारा के अन्तर्गत खडगांव जिले में सघन बारानी खेती कार्यक्रम चलाया जाएगा।

(ङ) (1) भारत सरकार ने 1970-71 से 1979 की अवधि के दौरान, समेकित बारानी खेती कृषि विकास की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार को लगभग 95 लाख

रुपए की केन्द्रीय सहायता प्रदान की । छठी पंचवर्षीय योजना के लिए इस सम्बन्ध में अभी तक कोई केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्रीय प्रायोजित योजना मजूर नहीं की गई है ।

(ङ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अखिल भारतीय बारानी कृषि समन्वित अनुसंधान परियोजना के अन्तर्गत रीवा और इन्दौर अनुसंधान केन्द्रों के लिए छठी योजना का परिव्यय 20.49 लाख रुपए है । इसी प्रकार भारत-यू० के० बारानी खेती परियोजना के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का छठी योजना का परिव्यय 19.76 लाख रुपए है ।

(च) (1) मध्य प्रदेश के अतिरिक्त भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित की गई बारानी खेती प्रौद्योगिकी का परीक्षण और प्रदर्शन आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, हरियाणा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों में समेकित बारानी कृषि विकास की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत किया गया ।

(2) सभी राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे अभिज्ञात किए गए प्रत्येक खंड में एक चुनींदा सूक्ष्म पनधारा में सघन बारानी खेती विकास कार्यक्रम शुरू करें तथा बारानी खेती प्रौद्योगिकी में राज्य अधिकारियों को फिर से जानकारी देने हेतु कार्यशालाओं का आयोजन करें । प्रशिक्षण दिए जाने वाले और दारा किए जाने वाले सभी राज्यों में बारानी खेती प्रौद्योगिकी किसानों तक ग्राम सेवकों के सुनिश्चित दौरों के माध्यम से पहुंचाई जाती है ।

(3) अन्तर्राष्ट्रीय अर्द्ध शुष्क शीतोष्ण फसल अनुसंधान संस्था ने "डीप वर्टिसोल" वाले राज्यों में उनके द्वारा विकसित की गई बारानी खेती प्रौद्योगिकी को अपनाने मे अपना सहयोग देने का प्रस्ताव रखा है ।

ओल्ड रोहतक रोड में पानी की पाइप लाइनें डालना

36:5. **श्री त्रिलोक चन्द :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ओल्ड रोहतक रोड पर रेलवे कालोनी बाग कड़ेखां, अन्धामुगल, पदम नगर अम्बाबाग विवेकानन्दपुरी में पेय जल की कमी दूर करने के लिए पानी की पाइप लाइन डाली जा रही है और यदि हां, तो उस पर कार्य स्थगित करने के क्या कारण हैं ; और

(ख) पानी की यह पाइप लाइन डालने का कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ताकि लोगों को पानी मिल सकें ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली जल प्रदाय तथा मलव्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि सन्दर्भाधीन क्षेत्र में पानी के दबाव को

सुधारने के लिए एक योजना निष्पादन हेतु आरम्भ की गई थी। तथापि, ठेकेदार की मृत्यु के कारण कार्य अस्थगित करना पड़ा था।

(ख) संस्थान ने सूचित किया है कि इस कार्य को विभागीय तौर पर आरम्भ किया गया है तथा मार्च, 1983 तक इस के पूर्ण हो जाने की सभावना है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में प्राप्त उपलब्धि

3656. श्री जयनल अबेदिन : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम ने वर्ष 1977-78 में अपनी स्थापना होने से अपना निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में सफलता पाई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार कार्यक्रम को अधिक प्रभावी ढंग से चलाने का विचार कर रही है ;

(ग) यदि नहीं तो क्या सरकार ग्रामीण रोजगार के लिए कोई ऐसी अन्य योजना शुरू करने का विचार कर रही है, जो अधिक प्रभावकारी और लाभप्रद होगी ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) 1977-78 में शुरू किया गया कार्यक्रम काम के बदले अनाज कार्यक्रम के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1977-78 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत हुई उपलब्धियां अधिक महत्वपूर्ण नहीं थी। तथापि, वर्ष 1978-79 से यह कार्यक्रम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करने लगा है जब 3538.46 लाख श्रम दिवसों का अतिरिक्त रोजगार सृजित हुआ। वर्ष 1979-80 के दौरान देश में गंभीर सूखा से उत्पन्न हुई अभाव की स्थिति से निपटने के लिए इस कार्यक्रम ने प्रमुख भूमिका अदा की। वर्ष 1980-81 में इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कुछेक त्रुटियां/कमियां हमारे ध्यान में आई थी और पूरे कार्यक्रम की पूर्ण रूप से पुनरीक्षा तथा इसकी पुनःसंरचना की गई और अक्टूबर 1980 से इस कार्यक्रम का नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम रख दिया गया।

(ख) से (ङ) कार्यक्रम को अधिक प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित करने हेतु जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को कार्यक्रम के समन्वय आयोजना पुनरीक्षा तथा प्रबोधन का कार्य सौंपा गया है।

डबल रोटी का उत्पादन

3657. **श्री जेवियर अराकल** : क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) माडर्न बेकरी (इन्डिया) लिमिटेड की उत्पादन क्षमता कितनी है और वर्ष 1981 और 1982 में वहाँ डबल रोटी तथा अन्य चीजों का वास्तविक उत्पादन कितना रहा :

(ख) क्या डबल रोटी की अत्याधिक मांग और इसके साथ ही इसकी कमी के कारण सरकार ऐसे एककों की वर्तमान उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर विचार करेगी ; और

(ग) क्या माडर्न बेकरी (प्रक्रिया) लिमिटेड की कोचीन यूनिट का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है ; और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) माडर्न बेकरीज (इन्डिया) लि० की 1980-81 और 1981-82 में उत्पादन क्षमता और ग्रेड के वास्तविक उत्पादन तथा अन्य मदों के बारे में उपलब्धियों का ब्योरा नीचे दिया जाता है :—

	वार्षिक क्षमता	उत्पादन	
		1980-81	1981-82
1. ब्रेड यूनिट	2195 लाख उत्पादन यूनिट	1489.57 लाख उत्पादन यूनिट	1576.15 लाख उत्पादन यूनिट
2. बिलायक निस्सारण	15,000 मीटरी टन	3591 मीटरी टन	7162 मीटरी टन

उपर्युक्त के अलावा, माडर्न बेकरीज (इन्डिया) लि० ने 1980-81 और 1981-82 के वर्षों में क्रमश: 8988 यूनिट और 10:67 यूनिट पेय सांद्रण के भी बेचे थे। पेय सांद्रण का प्रत्येक यूनिट 10 किलो ग्राम का होता है जोकि पेय की 10,000 बोतलें तैयार करने के लिए पर्याप्त होता है।

(ख) सरकार ने बेकरी उद्योग के और विकास के कार्य को लघु उद्योग में आरक्षित किया हुआ है। तथापि, माडर्न बेकरीज (इन्डिया) लि० ने अपने दिल्ली के ब्रेड यूनिट की क्षमता का विस्तार करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने हेतु एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। उनका आवेदन पत्र उद्योग मन्त्रालय के विचाराधीन है।

(ग) कम्पनी वर्तमान फालतू लाइन को सहारे की लाइन के रूप में काम देने के लिए कोचीन को हस्तान्तरित करने की सम्भावना का पता लगा रही है।

राजस्थान में गंगा नदी के पानी के उपयोग के लिये प्रस्ताव

3658. **श्री राजेश पाइलट** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान सरकार ने राजस्थान में गंगा नदी के पानी के उपभोग करने के प्रस्ताव वर्ष 197 में भेजे थे और गंगा नदी बाढ़ नियंत्रण के चेयरमैन ने आश्वा- दिया था कि राष्ट्रीय जलग्रिड तैयार करते समय इनको ध्यान में रखा जायेगा परन्तु इस बारे में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है; और

(ख) क्या सरकार का विचार अब इस अत्यन्त व्यवह र्य 800 फुट की जल उठाऊ सिंचाई नहर के बारे में कार्यवाही करने का है जिसे राजस्थान में प्राय: चिर-सूखे की स्थिति तथा अकाल राहत कार्यों पर किये जाने वाली भारी व्यय को ध्यान में रखते हुए नरोर मुख्यालय से आरम्भ होने, राजस्थान में कामा (भरतपुर) के निकट प्रवेश करने और नागौर तक पहुच कर वहीं समाप्त होने का प्रस्ताव किया गया है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी): (क) और (ख)गंगा बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड की अप्रैल, 19 3 में हुई दूसरी बैठक में यह सहमति हुई थी कि गंगा के अधिशेष बाढ़ जल के उपयोग के लिए राजस्थान और उसके साथ ही हरियाणा के प्रस्तावों की लांच की जाएगी : तदनुसार, कुछ अध्ययन किए गए थे और इन अध्ययनों को पूरा करने के लिए सहायता करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध किया गया था। उत्तर प्रदश ने सूचित किया है कि पहले से निर्माणाधीन परियोजनाओं और भविष्य में अपेक्षित परियोजनाओं को देखते हुए, हरियाणा और राजस्थान में व्यपवर्तन के लिए गंगा में कोई अधिशष जल उपलब्ध नहीं होगा।

गंगा बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड की अगस्त, 1981 में हुई सातवीं बैठक में इस प्रस्ताव पर पुन: विचार किया गया था, जब यह निर्णय किया गया था कि इन प्रस्तावों पर आगे विचार करने से पूर्व, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के बीच संयुक्त रूप से विचार-विमर्श किया जाना चाहिए।

रोहिणी योजना के अन्तर्गत प्लाटों का आवंटन

3659. **श्री राम अवध** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोहिणी योजना दिल्ली के अन्तर्गत अब तक प्लाटों का कोई आवटन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने प्लाट आबंटित किये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो अब तक प्लाट आबंटित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि पहली लाटरी 1.4.7.1982 को निकाली गई थी और 10,286 प्लाट रिलीज कर दिए गए हैं।

भारतीय अनुसंधान संस्थान, लखनऊ में मंजूर किये गये पद

3660. **श्री चतुर्भुज** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय अनुसंधान संस्थान, लखनऊ में मंजूर किये गये, भरे गये और रिक्त पद कितने हैं तथा वहां किन कारणों से पद रिक्त पड़े हैं ;

(ख) क्या सरकार वैज्ञानिकों, तकनीशनों, सहायक कर्मचारियों और प्रशासनिक कर्मचारियों की श्रेणियों में मंजूर किये गये, भरे गये और रिक्त पद दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखेगी ; और

(ग) वहां इन श्रेणियों में पद किन कारणों से रिक्त पड़े हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास-मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) से (ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अन्तर्गत "लखनऊ में भारतीय अनुसंधान संस्थान" नाम का कोई संस्थान नहीं है। अतः इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

माहर बांध, जिला सिंधी, मध्य प्रदेश को स्वीकृति

3661. **श्री मोतीलाल सिंह** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल आयोग को मध्य प्रदेश में सिंधी जिले की माहर बांध परियोजना का परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है और यदि हां, तो कब ;

(ख) उक्त परियोजना को तकनीकी रूप से स्वीकृति कब तक दे दी जाएगी ;

(ग) क्या इस योजना के चरण-दो में बनास "फीडर" को शामिल किया जाएगा ; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार इस परियोजना को विश्व बैंक से सहायता प्राप्त माध्यम श्रेणी के ऋण हेतु वित्त पोषण किए जाने के लिए शामिल करेगी ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) माहर नाम की कोई परियोजना नहीं है। संभवत: माननीय सदस्य साहन बांध परियोजना का जिक्र कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार से माहन बांध परियोजना की स्कीम रिपोर्ट तकनीकी जांच तथा योजना आयोग की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए 21-7-82 को केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त हुई है।

(ख) इस परियोजना की केन्द्रीय जल आयोग में विस्तृत जांच कर लिए जाने एवं इसकी तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता तथा लागत प्रभावकारिता के सिद्ध हो जाने के पश्चात् ही इसे तकनीकी रूप से स्वीकृत किया जाएगा।

(ग) इस परियोजना के चरण-दो के अन्तर्गत बानस नदी से माहन नदी तक 45 कि०मीटर लम्बी एक पोषक नहर की परिकल्पना की गई है। चरण-दो के कार्यों को शामिल करते हुए परियोजना रिपोर्ट मध्य प्रदेश सरकार से अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) केन्द्रीय जल आयोग द्वारा इसे तकनीकी रूप से स्वीकृति दे दिए जाने एवं योजना आयोग द्वारा इसे अनुबोधित कर दिए जाने के पश्चात्, इस पर विचार किया जा सकता है।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्किट का स्थायी पट्टा

3662. श्री बाबूराव पराजपे : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्केट (जनता मार्केट, इण्डे-बाता) को स्थायी पट्टे पर देने का एक संकल्प 22.9.80 को पास किया था ;

(ख) क्या इस संकल्प के आधार पर दिल्ली विकास प्राधिकरण ने केन्द्रीय सरकार से इस क्षेत्र की भूमि उपयोग बदलने का अनुरोध किया था ;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस क्षेत्र का भूमि उपयोग न बदले जाने के क्या कारण हैं, और

(घ) यदि नहीं, तो इस क्षेत्र के भूमि-उपयोग में परिवर्तन कब तक किया जाएगा ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिनांक 22.9.80 के एक संकल्प द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया था कि एम०पी मुकर्जी मार्किट क्षेत्र में भू उपयोग को "हरित" से "खुदरा विपणन (वाणिज्यिक)" में बदलने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया जाय।

(ख) जी हां।

(ग) तथा (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण को प्रश्नगत क्षेत्र के भू उपयोग को बदलने की उनकी सिफारिश पर पुन: विचार करने के लिए कुल काय का परिचालन बाहन ठहरने के स्थान, सेवाओं की उपलब्धता तथा उपयोगिता की दृष्टि से अनुरोध किया गया।

मध्य प्रदेश के सिधी जिले के लिये ग्रामीण जल प्रदाय योजना

3663. श्री मोती लाल सिंह : क्या निर्माण श्री आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के सिधी जिले के लिए ग्रामीण जल प्रदान योजना केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति हेतु लंबित विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जैसे ही केन्द्रीय सरकार द्वारा मांगे गये कुछ स्पष्टी करण राज्य सरकार से प्राप्त हो जायेंगे वैसे ही इस योजना को अनुमोदित किया जायेगा।

दूध के बूथों की जांच

3664. श्री सज्जन कुमार

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :क्या कृषि मंत्री मोती नगर में दूध की सप्लाई के बारे में 12 जुलाई, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 566 के अन्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दुग्ध सप्लाई योजना के वरिष्ठ अधिकारियों ने गत एक महीने के दौरान अचानक जांच के लिए दूध-बूथ संख्या 1205 का कितनी बार दौरा किया और उनके पदनामों तथा जांच के निष्कर्षों का ब्योरा क्या है ;

(ख) उक्त बूथ के वर्तमान कर्मचारी वहां कितने समय से कार्य कर रहे हैं और उनको किसी अन्य बूथ में भेजने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ग) क्या इस बूथ के कर्मचारियों द्वारा गैर-सरकारी सप्लायर को दूध बेचने के बारे में पता लगाने हेतु वरिष्ठतम अधिकारी द्वारा कोई अचानक जांच की जायेगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है, और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है कि गैर-सरकारी सप्लायर को इस बूथ से दूध न लेने दिया जाये और जनता को बिना किसी तकलीफ के दूध मिलता रहे ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) दिल्ली दुग्ध योजना के अधिकारियों द्वारा निम्नलिखित तारीख को डिपो नं.1205 (मोती नगर) निरीक्षण किया गया।

(1) दुग्ध वितरण अधिकारी — 1.7.'982

(2) उप प्रबन्धक (वितरण) — 27.7.1982

निरीक्षण के दौरान दुग्ध की बिक्री के संबंध में कोई अनियमितता नहीं पाई गई ।

(क) डिपो नं० 1205 पर निम्नलिखित तारीख से डिपो स्टाफ़ की नियुक्ति की गई है :—

(1) वरिष्ठ डिपो एजेंन्ट, 1,6,82 से

(2) डिपो एजेन्ट 1.5.81 से

अभी इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) वितरण अधिकारियों द्वारा समय-समय पर आकस्मिक जांच की जाती है और इस तरह कि आकस्मिक जांच के दौरान कोई अनियमितता देखने में नहीं आई है ।

(घ) "पहले आओं पहले पाओ" के आधार पर उपभोक्ताओं को दूध का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए दुग्ध वितरण स्टाफ द्वारा आकस्मिक जांच की जा रही है ।

बेयर्ड लेन में गिराए जा रहे क्वार्टरों के बदलें वैकल्पिक आवास का आबंटन

3665. श्री के० लकप्पा : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बेयर्ड लेन, नई दिल्ली-1 में एक मंजिले टाइप-तीन के पुराने क्वार्टर गिराने और उनकी जगह बहु मंजिली इमारतें बनाने का निर्णय किया है;

(ख) क्या सरकार ने टाइप-तीन के इन सभी क्वार्टरों को खाली करवा लिया है और यदि नहीं तो अभी भी आबंटियों के कब्जे में कितने क्वार्टर हैं;

(ग) क्या शेष आबंटियों ने वैकल्पिक आवास के लिए आवेदन किया है परन्तु उनके अनुरोध पर कोई कार्यवाही नहीं की गई; और

(घ) इस तथ्य के बावजूद कि मानसून शुरू हो गया है और क्वार्टरों की जीर्ण-शीर्ण हालत के कारण किसी भी दुर्घटना की सम्भावना है, इन मामलों में कोई कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) दस क्वार्टरों के अलावा सभी क्वार्टर खाली कर दिए गए हैं।

(ग) तथा (घ) इन आबंटियों को वैकल्पिक आवास दिए गए थे परन्तु इन्होंने इन्हें स्वीकार नहीं किया।

भूमि सुधारों में हुई प्रगति

3366. प्रो० अजीत कुमार मेहता :

श्री रशीद मसूद : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1980 के बाद भूमि सुधारों में हुई प्रगति का कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो कब और इसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) भूमि सुधारों में हुई प्रगति में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) और (ख) विभिन्न भूमि सुधार उपायों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की नियमित रूप से पुनरीक्षा की जाती है और राज्य सरकारों का ध्यान कानून में अथवा इसके कार्यान्वयन में पाई गई त्रुटियों की ओर आकर्षित किया जाता है। संशोधित अधिकतम सीमा कानूनों के कार्यान्वयन में हुई राज्यवार प्रगति को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) नए बीस-सूत्री कार्यक्रम के सन्दर्भ में राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे सभी प्रशासनिक तथा कानूनी अड़चनों को दूर करके अधिकतम सीमा से फालतू भूमि का शीघ्र वितरण करें। उनसे भूमि अभिलेखों को अद्यतन बनाने हेतु विभिन्न उपाय अपनाने के लिए भी अनुरोध किया गया है।

विवरण

1980 के पश्चात् संशोधित अधिकतम भूमि सीमा कानूनों के अन्तर्गत भूमि सुधार की प्रगति

(एकड़ में)

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	फालतू घोषित क्षेत्र	कब्जे में लिया गया क्षेत्र	वितरित क्षेत्र
आन्ध्र प्रदेश	—	25,288	24,996
असम	8,047	5,345	6,551

1	2	3	4
बिहार	8,575	7,826	10,063
गुजरात	78,301	37,125	3,946
हरियाणा	2,371	2,665	5,612
हिमाचल प्रदेश	—	—	—
जम्मू व कश्मीर	—	—	—
कर्नाटक	1,33,579	36,495	14,059
केरल	6,061	4,071	2,629
मध्य प्रदेश	641	4,423	4,456
महाराष्ट्र	3,403	9,866	985
मणिपुर	482	36	—
उड़ीसा	3,149	3,446	2,107
पंजाब	—	1,405	2,022
राजस्थान	18,740	13,301	7,336
तमिलनाडु	6,241	6,074	6,252
त्रिपुरा	—	154	264
उत्तर प्रदेश	4,024	5,980	8,038
पश्चिम बंगाल	13,372	4,763	4,361
दादर व नगर हवेली	—	—	—
दिल्ली	—	—	374
पांडिचेरी	33	70	69
योग	2,87,050	1,68,333	1,04,120

प्याज के निर्यात के बारे में नाफेड का एकाधिकार ठेका

3667. श्री के० टी० कोसलराम :

श्री सूर्य नारायण सिंह : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या "नाफेड" ने वर्ष 1982 के दौरान मलेशिया और सिंगापुर में एक एकाधिकार

आयतक के साथ 50,000 टन प्याज का निर्यात करने का ठेका करने से पूर्व सरकार की मंजूरी नहीं ली थी;

(ख) क्या इस बारे में 20 से अधिक ससद संदस्यों ने प्रधान मन्त्री को अभ्यावेदन दिया है;

(ग) मलेशिया और सिंगापुर की सरकार ने भी भारत सरकार से नाफेड द्वारा वर्ष 1981 में इस आयतक को एकाधिकार ठेका देने के बारे में विरोध प्रकट किया था और भारत सरकार से वर्ष 1982 में इस प्रणाली को न दुहराने का अनुरोध किया था ,

(घ) मलेशिया और सिंगापुर स्थिति भारतीय दूतावास ने भी हमारी सरकार भो भारत सरकार के उच्च पदाधिकारियों से इस आयातक द्वारा अपने व्यक्तिगत सम्बन्धों की झूठी अफवाहें फैलाने के बारे में था, और

(ड.) यदि हां. तो इस ठेके को रद्द करने और सरकार की वर्तमान निर्यात नीति का पालन करने की कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) हाल ही में भारत स्थित मलेशिया के उच्च आयुक्त ने भारत सरकार को लिखा है, जिसमें उन्होंने भारत से प्याज की सप्लाई के सम्बन्ध में एकाधिकारी स्थित के विरुद्ध अपनी सरकार की चिन्ता प्रकट की है और उस देश के दूसरे परम्परागत प्याज आयातकों के हितों की रक्षा के सम्बन्ध मे सुझाव दिया है ।

(घ) मलेशिया तथा सिंगापुर स्थित भारतीय उच्चायोग ने भारत सरकार को पत्र लिखा है जिसमें उस सरकार द्वारा व्यक्त की गयी चिन्ता की सूचना दी है जिसमें वे भारत से प्याज की सप्लाई के एकाधिकारी स्थित के बारे में अधिकृत है। इस स्थिति के फलस्वरूप प्याज के परम्परागत आयातकों को हटाया जा रहा है ।

(ड.) सरकार ने नाफेड को सलाह दी है कि वह एकमात्र आयातक मलेशिया के साथ किए गए खुले करार को रद्द कर दे । तदनुसार नाफेड ने मलेशिया के आयातक को करार रद्द करने की सूचना दे दी थी ।

पटसन उत्पादों के निर्माण के लिए मशीनरी

3669. श्री निहाल सिंह : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन प्रौद्योगिकीय अनुसंधान प्रयोगशाला ने पटसन उत्पादों के निर्माण के लिए मशीनरी का माडल विकसित किया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों ने इस माडल का प्रयोग किया है और इनमें से प्रत्येक राज्य में कितने पटसन उद्योग हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार के कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों मे राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) पटसन प्रौद्योगिकी अनुसन्धान प्रयोगशाला कलकत्ता ने पटसन उत्पाद तैयार करने के लिए कोई पूर्ण पैमाने पर प्रोटोटाइप मशीनों का विकास नहीं किया है ।

(ख) तथा (ग) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रोटोटाइप अभी भी विकास के अधीन है, इस अवस्था में विभिन्न राज्यों के पटसन उद्योगों के सहयोग और सरकार के कार्यक्रमों का प्रश्न ही नहीं उठता ।

पिछले तीन वर्षों के दौरान गेहू के बाजार मूल्य की प्रवृत्तियां

3670. श्री एन० ई० होरो : क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में विभिन्न राज्यों में प्रति वर्ष गेहूं का बाजार भाव क्या था, और चालू वर्ष में क्या भाव है; और

(ख) मूल्यों में यदि कोई उतार चढ़ाव है तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) विवरण सलग्न है ।

(ख) अन्य धान्यों की तरह गेहूं के मूल्यों में उतार चढ़ाव कई घटकों तथा तत्वों के कारण होता है, जिसमें सप्लाई तथा मांग मे परिवर्तन, आदान मूल्यों में तथा आकलित मूल्यों परिवर्तन, सम्बन्धित जिन्सों के मूल्य, मण्डी के रुख फसल सम्भावना, अर्थ व्यवस्था में मूल्यों की आम प्रवृत्तियां आदि शामिल हैं ।

विवरण

मैक्सीन गेहूं के मासांत थोक मूल्य

(रु० प्रति क्विंटल)

राज्य/केन्द्र किस्म	वर्ष	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सित०	अक्टू०	नव०	दिस०	जन०	फर०	मार्च
बिहार	1982-83	167	166	178	205								
सासाराम	1981-82	150	148	152	165	188	188	190	185	191	195	195	200
(सफेद)	1980-81	129	1 7	150	154	155	167	169	169	167	200	203	170
	1979-80	115	115	119	133	132	152	158	170	168	165	159	155
हरियाणा	1982-83	140	142	142	135								
करनाल	1981-82	130	130	130	145	145	150	150	150	153	145	186	170
(ग्रेड-1)	1980-81	117	124	122	125	118	128	132	150	150	160	160	145
	1979-80	115	115	115	118	117	117	120	134	132	130	138	132
गुजरात	1982-83	200	200	190	205								
दोहाद	1981-82	200	185	195	201	210	195	190	230	210	215	170	190

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
(कल्याण	1980-81	167	175	155	160	160	160	160	180	16	180	180	162
सोना)	1979-80	140	142	140	140	145	150	145	170	155	138	152	140
मध्य प्रदेश	1982-83	155	160	165	170								
इन्दौर	1981-82	175	165	170	185	185	185	175	180	185	185	175	170
	1980-81	135	140	150	150	145	150	150	170	160	165	170	155
	1979-80	118	115	120	135	135	140	135	145	140	130	130	130
महाराष्ट्र	1982-83	210	215	195	235								
नागपुर	1981-82	198	230	230	220	210	220	230	220	2 0	225	2 0	210
(कल्याण सोना)	1980-81	155	170	170	175	170	165	165	180	180	190	200	190
	1979-80	140	135	140	145	155	150	160	170	160	155	155	160
पंजाब	1982-83	150	142	142	142								
जालंधर	1981-82	131	137	140	140	138	158	150	163	165	157	164	175
(कल्याण)	1980-81	117	117	120	118	117	126	126	144	148	155	148	138
	1979-80	117	115	115	115	115	127	121	132	137	136	140	133

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
राजस्थान	1982-83	150	145	142	150								
श्री गंगा	1981-82	161	162	171	175	185	200	200	180	190	175	185	185
नगर	1980-81	138	150	158	155	150	162	163	149	155	159	156	151
(सफेद)	1979-80	115	115	115	116	116	130	127	135	139	159	162	146
उत्तर प्रदेश	1982-83	150	152	175	165								
(हापुड़ आर०	1980-81	135	135	135	144	150	150	150	155	150	165	165	180
आर० 21)	1981-82	118	122	120	122	122	136	135	160	160	185	158	150
	1979-80	115	118	120	119	120	125	128	137	145	138	145	135
दिल्ली	1981-83	156	162	161	170								
(एस०-308)	1981-82	152	154	153	162	158	167	163	165	169	173	176	187
कल्याण	1980-81	125	130	133	133	132	140	146	163	169	174	155	155
	1979-80	116	116	116	124	126	133	136	139	142	140	143	128

टिप्पणी : जुलाई, 1982 से 24 जुलाई तक के सम्बन्धित आंकड़े हैं।

सूखे से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में सिंचाई की नई प्रणाली शुरू करना

3671. श्री बाला साहिब विखे पटिल : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सूखे से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में सिंचाई की प्रणाली में सुधार करने अथवा नयी सिंचाई प्रणाली शुरू करने पर विचार किया है ; और

(ख) क्या इस बारे में कोई योजना तैयार की गई है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) जी, हां। सिंचाई मंत्रालय ने देश के जल संसाधनों के इष्टतम विकास और उपयोग के लिए जल संसाधनों के विकास का एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य तैयार किया है। इस स्कीम में जल संचयनों और लिंक नहरों के जरिये अधिशेष जल वाले नदी बेसिनों से कमी वाले और सूखा-प्रवण क्षेत्रों को जल के अन्तरण की व्यवस्था है। जल उपयोग की कार्य-कुशलता और जल के संरक्षण में सुधार करने के लिए राज्य सरकारों को उन्नत प्रबन्ध पद्धितयों को अपनाने की सलाह दी गई है जिसके लिए कमान क्षेत्र प्राधिकरणों की स्थापना की गई है।

सुपर बाजार दिल्ली द्वारा घटिया किस्म के चावलों की बिक्री

3672. श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सच है कि हाल ही में किये गए एक परीक्षण से पता चला है कि सुपर बाजार दिल्ली द्वारा खरीदे गए बासमती चावल में 25 प्रतिशत मिलावट है अर्थात् वह चावल बहुत घटिया किस्म का है ;

(ख) वर्ष 1981 तथा 1982 में पृथक-पृथक यह चावल कितनी मात्रा कितनी में खरीदा गया था ;

(ग) सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है और भविष्य में ऐसी स्थिति की पुनरावृति को रोकने का सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं ; और

(घ) क्या मसालों के बारे में भी कोई परीक्षण किया गया है ; और यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रालयों में उपमन्त्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) : (क) से (ग) सुपर बाजार द्वारा समय-समय पर खरीदे जाने वाले बासमती चावल की आमतौर पर खरीद के समय तथा बाद में भी, जांच की जाती है। बाजार में उपलब्ध बासमती चावल में आमतौर पर अन्य किस्म के चावलों का मिश्रण रहता है।

1981 के दौरान लगभग 5,230 क्विंटल बासमती चावल, जिसमें 25 प्रतिशत से कम मिश्रण था, की कुल खरीद की गयी थी। 1982 के दौरान खरीदी गयी लगभग 2685 क्विंटल की कुल मात्रा में से लगभग 198 क्विंटल मात्रा ऐसी थी जिसमें 25 प्रतिशत से अधिक मिश्रण था।

(घ) सुपर बाजार द्वारा बेचे जाने वाले सभी मशालों का गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला में यह सुनिश्चित करने के लिए नमूना-परीक्षण किया जाता है कि वह वस्तु मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है।

हुडको द्वारा दिए गए ऋणों पर ब्याज की दर

3673. श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल ही में आवास और नगरीय विकास निगम (हुडको) द्वारा दिए गए ऋणों पर ब्याज की दर बढ़ाने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न आय समूहों के सम्बन्ध में इसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रति वर्ष प्रत्येक आवास योजना के अन्तर्गत राज्यवार कितना कितना ऋण दिया गया ;

(घ) प्रत्येक राज्य में उन ऋणों का इस उद्देश्य के लिए कहां तक प्रयोग किया गया ; और

(ङ) प्रत्येक राज्य में "हुडको" द्वारा आरम्भ की जाने वाली प्रस्तावित आवास योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री(श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) मानदण्डों और अधिकतम सीमा लागतों के हाल ही के संशोधन के साथ-साथ स्थलों और सेवाओं, और आवास, स्वैच्छिक आवास, ग्रामीण आवास, मलिन बस्तियों का सुधार और प्लाटों के विकास (श्रेणी के) योजनाओं को छोड़कर हुडको द्वारा विभिन्न टाइप की योजनाओं के लिए दिए जाने वाले ऋणों पर ब्याज की दर न्यूनतम बढ़ाई गई है।

(ख) संशोधित दरों के ब्यौरे विवरण-1 में दिए गये है।

(ग) पिछले तीन वर्षों अर्थात 1959-80, 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान हुडको द्वारा राज्यवार स्वीकृत कुल ऋण विवरण-2 में दिए हैं।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में आवास अभिकरणों द्वारा निकाली गई निधियां जो कि विभिन्न योजनाओं की प्राप्त प्रगति पर निर्भर है विवरण-3 में दिया है।

(ड.) वर्ष 1`82-83 के दौरान देशभर में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हुपको का 220 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत करने का प्रस्ताव है। वे योजनाएं जो उधार लेने वाले अभिकरणों ने प्रस्तुत की हैं, यदि वे तकनीकी तौर पर सुदृढ़ हैं और वित्तीय रूप से व्यवहार्य हैं तथा हुड़को के मानदण्डों को पूरा करती है तो हुडको उन्हें स्वीकृत करता है।

विवरण-1

विभिन्न आवास योजनाओं के लिए हुडको के धन देने के संशोधित मानदन्ड

1 जुलाई, 1982 से

	अधिकतम सीमा लागत रुपये	धन देने की सीमा (प्रतिशत)	ब्याज की दर (कुल) (प्रतिशत)	वापिसी की अवधि (वर्ष
ईडब्ल्यू एस० एण्ड एल० आई० जी० हाउसिंग				
(i) साइट एण्ड सर्विसेस	5000 (700)	100	4 (4)	20
(ii) कोर हाउसिंग	5000	100	5 (5)	20
(iii) स्केटल हाउसिंग	500	100	5 (5)	20
(iv) रूरल हाउसिंग	6000 (4000)	50	5 (5)	10
(v) स्लम अपग्रेडेशन	2000	50	5 (5)	10
(vi) अरबन हाउसिंग (ए)	12000 (8000)	श्रेणीवार मानदण्ड के आधार पर	7 (5)	20
शहरी आवास (बी)	20000 (18000)	—वही—	8 (7)	15
(vii) प्लाटों का विकास				

1	2	3	4
(क) श्रेणी (क)	5000 (2700)— वही—	5 (5)	20
(ख) श्रेणी (ख)	8000 (4500)—वही—	8 (7)	15
मध्यम आय वर्ग तथा उच्च आय वर्ग			
(i) मध्यम आय वर्ग ।	30000 (25000)— श्रेणीवार मानदण्ड के अनुसार	10 1/2 (9.5)	12
(ii) मध्यम आय वर्ग ii	50000 (42000)—वही—	11 1/2 (10.5)	12
(iii) उच्च आय वर्ग	125000 (100000)— वही— (किसी हालत में ६०,००० रुपये से आनधिक्य	12 1/2 11.5)	10
(iv) प्लाटों का विकास			
(क) मध्यम आय वर्ग	20000 (12500) श्रेणीवार	11 1/2 (9.5)	12
(ख) उच्च आय वर्ग	50000 (250 0) मानदण्ड के आधार पर	12 1/2 (11.5)	10

टिप्पणी : 600 रुपये प्रतिमाह तक मासिक आय वाले सभी परिवारों के लिए आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग श्रेणियों के लिए। इन परिवारों को शहरी/ग्रामीण स्थानों के ऊपर निर्भर करते हुए किसी भी योजना के लिए अपना विकल्प देना है ।

2. स्थल तथा सेवा एकक में स्वच्छता घटक अवश्य होना चाहिए ।

3. कोष्ठकों के अन्दर दिए अन्दर दिए गए आंकड़ों से पुरानी ब्याज की दरें तथा अधिकतम लागतों का पता चलता है।

किरायात्मक	125000	70 प्रतिशत	13 1/2 (12)	7
वाणिज्यिक	उपलब्ध नहीं	100%	15 (14)	8

1	2	3	4	5
निर्माण सामग्री योजनाएं	—वही—	100% (निजी क्षेत्र के लिए 80)*	13 (10.75)	8
नगर विकास योजनाएं	—वही—	50	10 (8.5)	12
निजी भवन	25% से अधिक एककों के लिए 20000 तथा शेष 50000 से अधिक नहीं	50	15 (14)	5

*कार्यरत पूंजी के लिए केवल अत: क्षेत्रों की उपर्युक्त प्रतिशतताएं हुडको के ऋणों के लिए सीमित हैं।

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े ब्याज की पुरानी दरों को इंगित करते हैं।

विवरण -2

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत ऋण (करोड़ रुपये में)		
	1979-80	1980-81	1981-82
आन्ध्र प्रदेश	22.81	9.02	29.69
असम	0.96	1.67	0.22
बिहार	2.07	4.45	3.50
गुजरात	27.63	16.76	17.05
हरियाणा	5.65	4.64	8.71
हिमाचल प्रदेश	—	0.38	1.30
जम्मू तथा कश्मीर	—	0.18	4.57
कर्नाटक	6.45	12.13	12.62
केरल	6.20	12.69	4.54
मध्य प्रदेश	4.70	4.46	5.28
महाराष्ट्र	3.04	26.27	28.51
मणिपुर	—	011	1.48

1	2	3	4
नागालैंड	—	—	1.57
उड़ीसा	2.01	0.83	10.43
पंजाब	4.75	10.37	9.91
राजस्थान	9.12	8.76	21.23
तमिलनाडु	11.77	13.39	14.34
उत्तर प्रदेश	15.63	22.21	9.01
पश्चिम बंगाल	5.55	6.47	6.67
दिल्ली	5.23	0.94	—
चण्डीगढ़	5.63	5.12	2.57
गोवा दमण और द्वीप	—	—	—
पांडिचेरी	—	0.82	0.42
कुल योग	139.20	161.68	193.62

विवरण-3

पिछले तीन वर्षों अर्थात 1979-80, 1980-81 और 1981-82 के दौरान हुडको से ली गई राज्यवार राशियां ।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	हुडको द्वारा दी गई राशि (करोड़ रुपयों में) 1979-80	1980-81	1981-82
आन्ध्र प्रदेश	8.16	9.67	7.25
असम	0.22	0.49	1.06
बिहार	0.25	1.41	0.19
गुजरात	8.08	9.37	12.93
हरियाणा	6.54	2.61	3.55
हिमाचल प्रदेश	0.68	0.61	0.42

1	2	3	4
जम्मू और कश्मीर	0.18	—	2.40
कर्नाटक	3.73	8.49	6.09
केरल	6.98	5.10	12.38
मध्य प्रदेश	3.20	3.02	1.94
महाराष्ट्र	4.55	5.40	13.73
मणिपुर	—	—	0.02
नागालैंड	—	—	—
उड़ीसा	4.01	1.89	1.42
पंजाब	0.05	2.26	7.36
राजस्थान	6.05	8.58	4.07
तमिलनाडु	8.49	11.39	7.67
उत्तर प्रदेश	10.50	12.51	12.47
पश्चिम बंगाल	1.54	4.09	6.21
चंडीगढ़	2.60	2.49	4.03
दिल्ली	1.72	0.59	—
गोवा दमण और द्वीप	0.02	—	—
पांडिचेरी	0.10	—	0.05
कुल योग	77.05	89.97	105.24

*योजना की प्रगति के अनुसार प्रगति के तथा पहले ही दी गई राशि को पूर्ण रूप से खर्च करने पर हुडको से उधार लेने वाले अभिकरण ऋण लेते हैं।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई

3674. श्री बाला साहिब विखे पाटिल : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्यों और संघ क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण पद्धति के लिए आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाये गए हैं ; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष प्रत्येक राज्य को भारतीय खाद्य निगम द्वारा सप्लाई की गई आवश्क वस्तुओं का मूल्य और उनकी मात्रा कितनी है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालय में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) राज्य सरकारों सघों शासित प्रदेशों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने पास उपलब्ध स्टाक और उनके द्वारा स्थानीय रूप से वसूल किए गए स्टाक को ध्यान में रखते हुए अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जारी करने के लिए केन्द्रीय भण्डार से खाद्यान्नों की अपनी वास्तविक आवश्यकताओं के बारे में प्रत्येक मास सूचना भेजा करें। केन्द्रीय भण्डार में खाद्यान्नों की समूची उपलब्धता विभिन्न राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं, बाजार में उपलब्धता और अन्य संगत बातों को ध्यान में रखकर विभिन्न राज्यों को प्रत्येक मास के आधार पर खाद्यान्नों का आवटन किया जाता है। जिस मास से आवंटन सम्बन्धित होता उस मास के प्रारम्भ होने से 10 से 12 दिन पेशगी मासिक आवंटन आदेश जारी किए जाते है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारतीय खाद्य निगम राज्य सरकारों को समय पर खाद्यान्नों की पूर्ति करता है जिससे उचित दर की दुकानों से खाद्यान्नों का वितरण किया जा सके।

भारतीय खाद्य निगम सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आवश्यकताओं की पूरा करने के लिए देश के सभी भागों में स्थित अपने गोदामों में खाद्यान्नों के पर्याप्त आरक्षित स्टाक रखता है।

सभी राज्यों को खाद्यान्नों के संचलन पद उच्च स्तरीय संयुक्त ग्रुप द्वारा निगरानी रखी जाती है ताकि संचलन कार्यक्रम और जिलों तथा डिपो में उपलब्धता में अनुरूपता सुनिश्चित की जा सके।

जहां तक भारतीय खाद्य निगम द्वारा चीनी की पूर्ति करने का सम्बन्ध है, लेवी चीनी का वितरण करने के लिए प्रत्यक मास भारतीय खाद्य निगम के पक्ष में आवंटन किये जाते हैं भारतीय खाद्य निगम इस आवटित चीनी को चीनी मिलों से उठाता है और वह उसे अभिप्रेत गन्तव्य स्थानों/निगंम केन्द्रों को भेजता है ताकि जहां-जहां भारतीय खाद्य निगम इस काम को हैंडल करता है वहां की राज्य सरकारों राज्यों के खुदरा विक्रेताओं को आग चीनी जारी की जा सके।

(ख) 1979, 1980 और 1981 के वर्षों में प्रत्येक राज्य को सप्लाई की गई, गेहूं,

चावल और चीनी की मात्रा तथा उनके चल रहे निर्गम मूल्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण 1 और ^ में दिया गया है । प्रत्येक राज्य को सप्लाई की गई इन जिन्सों के मूल्य के बारे सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है ।

विवरण-1

1979, 1980 और 1981 के दौरान सार्वजनिक वितरण के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को सप्लाई किए गए चावल और गेहूं की मात्रा बताने वाला विवरण।

(हजार मीटरी टन में)

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	1979		1980		1981	
	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं
आन्ध्र प्रदेश	44.0	23.4	214.0	58.1	370.4	58.4
असम	224.7	280.0	233.3	98.6	246.3	95.9
बिहार	12.9	186.2	77.8	378.0	144.4	179.5
गुजरात	12.4	71.0	82.8	121.7	185.2	112.9
हरियाणा	—	43.2	2.0	43.4	0.2	22.5
हिमाचल प्रदेश	0.2	13.4	2.2	19.9	12.4	23.7
जम्मू तथा कश्मीर	63.3	43.5	105.6	46.3	93.3	50.6
कर्नाटक	—	13.2	27.9	24.1	194.0	28.1
केरल	553.9	33.0	771.9	47.1	1077.8	45.7
मध्य प्रदेश	98.1	160.5	355.0	424.4	218.1	239.1
महाराष्ट्र	213.3	330.7	433.5	459.3	669.4	428.5
मणिपुर	12.3	6.6	16.8	0.8	10.4	0.2

1	2	3	4	5	6	7
मेघालय	62.6	20.3	44.1	—	64.2	—
नागालैंड	51.2	15.3	22.8	—	29.1	—
उड़ीसा	14.5	42.9	140.4	65.0	—	63.2
पंजाब	—	42.3	0.3	65.1	1.7	84.1
राजस्थान	0.4	25.1	2.3	162.9	12.6	152.9
सिक्किम	9.3	1.2	19.4	1.8	31.1	3.7
तमिलनाडु	—	5.4	51.4	21.9	295.1	39.7
त्रिपुरा	63.2	9.12	53·7	2.9	45.5	2.9
उत्तर प्रदेश	132.4	469.4	2359.6	684.2	288.0	285.2
पश्चिमी बंगाल	585.6	657.3	884.9	720.0	870.8	637.7
अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	5.4	3.5	4.4	3.5	4.8	4.9
अरुणाचल प्रदेश	19.5	1.7	15.9	2.2	24.1	4.3
चण्डीगढ़	—	2.2	0.3	0.9	1.9	6.1
दादर तथा नगर हवेली	—	—	नग०	—	0.2	0.1
दिल्ली	33.8	272.3	69.7	354.8	126.3	445.7
गोआ, दमन और दीव	21.1	7.9	29.9	10.2	36.9	18.0
पांडिचेरी	2.1	1.2	4.6	1.4	5.9	0.7
मिजोरम	31.3	0.4	29.5	0.4	38.3	—
लक्षद्वीप	3.5	नग०	3.9	0.1	3.5	0.4

विवरण-2

वर्ष 1979, 1980 और 1981 के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्रत्येक राज्य द्वारा सप्लाई की गई लेवी चीनी की मात्रा को बताने वाला विवरण

(आंकड़े मी० टन में)

	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	1979	1980	1981
1.	दिल्ली	864.6	66133	74219
2.	उत्तर प्रदेश	शून्य	468373	126746
3.	जम्मू तथा कश्मीर	198.0	24045	24948
4.	चण्डीगढ़	1.6	2988	1223
5.	मध्य प्रदेश	1648.4	239594	229254
6.	उड़ीसा	1642.8	105216	106163
7.	बिहार	5278.0	297091	307971
8.	पश्चिम बंगाल	शून्य	194962	241242
9.	असम	1765.9	79063	941619
10.	मेघालय	शून्य	5482	5860
11.	मिजोरम	शून्य	2526	1712
12.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	शून्य	2047	2188

उड़ीसा में पूरी की जाने वाली सिंचाई परियोजनाएं

3675. श्री अर्जुन सेठी : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में वर्ष 1980-81 के दौरान पूरी की गयी मध्यम और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के नाम क्या हैं ;

(ख) उड़ीसा में उन मध्यम और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिन्हें छठी योजनावधि के दौरान पूरा किये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) उन परियोजनाओं को पूरा किया जाने में अब तक की प्रगति के बारे में ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) एक बृहद सिंचाई परियोजना, अर्थात् सालन्दी और चार मध्यम सिंचाई परियोजनायें, अर्थात् दाहुका, सैपाला, रामानदी और नेसा 1980-81 में पूर्ण हो गई थीं।

(ख) और (ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

छठी योजना की अवधि के दौरान पूर्ण की जाने वाली उड़ीसा की बृहद और मध्यम सिंचाई स्कीमों और अब तक हुई उनकी प्रगति के ब्योरे

(लाख रुपये/हजार हैक्टेयर)

क्रम सं०	परियोजना का नाम	अद्यतन अनुमानित लागत	मार्च, 1982 तक प्रत्याशित व्यय	अन्ततः क्षमता	सृजनीय जून, 1982 तक प्रत्याशित क्षमता
क—बृहद					
1.	महानदी डेल्टा*	6950	6950	562.54	562.54
2.	आनन्दपुर बराज	965	741.56	46.18	20.00
ख—मध्यम					
1.	सुन्दर	518.82	449.42	4.23	4.00
2.	कालो*	630.17	582.56	5.58	5.58
3.	दादरा घाटी*	649.93	504.76	4.11	4.11
4.	खडकई*	681.52	681.52	8.98	8.98
5.	डमेरवहल	294.39	289.39	3.78	3.78
7.	ओनली	202.00	107.71	0.89	—
6.	ओंग—	1800.00	837.39	24.96	7.00
8.	अपर सुकतेल	235.05	60.05	1.52	—
9.	बघुआ चरण-ii	475.45	25.11	4.38	—
10.	बोंडा पिपिली	470.45	216.45	3.80	—

1 2	3	4	5	6
11. रामियाला	1125.77	1020.71	13.18	7.00
12. रामल	753.35	638.35	5.83	—
13. दाहा	987.19	977.19	6.87	—
14. पीलासाकी	574.97	573.97	3.47	1.50
15. गोहीरा	1219.75	888.01	11.40	0.70
16. सुनई	1200.00	663.29	11.16	—
17. कुंवारिया	744.00	697.60	5.33	—
18. झाबन्ध	254.87	184.87	2.36	—
19. सर्राफगढ़	326.86	305.86	3.38	—
20. तलसारा	420.08	404.08	4.17	—
21. हरिहरजोरे	1776.00	538.91	15.77	—

टिप्पणी :

1. *मार्च, 1982 तक पूर्ण हो जाने की प्रत्याशा थी।
2. *काफी हद तक पूर्ण हो गई हैं।
3. *1980-81 के दौरान पूर्ण हो चुकी परियोजनाएं इस विवरण में सम्मिलित नहीं की गई हैं।

उड़ीसा को खाद तेल की सप्लाई

3676. श्री चिन्तामणि जेना : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार को खाद्य तेल की अपनी मासिक आवश्कता बताई है ;

(ख) यदि हाँ, तो वर्ष 1981-82 से सम्बन्धित माहावार बताई गयी आवश्यकता का ब्योरा क्या है तथा विभिन्न किस्मों की प्रति माह वास्तविक सप्लाई कितनी की गई ;

(ग) क्या यह सच है कि आवश्यकता से बहुत कम मात्रा में सप्लाई की गई है ; और

(घ) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान आवंटन उपभोक्ताओं की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में एकदम अपर्याप्त हैं, वर्ष 1982-83 में उड़ीसा राज्य को अधिक मात्रा में खाद्यतेल सप्लाई करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे है ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रालयों में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) : (क) से (घ) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आयातित खाद्य तेलों का आवंटन उनकी मांग, उनकी खपत के स्वरूप, त्योहार के पास उपलब्ध स्टाक, पहले किए गए आबंटक तथा उनमें से उठाई गई मात्रा जैसी विभिन्न बातों के आधार पर हर मास किया जाता है। चालू तेल वर्ष की शेष अवधि के दौरान उड़ीसा को इन तेलों का आवंटन इन बातों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। चालू तेल वर्ष में नवम्बर, 1982 के बीच उड़ीसा को 2923 मीटरी टन आर० बी० डी० पामेलीन तेल, 27 मीटरी टन आर० बी० डी० ताड़ का तेल और 3304 मीटरी टन परिष्कृत रेपसीड तेल आवंटित किया गया है। इन आवंटनों का माह-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है तथापि, उडीसा सरकार ने प्रतिमाह 8,000 मीटरी टन मात्रा आवंटित करने का अनुरोध किया है। उपरिलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान आवंटित मात्रा कुल मिलाकर पर्याप्त रही है।

विवरण

जुलाई, 1982 तक उड़ीसा को आवंटित पामोलीन/आर० बी० डी० ताड़ का तेल और रेपसीड तेल (परिष्कृत) की मात्रा दर्शाने वाला विवरण।

माह	पामोलीन तेल	आर० बी० डी० ताड़ का तेल	परिष्कृत रेपसीड तेल
नवम्बर, 1981	150 मीटरी टन	—	350 मीटरी टन
दिसम्बर, 1981	200 ,, ,,	—	200 ,, ,,
जनवरी, 1982	250 ,, ,,	—	277 ,, ,,
फरवरी, 1982	250 ,, ,,	—	277 ,, ,,
मार्च, 1982	273 ,, ,,	27 मी०टन	300 ,, ,,
अप्रैल, 1982	350 ,, ,,	—	450 ,, ,,
मई, 1982	350 ,, ,,	—	450 ,, ,,
जून, 1982	400 ,, ,,	—	500 ,, ,,
जुलाई, 1982	700 ,, ,,	—	500 ,, ,,
योग	2923	27	3304

खाद्यान्नों का स्टाक

3677. श्री अनन्त रामलू मल्लू : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1988-79 के अन्त में गेहूं, चावल, चीनी और खाद्य तेलों का बकाया स्टाक क्या है और गत दो वर्षों के दौरान इनकी क्या स्थिति है ;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान आयात की गई अथवा निर्यात की गई इन वस्तुओं का क्या ब्यौरा है ; और

(ग) गत नौ वर्षों के दौरान स्थानीय मंडियों में इन वस्तुओं के मूल्य क्या हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) वित्तीय वर्ष 1 78-79 के अन्त को गेहूं, चावल, चीनी और खाने के तेलों की शेष स्टाक स्थिति और पिछले दो वित्तीय वर्षों में इनकी स्थिति का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

(लाख मीटरी टन में)

जिन्स	1978-79	1980-81	1981-82	(अ०)
गेहूं	63.10	0.69	41.26	
चावल	97.07	66.94	63.61	
चीनी	42.38	29.02	4 .24	
खाने के तेल	0.76	2.14	2·75	

(अ) अनन्तिम

(ख) वित्तीय वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान गेहूं, चावल, चीनी और खाने के तेलों की आयात और निर्यात की गई मात्रा का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(लाख मीटरी टन में)

( ) आयात	वित्तीय वर्ष	
	1980-81	1981-82
गेहूं	शून्यx	20.10
चावल	शून्य	शून्य xx

1	2	3
चीनी	1.81	2.15
खाने के तेल	10.70	11.15

x—तथापि, बंगला देश ने उनको उधार पर दिए गए गेहूं के प्रति 48.5 हजार मीटरी टन गेहूं वापस किया था।

xx—तथापि, बंगला देश ने उनको उधार पर दिए गए चावल के प्रति 78.3 हजार मीटरी टन चावल वापस किया था।

(अ०)—अनन्तिम

(2) निर्यात	वित्तीय वर्ष		
	1980-81	1981-82	(अ०)
गेहूं	0.53x	—	
चावल	6.87	9.43	
चीनी	0.72	1.54	
खाने के तेल	—	—	

x— उधार पर दी गई जिन्स

(अ०)—अनन्तिम

(ग) विवरण। —से 7 संलग्न है जिनमें पिछले दो वर्षों के दौरान चुनींदा केन्द्रों में स्थिति स्थानीय मंडियों में गेहूं, चावल, चीनी और खाने के तेलों के मास-अन्त के थोक मूल्यों का ब्योरा दिया गया है।

विवरण-I

गेहूं (मैक्सिकन) के मास-अन्त थोक मूल्यों को बताने वाला विवरण

(रुपये प्रति क्विंटल)

राज्य	केन्द्र	किस्म	वर्ष	जून	सितम्बर	दिसम्बर	मार्च
बिहार	सासाराम	सफेद	1981-82	152	188	191	—
			1980-81	150	167	167	170

1	2	3	4	5	6	7	8
हरियाणा	करनाल	ग्रेड-1	1981-82	130	150	153	—
			1980-81	122	128	150	145
गुजरात	डेहाद	सोना	1981-82	195	195	210	—
		कल्याण	1980-81	155	160	163	162
मध्य प्रदेश	इंदौर		1981-82	170	185	185	170
			1980-81	150	150	160	155
महाराष्ट्र	अमरावती	कल्याण	1981-82	210	213	208	198
		सोना	1980-81	160	166	195	191
पंजाब	जलन्धर	कल्याण	1981-82	140	158	195	175
			1980-81	120	126	148	138
राजस्थान	श्री गंगा	गेहूं	1981-82	171	200	190	185
	नगर		1980-81	158	152	155	153
उत्तर प्रदेश	हापुड़	आर०	1981-82	135	150	150	180
		आर०-21	1980-81	120	136	160	150
दिल्ली	दिल्ली	(एस०-	1981-82	153	167	169	187
		708)	1980-81	133	140	169	155
		कल्याण					

विवरण -2

मोटे चावल के मास-अन्त थोक मूल्यों को बताने वाला विवरण

(रुपये प्रति क्विंटल)

राज्य	केन्द्र	वर्ष	सितम्बर	दिसम्बर	मार्च	जून
गुजरात	बुलसर	1981-82	220	210	200	210
		1980-81	185	190	201	215
हरियाणा	करनाल	1981-82	200	240	210	225
		1980-81	180	180	185	200

1	2	3	4	5	6	7
कर्नाटक	शिमोगा	1981-92	252	220	215	205
		1980-81	170	173	110	200
केरल	अल्लेप्पी	1981-82	165	185	275	285
		1980-81	159	159	165	165
मध्य प्रदेश	रायपुर	1981-82	210	225	225	—
		1980-81	215	NR	215	225
महाराष्ट्र	अहमद	1981-82	235	225	225	220
	नगर	1980-81	183	215	220	225
उड़ीसा	जयपुर	1981-82	230	195	205	230
		1980-81	195	167	190	220
पंजाब	अमृतसर	1981-82	210	190	200	235
		1980-81	185	170	170	200
तमिलनाडु	थंजावुर	1981-82	251	230	203	227
		1980-81	226	226	236	243
उत्तर प्रदेश	कानपुर	1981-82	238	185	220	235
		1980-81	192	190	216	225
पश्चिमी	सीलीगुड़ी	1981-82	270	275	280	300
बंगाल		1980-81	245	195	220	255
दिल्ली	दिल्ली	1981-82	260	295	260	280
		1980-81	210	215	235	250
आन्ध्र प्रदेश	काकीनाडा	1981-82	240	245	220	225
		1980-81	200	205	195	215
असम	नवगांव	1981-82	250	240	245	275
		1980-81	230	195	210	210
बिहार	गया	1981-82	235	238	242	257
		1980-81	210	172	230	222

विवरण-3

चीनी के मास-अन्त थोक मूल्यों को बताने वाला विवरण

(रुपये प्रति क्विंटल)

राज्य	केन्द्र	किस्म चीनी	वर्ष	दिसम्बर	मार्च	जून	सितम्बर
आन्ध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	डी-30	1980-81	660	715	715	535
			1979-80	460	570	580	850
असम	गौहाटी	सी-30	1980-81	760	790	790	605
			1979-80	440	575	600	900
बिहार	पटना	सी-30	1980-81	694	उ. न.	660	565
			1979-80	408	555	580	NR उ० न०
गुजरात	अहमदाबाद	डी-30	1980-81	700	750	700	585
			1979-80	440	565	590	NR सू० न०
केरल	एरनाकुलम	डी-30	1980-81	690	765	735	555
			1979-80	520	594	600	NR सू० न०
मध्य प्रदेश	इन्दौर	—	1980-81	695	765	715	570
			1979-80	475	550	600	850
तमिलनाडु	मद्रास	ई-30	1980-81	680	725	715	545
			1979-80	470	580	575	NR सू० न०
पंजाब	जलन्धर	डी-30	1980-81	750	810	780	635
			1979-80	569	575	685	NR सू० न०
महाराष्ट्र	अहमदनगर	ई-30	1980-81	680	740	700	575
			1979-80	445	570	590	NR सू० न०
कर्नाटक	मैसूर	डी-29	1980-81	700	735	725	595
			1979-80	306	615	600	800

1	2	3	4	5	6	7	8
राजस्थान	जयपुर	—	1980-81	700	760	715	565
			1979-80	450	550	640	NR सू० न०
उड़ीसा	सम्बलपुर	सी-30	1980-81	NA	710	NR	560
				उ० न० सू० न०			
			1979-80	NR	590	575	NR सू० न०
				सू० न०			
उत्तर प्रदेश	कानपुर	डी-30	1980-81	720	725	760	590
			1979-80	475	545	605	NR सू० न०
पश्चिमी बंगाल	कलकत्ता	डी-30	1980-81	700	750	775	925
			1979-80	420	535	610	NR सू० न०
दिल्ली	दिल्ली	—	1980-81	740	800	755	600
			1979-80	485	557	6·2	NR सू० न०

सू०=सूचित नहीं किया उ० न०=उपलब्ध नहीं

विवरण-4

भारत में मूंगफली के तेल के मास-अन्त के थोक मूल्यों को बताने वाला विवरण

(रुपये प्रति क्विंटल)

केन्द्र	वर्ष	मार्च	जून	सितम्बर	दिसम्बर
हैदराबाद	1981	1295	1435	1511	1315
	1980	900	940	910	—
राजकोट	1981	1336	1381	1594	1312
	1980	1000	1030	881	1180
बंबई	1981	1290	1373	1586	1347
	1980	955	1005	965	1150

0

1	2	3	4	5	6
मद्रास	1981	1170	1340	1400	1230
	1980	900	970	975	1130
कानपुर	1981	1200	1325	1390	1285
	1980	1010	980	1070	1070
कलकत्ता	1981	1300	1470	1580	1300
	1980	1000	1030	1150	1080
दिल्ली	1981	1240	1400	1590	1220
	1980	980	980	940	1120

विवरण-5

भारत में सरसों के तेल के मास-अन्त थोक मूल्यों को बताने वाला विवरण

(रुपये प्रति क्विंटल)

केन्द्र	वर्ष	मार्च	जून	सितम्बर	दिसम्बर
रोहतक	1981	1150	1245	1250	1200
	1980	950	1050	1180	1220
कानपुर	1981	1125	1340	1390	1350
	1980	1050	1170	1340	1310
कलकत्ता	1981	1400	1450	1430	1400
	1980	1130	1270	1450	1520
दिल्ली	1981	1091	1242	1255	1200
	1980	970	1121	1194	1212

विवरण-6

भारत में तिल के तेल के मास-अन्त तक थोक मूल्यों को बताने वाला विवरण

(रुपये प्रति क्विंटल)

केन्द्र	वर्ष	मार्च	जून	सितम्बर	दिसम्बर
हैदराबाद	1981	1380	1520	1580	1300
	1980	1220	—	1070	—
बम्बई	1981	1220	1260	1343	1248
	1980	1140	1300	925	1100
मद्रास	1981	1225	1295	1350	1310
	1980	1263	1238	988	1175
वाराणसी	1981	1500	1500	—	—
	1980	1352	1667	1625	1310

विवरण-7

भारत में नारियल के तेल के मास-अन्त थोक मूल्यों को बताने वाला विवरण ।

(रुपये प्रति क्विंटल)

केन्द्र	वर्ष	मार्च	जून	सितम्बर	दिसम्बर
कोजीकोड	1981	1350	1350	1390	1230
	1980	1200	1500	1610	1675
कोचीन	1981	1380	1330	1365	1250
	1980	1220	1500	1635	1650
बम्बई	1981	1520	1410	1508	1410
	1980	1310	1590	1730	1770
कलकत्ता	1981	1530	1550	1500	1460
	1980	1440	1510	1880	1840

पानी की व्यवस्था के लिए राज्यों को सहायता

3678. श्री रामावतार शास्त्री : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पानी व्यवस्था के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वित्तीय वर्षों का राज्यवार ब्योरा क्या है;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी हां। केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत पता लगाए गए समस्याग्रस्त ग्रामों को स्वच्छ पेय जल मुहैया कराने के लिए राज्यों सरकारों के साधनों को बढ़ाने हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है।

(ख) राज्यवार ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत दी गई निधियां।

(लाख रुपयों में)

क्रम सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1979-80	1980-81	1981-82
1.	आन्ध्र प्रदेश	215.60	435.23	376.75
2.	असम	323.15	427.11	403.45
3.	बिहार	680.45	503.36	862.50
4.	गुजरात	127.80	358.50	402.25
5.	हरियाणा	260.19	357.09	337.34
6.	हिमाचल प्रदेश	392.86	561.77	368.69
7.	जम्मू और कश्मीर	182.05	314.75	429.35
8.	कर्नाटक	69.00	248.81	485.50
9.	केरल	282.35	330.08	529.53
10.	मध्य प्रदेश	357.15	690.00	1033.75
11.	महाराष्ट्र	378.30	664.00	558.00

1 2	3	4	5
12. मणिपुर	53.55	106.03	151.32
13. मेघालय	111.60	149.00	246.12
14. नागालैंड	139.57	150.00	182.79
15. उड़ीसा	209.00	307.00	6 3.08
16. पंजाब	68.40	128.95	90.17
17. राजस्थान	205.00	559.10	1506.42x
18. सिक्किम	26.00	19.50	71.74
19. तमिलनाडु	219.37	506.00	5 9.71
20. त्रिपुरा	97.13	112.44	85.50
21. उत्तर प्रदेश	709.55	951.95	1024.15
22. पश्चिम बंगाल	6 2.72	443.50	580.96
23. अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	15.50	6.00	22.10
24. अरुणाचल प्रदेश	46.20	35.00	35.00
25. चण्डीगढ़	—	—	—
26. दिल्ली	13.10	13.50	13.50
27. दादरा तथा नगर हवेली	—	—	—
28. गोवा दमण तथा दीह	11.95	11.46	14.25
29. लक्षदीप	—	—	—
30. मिजोरम	19.05	26.25	2.47
31. पांडिचेरी	12.00	7.00	12.00
	5898.61	8424.38	10993.57

टिप्पणी : (1) इन आंकड़ों में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रबोधन तथा अनुसंधान के लिए दी गई निधियां भी शामिल हैं।

2. सूखा ग्रस्त राज्यों के लिए ड्रिलिंग रिग प्राप्त करने के लिए उनकी लागत तथा सम्बन्धित खर्च पर 1980-81 में लगभग 11 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च किया गया था।

xइसमें दो आस्ट्रेलियाई रिगों के लिए भुगतान किया गया 71.00 लाख रुपये का सीमा शुल्क भी शामिल है।

ग्रामीण रोजगार योजनाओं के लिए राज्यों को निधियों का आवंटन

3679. **श्री सुभाष चन्द्रबोस अल्लूरी :** क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण रोजगार के अवसर पैदा करने संबधी विभिन्न योजनाओं के लिए चालू वर्ष की प्रथम दो तिमाहियों के लिए सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1982-83 की प्रथम दो तिमाहियों के लिए राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को किए गए अनन्तिम आवंटन को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। (अनुबन्ध 1)। 1982-83 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रति खण्ड 8 लाख रुपए की धनराशि सुलभ की गई है जिसे केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच बराबर-बराबर के आधार पर वहन किया जाना है।

विवरण

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 1982-83 की प्रथम दो तिमाहियों के लिए राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को किए गए अनन्तिम आवंटन को दर्शाने वाला विवरण।

(लाख रुपये में)

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र का नाम	आवंटित धनराशि
1.	आन्ध्र प्रदेश	948.00
2.	असम	200.00
3.	बिहार	1210.00
4.	गुजरात	280.00
5.	हरियाणा	80.00
6.	हिमाचल प्रदेश	60.00
7.	जम्मू व कश्मीर	80.00
8.	कर्नाटक	414.00
9.	केरल	402.00
10.	मध्य प्रदेश	660.00
11.	महाराष्ट्र	710.00

1	2	3
12.	मणिपुर	10.00
13.	मेघालय	10.00
14.	नागालैंड	10 00
15.	उड़ीसा	410.00
16.	पंजाब	126.00
17.	सिक्किम	8.00
18.	राजस्थान	234.000
19.	तमिलनाडु	740.00
20.	त्रिपुरा	30.00
21.	उत्तर प्रदेश	1670.00
22.	पश्चिम बंगाल	674.00
23.	अण्डेमान व निकोबार द्वीप-समूह	16.00) बराबर
24.	अरुणाचल प्रदेश	16.00) के अन्श-
25.	मिजोरम	16.00) दान
26.	पांडिचेरी	16.00) सहित
27.	चंडीगढ़	4.00
28.	दादर व नगर हवेली	8.00
29.	गोवा, दमण व दिव	16.00
30.	लक्षद्वीप	4.00
	योग	9062.00

अण्डमान और निकोबार में स्टाकमैनों और कंपाउंडरों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र खोलना

3680. श्री मनोरंजन भक्त : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पशुपालन और पशु चिकित्सा विभाग अण्डमान और निकोबार

प्रशासन ने स्टाकमैनों और कंपाउंडरों को प्रशिक्षण देने के लिए एक प्रशिक्षण केन्द्र खोला था।

(ख) क्या यह भी सच है कि होस्टलों के निर्माण, फर्नीचर की खरीद आदि के लिए व्यय किया गया था और इस प्रशिक्षण केन्द्र के लिए एक रसोइया भी नियुक्त किया गया था,

(ग) यदि हां, तो क्या यह सच है कि सरकारी कर्मचारियों के 3 दलों को प्रशिक्षण देने के बारे में इस प्रशिक्षण केन्द्र को बंद घोषित कर दिया गया था,

(घ) यदि हां, तो इस केन्द्र को बद करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इस केन्द्र को खोलने का है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन): (क) से (ङ) अंडमान तथा निकोबार प्रशासन से जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अण्डमान और निकोबार प्रशासन के पशु चिकित्सा विभाग के कंपाउंडरों के वेतनमान

3681. **श्री मनोरंजन भक्त :** *क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :*

(क) क्या यह सच है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन के पशु पालन और पशु चिकित्सा विभाग कार्य कर रहे प्रशिक्षित कम्पाउंडरों को तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों से पूर्व 80-118 रुपए के वेतनमान में थे, जबकि अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन के चिकित्सा विभाग में कार्य कर रहे कम्पाउंडरों उस समय 85-1.0 रुपए का वेतनमान दिया जाता था,

(ख) क्या यह भी सच है कि तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, पशु चिकित्सा विभागों में कार्य कर रहे कम्पाउंडरों के वेतनमानों को संशोधित करके 210-270 रुपए और 260-400 रुपए कर दिया गया था;

(ग) यदि हां, तो वेतनमानों में इस प्रकार का भेदभाव रखे जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार पशु चिकित्सा और पशु पालन विभाग में कार्य कर रहे कंपाउंडरों के वेतनमानों में संशोधन करने का है, और

(ङ) यदि हां, तो कब तक ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (ङ.) अन्दमान तथा निकोबार प्रशासन से जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

घटिया किस्म के सपरेटा दूध के पाउडर का आयात

3682. श्री निहाल सिंह : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगस्त, 1980 में पर्याप्त मात्रा में आयात किया गया मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त घटिया किस्म के सपरेटा दूध का पाउडर इसलिए बेचा जा सका क्योंकि इसे घटिया घोषित करने वाला पत्तन प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र कुछ समय के लिए रोक लिया गया था जिससे इसे बेचा जा सके;

(ख) क्या आयातकर्त्ता इस आधार पर अपने उत्तरदायित्व से बच सकते है, कि दूध का पाउडर पशुओं के इस्तमाल के लिए बेचा गया था ; और

(ग) क्या उपरोक्त आयातकर्ताओं के विरुद्ध दर्ज कराया गया मामला अन्तिम प्राधिकारी की सलाह लिए बिना ही न्यायालय को न भेजने के योग्य घोषित कर दिया गया था ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं। जुलाई, 1980 से सितम्बर, 1980 तक की अवधि के दौरान भारतीय डेरी निगम ने विदेश से लगभग 2500 मीटरी टन स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण उपहार स्वरूप प्राप्त किया था, जिसमें से 27 मीटरी टन मानव खपत के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया। यह भंडार अभी भारतीय डेरी निगम के पास है और उपहार दाताओं की अनुमति से नष्ट करने का प्रस्ताव किया गया ;

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं होता।

"नेफेड" की गतिविधियों के संबंध में नेहर सिंह समिति

3683. श्री निहाल सिंह : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "नेफेड" की गतिविधियों के सम्बन्ध में नेहर सिंह समिति के प्रतिवेदनों की जांच की है;

(ख) क्या यह सच है कि समिति के प्रतिवेदनों के अनुसार लाखों रुपयों के मूल्य की विभिन्न वस्तुएं सम्बद्ध अधिकारियों को सप्लाई करने के स्थान पर गैर-सरकारी पार्टियों को अन्तरित की गई है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार हुई हानि का ब्योरा क्या है और उसके लिए किसे उत्तर-दायी पाया गया है, और

(घ) सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) नेफेड के निदेशक मण्डल 23-5-81 को हुई अपनी बैठक में "कर्मचारियों की शिकायतों की जांच करने के नाहर सिंह समिति का गठन किया था। जब समिति कर्मचारियों ने कहा कि उनकी मुख्य शिकायत नेफेड़ के अध्यक्ष के विरुद्ध है और उन्होंने नेफेड़ के अध्यक्ष के विरुद्ध कुछ आरोप समिति के सामने प्रस्तुत किए। समिति जब तथ्यों को रिकार्ड कर रही थी और अध्यक्ष पर लगाए गए आरोपों से संबन्धित कागजातों की जांच कर रही थी, बीच नेफेड के निदेशक मण्डल ने 2-8-81 की हुई अपनी बैठक में निश्चय किया कि निदेशक मण्डल अध्यक्ष संबन्धित मामलों पर विचार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं। अतः नाहर सिंह समिति निदेशक मण्डल की कोई रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व ही भंग कर दिया गया। इसलिए नाहर सिंह समित की रिपोर्ट पर सरकार द्वारा जांच करने का प्रश्न नहीं होता।

(ख) समिति ने न तो कोई रिपोर्ट तैयार की थी और न ही कोई निष्कर्ष प्रस्तुत किये थे इसके पास केवल आदान-प्रदान से सम्बन्धित कुछ कागजात एवं निदेशक मण्डल के सामने प्रस्तुत के लिए कुछ पत्र भी थे।

(ग) से (घ) प्रश्न नहीं होते।

विदेशी मत्स्य नौकाओं को किराए पर देना

3684. श्री हाल सिंह : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कम्पनियों ने वर्ष 1977, 1978, 1979 और 1980 के दौरान लाइसेंस के अन्तर्गत मछली पकड़ने के लिए कितनी विदेशी नौकाएं किराये पर लीं,

(ख) ऐसी विदेशी मत्स्य नौकाएं कितनी है और कौन-कौन सी भारतीय कम्पनियां मछली पकड़ने के लिए उनका उपयोग कर रही हैं,

(ग) वर्ष 1977,1978,1979 और 1980 में विदेशों से किराये पर ली गई इन मत्स्य नौकाओं के उपयोग से अर्जित सफल विदेशी-मुद्रा के आंकड़े क्या हैं; और

(घ) क्या विदेशों से किराये पर ली गई इन मत्स्य नौकाओं के ईंधन को बेच दिया गया था ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) भाड़े में लिए गए जलयानों की संख्या

1977	—	2
1978	—	25
1979	—	69
1980	—	33

	(ख) भारतीय कम्पनी का नाम	भाड़े पर लिए गए जलयानों की सं०	जलयानों केकार्य की अवधि
1.	मैसर्स इण्टर नेशनल सी फूड प्रा० लि०	2	अगस्त 77 से 78 तक
2.	मैसर्स टाटा आयल मिल्स कम्पनी प्रा० लि०	22	मार्च, 1978 से दिसम्बर 1980 तक
3.	मैसर्स केलबेक्स इंटरनेशनल लि०	1	मार्च, 78 से दिसम्बर 78 तक
4.	मैसर्स यूनिवर्सल फूड प्रा० लि०	10	जनवरी, 79 से मार्च 81 तक
5.	मैसर्स गोल्डर हिन्द शिपिंग कम्पनी प्रा० लि०	25	जनवरी,से 79 से दिसम्बर 80 तक
6.	मैसर्स पीजये इन्डोबुलगारियन फिसरीज लि०	2	दिसम्बर, 78 से जून, 79 तक

(ग) भारतीय कम्पनियों के विवरणियों के अनुसार 1978 में 722.268 अमरीकी डालर, 1979 में 18,84,852 अमरीकी डालर 1 80 में 139,386 अमरीकी डालर की निबल आय हुई । दो जलयान जो 1977 में काम पर लगे थे, ने कुल पकड़ी गई मछलियां आंध्र प्रदेश मात्स्यिकी निगम को बेच दी। इस कारोबार संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं है ।

(घ) जी, हां ।

तमिलनाडु में वीरासम पेयजल परियोजना

?6°5. श्री ईरा अनबारासु : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु ने वीरासम पेयजल परियोजना की कुल लागत क्या है :

(ख) इस परियोजना के कार्य निष्पादन में अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है ;

(ग) इस परियोजना का कार्य छोड़ने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार ने इस परियोजना की सभाव्यता का अध्ययन करने हेतु एक विशेषज्ञ दल की नियुक्ति की थी ;

(ड.) उनकी रिपोर्ट का क्या परिणाम निकला ; और

(घ) क्या पयिोजना को पुन: जीवित करने हेतु कोई प्रस्ताव है।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (घ) पेय जल पूर्ति राज्य का विषय है। तदनुसार, वीरानम परियोजना से संबंधित ब्यौरे तमिलनाडु सरकार के पास उपलब्ध होंगे। जहां तक केन्द्रीय सरकार को मालूम है, वीरानम परियोजना समाप्त कर दी गई है और तमिलनाडु सरकार मद्रास शहर के लिए या तो कावेरी या कृष्णा नदी से पानी लाने के वैकल्पिक प्रस्ताव पर विचार कर रही है। राज्य सरकार ने पानी के स्रोत के अन्तिम निर्णय के संबन्ध में अभी तक कोई जानकारी नहीं दी।

अधिक मूल्य के कारण उर्वरकों की कम खपत

3686. श्री बी० वी० देसाई :

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों के उत्पादन में सुधार होने की स्थिति पर भी देश में उर्वरकों की खपत की वृद्धि दर में कमी होने का एक प्रमुख कारण उर्वरकों का अधिक मूल्य होना है;

(ख) क्या यह अनुमान लगाया गया था कि उर्वरक मूल्यों में अत्याधिक वृद्धि से राज-सहायता में भारी कमी हो जायेगी लेकिन यह अनुमान गलत निकला है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि वर्ष 1981-82 में उर्वरकों पर 365 करोड़ रुपए की राज सहायता दी गई थी और वर्ष 1982-83 के लिए राज सहायता 600 करोड़ रुपए होने का अनुमान है ;

(घ) यदि हां, तो क्या इसके अनुसार उर्वरकों के मूल्य में कमी करना संभव नहीं होगा ; और

(ङ.) यदि हां, तो इस स्थिति को देखते हुए कि उर्वरकों के अधिक मूल्यों के कारण देश में उर्वरकों की खपत की वृद्धि दर में कमी हुई है सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (ङ.) उर्वरकों की खपत मौसम की परिस्थितियों, सिंचाई, फसल की किस्मों, ऋण की उपलब्धि, उर्वरकों के मूल्यों आदि जैसे कई बातों पर निर्भर करती है। 1980-81 के दौरान उर्वरकों के मूल्यों में लगभग 38 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा 1981-82 में लगभग 17.5 प्रतिशत की और वृद्धि हुई। कच्ची सामग्री यातायात आदि की लागत में तेजी से वृद्धि होने के कारण उर्वरकों के मूल्यों में यह वृद्धि करनी पड़ी। तथापि, उपरोक्त मूल्य वृद्धि के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

(1) समर्थन/अधिप्राप्त मूल्य निर्धारित करते समय कृषि मूल्य आयोग उर्वरकों के मूल्यों में हुई-वृद्धि को भी ध्यान में रखता है।

(2) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लघु और सीमान्त किसानों को उर्वरकों पर राज सहायता दी जा रही है।

(3) सरकार ने उर्वरकों के प्रभावी उपयोग की आवश्यकता पर जोर दिया है।

(4) सरकारी लागत पर खण्ड मुख्यालयों तक भाड़े की पूर्व अदायगी करके किसानों को उर्वरक दिए जा रहे हैं; और

(5) भारतीय रिजर्व बैंक को सलाह दी गई है कि वह किसानों के लिए पर्याप्त ऋण की उपलब्धि सुनिश्चित करे।

उपर्युक्त उपायों के परिणामस्वरूप, उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि होते के बावजूद 1980-81 1981-82 दोनों वर्षों में उर्वरकों की खपत में वृद्धि हुई, जैसा कि निम्नलिखित सारणी में गया है :—

वर्ष	खपत
	(लाख मीटरी टन) (एन+पी+के)
1979-80	52.55
1980-81	55.16
1981-82	60.64

1979-80 के दौरान, उर्वरकों पर 602.67 करोड़ रुपए की राज सहायता दी गयी थी। 1980-81 के दौरान यह देखा गया कि 1979-80 के मूल्यों के आधार पर राजसहायता सम्भवतया 1200 करोड़ रुपए से अधिक होगी। राजसहायता को उचित स्तर पर बनाए रखने की दृष्टि से मूल्यों में वृद्धि करनी पड़ी। इसके परिणाम स्वरूप 1980-81 के दौरान राजसहायता घटकर 505 करोड़ रुपए हो गयी। 1981-82 में और वृद्धि होने से राज सहायता घटकर 365 करोड़ रुपए हो गई। 1982-83 के दौरान राजसहायता देशी उत्पादन और आयात की मात्रा पर निर्भर करेगी।

बिहार को चीनी की सप्लाई

3687. श्री भोगेन्द्र झा: क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूरे देश में राज्यवार और बिहार को जिलावार सप्लाई की गई चीनी की कुल मात्रा और प्रति व्यक्ति मात्रा कितनी है ; और

(ख) बिहार को अनुपातहीन सप्लाई करने के क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) और (ख) विभिन्न राज्यों को आवंटित किए जा रहे लेवी चीनी के मासिक कोटे के प्रति 19 राज्य सरकारें/केन्द्र शासित प्रदेश संबंधित फैक्ट्रियों से चीनी उठाने और उसको उचित दर की दुकानों को सप्लाई करने की व्यवस्था स्वयं कर रही है जबकि बिहार सहित शेष 12 राज्यों केन्द्र शासित प्रदेशों के मामले में, भारतीय खाद्य निगम इन कार्यों को कर रहा है।

2. 1.3.1981 की जनसंख्या के संदर्भ में 425 ग्राम प्रति व्यक्ति उपलब्धता के आधार पर अप्रैल, 1982 से लेवी चीनी के राज्यवार मासिक कोटे को फिर से निर्धारित किया गया था। कुछ राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के पहले के मासिक कोटे, जिनमें प्रति व्यक्ति को अपेक्षाकृत

अधिक चीनी उपलब्ध की जा रही थी, में कमी नहीं की गई थी, अर्थात् उन्हें पहले के ऊंचे स्तर पर ही बनाए रखा गया था। उचित दर की दुकानों से वितरित करने के लिए लेवी चीनी के राज्यवार मासिक कोटे की मात्रा और उससे प्रति व्यक्ति उपलब्धता परिशिष्ट के विवरण में दी गई है। अतः विभिन्न राज्यों के लेवी चीनी के मासिक कोटे समान कसौटी के आधार पर निर्धारित किए गये हैं और बिहार को कोई अनुपातहीन आवंटन नहीं किया जाता है। केन्द्रीय सरकार समूचे राज्य के कोटे को आवंटित करती है और राज्य सरकारें जिलेवार उप-आवंटन स्वयं करती हैं।

विवरण

1.3.1981 की जनसंख्या के आधार पर 425 ग्राम प्रति व्यक्ति उपलब्धता सुनिश्चित करने वाले लेवी चीनी के राज्यवार मासिक कोटे को बताने वाला विवरण (अप्रैल, 1982 से प्रभावी)।

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	1.3.81 को जनसंख्या	425 ग्राम प्रति व्यक्ति उपलब्धता से सुनिश्चित करने वाला कोटा (मीटरी टन)	वे राज्य जिनकी पहले कोटे से प्रति व्यक्ति उपलब्धता 425 ग्राम अधिक है।
1.	आन्ध्र प्रदेश	53403619	22696	
2.	असम	19902826	8459	
3.	मिजोरम	487774	207	
4.	बिहार	69823154	29675	
5.	गुजरात	33960905	14433	
6.	हरियाणा	12850902	5462	
7.	हिमाचल प्रदेश	4237569	1801	
8.	जम्मू तथा कश्मीर	5981600	2542	
9.	केरल	25403217	10796	
10.	मध्यम प्रदेश	52131717	22156	

1	2	3	4	5
11.	महाराष्ट्र	62693898	26645	
12.	कर्नाटक	37043451	15743	
13.	नागालैण्ड	773281	340	नागालैंड 440 ग्राम
14.	उड़ीसा	26273050	11166	
15.	पंजाब	16669755	7085	
16.	राजस्थान	34102912	14494	
17.	तमिलनाडु	48297456	20526	
18.	उत्तर प्रदेश	11085819	47111	
19.	पश्चिमी बंगाल	54485560	23156	
20.	अण्डमान तथा निकोबार	188254	190	अण्डमान तथा निकोबार 009 ग्राम
21.	चण्डीगढ़	45001	275	चण्डीगढ़ 611 ग्राम
22.	दादर तथा नगर हवेली	103677	44	
23.	दिल्ली	6196414	6104	दिल्ली 985 ग्राम
24.	गोआ, दमन तथा दीव	1082117	470	गोआ, दमन और दीव 431 ग्राम
25.	लक्ष्य	40237	65	
26.	मणिपुर	1433691	609	लक्षद्वीप 1615 ग्राम
27.	मेघालय	1327874	564	
28.	अरुणाचल प्रदेश	628050	267	
29.	पांडिचेरी	604136	257	
30.	त्रिपुरा	2060189	876	
31.	सिक्किम	315682	134	
	जोड़	683810051	294348	

सरोजिनी नगर में पानी की सप्लाई

3688. श्री भीखा भाई : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरोजिनी नगर के एल० एम० और के० ब्लाकों की पहली मन्जिल में गत छह दिनों से पानी नहीं आ रहा है;

(ख) क्या इस पानी को सरोजिनी नगर (मार्किट क्षेत्र के निकट) में सी० डी० ई० जी०, एच० और आई० ब्लाकों में भेज दिया गया है जहां पानी की कोई समस्या नहीं है;

(ग) क्या नई दिल्ली नगरपालिका ने के० ब्लाक, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली में भूमिगत टैंक का निर्माण करने के लिए लाखों रुपये खर्च किए है ताकि एल० एम० और के० ब्लाकों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सके ; और

(घ) दूसरी ओर पानी भेजने के लिये कोन व्यक्ति जिम्मेदार हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, हां।

(घ) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

भूमि सुधार के उपायों की क्रियान्विति

3689. श्री भोगेन्द्र झा : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने भूमि सुधारों के विभिन्न उपायों की क्रियान्विति की निर्धारित तिथि मार्च, 1983 निर्धारित की है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त उपायों की पूर्ण क्रियान्विति सुनिश्चित करने के लिये उचित प्रशासनिक राजनैतिक और अन्य उपाय किए गए हैं ;

(ग) क्या यथासंभव सक्रिय राजनैतिक समर्थन सुनिश्चित करने के लिए खंड स्तर पर लोक प्रिय समितियां, जिसमें सभी, राजनैतिक तथा अन्य प्रतिबद्ध तत्वों के लोग होंगे, गठित करने का विचार है , और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) छठी योजना प्रलेख में यह परिकल्पना की गई थी कि अधिकतम सीमा से फालतू भूमि को कब्जे में लेने और उसे वितरित करने का कार्य 1982-83 तक पूरा हो जाएगा।

(ख) अधिकतम सीमा से फालतू अधिकांश भूमि जिस पर कब्जा करना सम्भव नहीं हुआ है, अदालती मामलों में फंसी हुई है। भूमि सुधार उपायों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे सभी कानूनी अड़चनों को दूर करके अधिकतम सीमा से फालतू भूमि का शीघ्र वितरण करें और भूमि अभिलेखों को अद्यतन बनाने हेतु विभिन्न उपाय अपनाएं। ये उपाय 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत भी शामिल हैं।

(ग) व (घ) राज्य सरकारों ने 20-सूत्री कार्यक्रम के प्रबोधन के लिए जिला तथा खण्ड स्तरों सहित विभिन्न स्तरों पर समितियों का गठन किया है।

नौवहन विकास निधि समिति के पास वित्तीय सहायता के लिए लम्बित आवेदन

3690. श्री के० राममूर्ति : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवहन विकास निधि समिति के पास लम्बित पड़े उन आवेदन-पत्रों का ब्यौरा क्या है जो राज्य मत्स्य निगम तथा अन्य प्राइवेट पार्टियों से वित्तीय सहायता के लिए प्राप्त हुए हैं, और

(ख) उन राज्य मत्स्य निगमों के नाम क्या है जिन्होंने मत्स्य-नौकाएं खरीदने के बजाय किराए पर ली हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जहाजरानी विकास निधि समिति ने सूचना दी है कि उनके पास राज्य मात्स्यकी निगम तथा निजी पार्टियों का कोई आवेदन पत्र लम्बित नहीं पड़ा है। तथापि, जहाजरानी विकास निधि समिति के पास लम्बित पड़े निजी कम्पनियों के दो मामले कम्पनियों द्वारा औपचारिकताएं पूरी न करने के कारण रद्द हो गये हैं, उनका ब्यौरा निम्नलिखित हैं :—

कम्पनी का नाम	आयात किए जाने वाले ट्रालरों की संख्या	ऋण की राशि
मैसर्स वेस्टर्न वाटर क्राफ्ट एंड फिशिंग (प्रा०) लि० हैदराबाद	1	30,00 लाख रु०
मैसर्स प्रकाश मैराइन्स एक्सपोर्टस (प्रा०) लि०, हैदराबाद	2	116.54 लाख रु०

(ख) किसी भी राज्य मात्स्यकी निगम ने मत्स्यन ट्रालरों को किराये पर नहीं दिया।

छोटे किसानों से ऋण वसूली

3692. श्री बी० वी० देसाई : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि है कि सरकार ने रबी मौसम के दौरान बेमौसमी वर्षा से बुरी तरह से प्रभावित हुए छोटे किसानों से ऋण की वसूली रोकने का निर्णय किया है ।

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने कृषकों को ऋणों का भुगतान करने के लिए उन्हें एक महीने का समय बढ़ाने की अनुमति दी थी;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाये हैं कि इसके कारण किसानों को अधिक हानि न हो;

(घ) क्या ऋणों की वसूली स्थगित करने का प्रस्ताव 4 हैक्टेयर भूमि रखने वाले किसानों तक ही सीमित रखा जायेगा;

(ङ) यदि हां, तो क्या बड़े किसान इस सुविधा का लाभ नहीं उठा सकेंगे ; और

(च) इस योजना के अन्तर्गत कुल कितने किसान लाभान्वित होंगे और राज्यों में कुल कितने किसान लाभान्वित होंगे ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (च) कृषि सम्बन्धी ऋणों के लिए विद्यमान सस्थागत ऋण व्यवस्था के अन्तर्गत, प्रतिकूल जलवायु सम्बन्धी स्थितियों से प्रभावित क्षेत्रों मे किसानों को राहत देने के लिए पहले ही तैयार किए गए उपाय हैं। इन उपायों में अल्पावधि ऋणों को मध्यम अवधि ऋणों में बदलने की सुविधायें, जिसके लिए भारत सरकार राज्य सरकारों के माध्यम से वित्तीय सहायता देती है तथा मध्यम अवधि और दीर्घावधि ऋणों के सम्बन्ध मे किश्तों की अदायगी का स्थागत पुनः निर्धारण करना शामिल है। गत रबी मौसम के दौरान देश के कुछ भागों मे बेमौसमी वर्षों से उत्पन्न समस्या के बारे में भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक और प्रभावित राज्यों की राज्य सरकारों को सलाह दी है कि वे स्थिति का मूल्यांकन करें तथा ऋणों की पुनः अदायगी के लिए अवधि को बढ़ाने तथा ऋणों की वसूली के स्थगन सम्बन्धी अन्य उपायों सहित उपर्युक्त उपचारात्मक उपाय करे।

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार ने बेमौसमी वर्षा से हुई हानि की पूर्ति करने के लिए राज्यों से प्राप्त गेहूं के बारे में कमेटी की विशिष्टताओं में कुछ हद तक छूट दी है। इन सभी

उपायों से प्रभावित किसानों की बड़ी संख्या को लाभ मिलने की आशा है । भारतीय रिजर्व बैंक 30 जून से 31 जुलाई, 1982 के लिए एक महीने तक वसूल की तिथि को बढ़ाने के प्रश्न पर विचार करने के लिए सहमत हो गया है ।

खाद्य तेलों के उत्पादन में वृद्धि

3693. श्री अर्जुन सेठी : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत खाद्य तेलों के मामले में आत्म-निर्भर है और व्यावहारिक तथा साधारण कदम उठाकर आयात रोकने के लिए एक सीमित अवधि में ही खाद्य तेलों का उत्पादन आसानी से बढ़ा सकता है तथा निर्यातक बन सकता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस समय खाद्य तेलों के आयात के कारण राष्ट्र को भारी विदेशी मुद्रा चुकानी पड़ रही है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या देश में खाद्य तेलों का उत्दान बढ़ाने के कुछ संभव उपाय सुझाने के लिये सरकार ने कोई विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है और यदि हां तो तत्संबंधी ब्योरा क्या हैं ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में उप मन्त्री (श्री महोम्मद उसमान आरिफ) : (क) जी नहीं । जहां तक खाद्य तेलों का संबंध है, भारत इस समय आत्मा-निर्भर नहीं है । वनस्पति तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने तथा उसमें विविधता लाने के लिए छठी पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत कई स्कीमें शुरू की गयी हैं, जिसके परिणामरूप, देश में खाद्य तेलों की मांग और उनकी उपलब्धता के बीच के अन्तर को अगले कुछ वर्षों के दौरार काफी हद तक कम किए जाने की संभावना है ।

(ख) जी हां । इस समय, हर वर्ष विदेशी मुद्रा की एक काफी बड़ी राशि का भुगतान करके खाद्य तेलों का आयात किया जाता है ।

(ग) खाद्य तेलों की एक दीर्घावधि योजना तैयार करने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित किए गए अन्तर-मंत्रालय अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट 1978 में प्रस्तुत की । इस प्रयोजन के लिए कई कार्यक्रम आरम्भ किये गये हैं और कई तैयार किए जा रहे हैं ।

दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि

3694. श्री राम लाल राही : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दैनिक उपयोग की वस्तुओ जैसे कि ग्रोसरी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो रहा हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) : (क) गत तीन महीनों के दौरान आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में मिश्रित रुख रहा है। कुछ आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांकों में वृद्धि हुई है, कुछ के गिरे है और अन्य के स्थिर रहे हैं।

(ख) सरकार आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर लगातार नजर रखे हुए है। सरकारी नीति में प्रमुख बल आवश्यक वस्तुओं, विशेष रूप से कम मात्रा में उपलब्ध वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाकर उनकी उपलब्धता में सुधार लाना है। सरकार द्वारा किये जा रहे अन्य उपायों में ये शामिल हैं :— कुछ वस्तुओं के देश में हो रहे उत्पादन में आयात द्वारा वृद्धि करना, आधार ढांचे संबधी सुविधाओं में सुधार लाना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार करना। राज्य सरकारें आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा इसी प्रकार के अन्य कानूनों के अन्तर्गत जारी किए गये विभिन्न आदेशों को कार्यान्वित कर रही हैं।

राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित खाद्य तेल की बिक्री से अर्जित धन

3695. **श्री अटल बिहार वाजपेयी :**

श्री सूरज भान : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम ने वर्ष 1980-81 में उचित दर दुकानों के माध्यम से आयातित तेल की बिक्री से 90 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया ;

(ख) खाद्य तेल और वनस्पति के खुले बाजार की कीमतों को कम करने में सहायता देने के लिए इसे न-लाभ-न-हानि के आधार पर क्यों नहीं बेचा गया ; और

(ग) इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) : (क) से (ग) राज्य व्यापार निगम सरकार की ओर से खाद्य तेलों का आयात करता है और उन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किये गये मूल्यों पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों सार्वजनिक वितरण के लिए तथा वनस्पति उद्योग को वनस्पति के उत्पादन के लिए देता है। इस कार्य में होने वाली कोई भी बचत या घाटा सरकार के खाते में, जैसी भी स्थिति हो, उसके अनुसार जमा किया जाता है या खर्चे में डाल दिया जाता है।

आयातित खाद्य तेलों के निर्गम मूल्य देशी खाद्य तेलों के खुले बाजार के मूल्यों की तुलना में कम रहे हैं। देशी खाद्य तेलों के खुले बाजार के मूल्यों और आयातित खाद्य तेलों के मूल्यों के बीच भारी अन्तर होने से इस बात को बढ़ावा मिलने की संभावना है कि आयातित तेलों का इस्तेमाल अन्य अनधिकृत प्रयोगों के लिए किया जाए। इससे पकाने के एक आवश्

श्यक साधन की आम उपभोक्ता को उचित मूल्यों पर सप्लाई सुनिश्चित कराने की सरकारी नीति के मुख्य उद्देश्य को हानि पहुंचेगी। खाद्य तेल के व्यापार से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त राशि को केन्द्रीय राजकोष में जमा करा दिया जाता है, जहां से विकास-गतिविधियों के लिए वित्त की व्यवस्था की जाती है।

कृषि परामर्श दात्री संगठन की स्थापना करना

3696. श्री बी० वी० देसाई : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि परामर्श दात्री संगठन की स्थापना किए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की सभावना है;

(ग) क्या प्रस्तावित संगठन का मुख्य उद्देश्य कृति परामर्शदात्री एवं जानकारी के निर्यात का संवर्धन है;

(च) क्या यह भी सच है कि सरकार निर्यात की बहुत अधिक सभावनाओं को देखते हुए इस क्षेत्र में बहुत अधिक रुचि ले रही है; और

(ङ) क्या यह भी सच है कि भारत कृषि विकास में पहले ही ख्याति अर्जित कर चुका है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ग) जी हां।

(घ) जी हां।

(ङ) जी हां।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन

3697. श्री बी०वी० देसाई : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के जरिए समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का देशव्यापी प्रभाव का मूल्यांकन करने का निर्णय किया है :

(ख) क्या राज्यों को कहा गया है कि वे समाज के कमजोर वर्गों पर कार्यक्रम के प्रभाव का शीघ्र सर्वेक्षण करें :

(ग) क्या कुछ राज्य पहले ही ऐसा सर्वेक्षण कर चुके है;

(घ) किन राज्य ने सर्वेक्षण किया है और क्या उन्होंने केन्द्र को अपने प्रतिवेदन भेजे हैं;

(ङ) तत्संबंधी मुख्य निष्कर्ष क्या हैं; और

(च) इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) से (ङ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

(च) समन्वित ग्रामीण विकास कर्यक्रम जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों तथा विकास खण्डों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वित को सुनिश्चित करने हेतु जिला ग्रामीण विकाश एजेंसियों को सुदृढ़ बनाया गया है। खण्ड स्तरीय प्रशासनिक तंत्र को भी सुदृढ़ किया जा रहा है तथा भारत सरकार द्वारा प्रयोजना के लिए 50 प्रतिशत निधियां सुलभ की जाती हैं। चूंकि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति संस्थागत वित्त की उपलब्धता के साथ जुड़ी हुई है अतः योजना आयोग के सदस्य सचिव को अध्यक्षता में कार्यक्रम के लिए ऋण सहायता के बारे में आने वाली विभिन्न अड़चनों का पता लगाने तथा उचित उपचारी कार्यवाही करने के लिए उच्चाधिकार समिति का गठन किया गया है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए ऋण सहायता सुलभ करने हेतु जिला तथा खण्ड स्तरों पर मशीनरी को मजबूत बनाने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। निगरानी प्रबंधों को भी मजबूत बनाया जा रहा है और प्रत्येक राज्य और केन्द्र शामिल क्षेत्र के निष्पादन का केन्द्रीय दलों द्वारा क्षत्रीय दौरे करके नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाता है।

विवरण

यद्यपि विभिन्न एजेंसियों द्वारा अलग-अलग राज्यों में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम से संबंधित मूल्यांकन अध्ययन किए जाने की सूचना मिली है, लेकिन मंत्रालय को केवल केरल से उस राज्य में राज्य आयोजन बोर्ड द्वारा किए गए मूल्यांकन अध्ययन के बारे में ही एक व्यापक रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इस कार्यक्रम को सभी विकास खण्डों में चलाए जाने से पहले मार्च 1980 में संदर्भित अवधि के लिए अध्ययन किया गया था। इस अध्ययन के अन्तर्गत 11 खण्डों को लिया गया है और 527 लाभभोगी परिवारों तथा 220 गैर-लाभभोगी परिवारों और 95 जानकार व्यक्तियों से जो किसी न किसी प्रकार से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन से संबंधित थे, सूचना एकत्र की गई थी। उस अध्ययन के निम्नलिखित मुख्य निष्कर्ष हैं :

(1) सहायता प्राप्त लाभभोगियों का एक बड़ा भाग श्रमिक वर्ग है जिनके पास सामान्य: कोई परिसम्पति नहीं है अथवा कम परिसम्पति है;

(2) कृषि तथा सम्बद्ध गतिविधियों पर काफी बल दिया गया है और लघु उद्योग योजनाओं पर कम बल दिया गया है।

(3) लाभभोगियों के लिए ब्याज की विभिन्न दर के अन्तर्गत ऋण-सहायता का प्रतिशत कम रहा है।

(4) शुरू की गई अधिकांश योजनाएं कम अवधि की थी तथा ऐसे मामलों में आय में कुल वृद्धि पर्याप्त रही है। शुद्ध आय में वृद्धि अपेक्षाकृत कम रही है। वार्षिक परिवारिक आय के संबंध में सहाय्यित परिवारों के 186 प्रतिशत ने गरीबी की रेखा पार कर ली है। 60 प्रतिशत लाभभोगियों के मामले में रोजगार में कुछ वृद्धि हुई है।

प्रोजेक्ट टाइगर द्वारा सटेललाईट मिनी-कोर क्षेत्र स्थापित किया जाना

3698* **डा० कृपा सिंधु भोई :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रोजेक्ट टाइगर का विचार अपने संरक्षित क्षेत्र के यूनिट का विस्तार करने के लिए मध्य प्रदेश में कान्हा बाघ आरक्षित क्षेत्र के बाहर दो सेटेललाईट मिनी-कोर क्षेत्र स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या सहयोग प्रदान किया जा रहा ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर०वी० स्वमीनाथन) : (क) जी हां।

(ख) निकटवर्ती वन क्षेत्र, जो आरक्षित क्षेत्र के दोनों तरफ फैला हुआ है, प्रत्येक लगभग 100 वर्ग किलो मीटर के दो सैटेलाइट मिनी कोर क्षेत्रों को कान्ह बाघ आरक्षित क्षेत्र के क्रमशः पूर्व और पश्चिम में स्थापित करने का प्रस्ताव है,। इन मिनी कोर क्षेत्रों के संरक्षण और प्रबंध की स्थिति वैसी ही होगी जैसी मुख्य कोर क्षेत्र की है। इस का उद्देश्य कान्हा के मुख्य पारिस्थितिक एकक के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र का विस्तार करना है।

(ग) मिनी कोर क्षेत्रों के संरक्षण और विकास पर खर्च की जाने वाली अतिरिक्त लागत का 50 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

कपास और चावल उत्पादन प्रौद्योगिक का अध्ययन करने के लिए रूस के कृषि वैज्ञानिकों का दौरा

3669. श्री कुम्भा राम आर्य : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कपास और चावल उत्पादन प्राद्योगिकी का अध्ययन करने के लिए रूस के कृषि विशेषज्ञों के एक दल ने भारत का दौरा कब किया था ;

(ख) दल ने इस प्रौद्योगिकी का अध्ययन कितने दिन किया ; और

(ग) क्या रूस के कृषि विशेषज्ञों ने इस अध्ययन का ब्यौरा प्रस्तुत किया था ; और

(घ) यदि नहीं, तो उनके क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) कृषक आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत 8 रूसी कृषि विशेषज्ञों के एक शिष्टमडल ने 4 से 15 सितम्बर, 1980 तक भारत का दोरा किया था।

(ख) 12 दिन।

(ग) जी, नही।

(घ) शिष्टमडल के सदस्यों ने चावल तथा कपास की उन्नत उत्पादन प्रोद्योगिकी की जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत का दौरा किया, ताकि वे रूस मे उसे अपने खेतों में अपना। वक। करार क तहत दोरे में भाग लेने वाले रूसी अथवा भारतीय अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की व्यवस्था नही है। अतः उनक द्वारा भारत सरकार को कोई रिपाट प्रस्तुत नहीं की गई गई थी।

किसानों में खाद्यान्नों के "मनी किट् किट्स" का बिवरण

3700. श्री कुम्भा राम आर्य : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या है जिनमें "मिनी किट" कार्यक्रम के अन्तर्गत किसान में चावल, गेहूं, मक्का, मिलेट, तथा रागी के मिनी किट बांटे गये थे :

(ख) किसानों में मिनी किट्स के वितरण की कसोटी क्या निर्धारित की गई थी ; और

(ग) लघु तथा सीमान्त किसानों में कितने मिनी किट्स वितरित किए गए ?

कृषि ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) जिन राज्यों में 1982-83 के दौरान खाद्यान्नों के मिनिकिट बांटे जा रहे हैं उनकी सूची संलग्न अनुबन्ध में दी गई है।

(ख) राज्य सरकारों पर इस बात के लिए जोर दिया दिया गया है कि मिनिकिट प्रदर्शन किसानों के खेतों में किए जाने चाहिए और इस मामले में छोटे तथा सीमान्त किसानों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

(ग) इस प्रकार की जानकारी एकत्र नहीं की गई है।

विवरण

उन राज्य सरकारों की सूची जहां 1982-83 के दौरान खाद्यान्नों के मिनिकिट बांटे जा रहे हैं :—

क्रम सं०	फसल	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
1.	चावल	सभी राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र
2.	ज्वार	आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, गुजरात तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान
3.	बाजरा	आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा दिल्ली।
4.	मक्का	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंश्चिम बंगाल, असम, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, और अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह।
5.	रागी	आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र,

1	2	3
		तमिलनाडु, दादर नगर हवेली, गोवा, दमन तथा दीव, पांडिचेरी, अरुणाचल, प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल ।
6.	छोटे कदन	महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश ।
7.	गेहूं	असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली ।

देश में सहकारी चीनी मिल

3701. **श्री कुम्भा राम आर्य** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कुल कितनी सहकारी चीनी मिलें हैं और वे कहा-कहा स्थित हैं ;

(ख) प्रत्येक मिल की उत्पादन क्षमता क्या है,

(ग) क्या ये मिलें लाभ कमा रही हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयो में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) और (ख) जानकारी अनुबन्ध में दी गई है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 4390/82]

(ग) और (घ) 1979-80 में काम करने वाले 139 सहकारी चीनी कारखानों में से 97 एककों को घाटा होने की खबर थी । वर्ष 1980-81 के लिए 85 सहकारी चीनी कारखानों के वित्तीय परिणाम प्राप्त हुए थे । इनमें से 57 एककों को घाटा होने की जानकारी प्राप्त हुई है । 1979-80 के दौरान घाटे के मुख्यकरण ये थे चीनी की खुली बिक्री से कम आमदनी होना, प्रोत्साहन योजना को बन्द करना और क्षमता उपयोग करना। 1980-81 के दौरान भी गन्ने की अपर्याप्त सप्लाई के कारण क्षमता का कम उपयोग हुआ, जिससे कई कारखानों को नुकसान पहुंचा ।

देश में सहकारी शीतागार का कार्य निष्पादन

3702. श्री कुम्भ राम आर्य : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सहकारी शीतागार संयंत्रों की राज्यवार संख्या कितनी है और वे कहां-कहां स्थित हैं ;

(ख) क्या सभी सहकारी शीतगार लाभ में चल रहे हैं या उनमें से कुछ घाटे में चल रहे है ; और

(ग) उनके घाटे में चलने के कारण क्या हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) 31-382 तक 138 सहकारी शीतागारों की स्थापना की गयी थी। राज्यवार संख्या और स्थान अनुबन्ध में दिए गए हैं।

(ख) तथा (ग) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार कुछ सहकारी शीतागार घाटे में चल रहे थे। घाटे के कारण विभिन्न इकाइयों में भिन्न-भिन्न थे। निर्माण सामग्री, संयंत्र और मशीनरी की लागत में भारी वृद्धि के कारण अधिक पूंजी निवेश, बिजली और बीमें की बढ़ी दरें, कुछ राज्य सरकारों द्वारा कम किराया नियत करने, अनिश्चित बिजली सप्लाई, डीजल सेटों का इस्तेमाल करना, जिससे संचालन खर्चे में वृद्धि होती है, विभिन्न कारणों से क्षमता का कम उपयोग होना, सहकारी समितियों द्वारा अप्रभावी प्रबन्ध आदि घाटे के मुख्य कारण थे।

विवरण

सहकारिता के क्षेत्र में (स्थापित) राज्यवार स्थानों पर शीतागार

क्र० संख्या	स्थान	क्षमता (टनों में)
आन्ध्र प्रदेश		
1.	विजयवाड़ा	1,000
असम		
2.	कुमारपारा	1,000

1	2	3
बिहार		
3.	अमरपुर	1,000
4.	बरहोना	1,000
5.	मधुबनी	1,000
6.	हजारीबाग	1,000
7.	बिहारशरीफ	4,000
8.	भसूर-बिहारशरीफ	2,000
9.	फुलवारी-शरीफ	2,000
10.	महुआ	2,000
		14,000
गुजरात		
11.	चकलासी	2,800
12.	खमासा	1,200
13.	पीठापुर तालुक	1,000
		5,000
हरियाणा		
14.	पानीपत	1,000
15.	मधुबन	1.000
16.	तराकड़ी	3,000
		5,000

1	2	3
हिमाचल प्रदेश		
17.	नगरोटा बागवान	1,000
जम्मू तथा कश्मीर		
18.	दरसीपर तहसील आ० एस० पुरा	1,400
19.	उधोवाला	1,0000
20.	बिशना	1,000
		3,400
कर्नाटक		
21.	बेलगांव	1,000
22.	बंगलौर	800
23.	हसन	1,000
		2,800
मध्य प्रदेश		
24.	गोलीपलासिया	5,000
25.	तिल्लीरेखुदं	4,000
26.	री	3,000
27.	अहिल्यापुरा	3,250
28.	मोह	2,000
29.	कोदारिया	2,000
30.	सागर	1,000
31.	भोपाल	2,000

1	2	3
32.	रिहाबिली	2,000
33.	मेहगाव	2,000
34.	सिहारे	2,000
		28,250
महाराष्ट्र		
35.	पूना	500
36.	नासिक	500
		1,000
नागालैंड		
37.	दीमापुर	1,000
उड़ीसा		
38.	बहुग्राम	800
39.	जगतसिंहपुर	800
40	राजीपट	1,000
41.	विधीबमनपुर	2,100
42.	झाड़सुगुडा	800
43.	कोटीनाडा	1,000
44.	कोटीनाडा	1,000
45.	भुवन	900
46.	हिंडोल रोड	2,000
47.	साहसनका	620
48.	नीमापारा	250

1	2	3
49.	मेघमाला टोट्टा	800
50.	राजमुन्द्रा	800
51.	उदयगिरी	800
		13,670

पंजाब

52.	होशियारपुर	1,000
53.	बुलहोवाल	1,000
54.	जलंधर	1,800
55.	जलंधर	4,000
56.	बादला	4,400
57.	फिलौर	600
58.	लुधियाना	2,400
59.	लुधियाना	2,000
60.	मोंगा	600
61.	पठानकोट	800
62.	रोपड़	800
63.	नवाशहर	600
64.	सिरहिन्द	400
65.	फगवाड़ा	650
66.	अमृतसर	1,500
67.	जगराओं	350
		24,300

1	2	3
राजस्थान		
68.	जयपुर	2,000
69.	अलवर	2,000
70.	कोटा	2,000
		6,000
तमिलनाडु		
71.	मद्रास	1,250
उत्तर प्रदेश		
72.	सैदपुर	2,000
73.	बंगीपुर	2,000
74.	भोजपुर	2,000
75.	सतनापुर	4,000
76.	खुराया	2,000
77.	पकारिया नगांव	2,400
78.	बिसालपुर	2,000
79.	पुरानी बस्ती	2,000
80.	डुमरींगज	4,000
81.	जोआ	2,000
82.	हयात नगर	2,000
83.	उझानी	2,000
84.	बदायूं	2,000
85.	बुलन्दशहर	4,000

1	2	3
86.	जहांगीराबाद	2,000
87.	दोहरी घाट	4,000
88.	कोपागंज	4,000
89.	अलीगंज रोड़	2,000
90.	रामपुर	2,000
91.	दर्शन नगर, फैजाबाद	2,000
92.	मिसीरीपुरी	2,000
93.	साहतवार	2,000
94.	एटा	2,200
95.	जसवन्त नगर	2,000
96.	भारथाना	2,000
97.	सैंखपुर	2,000
98.	जाफराबाद	2,000
99.	खुटन	2,000
100.	शाहगंज	4,000
101.	हरदोरई	2,000
102.	पिहानी	2,000
103.	मैनपुरी	2,000
104.	सालन	2,000
105.	मल्लीपुर	2,000
106.	बहराइच	2,000
107.	कांडीपुर	2,000
108.	बिन्दकी	2,000

1	2	3
109.	सादाबाद	2,000
110.	प्रताप गढ़	4,000
111.	मेरठ, हापुड़	2,000
112.	सहासीन	2,000
113.	मुथीगंज	2,000
114.	सोरों	4,000
115.	लखीमपुर खेरी	2,000
116.	गाजियाबाद	2,000
117.	अहरौरा	2,000
118.	मिर्जापुर	2,000
119.	मुजफ्फर नगर	2,000
120.	पदरोना	4,000
121.	नवाबगंज	2,000
		1,18,200
पश्चिम बंगाल		
122.	खजूरदेही	1,600
123.	मिमारी	2,800
124.	मिमारी खंड	4,000
125.	कुनुरीका	4,000
126.	रसूलपुर	4,000
127.	नागरा	2,000
128.	तारकेश्वर	5,600
129.	पेतल	2,000
130.	चन्द्रकोना	4,000
131.	झूमगढ़	4,000

1	2	3
132.	सतपालसा	3,000
133.	बोलपुर	3,000
134.	बुरवान	4,000
135.	पात्रासाया	4,000
136.	रायपुर	4,000
		52,000
चण्डीगढ़		
137.	चन्डीगढ़	1,000
138.	नेफेड	2,500

माही बजाज सागर बांध मे डूबने वाले गांव

3703. श्री दिलीप सिंह भूरिया : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में राजस्थान माही बजाज सागर बांध में कितने गांव डूब जाएंगे ;

(ख) मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के मुख्य मन्त्रियों की संयुक्त बैठक में क्या निर्णय लिए गये ।

(ग) क्या उससे प्रभावित होने वाले लोगों को मुआवजा अदा करने तथा उनके पुनर्वास के लिए कोई योजना तैयार की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री श्री जियाउर रहमान अन्सारी : (क) माही बजाज सागर बांध के निर्माण से मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में 23 गांव जलमग्न होंगे ।

(ख) और (ग) राजस्थान राज्य सरकार ने सूचित किया है कि हाल में राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्रियों द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुसरण में, मध्य प्रदेश में भूमि और मकानों के बारे में राजस्थान सरकार द्वारा देय मुआवजे के बारे में मध्य प्रदेश सरकार के दावों की जांच तथा विचार-विमर्श करने के लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारों के वरिष्ठ

अधिकारियों के बीच 23.6.82 को एक बैठक हुई थी। जबकि कई मुद्दों पर निर्णय किए गए थे, अन्य मुद्दों की विस्तृत जांच की जा रही है और उन पर अगली बैठक में विचार किया जाएगा।

(घ) मध्य प्रदेश सरकार मुआवजे के अनुमान तैयार कर रही है।

गोदावण का शिकार

3704. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी।**

श्री अशोक गेहलोत: क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार गोदावण के शिकार के लिए एक बार फिर से अनुमति देने का है,

(ख) यदि हां, तो उसका क्या आधार है;

(ग) क्या सरकार का यह निर्णय अन्य संरक्षित पक्षियों एवं पशुओं पर भी लागू होगा और क्या कुछ राज्य सरकारों ने उक्त केन्द्रीय दृष्टिकोण का विरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन): (क) जी नहीं।

(ख), से (घ) प्रश्न ही नहीं होता।

एर्नाकुलम, केरल में कार्यरत केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हो रही आवासीय समस्या

3705. **श्री ए० नीलालोहितादसन नाडार:** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि एर्नाकुलम केरल में कार्यरत अनेक केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को आवास प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है; और

(ख) क्या भारत सरकार का विचार उनको आवास देने हेतु एर्नाकुलम में सरकारी घर बनाने का है?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह): (क) मेरे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है जिससे यह पता चला कि अरनाकुलम (केरल) में केन्द्र

सरकार के कर्मचारियों के लिए "सामान्य पूल" रिहायशी क्वार्टरों का निर्माण करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

समाज के निर्धन लोगों के लिए मकान

3706. **श्री मूलचन्द डागा :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय ने समाज के निर्धन वर्गों के 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अधीन मकान उपलब्ध कराने, गन्दी बस्तियों का उन्मूलन करने तथा रिहायशी भूमि की बढ़ती हुई कीमतों को रोकने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की है; और

(ख) इस सम्बन्ध में क्या उपलब्धियां हुई है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह)। (क) ये योजनाएं राज्य क्षेत्र में है और राज्य सरकारें उनका कार्यान्वयन कर रही हैं। 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाओं का कुशलता पूर्वक एव प्रभावी रूप से कार्यान्वयन के प्रश्न को स्थानीय शासन एवं नगर विकास की केन्द्रीय परिषद् की 19वीं बैठक में रखा गया था जिसमें राज्य आवास मन्त्रियों को भी आमन्त्रित किया गया था। केन्द्रीय परिषद् ने रूप रेखाएं निर्दिष्ट करते हुए कई संकल्पों को पारित किया था, जिस पर राज्य सरकारें अपेक्षित लक्ष्यों की प्राप्ति को सुनिश्चत करने के लिए कार्रवाई कर सके। कार्यान्वयन की गति को तीव्र करने की दृष्टि दे कुछ राज्य सरकारों के साथ विस्तृत रूप से विचार-विमर्श किया गया है। राज्यवार लक्ष्य तैयार किए गए हैं। सांविधिक प्रगति रिपोर्टें प्राप्त की जा रही हैं और प्रगति की ध्यानपूर्वक निगरानी रखी जाएगी।

(ख) 20-सूत्री कार्यक्रम के सन्दर्भ में, 1982-83 के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और इन लक्ष्यों की तुलना में प्राप्तियों का मूल्यांकन किया जाएगा।

भूमि सीमा कानूनों के अन्तर्गत अर्जित भूमि

3707. **श्री मूलचन्द डागा :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमि सीमा कानूनों के अन्तर्गत कितने एकड़ कृषि भूमि अर्जित की जानी है और अर्जित की जाने वाली भूमि राज्य वार कितने एकड़ होगी; और

(ख) अब तक प्रत्यक राज्य से इस प्रकार की कितनी भूमि अर्जित की गई है और कितने एकड़ भूमि अर्जित किए जाने के लिए शेष है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) और (ख) यह अनुमान लगाया गया था कि संशोधित अधिकतम सीमा कानूनों के अन्तर्गत 52.42 लाख एकड़ भूमि को फालतू घोषित किया जाएगा। इसके मुकाबले में अभी तक वास्तविक रूप से फालतू घोषित भूमि 40.05 लाख एकड़ है। इसमें से 18.79 लाख एकड़ भूमि को वितरित किया गया है। विभिन्न अदालती मामलों में अधिकांश भूमि फालतू घोषित की हुई शामिल है, नाकि वितरित की गई। राज्यवार आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गये हैं।

विवरण

(एकड़ में)

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	संभाव्य अधिकतम सीमा से फालतू भूमि का अनुमान	संशोधित अधिकतम सीमा कानूनों के अन्तर्गत अभी तक कब्जे में नहीं ली गई भूमि	फालतू घोषित भूमि लेकिन जिसे कब्जे में नहीं लिया गया है
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	10,00,000	4,34,780	4,74,547
असम	5,81,540	5,06,866	74,671
बिहार	3,00,000	1,47,643	89,947
गुजरात	1,41,774	56,166	85,608
हरियाणा	30,380	18,319	9,343
हिमाचल प्रदेश	2,85,816	93,371	816
जम्मू व कश्मीर	..	—	—
कर्नाटक	4,00,001	1,03,803	1,69,070
केरल	1,50,000	80,594	40,097
मध्य प्रदेश	2,56,666	1,42,973	1,13,693
महाराष्ट्र	3,74,577	2,90,467	54,110
मणिपुर	1,819	36	933

1	2	3	4
उड़ीसा	2,00,000	1,20,943	16,129
पंजाब	46,563	16,032	30,531
राजस्थान	7,64,000	2,3:,496	31,443
तमिलनाडु	2,04,395	77,555	3,352
त्रिपुरा	4,931	1,623	204
उत्तर प्रदेश	2,82,884	2,61,164	21,720
पश्चिम बंगाल	1,72,467	1,03,326	57,495
दादर व नगर हवेली	9,390	6,079	2,8 9
दिल्ली	1,500	374	348
पांडिचेरी	3,211	1,046	1,514
योग	52,41,913	26,96,656	13,08,513

संसदीय सौध के सुपर बाजार में निवेश

3708. श्री मूलचन्द डागा : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसदीय सौध स्थित सुपर बाजार पर कुल कितना पूंजी निवेश किया गया है;

(ख) इस सुपर बाजार द्वारा इसके आरम्भ से ही कितना लाभ कमाया गया और कितनी हानि उठाई गई; और

(ग) यदि हानि हुई तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) से (ग) सुपर बाजार, दि को-आपरेटिव स्टोर लि., नई दिल्ली की दिल्ली/नई दिल्ली के विभिन्न भागों में 65 शाखाएं काम कर रही हैं। संसदीय सौध में स्थित शाखा उन्हीं में से एक है। इन शाखाओं में पूंजी इकट्ठे रूप में लगाई जाती है और इन शाखाओं को आवश्यक माल केन्द्रीय भंडार/क्षेत्रीय वितरण केन्द्रों से मुहैया कराया जाता हैं। संसदीय सौध स्थित सुपर बाजार की शाखा के पास 30 जून, 1982 को 1.08 लाख रुपये के मूल्य की वस्तुएं थी। 1981-82 के दौरान इस

शाखा में 23.56 लाख रु० की कुल बिक्री हुई। किसी शाखा विशेष के मामले में अलग से लाभ हानि लेखा नहीं रखा जाता है।

समस्या मूलक राजस्व ग्रामों को पानी की सप्लाई

3709. श्री वृद्धि चन्द जैन : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय ने समस्या मूलक राजस्व गांवों को पानी की सप्लाई के लिए गांवों में केवल एक स्थल पर पानी की सप्लाई करके गांवो के "स्वेन्यू-कवरेज" को स्वीकार कर लिया है;

(ख) क्या उनके मन्त्रालय को पता है कि राजस्थान में 2000 से 8000 की जनसंख्या वाले ऐसे अनेक राजस्व गांव हैं जो 20 से 100 वर्ग मील क्षेत्र में फैले हुए हैं तथा 500 से 1000 जनसंख्या के "धानी" समूहों में फैले हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या उनका मन्त्रालय जनसंख्या तथा गांवों के क्षेत्रफल के अनुसार गांवों में एक से अधिक स्थानों पर पानी की सप्लाई के प्रश्न पर विचार करेगा।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (घ) फरवरी, 1982 में राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ हुए सम्मेलन में इस विषय पर अपनाए गए संगत मार्गनिर्देशन निम्नलिखित है :—

1. प्रत्येक समस्या ग्रस्त ग्राम में पेयजल का कम से कम एक स्रोत वर्ष भर उपलब्ध होना चाहिए :

2. जहां किसी ग्राम की जनसंख्या 301 से अधिक है, वहां 250-300 की जनसंख्या के लिए एक स्रोत के आधार पर अतिरिक्त स्रोतों की व्यवस्था की जाए। खासतौर पर हरिजन बस्तियों में प्रत्येक 250-300 की जनसंख्या के लिए एक अतिरिक्त स्रोत की व्यवस्था की जानी चाहिए।

ट्राईसेम स्कीम पर किया गया व्यय

3710. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण युवकों के लिए स्वनियोजन प्रशिक्षण स्कीम पर इस प्रशिक्षण पर 1980-81 और 1981-82 के वर्षों के दौरान कुल कितनी राशि व्यय की गई; और

(ख) इस स्कीम से कितने हरिजन आदिवासियों को तथा कितनी महिला लाभ प्राप्तकर्ताओं को अलग-अलग, लाभ पहुंचा ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम): (क) और (ख) सूचना राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा के तूफान प्रभावित क्षेत्रों में "काम के लिए अनाज" कार्यक्रम

3711. श्री चिंतामणि जेना : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्रों में हाल के भयानक तूफान के कारण वहां के किसान एवं कृषि मजदूर अपनी जीविका के उपार्जन में बहुत दिक्कत अनुभव कर रहे हैं;

(ख) क्या तूफानग्रस्त क्षेत्रों के लोगों की सहायता के लिए "काम के बदले अनाज" जैसे कार्यक्रम आरम्भ किये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरे क्या हैं;

(घ) इस प्रयोजन के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है ?

कृषि और ग्रामीण विकास-मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) उड़ीसा सरकार से प्राप्त तूफान से सम्बन्धित ज्ञापन (2 जून, 1982) के अनुसार 5.92 लाख कृषि श्रमिकों को अपनी आजीविका अर्जन करने के लिए रोजगार सुलभ करना अपेक्षित है।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जिसने अक्तूबर, 1980 से काम के बदले अनाज कार्यक्रम का स्थान लिया है, को पहले ही उड़ीसा में कार्यान्वित किया जा रहा है। राज्य सरकार के पास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 1981-82 से 1.01.84 लाख रुपए का अधिशेष है। इसके अलावा, उन्हें चालू वर्ष की प्रथम दो तिमाहियों के लिए 4.10 लाख रुपए की धनराशि आबंटित की गई है।

इतनी ही धनराशि राज्य सरकार द्वारा इसके लिए अपने बराबर के अन्शदान के रूप में दी जानी है। राहत से सम्बन्धित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों पर आधारित प्रभावित लोगों को राहत तथा पुनर्वास के लिए व्यय की अधिकतम सीमा भी अनुमोदित की जायेगी जिसमें रोजगार सुलभ करने के लिये रोजगार सृजित करने वाले निर्माण कार्य भी शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश और बिहार में खरीफ की फसल को सूखे के कारण गहरी क्षति

3712. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश तथा बिहार में वर्तमान खरीफ की फसल को सूखे की स्थिति के कारण संभावित भारी हानि की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या राज्य सरकारों को इस सम्बन्ध में कोई निदेश जारी किए गए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी): (क) अभी खरीफ फसल की संभावनाओं का मूल्यांकन करना सम्भव नहीं है।

(ख) और (ग) भारत सरकार द्वारा किए गए उपायों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

1. देश के कुछ भागों में देर से मानसून आने के कारण पैदा हुई स्थिति से निपटने के लिए कृषि मन्त्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) ने मई, 1982 के शुरू से ही आकस्मिक योजनाएं प्रारम्भ की। राज्य सरकारों और भारत सरकार के विभिन्न विभागों को विस्तृत मार्गदर्शन दिए गए थे और उनसे अनुरोध किया गया था कि वे मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण पैदा होने वाली किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए किसानों की सहायता के उपयुक्त कार्यवाही करें। राज्य सरकारों को मृदा नमी का अधिकतम उपयोग करने तथा देश में विकसित कृषि प्रौद्योगिकी के आधार पर मानसून के देरी से आने के कारण हुई क्षति को पूरा करने के लिए भी सलाह दी गई है। कृषि कार्यक्रम में विशिष्ट कार्यवाही की मदों का पता लगाया गया और राज्य तथा खंड स्तरों पर उन मदों पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया।

2. आपदा प्रबन्ध सम्बन्धी एक अन्तर मन्त्रालय समन्वय समिति तथा कृषि मन्त्रालय में मौसम निगरानी दल खरीफ मौसम के लिए मानसून के रुख और आकस्मिक योजनाओं की समीक्षा कर रहा है।

3. सूखा प्रबन्ध के लिये आकस्मिक योजनाओं की समीक्षा करने के लिये क्षेत्रीय अधिकारियों को विभिन्न राज्यों में भेजा गया है।

4. सूखा प्रबन्ध के लिये प्रधान मन्त्री का 12 सूत्री कार्यक्रम को 1979 के सूखे का सामना करने का आधार था, राज्य सरकारों के ध्यान में लाया गया है ताकि वे सूखे की स्थिति से निपट सकें।

5. राज्य सरकारों को जलाशयों और अन्य सिंचाई साधनों में उपलब्ध और संभावित जल की व्यवस्था करके जल की बरबादी को रोकने के लिये क्रमबद्ध नहर संबंधी कार्यों, जहां सम्भव हो, वहां "वाड़ाबन्दी को" प्रोत्साहित करके स्थानीय फसल की आवश्यकताओं और सिंचाई प्रणाली के आधार पर जल को उचित मात्रा में देकर और समुदायिक नर्सरियों के लिए पानी की निश्चित सप्लाई को सुनिश्चित करके फसल उत्पादन के प्रयोजनों के लिये जलाशयों में उपलब्ध सिंचाई जल का इष्टतम उपयोग करने की सलाह दी गई हैं।

6. राज्य सरकारों को यह भी सलाह दी गई है कि वे किसानों को खरीफ मौसम के दौरान प्रति दिन कम से कम 8 से 10 घण्टे बिजली की निरन्तर सप्लाई करें।

7. भारतीय रिजर्व बैंक से अनुरोध किया गया है कि वह किसानों को ऋण की सुविधाएं देने के लिये वाणिज्यक और सहकारी बैंकों को निदेश दें।

8. भारत सरकार ने कृषि आदानों की खरीद तथा किसानों में उसके वितरण के लिये राज्यों को 108.50 करोड़ रुपए का अल्पावधि ऋण दिया है। इसमें बिहार को दी गई 7 करोड़ रुपये तथा उत्तर प्रदेश को 15 करोड़ रुपए की रकम शामिल है।

9. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण के लिये राज्यों को खाद्यान्न उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

राज्य सरकारों के साथ वन संशोधन विधेयक के बारे में विचार-विमर्श

3713. श्री हरीश रावत : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का संशोधन करने हेतु प्रस्तावित विस्तृत वन (संशोधन) विधेयक को ससद में अनुमोदनार्थ पेश करने से पहले, इसके विभिन्न मुद्दों पर राज्य-सरकारों के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अतः राज्य सरकारों से परामर्श करने का प्रश्न ही नहीं होता।

केन्द्रीय बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश में कार्यान्वित की गई योजनाएं

3714. श्री हरीश रावत : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड द्वारा वर्ष 1981-82 में उत्तर प्रदेश में कितनी योजनाएं कार्यान्वित की गई और उन पर पर कुल कितना व्यय किया गया;

(ख) क्या उनके मन्त्रालय का विचार बाढ़ नियन्त्रण कार्यों की सफलता के लिए जलग्रहण क्षेत्रों और नदियों के उद्गम के स्थानों पर इन कार्यों को और अधिक प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1982-83 में उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में, जो उत्तर प्रदेश की अधिकतम नदियों के उद्गम स्थल है, बाढ़ नियन्त्रण कार्यों पर कितना व्यय किया जाता है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) केन्द्रीय बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड का 1977 में राज्यों के सिंचाई मन्त्रियों के सम्मेलन में विलय कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्रियान्वित में निर्माणाधीन तथा नई, दोनों प्रकार की कई स्कीमें शामिल हैं जिनमें जल-निकास सुधार निर्माण-कार्य सीमान्त तटबन्ध, नगर सुरक्षा निर्माण-कार्य, नदी सुधार तथा कटावरोधी स्कीमें और सर्वेक्षण तथा अन्वेषण सम्मिलित हैं। वर्ष 1981-82 के दौरान इन स्कीमों पर 22.50 करोड़ रुपए का प्रत्याशित व्यय हुआ।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने "गंगा बेसिन में बाढ़-प्रवण नदियों के आवाह क्षेत्रों में एकीकृत जल विभाजक प्रबन्ध" नामक स्कीम आरम्भ की है जिसमें सोन, गोमती, ऋषिकेश के ऊपर अपर गंगा, उत्तर प्रदेश में ताजेवाला के ऊपर यमुना के आवाह क्षेत्र शामिल हैं और उत्तर प्रदेश के भाग हेतु 1982-83 के लिए 130 लाख रुपए का परिव्यय रखा गया है। राज्य सरकार ने 1982-83 के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों में बाढ़ नियन्त्रण निर्माण-कार्यों के लिए 60 लाख रुपए के परिव्यय का भी प्रस्ताव किया है।

बिहार के कुछ जिलों में जल संसाधनों का सर्वेक्षण

3715. श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के गिरडीह, हजारीबाग, पलामू और संथाल परगना में कुल कृषि भूमि का केवल दो प्रतिशत ही गारन्टीकृत सिंचाई योजना के अन्तर्गत आता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि भूमिगत जल, नदियों और खानों में पानी के रूप में इन जिलों में सिंचाई प्रयोजनों के लिए पर्याप्त जल संसाधन उपलब्ध हैं जिन्हें उठाऊ सिंचाई योजनाओं, नलकूपों के निर्माण अथवा जलाशयों द्वारा उपयोग में लाया जा सकता है जिसके लिये एक सर्वेक्षण की आवश्यकता है;

(ग) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय भूमिगत जल आयुक्त यह कार्य करना चाहता है;

(घ) क्या केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड को कृषि क्षेत्रों जैसे भण्डारों, नेतट, बोड्डरलय-चोरोसेंगा, करीहटी चजगलखर, सिआंट जमुना पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत कीरहांटेंडा, मण्डरो, रामुधरन, जमरिहा, बैरिया, और गिटरडीह जिले में यानिकबाद-कोडमहेरे में शीघ्र नलकूपों की स्थापना के लिए कहा जायेगा ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : (क) बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित वर्ष 1975-76 के सिंचाई आंकड़ों के अनुसार, कुल सिंचित क्षेत्र की जिला-वार प्रतिशतता निम्न प्रकार है :—

(हजार हैक्टेयर)

जिला	कुल बुआई क्षेत्र	कुल सिंचित क्षेत्र	सिंचित क्षेत्र की प्रतिशतता
गिरडीह	256	13	5.07
हजारीबाग	237	16	6.7
पलामऊ	869	69	7.9
संथाल परगना	401	43	10.7

(ख) कृषि पुनर्वित और विकास निगम द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, दिसम्बर, 1979 को भूमिगत जल संसाधनों की जिले-वार उपलब्धता निम्न प्रकार है :—

(हजार मीटर)

जिला	निवल (रिचार्ज्ड)	पुनर्भरित भूमिगत जल	निवल निकास	उपलब्ध शेष भूमिगत जल
गिरिडीह		31	5	26
हजारीबाग		49	9	40
पलामऊ		94	11	83
संथाल परगना		68	9	59

(ग) और (घ) केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, राज्यों सरकारों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर अन्वेषण कार्य करता है। प्रश्न में उल्लिखित स्थलों का अन्वेषणात्मक छेदन-कार्य, राज्य

सरकार का अनुरोध प्राप्त होने पर, वैज्ञानिक तत्वों को ध्यान में रखते हुए, प्रारम्भ किया जाएगा।

बिहार की आटा मिलों को गेहूं की सप्लाई न किया जाना

3716. श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बिहार राज्य में लघु उद्योगों के रूप में पंजीकृत 28 प्रमुख आटा मिलों को अप्रैल, 1982 से गेहूं की सप्लाई रोक दी है;

(ख) क्या अन्य राज्यों की लघु इकाइयों को भी गेहूं की सप्लाई रोक दी गई;

(ग) क्या उक्त निर्णय रोलर द्वारा मिलों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ.) क्या सरकार इन लघु उद्योगों को गेहूं की सप्लाई बहाल करने के लिए शीघ्र कार्यवाही करेगी और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) यह नोटिस में आया कि केन्द्रीय पूल से आवंटित गेहूं की कुछ मात्रा को राज्य सरकार होलमील आटा का उत्पादन करने के लिए बिहार की बड़ी चक्कियों को उप-आवंटन कर रही है, जिसकी समूची मात्रा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से नहीं दी गई थी। राज्य सरकार से अनुरोध किया गया था कि वे उचित दर की दुकानों से वितरित किए जा रहे और खुले बाजार के आटे के ब्यौरे भेजें लेकिन अपेक्षित ब्यौरे प्राप्त नहीं हुए थे। तदनुसार राज्य सरकार द्वारा रोलर फ्लोर मिलों के कोटे में से बड़ी चक्कियों को उप-आवंटित किए जा रहे गेहूं की मात्रा को सरकार द्वारा अप्रैल, 1982 से रोक दिया गया था।

(ख) जी नहीं। जब कभी अनियमितताएं ध्यान में आती हैं तब इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

(ग) और (घ) जी नहीं। इस कारण से निर्णय लिया गया है कि केन्द्रीय पूल से राज सहायता प्राप्त गेहूं में से बड़ी चक्कियों द्वारा उत्पादित आटा को इसके मूल्य और वितरण पर पूर्ण नियन्त्रण के बिना बेचा जाता है।

(ङ.) राज्य सरकार को यह सुझाव दिया गया है कि यदि वे सस्ते और नियन्त्रित मूल्यों जनता को आटा सप्लाई करना चाहते हैं तो वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए उन्हें गेहूं आवंटन करवा सकते हैं, बड़ी चक्कियों द्वारा उसका होलमील आटा बनवा सकते हैं और उसे उचित दर की दुकानों से वितरित कर सकते हैं।

दिल्ली में पिछले तीन वर्षों के दौरान वापस लौटाए गए जाली राशन कार्ड

3717. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में वर्ष 1980, 1981, 1982 में 30 जुलाई तक कितने जाली राशन कार्ड वापस सौंप दिए गए हैं; और

(ख) दिल्ली में उक्त अवधि में कितने जाली राशन कार्डों का पता लगाया गया है ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

भण्डारण क्षमता में कमी

3718. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खरीदे गए खाद्यान्न के भण्डारण के लिए गोदामों का निर्माण कम हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी भंडारण क्षमता उपलब्ध है और कितनी मात्रा में खाद्यान्न का भण्डारण हुआ है तथा उस समय कितना खरीदा गया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध भण्डारण क्षमता भारतीय खाद्य निगम क पास वर्तमान वर्ष की वसूली की मात्रा सहित इस समय उपलब्ध खाद्यान्नों का भण्डारण करने के लिए पर्याप्त है । केन्द्रीय भण्डागार निगम और राज्य भाण्डागार निगमों के अलावा अकेले भारतीय खाद्य निगम के पास '83.8 लाख मीटरी टन (ढकी हुई 15 .7 लाख मीटरी टन और खुले में 24.1 लाख मीटरी टन) की भण्डारण क्षमता उपलब्ध है । इसके प्रति भारतीय खाद्य निगम के 1-7-1982 को 99 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का स्टाक उपलब्ध था । 1981-82 फसल से 26-7-1982 तक 150.1 लाख मीटरी टन की कुल वसूली की गई थी (चावल के हिसाब से धान सहित 71.6 लाख मीटरी टन चावल, 76 4 लाख मीटरी टन गेहूं और 2.1 लाख मीटरी टन ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए प्राइवेट भवन निर्माताओं को काम दिया जाना

3719. श्री अटल बिहारी बाजपेयी :
श्री सूरज भान : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से योजना विशेषज्ञों की राय है कि भूमि विकसित करने

और मकानों के निर्माण में दिल्ली विकास प्राधिकरण का एकाधिकार समाप्त किया जाए; यदि हां, तो उनकी इस राय के क्या कारण हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या हाल ही में नियुक्त किए गए कार्यकारी दल ने सिफारिश की है कि आवास क्षेत्र में प्राइवेट भवन निर्माताओं को प्रमुख भूमिका दी जाए; और

(ग) कार्यकारी दल की इन सभी सिफारिशों का पूरा पाठ क्या है और उस पर सरकार की अनुवर्ती कार्यवाही क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली के लिए नीति विकल्पों-2000 आश्रमों पर दिल्ली के लिए भावी विकास योजना बनाने के सन्दर्भ में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आयोजित एक सेमिनार में आवास में निजी विकासकर्त्ताओं की भूमिका पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। सर्वसम्मति यह थी कि विकास प्रावधानों को बढ़ाने और सार्वजनिक व्यय को कम करने के साधन के रूप में निजी विकास के लिए अवसर है।

(ख) तथा (ग) भारत सरकार ने आवास के लिए निजी क्षेत्रों की भूमिका जैसा कि छठी पंचवर्षीय योजना में विचार किया गया है, से सम्बन्धित मामलों के विभिन्न पहलुओं सांस्थानिक वित्त और सहकारी आवास कार्यक्रम द्वारा दिये जा सकने वाले निश्चित अंशदान का पता लगाने तथा सरकार को सलाह देने के लिए एक दल का गठन किया है। समिति की मुख्य सिफारिशें ये हैं—आवास को धन देने के लिए 3-टीयर पद्धति, सहित विशेषज्ञ वित्तीय संस्था स्थापित करना, आवास पर पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन का प्रावधान, रेहन बीमा निगम का गठन, भूमि नियन्त्रण से सम्बन्धित अधिनियमों को उदार बनाना, तथा भूमि विकास और स्थलों और सेवाओं की योजनाओं को अधिक महत्व देना। कार्यकारी दल की केन्द्र सरकार से सम्बन्धित मन्त्रालयों/विभागों को परिचालित कर दी गई है। कुछ मन्त्रालयों/विभागों के विचार प्राप्त कर लिए गए हैं।

स्वीकृति के लिए लम्बित मुख्य मध्यम सिंचाई परियोजनाएं

3720. **श्री अटल बिहारी बाजपेयी :**

श्री सूरज भान : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार कितनी मुख्य तथा मध्यम सिंचाई योजनाएं केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति के लिए लम्बित है तथा कब से हैं;

(ख) प्रत्येक योजना के सम्बन्ध में प्रतिवर्ष होने वाले राजस्व तथा उत्पादन की हानि का अनुमान क्या है;

(ग) पांच वर्ष से अधिक समय से लम्बित योजनाओं को स्वीकृति देने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं; और

(घ) प्रत्येक मामले में मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है ?

सिंचाई मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) केन्द्रीय जल आयोग तथा योजना आयोग में अनुमोदन के लिए लम्बित पड़ी बृहत् तथा मध्यम स्कीमों का राज्यवार ब्योरा तथा प्रत्येक परियोजना रिपोर्ट की केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त होने की तारीख को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

(ख) सिंचाई एक राज्य विषय है । सभी सिंचाई परियोजनाओं का राज्य सरकारों द्वारा स्वयं अपने संसाधनों से आयोजन, वित्त-पोषण तथा क्रियान्वयन किया जाता है । केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृति दिये जाने के लिए लम्बित पड़ी स्कीमों से राजस्व तथा उत्पादन में हानि होने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उपलब्ध धनराशि विकास योजनाओं में वचनबद्ध तथा अन्य निर्माणाधीन परियोजनाओं पर राज्य सरकारों द्वारा प्रायः पूर्ण रूप से इस्तेमाल की जाती है ।

(ग) ये परियोजनाएं सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ परामर्श से केन्द्रीय जल आयोग में जांच की विभिन्न अवस्थाओं में है । इन परियोजनाओं पर, इनकी तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता और प्रभावकारिता सिद्ध हो जाने और अन्तर्राज्यिक पहलुओं का, यदि कोई हो, संतोषप्रद समाधान हो जाने के बाद ही, योजना आयोग का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आगे कार्यवाही की जा सकती है । इस प्रकिया में शीघ्रता लाने के लिए, सरकार ने परियोजना रिपोर्टों की जांच करने के परिणामस्वरूप केन्द्रीय जल आयोग द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरणों/अतिरिक्त आंकड़ों को देने के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को पहले ही कतिपय अनुदेश जारी कर दिए हैं । अन्य बातों के साथ-साथ, राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया हैं कि इन्हें स्पष्टीकरण मांगने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के अन्दर भेज दिया जाए, अन्यथा सम्बन्धित परियोजनाओं को केन्द्रीय जल आयोग के पास स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ा नहीं समझा जाएगा । अतः, उन मामलों में जहां राज्यों ने केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों के उत्तर एक वर्ष से अधिक समय से नहीं भेजे हैं, नए सिरे से जांच करने और स्वीकृति देने के लिए, अद्यतन लागत अनुमानों और लाभों के साथ एक संशोधित परियोजना रिपोर्ट के लिए आग्रह किया जा रहा है ।

(घ) विलम्ब के कारण लागत में अनुमानित वृद्धि का प्रश्न, स्कीमों की तकनीकी-आर्थिक-व्यवहार्यता तथा लागत की प्रभावकारिता सिद्ध हो जाने और स्कीमों के अनुमोदित हो जाने के बाद ही उत्पन्न होगा । तथापि, सिंचाई परियोजनाओं की लागत में अनुमानित वृद्धि प्रतिवर्ष 8 से 10 प्रतिशत रही ।

विवरण

केन्द्रीय जल आयोग तथा योजना आयोग में स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी बृहत् तथा मध्यम सिंचाई स्कीमों के नामों और केन्द्रीय जल आयोग में इन परियोजनाओं के प्राप्त होने की तारीख को दर्शाने वाला विवरण ।

क्रम सं०	राज्य/परियोजना का नाम	केन्द्रीय जल आयोग में परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख
1	2	3
	क. बृहत् सिंचाई परियोजनाएं	
	आन्ध्र प्रदेश	
1.	सिंगूर	25.10.77
2.	जुराला	10.9.80
3.	कृष्णा डेल्टा का आधुनिकीकरण	11.7.79
4.	श्रीराम सागर चरण-दो	15.3.80
	असम	
5.	पुथिमारी	24.7.81
	बिहार	
6.	बरारी पम्प नहर	20.7.76
7.	सिक्तिया बराज	10.76
8.	कोनार जलाशय से सिंचाई	26.12.77
9.	कमला सिंचाई का आधुनिकीकरण	14.4.82
10.	उत्तर कोइल जलाशय	19.3.80
11.	मसान जलाशय	28.11.80
12.	पुनासी	28.11.80
13.	बागमती	3.3.82
14.	अजगैबीनाथ पम्प नहर (बिहार)	3.3.82

1	2	3
15.	ओरंगा जलाशय	8.7.82
16.	तिलैया जल का व्यपवर्तन	8.7.82
17.	कांची का पुनरूपण	8.7-82
18.	सुबर्णरेखा	30.6.82
गुजरात		
19.	खारीकट नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण	14.5.80
20.	जंखारी	11.9.79
हरियाणा		
21.	लिबीपुर झील की क्षमता में वृद्धि करना	17.12.80
22.	सतलुज यमुना लिंक नहर	9.1.79
23.	जसपुर बराज	8.7.82
24.	धनुआरा बराज	8.7.82
कर्णाटक		
25.	अपर कृष्णा चरण-दो	5.2.82
केरल		
26.	मुवत्तुपूजा	24.7.81
27.	चिमोनी	8.7.82
मध्य प्रदेश		
28.	रामहुंड व्यपवर्तन	22.7.82
29.	माहन	21.7.82
30.	कोलार	6.6.79
31.	हलाली	11.9.79
32.	माही	28.11.80

1	2	3
	महाराष्ट्र	
33.	पुनाड	12.3.82
34.	लोअर दूधना	1.12.81
35.	लोअर तिरना	8.7.82
	उड़ीसा	
36.	लोअर इन्द्रा	3.6.82
37.	ओंग बांध परियोजना	17.6.82
38.	समकोई	28.3.82
38. क.	सुवर्णरेखा	30.6.82
	पंजाब	
39.	थीन बांध	30.11.77
	राजस्थान	
40.	राजस्थान फीडर-गंगा नहर लिंक चैनल का निर्माण	4.5.81
41.	बिलासपुर	4.5.82
42.	पिपलदा लिफ्ट सिंचाई	26.6.82
	उत्तर प्रदेश	
43.	कार्यसिंग मेजा बांध	25.2.74
44.	मोघा बांध	21.11.79
	पश्चिम बंगाल	
45.	अपर कंसावती	7.7.80
46.	टगोन घाटी	7.6.80

1	2	3
47.	बोमनगोला हबीबपुर	7.6.80
ख. मध्यम सिंचाई परियोजनाएं		
आन्ध्र प्रदेश		
1.	बुग्गावंका	6.5.80
असम		
2.	खरमुझा	10.5.82
बिहार		
3.	हायू जलाशय स्कीम	अप्रैल, 82
4.	केशो जलाशय स्कीम	अप्रैल, 82
5.	धन सिंह टोली जलाशय स्कीम	8.7.82
गुजरात		
6.	वालान	19.4.82
7.	माछू-दो	20.4.82
कर्णाटक		
8	धर्मपुरा टैंक के लिए फीडर चैनल	1.12.81
केरल		
9.	वामनपुरम	3.3.82
मध्य प्रदेश		
10.	रामपुरी	8.7.82
11.	होकरिया	8.7.82
12.	दजला देवड़ा	8.7.82
महाराष्ट्र		
13.	सकोल	16.7.81
14.	रायगोहन	16.7.81

1	2	3
15.	मसालगन	5.9.81
16.	बोर	5.9.81
17.	देवगढ़	19.9.81
18.	उरमोढ़ी	17.2.82
19.	चनेरा	26.3.82
20.	सुंगडावाड़ी	26.3.82
21.	वाम तट नहर एक्स-गिरना बांध, पंजिम	11.6.72
22.	तेंभापुरी	16.7.81
23.	शिवना (तकली)	8.9.01
24.	गांधारी	26.3.82
25.	पटगांव	8.7.82
26.	हटबाने	8.7.82
27.	बोरी	8.7.82
राजस्थान		
28.	बेयली सिंचाई	10.5.82
29.	गरारवा	24.8.21
30.	सुकली	1.12.81
31.	बरनी	3.3.82
32.	ल्हासी	3.3.82
33.	पिपलाद लिफ्ट सिंचाई	5.6.82
तमिलनाडु		
34.	कोडयान प्रणाली का आधुनिकीकरण	26.5.82
35.	अनुई मदनू जलाशय स्कीम	जुलाई, 82

1	2	3
	उत्तर प्रदेश	
36.	लखारी बांध परियोजना	12.1.82
37.	पथरई बांध परियोजना	12.1.82
	पश्चिम बंगाल	
38.	गाजल लिफ्ट	15.12.75
	उड़ीसा	
39.	तितिलागढ़	5.6.82

नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा क्वार्टरों का आबंटन

3721. श्री प्रदल बिहारी वाजपेयी : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा 27 फरवरी, 1980 से 31 मई, 1982 तक कुल कितने क्वार्टरों का आबंटन किया गया ;

(ख) उपरोक्त अवधि में कितने क्वार्टरों का आबंटन बिना पारी के आधार पर किया गया ;

(ग) क्या यह सच है कि प्रतीक्षा सूची के कर्मचारियों की अपेक्षा करके अधिकतर क्वार्टरों का आबंटन बिना पारी के आधार पर किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा बिना पारी के आबंटनों को रोकने के दिल्ली प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है । तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

सरकारी आवास का आबंटन

3722. श्री ईरा अनबारासु : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न श्रेणियों के सरकारी आवासों का आबंटन प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहे सरकारी कर्मचारियों की संख्या कितनी है :

(ख) क्या सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लड़कों तथा लड़कियों को सरकारी आवास का आबंटन बन्द कर देने की कोई योजना है ;

(ग) क्या ऐसे सरकारी कर्मचारियों को भी सरकारी आवास का आबंटन बन्द कर देने की कोई योजना है जिसके पास दिल्ली, नई दिल्ली में तथा भारत के अन्य महानगरों में अपने निजी मकान हैं ; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ख) तथा (ग) का उत्तर नकारात्मक है तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री(श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) 1-1-1982 को दिल्ली नई दिल्ली में सामान्य पूल वास की मांग उपलब्धता और कमी का एक विवरण संलग्न है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) राष्ट्रीय परिषद (जे० सी० एम०) की सिफारिशों पर अपने मकानों वाले कर्मचारियों को सामान्य पूल वास के लिए पात्र बना दिया गया है । इसी प्रकार से सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के पात्र आश्रितों को राष्ट्रीय परिषद (जे० सी० एम०) की सिफारिशों के आधार पर तदर्थ-आबंटन के लिए पात्र बना दिया गया है ।

विवरण

1-1-1982 को दिल्ली । नई दिल्ली में सामान्य पूल वास की मांग । उपलब्धता कमी का एक विवरण ।

टाइप	कुल मांग	सामान्य पूलवास में रिहायशी एककों की संख्या	कमी
ए	21198	14181	7017
बी	42619	15117	27502
सी	22521	12799	9722

1	2	3	4
डी	9041	5011	4030
ई	3425	1648	1777
ई-1	1217	478	739
ई-2	242	70	172
ई-3	121	31	90

तमिलनाडु के चिंगलपुट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गांवों में पेयजल तथा सम्पर्क सड़कों की व्यवस्था

3723. श्री ईरा अनबारासु : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु के चिंगलपुट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गावों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) कुल गांवों में से कितने गांवों की पेयजल और सम्पर्क सड़कों जैसी आधारभूत सुविधाएं दी गई हैं; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने ग्रामीण जनता को पेयजल और सम्पर्क सड़क सुविधाओं की आवश्यकता पूरी करने के लिए कोई राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू किया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) ग्रामीण जल आपूर्ति तथा ग्रामीण सड़कें न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के घटक है जिनके लिए राज्य क्षेत्र में परिव्यय दिया जाता है । तथापि, ग्रामीण जल आपूर्ति को राज्य क्षेत्र के परिव्यय के साथ साथ केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना जिसे "त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति" कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है, के रूप में छठी योजना में शामिल किया गया है जिसके लिए 600 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है ।

मयूर निहार में दूध का बूथ

3724. श्री ईरा अनबारासु : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण की नई आवासीय कालोनी मयूर बिहार में दूध के बूथ की सुविधाओं की कमी है ; और

(ख) यदि हां तो इस कालोनी को दूध के बूथ की सुविधा प्रदान करने के लिए क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) दिल्ली दुग्ध योजना और मदर डेरी का मयूर विहार में कोई दुग्ध बूथ नहीं है । तथापि, मदर डेरी मयूर विहार निवासी संघ के परामर्श से कालोनी की दूध की मांग को पूरा करने के लिए निम्न लिखित उपाय किए हैं :—

(1) पास में भारी मात्रा में दूध बेचने वाले मदर डेरी के दूध से प्रति दिन 300 लिटर दूध को खरीदने के लिए मयूर विहार निवासी संघ को अनुमति दी गई है ; और

(2) कालोनी के पास उपयुक्त दुकानों में प्रत्येक 400 लिटर दूध की क्षमता वाले दो उष्मा रोधी पात्र लगाए गए हैं ।

(ख) कार्यक्रम के अनुसार मदर डेरी के भारी मात्रा में दूध बेचने वाले 300 बूथों के निर्माण करने की योजना पहले ही पूरी हो गई है । अतः मदर डेरी के लिए कालोनी में एक बूथ का निर्माण करना संभव नहीं होगा । दिल्ली दुग्ध योजना वर्तमान क्षेत्रों, जिनके लिए वे दूध की सप्लाई करने के लिए अब पूर्ण वचन बद्ध है ।

कालोनी को दुग्ध सप्लाई का विस्तार करना किसी डेरी की अतिरिक्त दुग्ध विक्रय केन्द्र खोलने की व्यवहार्यता पर निर्भर करती है ।

देश में बाहरी देशों द्वारा भूमि की खरीद किया जाना

3725. श्री अमर राय प्रधान : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बाहरी देश में भूमि खरीदने में धन निवेश कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्योरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

विवरण

वर्ष 1981-82 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यालय के अन्तर्गत उपलब्ध तथा उपयोग में लाए गये संसाधनों तथा सृजित रोजगार को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	उपलब्ध किए गये संसाधन जिसमें वर्ष 1981-82 के दौरान खर्च न किया गया अधिशेष भी शामिल है (लाख रुपये में)	1981-82 के दौरान उपयोग में लाए गए संसाधन लाख रुपये में)	1981-82 के सृजित रोजगार (लाख श्रम दिनों में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	50,27·21	47,43·49	503·55
2.	असम	10,62·20	5,32.00	53·20
3.	बिहार	51,00.07	15,62.04	58·32
4.	गुजरात	12,29.00	6,52·14	56·55
5.	हरियाणा	4,10.04	4,42.67	24.35
6.	हिमाचल प्रदेश	3,10·15	1,28·53	12.38
7.	जम्मू और कश्मीर	2,74.42	2,27.95	11.00
8.	कर्नाटक	22,63.36	12,91.11	233.94
9.	केरल	21,95.14	17,19.55	126.32
10.	मध्य प्रदेश	28,56.62	29,60.50	357.68
11.	महाराष्ट्र	36,55.40	31,16.00	468.00
12.	मणिपुर	33·10	1.70	0.20
13.	मेघालय	33.00	—	—
14.	नागालैण्ड	49.00	60.00	1.36

1	2	3	4
15. उड़ीसा	23,70.91	116,8.97	115.86
16. पंजाब	5,54.34	7,0284	33.48
17. राजस्थान	15,57.71	11,56.35	95.48
18. सिक्किम	20.55	9.42	1.00
19. तमिलनाडु	37,78.20	30,18.70	746.80
20. त्रिपुरा	1,73.12	1.82.08	14.90
21. उत्तर प्रदेश	39,58.16	46,96.27	230.75
22. पश्चिम बंगाल	39,04.95	14,75.07	195.38
23. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	25.30	11.31	2.02
24. अरुणाचल प्रदेश	25.30	1.28	0.07
25. मिजोरम	41.30	8.00	—
26. पाण्डिचेरी	25.30	3.24	0.24
27. चण्डीगढ़	—	—	—
योग	461,33.25	295,71.21	33, 4.83

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण रोजगार

3726. श्री अमर राय प्रधान : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम पर बड़ी धनराशि खर्च करने के बावजूद ग्रामीण रोजगार की स्थिति अत्यन्त असंतोषजनक है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) व (ख) राज्यों जहां राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम उचित रूप से कायान्वित किया जा रहा है,

में ग्रामीण रोजगार की स्थिति असंतोषजनक नहीं है । कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के पास उपलब्ध कुल संसाधनों तथा वर्ग 1981-82 के दौरान प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र में सृजित अतिरिक्त रोजगार के साथ-साथ किए गए व्यय को दर्शाने वाला एक विवरण सलग्न है ।

सिंचाई क्षमता का अपव्यय

3727 **प्रो० रूप चन्द्र पाल :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सिंचाई क्षमता के अपव्यय का मूल्यांकन किया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसे अपव्यय के संबंध में प्राप्त कुछ रिपोर्टों को ध्यान में रखकर ऐसा अध्ययन करना चाहती है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी): (क) :, जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बिहार में खाद्यान्न का संकट

3728. **श्री रामावतार शास्त्री**

श्री ए० के० राय : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में हाल ही में खाद्यान्न के अभाव में वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या यह अभाव बिहार के गेहूं और चावल के कोटे में कटौती के कारण हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कोटे में कटौती करने के क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) बिहार में खाद्यान्नों की कमी के बारे में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है । तथापि, राज्य सरकार ने सूचित किया है कि राज्य में सूखे की स्थिति होने के कारण उनकी खाद्यान्नों की आवश्यकता जरूर बढ़ जाएगी ।

(ख) और (ग) जी नहीं । बिहार एक प्रमुख गेहूं और चावल उत्पादक राज्य है । वर्तमान विपणन मौसम में गेंहूं की कम वसूली होने से, बाजार में पर्याप्त मात्रा में गेहूं उपलब्ध होना चाहिए। जहां तक चावल का संबंध है, राज्य सरकार के पास 1.6.1982 तक 53.3 हजार मीटरी टन का स्टाक था । इसके अलावा, राज्य को इस समय 20,000 मीटरी टन चावल और 37,774 मीटरी टन गेहू (सार्वजनिक वितरण प्रणाली और रोलर फ्लोर मिलो के लिए) आवंटित किया जा रहा है ।

सूखा से होने वाली क्षति का मूल्यांकन

3729. श्री मालन्ना : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने 1981-82 में सूखाग्रस्त राज्यों में लाखों लोगों को प्रभावित करने वाली सूखे की स्थिति की गम्भीरता का कोई मूल्यांकन किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्योरे क्या हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा इस बारे में अब तक क्या ठोस कदम उठाए गए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने विभिन्न सूखा राहत उपायों के लिए निम्नलिखित व्यय की अधिकतम सीमा की मंजूरी दी :—

राज्यों के नाम	व्यय की अधिकतम सीमा (करोड़ रुपए)
1. आन्ध्र प्रदेश	26.25
2. हरियाणा	8.25
3. हिमाचल प्रदेश	2.65
4. कर्नाटक	13.81
5. राजस्थान	87.83
6. तमिलनाडु	49.77

विवरण

राज्य	सूखे की अवधि	प्रभावित सस्यगत क्षेत्र (लाख हैक्टार)	प्रभावित जन संख्या (लाख में)	प्रभावित पशुओं की संख्या (लाख में)
1	2	3	4	5
1. आन्ध्र प्रदेश	मानसून पूर्व	14.40	200.00	39.70
2. हरियाणा	मानसून पूर्व	4.91	13.56	30.00
	मानसून के बाद	6.67	25.00	सूचित नहीं किया गया

1	2	3	4	5
3. हिमाचल प्रदेश	मानसून के बाद	1.64	22.07	8.61
4. कर्नाटक	मानसून पूर्व	32.21	130.00	187.38
5. राजस्थान	मानसून पूर्व	87.00	167.71	413.00
	मानसून के बाद	74.00	199.21	275.81
6. तमिलनाडु	मानसून पूर्व	23.74	219.90	117.00

गांवोंमें हरिजनों के लिए पीने के पानी के कूएं

3730. श्री के० मालन्ना : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गांवों में राज्य वार हरिजनों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए पीने के पानी के कूओं के बारे में सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिए चालू वित्तीय वर्ष में कोई धनराशि आबंटित की है और यदि हां, तो इस काय के लिए कितनी धनराशि आबटित की गई है; और

(ग) उन्हें कब तक पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध की जायेंगी ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) जिन ग्रामों में हरिजनों एवं समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए पीने के पानी के कूएं नहीं हैं, इस मन्त्रालय ने उनका सर्वेक्षण नहीं किया है । इस प्रकार का सर्वेक्षण राज्य सरकारों द्वारा करना होता है क्यों कि पेय जल पूर्ति राज्य का विषय है, तथापि राज्य सर कारों ने उन ग्रामों का सर्वेक्षण किया है जिनमें पानी का काफी अभाव है या जिनमें स्वच्छ पानी के स्रोत नहीं हैं । 1 अप्रैल, 1980 तक देश में लगभग 2.31 लाख समस्याग्रस्त ग्राम थे जिनमें अग्रता के आधार पर जल पूर्ति की सुविधाएं मुहैया कराने की आवश्यकता थी । स्वच्छ पेय जल का कम से कम एक स्रोत जिसमें सालभर पानी उपलब्ध हो, की व्यवस्था पर पता लगाए गए सभी समस्याग्रस्त ग्रामों को छठी योजना के दौरान पेयजल पूर्ति मुहैया करने के प्रयास किए जायेंगे । ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जन संख्या की आवश्यकताओं का इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में पर्याप्त अग्रता प्रदान की जाएगी ।

इन्द्रप्रस्थ विस्तार 11 कालोनियों का विकास

3731. **श्री तारिक अनवर :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इन्द्रप्रस्थ विस्तार 11 कालोनियों के बाह्य निर्माण के लिए वहां के निवासियों से कोई प्रभारवसूल किए है; और

(ख) यदि हां, तो क्या विकास कर दिया गया है और शेष कार्य को क्रियान्वित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि यमुना पार क्षेत्र में सहकारी गृह निर्माण समितियों के प्लाटों पर मकान नक्शों को मन्जूर करते समय प्लाट के क्षेत्रफल के 6 रुपए प्रति वर्गमीटर की दर से परिधीय प्रकार की पहली किस्त वसूल की जाती है।

(ख) परिधीय सेवाओं के विकास की प्रगति निम्नलिखित है :—

1. परिधीय सड़कों का कार्य पूरा होने ही वाला है ;

2. जोन ई-8 से ई-12 तक में परिधीय मलनिर्यास लाइन का कार्य प्रगति पर है।

3. जोन ई-9 से ई-10 तथा ई-11 में परिधीय जलपूर्ति की मुख्य लाइनों को बिछाने का कार्य प्रगति पर है। जोन-8 तथा ई-12 में परिधीय जलपूर्ति की मुख्य लाइन को बिछाने के लिए निविदाए आमन्त्रित की जा रही हैं। जोन ई-9, ई-10 तथा ई-11 के लिए दो ऊपरी टंकियों का निर्माण कार्य निष्पादनाधीन है।

4. जोन ई-9, ई-10 और ई-11 के लिए परिधीय बरसाती पानी की नालियों के लिए निविदायें आमन्त्रित की गई हैं। जोन ई-8 तथा ई-12 के लिए परिधीय बरसाती पानी की नालियों के लिए निविदाएं आमन्त्रित की जा रही हैं।

धनबाद में चालू सिचाई योजनाएं

3732. **श्री ए० के० राय :** क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटा नागपुर के पहाड़ी क्षेत्र के लिए कोई सिंचाई की विशेष व्यवस्था और शेष किस्म की सिंचाई की व्यवस्था करने का विचार है ; और यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्योरा क्या

(ख) बिहार के धनबाद जिले में ऐसी कितनी योजनाएं चल रही हैं और ऐसी कितनी योजनाएं निर्माणाधीन हैं ; और

(ग) क्या ऐसी किसी परियोजना का केन्द्र से अनुदान प्राप्त होता है और तत्संबन्धी ब्योरा क्या है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) सिंचाई एक राज्य-विषय होने के कारण, आदिम जाति क्षेत्रों सहित, पूरे राज्य में सिंचाई स्कीमों का अनवेषण सूत्रीकरण, वित्त पोषक एवं क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। छोटानागपुर के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए किसी विशेष, प्रकार की सिंचाई की अथवा किसी विशेष प्रावधान की व्यवस्था नहीं है। तथापि, योजना पर विचार विमर्श के दौरान योजना आयोग द्वारा आदिम जाति उप योजना के अन्तर्गत आदिम जाति क्षेत्रों (छोटानागपुर सहित) के लिए सिंचाई विकास हेतु भी विचार किया जाता है।

(ख) बिहार के धनबाद जिले में केवल एक सिंचाई स्कीम, अर्थात 'गोबाई बराज' का निर्माण किया जा रहा है।

(ग) राज्य को योजना व्यय के लिए सम्पूर्ण राज्य हेतु केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है और यह विकास के किसी सेक्टर अथवा परियोजना से सम्बद्ध नहीं होती।

उच्च स्तरीय विशेषज्ञ दल की नियुक्ति

3733. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को लागू करने में हुई प्रगति का अध्ययन करने हेतु एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ की नियुक्ति की है ;

(ख) यदि हां, तो उपयुक्त मामले में उच्च स्तरीय विशेषज्ञ दल ने अपने निरीक्षण में क्या पाया ;

(ग) क्या उच्च स्तरीय विशेषज्ञ दल ने सरकार को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को लागू करने के लिए अधिक ध्यान देने का सुझाव दिया है ;

(घ) क्या विशेषज्ञ दल की सिफारिशों के आधार पर विभिन्न राज्यों को अतिरिक्त धन-राशि देने पर विचार किया गया है ;

(ङ.) यदि हां, तो उड़ीसा में वर्ष 1982-83 में राज्य में उपर्युक्त कार्यक्रम लागू करने के लिए अतिरिक्त धनराशि सहित कुल कितनी धन राशि आबंटित करने का विचार है ;

(च) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) योजना आयोग द्वारा डा० एम० एस० स्वामीनाथन की अध्यक्षता में गरीबी के निराकरण हेतु कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन से सम्बन्धित विभिन्न प्रचालनात्मक मुद्दों की जांच करने हेतु एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया था।

(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के सम्बन्ध में इस दल द्वारा की गई सिफारिशों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) विशेषज्ञ दल ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी सिफारिश की थी कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को संसाधनों के आबंटन और इसके कुशल कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा दिए गए ध्यान में उच्च प्राथमिकता प्राप्त होनी चाहिए।

(घ) वर्ष 1981-82 के दौरान सुलभ किए गए 180 करोड़ रुपए के मुकाबले में कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय बजट में 190 करोड़ रुपए का कुल प्रावधान किया गया है। इतनी ही धनराशि राज्य सरकारों द्वारा सुलभ की जानी है।

(ङ.) और (च) अभी तक केवल प्रथम दो सिफारिशों के लिए आबंटन किए गए हैं। प्रथम दो तिमाहियों के लिए उड़ीसा के लिए केन्द्रीय सहायता का अंश 410.00 लाख रुपए बनता है। इतनी ही धनराशि राज्य सरकार द्वारा अपने बराबर के अंश के रूप में दी जानी है। तृतीय तथा चतुर्थी तिमाहियों के लिए अन्य आबंटन प्रथम दो तिमाहियों के दौरान वास्तविक प्रगति की पुनरीक्षा करने के पश्चात ही दिए जाएंगे।

विवरण

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम से संबंधित विशेषज्ञ दल द्वारा की गई सिफारिशों को दर्शाने वाला विवरण

1. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को संसाधन के आबंटन और कार्यक्रम के कुशल कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा दिए गए ध्यान को उच्च प्राथमिकता प्राप्त होनी चाहिए।

2. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक श्रमिक के लिए प्रतिवेदन कम से कम 1 किलोग्राम अनाज उपलब्ध किया जाना चाहिए।

3. जहां पर्याप्त अनाज उपलब्ध न हो वहां राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत कम से कम महिला श्रमिकों को अनाज दिया जाना चाहिए । यह एक प्रभावकारी पद्धति है जिससे यह सुनिश्चित हो जाएगा कि बच्चों को भोजन प्राप्त होता है ।

4. कार्यक्रम के अन्तर्गत भोजन सुलभ करने के अलावा, जहां आवश्यक हो और स्थिति के अनुसार लाजमी हो वहां हाथ से बने कपड़े तथा सामान्य प्रयोग के लिए आवश्यक हाथ से बनी अन्य वस्तुओं को भी मजदूरी के आंशिक भुगतान के लिए उपयोग में लाया जाए ।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1982-83 के लिए राज्यों को धनराशि का आबंटन

3734. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए वर्ष 1982-83 के पहले छः महीनों में राज्य सरकारों को धनराशि आबंटित की है ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए राज्यवार कितनी राशि आबंटित की है ;

(ग) वर्ष 1982-83 के बाकी छः महीनों में इन राज्यों को कितनी राशि आबंटित करने का विचार है ;

(घ) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी हां ।

(ख) वर्ष 1982-82 की प्रथम दो तिमाहियों हेतु किए गए राज्यवार आबंटनों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ग) व (घ) चालू वर्ष की तीसरी और चौथी तिमाहियों के लिए आबंटन अभी किए जाने हैं । ये आबटन पहली दो तिमाहियों के दौरान हुई प्रगति पर भी निर्भर होंगे ।

विवरण

वर्ष 1982-83 की पहली दो तिमाहियों के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत किए गए आबंटनों को दर्शाने वाला विवरण।

(लाख रुपए में)

क्र० संख्या	रा./केन्द्र शासित क्षेत्र	वर्ष 1982-83 की पहली दो तिमाहियों के दौरान आबंटित निधियां
1.	अन्ध्र प्रदेश	948.00
2.	असम	200.00
3.	बिहार	1210.00
4.	गुजरात	280.00
5.	हरियाणा	80.00
6.	हिमाचल प्रदेश	60.00
7.	जम्मू और कश्मीर	80.00
8.	कर्नाटक	414.00
9.	केरल	402.00
10.	मध्य प्रदेश	660.00
11.	महाराष्ट्र	710.00
12.	मणिपुर	10.00
13.	मेघालय	10.00
14.	नागालैन्ड	10.00
15.	उड़ीसा	410.00
16.	पंजाब	125.00
17.	राजस्थान	234.00
18.	सिक्किम	8.00

1	2	3
19.	तमिलनाडु	740.00
20.	त्रिपुरा	30.00
21.	उत्तर प्रदेश	1670.00
22.	पश्चिम बंगाल	674.00
23.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	16.00
24.	अरुणाचल प्रदेश	16.00
25.	मिजोरम	16.00
26.	पाण्डिचेरी	16.00
27.	चण्डीगढ़	4.00
28.	गोवा दमन और द्वीव	16.00
29.	दादरा और नगर हवेली	8.00
30.	लक्ष्य द्वीप	4.00
	योग	9062.00

गुजरात की पूरी न हुई सिंचाई योजनाएं

3736. श्री उत्तम भाई एच० पटेल : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) यह सच है कि गुजरात में बहुत सी सिंचाई योजनाओं का कार्य वर्षों से चल रहा परन्तु वे अभी तक पूरी नहीं हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी योजनाओं के नाम क्या हैं, विशेषकर राजकोट और बुलसर जिले की योजनाओं के;

(ग) क्या सरकारी विशेषज्ञों तथा अन्य विशेषज्ञों के दलों ने रिपोर्ट दी है कि यदि गुजरात के कुछ जिलों में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएं तो गुजरात और भारत के अन्य राज्यों की खाद्यान्न और अधिक मांग पूरी की जा सकती है।

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है।

(ङ.) इस समय गुजरात में कितनी भूमि में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं तथा अगले दो वर्षों में कितनी भूमि में सिंचाई हो जाएगी;

(च) केन्द्र तथा विश्व बैंक तथा अन्य संस्थाओं द्वारा अनुदान तथा ऋण दिए जाने का प्रस्ताव है?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी): (क) जी हां।

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी है।

(ग) और (घ) केन्द्र को किसी ऐसी रिपोर्ट की जानकारी नहीं है।

(ङ.) राज्य में वहुत, मध्यम और लघु सिंचाई स्कीमों के माध्यम से सृजित सन्चयी क्षमता किस प्रकार है :—

लाख हैक्टार में

	1980-81 के अन्त में (वास्तविक)	1982-83 के अन्त में (प्रभावित)	1982-83 के अन्त में (लक्ष्य)
वहुत तथा मध्यम स्कीमों से	10.47	10.68	11.15
लघु स्कीमों से	14.54	14.88	15.296
जोड़	25.01	25.56	26.446

(च) सिंचाई एक राज्य विषय है और सिंचाई परियोजनाओं के लिए आवश्यक निधि की व्यवस्था राज्य सरकारों द्वारा स्वयं की जाती है। केन्द्रीय सहायता किसी विशेष परियोजना अथवा विकास के किसी क्षेत्र से संबद्ध नहीं है।

वृहत तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं हेतु कुल 290 मिलियन अमरीकी डालर के लिए करार पर विश्व बैंक अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ और संयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विकास अधिकरण के साथ पहले ही हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। इसके अलावा, इस समय कई मध्यम सिंचाई परियोजना विश्व बैंक की सहायता प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत हैं।

विवरण

क्र० सं०	परियोजना का नाम	लाभान्वित जिले
1.	बृहत स्कीमें	
1.	दमनगंगा	वलसाड़
2.	कारजन	भड़ोच
3.	हेरन	बड़ोदरा
4.	पानय	पंचमहल,बड़ोदरा
5.	सूखी	बड़ोदरा
6.	बतरक ×	केरा, सवरकंठा
7.	सिपू	बनसकंठा
8.	उकई*	सूरत,भड़ोच,वलसाड़
9.	कंडाना	केरा, पंचमहल
10.	साबरमती	मेहसना
11.	याही चरण-1	केरा
12.	ककेरापार*	सूरत, वलसाड़
13.	माही बजाज सागर	कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं है।
2.	मध्य स्कीमें	
1.	सुखभादुर	भावनगर
2.	मछुन्दरी	जूनागढ़
3.	कालूभर	भावनगर
4.	मछन नाला	पंचमहल
5.	अमली	सूरत
6.	देव	बड़ोदरा
7.	बेनु-2x	राजकोट
8.	अजी-2x	राजकोट

1	2	3
9.	उन्द	जामनगर
10.	भादर	पंचमहल, कैरा
11.	अजी-3x	राजकोट
12.	आजम	साबरकंठा
13.	देवी-2x	राजकोट
14.	हदफ	पंचमहल
15.	गुहई	साबरकंठा
16.	केलिया*	वलसाड़
17.	झुज*	वलसाड़
18.	उबेन	जूनागढ़
19.	कालिन्द्री	जूनागढ़
20.	हरनव-2	साबरकंडा
21.	रामी	वड़ोदरा
22.	वलदेव	भड़ोच
23.	पिगुत	भड़ौंच
24.	वेदी ×	साबरकंठा
25.	भोरेस	राजकोट
26.	वागड़	भावनगर
27.	सिगोडा	जूनागढ़
28.	छपरवाड़ीx	राजकोट
29.	अम्बाजल	जूनागढ़
30.	राक्त	जूनागढ़
31.	नारा	कच्छ

1	2	3
32.	सानी	जामनगर
33.	गोंड़थेड	कच्छ
34.	अमीपुर	जूनागढ़
35.	गोदावरी	उ० न०
36.	हीरण (चरण-2)	जूनागढ़
37.	जनगड़िया ×	उ० न०
38.	भूखी ×	उ० न०
39.	बंकलेश्वर भे	पंचमहल
40.	राजावल	भावनगर
41.	मिट्टी	कच्छ
42.	नानी वलियाल पर बांध	उ० न०
43.	लखीगम ×	उ० न०
44.	कबूतरी	पंचमहल
45.	शंकाश ×	उ० न०
46.	घोली ×	उ० न०
47.	उमरिया ×	पंचमहल
48.	शेदी शाखा ×	उ० न०

*वलसाड़ जिले में परियोजनाएं

xराजकोट जिले में परियोजनाएं

× अनुमोदित स्कीमें

उ० न० सूचना उपलब्ध नहीं

गुजरात राज्य में जल सप्लाई तथा सीवर परियोजनाएं

3737. श्री उत्तम भाई एच० पटेल : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के गुजरात में जल सप्लाई और सीवर परियोजनाओं के लिए भारत सरकार को छः करोड़ रुपए के ऋण का अनुमोदन किया है।

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ;

(ग) इससे कितने क्षेत्र को पेय जल की सप्लाई और सीवर सुविधा उपलब्ध होगी,

(घ) उक्त परियोजनाओं की लागत अनुमान कितनी है :

(ङ.) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ,

(च) इनसे क्या परिणाम होगा ;

(छ) वित्तीय योजना तथा वसूली का क्या तरीका होगा ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के निदेशकों के बोर्ड ने अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ को वचनबद्धता प्राधिकार उपलब्ध कराये जाने की शर्त पर गुजरात जल पूर्ति एवं मल-निर्यास परियोजना के लिए 6-7 1982 को 720 लाख डालर (61.2 करोड़ रुपए के समतुल्य) के ऋण का अनुमोदन किया था।

(ग) इस परियोजना में मुख्यतया निम्नलिखित कार्य शामिल हैं :—

1. आनन्द, जामनगर, भावनगर, गोवरा और नदियाड जल पूर्ति सेवाओं का विकास।

2. राजकोट और सावरकुण्डला के लिए नवीन मल निर्यास प्रणालियों का निर्माण एवं निदियाड और आनन्द के लिए मौजूदा मल निर्यास प्रणालियों में विस्तार।

3. सात क्षेत्रीय समूहों में विभाजित लगभग 255 समस्याग्रस्त ग्रामों में तथा लगभग 110 पृथक-पृथक समस्याग्रस्त ग्रामों में नलों द्वारा पानी की सप्लाई।

4. चुनिन्दा 15 मध्यम आकार के कस्बों के लिए कम लागत स्वच्छता कार्यक्रम।

5. अहमदाबाद में मल निर्यास निर्माण कार्य।

(घ) लगभग 137 करोड रुपये।

(ङ) 31 दिसम्बर, 1986

(च) परियोजना क्षेत्रों में जल पूर्ति एवं स्वच्छता सेवाओं में सुधार ।

(छ) इस परियोजना के लिए धन मुख्यतया राज्य प्लान निधियों और स्थानीय निकायों के अन्शदानों से दिया जाना है इस परियोजना के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास सघ के ऋण के परिणामस्वरूप राज्य सरकार को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायाता उपलब्ध होगी । उपयुक्त उपयोग करने के प्रभारों, को आदि के माध्यम से वसूलियों पर विचार किया जाता है ।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकारों की सिफारिशें

3738. **श्री डी० एम० पुत्ते गौडा :**

श्री एच० एन० नन्हे गौडा : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने यह सिफारिश की है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार पाने वाले श्रमिकों को विभिन्न क्षेत्रों के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन का आश्वासन किया जाना चाहिए ।

(ख) यदि हां, प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा की गई सिफारिशों का ब्योरा क्या है?

(ग) क्या सरकार ने सिफारिशियों को स्वीकार कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो उनके कब तक लागू किए जाने की संभावना है ; और

(ङ) राज्य ग्रामीण विकास एजेसियों तथा ग्रामीण विकास के लिए कार्यरत अन्य कार्यकर्त्ताओं को इससे क्या सहायता मिलेगी ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) से (ङ.) राज्य सरकारों से ऐसी कोई सिफारिशें प्राप्त नहीं हुई हैं । भारत सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत अकुशल मजदूरों को भुगतान की जाने वाली मजदूरी राज्य में उस इलाके के अलग-अलग क्षेत्रों के लिए निर्धारित न्यूनतम कृषि मजदूरी के अनुरूप होनी चाहिए । कुशल मजदूरों को भुगतान की जाने वाली मजदूरी सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा सिंचाई जैसे विभागों द्वारा कार्यों की विभिन्न श्रेणियों के लिए अपनाई गई दरों पर निर्भर करेगी ।

सामूहिक आवास समितियों को भूमि का आबंटन

3739. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली में सामूहिक आवास समितियों को आबंटित भूमि की प्रति वर्ग मीटर दर क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि सामूहिक आवास समितियों को सड़कों, पार्कों, सर्विस लेनों और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के लिए भूमि की कीमत का भुगतान करना है ; और

(ग) एक सामूहिक आवास समिति के एक सदस्य को आबंटित 35 वर्ग मीटर भूमि के लिए कुल कितनी कीमत वसूल की गई ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने निम्नलिखित क्षेत्रों सामूहिक समितियों को आबटन के लिए अर्द्ध विकसित भूमि की निम्नलिखित दरें निर्धारित की हैं :—

(i) पटपड़ गंज	110 रु० प्रति वर्ग मीटर
(ii) गीता कालोनी	110.....वही.....
(iii) सी० बी० डी० शाहदरा	110.....वही.. .....
(iv) बोदेला	110.....वही.....
(v) रोहिणी	110.....वही.....
(vi) पीतमपुरा	135.....वही.....
(vii) रोहतक रोड	135.....वही.....

(ख) समितियों को आबंटित प्लाटों में फ्लैट के निर्माण हेतु 35 प्र०श० क्षेत्र में निर्माण करना अपेक्षित है। शेष 65 प्र० श० क्षेत्र को रोड, पार्कों, सोचर लेन और अन्य सामुदायिक सुविधाओं इत्यादि के लिए छोड़ा जाना है उपयुक्त (क) में प्लाट के लिए बताई गई भूमि की दरों में निर्मित और खुला छोड़ा गया क्षेत्र दोनों ही शामिल है।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि भूमि सहकारी सामूहिक आवास समितियों को निर्माण के लिए आबंटित की जाती है और समितियों के अलग अलग सदस्यो को प्लाटों का आबंटन नहीं किया जाता इसलिए यह प्रश्न ही नहीं उठता।

नए टाइप सी क्वार्टरों के किराए में कटौती

3 .0 श्री दयाराम शाक्य : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ कालोनियों के नए जैसी टाईप क्वार्टरों के किराए में कटौती की गई है :

(ख) यदि हां तो उन कालोनियों के नाम क्या हैं और इन क्वाटरों का वर्तमान किराया कितना है ;

(ग) "सी" टाईप क्वार्टरों के किराए में कब कटौती की गई थी और 'बी' टाईप (नवनिर्मित) क्वार्टरों के किराए में कटौती न करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार 'बी' टाईप क्वार्टरों के किराए में कटौती पर विचार करेगी और यदि हां, तो अन्तिम निर्णय कब तक किया जाएगा ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (घ) दिल्ली में सरकारी आवासों के लिए पूलित मानक लाइसेंस फीस एफ० आर० 45-रु० के अन्तर्गत रिहायशी क्षेत्रफल के प्रति वर्ग० मी० पूलित एकक दर के आधार पर नियत की जाती है। तथापि, जब नए क्वार्टर आबंटित किए जाते हैं तथा जहां रिहायशी क्षेत्रफल साथ-साथ उपलब्ध नहीं है तो लाइसेंस फीस उसी इलाके अथवा समीपस्थ इलाकों के उसी टाईप के क्वार्टरों में उपलब्ध रिहायशी क्षेत्रफल के आधार पर लाइसेन्स फीस की अन्तिम दर की गणना के निलम्बन पर वसूल की जाती है। तदनुसार, लोधी रोड़, कम्लेक्स, एम० बी० रोड़, डी० आई० जैड क्षेत्र तथा आराम बाग क्षेत्र में टाईप 'सी' के नए बने क्वार्टरों के मामले 58 रुपये प्रतिमाह अन्तरिम लाइसेन्स फीस वसूल की गई थी परन्तु वास्तविक गणना से ये दरें 38 रुपये तथा 40 रुपये प्रतिमाह की सीमा के बीच नियत की गई है जो मकान के रिहायशी क्षेत्रफल पर निर्भर करती हैं। यदि आवश्यक पाया गया तो इसी प्रकार पद्धति नए निर्मित टाईप 'बी' क्वार्टरों के मामले में भी अपनाई जाएगी।

दिल्ली में दूध की सप्लाई

3741. श्री दया राम शाक्य : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना दिल्ली के उपभोक्ताओं की दूध की मांग पूरी करने में असमर्थ है ;

(ख) दिल्ली के सभी दिल्ली दुग्ध योजना के बूथों में कितने दूध की कटौती की है और यह कटौती कब हटा ली जाएगी ;

(ग) दिल्ली दुग्ध योजना की दूध की खाली बोतलों के मूल्य बढ़ाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार दिल्ली दुग्ध योजना के उन बूथों में और अधिक बोतलें सप्लाई करने पर विचार करेगी जिन में वहां के निवासियों को दूध नहीं मिलता जैसाकि ब्लाक 23 रेलवे, स्टेशन के सामने लोधी कालोनी, लोधी रोड आदि में होता है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) दिल्ली दुग्ध योजना इस समय प्रति दिन 3.46 लाख लिटर दूध की सप्लाई कर रही है जबकि

इसकी संभाल क्षमता 3.75 लाख लिटर की है। मदर डेरी, दिल्ली प्रति दिन 5.7 लाख लिटर दूध की सप्लाई कर रही है।

(ख) दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध की सप्लाई में कोई कमी नहीं की गयी है।

(ग) खाली बोतलों की खरीद के ऊंचे मूल्यों को ध्यान में रखते हुए खाली बोतलों के मूल्य बढ़ा दिये गये थे।

(घ) बूथ सं० 337 क (प्रातः) और 338 (शाम) को सप्लाई की जाने वाली 1140 बोतलों में वृद्धि करके 1180 बोतलें कर दी गई हैं। पहले कभी-कभी तो इस डिपो से दिल्ली दुग्ध योजना को बिना बिकी दूध की बोतलें वापिस भी प्राप्त होती हैं।

मन्दिर मार्ग काली बाड़ी मार्ग के निवासियों को पानी की अपर्याप्त सप्लाई

3742. श्री दया राम शाक्य : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या यह सच है कि मन्दिर मार्ग काली बाड़ी मार्ग के 'जे' और 'एच' ब्लाक के निवासियों को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा पर्याप्त मात्रा में पीने के पानी की सप्लाई नहीं की जा रही है ;

(ख) ग्रीष्म ऋतु में विशेष कर मई, जून और जुलाई, 1982 में उन्हें कुल कितने घन्टे पानी दिया जा रहा है।

(ग) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग जिन स्रोतों से पानी की सप्लाई कर रहा है वे इन कालोनियों के लिए पर्याप्त नहीं हैं, यदि हां, तो इस समस्या पर काबू पाने के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग क्या उपाय कर रहा है ;

(घ) क्या सरकार दो ट्यूबवैल लगाने पर विचार करेगी, ताकि इन कालोनियों को पर्याप्त पानी मिल सके ; और

(ङ) यदि हां, तो ट्यूबवैल कब तक लगाए जाएंगे तथा उनकी संख्या कितनी होगी ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) मई, जून तथा जुलाई, 1982 के दौरान "जे" तथा "एच" ब्लाक के निवासियों

को सवेरे लगभग 4 से लेकर 5 घण्टे तक तथा शाम को लगभग 4 से 5 घण्टे तक पानी सप्लाई किया जाता रहा है।

(ग) इस क्षेत्र में विभिन्न पाकेटों/ब्लाकों में वितरण के लिए नई दिल्ली नगर पालिका से प्राप्त अपर्याप्त है। तथापि, "जे" तथा "एच" ब्लाकों में जलपूर्ति अर्याप्त समझी जाती है।

(घ) फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

मन्दिर मार्ग, काली बाड़ी मार्ग के टाइप-2 के मकानों में 'सीलिंग फैन' लगाना

3743. **श्री वया राम शास्त्र** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मन्दिर मार्ग/काली बाडी मार्ग के टाईप-।। के मकानों "जे" और "एच" ब्लाकों में तीसरा सीलिंग फैन लगाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो वर्तमान स्थिति क्या है और इस आशय का अन्तिम निर्णय सरकार द्वारा कब तक लिया जाएगा ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

वर्ष 1980-81 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का क्रियान्वयन

3744. **श्री पी० के कोडियन** : क्या ग्रामीण विकास मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न राज्यों में वर्ष 1980 और 1981 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के क्रियान्वयन में क्या प्रगति हुई है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान काम के बदले अनाज कार्यक्रम/राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों केन्द्र शासित क्षेत्रों द्वारा उपयोग में लाए गए संसाधनों तथा सृजित रोजगार को दर्शाने वाला विवरण-1 संलग्न है। कार्यक्रम के अन्तर्गत इन दो वर्षों के दौरान सृजित परिसम्पत्तियों को दर्शाने वाले विवरण 2 और 3 संलग्न हैं।

विवरण-2

1980-81 तथा 1981-82 के दौरान काम के बदले अनाज/राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत उपयोग में लाए गए संसाधनों तथा सृजित रोजगार को दर्शाने वाला विवरण।

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	इन वर्षों के दौरान खाद्यान्नों के मूल्य सहित उपयोग में लाए गए संसाधन (लाख रु० में)		सृजित रोजगार (लाख श्रम दिन)	
		1980-81	1981-82	1980-81	1981-82
1.	आन्ध्र प्रदेश	2080.70	4743.49	476.99	503.55
2.	असम	69.23	532.00	14.85	53.20
3.	बिहार	1920.56	1562.04	343.96	58.32
4.	गुजरात	652.88	652.14	9,75	56.55
5.	हरियाणा	490.46	442.67	257,17	24.35
6.	हिमाचल प्रदेश	380.60	128.53	36.47	12.38
7.	जम्मू और कश्मीर	190.45	227.95	34.77	11.00
8.	कर्नाटक	427.08	1291.11	16.32	233.94
9.	केरल	203.64	1719.55	130.97	128.32
10.	मध्य प्रदेश	2510.64	2660.50	661.31	357.68
11.	महाराष्ट्र	887.20	3116.0[illegible]	430.77	468.00
12.	मणिपुर	35.15	1.70	असूचित	0.20
13.	मेघलाय	—	—	असूचित	—
14.	नागालैण्ड	60.50	60.00	असूचित	1.36
15.	उड़ीसा	1161.89	1168.97	321.67	115.86
16.	पंजाब	222.45	702.84	36.40	33.48

1		2	3		4
17.	राजस्थान	2804.89	1156.35	259.52	95.48
18.	सिक्किम	10.63	9.42	0.47	1.00
19.	तमिलनाडु	1341.54	3018.70	147.53	746,80
20.	त्रिपुरा	65.28	182.08	77.45	14.90
21.	उत्तर प्रदेश	3635.15	4696.27	479.36	230.75
22.	पश्चिमी बंगाल	1248.75	1475.07	328.51	195.38
23.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	32.75	11.31	5.58	2.02
24.	अरुणाचल प्रदेश	1.40	1.28	0.18	0.07
25.	मिजोरम	1.20	8.00	0.55	—
26.	पाण्डिचेरी	8.87	3.243	1.26	0.24
	योग	21173.89	295.71.21	4071.81	3344.83

विवरण-2

वर्ष 1980-81 के दौरान काम के बदले आनाज कार्यक्रम/राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित भौतिक परिसम्पत्तियां दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	भू-संरक्षण के अन्तर्गत लाया गया क्षेत्र (है०)	वृहद/लघु सिचाई द्वारा सिचाई के अन्तर्गत लाया क्षेत्र	बाढ़ सुरक्षा के माध्यम से कृषि योग्य बनाया गया क्षेत्र (है०)	पौधरोपण के अंतर्गत लाया गया क्षेत्र (है०)	निर्मित/मरम्मत किए स्कूल भवन (सं०)	निर्मित पचायत घर सामुदायिक केन्द्र (सं०)	सड़क कार्य मरम्मत/निर्मित रख-रखाव/ नई सड़कें सुधारी गई (कि० मी०)		सिचाई कमांड क्षेत्रों में मध्यवर्ती मुख्य नाले, खेत की नालिया तथा भूमि समतलीकरण	अन्य निर्माण कार्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आन्ध्र प्रदेश*	—	700	—	—	5032	—	—	—	183	847·4
2.	असम*	45	—	30	—	—	5	300	50	—	—
3.	बिहार*	531	70420	25848	—	20	—	5630	1178	189	6492

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	गुजरात*	72000	39500	—	—	97	—	2329	—	—	1448
5.	हरियाणा*	4727	1192	1373	—	393	138	160	453	44	4812
6.	हिमाचल प्रदेश	694	8290	—	727	20	29	250	110	192	191
7.	जम्मू व कश्मीर*	26	1152	2239	—	—	—	542	1433	33	170
8.	कर्नाटक*	196	289	24	—	417	—	2514	1507	—	—
9.	मध्य प्रदेश*	5361	—	—	—	—	—	—	—	—	50000
10.	केरल	52	3531	210	2535	18	2	343	6772	—	77
11.	महाराष्ट्र	8300	—	—	—	—	—	—	11306	55790	4168
12.	मणिपुर (असूचित)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13.	मेघालय*	शून्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14.	नागालैण्ड (असूचित)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15.	उड़ीसा*	17530	32661	9723	27787	4378	38	21716	2424	—	3113
16.	पंजाब*	—	—	—	4807	—	—	1001	663	—	25
17.	राजस्थान*	—	356	—	=	686	277	—	1469	—	2109

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	सिक्किम (असूचित)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19.	तमिलनाडु*	1111	65598	581	—	1642	219	16871	—	—	2615
20.	त्रिपुरा*	3346	5026	2920	17379	649	133	5022	3380	1360	3413
21.	उत्तर प्रदेश*	34827	—	—	1204	—	—	60237	5772	—	53833
22.	पश्चिम बंगाल	4322	34963	17076	—	1301	426	13121	—	650	539
23.	अरुणाचल प्रदेश*	—	—	—	124	—	—	8	—	—	13
24.	चंडीगढ़ (असूचित)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25.	मिजोरम*	—	—	—	—	8	10	—	96	—	48
26.	पांडिचेरी*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27.	अन्डेमान व निकोबार द्वीपसमूह*	60	—	—	7	—	—	5	—	1	2
	योग	227730	263678	60024	54567	14611	12771	30049	36823	58442	217779

*सूचना मार्च, 1981 को समाप्त अवधि से संबंधित है।

विवरण-3

1981-82 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित भौतिक लाभों को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	वनरोपण/ सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत लाया गया क्षेत्र (हैक्टेयर)	अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के लिए पेयजल कुएं (संख्या)	ग्रामीण तालाबों का निर्माण (संख्या)	लघु सिंचाई कार्य, बाढ़ बचाव कार्य आदि (हैक्टेयर)	भूमि तथा जल संरक्षण और भूमि सुधार (हैक्टेयर)	ग्रामीण सड़कें (कि०मी०)	विद्यालय तथा बालवाड़ी भवन तथा पंचायतघर (संख्या)	अन्य कार्य (सं०)	निर्माण जिससे अवधि संबंधित है
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	43 2	72482	202	28124	541	16509	27 30	2965	मार्च 1982
2.	असम	86	79	123	1885	2200	846	471	—	मार्च, 1982
3.	बिहार	—	100	101	7867	—	172	25	40	दिसम्बर, 1981
4.	हरियाणा	2333	55	87	4	--	1607	9 23	2	दिसम्बर, 1981
5.	गुजरात	2376	5471	34	2885	3271	533	11	—	मार्च, 1982
6.	हिमाचल प्रदेश	120	10	45	3	—	32	225	—	दिसम्बर, 1981

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	जम्मू व कश्मीर*	46	29	105	464	266	755	179	—	मार्च, 1982
8.	कर्नाटक	5641	436	3561	1733	25915	3696	3303	276	मार्च, 1982
9.	केरल	457	276	91	2904	48474	8464	40	1628	मार्च, 1982
10.	मध्य प्रदेश	17200	—	—	—	—	—	—	—	मार्च, 1982
11.	महाराष्ट्र	—	—	—	—	—	—	—	—	मार्च, 1982
12.	मणिपुर	—	4	4	21	—	36	3	1	मार्च, 1982
13.	मेघालय	—	—	—	—	—	—	—	—	मार्च, 1982
14.	नागालैंड	50	95	60	10	20	480	155	105	मार्च, 1982
15.	उड़ीसा	35126	641	630	2635	139	5119	1415	56	दिसम्बर, 1981
16.	पंजाब	—	—	—	—	9688	—	305	—	मार्च, 1982
17.	राजस्थान	565	188	486	—	179	289	4978	—	मार्च, 1982
18.	सिक्किम	—	—	—	—	7	2	1	—	दिसम्बर, 1981
19.	तमिलनाडु	1139	1870	1986	13483	471	9472	1992	—	मार्च, 1982
20.	त्रिपुरा	404	225	200	221	190	902	113	—	मार्च, 1982

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	उत्तर प्रदेश	17505	355	—	—	39581	572	24	—	मार्च, 1982
22.	पश्चिम बंगाल	1259	7854	316	11106	9259	13490	2351	1062	मार्च, 1982
	केन्द्र शासित क्षेत्र									
23.	अंडेमान व निकोबार द्वीप समूह	23	1	7	—	—	45	2	2	मार्च, 1982
24.	अरुणाचल प्रदेश	10	—	—	—	15	—	—	—	मार्च, 1981
25.	मिजोरम	—	—	—	—	—	168	60	46	सित॰ 1981
26.	पांडिचेरी	—	—	—	4	—	35	—	—	मार्च, 1982
	योग	88,679	90,284	8,038	83,045	1,44,358	63,494	19,713	6192	

*जम्मू प्रभाग से सम्बन्धित है।

बागान श्रमिकों के लिए मकान

3745. श्री पी० के० कोडियन : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बागान श्रमिकों के लिए राज सहायता पर मकान बनाने की प्रगति ज्यादा सन्तोषजनक नहीं रही है;

(ख) यदि हां, तो उनके क्या कारण हैं ; और

(ग) योजना की प्रगति को तेज करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) योजना की प्रगति संतोषजन रही है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) बागान कर्मचारियों हेतु सहायता प्राप्त आवास योजना के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना के 5 करोड़ रुपए के योजना परिव्यय को छठी पंचवर्षीय योजना में बढ़ा कर 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है । राज्य सरकारों को 80-81 में 1.8 करोड़ रुपये और 81-82 में 2 करोड़ रुपये दिये गये थे । वर्ष 82-83 के लिए 2 करोड रुपये का बजट प्रावधान है ।

छठी पंचवर्षीय योजना में सभी समस्यामूलक गांवों में शुद्ध पेय जल उपलब्ध कराना

3746. श्री पी० के० कोडियन : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सभी समस्यामूलक गांवों में शुद्ध पेय जल उपलब्ध कराने के छठी योजना का लक्ष्य पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ; और

(ख) इस योजना को कार्यान्वित करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

ससदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना में समस्याग्रस्त ग्रामों में पेय जल पूर्ति योजनाओं के लिए 2007.11 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान है जोकि पांचवीं योजना (1974-79) के 429.27 करोड़ रुपये के परिव्यय की तुलना में काफी अधिक है । सभी समस्याग्रस्त ग्रामों को पेय जल पूर्ति मुहैया करना 20-सूत्री कार्यक्रम (सूत्र संख्या-8) में भी शामिल किया गया है । राज्य सरकारों के प्रति-

निधियों के साथ सम्मेलनों का आयोजित किया गया है और लक्ष्य को पूरा करने के लिए उपयुक्त मार्गनिदेशन स्वीकार किए गए हैं। विशेष रूप से हैण्ड पम्प के साथ नलकूप जैसी कम लागत की योजनाओं को अपनाया जाना है और पाइपों द्वारा जलपूर्ति योजनायें, अन्तिम विकल्प होगा। प्रगति के ध्यानपूर्वक तथा बारंबार प्रबोधन के लिए भी राज्य सरकारें सहमत हो गई हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा भी इस कार्यक्रम का प्रबोधन ध्यानपूर्वक से किया जा रहा है।

(ख) पेय जल सुविधा मुहैया कराये गये समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या में प्रगति हो रही हैं। कुछ राज्यों में आंशिक पेय जल पूर्ति मुहैया कराये गये समस्याग्रस्त ग्रामों के आंकड़े इस प्रकार हैं :—

19 0-81	25978 समस्याग्रस्त ग्राम
1981-82	29837 समस्याग्रस्त ग्राम।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सम्बन्धी योजना को पुनः सक्रिय बनाना

3747. श्री पी० के० कोडियन : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सम्बन्धी योजना को पुनः सक्रिय बनाने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ग) योजना को समन्वित ढंग से कार्यान्वित करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) जी, नहीं। सम्बन्धित राज्य सरकारों संघ राज्य क्षेत्र क विचार के लिए प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं और उसके बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना को पुनः बनाये जाने का कार्य आरम्भ किया जायेगा। आजकल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिये राज्य सरकारों को चुने हुए रिंग टाउनों में अनुमोदित परियोजनाओं के लिये ऋण सहायता देने हेतु 10 करोड़ रुपये के योजना प्रावधान की एक केन्द्रीय योजना चल रही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए समन्वय तन्त्र का प्रश्न विचाराधीन है।

आन्ध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले में आवास कार्यक्रम

3748. श्री के० ए० स्वामी : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई केन्द्रीय संस्था आन्ध्र प्रदेश के विशाखापत्तन जिले में में आवास कार्यक्रम शुरू कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) विशाखापत्तनम में आवास की कमी दूर करने के लिए अन्य क्या कार्यवाही जा रही है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) आवास राज्य का विषय है । केन्द्रीय सरकार आन्ध्र प्रदेश में कोई आवास कार्यक्रम शुरू नहीं कर रही है । तथापि, भारत सरकार का एक उपक्रम, आवास तथा नगर विकास निगम लिमिटेड हुडको ने विशाखापत्तनम जिले में आवास योजनाओं के लिए विवरण में दिये गये ब्यौरों के अनुसार ऋण सहायता दी है ।

विवरण

विशाखापत्तनम जिले में स्वीकृत योजनाएं

क्रम संख्या	अभिकरण	स्वीकृत योजनाओं की संख्या	परियोजना लागत (करोड़ में)	ऋण राशि (करोड़ में)	स्वीकृत रिहायशी एककों की संख्या	स्वीकृत प्लाटों की संख्या
1.	नगर आयोजना न्यास	1 (नगर)	0.56	0.42	448	—
2.	आन्ध्र प्रदेश औद्योगिक अधसंरचना निगम	(नगर)	0.31	0.23	200	—
3.	आन्ध्र प्रदेश आवास बोर्ड	5 (नगर)	5.79	4.27	6656	—
4.	सार्वजनिक क्षेत्र (भारत हेवीं प्लाट्स एण्ड बिसल्स लि०)	1 (नगर)	1.13	0.77	316	—
5.	विशाखापत्तनम नगर विकास प्राधिकरण	6 (नगर)	6.63	2.88	1633	2378
6.	आन्ध्र प्रदेश राज्य आवास निगम	2 (ग्रामीण)	0.53	0.27	1350	—
	योग	17	14.35	9.84	0603	2378

विशाखापटनम जिले में पाईप लाइन की योजनाएं

क्रम सं०	अभिकरण	योजनाओं की संख्या	परियोजना लागत (करोड़ में)	ऋण राशि (करोड़ में)	रिहायशी इकाइयों की संख्या	प्लाटों की संख्या
1.	विशाखापत्तनम नगर विकास प्राधिकरण	2 (नगर)	0.15	0.10	39	—
2.	आन्ध्र प्रदेश राज्य आवास निगम	1 (ग्रामीण)	78	0.39	2600	—
	योग	3	0.93	0.49	2639	—

झींगा मछलियों के कैम मात्रा में पकड़े जाने के कारण बेकार पड़ी मत्स्य नौकाएं

3739. श्री के० ए० स्वामी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि झींगा मछलियों के कम मात्रा में पकड़े जाने और अलाभकर परिचालन के कारण विशाखापत्तनम में बहुत सी मत्स्य नौकाएं बेकार पड़ी हुई हैं ;

(ख) मछली पकड़ने के उद्योग की सहायता करने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ; और

(ग) विशाखापत्तनम में 1982 में मछली पकड़ने के उद्योग की सहायता करने के लिए क्या क्या वास्तविक उपाय क्रियान्वित किये गये हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री श्री आर० वी० स्वामीनाथन) (क) तथा (ग) राज्य सरकार से जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) मत्स्यन उद्योग के लिए निम्न प्रकार की सहायता उपलब्ध है :—

1. जहाजरानी विकास निधि समिति के माध्यम से आसान शर्तें पर ऋण ।
2. देश में विनिर्मित जलयानों की लागत पर 33 प्रतिशत की राजसहायता
3. निर्धारित शर्तें के साथ हाई स्पीड डीजल पर उत्पाद शुल्क की छूट
4. प्रमुख तथा छोटे पत्तनों पर आश्रय देने तथा लेने सम्बन्धी सुविधाएं ।

ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड

3750. श्री सन्तोष मोहन देव : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क) ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड ने किस तारीख से अपना कार्य शुरू किया ;

(ख) अब तक शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या कच्छार जिले की नदियों को उपर्युक्त बोर्ड के अधीन लाया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो कच्छार जिले के लिए क्या योजनाएं तैयार की गई हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) यह बोर्ड 31-12-1981 से गठित किया गया है।

(ख) और (घ) इस बोर्ड ने बाढ़-नियन्त्रण तथा जल संसाधनों के विकास के लिए सर्वेक्षण, अन्वेषण और व्यापक योजना तैयार करने का अपना मुख्य कार्य आरम्भ कर दिया है। यह बोर्ड केन्द्रीय सरकार द्वारा तथा यथा-अनुमोदित बहु-प्रयोजनी परियोजना का निर्माण भी करेगा ;

(ग) जी, हां।

कालोनियों को नियमित करने से पूर्व नागरिक सुविधाएं देना

3751. श्री एस० एम० कृष्ण : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कालोनियों को नियमित करने से पूर्व सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा समुचित नागरिक सुविधाओं, विशेषकर मल-निकास, पार्क और समाज-केन्द्रों की व्यवस्था नहीं की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और कालोनियों को नियमित करने से से पूर्व उक्त व्यवस्था करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह):(क) तथा (ख) नियमितं करण के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली नगर निगम द्वारा पता लगाए गए 612 अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण को आरम्भ करने एवं उनमें न्यूनतम मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए सरकार ने दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण को अनुदेश जारी कर दिए हैं।

अण्डमान और निकोबार वन विभाग के कर्मचारियों की समस्याएं

3752. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अण्डमान तथा निकोबार वन विभाग के विभाग के विशेष रूप से छत्तम आरा मिल के श्रमिकों की समस्याओं के बारे में पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार को कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए;

(ख) उनमें क्या सिफारिशें थी तथा उन पर क्या कार्रवाई की गई; और

(ग) ऐसे कितने प्रस्ताव सरकार के पास लंम्बित हैं तथा कब से हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) कामगारों द्वारा उनके संघों के माध्यम से निम्नलिखित समस्याएं ध्यान में लाई गई थीं :—

1) विभिन्न श्रेणी के पदों के लिए चयन ग्रेड की व्यवस्था करना

2) बढ़ई तथा रोजगारों को औजारों के रख रखाव के लिए भत्ते की मंजूरी

3) जिन आकस्मिक मजदूरों ने 3 साल से अधिक सेवा पूरी करा ली है, उन्हें नियमित आधार पर नियुक्त करना ।

4) मिल प्रभाग के कामगारों के पदनाम तथा वेतनमान में असमानताओं को दूर करना

5) वन विभाग के मुंशियों के वेतन-मान में संशोधन करना

6) केन्द्रीय सचिवालय सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के अनुसार औद्योगिक कामगारों को छुट्टी का लाभ देना

7) सभी कामगारों को अन्दमान विशेष भत्ता तथा बोनस मंजूरी करना

(ख) क्रम सं० 2 में उल्लिखित प्रस्ताव की आवश्यक मंजूरी भेज दी गई है । प्रस्ताव सं० 5 स्वीकार नहीं किया गया है । प्रस्ताव सं० 1,3, 4 तथा 6 पर कृषि मंत्रालय में विचार किया जा रहा है और प्रस्ताव सं० 7 गृह मन्त्रालय को भेज दिया गया है :

(ग) ये प्रस्ताव सितम्बर, 1978 से आगे विभिन्न तारीखों को प्रस्तुत किए गए थे ।

अण्डमान और निकोबार प्रशासन के वन विभाग के हाथियों द्वारा फलोद्यानों और कृषि भूमि को क्षति

3753. श्री मनोरंजन भक्त : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, अण्डमान और निकोबार संघ राज्य क्षेत्र के ग्रामवासियों के फलोद्यानों अथवा कृषि भूमि को वन विभाग के अपने हाथियों द्वारा क्षति पहुंचाए जाने के कितने मामले हुए और उनका तहसील तथा ग्रामवार ब्योरा क्या है ;

(ख) ग्रामवासियों को मुआवजा देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) उक्त मुआवजे के लिए निर्धारित दरें कब निश्चित की गई थीं और अब तक उनमें संशोधन क्यों नहीं किया गया है ;

(घ) क्या हाथियों द्वारा क्षति पहुंचाए जाने के पिछले तीन वर्ष से पहले के सभी मामलों में मुआवजे के दावों का सरकार द्वारा भुगतान किया गया था ; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन): (क) 1979-80 से 1981-82 के दौरान हाथियों के कारण हानियों की 212 घटनाएं घटी हैं।

तहसील वार ब्योरे

रानगाट तहसील

1.	बाकुलाला	8
2.	रजतगढ़	2
3	कदमतावा	28
4.	संबरी	12
5.	कलोई	3
6.	रामपुर	9
7.	भरतपुर	1
8.	उर्मिलपुर	1
9.	पारनसाला	4

10.	मिथला	1
11.	श्यामकुंड	2
12.	तिरनवांची	1
13.	कल्ला	1
14.	उत्तरा	1
15.	किड्डे	1

बोलगलीपुर तहसील

1.	लक्ष्मीपुर	3
2.	मधुपुर	2
3.	सुभाषग्राम	2
4.	देशबंधुग्राम	2
5.	रामकृष्णा ग्राम	4
6.	सागरदीप	4
7.	केरलापुरग्राम	5
8.	सीतापुर	3
9.	दुर्गापुर	7
10.	सीतानगर	1
11.	सदेश यगर	1
12.	सिबपुर	1

मायाबन्दर तहसील

1.	पहलगांव	15
2.	तुगापुर	12
3.	वेबी	2

पोर्ट ब्लेयर तहस

1.	येरलताजिग	52
2.	उदयगढ़	1
3.	सुन्दरगढ़	2

पेरारगंज तहसील

1.	नमूनागढ़	1
2.	मेघाखेड़ी	2
3.	जिर्कातंग	14
4.	सोयल बे	1

(ख) 147 मामलों को मुआवजा दिया गया है। शेष 15 मामलों पर कार्यवाही हो रही है।

(ग) फरवरी 1982 से मुआवजा की दरें संशोधित कर दी गई थी तथा 22 जनवरी, 1982 से लागू की गई हैं।

(घ) तथा (ङ) शोयल बे ग्राम के श्री ए० वाई० डेनियल के एक मामले, जिसमें अभी पत्र व्यवहार हो रहा है, को छोड़कर अप्रैल 1 79 से पहले के सभी लम्बित मामले निपटाए गए हैं।

आयातित खाद्य तेल और तिलहन को उड़ीसा ले जाने की व्यवस्था

3754. श्री अर्जुन सेठी : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उड़ीसा में चक्रवात से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए उच्च शहरों से आयातित खाद्य तेल और तिलहन उड़ीसा राज्य में ले जाने के लिए की गई परिवहन व्यवस्था से संतुष्ट है :

(ख) क्या ऐसी कोई शिकायत प्राप्त हुई है कि कतिपय एजेन्सियां, जिन्हें आयातित खाद्य तेल और तिलहन की ढुलाई का कार्य सौंपा गया है, चोर-बाजारी कर रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए राज्य/संघ शासित क्षेत्रों को केवल आयातित खाद्य तेलों का आबंटन करती है, तिलहनों का नहीं। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को आबंटित खाद्य तेलों की सप्लाई राज्य व्यापार निगम द्वारा की जाती है। उड़ीसा के लिए इनकी सप्लाई राज्य व्यापार निगम के कटक स्थित डिपू के माध्यम से की जाती है। उसके बाद, इस तेल की ढुलाई और इसका वितरण राज्य सरकार द्वारा नामित अभिकरणों द्वारा किया जाता है। केन्द्रीय सर-

कार को उड़ीसा में आयातित खाद्य तेल की ढुलाई के बारे में किसी कठिनाई अथवा इसकी चोर बाजारी के सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं मिली है।

तिलहन और तेलों के अनुसंधान और विकास उत्पादन और शोधन के लिए वस्तु बोर्ड बनाने का प्रस्ताव

3755. श्री राम लाल राही : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तिलहन और तेलों के अनुसंधान और विकास उत्पादन और शोधन के लिए वस्तु बोर्ड गठित करने का कोई निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्यवाही का पूर्ण ब्योरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) समेकित विकास तथा तिलहन और वनस्पति तेलों का प्रबन्ध करने के लिए राष्ट्रीय तिलहन तथा वनस्पति बोर्ड स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

बिहार के पलामू गया और हजारी बाग जिलों में पीने का पानी उपलब्ध न होना

3756. श्री रणजीत सिंह : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार पलामू, गया और हजारी बाग जिलों के लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता;

(ख) क्या इन जिलों में पीने के पानी की समस्या का समाधान अब तक नहीं हुआ है ;

(ग) क्या राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा इन जिलों के प्रत्येक गांव में डायमंड बोरिंग आपरेशन किए जा रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे गांवों की संख्या कितनी हैं और यदि नहीं तो यह कार्य कब तक शुरू किए जाने की सम्भावना है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (घ) पेय जल पूर्ति राज्य का विषय है और ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम का कार्यान्वयन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को मार्गनिदेशन दे दिए हैं कि पेय जल समस्या के समाधान हेतु न्यूनतम लागत के समाधानों (जैसे नलकूप) लगाए जाने चाहिए। इस प्रयोजनार्थ उपकरण सम्बन्धित राज्य सरकारों के पास रिगों के रूप में उपलब्ध हैं। छठी योजना के दौरान यह लक्ष्य है कि पता लगाए गए सभी समस्या ग्रस्त ग्रामों को पेय जल का कम से कम एक स्रोत उपलब्ध करा कर मुहैया कराया जाय।

बिहार सरकार द्वारा भेजी गई सूची के अनुसार वर्ष 1980-81 और 1981-82 में पलामू गया और हजारीबाग के जिलों के निम्नलिखित समस्याग्रस्त ग्रामों में जल पूर्ति मुहैया की गई थी :—

वर्ष	निम्नलिखित जिलों के लाभान्वित समस्याग्रस्त ग्राम		
	पलामू जिला	गया जिला	हजारीबाग जिला
1980-81	25	61	83
1981-82	112	105	72
योग	137	266	105

आन्ध्र प्रदेश की चावल मिलों द्वारा बढ़िया किस्म के चावल का निर्यात

3757. श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश की चावल मिलों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने अनुरोध किया हो कि बढ़िया किस्म के फालतू चावल का निर्यात किए जाएं, जो उनके पास उपलब्ध है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी हां। बहुत बढ़िया किस्म का 40,000 मीटरी टन चावल निर्यात करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष से अनुरोध प्राप्त हुआ है।

(ख) चावल का निर्यात करने की वर्तमान नीति के अनुसार इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्यों कि इस नीति के अनुसार गैर बासमती चावल का निर्यात एक मात्र भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार से सरकार के आधार पर किया जाना होता है।

मोती परिष्करण (कल्चर) उद्योग का विकास

3757. डा० बसन्त कुमार पंडित : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोती परिष्करण उद्योग के रूप में शुक्ति (आयस्टर) का वाणिज्यिक स्तर पर विकास करने की योजनाएं सरकार के विचाराधीन में और यदि हां, तो कहां और कब; और

(ख) मनेर खाड़ी और कच्छ खाड़ी में शुक्ति उत्पादक प्राकृतिक तटों की सुरक्षा तथा विकास करने के लिए कौन सी योजनाएं बनाई गई हैं और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) मोती परिष्करण (कल्चर) के लिए शुक्ति (आयस्टर) मात्स्यकी का विकास राज्यों द्वारा परिष्करण के लिए उपयुक्त पाये गये क्षेत्रों में शुरू किया जाता है। परिष्कृत मोतियों के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए एक मार्गदर्शी परियोजना, तमिलनाडु सरकार द्वारा मनेर की खाड़ी में शुरू की गयी है। गुजरात सरकार 1979 से परिष्करण प्रयोग कर रही है।

इस समय मनेर खाड़ी के आयस्टर तटों का संरक्षण और सुरक्षा सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा की जा रही है।

होबरा सोहन चिड़िया के रक्षित प्रजनन के लिए विदेशों से सहयोग की योजना

3759. डा० बसन्त कुमार पंडित : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महान भारतीय सोहन चिड़या की तरह की होबरा सोहन चिड़िया के "रक्षित प्रजनन" के लिए खाड़ी के अथवा किसी अन्य देश से सहयोग करने की कोई योजना है ;

(ख) क्या भारतीय वन्य जन्तु बोर्ड ने सोहन चिड़िया का शिकार करने पर लगाए गए प्रतिबन्ध को हटाने की भारी आपत्ति की है ;

(ग) यदि हां, तो इन सभी मुद्दों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) वास्तविक रूप से होबरा बस्टर्स भारत में जाड़े का प्रभावी है। भारत में बन्दी स्थिति में इसके प्रजनन के लिए इस समय कोई योजना नहीं है।

(ख) भारत में बस्टर्ड का शिकार करने पर पहले ही पूरी तरह से प्रतिबन्ध है। भारतीय वन्य प्राणि बोर्ड ने सिफारिश की है कि यह प्रतिबन्ध बना रहना चाहिए और देश में कहीं भी इन पक्षियों का शिकार करने की अनुमति देने का प्रश्न नहीं होना चाहिए।

(ग) सरकार बोर्ड की उक्त सिफारिश का अनुकरण कर रही है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के गन्दी बस्ती सफाई विभाग द्वारा सराय रोहिल्ला का विकास कार्य

3760. श्री त्रिलोक चन्द : क्या : निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के गन्दी बस्ती सफाई विभाग की सराय रोहिला गन्दी बस्ती पुनर्विकास योजना के अन्तर्गत पहाड़नगर की गली संख्या 1 और पुलिस स्टेशन के सामने औषधालय के साथ वाली गली संख्या 9 को 30 फुट चौड़ी सड़कों में बदला जाने का विचार था और उसके निकट एक पार्क का भी विकास किया जाने का विचार था ;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण के गन्दी बस्ती सफाई विभाग का विचार इन सड़कों और पार्क को कब तक बनाने का है ; और

(ग) दिल्ली प्राधिकरण के गन्दी बस्ती सफाई विभाग द्वारा सराय रोहिला ने शुरू किए जाने वाले अन्य विकास कार्यों का ब्योरा क्या है और उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां ये कार्य शुरू किए जाने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि जैसे ही कुछ निजी सम्पत्तियां जो कि सड़क की सिधाई के भीतर है उन्हें अर्जित और हटा दिया जायेगा वैसे ही सड़क, को चौड़ा करने की योजना को कार्यान्वित कर दिया जायेगा, प्रस्तावित पार्क का विकास किया जायेगा।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि सराय रोहिल्ला में निम्नलिखित विकास कार्यों को आरम्भ करने का प्रस्ताव है :—

1. सराय बस्ती में समाज सदनों का निर्माण।
2. सुभद्रा कालोनी के निकट 352 मलीन बस्ती टेनामैंटो का निर्माण।
3. सराय बस्ती, पूर्वी तथा पश्चिमी मोती बाग में मल जल लाइन बिछाना।
4. सामूहिक शौचालयों का निर्माण।
5. पार्कों तथा टाट लाट का विकास।

खरीफ फसल के संबंध में आकस्मिक योजनाएं तैयार करना

3761. श्री रघुनंदन लाल भाटिया : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष मानसून अच्छी न होने संबंधी भविष्यवाणी को ध्यान में रखते हुए

सरकार ने राज्य सरकारों, विशेष र उत्तरी क्षेत्र के राज्यों के परामर्श से खरीफ फसल के लिए कोई आकस्मिक योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) मानसून, जो कि अनिश्चित सी मालूम हो रही है, की प्रतिज्ञा किए बिना खरीफ की फसल को समय पर बीजने के लिए पर्याप्य बिजली और अन्य निवेश उपलब्ध कराने हेतु इस समय क्या उपाय किए गए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) जी हां । कृषि तथा सहकारिता विभाग ने मई के प्रारम्भ में सूखे पर एक आकस्मिक योजना शुरू की । राज्य सरकार और भारत सरकार के विभिन्न विभागों को विस्तृत मार्गदर्शन दिये गये और उनसे अनुरोध किया गया कि वे स्थिति पर लगातार निगरानी रखने के लिए समुचित कदम उठायें और मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए किसानों के सहायतार्थ समय पर कार्रवाई करें और ग्रामीण जनसंख्या को रोजगार आय, आहार और जहां आवश्यक हो, पेयजल उपलब्ध करये । कृषि कार्यक्रम में विशेष कार्यकारी मुद्दों का पता लगाया गया और राज्य, जिला और खण्ड स्तर पर इन्हें लागू करने के लिए भेजा गया । प्रधानमंत्री के सूखा प्रबंध से संबंधित 12 सूत्री कार्यक्रम जो 1979 के सूखे का सामना करने के लिए आधार था, को भी इस वर्ष सूखा से निपाटने के लिए राज्य सरकारों के ध्यान में लाया गया । बैंक क्षेत्र से भी अनुरोध किया गया है कि वे सूखे से प्रभावित क्षेत्रों के किसानों की सहायता करें इसी प्रकार सिंचाई मंत्रालय ने भी उत्तर पश्चिम क्षेत्र, महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश की राज्य सरकारों को अनुदेश दिये हैं जिनमें उनसे अनुरोध किया गया है कि वे फसल पैदावार के लिए जलाशयों में उपलब्ध सिंचाई जल का भरपूर उपयोग करें । आकस्मिक योजना में अन्य बातों के साथ-साथ कार्रवाई के निम्नलिखित मुद्दे शामिल हैं :

(क) सामुदायिक नर्सरियां उगाने तथा खरीफ फसलों की वृद्धि की महत्वपूर्ण अवस्थाओं के दौरान जल की उपलब्धी सुनिश्चित करने के लिए नहरों मे सिंचाई जल को नियोजित रूप से छोड़ना तथा उपयोग करना ।

(ख) नर्सरी पौद की वृद्धि और फसल उगाने की नाजुक स्थिति मे सिंचाई के लिए पम्प सेटों को डीजल और बिजली उपलब्ध कराना ।

(ग) संचित भूमि में सामुदायिक नर्सरियो का एक व्यापक कार्यक्रम, ताकि मानसून शुरू होने पर असिंचित क्षेत्रों मे किसानो को धान की पौद उपलब्ध कराई जा सके ।

(घ) बीजों की सप्लाई और यदि पहली फसल खराब हो जाती है और मौसम के बीज

वैकल्पिक फसल उगाने के लिए बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु एक आकस्मिक योजना ।

(ङ) किसानों को ऊंची भूमि के क्षेत्रों में, जहां सुनिश्चित न हो, धान की फसल उगाने के लिए निरुत्साहित करना।

(च) सूखे की हालत में ऋण की उपलब्धता और अल्पावधि ऋणों को मध्यावधि ऋण में बदलना।

(छ) राजकीय नलकूपों, नहरों, वितरण नालियों आदि की मरमत के लिए व्यापक अभियान और उसे कार्यान्वित करना।

(ज) फसल मौसम निगरानी दल और अन्तर्विभागीय समन्वय समिति की बैठक बुलाई जाए।

(ग) ऊर्जा, पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालयों को नलकूपों और पम्पसेटों को चलाने के लिए विशेषकर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बिजली और डीजल की सप्लाई बढ़ाने के लिए अनुरोध किया गया है, ताकि देरी से आये मानसून के बुरे प्रभावों से निपटा जा सके कृषि तथा सहकारिता विभाग केन्द्रीय जल आयोग और ग्रामीण विद्युतिकरण के अधिकारियों के केन्द्रीय दलबनाए गये हैं, ताकि वे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान,उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बगाल उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, राज्यों के चुने हुए जिलों का दौरा कर सकें। इन अधिकारियों को अनुदेश दिये गये कि वे दूरस्थ गांवों का दौरा करें और नहरी सिंचाई जल की सप्लाई, पम्पसेटों और नलकूपों के लिए बिजली/डीजल की सप्लाई, नहरों तथा राजकीय नलकूपों का रख-रखाव, अन्य महत्वपूर्ण कृषि आदानों, जैसा कि उर्वरकों, बीजों, कीटनाशी /कृमिनाशी औषधियों पादप रक्षण उपकरणों और ऋणों आदि की उपलब्धि और आदानों की सप्लाई के प्रबोधन की व्यवस्था की जाये। ये अधिकारी हाल ही में इन राज्यों का दौरा कर रहे हैं।

भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी सुधारों का कार्यान्वयन

3762. श्री भोगेन्द्र झा : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूमि की अधिकतम सीमा, काश्तकारी, साहूकारी तथा भूमि-सुधारों के अन्य उपायों के पूर्ण कार्यान्वयन क लिए अन्तिम तारीख मार्च, 1983 निर्धारित की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या हैं, और

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपयुक्त उपाय पूर्णत: कार्यान्वित किए जाएं क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) और (ख) छठी योजना प्रलेख में यह परिकल्पना की गई थी कि अधिकतम सीमा से फालतू भूमि को कब्जे में लेने और उसे वितरित करने का कार्य 1982-83 तक पूरा करना होगा। काश्तकारी, साहूकारी तथा भूमि सुधारों के अन्य उपाय सतत-स्वरूप के उपाय हैं। राज्य सरकारों से सभी भूमि सुधारों उपायों के कार्यान्वयन हेतु कारगर कदम उठाने के लिए अनुरोध किया गया है।

बाढ़ निवारक एवं सिंचाई परियोजना के रूप में अधवाड़ा नदी परियोजना

3763 श्री भोगेन्द्र झा : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधवाड़ा नदी परियोजना को बाढ़ निवारक एवं सिंचाई परियोजना के रूप में तैयार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कार्यान्वयन का कार्यक्रम क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) और (ख) बिहार सरकार ने सूचित किया है कि राज्य सरकार ने अधवाड़ा समूह की नदियों के बाढ़ नियंत्रण हेतु एक व्यापक योजना तैयार करने के लिए आवश्यक सर्वेक्षण करने के कार्य को हाथ में लिया है। राज्य सरकार ने आगे सूचित किया है कि इन क्षेत्रों की बाढ़ों से सुरक्षा हो जाने के पश्चात सिंचाई सुविधाओं को लागू किया जा सकता है।

विदेशों में भारतीयों द्वारा विकास के लिए रह रहे गांवों का अपनाया जाना

3764. डा० बसंत कुमार पंडित : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री विदेशों में रह रहे भारतीयों के द्वारा विकास के लिए गांवो के अपनाये जाने के बारे में 7 मई, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9965 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में रह रहे भारती लोगों द्वारा गांवों के अपनाये जाने के लिए "एस० ए० बी० आई० आर० ए०" योजना के अन्तर्गत 31 दिसम्बर, 1981 तक कितने ठोस प्रस्ताव मिले हैं और कितनों पर कार्यवाही की गई है ,

(ख) क्या समन्वय समिति और पीपुल्स एक्शन फार डिवेलपमेंट (इंडिया) को कोई दान मिला है, उन्होंने किन्हीं गांवों का चुनाव किया है और विकास कार्यक्रमों का पता लगाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) विदेशों में स्थित भारतीय हाई कमीशनों/दूतावासों के जरिए विदेशों में "एस० ए० बी० आई० आर० ए०" को अधिक प्रचार देने के लिए सरकार ने क्या कर्यवाही की है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) 31 दिसम्बर, 1981 तक 15 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। इन सभी आवेदन पत्रों की जांच की गई थी तथा इन पर कार्यवाही भी कर दी गई थी। इन प्रस्तावों में से अभी तक केवल एक प्रस्ताव को ठोस रूप दिया गया है।

(ख) और (ग) समन्वय समिति द्वारा दान प्राप्त नहीं किए जाते हैं। ये भारतीय विकास लोक कार्यक्रम को दिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में गोखपुर जिले के महादेव दुबे गांव में पेय जल हेतु एक नलकूप के निर्माण के लिए पोर्ट आफ स्पेन, त्रिनीदाद के एक निवासी श्री सिम्भूनाथ कपिलदेव से भारतीय विकास लोक कार्यक्रम ने 30, 000 रुपये का दान स्वीकार किया है। उत्तर प्रदेश सरकार से परामर्श किया गया है और परियोजना को कार्यान्वित कर दिया जाएगा।

(घ) विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के जरिए विदेश मंत्रालय के विदेशी प्रचार प्रभाग के सहयोग से इस योजना का प्रचार किया गया था।

विभिन्न राज्यों को सप्लाई किया गया खाद्यान्न

3765. श्री जेवियर अराकल : क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा दटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों को 1981 और 1982 के दौरान कुल कितनी मात्रा में खाद्यान्न सप्लाई किया गया ;

(ख) क्या यह सच है कि कमी वाले महीनों के दौरान केरल को खाद्यान्न की सप्लाई अधिनियम और कम रहती है, यदि हां, तो इसे रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) केरल को 1981 और 1982 में कुल कितनी मात्रा से खाद्यान्न सप्लाई किया गया ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी): (क) 1981-82 में विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को सप्लाई किए गए खाद्यान्नों की कुल मात्रा इस प्रकार है :—

आंकड़े हजार मीटरी टन में

वर्ष	चावल	गेहूं	मोटे अनाज	जोड़
1981	5443.2	6191.1	20.6	11857.9
1982 (जून तक)	3062.9	3359.9	4.1	6426.9

(ख) कमी वाले महीनों का ध्यान किए बिना वर्ष भर केरल को खाद्यान्नों की नियमित और पर्याप्त सप्लाई की जाती है ।

(ग) 1988 और 1982 के दौरान केरल को सप्लाई किए गए खाद्यान्नों की कुल मात्रा इस प्रकार है :—

आंकड़े हजार मीटरी टन में

वर्ष	चावल	गेहूं	जोड़
1981	1090.7	93.5	1184.2
1982 (जून तक)	566.4	48.3	614.5

अलवर और भरतपुर के लिए उठाऊ सिंचाई योजनाएं

3766. **श्री राजेश पायलट** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अलवर और भरतपुर क्षेत्रों के लिए कई उठाऊ सिंचाई योजनाएं केन्द्रीय जल बोर्ड के विचाराधीन हैं परन्तु उन्हे इसलिए स्वीकृति नहीं दी गई है क्योंकि अभी तक इस बात का निर्णय नहीं हो पाया है कि यमुना के जल को उत्तर प्रदेश हरियाणा और राजस्थान के बीच कैसे बांटा जाएगा ।

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए तकनीकी विशेषज्ञ नियुक्त किए जाने के बावजूद अभी तक उन्होंने अपना अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है ; और

(ग) यदि हां, तो 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत सिंचाई योजनाओं को दी गई उच्चतम प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा इन योजनाओं के सम्बन्ध में कौन से तत्काल कदम उठाए जा रहे हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : (क) राजस्थान सरकार से तकनीकी जांच तथा योजना आयोग के स्वीकृति प्राप्त करने लिए अलवर एवं भरतपुर के क्षेत्रों के लिए कोई लिफ्ट सिंचाई स्कीम केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) यमुना जल के बटवारे से सम्बन्धित तकनीकी विशेषज्ञ समिति ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट अभी हाल में प्रस्तुत की है ।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सूखाग्रस्त राजस्थान में गंगा के पानी का उपयोग

3 67. श्री राजेश पायलट : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कुल पानी का 30 प्रतिशत भाग गंगा नदी से आता है। परन्तु इसके अधिकांश भाग का उपयोग नहीं हो पाता है और यह न केवल समुद्र की ओर बहती है अपितु इससे प्रति वर्ष भयानक बाढ़ भी आती है।

(ख) क्या यह भी सच है कि इस पानी को कई सम्भावित तरीकों और परियोजनाओं के माध्यम से राजस्थान के प्राय: बाढ़ग्रत रहने वाले क्षेत्र में उपयोग में लाया जा सकता है और उन परियोजनाओं में से कुल एक दशक पहले तैयार की गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो अब तक कोई ठोस कार्यवाही न करने का कराण क्या है जब कि प्रति वर्ष बाढ़ और सूखा राहत कार्यक्रमों पर करोड़ें रुपए खर्च किए जाते हैं ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी): (क) से (ग) गंगा के जल संशाधन देश के समस्त जल संशाधनों का लगभग 1 बटे 4 भाग है। जल राज्य विषय होने के कारण अत्यन्त निकटवर्ती क्षेत्रों के लाभ के साथ इसका विकास संबन्धित राज्य द्वारा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार का यह विचार है कि गंगा से राजस्थान को देने के लिए जल नहीं है। तथापि, जल संशाधनों के विकास के प्रस्तावित राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के पूरा हो जाने के बाद जिसमें निकटतम जल संचयनों का निर्माण तथा देश की विभिन्न नदियों को आपस जोड़ना निहित है, राजस्थान के सूखा प्रवण क्षेत्रों में उपयोग के लिए फालतू जल की उपलब्धता का पता चल सकता है।

राजस्थान के लिए अनुमोदित विकसित गन्ने की किस्में

3769. श्री चतुर्भुज : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय गन्ना अनुसंधान द्वारा राजस्थान के लिए गन्ने की कौन सी किस्में अनुमोदित की गई हैं ; और

(ख) राजस्थान में क्षेत्रवार गन्ने की कौनसी किस्में पैदा की जा सकती हैं और कौन सी वास्तव में पैदा की जाती हैं और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन): (क) भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ ने विशेष रूप से राजस्थान के लिए किसी किस्म की सिफारिश नहीं की है। फिर भी, संस्थान ने कोलक 7701 नामक किस्म की उपोषण कटिबन्धीय क्षेत्रों के लिए सिफारिश की है जिस की मौजूदा समय में अनेक स्थानों में जांच की जा रही है।

(ख) राजस्थान में अधिकतर कोयम्बटूर किस्में उगायी जाती हैं। आशा जनक किस्मों की उसके मूल्य गुणों के साथ एक सूची संलग्न की जा रही है जो राजस्थान में उगायी जा सकती हैं। 1975-76 वर्ष के उपलब्ध गणना आकड़ों के अनुसार, राजस्थान में महत्वपूर्ण किस्मों के अन्तगत क्षेत्र इस प्रकार हैं को० (कोयबम्टूर) 419 (57), को० 312 (24), को० 1111 (7.) को० 1253 (5.`), को० 449 (1.8) को० 1007 (1.5) को० 527 (1.4) और एल० 29 (1.3) इस तरह गन्ना के अन्तर्गत कुल क्षेत्र करीब 40,000 हैक्टेयर है। गन्ने की को० 6617 किस्म अपेक्षाकृत एक नयी किस्म है जो जल्द तैयार होने वाली किस्मों में से है और यह रिपोर्ट मिली है कि को० एल० 29 और को० ८97 किस्मों की तुलना में लोग इस किस्म को उगाना अधिक पसन्द करते हैं।

विवरण

आशाजनक किस्में और उनके विशिष्ट गुण जिन्हें राजस्थान में उगाया जा सकताहै।

किस्में	विशिष्ट गुण
को० 1148	उपोष्णकटिबन्धीय भारत में अधिक प्रभावकारी किस्म, अधिक पैदावार देने वाला, देर से तैयार होने वाली, रेड रांट, सूखा और पाला प्रतिरोधी अच्छी पेड़ी देने वाली।
को० 1158	उपोष्णकटिबन्धीय भारत में लोक प्रिय, उपज और चीनी की मात्रा में अच्छी।
को० 62174	जल्द तैयार होने वाली, गुण में अच्छी, मोटा, प्रभावोत्पादक डंठल।
को० 6304	अच्छी पैदावार वाली तथा सीधी खड़ी पैदावर वाली, तमिलनाडू में लोकप्रिय, अब मध्य प्रदेश और गुजरात में भी उगाई जाने लगी है।
को० 6518	अधिक पैदावार वाली तथा सामान्य गुण वाली।
को० 6617	जल्द तैयार होने वाली और अच्छी क्वालिटी वाली, रेड रांट प्रतिरोधी, अच्छी पेड़ी वाली।
को० 219	मध्यम अवधि में तैयार होने वाली, अच्छी पैदावार वाली, प्रायद्वीपीय भारत में अच्छी पैदावार दे रही है।
को० 7314	जल्द तैयार सोने वाली तथा अच्छी क्वालिटी वाली, रेड रांट प्रतिरोधी। पंजाब में आशाजनक।
को० 7704	जल्द तैयार होने वाली तथा अच्छी क्वालिटी वाली रतुआ रोधी।
को० 7717	यह को० 1148 से हरियाना में डण्ठल और चीनी के मामले में अधिक उपज देने वाली। अधिक बढ़वार क्षमता वाली।

एशियाई खेल 82 के दौरान दिल्ली में पेयजल की मांग

3770. डा० वसन्त कुमार : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : दिल्ली में अक्तूबर दिसम्बर, 1982 के दौरान पेयजल की सामान्य मांग कितनी है और एशियाई खेल 82 के लिए कितने अतिरिक्त पेयजल का निर्धारण किया गया है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : जैसा कि दिल्ली जल प्रदाय एवं मल व्ययन संस्थान ने सूचित किया है दिल्ली में पेयजल की मांग प्रति व्यक्ति 50 गैलन प्रतिदिन या प्रति व्यक्ति 2250 लीटर प्रति दिन है । इस संस्थान ने सूचित किया है कि अक्तूबर दिसम्बर, 1982 के लिए अलग से कोई मूल्यांकन नहीं किया है । एशियाड 82 के लिए अतिरिक्त मांग लगभग 5 गैलन प्रति दिन आंकी गई है ।

"फिनरीज कारपोरेशन इन डोल ड्रम्स" शीर्षक समाचार

3771. श्री पी० जे० कुरियन : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 2> जून, 1982 के "दि हिन्दू" (हैदराबाद संस्करण) में प्रकाशित "फिशरीज कारपोरेशन इन डोल ड्रम्स" शीर्षक समाचार की ओर ध्यान दिया है;

(ख) क्या यह सच है कि राज्य मछली पालन निगम और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने सम्बन्धी उद्योग संकट का सामना कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(घ) उक्त समाचार में बताए गए अनुसार मंक्सिको आयातित मत्स्य नौकाओं द्वारा हानि उठाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) प्रभावित निगमों और कम्पनियों को सहायता देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) राज्य मात्यस्की निगमों तथा मत्स्यन उद्योग में संकट के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है । तथापि ईन्धन की लागत में वृद्धि होने से उत्पन्न हुई कठिनाइयों का सामना करने के लिए सरकार कुछ प्रोत्साहन देने वाली योजनाओं की जांच कर रही है ।

(घ) दिए गए समाचार में आन्ध्र प्रदेश मात्स्यकी निगम द्वारा मैक्सिकों के मत्स्यन ट्रालरों के प्रचालन में हुए नुकसान के बारे में संकेत नहीं मिलता है ।

(ङ) सरकार को किसी कम्पनी अथवा राज्य निगम से किसी प्रकार की सहायता के बारे में कोई अनुरोध नहीं मिला है ।

शैक्षिक संस्थाओं को विद्यालय स्थानों का आबंटन

3772. श्री आर० एन० राकेश : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान अर्थात् 1977 से 1982 तक प्रति वर्ष विद्यालय स्थानों के लिए आवेदन करने वाली शैक्षिक संस्थाओं/समितियों के नाम क्या है;

(ख) ऐसी समितियों/विद्यालयों के नाम क्या हैं जिन्हें भूमि आबंटित की जा चुकी और किस दर पर;

(ग) क्या यह सच है कि दिल्ली, नई दिल्ली में विद्यालय चलाने के लिए 37 संस्थाओं समितियों को नर्सरी विद्यालयों के लिए 37 स्थल निश्चित करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण का कोई प्रस्ताव था; और

(घ) यदि हां, तो क्या उन्हें स्थल आबंटित किए जा चुके हैं और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल हर रख दी जाएगी ।

परिसरों के दुरुपयोग के लिए जुर्माना करना

3773. श्री आर० एन० राकेश : क्या निर्माण और आवास मंत्री परिसरों के दुरुपयोग के लिये अर्थ दण्ड लगाने के बारे में 5 अप्रैल, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6713 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह बताया है कि वे मकान मालिकों द्वारा अपने किरायेदारों से लिए जा रहे किराये से अनभिज्ञ हैं;

(ख) क्या यह सच है कि यद्यपि मकान मालिक डी० डी० ए० को विशेष रूप से और साफ तौर पर यह बता देता है कि दुरुपयोग किए जा रहे परिसर के लिए उसे कितना मामूली

किराया मिलता है और आयकर प्राधिकारियो द्वारा उसकी कुल आय के निर्धारण के विषय में भी सूचित कर देता है तो भी डी० डी० ए० मकान मालिक पर परिसर का दुरुपयोग करने के लिए बाजार दर से जुर्माना लगाता है;

(ग) क्या इस प्रकार प्राप्त होने वाले किराये और मकान मालिक की कुल आय से भी अधिक जुर्माना किया जाना मानवीय कार्य है; और

(घ) यदि हां, तो जुर्माने को प्राप्त होने वाले किराये और लोगों की आय से सम्बद्ध करने के लिए कौन से कदम उठाए जाने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया कि दुरुपयोग के लिये जुर्माने की गणना निर्धारित दरों से की जाती है । इस गणना के लिए पट्टाधारी से यदि कोई किराया प्राप्त होता है और चाहे यह कुल प्राप्त किराये से अधिक हो, गणना के लिए उसे शामिल नहीं किया जाता है ।

दुरुपयोग के मामलों में चाहे पट्टाधारी ने किराएदार पर खाली करवाने के लिये कानूनी कार्यवाही आरम्भ कर दी है वहां दिल्ली विकास प्राधिकरण विद्वान नीति के अनुसार पट्टाधारी को रिआयत देता है और उससे जुर्माने की राशि का केवल 25 प्रतिशत वसूल करता है, इस राशि की गणना निर्धारित गणना के अनुसार पट्टेदार द्वारा मुकदमा दायर की गई तारीख से की जाती है ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यालय में पत्रों का उपयुक्त निपटान न करना

3774. श्री हीरालाल आर० परमार : क्या निर्माण और और आवास मंत्री दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यालय में पत्रों का उपयुक्त निपटान न करने के बारे में 1 मार्च, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1199 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शर्तें अथवा लाइसेन्स दस्तावेज और अन्य औपचारिकताएं अभी तक पूरी नहीं की गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

मोती बाग-1 के क्वार्टरों के बरामदों में शीशे लगाना

3775. श्री आर० एन० राकेश : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आबंटियों के अनुरोध पर मोती बाग-1 के कुछ क्वार्टरों के बरामदों में शीशे लगाए गए हैं;

(ख) क्या आबटितियों से ये मिली हैं कि खिड़किया ठीक नहीं लगाई गई हैं और छतों से पानी रिसता है और उन पर ढंग से प्लास्टर नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या उनकी शिकायतें दूर करने और ठेकेदार को भुगतान करने से पूर्व संबंधित आबंटितों से काम पूरा होने का प्रमाण-पत्र लेने के कोई कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पूछ-ताछ कार्यालय में ऐसी शिकायतें समय समय पर प्राप्त होती रहती हैं और उन्हें दूर किया जाता है। सम्बन्धित आबंटी से कार्य पूरा होने का प्रमाण पत्र लेने का कोई प्रावधान नहीं है लेकिन टेदार को भुगतान करने से पूर्व काम पूरा करने के सबूत में क्वार्टर में मौजूद व्यक्ति के हस्ताक्षर लिए जाते हैं।

विश्व बैंक सहायता प्राप्त राष्ट्रीय बीज परियोजना

3776. श्री जगदीश टाइटलर : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को विश्व बैंक से सहायता प्राप्त राष्ट्रीय बीज परियोजना की गति बढ़ाने मे सफलता नहीं मिली है; और

(ख) यदि हां, तो छठी योजना के पहले दो वर्षों के दौरान धनराशि के धीमे उपयोग के क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) विश्व बैंक की सहायता प्राप्त राष्ट्रीय बीज परियोजना में विभिन्न एजेन्सियां और बड़ी संख्या में घटक शामिल है। प्रारम्भिक कठिनाइयों के बाद क्रियान्वयन की गति तेज हो गई है। सचिव (कृषि तथा सहकारिता) की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय परियोजना प्रबंध तथा प्रबोधन समिति द्वारा हर तीन महीने बाद क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की जाती है। परियोजना में शामिल

विभिन्न एजेन्सियों के साथ मासिक समन्वय बैठकें भी होती हैं, ताकि तेजी से क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं होता।

पशमीना ऊन का उत्पादन

3177. श्री जगदीश टाइटलर : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि पशमीना ऊन का उत्पादन तथा इसका व्यापार समाप्त हो रहा है;

(ख) पशमीना उत्पादकों द्वारा धीरे-धीरे इस व्यापार को छोड़ने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रही है कि यह व्यापार नष्ट न हो?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) पशमीना ऊन उत्पादन तथा इसका व्यापार समाप्त नहीं हो रहा है।

(ख) पशमीना उत्पादक इस व्यापार को नहीं छोड़ रहे हैं, बल्कि जम्मू व कश्मीर राज्य में पशमीना बकरियों की संख्या बढ़ रही है।

(ग) जम्मू व कश्मीर राज्य भेड तथा मेड़ उत्पाद विकास बोर्ड ने बिचौलियों को दूर करके पशमीना उत्पादकों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं।

गन्ने के मूल्यों की बढ़ती हुई बकाया राशि

3778. श्री जगदीश टाइटलर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी तथा सहकारी चीनी मिलें ही चीनी उद्योगों में हमारे लिए सबसे बड़ी दोषी हैं कि वे गन्ने के मूल्य की बढ़ती हुई बकाया राशियों की समस्या को हल नहीं कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार जिस तरह इस समस्या को हल करना चाहती है उन उपायों का विस्तृत विश्लेषण क्या है?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) और (ख) वर्तमान चीनी वर्ष में 15.6.1982 तक सरकारी और सहकारी चीनी मिलों के बारे में गन्ने

के मूल्य के बकायों की राशि केवल 56.52 करोड़ रुपये थी। इसमें गत 14 दिनों में खरीदे गए गन्ने के मूल्य के बकायों की राशि शामिल नहीं है क्योंकि सांविधिक उपबन्धों के अन्तर्गत इसका भुगतान 14 दिनों के अन्दर किया जा सकता है। यह राशि गन्ने के मूल्य की कुल देय राशि का 6.2 प्रतिशत बैठती है। दोनों सरकारी और सहकारी चीनी फैक्ट्रियों को मिलाकर तथा प्राइवेट क्षेत्र की फैक्ट्रियों के पिछले मौसमों के गन्ने के मूल्य के बकायों की राशि क्रमशः 2.00 करोड़ रुपये और 13.8 करोड़ रुपये बैठती है।

2. चीनी फैक्ट्रियां सामान्यतया उत्पादित गन्ने का लगभग 1/3 मात्र पेरती हैं लेकिन वर्तमान मौसम के दौरान गन्ने का 1800 लाख मीटरी टन का रिकार्ड उत्पादन होने के कारण गुड़ और खण्डसारी सैक्टर से भारी मात्रा में गन्ना चीनी फैक्ट्रियों की ओर चला गया था। शीघ्र और देर तक पिराई कार्य करने के लिए उत्पादन शुल्क में रिबेट देने के रूप में प्रोत्साहन देने पड़े थे ताकि फैक्ट्रियों द्वारा अधिकतम मात्रा में गन्ने की पिराई करवाना सुनिश्चित किया जा सके। यदि ये उपाय नहीं किए जाते तो बहुत कम लाभ पर गुड़ और खण्डसारी के उत्पादन के लिए गन्ना चला जाता जिससे गन्ना के उत्पादकों को परेशानी उठानी पड़ती।

3. वर्तमान वर्ष के दौरान चीनी का रिकार्ड उत्पादन होने से उद्योग के लिए ऋण से सम्बन्धित समस्याएं पैदा हुई थीं। इससे उनकी गन्ने के बकायों का समय पर भुगतान करने की क्षमता पर कुप्रभाव पड़ा था क्योंकि फैक्ट्रियों से चीनी का उठान इस रफ्तार से नहीं किया जा सका था जिस रफ्तार से उत्पादन किया गया था। इस समस्या पर काबू पाने के लिए फैक्ट्रियों की ऋण सीमा को बढ़ाकर उनकी पिछले वर्ष की अधिकतम स्तर की प्राप्तियों का 125 प्रतिशत कर दिया गया था। इसके अलावा, और अधिक बैंक ऋण प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत मामलों पर भी गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि गन्ने के मूल्य के बकायों का भुगतान करने के लिए ही ऋण की राशि का इस्तेमाल किया जाता है; भारत के रिजर्व बैंक ने भी सभी बैंकों को अनुदेश जारी किए हैं। सरकार ने चीनी का निर्यात करने और 5 लाख मीटरी टन का बफर स्टाक तैयार करने का भी निर्णय किया है जो कि चीनी फैक्ट्रियों की लीक्विडिटी स्थिति में सुधार करने के लिए अच्छा सिद्ध होगा और जिससे उन्हें गन्ने के बकायों की राशि का भुगतान करने में मदद मिलेगी।

सेवा नगर कालोनी में पानी का कम दबाव

3779. **श्री चित बसु** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सेवा नगर कालोनी (नई दिल्ली) के निवासी खास तौर पर उन्हें जो पहली मंजिल पर रह रहे हैं, नल के पानी के अत्यन्त कम दबाव के कारण अपनी दिन प्रतिदिन की पानी की आवश्यकाएं पूरी करने में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो नल के पानी के इस प्रकार कम दबाव के क्या कारण है; और

(ग) स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाग जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली जल प्रदाय एवं मल व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि आजकल सेवा नगर कालोनी में जल सप्लाई सन्तोषजनक है । प्रथम तल में जल प्रात: तीन घण्टे तथा सायंकाल को तीन घण्टे उपलब्ध रहता है ।

(ख) तथा (ग) इस संस्थान ने सूचित किया है कि शाहदरा में 100 मी० गैलन प्रतिदिन (मिलियन गैलन प्रतिदिन) पानी की क्षमता वाले जल शोधन संयंत्र के चालू हो जाने से जल सप्लाई में और सुधार हो जाएगा।

भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों का निलम्बन

3780. श्री भीखा भाई : क्या कृषि मन्त्री जगरांव में आन्ध्र प्रदेश के सनतनगर के लिए लादे गए रेलवे वैगनों में गेहूं और चावल की कमी हो जाना और भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों के निलम्बन आदेशों को वापिस लेने के बारे में 26 अप्रैल, और 19 जुलाई, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9559 और 1664 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक अधिकारी की निलम्बन अवधि कितनी हैं;

(ख) उनमें से प्रत्येक पर चार्जशीट में क्या आरोप लगाये गए थे;

(ग) इन सभी में कितने रुपये की धनराशि और कितनी मात्रा की चोरी अन्तर्ग्रस्त है; और

(घ) अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रत्येक मामले में नियुक्त जांच अधिकारी का ब्योरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) इन अधिकारियों की निलम्बन अवधि इस प्रकार है : —

(i) 6 कर्मचारियों की 12.4.82 से 3.5.82 तक ।

(ii) 2 कर्मचारियों की 13.4.82 से 3.5.82 तक ।

(iii) 1 कर्मचारी की 15.4.82 से 3.5.82 तक ।

(iv) 1 कर्मचारी की 19.4.82 से 3.5.82 तक ।

(ख) चार्जशीट में लगाए गए आरोप इस प्रकार थे :—

I श्रेणी II (डिपो) अधिकारी

(i) राज्य एजेंसी से स्टाक लेते समय और उस स्टाक को लादने के लिए माल गोदाम को भेजते समय अनुपयुक्त देखरेख ।

(ii) गेहूं स्पेशल में लदे बोरों का कम तोल ।

(iii) स्पेशल ट्रेनों में लदाई के लिए कर्मचारियों में काम का अनुपयुक्त आबंटन जिससे धांधली होती है ।

(iv) कुछ वेगनों में कानवाई नोट की व्यवस्था न होना/अपूर्ण कानवाई नोट और वेगनों में कम लदान होना जिसके फलस्वरूप रेलवे को अतिरिक्त भाड़े का भुगतान किया जाना ।

II श्रेणी III (डिपो) अधिकारी

(i) राज्य एजेन्सी से कटे और फटे बोरों को स्वीकार करना और उसका लदान करना और ठीक से सिलाई किए बिना ।

(ii) ढीले और क्षतिग्रस्त बोरों को स्वीकार करना और उनका लदान करना जिसके फलस्वरूप संगठन को हानि पहुंचना ।

III श्रेणी II और III (क्वालिटी कन्ट्रोल)

अधिकारी/कर्मचारी

(i) अनुपयुक्त देख रेख जिसके फलस्वरूप राज्य सरकार से कीड़े से ग्रस्त और बी० आर० एल० स्टाक स्वीकार करना और उसकी वेगनों में लदाई करना ।

(ii) उपयुक्त चूक/अनियमितता में राज्य एजेन्सी के साथ सांठ-गांठ होना जिससे भारतीय खाद्य निगम को हानि पहुंचना ।

(ग) तोल और रुपयों के हिसाब से कुल हानि इस प्रकार हुई थी :—

गेहूं 845 क्विंटल——1,22,542 रुपये (लगभग)

चावल 876 क्विंटल——1,86,913 रुपये (लगभग)

(घ) इन सभी मामलों में इन्क्वायरी अधिकारी संयुक्त प्रबन्धक (इन्क्वायरी), भारतीय खाद्य निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, पंजाब, चण्डीगढ़, हैं ।

भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों को गृह निर्माण अग्रिम

3781. श्री राम जी भाई मावणी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम ने गृह निर्माण अग्रिम राशि की पात्रता मूल वेतन व मंहगाई भत्ता व अतिरिक्त मंहगाई भत्ता हिसाब म जोड़ते हुए निर्धारित करने के लिए अनुदेश जारी किए है बशर्ते कि अधिकतम अग्रिम राशि एक लाख रुपय हो;

(ख) क्या यह सच है कि ये अनुदेश उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होते हैं जिनको पिछले नियमों के अनुसार गृह निर्माण अग्रिम पहले ही मजूर किया जा चुका है परन्तु उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण को फ्लैटों की लागत के लिए भुगतान करना पड़ता है और उन्होंने फ्लैटों पर कब्जा नहीं लिया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ये अनुदेश उन मामलों में लागू क्यों नहीं होते हैं जिनमे कर्मचारियों को फ्लैटों की शेष लागत अभी चुकानी है या जिन्होंने पूरा गृह निर्माण अग्रिम प्राप्त कर लिया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) गृह निर्माण अग्रिम मन्जूर करने से सम्बन्धित ये आदेश 24-6-1982 से प्रभावी हैं और न कि पिछली तारीख से। तथापि, उन मामलों, जहां पर इस तारीख से पहले केवल आंशिक अग्रिम दिया गया था और जहां दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कर्मचारियों को फ्लैटों का कब्जा नहीं दिया गया है, मैं इन आदेशों की व्यवहार्यता का प्रश्न निगम के विचाराधीन हैं।

उत्पादन की लागत तथा गेहूं व चावल का खरीद मूल्य

3782. श्री ए० के० राय : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्पादन लागत की गणना करने के आधार का ब्योरा क्या है और सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं चावल तथा अन्य वस्तुओं का नवीनतम खरीद मूल्य क्या है, तथ्यों का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या यह लाभकारी मूल्य है, यदि हां, तो सरकार द्वारा निर्धारित लाभकारी मूल्य की परिभाषा क्या है। यदि नहीं, तो इस पर क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या कम खरीद मूल्य के बारे में भारी असन्तोष व्याप्त है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कदम उठाए गए है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी विवरण 1 और 2 में दे दी गई हैं।

(ख) सरकार की नीति यह सुनिश्चित करने की है कि खरीद/समर्थन मूल्य किसानों के लिए लाभकारी रहे तथा उनकी उत्पादन लागत को पूरा करे और उनके लिए लाभ की पर्याप्त गुंजाइश भी बनी रहे।

(ग) इस वर्ष खाद्यान्नों की खरीद 150 लाख टन के रिकार्ड स्तर तक हुई है जिससे पता चलता है कि सरकार द्वारा निर्धारित किए गए खरीद मूल्य उचित हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

विवरण-1

1970-71 में भारत सरकार द्वारा प्रमुख फसलों की खेती/उत्पादन की लागत का अध्ययन करने के लिए शुरू की गई व्यापक योजना के द्वारा उत्पादन की लागत के अनुमान तैयार किए जाते हैं। यह योजना 16 राज्यों में चलाई जा रही है। इसके अतिरिक्त, आन्ध्र प्रदेश में वर्जीनिया फ्लयू क्योर्ड तम्बाकू पर एक विशेष अध्ययन किया जा रहा है।

योजना में अनवरत आधार पर वास्तविक और मुद्रा के रूप में आदानों और उत्पादन पर द्योतक आंकड़ों का संग्रह करना तथा प्रति हैक्टार खेती की लागत और प्रमुख फसलों का प्रति क्विंटल उत्पादन की लागत का अनुमान लगाने की व्यवस्था है। आंकड़ों का संचयन लागत लेखांकन पद्धति के आधार पर किया जा रहा है अर्थात् सम्पूर्ण फसल वर्ष के दौरान चुनींदा उत्पादकों से निरन्तर संबंध स्थापित करके आंकड़े एकत्र करना।

अध्ययन का तरीका तीन चरणनीय यादृच्छिक नमूना लेना है, जिसमें तहसील प्रथम चरण नमूना इकाई है, तीन गांवों का समूह दूसरा चरण नमूना इकाई है और समूह में संक्रियागत जोतें तीसरी और अन्तिम नमूना इकाई है। राज्य के लिए नमूने का आकार प्रत्येक राज्य के फसलाधीन क्षेत्र के समानुपात से निर्धारित किया जाता है।

लागत के अनुमान सहित विभिन्न मदों का ब्योरा नीचे दिया गया है :—

1. किराए पर लिया गया मानव श्रम का मूल्य।
2. किराए पर लिया गया बैल श्रम का मूल्य।
3. निजी स्वामित्व वाले बैलों के श्रम का मूल्य।
4. किराए पर ली गई मशीनरी का शुल्क।
5. निजी स्वामित्व वाली मशीन का श्रम मूल्य।

6. बीजों का मूल्य (फार्म में पैदा किए गए तथा खरीदे गए)।

7. सिंचाई और कीटनाशी दवाइयों का मूल्य।

8. खाद का मूल्य (अपने पास उपलब्ध व खरीदा गया)।

9. उर्वरकों का मूल्य।

10. उपकरणों व फार्म भवनों का मूल्य ह्रास।

11. सिंचाई शुल्क।

12. भूमि राजस्व, उप कर तथा अन्य कर।

13. कार्यशील पूंजी पर ब्याज।

14. विविध खर्चे (कारीगर इत्यादि)।

15. पट्टे पर ली हुई भूमि के लिए दिया गया किराया।

16. निजी स्वामित्व वाली भूमि पर आकलित ब्याज का मूल्य।

17. निजी स्वामित्व वाली अंचल पूंजी पर आकलित ब्याज।

18. पारिवारिक श्रम का आकलित मूल्य।

1981-82 के फसल वर्ष से उत्पाद का गांवों से मण्डियों/अधिप्राप्ति केन्द्रों तक परिवहन लागत और आदानों की खरीद के लिए प्रबन्धक लागत और पड़ोसी गांवों में उपकरणों और मशीनरी की मरम्मत लागत की सूचना भी एकत्रित की जा रही है।

प्रति क्विंटल उत्पादन की लागत को अनुमान प्रति हैक्टार उत्पादन की लागत को (उप-उत्पादों का निवल मूल्य) प्रति हैक्टार उपज पर भाग देकर लगाया जाता है।

विवरण-2

खाद्यान्नों का खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य

(रुपए प्रति क्विंटल)

जिन्स	किस्म	वर्ष (फसल वर्ष)	वर्ष (विपणन वर्ष)	कृषि मूल्य आयोग द्वारा सिफारिश किया गया मूल्य	सरकार द्वारा घोषित मूल्य
1	2	3	4	5	6
			1. खरीद मूल्य		
धान	मोटे	1975-76	1975-76	74.00	74.00
		1976-77	1976-77	74,00	74.00

1	2	3	4	5
	1977-78	1977-78	77.00	77.00
	1978-79	1978-79	82.00	85.00
	1979-80	1979-80	90.00	95.00
	1980-81	1980-81	100.00	105.00
	1981-82	1981-82	115.00	115.00
मोटे धान्य	1975-76	1975-76	74.00	74.00
(ज्वार, बाजरा,	1976-77	1976-77	74.00	74.00
मक्का, नागी)	1977-78	1977-78	74.00	74.00
	1978-79	1978-79	85.00	85.00
	1979-80	1979-80	85.00	95.00
	1980-81	1980-81	97.50	105.00
	1981-82	1981-82	116.00	116.00
रबी धान्य				
गेहूं सभी किस्में	1975-76	1976-77	105.00	105.00
	1976-77	1977-78	105.00	110.00
	1977-78	1978-79	110.00	112.50
	1978-79	1979-80	113.00	115.00
	1979-80	1980-81	117.00	117.00
	1980-81	1981-82	127.00	130.00
	1981-82	1982-83	142.00	142.00

1	2	3	4	5
	2. मोटे धान्यों के न्यूनतम समर्थन मूल्य			
जो	1975-76	1976-77	65.00	65.00
	1976-77	1977-78	65.00	65.00
	1977-78	1978-79	67.00	67.00
	1978-79	1979-80	सिफारिश नहीं की गई	घोषित नहीं
	1979-80	1980-81	सिफारिश नहीं की गई	घोषित नहीं
	198'-81	1981-82	05.00	105.00
दलहन				
चना	1975-76	1976-77	90.00	9.00
	1976-77	1977-78	95.00	95.00
	1977-78	1978-79	120.00	125.00
	1978-79	1979-80	140.00	140.00
	1979-80	1980-81	145.00	145.00
	1980-81	1981-82	165.00	घोषित नहीं
	1981-82	1981-82	227.00	घोषित नहीं
अरहर	1975-76	1975-76	सिफारिश नहीं की गयी	घोषित नहीं
	1976-77	1976-77	"	घोषित नहीं
	1977-78	1977-78	"	घोषित नहीं
	1978-79	1978-79	155.00	155.00
	1979-80	1979-80	165.00	165.00
	1980-81	1980-81	190.00	190.00
	1981-82	1981-82	सिफारिश नहीं की गयी	घोषित नहीं

1	2	3	4	5	6
मूंग	—	1975-76	1975-76	"	"
		1976-77	1976-77	"	"
		1977-78	1977-78	"	"
		1978-79	1978-79	165.00	165.00
		1979-80	1979-80	175.00	175.00
		1980-81	1980-81	200.00	200.00
		1981-82	1981-82	सिफारिश नहीं की गयी	घोषित नहीं
उड़द	—	1975-76	1975-76	"	
		1976-77	1976-77	" सिफारिश नहीं की गयी	
		1977-78	1977-78	"	घोषित नहीं
		1978-79	1678-79	"	"
		1979-80	1979-80	175.00	175.00
		1980-81	1980-81	200.00	200.00
		1981-82	1981-82	सिफारिश नहीं की गयी	घोषित नहीं
गन्ना**		1975-76	1975-76	9.50	8.50
		1976-77	1976-77	9.50	8.50
		1977-78	1977-78	9.50	8.50
		1978-79	1978-79	10.00	10.00
		1979-80	1979-80	10.00	12.50
		1980-81	1980-81	13.00	13.00
		1981-82	1981-82	15.50	13.00

*—सामान्य किस्म के लिए (लोंग बोल्ड/शार्ट बोल्ड)

**—ये मूल्य 8.5 प्रतिशत की मूल वसूली से सम्बद्ध है, जिसके साथ उस स्तर से प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की वृद्धि के लिए आनुपातिक प्रीमियम भी है।

वाणिज्यिक फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य

(रुपये प्रति क्विंटल)

जिन्स	किस्म	फसल वर्ष	विपणन वर्ष	कृषि मूल्य आयोग द्वारा सिफारिश किया गया मूल्य	सरकार द्वारा घोषित मूल्य
1	2	3	4	5	6
1. कपास	पंजाब/अमरीकन 320—एफ	1975-76	1975-76	210.00	210.00
	—तदैव—	1976-77	1976-77	220.00	घोषित नहीं
	—तदैव—	1977-78	1977-78	255.00	555.00
	—तदैव—	1978-79	1978-79	255.00	225.00
	320—एफ/414-एफ/ जे—34	1979-80	1979-80	265.00	275.00
	—तदैव—	1980-81	1980-81	300.00	304.00
	जे—34/414-एफ	1981-82	1981-82	380.00	घोषित नहीं
		1982-83	1982-83	380.00	उपलब्ध नहीं
2. जूट	असम बोट्टम तथा (कच्चा) तुलनीय किस्में				
	ओर ग्रेड	1975-76	1975-76	133.00	135.00*
	डब्ल्यू-5 ग्रेड	1976-77'	1976-77'	140.00	136.00
	डब्ल्यू-5 ग्रेड जूट असम में	1977-78	1977-78	136.00	141.00
	—तदैव—	1978-79	1978-79	150.00	150.00
	—तदैव—	1979-80	1979-80	155.00	155.00
	—तदैव—	1980-81	1980-81	160.00	160.00

1	2	2	3	4	4
	—तदैव—	1981-82	1981-82	175.00	175.00
	—तदैव—	1982-83	1982-83	175.00	घोषित नहीं
3.	साबुत एफ ए क्यू	1976-77	1976-77	140.00	140.00
	मूंगफली	1977-78	1977-78	155.00	160.00
		1978-79	1978-79	170.00	175.00
		1979-80	1979-80	175.00	198.00
		1980-81	1980-81	206.00	206.00
		3981-82	1981-82	273.00	270.00
		1981-82	1982-83	295.00	घोषित नहीं
4.	सोयाबीन एफ ए क्यू	1977-78	1977.78	145.00	145.00
	(काला)—तदैव—	1978-79	1978-79	155.00	175.00
	—तदैव—	1979-80	1979-80	175.00	175.00
	—तदैव—	1980-81	1980 81	183.00	183.00
	—तदैव—	1981-82	1881-82	213.00	210.00
		1982-83	1982-83	220.00	घोषित नहीं
	सोयाबीन एफ ए क्यू	1980-81	1980-81	घोषित नहीं	198.00
	(पीला)	1981-82	1981-82	234.00	230.00
		1982-83	1982-83	245.00	घोषित नहीं
5.	सूरजमुखी का एफ ए क्यू	1976-77	1976-77	150.00	150.00
		1977-78	1977-78	165.00	165.00
		1978-79	1978-79	175.00	175.00
		1979-80	1979-80	175.00	175.00
		1980-81	1980-81	183.00	183.00

1	2	3	4	5	6
		1981-82	1981-82	253.00	250.00
		1982-83	1982-83	250.00	घोषित नहीं
6.	सरसों एफ ए क्यू	19.7-78	1978-7	225.00	225.00
	— तदैव—	1978-79	1979-80	45.00	245.00
	— तदैव—	1979-80	1980-81	250.00	—
	—तदैव	1980-81	1991-82	260.00	—
	— तदैव—	1981-82	1982-83	330.00	उपलब्ध नहीं
7.	तम्बाकू वी एफ सी	1980-81	1981.82	8.25 ×	8.25 ×
	(रु० प्रति —एफ—2			7.50 × ×	7.75 × × ×
	किलोग्राम — तदैव—	1981182	1982.73	8.50 ×	8.50
				8.00 × × ×	8.00

* कृषि मूल्य आयोग ने असम बोट्टम के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 140.00 रुपये की सिफारिश की। लेकिन सरकार ग्रेडों में संशोधन के कारण डब्ल्यू-5 ग्रेड के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 139.00 रुपये घोषित किया।

× हल्की मिट्टी पर उगाई गयी तम्बाकू

× × काली मिट्टी पर उगाई गई तम्बाकू

× × × सांविधिक आधार

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लेटों/दुकानों प्लाटों के आबंटन के लिए आरक्षण

3781. श्री भीखा भाई : क्या निर्माण और आवास मन्त्री दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लैटों दुकानों/प्लाटो के आबंटन के लिए आरक्षण के बारे में 12 अप्रैल, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7480 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों-अनुसूचित जनजातियों को किस्तों के आधार पर तथा लागत मूल्य पर फ्लैट-प्लाट-दुकानें-औद्योगिक प्लाट अलाट करने के लिए क्योंकि ये उनको नकद अदायगी के माध्यम पर खरीदने की स्थिति में नहीं हैं दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नियमों और विनियमों में अब तक संशोधन न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या इस प्रकार का कोई प्रस्ताव है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लैटों की बिक्री लागत का निर्धारण करने के लिए अपनाए गए लागत निर्धारण फार्मूले में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए जिसमें अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां भी शामिल हैं, सबसीडीज अन्तर्निहित है और समस्त आवास कार्यक्रम का संचालन 'लाभ-हानि' रहित आधार पर किया जाता है। पंजीकृत व्यक्तियों की भुगतान क्षमता को ध्यान में रखते हुए, नवीन पद्धति पंजीकरण योजना, 1979 के अन्तर्गत अधिकांश एककों का आबंटन नकद अदायगी की अपेक्षा किराया खरीद आधार पर किया जा रहा है। दुकानों के मामले में, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को ये आवंटन सीमित नीलामियों के आधार पर किए जाते हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा औद्योगिक प्लाटों के आबंटन हेतु अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं है। फ्लैटों और दुकानों की बिक्री के विद्यमान पद्धति में कोई परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सरकारी कर्मचारी द्वारा सेवानिवृत्त होने के बाद सरकारी आवास में रहते रहना

3784. श्री सनत कुमार मंडल : क्या निर्माण और आवास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सम्पदा निदेशालय के पूल से सरकारी आवास का आबंटन प्राप्त कोई केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्त के बाद वर्तमान किराए पर कितने दिन तक सरकारी आवास रख सकता है;

(ख) क्या उन कर्मचारियों की जिनके पास अपने निजी मकान भी है, यह प्रवृत्ति है कि वे किसी न किसी बहाने से यथा सम्भव लम्बे समय तक सरकारी आवास में बने रहते हैं;

(ग) उन कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है जो अपनी सेवानिवृत्ति के बाद भी छः मास से एक वर्ष तक की अवधि से भी अधिक समय तक सरकारी मकान में कब्जा जमाये रहते हैं; और

(घ) इन कर्मचारियों से दण्डस्वरूप कितना किराया लिया गया है?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) सेवानिवृत्त होने के बाद सरकारी कर्मचारी सामान्य पूलवास दो माह की अवधि के लिए सामान्य किराए पर रख सकता है। उसके बाद, विशेष मामलों में, उसके लिखित अनुरोध पर, वह अपने आवास को एफ० आर० 45-ए के अन्तर्गत मानक लाइसेन्स फीस का दुगना अथवा एफ० आर० 45-ए के

अन्तर्गत पूलित मानक लाइसेन्स फीस का दुगना अथवा उस लाइसेन्स फीस जिसे वह अदा कर रहा था, का दुगना इसमें से जो भी अधिकतम हो, अदा करने पर शैक्षिक-स्वास्थ्य आधार छः माह से अनधिक अवधि तक रख सकता है। इस अवधि से आगे मकान रखने हेतु मार्कीट दर पर हर्जाना वसूल किया जाता है परन्तु अपना मकान रखने वाले किसी अधिकारी के मामले में हर्जाना मार्कीट दर पर अथवा सामान्य रूप में वह जो लाइसेन्स फीस अदा कर रहा था उसका दुगना इसमें से जो भी अधिक हो, वसूल किया जाता है।

(ख) केवल कुछ ही मामलों में यह देखा गया है।

(ग)

अधिकारी का नाम	वास का टाइप	क्वार्टर नम्बर
श्री पी० सी० गुलाटी	बी	942, सं० 7 रामकृष्णपुरम
श्री एच० आर० शर्मा	बी	एच०-98, नानकपुरा
श्री एस० पी० मेहरा	डी	बी०-19, पण्डारा रोड
श्री ए० कौशिक	डी	बी०-11, —वही—
श्री डी० सी० गुप्ता	डी	674, लक्ष्मी बाई नगर
श्री आर० के० ओहरी	डी	622, —वही—
श्री एस० एस० मदान	ई	डी०-1180, चाणक्यपुरी

(घ) सामान्य पूल वास रखने की अनुमेय सामान्य-छूट अवधि की समाप्ति के बाद सेवा निवृत्त अधिकारियों से मार्कीट दर अथवा निरस्तीकरण से पहले जो दरें वे अदा कर रहे थे, उनका दुगना, जो भी अधिक हो, हर्जाना अदा करना पड़ता है। तथापि, लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम के संगत प्रावधानों के अन्तर्गत पारित बेदखली आदेश के जारी होने की तारीख से 15 की समाप्ति पर मार्कीट दरों से तीन गुना हर्जाने की मांग की जाती है।

प्राइवेट वनरोपण के लिए किसानों को प्रोत्साहन देना

3785. श्री हरीश रावत : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हिमाचल प्रदेश में, इस क्षेत्र के पारिस्थितिक महत्व को देखते हुए, सघन, वन बागान हेतु प्राइवेट वनरोपण के लिए किसानों को प्रोत्साहन देने की एक योजना बनाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की विस्तृत रूप रेखा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) :(क) तथा (ख) हिमालय क्षेत्र में गैर-सरकारी वनरोपण के लिए किसानों को प्रोत्साहन देने की योजना बनाने के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार नहीं कर रही है, तथापि "हिमालय क्षेत्र में मृदा, जल तथा वृक्ष संरक्षण" सम्बन्धी केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के तहत अलग अलग किसानों द्वारा अपनी भूमि में पौध रोपण करने के लिए पौधे उगाने की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त; फार्म वानिकी कार्यक्रम के तहत भी वृक्षों का रोपण शुरू करने के लिए किसान प्रोत्साहित किए जा रहे हैं। यह कार्यक्रम सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का एक भाग है जो सम्पूर्ण देश में क्रियान्वित हो रहा है।

चम्बल कृषि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कोटा में खर्च की गई धनराशि

3786. श्री चतुभुज : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चम्बल कृषि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 30 जून, 1982 तक कोटा क्षेत्र में सड़कों, नालियों के निर्माण, भूमि को समतल करने, मेड़बन्धी करने और गाद निकालने पर अलग अलग कुल कितनी धनराशि खर्च हुई है ; और

(ख) चम्बल कृषि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 30 जून, 1982 तक हुए प्रशासनिक व्यय का ब्योरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : (क) परियोजना प्राधिकारियों द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार, निर्माण पर 30-6-1982 तक किया गया व्यय निम्न प्रकार है :—

(1) सड़कों के निर्माण पर किया गया कुल व्यय	1089.924 लाख रुपए
(2) नालियों के निर्माण पर किया गया कुल व्यय	924.977 लाख रुपय
(3) खेत भूमि समतलन पर किया गया व्यय	624.163 लाख रुपये
(4) नहरों की गाद तथा गाद निकालने पर व्यय	1093.340 लाख रुपये

(ख) परियोजना प्राधिकारियों द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार, 30 जून, 1982 तक हुए प्रशासनिक व्यय का ब्योरा निम्न प्रकार है :—

(1) निदेशन तथा प्रशासन	276.784 रुपए
(2) खेत पर विकास (ओ० एफ० डी०)	291.940 रुपए
(3) कृषि विस्तार	219.539 रुपए
(4) कृषि अनुसंधान	49.087 रुपए

(5) सिंचाई और जल निकास प्रणाली का अनुरक्षण 437.063 लाख रुपए

(6) सिंचाई निर्माण-कार्य 127.884 लाख रुपए

(7) जल निकास निर्माण-कार्य 250.940 लाख रुपए

बीजों में मिलावट को रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम का संशोधन

3787. श्री चतुर्भुज :

श्री गुलाम मुहम्मद खां : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बीजों में मिलावट की बढ़ती हुई घटनाओं को ध्यान में रखते हुए बीजों में मिलावट को रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम मे संशोधन करने के लिए एक विधेयक पेश करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस अपराध के लिए कठोर सजा देने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) भारत सरकार ने आवश्यक जिन्स अधिनियम, 1955 के तहत प्रमाणीकृत/लेबल लगे बीजों का एक आवश्यक जिन्स घोषित करने का निर्णय किया है ।

(ग) आवश्यक जिन्स के रूप में प्रमाणीकृत/लेबल लगे बीजो की घोषणा की औपचारिक अधिसूचना प्रकाशित करने के बाद, अनिवार्य जिन्स अधिनियम के तहत सभी विनियमन विषयक तथा दाण्डिक उपबन्ध बीजो की बिक्री और गुण (क्वालिटी) के विनियमन के लिए लागू किए जा सकते हैं ।

उडूपी कर्नाटक में बाढ़ का प्रभाव

3788. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को अनुरोध करते हुए अपनी रिपोर्ट भेजी है कि वह जान और माल की क्षति का अनुमान लगाने के लिए बाढ़ उडूपी में एक अध्ययन दल भेजे ;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा अन्य क्या सहायता मांगी गयी है ; और

(ग) उस पर केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकार ने 99.24 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता के लिए अनुरोध किया है और यह सहायता 200 लाख रुपये की मार्जिन धनराशि से पृथक नहीं होनी चाहिए।

(ग) वित्तीय राहत व्यय की योजना के अनुसार सहायता तभी उपलब्ध होती है जब व्यय उपलब्ध मार्जिन धनराशि से अधिक हो जाता है चूंकि केन्द्रीय सहायता की मांग मार्जिन धनराशि के अन्तर्गत है और आपदा स्थानिक ही थी, अत. भारत सरकार ने केन्द्रीय दल भेजना आवश्यक नहीं समझा।

त्रिनगर दिल्ली में नाली-रोधों को हटाना

3789. श्री राम लाल राही : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुक्त टाउन हाल, चान्दनी चौक, दिल्ली को त्रिनगर, दिल्ली के निवासियों के ये अनुरोध प्राप्त हुए हैं कि नाला-रोधों को हटाया जाए जो एक दूसरे के समानान्तर है और निवासियों के लिए काफी कठिनाइयां तथा अस्वस्थकर परिस्थितियां पैदा कर रहे है क्योंकि बरसात के मौसम में ये नालिया बन्द हो जाती हैं और उनसे निकल कर बहने वाला पानी घरों में आ जाता है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कुछ संसद सदस्यों ने भी उनको पत्र लिखे हैं ;

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है तो यह कार्य कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आई० आर० डी० पी० नाट लाइकली टू हिट टार्गेट शीर्षक समाचार

3790. श्री ए० के० राय : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 19 अप्रैल, 1982 के "फाउनसिएल एक्सप्रेस" में "आई० आर० डी० पी० नाट लाइकली टू हिट टार्गेट" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है, और यदि हो

तो निर्धारित लक्ष्य और वर्तमान स्थिति का ब्योरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ;

(ख) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान यह बात सिद्ध हो गयी है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है विशेष कर बिहार के छोटा नगर क्षेत्र में ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं तथा लक्ष्य का जिले-वार ब्योरा क्या है और पिछले दो वर्ष की उपलब्धि क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) 19 अप्रैल, 1982 के फाइनेंसिएल एक्सप्रैस में ऐसा कोई समाचार नहीं छपा था। तथापि, ऐसा समाचार 14 अप्रैल, 1982 के फाइनेन्सिएल एक्सप्रेस में छपा था। समाचार मद में दिए गए लाभभोगियों के आंकड़े अपूर्ण आंकड़ों पर आधारित हैं। अद्यतन आंकड़ों के अनुसार 60 लाख लाभभोगियों के लक्ष्य के मुकाबले में प्रथम दो वर्ष के दौरान 56 लाभभोगियों (अनन्तिम) को पहुंचाई गई है। तथापि, निष्पादन का स्तर एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न-भिन्न है।

(ख) व (ग) बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्ष्यों तथा उपलब्धियों की जिला-वार स्थिति को दर्शाने वाला एक विवरण सलग्न है। उपलब्धियों में हुई कमियों के बारे में राज्य स्तरीय तथा केन्द्रीय मंत्रालय की बैठकों में लगातार पुनरीक्षा की जाती है और निष्पादन में सुधार के लिए उपचारी कदम जाते हैं। उठाए गए कदमों में खण्ड तंत्र को सुदृढ़ बनाने हेतु भारत सरकार से 50 प्रतिशत सहायता की योजना तथा ऋण समस्याओं की जांच करने के लिए उच्च स्तरीय समिति के गठन के बारे में जिक्र किया जा सकता है।

विवरण

समन्वित ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में लाभभोगियों की राज्वार संख्या को दर्शाने वाला विवरण।

जिला	खण्डों की संख्या	लाभभोगियों का वर्षवार लक्ष्य	1980-81 की उपलब्धियां	1981-82 की उपलब्धियां (जनवरी, 1982 तक)
1	2	3	4	5
1. धनबाद	10	6000	अप्राप्य	2966
2. गिरीडिह	18	10800	2913	1954

1	2	3	4	5
3. हजारीबाग	24	14400	2617	2004
4. पालामाऊ	25	15000	2122	2860
5. रांची	43	25800	654	788
6. सिंहभूम	32	19200	2494	2632
योग	152	91200	10800	1,201

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पशु अनुसंधान योजना के हेरिंगहट्टा यूनिट की अद्यतन स्थिति

3791. डा० ए० यू० आजमी : क्या कृषि मन्त्री आई० वी० आर० आई० राष्ट्रीय संस्थान में पशु प्रजनन परियोजनाओं के छीजने के बारे 12-7-1982 के अन्तारांकित प्रश्न संख्या 593 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पशु अनुसंधान योजना के हेरिंगहट्टा यूनिट की अद्यतन स्थिति क्या है;

(ख) इस सम्बन्ध में भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के शासी निकाय द्वारा क्या निर्णय किया गया है;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान हेरिंगपट्टा यूनिट की वित्तीय स्थिति बिगड़ती गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इसे सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) हरिनघट्टा स्थित अखिल भारतीय समन्वित गोपशु अनुसंधान प्रायोजना एकक की अद्यतन स्थिति अप्रैल, 1982 को 493 थी । चूंकि इसका स्थानान्तरण विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय से पशु पालन विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार किया गया है; इस प्रायोजन एकक ने पुनरोत्पादन, दुग्ध उत्पादन और उत्तर जीविता क्षमता में काफी प्रगति दिखायी है ।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की शासी निकाय ने 19 मार्च, 1982 को आयोजित अपनी बैठक में यह निर्णय लिया था कि स्थानान्तरण के 6 महीने के बाद, परिषद को शासी

निकाय को हरिनघट्टा गोपशु प्रायोजना एकक की प्रगति के बारे में रिपोर्ट देनी चाहिए। अतः 29 जून, 1982 को आयोजित अपनी बैठक में इस यूनिट के पश्चिम बंगाल सरकार को स्थानांतरित किये जाने के बाद परिषद ने शासी निकाय को उसकी प्रगति के बारे में तदनुसार रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान हरिनघट्टा यूनिट को निधि नहीं दी गयी—क्योंकि यह विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय के साथ था, और अपेक्षित लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय से प्राप्त नहीं हुआ था।

गांव सभा, रामपुरा के लिए नियत भूमि पर अवैध कब्जा

3792. **श्री इब्राहीम सुलेमान सेट :**
श्री चिरंजी लाल शर्मा :
श्री राजेश कुमार सिंह :
श्री रेशमा मोतीराम भोये :
श्री सुभास यादव : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हंसपुरी रोड पर ट्रेडर्स बैंक बिल्डिंग से जोरबाग तक गांव सभा रामपुरा, दिल्ली के लिए नियत भूमि पर रामपुरा के कुछ ग्रामवासियों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है और वाणिज्यिक व्यापार स्थगित कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस प्रकार के सभी अवैध कब्जों को हटाने और भूमि पर कब्जा लेने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है रामपुर एक पुराने गांव की आबादी है, जो ग्राम सभा की भूमि में स्थित है। हंसपुरी रोड़ पर जोरबाग में ट्रेडर्स बैंक के भवन से आगे की भूमि गांव की आबादी की भूमि का एक भाग है। रिहायसी क्षेत्र का कुछ भाग वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। गांव की आबादी पिछले कई दशकों से अस्तित्व में है। इसलिए पूरे गांव की आबादी को हटाकर भूमि का कब्जा लेना व्यवहार्य नहीं है।

राजस्थान द्वारा गोडावण को राज्यपक्षी के रूप में घोषित किया जाना

3793. **श्री वृद्धि चन्द जैन :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व में दुर्लभ और मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान में पाए

जाने वाले गोडावण पक्षी को राजस्थान सरकार ने राज्यपक्षी घोषित किया है और इसका शिकार करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ;

(ख) क्या 1977 में अरब के शेखों को इसका शिकार करने की अनुमति दी गई थी और इसके खिलाफ भारी जनविरोध के कारण राज्य सरकार द्वारा यह अनुमति वापस ले ली गयी थी, और

(ग) क्या राज्य की जनता की जोरदार भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार इस पक्षी को शिकार करने पर प्रतिबन्ध के पिछले निर्णय पर कायम रहेगी ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां। इस पक्षी का शिकार करना देश भर में निषेध है चूंकि यह वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची 1 में शामिल किया गया है।

(ख) 1977 में "गोडावण" अथवा "ग्रेट इण्डियन बस्टर्ड" का शिकार करने के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई थी।

(ग) भारत में कहीं भी इस पक्षी का शिकार करने के लिए अनुमति देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पटसन प्रौद्योगिकी अनुसंधान प्रयोगशाला, कलकत्ता में अनियमितताओं के विरुद्ध अभ्यावेदन

3794. श्री राम विलास पासवान : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन प्रौद्योगिकी अनुसंधान प्रयोगशाला, कलकत्ता,(जूट टैक्नोलोजीकल रिसर्च लेबोरेटरी कलकत्ता) में नियुक्तियों, पदोन्नतियों और कर्मचारियों को स्थायी करने के मामले में अनियमितताओं के सम्बन्ध में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ/डीपीसी के सदस्यों द्वारा अनेक ज्ञापन दिए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ग) इन अनियमितताओं को दूर करने के लिए सरकार ने इन पर क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां, श्रीमान। चार अभ्यावेदन एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ

से और एक अभ्यावेदन जूट प्रौद्योगिकी अनुसधान प्रयोगशाला की विभागीय पदोन्नति समिति के एक सदस्य से प्राप्त हुआ है।

(ख) और (ग) सलग्न विवरण के अनुसार।

विवरण

(1) श्री एस० एन० झा, जूट अनुसंधान संस्थान, (जे० ए० आर० आई०), बैरकपुर के स्थाई अधिक की छूट प्रोद्योगिकी, अनुसंधान प्रयोगशाला (जे० टी० आर० एल०) में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में नियुक्ति अत्यधिक अनियमित है।

जे० टी० आर० एल में सहायक प्रशासनिक अधिकारी का एक पद रिक्त हुआ जब इसके पदधारी ने जिसके पास वह पद नियुक्ति के तौर पर था, अपने मूल कार्यालय यानी : जे० ए० आर० आई० में वापस जाने के लिए स्वयं आवेदन किया, जबकि उनकी सेवा का एक वर्ष भी पूरा नहीं हुआ था। चूंकि उस समय जे० टी० आर० एल० का कोई भी अधिक सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नत होने की योग्यताएं पूरी नहीं करता था इसलिए इस पद के रिक्त स्थान को भरने के लिए एक परिपत्र जे० टी० आर० एल० द्वारा भा० कृ० अ० प० के अन्य सभी संस्थानों में 14-11-1977 को भेजा गया। इसके उत्तर में श्री एस० एन० झा, जो पहले से ही जे० ए० आर० आई० में 1-12-76 से सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्य कर रहे थे, ने आवेदन भेजा। जे० टी० आर० एल० की विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों पर उनकी स्थानांतरण आधार पर इस पद पर नियुक्ति की गई। प्रयोगशाला का प्रबन्ध समिति ने उपरोक्त व्यवस्था को अपनी 3-10-1980 को हुई बैठक पृष्ठांकित किया। इस बारे में सम्बन्धित एसोसिएशन (सघ) को भा० कृ० अ० प० ने विधिवत सूचित कर दिया है। फिर भी मामले की भा० कृ० अ० प० में जांच की जा रही है।

(ङ) श्री बी० एल० चौधरी (उस समय के अधीक्षक अनुसूचित जाति के) जे० टी० आर० एल०, कलकत्ता, के साथ सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति के मामले में जातिगत पर भेदभाव ;

दिनांक 1-12-1975 को अधीक्षक के पद के पदधारी के सेवा निवृत्त हो जाने पर श्री बी० एल० चौधरी, सहायक को 15-12-19 5 से अधीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया था। भरती नियमों के प्रावधानों के अनुसार वह सहायक प्रशानिक अधिकारी के पद के लिए 15-12-1978 को पात्र हुए (जो कि अधीक्षक के रूप में 3 वर्ष की सेवा पूरी करने पर है)। फिर भी, उस समय संस्थान में सहायक प्रशासनिक अधिकारी का कोई पद रिक्त नहीं था। जो पदधारी उस समय पद पर था उसे, कनिष्ठ व्यक्ति को पद के

योग्य हो जाने पर पदोन्नत करने के लिए, उस पद पर से नहीं हटाया जा सकता था। जे० टी० आर० एल० द्वारा 14-11-1977 को जब भा० कृ० अ० प० के संस्थानों के निदेशकों को सहायक प्रशासनिक अधिकारी के रिक्त पद (रु० 650-1200 के ग्रेड में) का परिपत्र भेजा गया तो श्री चौधरी ने अधीक्षक के रूप 2 वर्ष की सेवा अवधि भी पूरी नहीं की थी। प्रयोगशाला का प्रशासनिक पद सम्भालने के लिए एक दक्ष अधिकारी चाहिए थे। श्री एस० एन० झा जो जे० ए० आर०आई०, बैरकपुर में पहले से ही सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर 1-12-76 से कार्य कर रहे थे. ने जे० टी० आर० एल० में इस पद पर स्थानांतरण के लिए आवेदन किया। जे० टी० आर० एल० की विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों पर जे० टी० आर० एल० में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर स्थानांतरण के रूप में उनकी नियुक्ति कर दी गई। साथ ही जब एक पद रिक्त हुआ तो श्री बी० एल० चौधरी, अधीक्षक को दिसम्बर, 1980 से सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर नियुक्त कर दिया गया। सम्बन्धित एशोसिएशन को भा० कृ० अ० प० द्वारा विधिवत सूचित कर दिया गया है।

(3) अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सहायक के एक पद पर संस्थान द्वारा एक गैर-अनुसूचित जाति के अभ्यार्थी को पदोन्नत करने का नियम विरुद्ध प्रस्ताव।

जे० टी० आर०एल० में 22-12-1980 को सहायक ग्रेड में एक पद रिक्त हुआ। चूंकि यह पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित था परन्तु जे० टी० आर० एल० का इस जाति का कोई भी लिपिक इसके लिए योग्यताएं पूरी नहीं करता था, इसलिए यह भा० कृ० अ० प० के संस्थानों में परिप्रत्रित कर दिया गया। इसके उत्तर में अनुसूचित जाति के दो वरिष्ठ लिपिकों एक भा० कृ० अ० सं०, नई दिल्ली व दूसरा सी० आर० आर० आई०, कटक द्वारा आवेदन किया गया। दोनों अभ्यर्थियों की विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा सिफारिश की गई। परन्तु इन दोनों प्रत्याशियों द्वारा इस पद पर आने में अपनी अनिच्छा प्रकट की गई। ऐसी स्थिति में संस्थान ने इस पद को अनारक्षित करने के लिए प्रस्ताव भेजा। भा० कृ० अ० प० में मामले की जांच की जा रही है।

4. एक ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा अवधि पूरी न करने पर भी बिना आकलन समिति के, विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा टी-2 श्रेणी-1 से टी-2-3 श्रेणी 2 में गैर अनुसचित जाति/गैर अनुसूचित जनजाति तकनीकी स्टाफ की अनियमित पदोन्नति।

निदेशक, जे० टी० आर० एल० से प्राप्त सूचना के आधार पर पदोन्नति उस समय विद्यमान तकनीकी सेवा नियमों के अनुसार की गई। इसका लाभ अनुसूचित जाति के योग्य स्टाफ को भी समान रूप से दिया गया। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया।

अतः लगाया गया आरोप सही नहीं है। फिर भी, भा० कृ० अ० प० मामले की जांच कर रही है।

(5) जे० टी० आर० एल० कलकत्ता में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर श्री एस० एन० झा को, श्री बी० एल० चौधरी द्वारा इस मद पर स्थाई करण के दावे को अनदेखा करते हुए, अनियमित रूप से स्थाई करना।

सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पदधारी द्वारा 31-1-1978 को सेवानिवृत हो जाने पर यह पद नियंत्रण-मुक्त हो गया। चूंकि इसके पश्चात श्री एस० एन० झा इस पद पर नियमित रूप से प्रथा नियुक्त व्यक्ति थे, इसलिए सफलतापूर्वक एक वर्ष की परवीक्षा अवधि पूरी कर लेने पर वे इस पद पर स्थाई होने के दावेदार थे। श्री चौधरी, वर्तमान सहायक प्रशासनिक अधिकारी ने दो वर्ष की परवीक्षा अवधि भी पद पर पूरी नहीं की थी, इस प्रकार वे पद पर स्थाई होने के योग्य नहीं थे।

(6) स्थाईकरण और पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति समिति हेतु प्रस्ताव तैयार करने में अवैध और अनुचित प्रक्रिया अपनाना।

आरोप निरर्थक है। आरोप के समर्थन में किसी भी स्पष्ट प्रमाण का उल्लेख नहीं किया गया है।

गुजरात के राजकोट और सुरेन्द्र नगर जिलों को डी० पी० ए० पी० के अन्तर्गत धनराशि का आवंटन

3795. श्री दिग्विजय सिंह : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के राजकोट और सुरेन्द्र नगर जिलों को पिछले तीन वर्षों के दौरान डी० पी० ए० पी० के अन्तर्गत आवंटित धनराशि में कटौती की गई है;

(ख) कौन से विकास कार्यों को इस वर्ष रोक दिया गया है; और

(ग) इस कटौती के क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी नहीं 1979-80 से गुजरात के राजकोट तथा सुरेन्द्र नगर जिलों में प्रति खंड 15 लाख रुपये की दर से वित्तीय आवंटन किया गया है (जिसे केन्द्र तथा राज्य सरकार के बीच बराबर-बराबर बांटा जाता है)। सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम से सम्बन्धित "कार्य दल" की सिफारिश पर, इस कार्यक्रम के कार्य क्षेत्र को 3 और खण्डों तक बढ़ाया गया है (राजकोट में

2 और सुरेन्द्र नगर जिले में 1)। 1982-83 के दौरान कार्यक्रम में अब शामिल किए गए खंडों के लिए आवंटन प्रति वर्ष 10 लाख रुपये होगा। 1983-84 से आगे ये खण्ड भी प्रति वर्ष 15 लाख रुपये के आवंटन के लिए पात्र होंगे।

(ख) और (ग) 1982-83 के लिए वार्षिक योजनाएं अभी राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुईहैं। चूंकि इन जिलों में वित्तीय आवंटन में कोई कटौती नहीं की गई है। अतः विकास योजनाओं को बन्द करने का प्रश्न नहीं उठता है।

केरल के थंगस्सरा में मत्स्य बन्दरगाह की स्थापना

3796. **श्री बी० के० नायर** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में क्विलोन और क्या मकुलर के समीप थंगस्सरी में मत्स्य बन्दरगाह की स्थापना के कोई प्रस्ताव हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कोई प्रगति हुई है तथा भावी कार्यक्रम क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

किसानों को बीजों की सुधरी हुई किस्मों की सप्लाई

3797. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या कृषि मन्त्री भारतीय कृषि अनुसधान परिषद की उपलब्धियों के बारे में 12 जुलाई, 19 2 के अतरांकित प्रश्न संख्या 509 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसानों को फसलों की सुधरी हुई किस्मों के बीजों की कुल कितनी मात्रा सप्लाई की गई;

(ख) देश के राज्यों में किन-किन क्षेत्रों में इन फसलों की काश्त होती है; और

(ग) समूचे तौर पर कृषि उत्पादन में सुधार करने के लिए इन सुधरी हुई किस्मों का क्या योगदान रहा ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित उसके केन्द्रों ने विभिन्न

फसल वाले पौधों के अनेक उन्नत किस्में विकसित की हैं। संस्थान का उत्तरदायित्व वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई किस्मों के प्रजनक बीज का उत्पादन करना है न कि कृषकों को सीधे कोई प्रमाणित बीज की आपूर्ति करना। पिछले पांच वर्षों के दौरान संस्थान द्वारा राष्ट्रीय बीज निगम और अन्य एजेंसियों को दी गई नयी किस्मों के प्रजनक बीज की मात्रा विवरण में दी गयी है।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित प्रत्येक किस्म की खेती कितने क्षेत्र की जाती है, इसका सही ब्योरा देना कठिन है फिर, भी, जिन क्षेत्रों के लिए किस्मों की सिफारिश की गयी है—उसे नीचे दिया जा रहा है :

फसल	किस्म	उगाये जाने वाले क्षेत्र
गेहूं	(1) एच० डी० 2204, एच० डी० 2281, एच० डी० 2285 आई० डब्ल्यू० पी०-72, डी० एल०-153-2, एम० एल० के० एस०-11, सी० पी०ए०एन०-1696	उत्तरी मैदानी इलाका
	(2) एच० डी० 2236, एच० डी 22278	मध्यवर्ती मैदानी इलाका
	(3) एच० डी० 2189 एच० डी० 2278, सी० सी० 464	प्रायद्वीप इलाका
	(4) डी० एल० 20-9, एच० एस० 86, एच० बी० 208, एच० बी० 501	
	(5) एच० पी० 1102, एच० डी० 1209	पूर्वी क्षेत्र

1	2	3
मक्का	(6) एच० डी० 1135, एच०डब्ल्यू० 174, संकर ई० एच० 2380, ई० एच० 2420, ई० एच० 2310,	दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र
	कम्पोजिट दियारा	बिहार
चावल	पूसा 2-21 पूसा-33	सम्पूर्ण भारत
ज्वार	(1) संकर सी० एस० एच-1, सी० एस० एच-5, सी० एस० एच०-6 एस० किस्में : सी० वी०-4, सी० एस० वी०-5	महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में खरीफ की खेती के लिए ।
	(2) संकर : सी० एस० एच-1, सी० एस० एच-5, सी० एच० एच०-6 किस्में : सी० एस० वी०-3, सी० एस० वी०-4, सी० एस० वी०-5, सी० एस० वी०-6	मध्य प्रदेश (खरीफ)
	(६) संकर : सी० एस० एच०-1, सी० एस० एच०-5, सी० एस० एच०-6 किस्में : सी० एस० वी०-4, सी० एस० वी०-4, सी० एस० वी०-5, सी० एस० वी०-6	राजस्थान और गुजरात (खरीफ)

1	2	3
	(4) संकर : सी० एस० एच-1, सी० एस० एच०-5 सी० एस० एच०-6 किस्में : सी० एस० वी० 4, सी० एस० वी०-6	उ० प्र० का बुन्देलखंड इलाका (खरीफ)
	(5) संकर : सी० एस० एच-1, सी० एस० एच०-5, सी० एस० एच०-6 किस्में : सी० एस० वी०-4, सी० एस० वी०-5	तमिलनाडु (खरीफ)
	(6) संकर : सी० एस० एच०-7, आर० सी० एच०-8, आर० किस्में : एम०-35-1, एस० वी० पी०-86	महाराष्ट्र और कर्नाटक में रबी की खेती के लिये
	(7) संकर : सी० एस० एच०-1, सी० एस० एच०-5, सी० एस० एच०-6, सी० एस० एच०-/ आर०, सी० एस० एच०-8, आर० किस्में : सी० एस० वी-4, सी० एस० वी०-5, सी० ओ०-21, सी० ओ०-22	तमिलनाडु में रबी की खेती के लिये
	(8) संकर : सी० एस० एच०-1, सी० एस० एच०-7 आर० और	गुजरात में रबी मौसम की बोरान

1	2	3
	सी० एस० एच०-8 आर० किस्में : एस० पी० वी०-86	
बाजरा	(1) बी० जे०-104 बी० के०-560	सम्पूर्ण भारत में
दाल चना	बी० जी०-209	उत्तरी पश्चिमी मैदान इलाका/पूर्वी मैदानी इलाका और मध्यवर्ती क्षेत्र के लिए भी उपयुक्त
मूंग	पी० एस०-10, पी० एस०-16	उत्तरी भारत में गर्मी के मौसम में खेती के लिए
अरहर	पूसा-74	सम्पूर्ण भारत में—अरहर—गेहूं फसल चक्र के लिए उपयुक्त ।
तिलहन	भूरी सरसों : बी० बी० एस०-1	दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा
	सरसों : पूसा बोल्ड, पी० आर-45	दिल्ली, उ० प्र० और पश्चिमी बंगाल

(ग) देश में अधिक पैदावार देने वाली किस्मों को अपनाने के साथ, मुख्य खाद्य फसलों के सम्बन्ध में कृषि उत्पादन में सुनिश्चित रूप से अधिक पैदावार की प्रवृत्ति देखी गई है जो नीचे दिये गए आंकड़ों में स्पष्ट है :

फसलें	उत्पादन मिलियन टन में	
	1965-66	1980-81
गेहूं	10.36	34.48
जावच	30.58	53.23
मक्का	4.82	6.80
ज्वार	7.85	10.50
बाजरा	3.75	5.42
तोरिया और सरसों	1.29	2.25

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के उत्पादन सम्बन्धी योगदान की मात्रा बताना कठिन है, लेकिन संस्थान द्वारा विकसित उन्नत किस्में और एक मुश्त कृषि क्रियायें सारे देश में कृषकों के बीच लोकप्रिय हो गई हैं ।

विवरण

पिछले पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय बीज निगम और अन्य एजेंसियों को आई० ए० आर० आई० द्वारा दिये गये प्रजनक बीज का विवरण

(मात्रा क्विंटल में)

क्र. सं.	फसल	1976-77		1977-78		1978-79		1979-80		1980-81
		एन. एस. सी.	अन्य	एन. एस. सी.	अन्य	एन. एस. सी.	अन्य	एन. एस. सी.		अन्य
1.	गेहूं	134.53	148.82	67.59	160.42	54.21	166.26	155.84	261.49	188.78	427.00
2.	जौ	2.00	0.53	8.00	19.41	10.75	23.70	72.15	6.35	15.00	7.95
3.	जई	3.00	23.43	7.00	5.57	—	1.66	—	—	—	—
4.	ज्वार	—	—	—	—	3.70	—	2.23	—	4.50	—
5.	बाजरा	0.15	0.10	0.25	0.14	0.10	0.15	0.32	0.25	0.35	0.29
6.	मक्का	—	—	—	15.96	—	—	3.74	—	—	—
7.	धान	—	22.61	-	27.42	1.20	60.17	—	51.54	51.00	36.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8. चना	16.00	15.40	—	6.00	2.00	—	0.85	—	1.20	0.27
9. मटर	13.00	15.86	26.00	7.77	3[illegible].00	18.85	5.00	22.08	20.35	15.42
10. उड़द	—	5.91	—	1.00	1.50	1.26	0.40	—	0.35	0 05
11. मूंग	—	6.53	—	9.98	5.73	14.41	0.82	5.99	—	7.02
12. लोबिया	0.20	—	0.25	2.99	8.61	0.18	10.50	7.00	1.05	2.11
13. अरहर	—	—	—	0.75	—	0.40	—	3.65	—	0 01
14. सभी सब्जियां	4.29	2.86	0.07	2.92	0.29	4.88	0.43	1.83	0.54	1.30
15. बरसीम	3.00	23.43	7.00	5.57	—	1.74	—	—	—	—

उत्पादकों को कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल

3798. श्री कुंभा राम आर्य : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उत्पादकों की कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल कहां-कहां है और क्या उनसे लाभ हो रहा है ; और

(ख) क्या ऐसी कोई मिल राजस्थान में भी है और यदि हां, तो यह मिल कहां है और क्या इस मिल को लाभ हो रहा है या घाटा ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) देश में उत्पादन कर रहे 26 उत्पादक सहकारी कताई मिल हैं। ये मिल महाराष्ट्र में 14, कर्नाटक में 4, गुजरात में 3 और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और आन्ध्र प्रदेश राज्यों में प्रत्येक में एक-एक स्थित है। इन 26 में से वर्ष 1980-81 के दौरान 14 मिलों ने लाभ कमाया था।

(ख) एक मिल अर्थात, राजस्थान सहकारी कताई मिल, राजस्थान के जिला भीलवाड़ा के गुलाबपुर में स्थित है। इस मिल ने 1980-81 के दौरान 42.83 लाख रुपये का लाभ कमाया।

(व्यवधान)x

अध्यक्ष महोदय। मेरी अनुमति के बिना, कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...(व्यवधान)...

श्री बापूसाहिब परुलेकर : (रत्नगिरी) मैंने प्रेम के अधिकारों को कम किये जाने के विरुद्ध स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ...

अध्यक्ष महोदय : यह एक राज्य का विषय है।

श्री बापूसाहिब परुलेकर : यह राज्य का विषय नहीं है। मैं आपका ध्यान समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 39 वी ओर दिलाना चाहता हूं .....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास आकर इस पर चर्चा कर सकते हैं। मेरे पास ऐसे कई अन्य कई भी प्रस्ताव आये हैं। आप मेरे पास आ सकते हैं।

x कार्यवाही वृत्तात में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री बापू साहिब परुलेकर : यह समवर्ती सूची की प्रविष्टि संस्था 39 से अन्तर्गत आता है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : (नई दिल्ली) इस तरह से रोक लगा देंगे, तो फिर पूरे देश में रोक लग जाएगी ।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास आकर बात करिए ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह बड़ा गम्भीर मामला है । इस पर चर्चा का मौका मिलना चाहिए । आप सूचना मंत्री से कह सकते हैं कि वे इस पर एक वक्तव्य दें ।

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाय ।

(व्यवधान)x

श्री जगपाल सिंह : आप इनको बोलने का मौका दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : कोई मौका नहीं मिलेगा ।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात सुनिए ।

...(व्यवधान)...

श्री राम विलास पासवान : आप का गला खराब है, इसलिए आप हम लोगों को दो-दो मिनट बोलने दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इतना कहना चाहता हूं कि मैं रूलिंग तो दिए बैठा हूं । मुझे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं । मैं उन पर विचार कर रहा हूं । अगर किसी माननीय सदस्य ने कुछ कहना है तो वे मुझे मिल सकता है ।

(व्यवधान)x

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी भी स्थगन प्रस्ताव को अनुमति नहीं देता हूं ।

...(व्यवधान)...

xकार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : आप सुन लीजिए, तो आप को तकलीफ नहीं होगी ।

···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : नांट एलाउड -1

···व्यवधान···

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बताया है। आप सुनते नहीं है। आपको शोर ही करना है तो आप की मर्जी। जोर के बोलने से क्या फायदा है। इससे आपका गला भी बैठ जाएगा और मेरा गला भी बैठ जाएगा और उसका अर्थ क्या होगा। आप शान्ति से बात करिये । मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे पास कालिंग एटेंशन नोटिसेन आए हैं। मैं आपकी बात सुनने के लिए तत्पर हूं आप मेरे पास आइए। मुझे कन्विंस करिए कि यह ठीक है, मुझे भी उनको देख लेने दीजिए ।

···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप मेरे पास आयें । मुझे भी देख लेने दीजिए । मैंने आप को बताया है कि मेरे पास कालिंग एटेंशन नोटिसेज विचाराधीन हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करुंगा । यह मेरे विचाराधीन है ।

···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : मैं कोई चीज नहीं रोकता हूं ।

···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है ।

···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए ।

···(व्यवधान)···

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

कृषि तथा ग्रामीण विकास और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री राव वीरेन्द्र सिंह) : मैं निम्न लिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत अधि-सूचना संख्या सा० का० नि० 192 (अ) की एक प्रति) हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 13 जुलाई, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा सुपर फास्फेट के मूल्यों के निर्धारण के बारे में 27 अप्रैल, 1982 की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 358 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रतिनिधि।"

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए सं० एल० टी०-4185/82]

प्रो० के० तिवारी (बक्सर)। श्रीमन, मैंने श्रीमती प्रमिला दंडवते द्वारा 5 लाख रु० लिये जाने के विरुद्ध नियम 22 के अन्तर्गत एक विशेषाधिकार के प्रस्ताव की सूचना दी है ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसको देखूंगा। मैं तथ्यों को इकट्ठा कर रहा हूं। यह मेरे विचाराधीन हैं।

(व्यवधान)

प्रो० के० तिवारी (बक्सर) : यह विदेशी अन्शदान विनियमन अधिनियम, 1976 के अधिनियम के बारे में हैं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा कि जांच शुरू कर दी है। मैं बच्चों को इकट्ठा कर रहा हूं।

श्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, आज की कार्यसूची के अनुसार 4 बजे से पहले सूखे की स्थिति पर विचार होने वाला है। मेरा सुझाव है कि सूखे जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा शाम से नहीं होनी चाहिए बल्कि दोपहर 2 बजे से ही इसकी चर्चा प्रारम्भ होनी चाहिए सदन के सभी दलों के सदस्य इसमें रुचि रखते हैं तथा आज के समय का उपयोग हम सरकारी विधेयकों तथा बजट के पास करने में कर सकते हैं।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : मान्यवर, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी कि सूखे पर चर्चा कल दो बजे से हो, लेकिन मेरा सम्माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा है दोनों बजट, रबे तथा जेनरल, आज हो जाय, तब उस की कल दो बजे से रखने में मुझे को आपत्ति नहीं है। कल काल एटेन्शन भी नहीं लेंगे और दो बजे से यह चर्चा हो जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : कल लंच आवर भी आप डिस्पेंस करना चाहते हैं।

श्री भीष्म नारायण सिंह : बिल्कुल करना चाहते हैं ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित न किया जाय ।

(व्यवधान)*

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं भी आपको यही बताने की कोशिश कर रही थी आपने यहां समय के बारे में भी नहीं बताया । सूखे का स्थिति के बारे म आज चर्चा नही होने जा रही है, मैं मागा करती हूं कि आप मेरे भाषण को सबसे बाद में नहीं रखेंग । पहले भी मैंने एक अवसर खो दिया हैं । मैं आपसे निवेदन करना चहातो हूं कृपया इसे इस समम रखें, नवीन इसका कोई महत्व हो. मुझे विश्वास है कि आप इस पर विचार करेंगें । (व्यवधान) हां, मैं अभी तैयार हू ।

अध्यक्ष महोदय : क्या इस समय आप इसका कोई मतलब निकाल सकेगी ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : श्रीमन, यह निभंर करता है । मैं दावा नहीं कर सकती ।

श्री भीष्म नारायण सिंह : दोनो को ही पास करना है । इसके बाद, हम इस पर चर्चा सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप चाह लेट बैठ कर करें या चाहे जैसे करें, इसको आज खत्म करेंगे ।

सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : श्रीमन, मैं, श्री सवाई सिंह सिसोदिया की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 1959 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 187/82-सी० शु० की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 30 जुलाई, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा किशमिश और खजूर जब उनका भारत में आयात किया जाए, के संबन्ध में 14 जनवरी, 1982 की अधिसूचना संख्या 8 सी० शु० द्वारा निर्धारित टैरिफ मूल्यों में संशोधन किया गया है, की प्रतिलिपि ।

[ग्रन्यालय में रखे गये । देखिए सं० एल० टी०-4375/82]

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित न किया जाय ।

महाराष्ट्र एग्रो-इन्डस्ट्रीज डेवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1980-81 की समीक्षा और प्रतिवेदन, आदि

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 तक के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) महाराष्ट्र एग्री-इन्डस्ट्रीज डेवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई, के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) महाराष्ट्र एग्री-इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महा लेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये : देखिए सं० एल० टी०-4376/82]

(ख) (एक) गुजरात एग्री इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, अहमदाबाद, के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गुजरात एग्री इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, अहमदाबाद, का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महा-लेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए सं० एल० टी-4377/82]

(ग) (एक) राजस्थान स्टेट एग्री-इन्स्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड जयपुर के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राजस्थान स्टेट एग्री-इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, जयपुर, का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महा-लेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए सं० एल० टी०-4378/82]

(घ) (एक) केरल एग्री-इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड त्रिवेन्द्रम के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) केरल एग्री-इन्स्ट्रीज लिमिटेड त्रिवेन्द्रम का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रति-वेदन लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) की मद (क), (ख), (ग), और (घ) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयीं। देखिए सं० एल० टी०-4379/82]

दिल्ली सहकारी समितियां अधिनियम आदि के अन्तर्गत अधिसूचनायें

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : मैं निम्न लिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) दिल्ली सहकारी समितियां अधिनियम, 1972 की धारा 97 की उप धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी प्रति संस्करण) :—

(एक) दिल्ली ग्रामीण प्राथमिक सहकारी समिति सेवा नियम, 1979 जो 10 अप्रेल 1980 के कितनी राजपत्र में अधिसूचना संख्या 34(32)/80-पी एण्ड एस/कॉप 2217 में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए बिलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गईं। सं० एल० टी०-4380-82]

सुपर बाजार, को आपरेटिव स्टोर लिमिटेड नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 के वार्षिक लेखे और लेखा परीक्षा आदि

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सुपर बाजार कोआपरेटिव स्टेट लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1978-1979 के अधीन लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए बिलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गईं। सं० एल० टी०-4381/82]

सीमा शुल्क अधिनियम और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं श्री सवाई सिंह सिसोदिया की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 188 82-सी० शु० की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 31 जुलाई, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा अल्यूमिनियम और उसके उत्पादों के आयात शुल्क में उपलब्ध वर्तमान रियायत को समाप्त करने के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए सं० एल० टी० 4382/82]

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 202/82 के०उ० शु० की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 31 जुलाई 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा खुली बिक्री की चीनी पर मूल और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में कमी करने के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०4383/82]

राज्य सभा से सन्देश

सचिव : मुझे राज्य सभा के महा सचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना सभा को देनी है ।

"राज्य सभा को प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम (3) के उपबन्धों के अनुसरण से मुझे राज्य सभा द्वारा 27 जुलाई 1982 को अपनी बैठक में पारित राष्ट्रीय जल मार्ग गंगा भागीरथी हुगली नदी का इलाहाबाद हल्दिया क्षेत्र विधेयक, 1982 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है ।

राष्ट्रीय जल मार्ग (गंगा-भागीरथी-हुगली नदी का इलाहाबाद हल्दिया क्षेत्र) विधेयक, 1982

(राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में)

सचिव : महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा पारित रूप में राष्ट्रीय जल मार्ग (भागीरथी-हुगली नदी का इलाहाबाद-हल्दिया क्षेत्र) विधेयक, 1982 को सभा पटल पर रखता हूं ।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) हिमाचल प्रदेश और जम्मू तथा काश्मीर में सेब की फसल पर लगे कीड़े से फसल बचाने की आवश्यकता।

श्री चिन्ता मणि जेना (बालसोट) : नियम 377 के अधीन मैं निम्नलिखित वक्तव्य देता हूं।

पिछले कई वर्षों से हिमाचल प्रदेश व कुछ सीमा तक जम्मू तथा काश्मीर के कुछ, भागों में सेब की फसलों में 'एप्पल स्कैब' नामक सबसे भयंकर बीमारी ने तबाही मचा रखी है। गत वर्ष भी इस बीमारी से फल को भारी नुकसान हुआ इस वर्ष भी, हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सेब की फसल को भी जो मौसम की गड़बड़ी की वजह से पहले ही अच्छी हालत में नहीं थी, अब इस बीमारी के भयंकर खतरे की आशंका है। पिछले कुछ वर्षों में कुछ सर्वेक्षण किए गए हैं उनसे पता चला है कि यह फफूंदी वाली बीमारी लगभग हिमाचल प्रदेश के सभी मुख्य सेब उगाने वाले क्षेत्रों में फैल गई है। फफूंदी दोनों प्रकार की पायी गयी है पूर्ण (वैन्यूरिया इनइक्वालेस) तथा अपूर्ण (सिपलोकेआ पोमी)। फफूंदी के द्वारा पैदा किए गए बीजाणु (जिनको तकनीकी रूप से एसकोसपोर्स कहा जाता है) ही इस रोग के प्रभाव के स्रोत माने गए है। अब एसकोसपोर्स की परिपक्वता व उत्पादकता का अध्ययन करके इस बीमारी की किसी मौसम विशेष में सम्भावित क्षमता का अनुमान लगाया जा सकता है।

यद्यपि इस बीमारी पर नियन्त्रण करने के लिए बहुत से तरीके खोजे गए हैं परन्तु विशेषज्ञ उपचारात्मक उपायों के बजाय निवारक उपायों पर अधिक जोर देते हैं। इसका आदर्श तरीका तीन मिश्र जातियों को (जो रत्ना 82, 84 तथा 157 के नाम से जानी जाती है।) एक साथ उगाना जिनका विकास हिमाचल प्रदेश मे किया गया और जिन्हें प्राकृतिक परिस्थितियों और प्रयोगात्मक खेतों मे जान-बूझकर संक्रमण के वातावरण में रखा गया था और जो इस रोग से झुक रही है।

इस प्रकार की जातियो को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन करके इस संकट से मुक्ति पाने का आसान तरीका निकाला जा सकता है। परन्तु अभी तक किसी भी उत्पादक ने, उचित अनुसरण व विस्तृत प्रचार व प्रदर्शन आदि के अलावा ये इसके बागानो को बड़े पैमाने पर नहीं लगायी है।

इस बीमारी को समाप्त करने के लिए रोग विरोधी उपायो के रूप मे कुछ फफूंद नाशक छिड़कावो की अनुसूची बनायी गयी है। गर्मी के मौसम मे इस फफूंदनाशक दवा के 0.3 प्रतिशत घोल का छिड़काव करने पर पत्ते और फल दोनो पर हुए इस रोग पर नियन्त्रण किया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए अन्य फफूंद नाशक दवाओ मे बेयोर, डिसथान, बेविसटिन, डाइथेन

डेकोनिल, और डिथेन आदि शामिल हैं। एसकोसपोर्स छोड़ने के बाद 4 फफूंदीनाशक दवाओं (बेविसटिन, डाइथेन एम-45, डीफोलेटन और क्यूपरन-एल) के 6 छिड़काव करने से इस स्कैब रोग पर करीब-करीब पूरा नियन्त्रण किया जा सकता है। इन फफूंदीनाशक दवाओं से कुछ अन्य फफूंद की बीमारियों जैसे लीफ स्पोर्टस, सूटी-ब्लाच, और फ्लाई-स्पीक तथा कुछ और नाशी जीवों जैसे लाल स्पाइडर-माइटर को भी समाप्त किया जा सकता है। लेकिन उचित ज्ञान होने के कारण हिमाचल प्रदेश और काश्मीर के, विशेषकर देहात के सेब उत्पादक राज्य में ऐसे उत्पादकों की संख्या १५ प्रतिशत होगी। उन्हें कीट नाशक दवाओं का उपयोग करना नहीं आता, बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी होती है।

चूंकि दोनों राज्यों की आर्थिक अवस्था इस सेब की खेती पर निर्भर है, इसलिए स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए, सरकार को सम्बन्धित राज्य सरकार के साथ इस मामले पर बात-चीत करनी चाहिए ताकि इस महामारी से फसल को बचाने के लिए प्रयास किए जा सकें। इस रोग को रोकने और दूर करने के सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गई है, उस सम्बन्ध में माननीय कृषि मन्त्री सदन में वक्तव्य दें।

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : अध्यक्ष जी, इनको क्या हो गया है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने बोल तो दिया फिर आप यह कह रहे हैं।

हम इस पर विचार करेंगे।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रपाल शैलानी : पानी पी लो गला सूख गया होगा।

अध्यक्ष महोदय : मिस्टर शैलानी, आप अपना काम करिये, वे अपना काम कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय . मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप उनसे भी बढ़ रहे हैं। आप बैठिए और बैठकर, आकर के मुझसे बात कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास आइये हम बात करेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने बारी-बारी से कहा है कि मेरे कंसीड्रेशन में है। आज मुझसे मिलियेगा।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : क्या आप उस पर सक्रियता से विचार कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : बिल्कुल एक्टिव कंसीड्रेशन, वेरी एक्टिव कंसीड्रेशन में है। जल्दी कीजिए। आपने मुझसे यह बात पहले क्यों नहीं कहलवा ली ?

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है।

(दो) कुछ गिरोहों द्वारा भिक्षावृत्ति के लिए बच्चों का अपहरण किए जाने की घटनाओं को रोकने के उपाय

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : अध्यक्ष महोदय, देश के घनी आबादी वाले शहरों में बच्चों का अपहरण कर उनसे भीख मगवाने का धन्धा करने वाले अनेक गिरोह बहुत दिनों से सक्रिय है। दिल्ली मे आगामी नवम्बर में प्रारम्भ होने जा रहे एशियाड खेलों को देखते हुए इस प्रकार के गिरोह और अधिक सक्रिय हो गए हैं और धड़ाधड़ बच्चों का अपहरण कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

इन गैंगों में पुरुष और महिलाएं दोनों ही हैं। गत माह इसी प्रकार के एक गैंग ने कानपुर शहर से एक चोदह वर्षीय बच्चे का अपहरण किया था जो काफी प्रयास के बाद वाराणसी रेलवे स्टेशन से बरामद किया गया। बालक को बुरी तरह पीटा गया था, बिजली के झटके लगा कर दिमाग का सन्तुलन बिगाड़ दिया गया था। दूसरी घटना गाजियाबाद जिले के पिलखुआ नगर में हुई जहां स्टेशन पर एक व्यक्ति से बोरी में बन्द तीन बच्चों को बुरी हालत में बरामद किया गया। बच्चों के अपहरण की ऐसी ही कई घटनाएं अलीगढ़ नगर और समीपवर्ती क्षेत्रों में हो चुकी हैं। कुछ बच्चे किसी प्रकार बचकर भाग आये हैं। भागकर आए बच्चे इतने भयभीत हैं कि वे कुछ भी अपने परिवार के सदस्यों को नहीं बता पाते। अभी कुछ बच्चों का पता नहीं चल सका है। इसी प्रकार की एक घटना अभी कुछ दिन पहले अलीगढ़ के जयगंज मोहल्ले में हुई, हां दो औरतें एक बच्चे का अपहरण करके चल दी थीं, सन्देह होने पर मोहल्लावासियों ने इन औरतों को धर पकड़ा और उनसे तीन बच्चे बरामद हुए जिनमे से एक जयगंज ही का था।

जानकर सूत्रों से मालूम हुआ है कि इस प्रकार के बच्चों का अपहरण करके बड़े शहरों

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नही किया गया।

में बेच देते हैं जहां एक बड़ा गिरोह बच्चों का अंग-भंग कर उन्हे यातनाएं देकर पिछला सब कुछ भुला देते हैं। जब बच्चे पिछला सब कुछ भूल जाते है तो उनसे भीख मगवाने का धन्धा कराया जाता है। भीख का सारा पैसा गैंग का मुखिया हड़प लेता है और बच्चों को जीने के लिए केवल पेट भर रोटी मुश्किल से देता है।

एशियाड खेलों को देखते हुए उन्हें टूटी-फूटी अंग्रेजी बोलने की ट्रेनिंग भी दी जाती है ताकि वे विदेशी नागरिकों को अपनी बात समझाकर भीख में अच्छी रकम प्राप्त कर सकें। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस प्रकार के अमानुषिक अपराधों की रोकथाम के लिए कोई ठोस कदम अमल में लाया जाए।

(तीन) देश में हथकरघा बुनकरों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए कदम उठाना

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में बुनकरों की आर्थिक स्थिति अत्यन्त चिंताजनक होती जा रही है क्योंकि हथकरघा उद्योग अनेक प्रकार के संकटों के दौर से गुजर रहा है। सूत और केमिकल्स की कीमतें पहले से ही अधिक हो चुकी हैं तथा सरकार द्वारा इन चीजों को सरलता से कम कीमत पर बुनकरों द्वारा तैयार किए गए कपड़े की खरीद की भी व्यवस्था ठीक नहीं है। ऐसी हालत में बुनकरों को अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अतः मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि सूत और केमिकल्स को सरलता से उपलब्ध कराने हेतु कारगर एवं ठोस कदम उठाए जाएं तथा गरीब बुनकरों द्वारा तैयार किया गया कपड़ा पूरी तरह सरकारी एजेन्सियों द्वारा खरीद लिया जाए। जब तक यह कदम नहीं उठाया जाता तब तक बुनकरों की आर्थिक स्थिति में सुधार सम्भव नहीं है। जिन बुनकरों ने तीन हजार रुपए तक के कर्ज लिए हैं उनके कर्ज भी सरकार को माफ कर देना चाहिए।

(चार) दिल्ली में दहेज सम्बन्धी मौतों को लेकर महिलाओं द्वारा निकाले गए जुलूस

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : देश में विशेषकर दिल्ली में दहेज न देने के कारण कुल वधुओं को जीवित जलाने या मार देने की घटनाएं बढ़ रही हैं।

इसके साथ ही स्थान-स्थान पर पुलिस द्वारा महिलाओं के शीलभंग करने के भी समाचार आ रहे हैं।

यह स्थिति बड़ी विस्फोटक है।

दहेज-विरोधी कानून को कड़ा बनाने के लिए एक विधेयक दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति के विचाराधीन है। मेरा आग्रह है कि अधिक विलम्ब किए बिना समिति शीघ्र ही अपना कार्य सम्पन्न करे।

जो पुलिसकर्मी महिलाओं के विरुद्ध अपराध करते हैं, उनके कुकर्मों पर पर्दा डालने के बजाय उन्हें इस प्रकार की कड़ी सजा दी जानी चाहिए, जो औरों के लिए उदाहरण बन ।

आज दिल्ली की हजारों महिलाएं संसद के दरवाजे पर दस्तक देने के लिए एकत्रित हुई हैं ।

उनका साथ देने के लिए देश के लगभग प्रत्येक भाग से महिलाएं प्रतिनिधि शामिल हुई हैं । भारतीय नारी आज पीड़ित और प्रताड़ित है। उसका शील, सम्मान और जीवन खतरे में है । जिस देश में महिला समाज की ऐसी स्थिति हो, वह देश कदापि न तो उन्नति कर सकता है और न विश्व में सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर सकता है ।

मेरा आग्रह है कि सरकार इस विषय में अपनी स्थिति स्पष्ट करे और उपयुक्त कार्यवाही का आश्वासन दे, जिससे महिला वर्ग का समाधान हो सके ।

(पांच) दिल्ली में मच्छरों के प्रकोप तथा मलेरिया की कथित वृद्धि को रोकने के लिए अविलम्बन उपाय करने की आवश्यकता

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : पूरी दिल्ली में मलेरिया एवं मच्छरों का भयंकर प्रकोप हो रहा है । अस्पताल में कुल रोगियों में से आधे से अधिक रोगी मलेरिया ग्रस्त है। एन० डी० एम० सी० द्वारा जो पहले मलेरिया उन्मूलन हेतु नियमित रूप से दवाई छिड़काव या अन्य कार्यक्रम चलाए जाते अब बिल्कुल ही बन्द कर दिया गया है । शहर में काफी गंदगी भी फैलती जा रही है । लोग मच्छरों से परेशान हैं । यदि जल्द मच्छरों के उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं चलाया गया तो अगले कुछ सप्ताहों में राजधानी में मलेरिया का भयंकर प्रकोप हो जाएगा ।

अत: सरकार इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही करे ।

(छ) फरक्का के निकट भागीरथी नदी के किनारों पर भूमि का कटाव

श्री जायनल अबेदिन (जंगीपुर) : महोदय, फरक्का के निकट नैनसुख नामक स्थान पर भागीरथी के किनारो पर बड़े पैमाने के कटाव के कारण, जिसके कारण गंगा और भागीरथी के बीच जमीन का अन्तर 5 किलोमीटर से डेढ़ किलोमीटर रह गया है, पश्चिम बंगाल की जनता और वामपंथी सरकार बहुत चिंतित है । नदी के रास्ता बदलने के कारण भारत को क्षेत्रीय हानि हो रही है और बंगलादेश को क्षेत्रीय लाभ हो रहा है । पश्चिम बगाल सरकार ने 1980-81 में कटाव रोकने के लिए गगा बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड से अनुदान देने के लिए कहा । लेकिन बोर्ड ने उक्त राशि अभी तक प्रदान नहीं की है ।

तीन वर्ष पहले तक गगा और भागीरथी के बीच जमीन का अन्त करीब 5 किलोमीटर था । यदि गगा बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड द्वारा कटाव रोकने के लिए शीघ्र कदम नही उठाए गए तो

फरक्का बांध बनाने का उद्देश्य समाप्त हो जाएगा । कटाव से न केवल किनारों पर बसे नगरों जिनमें धुलिया और जनांगी भी शामिल हैं, के लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा बल्कि फरक्का बांध, राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों और दोनों नदियों के बीच से गुजरने वाली रेल लाइनों के लिए भी डर पैदा हो जाएगा ।

इसके अतिरिक्त अत्याधिक कटाव के परिणामस्वरूप मुर्शिदाबाद जिले के हजारों किसानों को एक तरफ तो अपनी कृषि योग्य भूमि निरन्तर कम होने का नुकसान हो रहा है और दूसरी तरफ उनकी कीमती सम्पत्ति उनसे छिन रही है, जिसके परिणामस्वरूप उनकी आजीविका और पुनर्वास का प्रश्न उन्हें और उत्तेजित कर रहा है ।

इन परिस्थितियों को देखते हुए, मैं सरकार से अनुरोध करता हू कि वह पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार को बिना देर किए कटाव रोकने के सभी आवश्यक सहायता प्रदान करे ।

मैं मांग करता हूं कि कृषि मन्त्री इस सम्बन्ध में अपने मन्त्रालय द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में सदन में एक वक्तव्य दें ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम वैधानिक कार्यों...के बारे में विचार करेंगे ।

श्री बापू साहिब परुलेकर (रत्नगिरी) : महोदय, इससे पहले कि आप अन्य विषय पर बात करें, मैं यह बता देना चाहता हूं कि समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि सत्र का समय एक सप्ताह कम किया जाएगा । हम जानना चाहते हैं, कि क्या यह सच है अथवा नहीं है अथवा यह बात सरकार के विचाराधीन है, क्योंकि हमें अपना कार्यक्रम बनाना होता है । संसदीय कार्य मन्त्री यहां उपस्थित है । वह हमें इस बारे में बता सकते हैं ।

श्री राम विलास पासवान : पार्लियामेंट का सेशन एक हफ्ता करटेल कर रहे हैं ।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : नहीं, नहीं ।

चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय (संशोधन) विधेयक—जारी

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : मैंने भी अपना नाम दे रखा है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री चित्त बसु अन्तिम वक्ता होंगे और मन्त्री महोदय उत्तर देंगे ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मुझे भी मौका मिलना चाहिए । मैंने अपना नाम दे रखा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैं आपको बोलने की अनुमती नहीं दे रहा हूं।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैंने अपना नाम पहले दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह ठीक है। यह आवश्यक नहीं कि आपको बुलाया जाए।

श्री गिरधारी लाल व्यास : क्यों नहीं ?

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री व्यास, मैं आपको बता दूं कि हमने 2 घण्टे का समय दिया था। हम पहले ही ढाई घण्टे समाप्त कर चुके हैं और शायद इससे भी अधिक समय ले चुके हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मुझे बोलने का अवसर अवश्य दिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : वह ठीक है। आपके दल को जो समय दिया गया था वह पूरा हो चुका है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नही। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। इसके बाद मन्त्री महोदय उत्तर देंगे। श्री चित्त बसु अन्तिम वक्ता हैं और फिर मन्त्री महोदय उत्तर देंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, मुझे खेद है। मुझे समय भी देखना है। घड़ी वहां है। हमें आज दो विधेयक और पूरे करने हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है। जब तक आप पीठाध्यक्ष को सहयोग नहीं देंगे, हम कार्यवाही जारी नहीं रख सकते।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैं सदन का का एक वरिष्ठ सदस्य हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : लेकिन श्री चित्त बसु सबसे वरिष्ठ सदस्य है। आप अपने जैसे अन्य सदस्यों को देखें। मैं पुनः दोहराता हूं कि श्री चित्त बसु अन्तिम वक्ता हैं और उन्हें 6-7 मिनट का समय दिया गया है।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं हमेशा अन्त में बोलता हूं।

मैं विधेयक का विरोध करता हूं स्वभावतः यह प्रश्न उठेगा कि इसने निर्दोष विधेयक का इस पक्ष द्वारा विरोध क्यों किया जा रहा है ।

(व्यवधान)

विधेयक का विरोध करने का मेरा पहला कारण यह है कि मूल विधेयक, मूल अधिनियम, में अभियुक्त पर मुकदमा चलाये बिना, निवारक नजरबंदी का प्रावधान दिया गया है ।

मूलत: हम उस किसी भी उपाय का विरोध करते हैं जिसमें मुकदमा चलाये बिना नजरबन्दी का प्रावधान है ।

इस मामले में आप और मंत्री महोदय इस बात से सहमत होंगे कि चोर बाजारियों और मुनाफाखोरों की गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार ने कई कानून बनाए हुए हैं और इस प्रक्रिया को समाप्त करने अथवा उसे हटाने के लिए सरकार के न्यायशास्त्र में कानूनों की कमी नहीं है ।

मूल अधिनियम और इन संशोधनों में भी निवारक नजरबंदी का प्रावधान दिया गया है और इसलिए हमने निवारक नजरबंदी के विचार का विरोध किया है ।

यह मामूली संशोधन और अधिक हानिकर है क्यों कि— मैं नहीं समझता कि मंत्री महोदय मेरी इस बात से सहमत होंगे—पहले सरकार द्वारा निवारक नजरबंदी का आदेश मूल अधिनियम के अधीन जारी किया जाता था । उसका अर्थ है कि किसी को नजरबंद करने के लिए अथवा बिना मुकदमा चलते गिरफ्तार करने के लिए मंत्रीमंडल अथवा मंत्रालय या गृह सचिव या गृह मंत्री की स्वकृति लेना आवश्यक होता था ।

कृषि और ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मंत्री । (राव बीरेन्द्र सिंह) : क्या पश्चिम बंगाल इस कानून को लागू नहीं कर रहा ?

श्री चित्त बसु : यदि आपने मुझे ऐसा कहने के लिए विवस उत्तेजित करेंगे तो मै उस प्रश्न का भी जवाब दूंगा ।

यह संशोधनकारी विधेयक इसलिए हानिकर है क्योंकि तथ्य यह है कि यह अधिकार जो कि राज्य सरकार मुख्य मंत्रिमंडल /मंत्रालय/ गृह मंत्री/ मुख्य मंत्री के पास था, अब इसे अधिकारी तंत्र अधिकारियों, जिलाधीशों, आयुक्तों और पुलिस सुपरिटेंडेंट को दिया जा रहा है । यह अधिकार उन अधिकारियों को दिया जा रहा है । अतः इस बात की पूरी संभावना है कि कानून का दुरुपयोग किया जायेगा ।

आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने सम्बंधी आधिनियम के अंतर्गत अभूतपूर्व कानून के नाम से

अनेक लोगों को गिरफ्तार किया गया नजरबंदी आदेश के कुल फार्म छपवाए गए, और साइकलो-स्टाइल कराये गए तथा उन्हें केवल पुलिस अधिकारियों के पास रखा गया ताकि वे किसी भी व्यक्ति को जारी किया जा सकता है । जिसे वह गिरफ्तार करना चाहते हैं।

अत: वे अनुभव हमारे दिमाग में हैं । यदि इस तरह की नृशंसशक्ति पुलिस आयुक्त और जिलाधीश जैसे अधिकारियों को दी गयी तो इसके दुरुपयोग किए जाने की सभावना है,

उपाध्यक्ष महोदय : यह आपातकालीन अधिनियम नहीं है ।

श्री चित्त बसु : इसमें से आपात काल की बांध आ रही है महोदय मुझे प्रसन्नता है कि आपने मुझे आपात काल का स्मरण कराया है । ये अधिनियम आपात काल के दौरान नहीं बनाए जा रहे हैं। यह और भी घातक है क्योंकि संसद द्वारा शांति काल में, इस तरह के नृशंस कानून बनाए जा रहे हैं । मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे आपात काल की याद दिलाई । कोई भी व्यक्ति जिसमें लेशमाभी लोकतांत्रिक भावना या नागरिक स्वतंत्रता की भावना है वह इस नृशंस कारु का समर्थन नहीं कर सकता ।

माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिया गया उत्तर बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला है । उनका कहना है कि मूल अधिनियम के अंतर्गत 45 व्यक्तियों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए इस संशोधन की आवश्यकत है। क्या इससे उन राज्य सरकारों के रेब में ठीक से पता चलता है जो इस अधिनियम को लागू करने के लिए सहमत हैं यदि समूची सरकार और मंत्रि मंडल मात्र 45 व्यक्तियों को गिरफ्तार नहीं कर सकते तो वे कैसे यह आशा कर सकते हैं कि जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस आयुक्त को अधिकार दे देने से वे इन सामाजिक अपराधियों को पकड़ सकेंगे । राज्यों में उनकी अपनी सरकारें काम कर रही हैं । यदि कोई सरकार ईमानदारी से काम करती है तो यह कैसे संभव है कि मंत्रिमंडल इन समाज विरोधी तत्वों को गिरफ्तार नहीं कर सकता ? और आप आशा करते हैं कि केवल जिला मजिस्ट्रेड और पुलिस आयुक्त को अधिकार देने पर ही आप उन्हें गिरफ्तार करा सकते हैं । अत: यह और भी अधिक खराब बात है । इन मुख्य कारणों से में इस विधेयक का विरोध करता हूं ।

उन्होंने एक प्रश्न पूछा है जिसका उत्तर देना आवश्यक है और वह प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने यह अधिनियम लागू क्यों नहीं किया । पश्चिम बंगाल सरकार इस तरह का नृमेंशंस अधिनियम लागू नहीं कर सकती । मैंने विपक्ष के किसीसद स्य को यह मांग करते हुए सुना है कि पश्चिम बंगाल सरकार के विरुद्ध इस अधिनियम का प्रयोग नक रने के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए महोदय, मैं समझता हूं आपात स्थिति अभी लागू नहीं है । इसके बावजूद उन्होंने इस तरह की आश्चर्यजनक बातें कही हैं । दूसरे, विधेयक का नाम है चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय (सशोधन) विधेयक । मत्री महोदय से मेरा प्रश्न यह है कि क्या आप अपनी इच्छा नुसार आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई कर पाए हैं ? यदि आप सतुष्ट हैं तो मुझे कुछ

नहीं कहना है। मैं यह सिद्ध करने के लिए केवल एक उदाहरण देना चाहता हूं कि सरकार राज्य सरकारों की अवश्यक वस्तुएं सप्लाई करने में पूर्णतः असफल रही है। मैं पश्चिम बंगाल सरकार का उदाहरण देता हूं। पश्चिम बंगाल राज्य में एक वर्ष में 33 लाख मीट्रिक टन कम अनाज का अनुमान लगाया गया। कमी को केन्द्र द्वारा पूरा किया जाना था। लेकिन पिछले 9 महीनों में अर्थात 10.1981 से जून 1982 तक भारतीय खाद्य निगम ने केवल 19 लाख मीट्रिक टन अनाज सप्लाई किया। अतः 4 लाख मीट्रिक टन प्रति माह अथवा जुलाई, अगस्त और सितम्बर के महीनों के लिए आवश्यकता से करीब 14 लाख मीट्रिक टन कम अनाज सप्लाई किया गया। 1982 से जुलाई 1982 तक प्रति माह औसतन 2.25 लाख मीट्रिक टन से 235 लाख मीट्रिक टन तक अनाज सप्लाई किया गया। जबकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली बनाए रखने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को 350 लाख मीट्रिक टन अनाज की आवश्यकता है, जिसे देने का वायदा इस सरकार ने किया था, परतु वास्तव में इसकी सप्लाई 250 लाख से 235 लाख मीट्रिक टन से अधिक नहीं की गई। अतः प्रति माह आश्यकता से 11 लाख मीट्रिक टन कम अनाज दिया गया आवश्यक वस्तुकों की सप्लाई के सबंध में यह स्थिति बनी हुई है। सीमेंट और अन्य आवश्यक वस्तुओं की भी यही स्थिति बनी हुई है जिनकी सप्लाई न होने पर या सप्लाई में कमी होने पर और सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सप्लाई करने के लिए कोई वस्तु उपलब्ध न होन पर वे चोर-बाजार में चली जाती है ...

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री चित्त वसु : में समाप्त कर रहा हूं।

त्रिपुरा के सबंध में पश्चिम बंगाल सरकार ने उसे प्रति माह 8000 मीट्रिक टन अनाज देने की सहमति दी थी लेकिन कभी तो ऐसा मौका नहीं आया जब पश्चिम बंगाल सरकार ने अनाज की कमी पूरा करने के लिए भारत सरकार ने कुल आवश्यकता का 60 प्रतिशत से अधिक अनाज सप्लाई किया हो।

अतः मेरा प्रश्न है कि सरकार आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई बनाए रखने में बिलकुल असफल रही है जिसके फलस्वरूप आवश्यक वस्तुएं पुनः चोरबाजार में चली हैं।

अतः महोदय यदि आप चोरबाजारियों और मुनाफाखोरों की गतिविधियों को रोकने में दिलचस्पी रखते हैं, तो सप्लाई को सुनिश्चित करना होगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने सुझाव दिया है कि भारत सरकार को 14 वस्तुओं की खरीद करनी चाहिए और उसका मूल्य निधारित करने उनके वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा करने की घोषणा करनी चाहिए। केवल तभी चोरबाजारियों और मुनाफाखोरों की गतिविधियों को रोका जा सकता है।

इस बात के लिए केरल का उदाहरण दिया गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का

उपयोग कैसे किया जाना चाहिए ताकि मूल्य निर्धारित किया जा सके और उन्हें स्थिर रखा जा सके। अत: मैं सरकार से अपील करता हूं कि पुलिस अधिकारियों को और अधिक अधिकार नृशंस शक्तियां देने के बजाय, उन्हें सप्लाई बराबर बनाए रखने पर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाये रखा जा सके और चोर बाजारियों तथा मुनाफा-खोरों की गतिविधियों को प्रभाव पूर्ण ढंग से रोका जा सके। इसका यही एक मात्र तरीका है।

कृषि और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ)—मैं उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने वाद-विवाद में भाग लिया और महत्वपूर्ण सुझाव दिए।

अधिकांश माननीय सदस्यों ने विधेयक का समर्थन किया है।

महोदय, जैसा कि आपने देखा है इस संशोधनकारी विधेयक का विरोध करने वाले अधिकांश सदस्यों ने मूल अधिनियम का उल्लेख किया है और इस अति सीमित संशोधन के बारे में कुछ नहीं कहा है।

इस चर्चा में भाग लेने वाले पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों ने इस अधिनियम को कार्यान्वित करने पर बल दिया है। हम इससे सहमत हैं कि अधीनियम को प्रभाव पूर्ण ढंग से कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

अधिनियम को कार्यान्वित करने का कार्य राज्य सरकारों का है और केन्द्र सरकार भी इसे प्रभाव शाली ढंग से कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी समझती है। राज्य सरकारों को भी समय-समय पर निर्देश जारी किए गए हैं कि वह इस अधिनियम को मुस्तैदी से कार्यान्वित करें और समाज में फैली हुई इस बुराई को दूर करें, जिसमें चोर बाजारिये लगे हुए हैं।

कार्यान्वयन खण्ड के बारे में कुछ सदस्यों ने प्रश्न पूछे हैं कि इसे कहां तक कर्यान्वित किया गया है और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम अथवा इस अधिनियम के अंतर्गत क्या कार्यवाही की गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है और यह हम से संबंधित नहीं हैं।

चोर-बाजारी निवारण और अत्यावश्यक वस्तुओं की सप्लाई बनाए रखने के संबंध में, मैं सदन का ध्यान विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्यवाही की ओर दिलाना चाहता हूं चोर-बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदान (संशोधन) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत 12.7.82 तक विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा 522 व्यक्तियों को नजरबंद करने के आदेश दिए गए हैं, जिनमें से 45 व्यक्ति फरार हैं और 49 व्यक्ति नजरबंद हैं। आवश्यक वस्तुएं अधिनियम 1955 के

अंतर्गत 1980 में करीब 1.16 लाख छापे मारे गए, करीब 25000 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए लगभग 2700 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए, 1700 व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया और करीब 17 करोड़ मूल्य की आवश्यक वस्तुएं जब्त की गई। उन राज्य सरकारों द्वारा ये दोनों अधिनियम कार्यान्वित किए जा रहे हैं जिन्हें समय समय पर इस संबंध में मुस्तैदी से कार्यवाही करने के लिए कहा जाता है। महोदय, विभिन्न राज्यों द्वारा यह कार्यवाही की जा रही है यहां मैं इस प्रश्न पर बल देना चाहता हूं कि सरकार द्वारा बनाए गए कानून और नीतियों पर केवल तब ही प्रभाव पूर्ण ढंग से कार्यवाही की जा सकती है जब सरकार को जनता का सहयोग मिले।

इस सदन के सभी दलों के सदस्यों का भी कर्तव्य है कि वे दल गत भावना से उठकर सरकार को सहयोग दें यह एक सामाजिक अपराध है और मैं इस विधेयक या संशोधन का विरोध करने वाले माननीय सदस्यों और भारत के लोगों से यह निवेदन करता हूं कि उन्हें इस संबंध में सरकार को सहयोग देना चाहिए। हमारा राष्ट्र का चरित्र निर्माण किया जाना चाहिए और ऐसे चोर-बाजारियों और जमाखोरों का भर्त्सना करने के लिए भावनाओं को जगाना चाहिए और शिक्षण तथा अन्य सामाजिक संस्थाओं को कानून लागू करने के लिए सरकार को सहयोग देना चाहिए। सरकार को इस पर बहुत अधिक ध्यान है। अन्य बहुत से सदस्यों ने यहां तक कहा है कि सरकार चोर बाजारियों और जमाखोरों को प्रोत्साहन दे रही हैं। मैं इस निरर्थक, तुच्छ; निराधार और राजनीति के कारण लगाए गए इस आरोप का विरोध करता हूं।

महोदय, यह हम सब का कर्तव्य है कि हम अपने देश से इस सामाजिक बुराई को हटाने के लिए एक जुट हो जाएं।

महोदय, कुछ माननीय सदस्यों द्वारा कुछ सुझाव भी दिए गए हैं। सभी सुझाव स्वीकार करना तो मेरे लिए कठिन होगा लेकिन में कुछ गंभीरता संगत सझावों का उल्लेख करुंगा और यह कहूंगा कि सरकार इस बुराई को समाप्त करने में गंभीता से सोच रही है। इस विधेयक का समर्थन करते हुए एक माननीय सदस्य ने कहा है कि सरकार को 14 वस्तुओं जैसे चावल, चीनी खाद्य तेल की सप्लाई आदि का थोक व्यापार अपने हाथ में ले लेना चाहिए मेरे माननीय मंत्री श्री चित्त बसु ने भी अभी इसी का उल्लेख किया है मैं यह कहना चाहूंगा कि चावल, लेवी चीनी गेहूं, मिट्टी के तेल की पहले ही सरकार और इसकी एजेंसियों द्वारा सप्लाई की जा रही है और सामान्यतः यह बाजार के मूल्यों से कम मूल्य पर बेची जाती हैं। माननीय सदस्य द्वारा बताई गई 14 वस्तुओं के थोक व्यापार को अपने हाथ में लेना सरकार के संसाधनों के परे होगा और वास्तव में यह अनुत्पादक होगा।

माननीय सदस्य द्वारा एक अन्य आशंका यह भी व्यक्त की गई है कि अधिनियम को राजनैतिक नेताओं तथा मजदूर संघ नेताओं के विरुद्ध उपयोग में लाया जायेगा। मैं इस सम्बन्ध में, सभी राजनैतिक नेताओं, तथा मजदूर संघ नेताओं को चाहे वे शासक दल से संबन्धित हो अथवा अन्य दलों से सम्बन्धित हों, यह आश्वासन देना चाहता हूं कि यदि वे इस प्रकार के अपराधों से

कोई सम्बन्ध नहीं रखेंगे तो न तो उनको परेशान किया जायेगा और न ही यह कानून लागू होगा जो अपराधी हैं उन पर यह कानून लागू होगा। उनको इस कानून का सामना करना होगा मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी निर्दोष व्यक्ति को नहीं सताया जायेगा।

इसके अलावा महोदय, हमारे पक्ष के एक माननीय सदस्य द्वारा यह भी सुझाव दिया गया है। कि देश के सभी राज्यों में सभी आवश्यक वस्तुओं की मूल्य सूचियों को प्रदर्शित करना अनिवार्य किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं। कि अधिक मूल्य वसूल करने को रोकने के लिए सभी राज्यों। संघ राज्यों क्षेत्रों द्वारा सभी दुकानों, विशेष रूप से प्रमुख व्यापारिक स्थलों पर मूल्य सूचियों को प्रदर्शित करने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, बाट और आप मानक (पैकेट बन्द वस्तुएं) नियम, 1977 के द्वारा भी यह व्यवस्था की गई है कि वस्तु का नाम, उत्पादकता। पैकेट बन्द करने वाले का नाम तथा पता, वजन की कुल मात्रा और अथवा संख्या, उत्पादन करने का महीना तथा वर्ष तथा थोक बिक्री मूल्य को प्रदर्शित किया जाये। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि व्यापारी लोग ठीक मूल्य वसूल करके उपभोक्ताओं का शोषण नहीं करें।

महोदय, कुछ माननीय सदस्यों द्वारा यह इच्छा व्यक्त की गई है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा जिन वस्तुओं का व्यापार किया जाता है उनको विभिन्न राज्यों में समय पर तथा पर्याप्त मात्रा में भेजा जाना चाहिए। विभिन्न राज्यों को भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्य वस्तुओं के सप्लाई प्रबन्धों की केन्द्रीय सरकार तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है। यह निर्णय हाल ही में लिया गया है कि विभिन्न राज्यों को प्रति माह खाद्यान्नों का अग्रिम रूप से आवंटन करने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा माल को लाने ले जाने तथा विभिन्न राज्यों को समय पर इन खाद्यान्नों की सप्लाई करने की योजना तैयार करने को कहा गया है। एक माननीय सदस्य ने यह सुझाव दिया है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के मामले में 2000 परिवारों के पीछे एक उचित दर की दुकान खोलने के मापदण्ड में ढील दी जानी चाहिए। काफी समय पहले विभिन्न राज्यों को यह बताया था कि दूर दराज के क्षेत्रों में जहां पर जन संख्या कम है वहां, पर 2,000 परिवारों से भी कम परिवारों के लिए एक उचित दर की दुकान का होना आवश्यक है। वास्तव में नए 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को यह कहा गया है कि इस प्रकार के दूर दराज के क्षेत्रों चलती फिरती दुकानें खोलने पर विचार किया जो सतर्कता समितियों को गठित करने के लिए भी सुझाव दिया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कार्य प्रणाली पर निगरानी रखने के लिए राज्य सरकारों को सतर्कता समितियां गठित करने के अनुदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। एक यह भी सुझाव दिया गया था कि प्रत्येक स्थान पर विशेष रूप से उत्तर पूर्वी राज्यों में सुरक्षित भण्डार बनाया जाए उत्तर पूर्वी क्षेत्र को आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए रेल तथा भारतीय खाद्य निगम जैसी केन्द्रीय एजेंसियों तथा उस क्षेत्र के राज्यों के बीच नियमित रूप से समन्वय बनाये रखा जाता है ताकि

उस क्षेत्र में विशेष रूप से मानसून के दौरान इन वस्तुओं के पर्याप्त भण्डारण बनाना सुनिश्चित किया जा सके।

महोदय, एक यह भी सुझाव दिया गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के घोटालों में अन्तर्ग्रस्त सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। जो कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का अपराध करेगा उसको कानून के अन्तर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार सजा दी जाएगी और अधिकारी लोग भी इससे नहीं बच पायेंगे। अन्त एक यह सुझाव दिया गया था कि किसी विशेष क्षेत्र को चावल तथा गेहूं की सप्लाई करने में कोई भेदभाव नहीं बरता जाना चाहिए। महोदय, मैं सभा को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा।

महोदय, श्री बापू साहेब परुलेकर ने अपने भाषण में यह कहा है कि इस अधिनियम को पास करने के पश्चात आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में कितनी कमी आयेगी। मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की वस्तुओं के मूल्य विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं, जिनमें उनका उत्पादन स्थानीय उपलब्धता में किसी विशेष समय पर उपयोगताओं की मांग आदि सम्मिलित हैं। वस्तुओं की स्थानीय उपलब्धता में सुधार लाने के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि व्यापारियों द्वारा भण्डारों को न छिपाया जाए क्योंकि ऐसा करने से इन आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई बनाए रखने में बाधा उत्पन्न होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही मूल रूप से इस विधान को पारित किया गया था। तथा प्रस्तावित संशोधन के मध्यम से अब कार्यवाही अधिक मजबूती के साथ की जाएगी। किसी विशेष वस्तु की उपलब्धता में सुधार लाने तथा उसके मूल्य को न्यायसंगत स्तर पर रखने के लिए इस विधान द्वारा किस सीमा तक सहायता की गई है, यह प्रत्येक राज्य तथा क्षेत्र में अलग अलग हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा इस विधान के किस प्रभावी ढग से कार्यान्वित किया गया है। आवश्यक वस्तुओं के मूल्य स्तर तथा इस अधिनियम के बीच प्रत्यक्ष रूप से कोई सम्बन्ध नहीं। क्योंकि मूल्यों को काबू में रखने का यह केवल साधन मात्र है।

महोदय, तक माननीय सदस्य द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि एक संसदीय समिति की जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि सार्वजनिक वितरण के सम्बन्ध में पहले से ही एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, मौजूद है। इसकी अध्यक्षता केन्द्रीय नागरिक पूर्ति मन्त्री के द्वारा की जाती है, जिसमें अन्य लोगों के अलावा तक लोक सभा सदस्य, एक राज्य सभा सदस्य तथा सभी राज्यों के खाद्य तथा नागरिक अपूर्ति मंत्री तथा सार्वजनिक वितरण से सम्बन्धित केन्द्रीय मन्त्रालयों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। अत: माननीय के मन में ऐसी कोई शंका नहीं रहनी चाहिए कि वितरण का कार्य कुप्रभावित होगा।

इसके अतिरिक्त कुछ अन्य सुझाव भी दिए गए हैं। में सभा को यह बताना चाहता हूं

कि यह सारी चर्चा मल अधिनियक से सम्बन्धित थी। यह संशोधन जिसकी सीमा बहुत ही छोटी तथा समिति ; यह प्राधिकृत नहीं करता है कि वह सारी चर्चा की जाए, जो पहले ही की जा चुकी है। तथापि माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए उपयोगी सुझावों के लिए मैं उनका आभारी हूं मैंने आपकी ओर से उनके प्रश्नों उत्तर देने का भरसक प्रयत्न किया है।

एक अन्तिम मुद्दा जो माननीय सदस्य श्री चित्त बसु द्वारा उठाया गया है वह यह है कि खाद्यान्नों तथा अन्य वस्तुओं की सप्लाई बहुत कम है। आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध नहीं होती हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल के सबसे अधिक मात्रा में खाद्यान्नों का आबंटन किया गया है।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि पश्चिम के सदस्यों द्वारा इस विधेयक का विरोध किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही सरकार पर यह दबाव डालते हैं कि कालाबाजारी को समाप्त किया जाए। मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हू कि पश्चिम बंगाल में, जहां उनकी अपनी सरकार है वे क्या कार्यवाही करना चाहते हैं? यदि उन्होंने कोई फार्मूला तैयार किया है अथवा यदि उन्होंने कोई तरीका ढूंढ निकाला है अथवा यदि वे कोई प्रभावकारी कार्यवाही करना चाहते हैं तो हम भी उसका अनुसरण करेंगे। लेकिन मैं जानता हूं कि वहां बुराई को समाप्त करने के लिए कोई उपाय नहीं किया जा रहा है।

आपत्तियां की जाती हैं, और सरकार की आलोचना की जाती है। लेकिन आलोचना करने से ही काम नहीं चलता है। अन्त में मैं माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हू और अपन भाषण को समाप्त करता हू।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि चोरबाजारी और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर; राज्य सभा द्वारा पास किए जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में विधेयक पर खण्ड-वार विचार किया जाएगी। प्रश्न यह है :—

कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक" में जोड़ दिये जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1 अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मन्त्री महोदय बोलेंगे।

श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल), 1982-83

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अगले मद अर्थात अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल) पर चर्चा तथा मतदान करेंगे मेरे पास कटौती प्रस्तावों के नोटिस हैं।

मैं यह देखता हूं कि श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा श्री टी० आर० शमन्ना श्री रामावतार शास्त्री श्री योगेन्द्र झा श्री सी० टी० दण्डपाणि, श्री रेणुपद दास, प्रो० अजीत कुमार मेहता तथा श्री रीतलाल प्रसाद शर्मा सभा में मौजूद नहीं हैं। श्री चतुर्भुज जी भी मौजूद नहीं है।

श्री जयपाल सिंह कश्यप, डा० वसन्त कुमार पण्डित, श्री अजित कुमार शाहा तथा श्री सुधीर गिरि यहां मौजूद हैं और अपने कटौती प्रस्तावों को पेश करना चाहते हैं।

प्रस्ताव पेश किया गया।

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गयी निम्नलिखित मांगों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राशियों से अनधिक सम्बन्धित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये।

"मांग संख्या 2 तथा 16"

सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल), 1982-83

मांग संख्या	मांग का नाम	मांग की रकम
1	2	3
		रुपये
	विविध व्यय (सामान्य)	2,00,000
	परिसम्पत्तियां-अधिनियम, निर्माण तथा बदलाव अन्य व्यय	200,500,00

श्री जयपाल कश्यप (आंजला) : मैं प्रस्ताव हूं :—

कि परिसम्पत्तियां, अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव के सम्बन्ध में 200,50,000 रुपये से अनाधिक की राशि की अनुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

नरोरा और चन्दोसी के बीच शाहजानपुर, दातागंज, बिनावर, बदायूं और वजीरगंज होकर बड़ी लाइन बिछाने की आवश्यकता। (7)

डा० वसन्त कुमार पण्डित (राजगढ़) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि परिसम्पत्तियां, अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव के सम्बन्ध में 200,50,000,00 रुपये से अनधिक राशि की अनुपूरक अनुदान की मांग को कम करके । रुपया किया जाये।"

वर्तमान गुना-मक्सी लाइन को नागदा तक बढ़ाने में असफलता (20)

श्री अजित कुमार साहा (विष्णुपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि परिसम्पत्तियां, अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव के सम्बन्ध में 200,-50,00000 रुपये से अनधिक की राशि की अनुपूरक अनुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जाये।"

[पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों की दशा और आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए उस क्षेत्र को रेलों से जोड़ने की आवश्यकता। (21)]

"कि परिसम्पत्तियां, अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव के सम्बन्ध में 200,-50,0000 रुपये से अनधिक की राशि की अनुपूरक अनुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[पश्चिमी बंगाल में तारकेश्वर से विष्णुपुर और बांकुरा तक रेल लाइन का विस्तार करने की आवश्यकता । (22)]

"कि परिसम्पत्तियां, अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव के सम्बन्ध में 200,-50,00000 रुपये से अनधिक की राशि की अनुपूरक अनुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जाये ।"

[पश्चिम बंगाल में रानीगंज से बांकुरा बरस्ता मेझिया एक नई रेल लाइन बिछाने की आवश्यकता । (23)]

"कि परिसम्पत्तियां, अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव के सम्बन्ध में 200,-50,00000 रुपये से अनधिक की राशि की अनुपूरक अनुदान की मांग में 100 रुपये कम किए जाये ।"

[पुरूलिया-कोटशिला लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की आवश्यकता (24)]

"कि परिसम्पत्तियां, अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव के सम्बन्ध में 200,-50,00000 रुपये से अनधिक की राशि की अनुपूरक अनुदान की मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

[पश्चिम बंगाल में कलकत्ता शहर में परिक्रमा रेल चालू करने की आवश्यकता (25)]

"कि परिसम्पत्तियां, अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव के सम्बन्ध में 200,-50,00000 रुपये से अनधिक की राशि की अनुपूरक अनुदान की मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

[हावड़ा-अमता रेल लाइन को तेजी से पूरा करने की आवश्यकता । (26)]

"कि परिसम्पत्तियां, अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव के सम्बन्ध में 200,-50,00000 रुपये से अनधिक की राशि की अनुपूरक अनुदान की मांग में 100 रुपये कम किए जाये ।"

[आसनसोल में डिब्बे खड़े करने की सुविधा प्रदान करने के लिये कार्य शुरू करने की आवश्यकता । (27)]

श्री सुधीर गिरि (कन्टई) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि परिसम्पत्तियां—अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव के सम्बन्ध में 200,-50,00000 रुपए से अनधिक राशि की अनुपूरक अनुदान की मांग (पृष्ठ 2) में 100 रुपए कम किये जाये।"

[पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में तामलुक से दीघा तक एक रेल लाइन बिछाने की आवश्यकता (42)]

उपाध्यक्ष महोदय : दो घंटे का समय आबंटित किया जाता है। अब लगभग 1-00 बजने वाला है। विधेयक पर चर्चा 3-60 बजे तक पूरी कर ली जानी चाहिए।

कुछ माननीय सदस्य : कम से कम तीन घन्टे का समय दिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : दो घन्टे का समय आबंटित किया जाता है। कल सूखे की स्थिति पर चर्चा होगी और हमें यह अवश्य ही सुनिश्चित करना चाहिए कि रेलवे की अनुपूरक मांगें तथा अन्य अनुपूरक मांगें आज ही पारित कर दी जाएं ताकि सूखे की स्थिति पर विचार करने के लिए हमें अधिक समय मिल जाए।

हमारा दृष्टिकोण अवश्य ही व्यक्ति संगत होना चाहिए। अत: मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि इस पर 3-00 बजे तक चर्चा पूरी कर ली जाए। अब श्री अजित कुमार साहा बोलेंगे। उन्हें सात मिनट का समय दिया जाता है।

श्री अजित कुमार साहा : केवल 7 मिनट में कोई कैसे बोल सकेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं तीन मिनट और देता हूं।

श्री अजित कुमार साहा : पिछले सत्र में रेलवे बजट पर चर्चा के दौरान मैंने तथा अनेक सदस्यों ने इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया था कि यदि रेलवे प्रचालन में कोई सुधार दिखाया जाना है तो यह आवश्यक है कि पुराने, जीर्ण शीर्ण रोलिंग स्टाक को बदलने तथा रेल मार्गों और पुलों के नवीकरण की ओर शीघ्र ध्यान देने की आवश्यकता है उस समय सरकार ने यह तर्क दिया था। कि योजना आयोग उसके लिए पर्याप्त धन नहीं दे सका। अब अनुपूरक मांगों से प्रतीत होता है कि योजना आयोग ने वर्तमान वर्ष के लिए 10 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। इसका स्वागत है। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या इससे समस्या के साथ न्याय कर सकते हैं ?

मेटिव पावर प्लान सम्बन्धी समिति कोचों में वृद्धि करने सम्बन्धी समिति तथा सोकरी समिति के प्रतिवेदनों के अनुसार कार्यक्रम के लिए यद्यपि 200 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है परन्तु यह फिर भी सन्तोषजनक राशि नहीं होगा ?

बम्बई और कलकत्ता में भी, बिजली से चलने वाली रेलगाड़ी के सवारी डिब्बों का उदाहरण लें भूतपूर्व रेल मन्त्री श्री कमलापति त्रिपाठी यहां बैठे हैं। उन्होंने इस सदन में कहा था

कि बम्बई उप नगरीय क्षेत्र के सभी सवारी डिब्बे पुराने हो गये हैं और उनको बदलने की आवश्यकता है तथा मोटरों की खरीद के लिये कुछ धन राशि की स्वीकृति भी ले ली गई थी। परन्तु हमें यह पता नहीं है कि उसके बाद क्या हुआ। परन्तु उनको बदला नहीं गया है, क्योंकि जैसा कि रेल मन्त्री महोदय ने संसद सदस्यों की सलाहकार समिति की बैठक में स्वीकार किया था कि बिजली से चलने वाली रेलों के सवारी डिब्बे को 'मेसर्स जैसप लिमिटेड द्वारा उत्पादन में आने वाली अड़चनों के कारण' नहीं बदला जा सका। इसका यह परिणाम निकला है कि बम्बई में कुछ यात्रियों ने इन सवारी डिब्बों को जला दिया। कलकत्ता के उपनगरीय क्षेत्र में प्रतिदिन यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों के बीच झगड़ा चलता रहता है और जो लोग इस स्थिति के लिए जिम्मेवार हैं, जैसे कि सरकार के नीति निर्माता और रेलवे बोर्ड तथा उनके वे अधिकारी जो कि लोगों के शेष से बचे दूर बैठे हैं, जबकि कि आम रेलवे कर्मचारी की वहां जान मुसीबत में है।

कोई भी बर्बरता को अच्छा नहीं समझता है। इसके साथ-साथ यात्री और आवधिक पासधारी लोग कब तक धीरज धारण कर सकते हैं? प्रश्न तो यही है। 1980-81 में डिब्बों में आई खराबी के कारण 146 दुर्घटनाएं हुईं और 1981-82 में 144 इन वर्षों में पटरियों की खराबी के कारण क्रमशः 27 और 23 दुर्घटनाएं हुईं और इनमें आई खराबियों के कारण प्रतिवर्ष एक व्यक्ति मरता है। परन्तु रेलवे की वास्तविक स्थिति क्या है? सीकरी समिति ने कहा है कि 49,522 किलोमिटर लम्बी चालू बड़ी लाइन में से 10,781 किलोमीटर के बदले जाने की आवश्यकता है जो कि कुल लम्बाई के 21% से भी अधिक है। इस प्रतिवेदन के अनुसार; 1978 में 6,000 किलोमीटर से अधिक लम्बी लाइन में टूट-फूट का पता लगा है। लगभग 2000 कि० मी० से अधिक लम्बी लाइनों पर गति—प्रतिबन्ध लगाया गया है। और वर्ष 1968 'खस्ता हालत' पूलों की संख्या 1247 भी जो बढ़कर 1978 में 3553 हो गई हैं। परन्तु पूरक मांगों में, इस तथ्य के बावजूद कि हम बागमती नदी पर भीषणतम दुर्घटना देख चुके हैं, पुलों की मरम्मत और उनको नये सिरे से बनाने के लिए, एक भी पैसे की मांग नहीं की गई है।

जहां तक धन के आवंटन की बात है, पूर्वी और उत्तर-पूर्वी रेलवे को सबसे कम धन दिया गया है। इसका क्या कारण है? क्या इसमें कोई भेद-भाव की बात है इसी प्रकार, यह भी देखा गया है कि चितरंजन लोकोमेटिव वर्क्स को तो 3 करोड़ से भी कम धन राशि आवंटित की गई है, और डीजल लोकोमेटिव वर्क्स, वाराणसी को सात करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं जबकि पहले की निष्क्रिय क्षमता ३८ प्रतिशत है और बाद वाले में 35 प्रतिशत। मेरी समझ में यह नहीं आता कि यह भेद-भाव क्यों हैं।

पश्चिम-बंगाल के लोग लम्बे समय से नई रेलवे लाइनों की मांग करते आ रहे हैं, विशेषकर, मेझिया और बांकुरा के बीच। पहली बार जब मैं 1971 में ससद सदस्य चुना गया था तभी से हम पुरूलिया से हावड़ा तक के लिए एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की मांग करते आ रहे हैं।

परन्तु रेल मन्त्रालय को हमारा निवदन स्वीकार्य नहीं है। 'आनन्द बाजार पात्रिका' जो कि पश्चिम बंगाल का सबसे अधिक बिक्री वाला दैनिक है में एक समाचार छपा है कि रेलवे के मामले में केन्द्रीय सरकार पश्चिम-बंगाल के लोगों की हरेक मांग के विरुद्ध है। इसी पत्र के 29 जुलाई के सम्पादकीय में कहा गया है कि रेलवे लाइने प्रदान करने में केन्द्रीय सरकार भेदभाव बरत रही है और यदि लोग ऐसा अनुभव करते हैं कि केन्द्रीय सरकार से कुछ करवाना है तो उन्हें अपने प्रतिनिधियों को साथ लेकर इसके लिए लड़ना चाहिए।

'सत्य जुग' नाम के एक अन्य दैनिक में बिजली से चलने वाली सवारी रेलगाडी के डिब्बे में छाता अपने सिर पर खोलकर बैठे हुए एक आवधित पासधारी का फोटो छपा है क्योंकि डिब्बे के अन्दर ऊपर से पानी आ रहा था। बिजली से चलने वाली रेलगाड़ियों के सवारी डिब्बों की यह तो हालत है।

श्री बापू साहिब परूलेकर : क्या छाता रेलवे ने दिया था ?

श्री अनिल कुमार साहा : नहीं, उसका अपना था।

चूंकि केवल डी. सी. ई. एम. यू. सवारी डिब्बे ही प्रदान किये गये है तो यह निश्चित है कि पूर्वी रेलवे के लिए उनमें से कोइ प्रदान नहीं किया जायेगा, जहां पर कि स्थिति प्रतिदिन विस्फोटक होती जा रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ कोई राजनीतिक भेद-भाव किया जा रहा हैं क्योंकि उन्होंने एक बार फिर 1982 के चुनावों में वामपन्थी सरकार को मत देकर सत्तारूढ़ किया है।

विभिन्न रेलवे-माण्डलों में गड़बड़ी की क्या स्थिति है ?

जहां तक कलकत्ता का प्रश्न है, मैंने पहले ही बताया है कि दैनिक यात्रियों को कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि आप उनको क्या राहत देने जा रहे हैं।

मैंने देखा है कि भागों का 10 प्रतिशत भाग रेलवे बोर्ड को आवंटित किया गया है, जिसे वह अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं। निश्चय ही वह सार्वजनिक क्षेत्र को बजाय निजी क्षेत्र से ज्यादा माल खरीदेंगे, क्योंकि वहां उनको कमीशन ज्यादा मिलेगा। इस तरीके से आप रेलवे बोर्ड के अधिकारियों को खुश रख रहे हैं।

अब मैं औद्योगिक सम्बन्धों के बारे में कहना चाहूंगा। रेल मन्त्री के दावे के बावजूद, मैं कहना चाहूंगा कि इनमें बिलकुल भी सुधार नहीं हुआ है। मन्त्री महोदय शिकायत करते हैं कि लेकिन सच्चाई यह है कि रेल कर्मचारियों के साथ जो समझौता किया गया था उससे रेलवे प्रशासन पीछे हट गया है। जहां रेल प्रशासन ने समझौते का उल्लंघन किया है, वहीं कर्मचारी यह

महसूस करते हैं कि वे ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। यदि रेल कर्मचारी असन्तुष्ट होंगे तो सरकार रेलें अधिक समय तक कैसे चला सकती हैं ? मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस ओर ध्यान दें ताकि स्थिति और ज्यादा गम्भीर न हो।

श्री बनवारी लाल पेरवा (टोंक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो रेलवे का सप्लीमेंटरी बजट सदन में रखा गया है, उस का समर्थन करने के लिए में खडा हुआ हूं।

जब से सेठी साहब ने इस महकमे को संभाला है, इसके अन्दर बहुत सारे परिवर्तन देखे गए हैं, जो सराहनीय हैं। मैं माननीय सेठी साहब की इसके लिए सराहना करता हू कि हमारे यहां जयपुर से दिल्ली के लिए जो सिटी एक्सप्रेस ट्रेन आती थी, उसको बढ़ा कर उन्होंने अजमेर से दिल्ली तक कर दिया है। यह बहुत ही सराहनीय काम उनका रहा है हिन्दुस्तान के आजाद होने के बाद रेलों पर क्यों रुपया खर्च किया है और वह देश के लिए बहुत ही उपयोगी था बहुत ही महत्वपूर्ण था और आज हम यह देखते हैं कि रेलों का एक तरीके से पूरे देश के अन्दर एक जाल सा बिछ गया है लेकिन इसके बावजूद मुझे बहुत ही दुख के साथ इस बात को कहना पड़ता है कि मेरा जिला हैडक्वार्टर आज तक भी रेलों से जुड़ा हुआ नहीं है। मैं माननीय सेठी साहब से निवेदन करूंगा कि वे इस बारे में बहुत ही गम्भीरता पूर्वक विचार करें क्योंकि आज के जमाने में अगर रेलवे से कोई जगह जुड़ी हुई न हो, तो उसके विकास की कल्पना करना अपने आप कोई महत्व नहीं रखती है। हम बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं लेकिन रेलवे के अभाव में हमारा जिला इस मामले में पिछड़ा रह जाता है और आज उस की बहुत बुरी हालत है ? वहां पर ज्यादातर आबादी अल्पसंख्यक लोगों की और अनुसूचित जातियों के लोगों की है फिर उनके साथ मैं यह भेदभाव पूर्ण व्यवहार हो कि और जहां पर तो रेलवे लाइन बिछायी जाए, वहां नहीं बिछायी जाए तो यह अजीब सा लगता है।

अरबों रुपयों का रेलवे का बजट यहां से हर साल पास होता है। मेरे ख्याल से प्रयोजर्ल्स मैंने रेलवे मिनिस्ट्री को दिए हैं, रेलवे कंवेन्शन कमेटी को दिए हैं और जो दूसरी हमारी कमेटी है, उनको मान लेने पर कुल मिला कर 10 से 20 करोड़ रुपए का खर्चा होगा और इस प्रकार से हमारा जिला रेलवे से बहुत आसानी से जुड़ सकता है। अभी जो रेलवे कन्वेन्शन कमेटी गयी थी तो उसके सामने भी निवेदन किया था, रेलवे मिनिस्ट्री से भी निवेदन किया है, हमारे आदरणीय पंडित जी विराजमान हैं, उनसे भी निवेदन किया था, पांडे जी से भी किया और सेठी साहब से भी निवेदन कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि हमारे सेठी साहब हमारे राजस्थान से अच्छी तरह से वाकिफ हैं और हमारे सहानुभूति का दृष्टिकोण भी रखते हैं। मैं समझता हूं कि वे इस पर विचार करेंगे और कुछ न कुछ इसके लिए करेंग।

जहां तक पूरे राजस्थान का सवाल है, रेलवे के मामले में हम लोगों के साथ में अब तक कोई न्याय नहीं हुआ है। मैं आपको आंकड़े दे रहा हूं जिनसे आप खुद ही अन्दाज लगा लेंगे कि

लोगों के साथ अब तक कैसा व्यवहार होता रहा है। मैं ब्राडगेज लाइन की बात आप से कर रहा हूं कि कितनी-कितनी ब्राडगेज लाइन कहां-कहां पर है —

राजस्थान में	760.39	किलोमीटर
आन्ध्र प्रदेश में	3,043.72	,,
बिहार में	3,334.10	,,
गुजरात में	1,413	,,
कर्नाटक में	570.63	,,
केरल में	803	,,

हमारे बिल्कुल पड़ोस में मध्य प्रदेश में 4,286 किलोमीटर महाराष्ट्र भी बिल्कुल हमारे पड़ोस में पड़ता है, उसमें 3,140 किलोमीटर उड़ीसा में 1,837 किलोमीटर, पंजाब में 5,588 किलोमीटर, तमिलनाडु में 1,006 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 5,587 किलोमीटर और वैस्ट बंगाल में 2,844 किलोमीटर ब्राडगेज रेलवे लाइन है।

ब्राडगेज रेलवे लाइन के लिए अब तक जो हमारे सांसद रहे हैं, वे बहुत जोरदार पैमाने पर यह मांग करते रहे हैं कि दिल्ली से अहमदाबाद की रेलवे लाइन को ब्राडगेज लाइन कर दी जाए। आप हमें एक लाइन जयपुर से सवाई माधोपुर तक के लिए दे दीजिए और एक लाइन कोटा से चित्तौड़ गढ़ तक के लिए दे दीजिए। क्योंकि सात सीमेंट के कारखाने इस क्षेत्र में लगाने के लिए राजस्थान सरकार लाइसेंस दे चुकी है।

एक बात मैं और अर्ज कर देना चाहता हूं। राजस्थान का एक बहुत लम्बा चौड़ा एरिया बार्डर एरिया है। उसका बार्डर पाकिस्तान से मिला हुआ है। हमेशा उस से खतरा बना रहता है। इसलिए भी वहां ब्राडगेज लाइन का बिछाना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके द्वारा वहां जल्दी से सप्लाई पहुंच सकती है।

मेरा आप से सुझाव है, वैसे मन्त्रालय से भी आपको बहुत सुझाव आते होंगे कि आप सवाई माधोपुर से अजमेर तक एक ब्राडगेज लाइन बिछा दीजिए। इससे इस क्षेत्र में जो छोटी मोटी जगहें रह गई हैं व सब उसके आवरण में आ जाएंगी। वहां से आप राजस्थान के बार्डर क्षेत्र में भी आसानी से सप्लाई पहुंचा सकते हैं जिससे कि वक्त आने पर हमारे सामने कोई समस्या उत्पन्न न हो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप को जानकार आश्चर्य होगा कि आज इतनी लाइनों का विस्तार किया जा रहा और इतना पैसा खर्च किया जा रहा है, लेकिन मेरे क्षेत्र में कुल मिलाकर जो लाइनें हैं, जो स्वतन्त्र भारत में नहीं डाली गई हैं, पहले की डाली हुई हैं। जयपुर से सांगानेर

और सांगानेर से टोडारायसिंह ये नैरोगेज लाइनें हैं। नैरोगेज लाइनें आमतौर से पहाड़ी इलाकों में डाली जाती हैं, लेकिन आज भी यहां नैरोगेज लाइन काम कर रही है। इसकी पोजीशन यह है कि बहुत से परिवर्तन कर दिए गए हैं, बहुत से स्टेशन करटेल कर दिए गए हैं। रेल और बस के किराए के अन्दर एक तिहाई का फर्क हो गया है। इससे आम आदमी परेशान हैं। जयपुर से टोडारायसिंह रेलवे से 4-5 रुपया किराया लगता है, जबकि बस से 13-14 रुपए किराया लग जाता है इसके लिए विभाग का कहना है कि यह अनइकनामिक लाइन है। अगर जंगल में जाकर छोड़ देंगे तो अनइकनामिक ही होगी। मेरा सुझाव है कि इसको आगे बढ़ाइए और केकड़ी से शाहपुरा, शाहपुरा से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से नाथ द्वारा के लिए बढ़ाइए। व्यास जी भी इसके बारे में कई बार निवेदन कर चुके हैं, शायद मन्त्रालय विचार कर रहा है। इसको तत्काल प्रभावशाली करना बहुत जरूरी है।

हमारा जो टोक जिले में टोडारायसिंह का इलाका पहाड़ के बराबर बराबर चलता है। यहां पर माइन्स और मिनरल के डेवलपमेंट के लिए रेलवे लाइन को आगे बढ़ाना अत्यन्त आवश्यक है। इसके बगैर हम लोगों को बहुत असुविधा हो रही है। हमारे यहां एक पटटी का पत्थर निकलता है, जिसमें आम पत्थर के बनिस्पत काफी लचीलापन है और अगर इसको पालिश करके तैयार किया जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे चान्दी की छत लगाई हुई है। यह जो इसको सुविधा प्राप्त है वह ट्रांस्पोर्टेशन के अभाव में उपयोग में नहीं आ रही है। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि मेरे जिले के जो दो सुझाव हैं, उनके बारे में खासतौर से ध्यान देने का कष्ट करें।

यह बात तो मैंने अपने जिले की कही, एक बात में अपने वर्ग के बारे में कहना चाहता हूं शेडयूल कास्ट के बारे में रेलवे मन्त्रालय में बहुत कुछ किया गया है। रिजर्वेशन के बारे में काफी कुछ विचार करके दिया गया है लेकिन मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रख रहा हूं। आप गौर फर्माएं कि जो बैंक लांग रह गया है जो कभी रह गई है, उसको पूरा कराएं। क्योंकि आपका इस ओर बहुत सहानुभूति पूर्वक दृष्टिकोण रहा है।

रेलवे सेवाओं के अन्दर 31.3.80 तक फर्स्ट क्लास की सर्विस में 5363 लोग थे, जिसमें शेड्यूल कास्ट के 419 अफसर हैं। उनका एवरेज बैठता है 7.9 परसेंट, जबकि हिसाब से इनको ज्यादा मिलना चाहिए। सेकेण्ड क्लास में 5098 अफसरों में से 550 शेडयूल कास्ट के हैं, इनका परसेन्टेज 10.9 बैठता है और तीसरी श्रेणी में 7 लाख 7 हजार 34 कर्मचारी हैं, इसमें स्थिति कुछ ठीक हैं, पूरा कम्पलीट तो नहीं है, लेकिन कुछ ठीक है।

आ: चौथे दर्जे के लें। इसमें सफाई कर्मचारी आते हैं। यहां इनका कोटा पूरा है।

ट्राइबल्ज की बात भी आप सुन लें। 5193 अफसर प्रथम श्रेणी में अफसरों की संख्या केवल 77 है जो कि 1.4 बैठता है। दूसरी श्रेणी में अफसरों की संख्या 598 में से सिर्फ 114

ट्राइब्ज के है और इनका प्रतिशत 2.3 बैठता है तीसरे दर्जे में प्रतिशत 2.8 ही है। यह किसी भी तरीके से सभी चीन नहीं हैं। इनके कोटे की पूर्ति करना बहुत आवश्यक है। मन्त्री महोदय को इसके बारे में विशेष प्रयत्न करने होंगे। यह ठीक है आपका कार्य क्षेत्र बहुत लम्बा चौड़ा है; आपको बहुत ज्यादा काम करने होते हैं। असुविधाओं का भी सामना करना मुश्किल होता है। लेकिन इसरार करके मैं इस बात को कहता हूं कि आपसे चूंकि तवक्को बहुत ज्यादा की जाती है, बहुत ज्यादा उम्मीद करके हम चलते हैं, इस वास्ते मैं चाहता हूं कि जो बात कही जाए उसको पूरा करने की कोशिश आपकी तरफ से हो।

इतना कह कर मैं समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री सत्य नारायण जटिया (उज्जैन) : ये अनुपूरक मांगें 200.52 करोड़ की हैं। यह जो पैसा लिया जाता है इससे रेलों का विकास हो, रेलें अधिक सक्षम बनें, जनता की अधिक सेवा करें सदन के सभी सदस्यों की यह इच्छा हो तो यह स्वाभाविक बात है। इसके विरोध में कोई भी नहीं हो सकता है। किन्तु जिस परिमाण में और प्रमाणिकता से काम किया जाना चाहिए क्या वैसा हो रहा है? काम के अभाव में हम देखते हैं रेलों द्वारा आम जनता की जिस परिमाण में सेवा होनी चाहिए और जिस परिणाम में रेलों की जनता के लिए सुविधाएं उपलब्ध करनी चाहिए उस परिमाण में उपलब्ध नहीं हो पा रही है। अनेक प्रकार की समस्याओं का रेलों को सामना करना पड़ रहा हो, यह हो सकता। किन्तु सिलसिला तय करके, प्रायोरिटी प्राथमिकता तय करके यदि हम आगे बढ़ने की कोशिश करें तो निश्चय रूप से इस देश की आम जनता की अधिक अच्छी सेवा हो सकती है, ऐसा मेरा विचार है।

अनेक नई लाइनों के निर्माण की बात सदस्यों द्वारा बार-बार सदन में उठाई जाती है और सदस्यों की मांगें पूरी हों और जनता की अधिक अच्छी सेवा हो, उसको सुविधा मिल सके; इसके उपाय करना जरूरी है। बिहार मे गिरिडीह से कोडरमा, हजारी बाग टाउन होते हुए रांची तक 553 किलोमीटर लाइन के निर्माण की बात सदन में 1977 से कही जा रही है। बजट में हर साल इसके लिए कुछ प्रावधान भी किया जाता है। इसका डिटेल्ड सर्वे कराने का आश्वासन भी सदन में किया गया है लेकिन इस दिशा में कुछ ठोस काम किया गया हो, ऐसा नहीं दिखाई देता। इस लाइन के बन जाने से इस पिछड़े हुए क्षेत्र का विकास हो सकता है यह मैं कह सकता हूं।

मध्य प्रदेश के अन्दर मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि कुछ लाइनों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मन्त्री महोदय कर भी चुके हैं कि वे सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे। मध्य प्रदेश मालवा, छत्तीसगढ़ इलाके की रेल की सुविधा से शंचित है। बस्तर के इलाके में भी नई लाइन की मांग बहुत लम्बे अर्से से चली आ रही है। बिना रेलवे लाइन बिछाए हुए वहां कोई इन्डस्ट्री नहीं लग सकती है, उद्योग धंधा स्थापित नहीं हो सकता है क्योंकि माल के आवागमन के लिए जब तक कोई उद्योग धंधा ला नहीं सकता है, पनप नहीं सकता है मैं इस मांग को फिर से दोहराता

हूं कि इन्दौर से कोटा के बीच जो प्रमुख औद्योगिक शहर हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान के लाइन बिछाने के लिए सर्वे के काम की मन्जूरी दी जाए। इस लाइन का निर्माण करने के लिए इस सर्वे की शुरूआत करना बहुत जरूरी है। मैं आशा करता हूं कि इस ओर ध्यान दिया जाएगा।

सैन्ट्रल रेलवे में बम्बई बी. टी. से पसारा और कल्याण के बीच में पिछले दस साल से नई रेलवे लाइन नहीं बनी है। रेक पुरानी हो गई है। लोगों की जो सुविधा मिलनी चाहिए, उनको जो सेवा होनी चाहिए, नहीं हो पा रही है रेलवे लाइन का बदलना बहुत जरूरी है। तब तक रेक बदलने वाले हैं यह हम को बताया जाना चाहिए।

इसकी चिन्ता यदि मन्त्री जी लेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा इन्दौर उज्जैन और पास मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण नगर है, इनके बीच में जिस गति की रेल सेवा चाहिए वह अभी नहीं है। बराबर कहा जाता है कि इन नगरों के बीच काफी बसें चल रही हैं। लोगों को सुविधा मिले यह रेलवे का उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन्दौर उज्जैन देवास के बीच में गाड़िया चलायी जाएं क्योंकि इन नगरों को काफी यात्री आते जाते हों। यदि सवा, डेढ़ घंटे के अन्दर गाड़ी उज्जैन से चल कर इन्दौर और इन्दौर से चल कर उज्जैन आ सके तो यह काफी सुविधाजनक रहेगा। सुबह 9 बजे उज्जैन से चलकर 10.30 बजे तक इन्दौर और शाम को साढ़े 5 बजे इन्दौर से चलकर 7 बजे तक उज्जैन पहुंचे तो उपयुक्त होगा।

सर्वोदय ऐक्सप्रेस नागदा स्टेशन पर नहीं रुकती है। यदि इस गाड़ी का नागदा स्टेशन पर 2 मिनट के लिए रोका जाय तो जनता को काफी सुविधा होगी। अभी इस गाड़ी को पकड़ने के लिए लोगों को उज्जैन से रतलाम जाना पड़ता है जिससे काफी दिक्कत होती है। 2 मिनट का हाल्ट नागदा पर दे कर उस टाइम को आसानी से मेक अप किया जा सकता है। इसी तरह अवध ऐक्सप्रेस कोटा तक आती है, इसको बढ़ाकर रतलाम तक कर दिया जाय ताकि उत्तर प्रदेश के लोग आसानी से मध्य प्रदेश आ सकें। 111 आप और 112 डाइन गाड़ियां बड़ोदा-रतलाम के बीच चलती हैं, इनको बढ़ाकर उज्जैन तक कर दिया जाय, इससे लोगों को काफी सुविधा होगी। इसी प्रकार एक बात कही थी जिस पर मन्त्री जी ने कहा था कि रेलवे विभाग उस पर विचार कर रहा है, उज्जैन शोर गुना के बीच में जो ट्रेन चलती है यदि इसको बढ़ाकर नागदा तक कर देते हैं तो सारी सवारियां जो सावरमती गाड़ी की इन्तजार में पड़ी रहती है, इस कठिनाई से यात्री बच जायेंगे। इसी तरह गुना और मक्सी ट्रैक की पूरी उपयोगिता नहीं हो पा रही है, ज्यादा से ज्यादा दो, तीन माल गाड़ियां चल रही हैं। इस ट्रैक का पूरा उपयोग किया जा सकता है तेज गाड़ियां चला कर इससे यात्रियों को काफी सुविधा पहुंचेगी।

रिजर्वेशन के लिए आप चार्जेज लेते हैं और वेटिंग लिस्ट में रिजर्वेशन होता है। गाड़ी पर पहुंचने पर अब मालूम होता है कि गाड़ी में जगह नहीं मिल पायी है तो रिजर्वेशन चार्जेज का रिफंड उस यात्री को नहीं मिलता है क्योंकि उसके लिए उसको फिर बाहर जाना पड़ता है।

पहले ट्रेन कडक्टर से लिखाना पड़ता है कि गाड़ी में जगह नहीं है, उससे स्लिप ले कर काउंटर पर जाना होता है और तब तक या तो गाड़ी चली जाती अथवा उसको रिजर्वेशन का नहीं मिल पाता है। इसलिए वेटिंग लिस्ट का रिजर्वेशन चार्ज है उसमें कमी की जानी चाहिए। रिजर्वेशन की इस पद्धति में सुधार किया जाना चाहिए.

रेल कर्मचारियों का रिटायरमेंट 58 साल की आयु पर होता है। बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हुए भी 58 साल तक काम करने के लिए मजबूर होते हैं।

रेलवे में प्राय: ऐसी पद्धति से कि जो रेलवे का कोई व्यक्ति रिटायर हो जाय या कोई एक्सीडेन्ट में मारा जाए तो उसके परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देते हैं।

मेरा सुझाव है कि अगर कोई व्यक्ति 50 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट वालियेंटरी तौर पर ले ले तो उसके भी परिवार के एक व्यक्ति को आप रेलवे में नौकरी देकर मदद कर सकते हैं। इस तरह से जो रिटायर होने वाला है, उससे कम तनख्वाह पर उसका परिवार काम करेगा खर्च में भी इससे बचत होगी और आप अन एम्पलायमेंट भी कम कर सकेंगे। इस विषय पर भी आप विचार कर सकेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा।

रेलवे में आज दो मान्यताप्राप्त संगठन हैं। एक एन० एफ० आई० आर० इन्टरसे सम्बद्ध उसकी डेनेदिली 1981 की प्रकाशित हुई थी। उसमें उसने अपनी सदस्य संख्या 3,58,000 बताई है और दूसरा संगठन है बी. आर. एम. एस. की सदस्यता 31,12-80 को 3,77,580 है। मेरा निवेदन है कि बी. आर. एम. एस. इसकी सदस्य संख्या ज्यादा है तो इस पर भी औद्योगिक शांति और परस्पर सहयोग की दृष्टि से विचार करके अगर इस संस्था को भी मान्यता प्रदान की जानी चाहिए यह कर्मचारियों तथा प्रबन्धकों के बीच सौहार्द स्थापित करने के लिए अच्छा होगा। आशा है आप इस पर भी शीघ्र निर्णय लेने का प्रयास करेंगे।

रेलवे महकमा ठीक ढग से काम करें, लोगों को अपनी यात्रा में सुरक्षा मिले इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। अभी देहरादून एक्सप्रेस में जान- माल की दुर्घटना हो गई। जिसमें यात्रियों को शारीरिक क्षति उठानी पड़ी। उसमें उज्जैन का एक परिवार यात्रा कर रहा था। उसको लूट लिया गया।

मेरा निवेदन है कि यात्रियों की सुरक्षा के बारे में हमें चिन्ता करके शीघ्र निर्णय करना चाहिए। आज रेल यात्री सुरक्षित यात्रा करके अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में असुरक्षा की भावना रखे हुए हैं इस तरफ ध्यान दिया जाए।

जहां तक पुराने ट्रेक बदलने की बात है, आपने कहा है कि हमारा लक्ष्य है, हम उनको

बदलना चाहते हैं। मेरा निवेदन है कि जो ट्रैक रेलवे के खराब हो चुके हैं, उनको जितना जल्द से जल्द आप बदलवा सकेंगे, उससे उतनी ही दुर्घटनाओं में कमी होगी।

इन बातों को कहते हुए मैं धन्यवाद करता हूं।

श्री उत्तम राठौर (हिंगोली) : उपाध्यक्ष, महोदय मैं शुरू में रेलवे की अनुदानों की अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं।

इसके साथ ही मैं माननीय मन्त्री महोदय के सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं, जिनकी वजह से कुछ गलत फहमियां पैदा हुई और महाराष्ट्र राज्य के मराठवाड़ा क्षेत्र के रेल विभाग में हड़ताल और अन्य गतिविधियां हुई हैं।

हम रेल मन्त्री महोदय के आभारी हैं कि उन्होंने मनमाड़-औरंगाबाद लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए आबंटित राशि को 0.14 लाख से बढ़ाकर 1.15 लाख रुपये कर दिया है। हम आशा करते हैं कि मन्त्री महोदय यह सुनिश्चित करेंगे कि यह राशि उपलब्ध करायी जाए जिससे कि काम पूरी गति से हो सके।

एक अन्य मामले पर भी मैं बोलना चाहता हूं। आपको याद होगा कि पिछले 30 वर्षों से मराठवाड़ा क्षेत्र के लोगों की यह मांग रही है कि मनमाड़-आदिलाबाद, मुदखेड़ रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदला जाए। हमने इसके प्रथम भाग, यानि मनमाड़ से परमनी-पारली क्षेत्र तक इसे पूरा भी कर लिया है। मनमाड़-औरंगाबाद रेल क्षेत्र को बदलने का काम भी शुरू हो गया है।

पिछली बार 17 दिसम्बर, 1981 को मैंने एक आदिलाबाद-मुदखेड़ लाइन के बदलने के बारे में तारांकित प्रश्न किया था। जिसके जवाब में मन्त्री महोदय ने कहा था कि "आदिलाबाद-मुदखेड़ रेल का सर्वेक्षण किया गया है। और यह पाया गया कि यह व्यवहारिक और लाभकारी नहीं है, इसलिए यह सम्भव नहीं है।"

लेकिन बाद में मन्त्री ने यह कह कसकर इसे मान लिया कि "क्योंकि इस क्षेत्र में नए सीमेंट कारखाने खुल रहे हैं इसलिए हमने यह निर्णय किया है कि यहां सर्वेक्षण कराया जाय और इसे वर्ष 1982-83 में शामिल किया जाएगा।" बजट भाषण में भी माननीय मन्त्री महोदय ने कहा था कि "हमने कई एक लाइनों का सर्वेक्षण करने का निर्णय किया है।" माननीय मन्त्री महोदय ने इसे स्पष्ट नहीं किया था। कि हमारी लाइन का सर्वेक्षण भी इसमें शामिल है।

लेकिन अब मैं देखता हूं कि आदिलाबाद-मुदखेड़ रेल लाइन को सर्वेक्षण के लिए भी इन अनुदानों की अनुपूरक मांगों में शामिल नहीं किया है। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि

इस बारे मे कुछ किया जाय और इसके लिए धन आबटित किया जाय और सर्वेक्षण कार्य शुरू किया जाय।

एक अन्य बात मैं, मन्त्री महोदय की जानकारी में लाना चाहता हूं। 22 दिसम्बर, 1981 को मेरे अतारांकित प्रश्न सख्या 5487 के उत्तर में मन्त्री महोदय ने कहा था कि :

"परभनी-आदिलाबाद के शेष सैक्शन को मीटर गेज से ब्राड गेज में बदलने का प्रस्ताव वर्ष 1982-83 के बजट में सर्वेक्षण हेतु लिए जाने के लिए विचाराधीन है।"

सभा में यह उत्तर दिया गया था। लेकिन इस उत्तर के बावजूद रेलवे बोर्ड के सचिव ने श्री सचखण्ड हजूरी खालसा दिवान, नांदेड़ को पत्र लिखा है। यह पत्र जोकि हिन्दी में है, और मुदखेड़-आदिलाबाद रेल लाइन को मीटर गेज से ब्राड गेज में बदलने के बारे में है। इस पत्र के आखिरी पैराग्राफ में यह लिखा हुआ है कि :—

"जहां तक परभनी-मुदखेड-आदिलाबाद लाइन के आमान परिवर्तन का सम्बन्ध है, यह उल्लेखनीय है कि 1976 में किए गए सर्वेक्षण के परिणामों से पता चला है कि यह लाइन अलाभप्रद होगी और 245 कि० मी० के आमान परिवर्तन पर लगभग 40 करोड़ रुपये लागत आयेगी। संसाधनों की कठिन स्थिति को ध्यान मे रखते हुए निकट भविष्य में उपर्युक्त निर्माण कार्य को हाथ में लेना सम्भव नहीं होगा।"

मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय यह स्पष्ट करें कि कौनसी स्थिति सही है, क्या वह स्थिति सही है जो 24 दिसम्बर, 1981 को मन्त्री महोदय ने बताई थी, जिसमें उन्होंने सदन में यह आश्वासन दिया था कि वे 1982-83 में सर्वेक्षण करा रहे हैं या मई, 1982 को रेलवे बोर्ड के सचिव ने जो स्थिति बताई थी वह सही है मैं मन्त्री महोदय को यह बता देना चाहता हूं कि रेलवे बोर्ड के इस पत्र से मराठवाड़ा में बहुत उथल-पुथल हो गई है, लोगों ने सम्पादकीय लिखे हैं और वे इस सैक्शन के सभी स्टेशनों पर आन्दोलन कर रहे हैं। अतः मैं मन्त्री महोदय से इस लाइन विशेष के सर्वेक्षण के बारे मे स्थिति स्पष्ट करने का निवेदन करूंगा।

अन्त में, मैं कहूंगा कि यह आदिलाबा मुदखेड़ खण्ड सर्वाधिक उपेक्षित है। कुछ समय पहले मैंने एक प्रश्न पूछा था कि क्या महाप्रबन्धक ने पिछले दो वर्षों में इस खण्ड का दौरा किया था और जब मुझे यह उत्तर मिला था कि पिछले दो वर्षों के दौरान महाप्रबन्धक महोदय ने इस खण्ड विशेष का दौरा नही किया था तो मुझे आघात लगा। मैं यह नही जानता कि महाप्रबन्धक महोदय उस रेलवे खण्ड की उपेक्षा कैसे कर सकते है जो कि आदिवासी लोगों के लाभार्थ बनाई गई है?

यहां पर दो रेलगाड़ियां चलाई जा रही थीं, एक तो यात्री रेलगाड़ी और दूसरी मिश्रित

रेलगाड़ी । हाल ही में मुझे पता चला है कि पूरना और अदीलाबाद के बीच चलने वाली रेलगाड़ी को रद्द कर दिया गया है । मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह यह देखें कि यह मिश्रित रेलगाड़ी फिर से चलाई जाए क्योंकि राज्य परिवहन के मंहगा होने के कारण जो लोग उससे यात्रा नहीं कर पाते हैं उनको इससे लाभ होगा ।

मैं एक बार फिर मन्त्री महोदय से रेलवे बोर्ड द्वारा अपनाई गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए उस सर्वेक्षण की स्थिति स्पष्ट करने का निवेदन करता हूं जिसका कि उन्होंने मेरे अतारांकित प्रश्न के उत्तर में इस सदन में आश्वासन दिया था ।

श्री रवीन्द्र वर्मा (बम्बई उत्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय मित्र रेल मन्त्री महोदय 200 करोड़ रुपये की धनराशि उनके मन्त्रालय के लिए बहुत ही छोटी है । उनका क्षेत्राधिकार अत्यन्त विशाल है, जो हमारे देश का सबसे बड़ा आर्थिक उपक्रम है तथा हमारे देश का सबसे बड़ा सरकारी उपक्रम है । वह एक ऐसे उपक्रम के अध्यक्ष हैं जहां हमारे देश में सबसे अधिक कर्मचारी मेवारत हैं । रेलवे की स्पंशिकाएं, यदि मैं उन्हें इस नाम से पुकारूं, हमारी जनसंख्या के हर क्षेत्र और हर खण्ड में पहुंचती हैं और वे हमारे लोगों को लाने ले जाने तथा माल की ढुलाई के लिए जो कि हमारे देश की अर्थ व्यवस्था के लिए हमारे नागरिकों के जीवन के लिए अनिवार्य हैं, और जो मुख्य मार्ग प्रदान करती हैं, उसके लिए धमनियों का काम करती है । अतः यह स्वभाविक है कि रेलवे को भारी धन का लेन-देन करना पड़ता है, मैं अपने माननीय मित्र को यह बताना चाहता हूं कि इस बड़े उपक्रम के अध्यक्ष के रूप में वे बड़ा ही प्रशंसनीय कार्य करते रहें हैं । वह मेरे बहुत ही अच्छे और प्रिय मित्र हैं । मैं उनकी सामर्थ्य और गतिशीलता से परिचित हूं । अतः मुझे उनसे बड़ी आशाएं हैं । और उसी भावना से मैं आज रेलवे के काम-काज के बारे में उनसे कुछ शब्द कहना चाहता हू, कुछ टिप्पणी करना चाहता हूं ।

महोदय, दुर्भाग्य से यह नहीं कहा जा सकता है कि कार्य कुशलता में वृद्धि हुई है । दूसरी ओर यह घटती हुई कार्य कुशलता, बढ़ती हुई अनियमितता और यात्रियों के लिए बढ़ती हुई असुरक्षा, रेलगाड़ियों में दुर्घटनाओं, और डकैतियों तथा लूटपाट के मामलो की संख्या में वृद्धि तथा बिगड़ते हुए औद्योगिक सम्बन्धों की कहानी है । मुझे पक्का विश्वास है कि मेरे माननीय मित्र इससे कही अधिक अच्छा काम करके दिखा सकते हैं यदि वे थोड़ी सख्ती से काम करें और उस गतिशीलता तथा क्षमता से काम लें जिसका कि वह अन्य क्षेत्रों में सबूत दे चुके हैं ।

मैं उनके विशाल राज्य के निरीक्षण दौरे पर उनके साथ नहीं जाऊंगा और वहां रेल मन्त्रालय के प्रत्येक पहलू पर ध्यान नहीं दूंगा । परन्तु मैं उपनगरीय रेल प्रणाली के कार्य के बारे में बोलूंगा, विशेषकर बम्बई की, जिसका प्रतिनिधित्व करने का मुझे सौभाग्य मिला है ।

जहां तक उपनगरीय रेल प्रणाली का सम्बन्ध है, वर्तमान स्थिति का सरलतम वर्णन मैं इन शब्दों में कर सकता हूं कि उपनगरीय रेल प्रणाली सीजन टिकटधारियों की आवश्यकताओं और कष्टों के प्रति अत्याधिक अक्षमता और घोर उपेक्षा के लिए एक कहावत हो गई है ।

बम्बई में हमारे सामने बहुत सी कठिनाइयां है । हाल ही में मध्य रेलवे में एक बहुत ही गम्भीर गड़बड़ हो गई थी जिसका कि मेरे माननीय मित्र को पता है । यातायात ठप्प हो गया और सैकडों-हजारों सीजन टिकटधारियों को मुसीबत उठानी पडी । उस दिन कछ सीमा तक नगर जीवन ठप्प पड़ गया था । परिवहन प्रणाली का चक्का जाम हो गया था । कार्यालयों का कार्य गड़बड़ा गया था और नगर का सामान्य व्यवसाय तथा जीवन ठप्प पड़ गया था । कुछ यात्रियों ने, रेलवे प्रणाली की निष्क्रियता से उत्तेजित होकर, उनकी असमर्थता से भड़ककर रेलवे प्रशासन की अकर्मण्यता से क्षुब्ध होकर कुछ ऐसी गतिविधियां अपनाई जिन्हें माफ नहीं किया जा सकता है । जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता मेरे माननीय मित्र ने कहा है, हममें से कोई भी रेलवे की सम्पत्ति पर किए जाने वाले किसी भी प्रकार के हिंसक आक्रमण को अच्छा करार नहीं दे सकता है । इसलिए हम जब रेल मन्त्रालय की ऐसी आलोचना करते हैं तो हम उस किसी व्यक्ति की हिंसक गतिविधि को भी माफ नहीं कर सकते हैं ? चाहे उनकी शिकायतें उचित ही न हो । शिकायतों की वैधता कैसी ही भी क्यों न हो, रेलवे सम्पत्ति की रक्षा की जानी चाहिए । न केवल रेलवे सम्पत्ति की अपितु कामगारों के जीवन की, रेलवे में कार्यरत कामगारों के जीवन और अंगों को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए । जब कभी ऐसी विस्फोटक स्थिति होती है और सीजन टिकटधारी अपने रोष को अभिव्यक्ति प्रदान करना चाहते हैं तो हम देखते है कि एक ओर तो रेलवे सम्पत्ति पर आक्रमण किया जाता है और दूसरी ओर हाल में हमने देखा है कि रेलों को चलाने वाले कर्मचारियों पर रेलवे के कर्मचारियों पर आक्रमण किया जाता है । यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और यात्री संघों श्रमिक संघों और मन्त्रालय के उन अधिकारियों के बीच अच्छे सम्बन्ध बना करके और अधिक अच्छी समझ-बूझ पैदा करके इस सबसे बचने का रास्ता निकाला जाना चाहिए, जो कमियों को दूर सकते है और मन्त्रालय को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उनको स्पष्ट कर सकते है ।

बम्बई मध्य उप नगरीय प्रणाली में गड़बड़ी के प्राथमिक कारणों के बारे में मेरे मित्र भली-भांति जानते हैं । ऐसा रेकसो की स्थिति है जिसका उल्लेख इस ओर से बोलने वाले मेरे एक माननीय मित्र ने किया था । लगभग 31 प्रतिशत रेक खराब हैं । मध्य रेलवे प्रणाली में प्रयोग मे लाए जाने वाले रेक देश में नहीं बनते हैं, उनका तो आयात किया गया था वह अब इनका निर्माण नहीं करती है जिसके परिणामस्वरूप हमें प्रति स्थापक नहीं मिल सकते है जिसके फलस्वरूप मरम्मत के लिए आवश्यक कल-पुर्जे नहीं मिल सकते हैं । जहां तक फालतू कल-पुर्जों का सम्बन्ध है, उनके प्रयोग में निरन्तर प्रतियोगिता चल रही है, इससे इस प्रणाली की कार्य कुशलता मे कमी आती है तथा प्रणाली निरन्तर निष्क्रिय होती जा रही है, फेल होती जा रहती है, ऐसी परिस्थितियों मे जब तक आप इस स्थिति का हल नहीं ढूंढ निकालते हैं मध्य रेलवे की जो स्थिति वस्था चिरस्थायी रहेगी और सीजन टिकटधारियों को प्रणाली के बार-बार खराब होने का शिकार बनना पड़ेगा ।

इसका क्या समाधान है ? इसका समाधान यह है कि ब्रिटेन से आयातित इन रेकों को

पूर्णतया बदल दिया जाए । मेर माननीय मित्र मेरी इस बात से सहमत होंगे । आयातित रेकों के बदले, हमें देश में ही पैरमबर इण्टिगल कोच फैक्टरी में निर्मित रेकों को उपयोग में लाना पड़ेगा । प्रक्रिया इतनी सरल नही है, इसम धन लगेगा, समय लगेगा और इससे अस्थाई रूप से रेलों का चलना भी बन्द हो जाएगा । परन्तु यदि मन्त्री महोदय सीजन टिकटधारियों को समझा-बुझा सकें कि जो कुछ किया जा रहा है वह एक ईमानदारी पूर्ण प्रयास है । जहां तक रेकों का सम्बन्ध है, खराब रेकों को निकालकर उनके स्थान पर स्वदेश निर्मित नय रेक लगायें जाएंगे और सुपुर्दगी अनुसूची तथा समय सारणियों के पुनः अनुसूचीकरण के साथ नये रेक लगाने के काम का सामंजस्य बैठाकर यदि मन्त्रालय उचित जन सम्पर्क बनाए रखता है तथा यदि कोई ऐसा साहसिक कार्य कर सकता है तो जन सहयोग प्राप्त किया जा सकता है ।

महोदय हाल ही मे उप नगरीय रेलों का आना जाना बढ़ाने के बजाय घट गई है । मेरे माननीय मित्र को पता है कि रेलो की आवृत्ति घटाई गई है । मध्य रेलवे पर 46 उपनगरीय रेलें बन्द कर दी गई हैं ।

अब मैं बम्बई की पश्चिमी उपनगरीय प्रणाली की बात करती हूं । तुलनात्मक रूप में रेलों के जाम होने की संख्या पश्चिम रेलवे में कम है । (व्यवधान) मेरे माननीय मित्र को भी अवसर मिलेगा और मैं उत्कंठापूर्वक उनकी बात सुनूंगा । पश्चिम रेलवे में रेलों के बन्द होने की घटनाओंकी सख्या कम है क्योंकि इसक वहां चलने वाली रेलो में स्वदेश निर्मित रेक लगे हुए है । परन्तु पश्चिम रेलवे में भी सीजन टिकटधारियों की समस्याएं हैं, जिनका मै उल्लेख करूंगा । प्रथम तो वहां पर पश्चिम रेलवे को मध्य रेलवे के साथ मिलान की समस्या है, क्योंकि सीजन टिकटधारियो को एक रेलवे से दूसरी रेलवे मे जाने के लिए उतरकर दूसरे स्टेशन पर जाना पड़ता है । आपको तो बम्बई की स्थिति अच्छी तरह पता है । बांद्रा मे एक उपरि पुल है । यह पश्चिम रेलवे से मध्य रेलवे के लिए यातायात के जमघट को सम्भालने की इसकी नाभिकेन्द्रीय निर्णायक स्थिति है सामरिक है । अतः उपरि पुल का निर्माण कार्य शीघ्र निपटाया जाना चाहिए और उसके लिए यदि आवश्यक हो तो राशि आबंटन में वृद्धि की जानी चाहिए ।

महोदय इसके बाद दीवा-वेसिन लाइन का भी प्रश्न है । वर्तमान योजना के अनुसार इस लाइन पर माल ढुलाई को सीमित करना है । लेकिन यदि लाइन बिछाई जाती है और यदि इसे यात्री यातायात के लिए भी खोल दिया जाता है तो स्पष्टतया इससे उस भीतरी प्रदेश को भी लाभ पहुंचेगा जिससे होकर यह गुजरेगी ।

महोदय, अब मैं उन मछुआरों और दूधियों का उल्लेख करूंगा जो कि इस महानगर में अपनी आवश्यक वस्तुएं प्रदान करने के लिए पश्चिमी रेलवे का प्रयोग करते हैं और उपनगरीय क्षेत्रों से यहां आते हैं । अनेकों मछुआरे और दूधिए इस पश्चिम उपनगरीय रेलवे से यात्रा करते हैं । उनको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? सैद्धांतिक रूप से कुछ डिब्बे उनके लिए

आरक्षित करके रखे जाते हैं परन्तु अन्य यात्रियों के उनमें भर जाने के कारण इन मछुआरों और दूधियों को बड़ी कठिनाइयां झेलनी पड़ती है, विशेषकर जब उन्हें नगर की ओर यात्रा करनी पड़ती है। यह बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि शहर आने वाली अधिकांशतः मछुआरिनें ही होती हैं। अतः आप उनकी समस्याओं को आसानी से समझ सकते हैं जबकि उनके लिए आरक्षित डिब्बे केवल सिद्धान्त रूप में ही रह जाते हैं। बोरीविली और दहानू रोड के बीच भी सीजन टिकटधारियों की कुछ अन्य समस्याएं हैं। मेरे माननीय मित्र बम्बई से भली-भांति परिचत हैं। वह प्रायः इस नगर में जाते रहते हैं। विस्तार किस ओर हुआ है? समुद्र की ओर न होकर स्थल पर ही हुआ है और विशेषकर उत्तरी क्षेत्र की ओर। अतः जनसंख्या में बोरीविली के उत्तर और बोरीविली से दहानू रोड तक भारी वृद्धि हुई है, जहां पर नई कालोनियां बसी हैं और लोग वहां जाकर बस रहे हैं। जो लोग पहले दक्षिण में रह रहे थे वे अब उत्तरी बम्बई, उत्तरी उपनगरीय क्षेत्रों में आकर बस रहे हैं। उस ओर लोगों का जाना जारी है जो कि मेरे माननीय मित्र को पता होना चाहिए जिनके पास कभी निर्माण और आवास का कार्यभार भी था। अतः समस्या का उन्हें पता होना चाहिए। उस क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ रही है और उसके अतिरिक्त सूरत और बोरीविली के बीच छोटे और मध्यम दर्जे की औद्योगिक इकाईयां बढ़ रही हैं।

एक ओर तो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और दूसरी ओर औद्योगिक इकाईयों की संख्या भी बढ़ रही है।

महोदय इस क्षेत्र की आवश्यकतायें बहुत अत्यधिक बढ़ गई हैं। उन क्षेत्रों की जनसंख्या में हुई वृद्धि तथा उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए रेल मन्त्रालय ने कितना क्या कुछ किया है दुर्भाग्यवश इस दिशा में बहुत ही कम काम किया गया है। श्रमिकों को अपने कार्य के के स्थान पर पहुंचने तथा वहां से भी वापस घर लौटने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस क्षेत्र में रेल गाड़ियों की आवृत्ति में कोई वृद्धि नहीं हुई है। विरार के लिए विद्युत गाड़ियां 0-20 मिनट के बाद चलती हैं इन्हें हर 15 मिनट के बाद चलाया जाना चाहिए। सूरत तथा बलसाढ़ बरास्ता दहानू रोड पालघर आदि से विरार तक शटल गाड़ियों की संख्या में उत्साहजनक वृद्धि नहीं हुई है। इनकी संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए तथा इनको बढ़ाकर बोरीवाली अथवा अन्धेरी तक किया जाना चाहिए। ताकि यात्रियों को बिजली से चलने वाली गाड़ियों की सुविधा प्राप्त हो सके।

महोदय सवारी डिब्बों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है। डिब्बों की स्थिति बड़ी खराब है। शटल गाड़ियों तथा बिजली से चलने वाली गाड़ियों की समय सूचियों के बीच कोई समन्वय नहीं है। इस प्रकार यात्रियों को गाड़ियों को पकड़ने में अपने कार्य के समय को व्यर्थ करना पड़ता है और अपने कार्य पर पहुंचने मे उनको कठिनाई होती है। विरार तथा बोरीवली स्टेशनों पर लम्बी दूरी की कुछ एक्सप्रेस गाड़ियों को रोकने की मांग की गई है, जिसके बारे में मैंने मन्त्री

महोदय को लिखा है। इसके अतिरिक्त, आपने बिजली की गाड़ियों के आने-जाने में कोई वृद्धि नहीं की है, आपने उनको विरार तक नहीं बढ़ाया है। आपने शटल गाड़ियों के आने जाने में वृद्धि नही की है आपने उनको बोरीवली अथवा अन्धेरी तक नहीं बढ़ाया है। आपने प्लेटफार्मों अथवा गोदामों के ऊपर छत की व्यवस्था नहीं की है। आपने डिब्बों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं की है, आपने बाहरी उपनगरीय क्षेत्रों में सीजन टिकटों की बुकिंग करने के लिए बुकिंग करने वाली खिड़कियों तथा सुविधाओं में कोई वृद्धि नहीं की है। पैदल चलने वालों के लिए ऊपरी पुलों को पूरा नहीं किया गया है। लेकिन जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। आपके विचार से उनकी सेवा किस प्रकार से की जाएगी। और यदि वे क्रुद्ध हो जाते हैं तो इसके लिए किसको दोषी ठहराया जाएगा ? मैं यह जानता हूं कि इसके लिए धन की आवश्यकता है और यदि जनसंख्या बढ़ती है और उनके लिए सेवा में उपलब्ध कराने की आवश्यकता पड़ती है तो आपके सिवाय उनको इन सुविधाओं को कौन उपलब्ध कराएगा ? आप जले पर तो नमक छिड़कने का कार्य करते हैं और वह भी बदतर है। उनको असहाय हो जाने और आपकी अकुशलता को देखते हुए जब यात्रा करने वाले लोग आपको पत्र लिखते हैं, तो आप उनका उत्तर तक नहीं देते हैं। मुझे अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लोगों से सैकड़ों पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें यह शिकायत की गई हैं कि पश्चिमी रेल के महाप्रबन्धक पत्रों की प्राप्ति के सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं देते हैं। जहां तक दैनिक यात्रियों के पत्रों का सम्बन्ध है ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वे अज्ञात नामिक पत्र देती का अध्ययन कर रहे हों। यदि आप सुविधाओं को उपलब्ध कराना नहीं चाहते हैं और पत्र प्राप्ति का उत्तर देना नहीं चाहते हैं तब लोगों के मन में इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी।

महोदय, मैंने माननीय मन्त्री महोदय को पत्र लिखा है और मेरे कई माननीय मित्रों तथा सुप्रसिद्ध सदस्यों ने मन्त्री महोदय को पत्र लिखे हैं। लेकिन मन्त्री महोदय केवल एक सामान्य सा उत्तर भेज देते हैं कि मैं शिकायत की ओर ध्यान दूंगा। उसके कुछ समय के बाद एक अन्य पत्र प्राप्त हुआ जिसमें यह बताया गया कि इसकी ओर ध्यान दिया गया है और इसको प्रबन्ध करने योग्य नहीं पाया गया है। हमको कभी भी ऐसा पत्र प्राप्त नहीं हुआ है जिसमें यह बताया गया हो कि कुछ करना सम्भव है अथवा कुछ कार्य किया जाएगा।

मैं अपने माननीय मित्र को एक ठोस सुझाव देना चाहता हूं मैं उनसे एक अपील करता हूं कि यदि स्थिति इस प्रकार की है कि आपके पास धन का अभाव है और आप श्रेष्ठ सेवाओं को उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं है, और आपकी कठिनाइयां मानने योग्य है, तब इसके बारे में आप कम से कम लोगों को भी बताइये। मैं मन्त्री महोदय को सुझाव देता हूं कि वे ग्रेटर बम्बई में यात्री संघों के प्रतिनिधियों की एक बैठक का आयोजन करें जिसमें संसद सदस्यों विधान सभा के सदस्यों, बम्बई के कोरपोरेटर्स तथा दोनों रेल प्रतिनिधियों के अधिकारियों को सम्मिलित नहीं किया जाए तथा इन कठिनाइयों पर चर्चा की जानी चाहिए। ताकि जनता तथा यात्रियों को कम से कम इस बात की जानकारी प्राप्त हो सके कि सरकार उनकी कठिनाइयों को जानती है और सरकार इन समस्याओं को दूर करना चाहती है। अतः मैं आपसे एक महत्वपूर्ण अपील करता

हूं कि आप उनसे मिलें और उनको स्थिति से अवगत करायें और उनको यह बताने की चेष्टा करें कि आप क्या करना चाहते हैं।

महोदय, मेरा आखिरी मुद्दा सुरक्षा के बारे में है। मेरे माननीय मित्र श्री जटिया साहब ने इसका पहले ही उल्लेख किया है।

जहां तक पश्चिमी उपनगरीय प्रणाली का सम्बन्ध है, वहां पर पुलों को अविलम्ब नवीकरण करने की आवश्यकता है। पश्चिमी तथा मध्य रेल पर स्वचालित सिगनल व्यवस्था की पूर्णतः मरम्मत करने की आवश्यकता है। सिगनल देने की व्यवस्था तथा यात्रियों की सुरक्षा के बीच के सम्बन्ध को आप भली भांति समझ सकते है। सिगनल देने की व्यवस्था का पूरी तरह से मरम्मत करने की आवश्यकता है। और यात्रियों के हितों को ध्यान में रखते हुए इसको उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। महिला दैनिक यात्रियों की सुरक्षा सम्बन्धी विषय को इस सदन में कई बार उठाया गया है, और आदरणीय मंत्री महोदय भी इससे भली-भांति परिचित है। महोदय, मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। लेकिन मैं यह आशा करता हूं कि कम से कम भविष्य में मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे। महोदय हम अब तक इन मांगों को दोहराते रहे हैं और हम इन समस्याओं से उनको तथा उनसे पूर्व के आदरणीय मन्त्रियों को अवगत कराते रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपकी कृपा से हमारी बात की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गयी है और कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं की गई है। मैं आशा करता हूं कि कोई बेहतर परिवर्तन लाया जाएगा।

धन्यवाद।

श्री काज़ी सलीम (औरंगाबाद) उपाध्यक्ष महोदय, रलवे डिमाण्डस का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और खास तौर से आज अपने मन्त्री जी का अभिनन्दन करता हूं, सही पालिसीज की तरफ नोट आये हैं। और तय किया है कि रेलवे सिर्फ कामियल अन्डरटेकिंग नहीं है बल्कि उसे पब्लिक की सेवा का कार्य भी करना है यह और बात है कि सही पालिसीज की तरफ लौट रहें हैं। इन डिमाण्ड्स को पढ़ने के बाद ऐसा पता चलता है कि हम ने आजादी के बाद रेलवे में जो तरक्की की है, वह दूसरे मुल्कों के मुकाबले कम है। हमें मालूम है कि चाइना ने बहुत तेजी से तरक्की की है, हम इसलिए उतनी तेजी से तरक्की नहीं कर पाये कि हर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारी पालिसी बदलती रही। कभी हम यह चाहते हैं कि जहां बैकवर्ड एरियाज हैं उनका विकास किया जाए और इस नजरिए से रेलवे का विकास किया जाए, कभी हम इस को कामर्शियल अण्डरटेकिंग की तरह से ट्रीट करते हैं, कभी हम कन्सोलिडेशन और रिहेबिलिटेशन की पालिसी एडाप्ट करते हैं और इस लिहाज से हमारे जो प्रोजेक्टस थे वे बदलते रहे है। इधर थोड़े दिनों से हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन का प्रोजेक्ट बहुत तेजी पर चल रहा था, लेकिन अब इस बजट को देख कर ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने तीन-चार चीजों को बैलेंस करने की कोशिश

की है । इसीलिए मैं मंत्री जी का अभिनन्दन कर रहा हूं । और ऐसा महसूस करता हूं कि अगर हम इस पालिसी पर अमल करेंगे तो हम जरूर आगे बढ़ सकते हैं । जो भी पैसा हमारे पास है । उसको तीन-चार हिस्सों में तकसीम करें और प्रायोरिटीज के मुताबिक उस पैसे को खर्च करें ।

इस मौके पर मैं बहुत डिटेज्ज में नहीं जाऊंगा, लेकिन अपने क्षेत्र मराठवाडा के बारे में कुछ बातें आपके सामने अर्ज करना चाहता हू । ऐसी बात नहीं है कि इन बातों को कह कर मैं अपनी कांस्टीचूएन्सी वोटर्स को मुतमईन करना चाहता हूं, बल्कि मराठवाड़ा के 5 जिले और 80 लाख वोटर्स के दिलों में जो चिंगारी 30 वर्षों से जल रही है, मैं उन की भावना को, उनकी तड़प को इस सदन के सामने पूरी तफसील से रखना चाहता हूं । उन की दिक्कतों को समझने के लिए हमें उसके इतिहास को भी थोड़ा देखना पड़ेगा । मराठवाड़ा के ये 6 जिले निजाम की फयूडल स्टेट से निकल कर आये थे जो बहुत जमाने से नेग्लेक्टेड चले आ रहे थे । जब से ये निजाम में अपना कैपिटल हैदराबाद शिफ्ट किया उसके बाद से ये बिलकुल नेग्लेक्टेड रहे । राजे-रजवाड़ों ने कभी भी अपनी राजधानी को छोड़ कर दूसरे हिस्सों के विकास में इन्टरेस्ट नहीं लिया, वही हालत इस इलाके की रही है । आजादी के बाद हमारी बड़ी अपेक्षायें थीं, अरमान थे और उन्हीं अरमानों के सहारे हमने महाराष्ट्र में प्रवेश किया है । जिस तरह से बम्बई का विकास हुआ उसका लाभ हम को भी मिलेगा, इस उम्मीद से हम महाराष्ट्र में शामिल हुए । लेकिन हमारी बदकिस्मती यह थी—चूंकि हम फयूडल स्टेट से आये थे और हमारे लीडर्स भी डेमोक्रेसी के लिए उतने ट्रेन्ड नहीं थे, इसलिए महाराष्ट्र वालों ने भी हमारे साथ बेइन्साफी की और हम रीजनल डिस्पैरिटीज की चपेट मे आये । आज हमारे यहां कोई ब्राडगेज नहीं है—हमारे पिछड़ेपन का सबसे बड़ा सबब यही है ।

मराठवाडे में अव्वल तो कोई ट्रेन है नहीं और है तो एक ट्रेन है जोकि निजाम ने इसलिए बनवाई थी कि वह पाकेट, जजीरे की तरह, आइलैंड की तरह रहे और हैदराबाद का पूरे देश से कोई ताल्लुक न हो । वह ट्रेन निजाम स्टेट रेलवे की मनमाड से सिकन्दराबाद तक जाती थी और थोड़ा सा उस्मानाबाद थी । इसके बाद वहां के लोगों को कुछ अहसास हुआ और वह अहसास बिना-वजह नहीं है । ब्रोडगेज न होने की वजह से उन को कितने नुकसानात हो रहे हैं, यह मैं आपके सामने एक-एक कर के बतलाऊंगा । किस तरह से यह भावना वहां पर डेवलप हुई है, यह आप को बतलाना चाहता हूं । मराठवाडा के पूरे लोगों ने बगैर किसी पार्टी बन्दी के, बगैर पार्टी को देखते हुए, अपोजीशन के और कांग्रेस के लोगों ने हर जमाने में जितने भी यहां पर मन्त्री हुए हैं, लाल बहादुर शास्त्री हो या केदार पांडे, एस० के० पाटिल हों या जगजीवन राम, टी० ए० पाई हों या मधु दंडवते और सेठी जी, कोई भी ऐसा मन्त्री नहीं रहा है, जिस को मराठवाडे के लोगों ने अपने रेज्यालूशन्स न दिये हों और डेलीगेशन्स और जलसे कर के अपनी भावनाओं को उनके सामने रखने की कोशिश न हो । कई दफा पालिसी बनी भी और कुछ हमारी उम्मीद बन्धी । टी० ए० पाई के जमाने में यह तय कि हिन्दुस्तान में जो रेलवे पिछड़े

हुए इलाके हैं, उन का हम डेवलपमेंट करेंगे और उसके लिए रेलवे का उपयोग करेंगे चाहें उस के लिए हमें सेन्ट्रल गवर्नमेंट से लोन लेना पड़े । हम 10 साला बिना सूद में लोन लेकर इसको करेंगे लेकिन फिर दूसरे मंत्री आ गए और वह पालिसी बदल गई यह वही जमाना है जबकि हमारी पंथ प्रधान मन्त्री इन्दिरा गांधी औरंगाबाद के दौरे पर आई थी और उस वक्त उन्होंने आपवली, पब्लिक्ली कहा था कि हम मराठवाड़े का डेवलपमेंट करेंगे और जो दो लाइनों की बात थी, उस को उन्होंने मान्यता दी थी और यह ओपनली डेक्लेयर किया था कि ये जो नेरो-गेज और मीटर गेज की लाइनें हैं, इन को ब्रोडगेज किया जाएगा । एक लाइन मनमाड से औरंगाबाद औरंगाबाद से परली, परली से मुतखेड़ और मुतखेड से आबिलाबाद तक ले जायी जाएगी बात लाइन लातूर से मीरज तक जो नेरा-गेज लाइन है, उस को ब्रोड गेज करने की बात कही थी । ये दोनों डेक्लरेशन्स उस जमाने के हैं लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि रेलवे मन्त्रियों ने पंथ प्रधान की बात भी पीछे डाल दी । इस के बाद 1 हजार रुपय टोकेन मनी 1980 के बजट में रखे गये । फिर मांग की गई, तो 1 करोड़ रुपया रख दिया गया बजाए इसके कि इसके लिए काफी रुपया रखा जाता जैसा कि हम अपेक्षा कर रहे थे । इस पार्लियामेंट के फ्लोर पर मिनिस्टर साहब ने यह वायदा किया था कि हम इस में बढ़ोतरी करेंगे और मधु दडवते जी ने भी इसके उद्घाटन के वक्त औरंगाबाद में यह कहा था कि सन 1982 तक इस को ब्रोडगेज में बदल देंगे इसके बाद औरंगाबाद तक इस फ्लोर पर आई कांग्रेस के रेलवे मन्त्री ने भी कहा था कि 1984 तक हम इसको ब्रोडगेज करायेंगे अब इस पर टोटल खर्च 72 करोड़ रुपये का होने का एस्टीमेंट है लेकिन औरंगाबाद तक फर्स्ट फेज को करने में 15 करोड़ रुपये लगते हैं 15 करोड़ रुपये में भी एक करोड़ रुपया आप देते हैं, तो कितने साल इस में लगेंगे और यह तो वही बात हुई जैसा कि गालिब ने कहा है :

"कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक"

मुझ पैसे मे गर्ज नहीं है, मैं हिसाब-किताब की बात नहीं करता हूं लेकिन मैं यह जरूर जानना चाहूंगा कि आप कितने दिनों में इसके पहले फेज का कम्पलीट करेंगे, दूसरा फेज कितने दिनों में होगा और तीसरा फेज कितने दिनों में होगा । रेलों का करोड़ों रुपय का बजट है । 210 करोड़ रुपये आप ने इलेक्ट्रिफिकेशन में खर्च किये हैं, डबल लाइनें डालने में खर्च किये हैं और दूसरी जगहों पर आप इतना पैसा खर्च कर के लाइनें डाल रहे हैं लेकिन मराठवाड़ा में 10 फीट भी लाइन आज तक नहीं बिछाई गई है । यह जो रीजनल डिस्पेरिटी है, इसकी वजह से लोगों में बड़ा फ्रस्ट्रेशन है और जब फ्रस्ट्रेशन आता है तो पूरा एकोनामिक बैलेंस खराब हो जाता है ।

मैं खास तौर पर यह बतलाना चाहूंगा कि किस किस तरह से हमारे यहां इन्डस्ट्रीज सफर कर रही हैं । आप को ताज्जुब होगा कि आज जो बेल्ट है, पूना और बम्बई की बेल्ट है, इस बेल्ट के बाहर कोई जगह नहीं रह गई है, जहां पर इन्डस्ट्रीज लगाई जा सके । इसलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यह सोचा कि बैकवर्ड इलाकों में, इस बेल्ट के बाहर इन्डस्ट्री लगाई जाए और

औरंगाबाद 10 तरह की फैसेलिटीज दी है और सब्सीडी का लालच और इनसे टिक दिया गया है लेकिन आज तक 10 साल में वहां पर इन्डस्ट्री ने रूट नहीं पकड़ी हैं और वहां पर कोई ओरीजिनल इन्डस्ट्रीज नहीं है। वहां पर उन्हीं लोगों की इन्डस्ट्रीज है, जिनकी इन्डस्ट्रीज है जिनकी इन्डस्ट्री बम्बई में मौजूद है और वहां पर उन्होंने अपनी ब्रान्चेज बनाई हुई और आप जानते ही हैं कि ये पैसे वाले किस तरह से पैसे की कमाई करते हैं। वे सब्सीडी ले लेते हैं और फिर कोई बहाना बना कर लाक आउट कर देते हैं और फिर तमाम मैटीरियल अपने हैड आफिस पूना, बम्बई और नासिक भेज देते हैं और वहां पर सामान बनाते हैं। उन का कहना यह है कि सामान के लाने और ले जाने में हमारा इतना खर्च हो जाता है कि सारा प्रोफिट उसी में निकल जाता है। इसलिए वहां पर इन्डस्ट्री सफर कर रही हैं। अगर हमें वहां इन्डस्ट्रीज डवलप करनी है तो उसके लिए भी यह जरूरी है।

आप एक्सपर्ट्स की ओपिनियन को देख लीजिए। गोखले इन्स्टीच्यूट आफ इकोनिमिक्स एण्ड पोलिटिक्स ने कहा है कि मराठवाड़ा क्षेत्र को फौरी तौर पर ब्राडगेज लाईन में तब्दील किया जाए। नेशनल काउन्सिल आफ एप्लाईड इकोनोमिक रिसर्च ने भी सर्वे किया है और कहा है कि वहां एग्रीकल्चरल प्रोडयूस के लिए बहुत पोटेन्सलिटी हैं क्योंकि वहां पानी है, बिजली है। वहां हम इसके नये नये प्रोजेक्ट्स कायम कर सकते हैं। इसके लिए तीन-चार प्रोजेक्टस बड़े-बड़े तालाबों के पहले से ही हैं। जिनसे जाहिर है कि वहां की एग्रीकल्चरल पैदावार बढ़ेगी और हजारों एकड जमीन उनके नीचे आयेगी। लेकिन इस सब के बावजूद मराठवाड़े के जिस किसान के पास 50 एकड जमीन भी है वह भी आज भूखा मरता है। उसकी वजह यह है कि उसको बड़े बड़े शहरों की मार्किट नहीं मिलती है। वह बड़े बड़े काश्तकारों से कम्पीटिशयन कर के अपना माल वहां तक नहीं पहुंचा सकता है क्योंकि ट्रांस्पोर्ट का उसे बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। इसलिए वह अपना माल छोटी-छोटी जगहों पर, सस्ते भाव में बेच देता है। इस तरह से वह आगे नहीं बढ़ पाता है। अगर वहां खेती की पैदावार भी बढ़ सकती है अगर उसे राजधानी, बम्बई और दूसरे बड़े बड़े शहरों से जोड़ दिया जाये तब ही इलाके का विकास हो सकता है।

हम एग्रो इन्डस्ट्री की भी बात करते हैं। वहां की मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों ने कहा है कि मराठवाड़ा में जो बेरोजगारी और भूखमरी है, अगर उसको दूर करना है तो वहां हैवी इन्डस्ट्रीज के बजाए एग्रो इन्डस्ट्रीज शुरू करें। आप मराठवाडा का नक्शा सामने रख कर देखिये। शुगर मिले कहां हैं ? वे कोल्हापुर और सांगली में हैं जो कि तमाम बड़े बड़े शहरों से जुड़े हुए हैं। वहां पर कोआप्रेटिव्ज ने भी अपने कदम जमा लिए मैं यही वजह है कि वहां पर एग्रो इन्डस्ट्री भी डवलप नहीं कर पा रही है और उस इलाके को दतना का नुकसान हो रहा है। इस तरह से हम लोग पिछड़े रह गये है।

टूरिज्म के बारे में में कहना चाहता हूं कि सारे हिन्दुस्तान के केवल दस परसेंट टूरिस्ट्स

ही औरंगाबाद को टच करते है क्योंकि उनका रास्ता बोम्बे, खूजरा हो, आगरा, दिल्ली है। औरंगाबाद में जहां कि एजन्ता, एलोरा हैं और जिनके प्रोपेगण्डे पर हम लाखों रुपये हर साल खर्च करते हैं उनके लिए कोई रास्ता न होने से टूरिस्ट्स वहां तक नहीं पहुंच पाते है। सिर्फ एक हवाई जहाज वहां जाता है। अब टूरिस्ट्स लोग एन्जाए करने के लिए आते हैं न कि बलीफ उठाने और ट्रेनें बदलने के लिए नहीं आते हैं। कम से कम औरंगाबाद को तो बडी लाईन से जोड़ना जरूरी है। मैं समझता हूं कि अगर इसको ट्रेन और ट्रांसपोर्ट की दूसरी फैसिलिटीज दे दी जाए तो ट्रेरिज्म से मुल्क को कम से कम दो करोड़ रुपयें सालाना का फायदा हो सकता है।

परली थरमल स्टेशन पहले 60 मेघावाट बिजली बनाता था। आज वह 250 मेघावाट बिजली बना रहा है। इसका मतलब है कि पहले उसे तीन लाख टन कोयले की जरूरत थी और अब 15 लाख टन कोयले की जरूरत है जो सिंगरैनी कोलियरीज से आता है। यह कोयला हैदराबाद, विकाराबाद होते हुए वहां पहुंचता है और 600 किलोमीटर का रास्ता तय करके वहां पहुंचता है। जैसे जैसे वहां डपलप्मेंट हो रहा है वैसे वैसे वहां कोयले की मांग भी बढ़ती जा रही है। अगर हम वहां के लिए मुकखेड़ा-आ दिलाबाद लाईन बिछा सकें तो चन्द्रपुर का कोयला वहां एक-तिहाई खर्चे पर आसानी से पहुंचा सकते हैं।

हम आज से नहीं, तीस साल से यह बात केन्द्रीय मन्त्रियों के सामने रखे जा रहे हैं। जब पंथ प्रधान ने भी डिक्लेयर कर दिया था, और अब तक वह समस्या हल न हो सकी है तो सिवाय अल्लाह के पास जाने के और कोई रास्ता नहीं रह जाता है। इसलिए कि पंथ प्रधान से बढ़कर के देश में और कोई अथारिटी नहीं है।

मैं सेठी जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि जब हम मराठवाड़े के सारे एम० पी० उनसे रिक्वेस्ट करने गए कि डिविजनल हैडक्वार्टर कोमनमाड से हटाया जा रहा है और वहां से सामान भी उठा कर ले जाया जा रहा था जिससे कि वहां के लोग फ्रस्ट्रेटिड हो रहे है, रजिटेटिड हैं तो उन्होंने मराठवाडा के एम० पी० ज० का सम्मान करते हुए उस आदेश को फौरन वापस ले लिया और एक करोड़ रुपया दिया। सप्लीमेंटरी बजट में भी और एक करोड़ रुपया देने का आश्वासन दिया। और कहा कि प्लानिंग मत्री श्री एस० बी० चौहान पी०पी० द्वारा जारी साहब से मशविरा लेकर बढ़ाएंगे, लेकिन मैं चाहता हू कि कम से कम 5 करोड़ की मांग हमारी पूरी की जाए। मैं आशा करता हूं और बिनती करता हूं कि निजाम हैदराबाद के बनाए जजीरे से निकाल कर देश के विकास के मैन (स्ट्रीम) में हमको शरीक होने का मौका दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण जब कटौती प्रस्ताव पेश किये गये थे तब कुछ ऐसे माननीय सदस्य जिनके नाम पुकारे गये थे सभा में उपस्थित नहीं थे। उन्होंने पीठासीन अधिकारी से यह निवेदन किया है कि कुछ कारणों से हम उपस्थित नहीं हो सके थे—जिन्हें मैं

वाजिब समझता हूं--इसलिए मैं एक विशेष मामले के रूप में उन्हें अपने कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की अनुमति दे रहा हूं। लेकिन भविष्य में इसको एक उदाहरण के रूप में न माना जाये। यही शर्त है।

श्री रामावतार शास्त्री : बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप अपने कटौती प्रस्तुत करना चाहते हैं ?

श्री रामावतार शास्त्री : जी हां।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि परिसम्पत्तियां, अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव के सम्बन्ध में 2,00,-50,00,000 रुपये से अनधिक राशि को अनुपूरक अनुदान को मांग में 100 रुपये कम किये जाये।"

[राजगीर से गया तक नई रेल लाइन बिछाने की आवश्यकता। (37)]

"कि परिसम्पत्तियां, अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव के सम्बन्ध में 2,00,-50,00,000 रुपये से अनधिक राशि को अनुपूरक अनुदान की मांग में 100 रुपये कम किये गये।"

[छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने की आवश्यकता। (38)]

"कि परिसम्पत्तियां, अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव के संबन्ध में 2,00,-50,00,000 रुपये से अनधिक राशि को अनुपूरक अनुदान को मांग में 100 रुपये कम किये जाये।"

[पूर्व रेलवे में लूप लाइन को दोहरी लाइन में बदलने की आवश्यकता। (39)]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"कि परिसम्पत्तियां, अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव के संबन्ध में 200,-50,00,000 रुपये से अनधिक राशि को अनुपूरक अनुदान की मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[निर्मली-थारमीठा रेल लाइन को दुबारा चालू करने में असफलता। (9)]

"कि परिसंपत्तियां, अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव के संबन्ध में 2,00,-50,00,000 रुपये से अनधिक राशि को अनुपूरक अनुदान की मांग को कम करके 1 रुपया

किया जाये ।"

[छीसन बगाह रेल लाइन को शीघ्र पूरा करने में असफलता । (10)]

"कि परिसंपत्तियां, अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव के संबन्ध में 200,- 50,00,000 रुपये से अनधिक राशि को अनुपूरक अनुदान की मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

[समस्तीपुर दरभंगा लाइन को बड़ी लाइन में बदलने में असफलता । (11)]

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि परिसंपत्तियां—अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव के सम्बन्ध में 200,- 50,00,000 रुपये से अनधिक राशि की अनुपूरक अनुदान की मांग में 100 रुपये कम किया जाए ।"

[गिरीह से रांची बरास्ता कोडरमा और हजारी बाग टाऊन तक प्रस्तावित लाइन के लिए विस्तृत सर्वेक्षण शुरू करने की आवश्यकता । (41)]

"कि परिसम्पत्तियां—अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव के संबन्ध में 200,- 50,00,000 रुपये से अनधिक राशि को अनुपूरक अनुदान की मांग (पृष्ठ 2) में 100 रुपये कम किये जायें ।"

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि परिसंपत्तियां—अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव के संबन्ध में 200,- 50 00,000 रुपये से अनधिक राशि की अनुपूरक अनुदान की मांग (पृष्ठ 2) में 100 रुपये कम किए जायें ।"

[पूर्वोत्तर रेलवे में इंजनों के उचित रखरखाव की आवश्यकता । (40)]

श्री रामावतार शास्त्री : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि परिसंपत्तियां, अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव के संबन्ध में 200,- 50,00,000 रुपये से अनधिक राशि की अनुपूरक अनुदान की मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

[बिहार में लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार पर्याप्त रेल लाइनों का निर्माण करने में असफलता । (8)]

"कि परिसंपत्तियां, अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव के संबन्ध में 200, 50,00,000 रुपये से अनधिक राशि की अनुपूरक अनुदान की मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।

[पूर्व रेलवे में आरा और सासाराम के बीच बड़ी लाइन के निर्माण में विलम्ब । (12)]

"कि परिसंपत्तियां, अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव के संबन्ध में 200,-50,00,000 से अनधिक राशि की अनुपूरक अनुदान की मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

[पटना जिले के बिहटा स्टेशन से औरंगाबाद जिले के अनुग्रह-नारायण रोड तक बरास्ता विक्रम पाली अरवल एक नई रेल लाइन बनाने की आवश्यकता । (13)]

"कि परिसंपत्तियां, अधिग्रहण, निर्माण और बलदाव के संबन्ध में 2,00, 50,00,000 रुपये से अनधिक राशि के अनुपूरक अनुदान की मांग में 100 से कम किये जायें ।"

[पूर्व रेलवे के पटना गया रेल लाइन को दोहरा करने में असफलता । (14)]

श्री भोगेन्द्र झा : (मधुबनी) : मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :

"कि परिसंपत्तियां, अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव के संबन्ध में 200, 50,00,000 रुपये से अनधिक राशि की अनुपूरक अनुदान की मांग में 100 रुपये से कम किये जायें ।"

[पूर्वोत्तर रेलवे में सीकरी हसनपुर नई लाइन का निर्माण करने की आवश्यकता । (15)]

"कि परिसंपत्तियां, अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव के संबन्ध में 200, 50,00,000 रुपये से अनधिक राशि की अनुपूरक अनुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।

[दरभंगा, सीतामढ़ी, पसोल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की आवश्यकता । (16)]

"कि परिसंपत्तियां, अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव के संबन्ध में 2,00, 50,00,000 रुपये से अनधिक राशि की अनुपूरक अनुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[दरभंगा, जय नगर मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की आवश्यकता। (17)]

श्री सत्यदेव सिंह (छपरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं रेल विभाग की अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं और इसके साथ-साथ अपने माननीय नेता और रेल मंत्री श्री प्रकाश चन्द्र सेठी जी का हृदय से आभारी हूं कि उन्होंने ज्योंही रेल मंत्री का पद ग्रहण किया, अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर सच्चे जन सेवक के रूप में सार्वजनिक रूप से घोषणा की और अपने प्रथम भाषण में कहा कि जनता की रेल सेवा में जो अनास्था उत्पन्न हो गई है, सर्वप्रथम मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह रेल सेवा जनता के लिए है । इस दशा में उन्हों ने निष्ठापूर्वक काम किया है । हमारे बिहार प्रदेश में उन्होंने पलामू एक्सप्रेस जो कि पटना से डालूटन गंज कों जाती है, उसे चलाकर बिहार की अभूतपूर्व सेवा की है और इनका यह प्रयास सराहनीय है । इसमें थोड़ी सी असुविधाएं हैं इनकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा ।

पटना से 30 किलोमीटर की दूरी परजहाना बाद इस गाड़ी को पैसेंजर ट्रेन कर दिया जाता है, जिससे डाल्टनगंज से पटना आने वाले यात्रियों को काफी असुविधा होती है । इसके अलावा जहानाबाद से पटना के लिए अनेक गाड़ियां मौजूद हैं, ऐसी स्थिति में यह अवांछनीय और कष्टप्रद है । इसलिए मेरा अनुरोध है कि गाड़ी डाल्टनगंज से लेकर पटना तक एक्सप्रेस गाड़ी रहे । इसमें थोड़ी सी पानी, बिजली की दिक्कत है, आशा है माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे और सारी असुविधाएं दूर होंगी ।

(श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए)

मैंने अपने क्षेत्र के संबंध में माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध किया था कि छपरगंज से रक्सौल के बीच में कोई रेल सेवा नहीं है । इससे लोगों को असुविधा होती है । प्रश्न संख्या 2042, दिनांक 3.12.81 के उत्तर में कहा गया था कि छपरा से रक्सौल वाया नैनी, जलालपुर, बनियापुर लाइन 150 किलोमीटर लंबी होगी और इस पर 30 करोड़ रुपए की लागत आएगी । संसाधनों की कमी के कारण इस लाइन के निर्माण का काम अभी हाथ में लेना संभव नहीं है । इससंबंध में मेरा निवेदन है कि छपरा से रक्सौल के बजाए इसको मोतीहारी तक कर दिया जाए, क्योंकि मोतीहारी से रक्सौल बड़ी लाइन विद्यमान है । यह 100 किलोमीटर होगी और उस हिसाब से खर्च भी 20 करोड़ रह जाएगा ।

मेरा अनुरोध है इस ओर ध्यान दिया जाए और साथ-साथ यह भी खयाल रखा जाए कि रेलों को बदलने, रेलों की सेवा उपलब्ध करने या नई लाइनें बिछाने का जब आप काम करते हैं और जो उपेक्षित क्षेत्र हैं, वहां रेलवे लाइनें देते हैं तो लोगों की अधिक सेवा होती है। वहां की जनता वास्तव में कष्ट में है । जो क्षेत्र उपेक्षित रहे हैं, पिछड़े रहे हैं वहां पर रेल सेवा का होना अपरिहार्य है और वहां रेल सेवा उपलब्ध कराई जानी चाहिए ।

अतारांकित प्रश्न 1881 दिनांक 4?82 के उत्तर में कहा गया था कि इस नई रेलवे लाईन का प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण करने का आदेश दिया गया है ताकि इसकी तकनीकी और जिस वित्तीय व्यवहारिकत का निर्धारण किया जा सके । इन सर्वेक्षणों और परियोजनाओं को कार्यान्वित करने की कोई सम्भावना नहीं है क्योंकि संसाधनों की भारी कमी है । निकट भविष्य में निर्माण कार्य प्रा रम्भ करने के लिए धन उपलब्ध नहीं होगा । एक तरफ तो आप (ख) में कहते हैं कि धन उपलब्ध नहीं होगा और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि सर्वेक्षण के आदेश दे दिए हैं ताकि वित्तीय व्यावहारिकता का निर्धारण किया जा सके । यह विरोधाभास है जो मेरी समझ में नहीं आया है । मैं समझता हूं कि जब तक सर्वेक्षण का काम पूरा नहीं हो जाएगा तब तक इस लाइन की उपयोगिता के महत्व को नहीं समझा जा सकेगा । यह रेलवे लाइन वहां की जनता के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हो सकती है । में चाहता हूं कि इसके बारे में आप प्रयत्नशील हों और जनता के कष्टों का निवारण करें । आपकी सरकार जनप्रिय सरकार है, लोकप्रिय सरकार है । इसका कर्त्तव्य है कि जनका की कठिनाइयां और असुविधाओं को वह दूर करें ।

मैंने छपरा से मोतीहारी के बीच में रेलवे लाइन दौरें में एक प्रश्न किया (प्रश्न स०1:81 दिनांक 4.3.82) था । वहां लोगों को आने जाने की सुविधा नहीं है । मुझे उत्तर दिया गया कि हाजीपुर और समस्तीपुर हो कर छपरा से मोतीहारी तक रेल सुविधायें पहले से उपलब्ध हैं । वास्तव में हाजीपुर मुजफ्फरपुर हो कर छपरा मोतीहारी रेल सुविधा उपलब्ध है । लेकिन इन में समय, पैसा बहुत अधिक लगता है और इसके साथ साथ लोगों को अपार कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है इससे मुजफ्फरपुर ओर मुजफ्फरपुर से मोतीहारी जाने में कफी समय भी बहुत नष्ट होता है । जनहित की दृष्टि से यह अत्यन्त ही हानि कारक रेलवे लाइन होगी । मेरा अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में अति शीघ्र ध्यान दिया जाए ।

तारांकित प्रश्न 277 जो 3 सितम्बर 1981 को पूछा गया था उसके उत्तर में कहा गया था कि छपरा दिल्ली 7 रेल सेवा सम्भव नहीं है क्यों कि छारा से बाराबंकी होकर जो लाइन आती है उसकी छतटं कम है और छारा का जो टर्मिनल है वहां सुविधायें कम हैं, रेल के डिब्बों की कमी है । मैं पूछना चाहता हूं कि वरोनी से बाराबंकी तक बडी लाइन बनाने का तब प्रयोजना क्या रह जाता है ? गाड़ी बहुत धीरे चलती है, बहुत समय लगाता है । लाइन नई होने की वजह से वह तेज नहीं चलती है : गोरखपुर से छपरा 8.10 घटे लगते हैं । छपरा से हावड़ा; छपरा से गोहाटी तक और छारा से दिल्ली तक सीधी रेल लाइन नहीं देते हैं तो बड़ी लाइन बनाने का प्रयोजन ही क्या रह जाता है । अपमान परिवर्तन से तब क्या फायदा हुआ । यह लोकप्रिय सरकार है । इसको जनता की कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए और इस दशा में शीघ्र उचित कदम उठाने चाहिए ।

छपरा वारापासी आमान परिवर्तन के सम्बंध में अतारांकित प्रश्न सख्या 1954 विधि 4.3.1 82 के उत्तर में यह बताया गया था कि छपरा वाराणसी के आमान परिवर्तन का 205

किलोमीटर लाइन का काम प्रति कर रहा है और इसकी रिपोर्ट सितम्बर 1982 तक आ जाएगी मेरा निवेदन है कि इस में शीघ्रता लाई जाए। लोक हित की दृष्टि से यह अत्यन्त महत्वपूर्ण काम है।

पटना में दो घाघाट पहले जाघाट में गंगा पर रेल पुल के सम्बन्ध मे अतारांकित प्रश्न 3276 जो 29 जुलाई को पूछा गया था उत्तर में बताया गया था कि गंगा पर पुल के निर्माण के लिए उपयुक्त स्थान चुनने के लिए केन्द्रीय जल और बिजली अनुसधान केन्द्र समस्त पुर्णा मे नमूना परीक्षण किए जा रहे हैं।

यह परीक्षण अन्तिम चरण में हैं। इस पुल के लिए तकनीकी व्यावहारिक्ता अध्ययन करने के सम्बन्ध में प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण का काम भी 1981 के बजट में शामिल कर लिया गया है तथा यह काम प्रगति पर है। इसके पहले भी मेरे अतारांकित प्रश्न स० 1907 दिनांक 3.12 81 के जबाव में यही उत्तर दिया गया था कि काम प्रगति पर है। यह प्रगति का उत्तर कब तक दिया जाता रहेगा? यह पुल बनना बहुत ही जरूरी है और इसको शीघ्र बनाया जाय जिससे उत्तर बिहार के सारन, सिवान, गोपालगंज, और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया, बलिया और जोनपुर जिलों का सर्वांगीण विकास हो सके। यह तभी सम्भव है जब पटना में दीघा घाट और पहलेजा घाट के सामने एक रेल पुल दिया जाय। इसलिये मेरी मांग है कि इस को आप शीघ्र पूरा करें।

इसी तरह से छपरा-पारंख रोड पर एक ऊपरी पुल अत्यन्त आवश्यक है। अतारांकित प्रश्न स० 1558 दिनांक 26 2 81 के उत्तर में कहा गवा कि छपरा कचहरी स्टेशन के पूर्व में छपरा-पारंख रोड पर ऊपरी सड़क पुल बनाने के प्रस्ताव पर राज्य सरकार के परामर्श से रेलवे विचार कर रही है। लेकिन अभी तक इस दिसा में कोई प्रगति कहीं हुई है। इसी तरह से अतारांकित प्रश्न सं० 10203 दिनांक 29 4 81 के उत्तर में कहा गया कि छपरा कचहरी यार्ड के पूर्वी छोर पर स्थित समपार संख्या 45 को जिला मैजिस्ट्रेट, छारा के अनुमोदन से बन्द किया गया था। सड़क यातायात की निकासी की व्यवस्था मौजूदा समपार संख्या 43 से कर दी गई थी। यह बहुत दूर है। आपने जिला पदाधिकारी से तो परामर्श कर लिया लेकिन स्थानीय एम० एल० ए० और एम० पी० से परामर्श नहीं किया जिसका नतीजा यह हुआ कि लोगों को काफी दिक्कत होती है। हमारी मांग है कि जिस गुमटी को बन्द कर दिया है उसके ऊपर एक पुल दिया जाय और छपरा स्टेशन के पश्चिम छपरा-बनियापुर रोड पर भी, जिनके बारे में उन्होंने आश्वसान भी दिया है कि बिहार सरकार के पहामर्श से यहां पर ऊपरी पुल के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन है, इस पुल को भी शीघ्र दिया जाय क्योंकि यह अनिवार्य है। इसी तरह से अवतारनगर स्टेशन का भी विकास करना आवश्यक है।

छपरा स्टेशन से पूर्व और पश्चिम जाने के लिए गाड़ियों में रिजर्वेशन की सुविधा नहीं है। मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि इस ओर भी आप ध्यान दें जिससे हमारे लोगों को कष्ट न हो।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अनुपूरक मांगों का हार्दिक समर्थन करता हूं और माननीय रेल मंत्री जी के जनोपयोगी दृष्टिकोण के लिये आधार प्रकट करता हूं।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : सभापति महोदय, रेलवे की अनुपूरक मांगों पर यह सदन विचार कर रहा है और हर साल यही देखा जाता है, माननीय सेठी जी यहां बैठे हुए हैं और यह भी मैं जानता हूं कि उनका जवाब यही हो सकता है इन लोगों के लिये कि क्योंकि बाजार में कीमतें बढ़ गई हैं इसलिए हमें अनुपूरक मांगों की जरूरत पड़ी है। लेकिन हर बार यही देखने को मिलता है कि अनुपूरक मांगें बगैर देश का कोई भी विभाग नहीं चल सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले सालों में अगर आप रेल मंत्री रहे··· मुझ तो शक है कि आपको रहने दिया जायेगा या नहीं।

(व्यवधान)

हमारी इच्छा है कि आप रहें और आप अच्छी व्यवस्था रेलवे को कर पाये, लेकिन आप आगे के लिए यह सोचिये क्योंकि हमारे देश की कलेक्टिव रिस्पौन्सिबिलिटी है। उसको देखते हुए आपको विचार करना चाहिए।

जिस वक्त पूरे वर्ष के बजट और उसकी योजनाओं पर आप विचार करते हैं, तो रेलवे के हर डिपार्टमेंट से हर वर्ष उनकी डिमाण्ड मांगते हैं कि फ्यूचर में किन योजनाओं पर काम करना है और पीछे की कौन सी योजनाओं पर काम करना है। मेरा कहना है कि उनका सबका हिसाब-किताब बनाकर आप रेलवे बजट लायें, चाहे घाटे का ही लायें लेकिन इस तरह से बजट पेश करें कि आगे इस सदन में सप्लीमैंटरी डिमाण्ड पर विचार करने की जरूरत न पड़े।

दूसरे सदस्यों ने अपने क्षेत्रों की बात कही है, लेकिन मैं जनरल सवाल उठाना चाहता हूं। हालांकि इस सदन और इस देश की जनता का दुर्भाग्य है कि बार बार रूलिंग पार्टी और अपोजिशन के सदस्यों द्वारा मांग उठाने के बावजूद भी उस पर कोई इम्प्लीमैंटेशन सरकार का नहीं होता है। हम लोग अपनी मांग उठाकर सन्तुष्ट हो जाते हैं। चाहे वह डागा साहब कहें या हम लोग कहें। इस देश में सबसे बड़ा सवाल रेलवे यात्रियों की सुरक्षा का है। आज पूरे देश के लोग रेलवे के कम्पार्टमेंट में जाते हुए, सफर करते हुए डरते हैं क्योंकि उन की अपनी सुरक्षा का सवाल उनके सामने होता है। आज रेलों में लूट खसोट, डकतियां और बलात्कार होते है। मैंने यह सवाल पीछे भी उठाया था कि इस तरह की व्यवस्था की जाये जिससे यात्रियों में यह विश्वास हो सके कि उनकी कम्पार्टमेंट सुरक्षा रहेगी। स्पेशल गाड़ियों में तो आप थोड़ा बहुत कुछ इन्तजाम कर पाये हैं, लेकिन सेकिंड ट्रेनों और पैसेन्जर ट्रेनों में जो लूट हुई है उनकी सुरक्षा का आप इन्तजाम नहीं कर पाये हैं। मेरा निवेदन है कि उनमें भी आप पुलिस का इन्तजाम करें।

अभी मैं देख रहा था, कि आपके डिपार्टमेंट में के लोग भी बहुत लूट खसोट करते हैं। राजस्थान से ए स्पेशल ट्रेन तीर्थयात्रा के लिए चली वहां के व्यवस्थापक ने यात्रियों का 5

लाख रुपया लूट लिया। उसने यात्रियों को इस तरह से गुमराह किया कि, राजस्थान से चले तो दिल्ली आये, दिल्ली से हरिद्वार और ऋषिकेश और वहां से फिर मथुरा गये। वहां जाकर देखा तो व्यवस्थापक गायब, कोई गाडी नहीं। 5 लाख रुपया रेलवे के कर्मचारियों ने उसे ठगा। यह बात अखबारों में भी आई है। मैं पूछना चाहता हूं कि जिन कर्मचारियों ने यह 5 लाख रुपया लूटा है, उनके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की है।

रेल मन्त्रालय तथा ससदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : वह प्राइवेट एजेन्ट था।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : वह प्राइवेट आदमी था जिसने गाड़ी हायर पर ली थी। हमने तो बल्कि उन मजबूर पैसेन्जर्स को मथुरा से उनके डेस्टीनेशन तक विद्आउट एनी एक्सट्रा चार्ज लिये वापिस भेजा है।

श्री जगपाल सिंह : प्राइवेट ऐजेन्ट के एंगेज करने के बाद उन यात्रियों को आपके डिपार्टमैंट के अफसरों और कर्मचारियों ने रेलवे कंपार्टमेंट में कैसे एन्ट्री दी। क्या रेलवे स्टेशन पर आपके अधिकारियों के दिमाग में यह बात नहीं आई कि इतना बड़ा एंगेजमैंट हो जहां कि 5 लाख रुपया यात्रियों से लिया गया है, उनको रेलवे में सफर करने की इजाजत दी गई हो तो आपके विभाग की भी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी थी। उन लोगों से पैसा लिया गया है, किराया लिया गया है।

यही घटना नहीं है, हर स्टेशन पर चोरी, लूट और इस तरह के जेब कतरे रहते हैं जिनसे बाकायदा पुलिस की फोर्स मिली हुई होती है। उसमें आपकी जी० आर० पी० शामिल होती है, वह लोग सब कराते हैं। एक एक बदमाश के बारे में उनको पता होता है, कौन कौन लोग आपके डिपार्टमेंट के हैं, उन्हें मालूम होता है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है।

सुरक्षा के मामले में एक बात और ध्यान देने की है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि जब गाड़ी यार्ड में जाये या जहां मरम्मत होती है तो यह तो देख लेना चाहिये कि कंपार्टमेंट के दरवाजे में चिटखनी ठीक ठीक है या नहीं। वहां पर इसकी तो मरम्मत होनी चाहिये। जब यात्री लाइट बुझाकर सफर करते हैं और कोशिश करते हैं कि चटखनी बन्द कर दी जाये तो वह वहां से गायब होती है। ऐसी सूरत में गाड़ी लुट जाती हैं और पैसेन्जर्स अपने आपको निस्सहाय महसूस करते हैं।

लाइट वाले मामले में ट्रेन यात्रियों को रोशनी कब मिलती है, इस पर भी सोचना चाहिये। जब गाड़ी भागती है, 80, 90 किलोमीटर की स्पीड पर तो आपकी गाड़ियों में भी लाइट तेज भागती है और जब गाडी स्टेशन पर रुकती हैं जहा पर कि पैसेन्जर्स को लाइट की ज्यादा जरूरत होती है तो आपकी गाड़ियों में लाइट बिल्कुल मन्द पड़ जाती है।

पूरी की पूरी ट्रेन में ब्लैक आउट होता है। स्टेशन पर यात्री कम्प्लेंट करते हैं, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं की जाती। दिल्ली स्टेशन पर हमारे साथ ऐसा हो चुका है। रेल कर्मचारी लोगों द्वारा कम्पलेंट करने के बावजूद गाड़ी को बगैर लाइट के स्टेशन पर छोड़ देते है। अंधेरे में बलात्कार की घटनाएं होती हैं। हमारी किसी बहन या माता के साथ अंधेरे में बलात्कार होता है और उससे पूछा जाता है कि आपने किसी को पहचाना। महिलाएं कैसे पहचान सकती है ?

एक्सिडेंट्स का प्रश्न अक्सर उठाया जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि जब से सेठी साहब आये हैं, तब से दुर्घटनाएं कम हुई हैं। ऐसा मालूम होता है कि पंडित जी ने दुर्घटनाओं को न रोकने की कसम खाई थी। आज भी दुर्घटनाएं हो रही हैं। लखनऊ और मिर्जापुर के बीच में हुई रेल दुर्घटना में 5 आदमी मर गए और 20 घायल हो गये। सियालदह एक्सप्रेस दुर्घटना-ग्रस्त हुई थी। आसाम मेल की दुर्घटना में 12 आदमी मर गये और 140 घायल हुए। यह तो अखबारों की रिपोर्ट है। न जाने वास्तव में कितने लोग मर गये।

फर्स्ट क्लास में सफर करने वाले लोगों के दुर्घटना में मरने पर उनके परिवारों को काम्पेसेन्ट किया जाता है। सैकंड क्लास में सफर करने वाले सैकड़ों लोग दुर्घटनाओं में मर जाते हैं। मन्त्री महोदय को इस बात पर विचार करना चाहिये कि इस प्रकार गरीब और मध्यम श्रेणी के जो परिवार निस्सहाय और बेघर हो जाते हैं, उन्हें भी काम्पेसेन्ट किया जाये।

फसल की कटाई के वक्त बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लाखों लोग अपने घर छोड़कर पंजाब और हरियाणा जाते हैं। वे टिकट लेते हैं, लेकिन उन्हें छत पर बैठकर यात्रा करनी पड़ती है। (व्यवधान) बिहार और उत्तर प्रदेश के गरीब आदमी हमेशा टिकट लेकर सफर करते हैं। एक तो उन्हें छत पर बैठकर सफर करना पड़ता और दूसरे उन्हें जी० आर० पी० के सिपाहियों को रिश्वत देनी पड़ती है, क्योंकि वे उन्हें छत से उतारते हैं। चलती हुई गाड़ी की छत पर बैठे हुये कई लोग बिजली के खम्भे और तार से टकराकर मर जाते हैं और कई आंधी और तूफान में गिर कर मर जाते हैं। मन्त्री महोदय को कटाई के वक्त उन गरीब लोगों के लिये स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था करनी चाहिए।

दिल्ली से मुरादनगर तक डबल लाइन। मुराद नगर में सहारनपुर तक सिंगल लाइन है। सहारनपुर से अमृतसर तक फिर डबल लाइन है। मुरादनगर से सहारनपुर तक का जो 80-90 किलोमीटर का टुकड़ा है, वहां गुड्ज ट्रेन्ज और पैसेन्जर ट्रेन्ज को घंटों तक रुकना पड़ता है, इस लिये उसे भी डबल किया जाना चाहिये।

मेरे क्षेत्र में इकबालपुर का स्टेशन है। इकबालपुर गुड़, अनाज और तिलहन की अच्छी मंडी है। लेकिन वहां पर लदान के लिये कोई प्लैटफार्म नहीं है। मैंने पांडे जी को इस बारे में लिखा था, लेकिन उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इकबालपुर स्टेशन पर लदान करने के लिये प्लेटफार्म बनाने की व्यवस्था करें।

*श्री ईरा मोहन (कोयम्बटूर) : सभापति महोदय, रेल मन्त्री श्री प्रकाश चन्द सेठी द्वारा सरन में जो रेल की अनुदानों की अनुपूरक मांग पेश की गई है। मैं अपनी ओर से व अपने दल डी० एम० के० द्वारा कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

अनुपूरक मांगों में दक्षिण रेलवे में डबल लाइन बिठाने के लिए 3 करोड़ रु० का प्रावधान किया गया है। तथा 1 करोड़ रु० कासर वीनीगुल दुहरी लाइन के लिए और 20 लाख रु० तिरुनेलवेली तलाययुथु दुहरी लाइन के लिए किया गया है। इस धन के आबंटन के लिए मैं माननीय मन्त्री महोदय का आभारी हूं और उनसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि इन तीन करोड़ रु० की राशि में से काफी रकम तमिलनाडु क्षेत्र में लाइनों के विकास के लिए आवंटित की जाए। मुझ विश्वास है कि हमारे रेल मन्त्री मेरी इस नम्र निवेदन को स्वीकार करेंगे।

श्रीमन एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि सारे देश में वैगनों की कमी है। इसका मुख्य कारण वैगनों की बरामदी है। केवल 30 प्रतिशत वैगनों का ही उपयोग हो रहा है और शेष वैगन या तो मरम्मत के लिए पड़े हुए हैं या बेकार हो गए हैं। इन रेल वैगनों के उपलब्ध न होने से औद्योगिक उत्पादन पर कैसा बुरा दुष्प्रभाव पड़ रहा है, इसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं।

बरेली, उत्तर प्रदेश में, सिथेटिक्स और केमिकल्स का एक बड़ी औद्योगिक इकाई है। देश के टायर उद्योग और जूता उद्योग में काम आने वाले कृत्रिम रबड़ का यहां निर्माण किया जाता है। इस बात के बावजूद कि कोयला काफी मात्रा में उपलब्ध है जिसके बारे में समाचार पत्रों में पूरे पृष्ठ के विज्ञापन भी दिए जाते हैं; इस औद्योगिक इकाई को उसकी कुल आवश्यकता का केवल 40 प्रतिशत ही कोयले के वैगन मिल रहे हैं। जिसकी वजह से इस इकाई में पूरी क्षमता से उत्पादन नहीं हो रहा है। इस इकाई में उसकी स्थापित क्षमता का केवल 40 प्रतिशत ही उत्पादन हो रहा है। इसका एक और असर भी होता है। कृत्रिम रबड़ की कमी को देखते हुए, यह सुना गया है कि सरकार ने सप्लाई की इस कमी को पूरा करने के लिए कृत्रिम रबड़ के आयात की अनुमति दे दी है। लेकिन जैसा कि होता रहा है, पर्याप्त मात्रा में आयात किया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी बहुमूल्य विदेशी मुद्रा का अपव्यय किया जा रहा है।

हमारी माननीय प्रधान मन्त्री ने जो 1982 को उत्पादकता वर्ष घोषित किया है, उसे आप वैसे सफल बनायेंगे। 1982 को सफल उत्पादकता वर्ष बनाने में, रेलवे को मुख्य भूमिका निभानी है। मुझे विश्वास है कि रेल मन्त्री इस बात का ध्यान रखेंगे और वैगनों की पूर्ति के सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठायेंगे। इस तरह का नुकसान उठाने वाली, यही एक मात्र औद्योगिक इकाई नहीं है। सारे देश में ऐसी कई औद्योगिक इकाइयां हैं जो कि रेल वैगनों के न मिल पाने से असम बन गई हैं।

*तमिलनाडु में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

श्रीमन, इसमें कोई एक नहीं कि रेल दुर्घटनाओं में कमी तो हुई है, परन्तु यह पूरी तरह समाप्त नहीं हुए हैं लोगों के लिए खासकर दक्षिण से उत्तर आने वाले रेल यात्रियों के लिए रेल यात्रा मुश्किल हो गई है । चोरी और डकैती की आम घटनाओं की वजह से महिलाओं का रात में चलना खतरनाक हो गया है । जब तक यात्रियों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रबन्ध नहीं किए जाएंगे, तब तक दक्षिण से उत्तरी तरफ लोग यात्रा करने से हिचकिचाएंगे । माननीय रेल मन्त्री को इस ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए । इसी प्रकार हर वर्ष 100 करोड़ रु० रेल सम्पदा की या तो चोरी होती है या हेरा फेरी की जाती है । हालांकि रेलवे सुरक्षा बल भी है लेकिन अक्सर यह सुनने में आता है कि इससे रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों का भी हाथ है, माननीय रेल मन्त्री को रेलवे सुरक्षा बल की ओर सचिव बनाना चाहिए ।

देश में अपने किस्म की अकेली दूर संचार और सिगनल फैक्टरी, पोदनूर, तमिलनाडु में है । मैंने कई दफा इस सभा में इस इकाई के और विस्तार के बारे में कहा है । मैंने इस बारे में माननीय रेल मन्त्री को भी पत्र लिखे हैं । अगर इस इकाई का विस्तार किया जाता है तो, इसके उत्पादित होने वाले कल-पुर्जों जो कि इस समय विदेशों से मंगाये जाते हैं । उन पर होने वाली विदेशी मुद्रा को काफी हद तक बचाया जा सकता है । असल में अगर हम कोयम्बतूर के निकट की पोदनूर स्थित का विस्तार करते हैं तो हम इन परिष्कृत उपकरणों का निर्यात भी करने में भी समर्थ हो सकते हैं । मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस पर व्यक्तिगत रूप से विचार करें । इससे पहले कि मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा मैं यह बताना चाहता हूं कि उत्तर कोयम्बटूर और सिंगनालूर ओंडीपुथुर के रेल फाटक एक दिन में दस दफा से अधिक बार खोला तथा बन्द किया जाता है । जिसमें सड़क पर चलने वाले वहां के लोगों को काफी असुविधा होती है । इन दोनों स्थानों पर फ्लाई-ओवर (पुलों) का निर्माण होना चाहिए । हालांकि रेल विभाग इस कार्य को करने के लिए सहमत है; राज्य सरकार इस कार्यवाही में देर कर रही है । मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस मामले पर राज्य सरकार से सम्पर्क करके आगे शीघ्र कार्यवाही करें ।

मद्रास-तिरुचिरापली मीटर गेज की बड़ी लाइन में अवश्य ही बदला जाना चाहिए, मै माननीय रेल मन्त्री से निवेदन करूंगा कि वे अपने पद का उपयोग मद्रास में भूमिगत रेल चलाने के लिए योजना तैयार करने और इसे छठी पंचवर्षीय योजना में शमिल किए जाने के लिए करें ।

इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

श्री रामवतार शास्त्री (पटना) : सभापति जी, सबसे पहले तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूं कि रेल गाड़ियों का विलम्ब से चलना अभी भी जारी है । आज मैं जिस डीलक्स ट्रेन से आया वह तीन घण्टे लेट थी । मैं पहले भी कह चुका हूं कि दिल्ली से कलकत्ता की तरफ

जाने वाली एक भी गाड़ी समय पर नहीं चलती है। आज सायंकाल इस विषय पर आधे घण्टे की चर्चा होनी है इसलिए उस समय ही आप विस्तार से इसके बारे में सुनियेगा।

जहां तक रेलवे में भ्रष्टाचार का सम्बन्ध है, मैं दो-तीन उदाहरण देना चाहूंगा। एक प्रकार से तो रेलवे में भ्रष्टाचार का साम्राज्य है। मेरे पास बिहार के "सर्चलाइट" और "प्रदीप" अखबारों की दो कतरनें हैं। सर्चलाइट में अंग्रेजी में जो लिखा हुआ है उसकी चार-पांच लाइनें पढ़कर आपको सुनाना चाहता हूं :

"दानापुर रेलवे स्टेशन भ्रष्टाचार अपराध का केन्द्र।" पूर्वी रेलवे के दानापुर मण्डल में कुछ भी ठीक नहीं लगता है। इसका सबसे अधिक कुप्रभाव पटना जंक्शन पर पड़ता है। यह भ्रष्टाचार और अपराध का अड्डा बन गया है।"

इसमें और भी बहुत सी बातें हैं। मैं कल अपनी चिट्ठी के साथ दोनों कतरनें भेजूंगा।

सभापति महोदय : आप मेजर प्राब्लम्स, अपने टाइम लिमिट के अन्दर, प्लाइन्ट आउट कीजिए।

श्री रामवतार शास्त्री : दूसरी बात यह है कि बहुत पहले पटना में एक टिकट घोटाला काण्ड हुआ था :

टिकट घोटाला काण्ड में चर्चित रेल अधिकारी पुनः पटना में

पटना जंक्शन के स्टेशन अधीक्षक श्री जगदीश उपाध्याय को मुगल सराय में सहायक परिचालन अधीक्षक के पद पर स्थानांतरित कर उनके स्थान पर 14 मार्च, 1980 के टिकट घोटाला काण्ड में चर्चित श्री गुरुनानक प्रसाद को पटना जंक्शन का स्टेशन अधीक्षक बनाया गया है;

आप पता लगायें कि वह सही है या गलत। अगर सही है तो फौरन उनको चलता करें।

सभापति महोदय : आप मन्त्री को पत्र लिख सकते हैं। यह दर अलग-अलग बातें उठाने की क्या आवश्यकता है ?

श्री रामवतार शास्त्री : फिर यह पार्लमेंट किस बात के लिए है ? अब अखबारों में आ गया फिर यह इन्डिवीजुअल कैसे रह गया ? चूंकि मैं वहां का रहने वाला हूं इसलिए यह बातें कह रहा हूं।

सभापति महोदय : आप अपना टाइम भी देखें।

श्री रामवतार शास्त्री : मैं कम ही बोलूंगा क्योंकि मेरा गला खराब है।

अब मैं भ्रष्टाचार के सिलसिले में आपको उदाहरण दे रहा हूं टी० सी० कामर्शियल क्लर्क नम्बर टेंकर, सिगनल आदि चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को तृतीय वर्ग में प्रमोशन देने में एक एक आदमी से दो हजार रुपए से लेकर पांच हजार रुपए दानापुर में वसूले गए।

एक माननीय सदस्य : किसने लिए ?

श्री रामवतार शास्त्री : वहां के सबसे बड़े आफिसर ने। मैं तो यह कह रहा हूं कि वहां के डी० आर० एम० के यहां ऐसा हो रहा है। फिर कुली लाइसेंस की बाहली में भी यह बात हो रही है। दानापुर बराबर से इस बात के लिए मशहूर है। पहले भी इस तरह की बातें होती रही हैं।...(व्यवधान)...दस या बारह ए० एस०एम० दानापुर डिवीजन में है, जो एक साल से बेकार बैठे हुए हैं। उनकी फाइल डी० आर० एम० के पास रखी हुई है, क्योंकि वे कुछ नहीं दे पा रहे हैं।, इसलिए उनके बारे में कुछ नहीं हो पा रहा है और फिर क्यों एक साल से सरकारी कर्मचारी चुपचाप बैठा रहेगा। मैं कहना चाहता हूं कि मन्त्री महोदय का ध्यान इन बातों की तरफ जाना चाहिए। मैं आज पटना से ही आ रहा हूं, वहां पर मुझे ये बातें बताई गई हैं। ये बातें अगर गलत साबित हों, तो कह दीजिए कि गलत है, अगर सही हों तो सरकार को ध्यान देना चाहिए, ताकि इस तरह की बातें आगे पैदा न हों। अनुकम्पा के आधार पर भर्ती किए जाते हैं, पैसा न देने की वजह से वे गरीब बेचारे मारे जाते हैं और दूसरे लोगों की भर्ती हो जाती है। हम लोगों ने कई दफा डी० आर० एम० से मिलने के लिए समय मांगा, तो कहा जाता है कि समय नहीं है। उनके पास संसद सदस्यों के लिए भी समय नहीं है। वे पार्लियामेंट के मेम्बरों से नहीं मिल सकते हैं।

एम माननीय सदस्य : मन्त्री जी को इस सम्बन्ध में कोई पत्र लिखा है;

श्री रामवतार शास्त्री : आप ही अध्यक्ष है। आप बार-बार बीच में बोल रहे हैं। जब आप बीच में बोल रहे थे, तो मैंने बीच में कुछ नहीं कहा था। मैं चाहूं तो आपको बोलने नहीं दूंगा। यह मैं कहा करता हूं कि ये दिन रात गोलमाल करने वाले लोग हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : शास्त्री जी, आप इधर देखिए, तो अच्छा होगा।

श्री रामवतार शास्त्री : ऐसी बात है, तो बोलना बन्द कर दूंगा। समय भी कम है और बीच में बोलने जा रहे हैं, जैसे सबसे सजग एम० पी० आप ही हैं। अगली दफा जीत कर भी नहीं आयेंगे और अगली दफा मैं जाऊंगा। क्या बात करते हैं। ...(व्यवधान)...

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : शास्त्री जी आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री रामवतार शास्त्री : अब मैं कुछ स्थानीय बातों के बारे में कहना चाहता हूं। मैं आपको एक नई बात बताना चाहता हूं। परसों जब हम पटना जा रहे थे सोनभद्र में बैडिंग का चार रुपया तो लगता था, जो कि अब दस रुपया कर दिया गया। आप हमें यह बतायें कि यह कहां का इन्साफ है, चार रुपए से छः रुपए किया जाता तो बात समझ में आ सकती थी। छपरा के संसद सदस्य भी मेरे साथ जा रहे थे, उनको भी दस रुपया देना पड़ा। इस का विरोध तो सबको करना चाहिए। यह मेरी बात नहीं हैं, मैं तो बैडिन लेता ही नहीं हूं।

एक बात मैं रेलवे यूनियन्स के बारे में कहना चाहता। हूं जो रिकागनाज्ड नहीं है, जैसे आल इण्डिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन मैकेनिकल स्टाफ एसोसिएशन टिकट चैकिंग स्टाफ एसोसिगशन आदि बहुत सारी यूनियनें हैं, इनके कार्यकर्ताओं को, नेताओं को ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज करने पर बाहर निकाल दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है, नौकरी से निकाल दिया जाता है। इस प्रकार रनिंग स्टाफ के पांच हजार से ज्यादा लोग आज भी नौकरी से बाहर हैं। अधिकारी मनमानी करते हैं, जो चाहते हैं, जब चाहते हैं, हटा देते हैं। कहा जाता है कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से ऐसा करना जरूरी है।

हमने कोई सजा उनको नहीं दी। हमारी नीति सजा देने की नहीं है। यह पिटा-पिटाया जवाब चला आता है। इस को रोकना चाहिए।

पटना से गया लाइन का सवाल हम यहां बार-बार उठाते रहे हैं। मैं ही नहीं, उस पक्ष के सदस्य भी उठाते रहे हैं कि पटना से गया जाने में 3 घण्टे ज्यादा लगने चाहिए, लेकिन हर गाड़ी 8 घण्टे में पहुंचती है। इसलिए कि लाइन इकहरी है, रास्ते में आब्स्ट्रक्शन मिलती जाती है। पटना बिहार की राजधानी है, हजारों आदमी दफतरों में काम करने के लिए आते हैं, लेकिन लेट पहुंचते है। इस लिए मेरा पहला निवेदन यह है कि इस को दोहरी लाइन किया जाय दूसरे वहां बर्थन ट्रेन चलाई जायं ताकि लोग समय आ जा सकें।

आखरी बात में पहले भी कह चुका हूं और आज फिर कह रहा हूं। सोनभद्रा एक्सप्रेस पेन्ट्री-कार नहीं है। आप दूसरे एम० पी० से भी पूछ लीजिए कि कितनी तकलीफ होती है। रात भर का सफर रहता है, रात को खाना चाहिए, सुबह चाय चाहिए-अगर उस गाड़ी में आप पेन्ट्री-कार नहीं लगायेंगे तो उससे लोगों को बहुत परेशानी होगी। जगह-जगह स्टेशनों पर जो आप भोजन व्यवस्था है वह इतनी रद्दी है कि उस से काम नहीं चल पाता है। जब सब गाड़ियों में पेन्ट्री-कार लगी हुई हैं, तो इस गाड़ी में भी रखने से कोन सा आसमान फट जाएगा। आपने गाडी को अब नई दिल्ली लाना बन्द कर दिया है, पुरानी दिल्ली पर ही इसको रोक देते हैं। दातर लोग इस गाड़ी से नई दिल्ली आते हैं, लेकिन अब बाध्य होकर उनको पुरानी दिल्ली रना पड़ा है जिसमें उ।को बहुत परेशानी होती है आप ने टाइम टेबिल में भी नई दिल्ली

स्टेशन तक दिखलाया है, लेकिन एशियाड के नाम पर कि कोई नयी लाइन बन रही है, इसलिए उसको दिल्ली में ही रोक देते हैं। यह गलत है उसको नई दिल्ली तक लाइए।

श्री राकेश (चेल) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं रेल मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि रेल मन्त्रालय में आप के आदेश चलते है या रेलवे बोर्ड के चेअरमेन के। मैं आप के सामने उदाहरण सहित एक तथ्य रखना चाहता हूं 2 जुलाई को कन्सलटेटिव कमेटी की मीटिंग में मैंने कहा था कि नार्दन रेलवे के इलाहाबाद मंडल में एक गार्ड से 25 दिन तक काम लिया गया। इस पीरियड में जब उस को रेस्ट नहीं दिया गया तो वह अपने चीफ कन्ट्रोलर के पास गया, एप्लीकेशन लेकर गया तो उससे कहा जाता कि छुट्टी लेना हो तो पाकिस्तान चले जाओ। उसके बाद जब वह ऊपर के अधिकारी के पास जाता है, डिवीजनल सुप्रीन्टेन्डेन्ट के पास जाता है, तो उससे कहा जाता है अगर उन्होंने तुम को पाकिस्तानी कहा है, तो मैं तुमको हिन्दुस्तानी कहां कहता हूं। 149 गार्डों का सिग्नेचर किया हुआ पत्र, जो उस मौके के गवाह थे, इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ मैंने कन्सटेंटिव कमेंटी की मीटिंग में दिया। इसके अलावा आल इण्डिया मुस्लिम मजिलिस, इलाहाबाद ने आंपका पत्र दिया, इलाहाबाद कांग्रेस (आई) के जेनरल सैकेटरी, शहर कांग्रेस (आई) इलाहाबाद के सैकेटरी से आप को लिखकर दिया, लोकदल के अध्यक्ष इण्डियन यूनियन मुस्लिम लोग के अधिकारियों ने लिखकर दिया। जब सारे लोगों ने लिख कर दिया और जब आप ने प्राइमा-फेसी केस पाया तो उन दोनों अधिकारियों का ट्रांस्फर कर दिया।

इसके बाद जब केश इन्स्टीट्यूट नहीं हुआ, तो 10 तारीख को जब मैंने आप को नहीं पाया, तो एम० एस० आर० के पास गया और एम० एस० आर० को सारे तथ्यों की जानकारी दी और उन से कहा कि रेलवे में अगर कोई एम्पलाई मुसलमान है और वह पाकिस्तानी हो सकता है, तो आप तो रेलवे में मन्त्री ही; बड़े पाकिस्तानी हुए। इसके बाद उन्होंने तथ्यों की जानकारी करने के बाद उन दोनों अधिकारियों को ससपेंड कर दिया लेकिन इसके बाद भी उनका आदेश एक्जीक्यूट नहीं हुआ। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को उसका आदेश को एक्जीक्यूट करना था। फिर मैंने 31-7-82 को पुनः एम० एस० आर से बात की और उन्होंने उन अधिकारियों को बुलाया और नदर्न रेलवे के जी० एम० को बुलाया उन्होंने यह कहा कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन साहब का आदेश यह है कि अधिकारी जो है, वे इससे डीमोरेलाइज हुए हैं, इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो सकती।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : एक गम्भीर बात है। इसके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री आर० एन० राकेश : मैं आपसे आशा करता था कि उन दोनों अधिकारियों के खिलाफ आप कार्यवाही करेंगे, जिन्होंने संविधान के खिलाफ हरकतें की है, संविधान की अवहेलना की

है और नकी भारतीय नागरिकता को चेलेन्ज किया है। हम आशा करते थे कि उनके खिलाफ आप केस रेजिस्टर करेंगे और उनको उठा कर जेल के शिकन्जों में बन्द करेंगे लेकिन इसके बाद रेलवे बोर्ड का चेयरमैन उनको प्रोटेक्शन देता है। मैं नहीं समझ पाया हूं कि आदेश आपका चलता है या रेलवे बोर्ड के चेयरमैन का चलता है। जो जुर्म उन दोनों अधिकारियों ने किया है, वही जुर्म रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सम्बन्धित अधिकारियों ने किया है और इन तीनों अधिकारियों को जेल के शिकन्जे में बन्द करना चाहिए। मैं हाउस से मांग करता हूं कि ऐसे लोगों को चाहे वे किसी भी विभाग में हों, जिन्होंने उनकी नागरिकता को चेलेन्ज किया है, जेल के शिकन्जे में बन्द करना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि,इस सवाल को पुनः उठाने के लिए आप मुझे मजबूर नहीं करेंगे और आप अपने आप को मन्त्री के रूप में रखेंगे और अपने आदेशों को चेयरमैन और ब्यौरोक्रेट्स के आदेशों से सुपरसीड नहीं होने देंगे।

एक दूसरी बात की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 31-7-82 को लोक लेखा समिति ने आप के मन्त्रालय की जमीनों पर जो अवैध कब्जा किया हुआ है, उस ओर ध्यान आकर्षित किया हुआ है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि रेलवे मन्त्रालय को अभी इतना भी नहीं पाता है कि कितने सारे लोगों ने उस की जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है, नाजायज कब्जा किया हुआ है। नदर्न रेलवे की मिसाल उसने दी है। इस कमेटी ने बताया है कि 82 हजार मामले ऐसे हैं जिनमें अवैध कब्जा किया हुआ है और उनमें से 15681 मामलों में ही बेदखली की कार्यवाही हुई है। यह हालत तब है जब कानून में आपको पूरी छूट है और कार्यवाही करने का अधिकार दिया हुआ है। केनाट प्लेस, दिल्ली में ओरियन्टल बिल्डिंग एण्ड फर्निसिंग कम्पनी ने आपकी करोड़ों रुपये की सम्पति पर कब्जा किया हुआ है और 2743 वर्ग मीटर पर नाजायज कब्जा किया हुआ है और उसको आप खाली नहीं करा पा रहे हैं। आप क्यों नहीं इस जमीन को खाली करा पा रहे है? इससे देश का अहित हो रहा है।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आजादी के बाद नागालैंड में, मनीपुर में, उत्तर रेलवे ने तमाम जगहों पर रेलवे लाइनें बिछाई हैं लेकिन मैं बताना चाहता हूं। कि आजादी से पहले अंग्रेजों के सामने मैं भगवान बद्रीनाथ और केदारनाथ की कोटद्वार से जोड़ने के लिए एक सर्वे हुआ था। वह रिपोर्ट आप के मन्त्रालय में सुरक्षित पड़ी है। करोड़ों लोग देश के विभिन्न भागों से बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए जाते हैं और वहां पर रेलवे लाइन नहीं है। उस को आप रेलवे से जोड़ने की व्यवस्था करें। जब भारत के पूर्वी क्षेत्र में आप रेलवे लाईनों का जाल बिछा रहे हैं, तो गढ़वाल मंडल की वह उपेक्षा क्यों कर रहे हैं। इस को जोड़ने की भी आप कोशिश करें।

एक आखिरी बात में केजुअल लेकर के बारे में कहना चाहता हूं। उनके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। एक घटना मैंने आपको बताई थी। मिसाल के तौर पर उन लोगों के डाकूमेंट्स बदले जाते हैं। सर्विस डाकूमेंट्स बदले जाते हैं। सारे फैक्टस् को, आइडैंटीटी कार्ड को, उसके रजिस्टर

को, उसके सारे डाकुमेंट्स को हम दिये लेकिन आपके मन्त्रालय ने सारे डाकुमेंट्स को गायब कर दिया। रजिस्टर में दर्ज हैं लेकिन सारे डाकुमेंट्स गायब हैं। आपने लिखा है कि रेलवे के इंटेलिजेंस विभाग द्वारा उनकी जांच हो रही है, रेलवे द्वारा उनकी इन्क्वायरी की जा रही है। कहीं किसी के पास अब वे डाकूमेंट्स नहीं हैं।

इन शब्दों के साथ में आपकी इन पूरक मांगों का विरोध करता हूं। मन्त्री जी आप मन्त्री नहीं हैं, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन मन्त्री हैं। जब तक आप में यह क्षमता नहीं आ जायेगी कि रेलवे में आपका आदेश चलेगा, चेयरमैन रेलवे बोर्ड का आदेश नहीं चलेगा, तब तक मैं आपके बजट का कस कर और जम कर विरोध करूंगा।

अन्त में मैं आपसे यही कहता हूं कि जो मैंने कहा है उस पर आप ध्यान दें।

सभापति महोदय : अब पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री एक वक्तव्य देंगे, मैंने इनको अनुमति दी है। श्री शिव शंकर।

बम्बई हाई तेल क्षेत्र में खोदे जा रहे एक कुएं के फट जाने के बारे में वक्तव्य

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : मैं सदन को बहुत दुःख के साथ यह सूचित करता हूं कि 30 जुलाई को रात्रि 9.30 बजे एस० जे० नामक प्लेटफार्म जो बम्बई पाई अपतटीय क्षेत्र के दक्षिण भाग में स्थित है, तट से लगभग 100 मील की दूरी पर, जिसकी स्थिति 19°26 उत्तर 71° 18' पूर्व है, मैं एक धमाका हुआ था। वहां पर तेल संकेतों सहित गैस का अनियंत्रित बहाव हो रहा है। इस प्लेटफार्म में एक नई संरचना में "सागर विकास' नामक जेकअप रिग एक कूप का व्यधन कर रहा था जहां कि उपलब्ध भू-वैज्ञानिक तथा भण्डार आंकड़ों से हाइड्रोकार्बनों की विद्यमानता के संकेत मिले थे। धमाका उस समय हुआ था जबकि व्यधन लगभग 1660 मीटर की गहराई में किया जा रहा था। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के 74 कार्मिकों को जो रिग में सवार थे इस खतरनाक स्थिति में बिना किसी दुर्घटना के हैलीकाप्टरों द्वारा बाहर निकाल लिया गया था। गम्भीर खतरे के बावजूद। अगस्त, 1982 को तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का एक अधिकारी रिंग पर चढ़ने में समर्थ हो गया था तथा आगे किसी और दुर्घटना को रोकने के लिए जैनरेटरों को बन्द कर दिया गया। दुर्भाग्य से आज प्रातः 06.17 बजे इस कूप में आग लग गई।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सभी सम्भव साधनों को जुटाया है। अग्नि समन महत्वपूर्ण रसायनों और उपकरण, अतिरिक्त पुर्जे तथा सामग्री सहित

एक बहू-अवलम्ब जलपोत पांच अपतटीय सप्लाई नौकाओं के साथ धमाके के स्थल पर मौजूद है। कूप में आग के फैलने को रोकने के लिए कूप पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। सहायता प्रदान करने के लिए नौ सेना के दो जलपोतों हवाई जहाजों तथा हैलीकाप्टरों को भी जुटाया गया है। नौ-सेना के जलपोत स्थल के निकट तैनात हैं तथा नौ-सेना के वायुयानों ने तुरन्त टोह कार्य किया। उत्पन्न हो सकने वाले किसी भी प्रकार के प्रदूषण को नियंत्रित तथा मौनीटर करने के लिए समुद्र तट रक्षक कार्मिक जलपोत पर तैनात है। यदि ऐसी खतरे की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसके लिए प्रदूषण के नियत्रण के अन्य उपायों को भी जुटाया गया है।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के विशेषज्ञ को जो कि रात दिन स्थल पर कठिन एवं खतरनाक स्थिति में कार्य कर रहे हैं, सहायता प्रदान करने के लिए धमाकों को नियंत्रित करने वाले विश्व के नामी विशेषज्ञों को बुलाया गया है। परामर्शदाताओं के विशेषज्ञ भी जो भारत में पहले ही उपलब्ध है, अपतटीय स्थल पर मौजूद हैं।

तेल अन्वेषण में धमाकों का होना कोई असमान्य बात नहीं है। बम्बई हाई अपतटीय क्षेत्र में ही कुछ वर्ष पूर्व एक धमाका हुआ था और उस पर शीघ्र ही नियत्रण पाना संभव हो सका था। इसी प्रकार के धमाके अरुणाचल प्रदेश में नरसापुर में असम में और विश्व के अन्य स्थानों पर भी हुए थे। जैसे ही स्थिति अनुकूल होगी इस धमाके के कारण की पूर्ण रूप से जांच की जाएगी।

मैं इस स्थिति में खतरों का मूल्यांकन नहीं करना परन्तु मैं सदन को यह आश्वासन देता हूं कि धमाके को नियंत्रित करने के लिए कम से कम समय में जो कुछ संभव है किया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को इस धमाके को शीघ्र नियन्त्रित करने में सफलता प्राप्त करने के लिए हमारे द्वारा पूर्ण सहयोग दिए जने मे सदन मेरे साथ है।

श्री जी० एम० बनातवाला (पुन्नानी) : इसको वक्तव्य देकर ही खत्म नहीं होना चाहिए। इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की अनुमति दी जानी चाहिए। मैं समझता हूं कि हमारे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आपके विचाराधीन हैं।

श्री पी० शिव शंकर : मेरा निवेदन है कि अगर जांच-पड़ताल के पश्चात चर्चा की जाय तो बेहतर होगा। आप कृपया हमें जांच-पड़ताल पूरी कर लेने दीजिए और उसके पश्चात् हम इस पर बहस करेंग। इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री जी० एम० बनातवाला : आप कितना समय लेंगे।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : श्रीमन्, स्थिति पर नियन्त्रण पाने के लिए जो कर्मचारी और वैज्ञानिक काम पर लगे हुए हैं, हम उनके प्रति पूरा समर्थन व्यक्त करते हैं।

श्री पी० शिव शंकर : श्रीमन् क्या मुझे वहां पर कार्यरत कर्मचारियों को सदन की भावना में पहुंचने की अनुमति है?

कुछ माननीय सदस्य : हां।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : हमें आशा है कि उन्हें सफलता मिलेगी।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल), 1982-83 —जारी

श्री जमीलुर्रहमान (किशनगज) : श्रीमन् संसद भवन रेलवे बुकिंग कार्यालय में हमें जो सुविधाए प्राप्त हैं, मैं उनके बारे में कुछ सुझाव देना चाहूंगा। इन सुविधाओं को डी० आर० एम० ने वापस ले लिया है। अब हम यहां पर अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए प्रथम श्रेणी के टिकट नहीं खरीद सकते, इसके लिए हमें कनाट प्लेस जाना पड़ता है। हमारे लिए जो कोटा निर्धारित किया गया था, उसे भी कम करके आधा कर दिया गया है। जिससे संसद सदस्यों को काफी असुविधा होती है।

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि आपने मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाया है।

श्री जमीलुर्रहमान : हम डी० आर० एम० की० कार्यवाही को सहन नहीं करते रह सकते।**

सभापति महोदय : माननीय सदस्य ने कुछ असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया है। इन्हें कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया जाएगा।

रेल मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : श्रीमन्, ऐसे आदेश जारी किए गए थे पर जैसे ही मुझे इसकी जानकारी हुई, इन आदेशों को वापिस ले लिया गया। मूल स्थिति बहाल कर दी गई है। अब ससद सदस्य पुनः अपने मेहमानों के लिए संसद भवन बुकिंग कार्यालय से सीट आरक्षित करवा सकते हैं। डी० आर० एम० को० कह दिया गया है कि इस प्रकार के नीति संबधी मामलों में वह मन्त्रालय से सलाह-मशविरा करे बिना आदेश जारी न करें।

श्री जमीलुर्रहमान : मैंने इस सम्बन्ध में डी० आर० एम० को एक पत्र लिखा था। इसका परिणाम यह हुआ कि रेलवे बुकिंग कार्यालय से अधीक्षक का तबादला कर दिया गया। डी० आर०

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

एम० ने संसद सदस्यों को इस प्रकार का आदर दिया है। यह डी० आर० एम० की कृपा से हमें यह सुविधाएं प्राप्त नहीं है, बल्कि अपने अधिकार और विशेषाधिकार की वजह से हम यहां से टिकट प्राप्त करते हैं...

(व्यवधान)

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : हम जानना चाहते हैं कि डी० आर० एम० के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है या नहीं।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : पुनः व्यवस्था की गई है। और मैंने डी० आर० एम० को आदेश दिए हैं कि भविष्य में इस प्रकार के आदेश जारी न करें, नहीं तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

श्रीमन्, जिन सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। चालू वर्ष का रेल बजट पेश करते समय मैंने यह कहा था कि देश के आर्थिक विकास में रेल के महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए, ऐसा सम्भव है कि इस वर्ष में रेलवे के लिए कुछ और राशि का आबटन किया जाए। सदन की यह आम राय है कि रेलवे की वार्षिक योजना के लिए निर्धारित राशि में खासकर उनके पुनः स्थापना कार्यक्रम के लिए और वृद्धि की जानी चाहिए। इसी पृष्ठ भूमि में कुल 190 करोड़ रु० की वर्तमान अनुदानों की अनुपूरक मांगें रखी गई हैं।

यहां एक माननीय सदस्य ने कहा कि इस तरह की मांगों को एक-एक करके नहीं रखा जाना चाहिए। लेकिन मुख्य प्रश्न यह है कि हाल ही में हमें यह अतिरिक्त राशि मन्जूर की गई है जिसे कि हम वितरित कर रहे हैं और इसके लिए संसद की स्वीकृति चाहिए। अतः अतिरिक्त मांगों को रखना पड़ा है। यह मांग उस राशि की मन्जूरी देने के लिए हैं जो कि योजना आयोग ने रेलवे को दी है और यह नए कर आदि लगाने का कोई बजट प्रस्ताव नहीं है।

जैसा कि सदन ने ध्यान दिया होगा, योजना आबंटन की मुख्य विशिष्टिताएं यह है कि रेल डिब्बों आदि पर व्यय करने के लिए 60 करोड़ रुपये, नई लाइनों के लिए 25 करोड़ रुपए, लाइन क्षमता निर्माण कार्य जिसमें लाइन बदलने और दोहरी लाइन बिछाने का कार्य भी शामिल है के लिए 30 करोड़ रुपए, पटरियां बदलने के लिए 30 करोड़ रुपए और अन्य 0 करोड़ रुपए ह्वील और एक्सल संयंत्र के लिए नियत किए गए हैं। सड़क सेवाओं के लिए 15 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि आबंटित करने का भी विचार है।

अतिरिक्त देने से, कतिपय कार्यों को तेजी से पूरा करना संभव हो सकेगा जिससे बजट में निर्धारित 2 00 लाख माल के अतिरिक्त 50 लाख टन और माल की ढुलाई की जा सकेगी। तथा आने वाले वर्षों में अतिरिक्त रेल परिवहन क्षमता का निर्माण करने के लिए तैयारी की जा

सकेगी । जैसा कि मैंने पहले बताया है, 30 करोड़ रुपए केवल पटरियों के बदलने पर ही खर्च किए जायेंगे । बहुत सी पटरियों को बदला जाना है ।

अन्तिम आंकड़ों से पता चलता है कि भारतीय रेलों ने 1980-81 के दौरान 1959 लाख टन की अपेक्षा 2212 लाख टन राजस्व अर्जित माल परिवहन का लदान करके रिकार्ड स्थापित किया है जबकि संशोधित अनुमान 2200 लाख टन माल रखा गया था । चालू वर्ष में भी रेलवे ने अपने परिवहन में तेजी से प्रगति की है ।

1982 का उत्पादन वर्ष रेलवे के लिए चुनौती का वर्ष है । इस वर्ष के पहले 6 महीनों में हमने राजस्व अर्जित करने वाला 1149 लाख टन माल ढोया जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 1073 लाख टन माल ढोया था ।

इस आबादी में एक अन्य महत्वपूर्ण सफलता यह रही कि वर्कशापों में गत वर्ष प्रतिमास औसतन 1930 यात्री डिब्बों की व्यवस्था की गयी जबकि इस वर्ष जून में यह संख्या बढ़कर 2170 यात्री डिब्बे हो गई है । इसी तरह जून, 1982 में 8327 माल डिब्बों की मरम्मत हुई जबकि पिछले वर्ष प्रतिमास औसतन 7218 डिब्बों की मरम्मत हुई, इस तरह 19 1 की तुलना में इसमें 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई । आगे वाले महीनों में और अधिक डिब्बों की मरम्मत होने की पूरी सभावना है ।

केवल इतना ही नहीं, वर्कशापों की उपयोग क्षमता में भी सराहनीय सुधार हुआ है । इनमें अधिकतर 95 प्रतिशत तक यात्री डिब्बों तथा 90 प्रतिशत माल डिब्बों की मरम्मत हुई है । मैंने सभी रेल कर्मचारियों पर दबाव डाला है कि वे उत्पादकता वर्ष में ऐसी नीति अपनाएं जिससे कार्य न रुके क्योंकि देश का सम्पूर्ण आर्थिक विकास उनके कार्य निष्पादन पर ही निर्भर है । मुझे पूरी आशा है कि इस वर्ष रेलवे संचालन के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन कम से कम 10 प्रतिशत बढ़ जायेगा ।

महोदय, मैं रेल दुर्घटनाओं को रोकने पर ध्यान दे रहा हूं । दोनों रेलवे बोर्ड और रेलों के उच्च स्तरीय अधिकारियों के दल नियमित रूप से निरीक्षण करते रहे हैं और सुरक्षा उपायों की जांच करते रहे हैं । साथ ही रेल कर्मचारियों में सभी स्तरों पर सुरक्षा के प्रति जागरुकता पैदा कर रहे हैं । मेरे अतिरिक्त मेरे सहयोगी और रेलवे बोर्ड के सदस्य सुरक्षा समस्याओं पर चर्चा करने के लिए समय समय पर वरिष्ठ रेलवे प्रबन्धकों के साथ बैठक करते रहते हैं । सुरक्षा स्तरों में सुधार करने के बारे में हमने स्वयं कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से बात की ।

इन्जनों, माल डिब्बों, पटरियों और सिगनलिंग उपकरणों आदि महत्वपूर्ण आस्तियों की मरम्मत और रख रखाव पर अत्यधिक ध्यान दिया जा रहा है । माल डिब्बों और यात्री डिब्बों

समय-समय पर की जाने वाली मरम्मत की दर में भी वृद्धि हुई है। बेकार इन्जनों, यात्री डिब्बों और माल डिब्बों को बदलने की गति तेज कर दी गई है। अपने बजट भाषण में मैंने यह उल्लेख किया था कि इस वर्ष 600 यात्री डिब्बों 1825 माल डिब्बों तथा 550 इन्जनों को बदलने की सम्भावना है। चालू वित्तीय वर्ष के पहले तीन महीनों में करीब 350 यात्री डिब्बे, 440 माल डिब्बे, और 40 इन्जन बदले जा चुके हैं, इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने की ओर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। जिन फाटकों पर चौकीदार नहीं है वहां चौकीदार नियुक्त करने का भी समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है।

इन सुरक्षा उपायों के उत्साहजनक परिणाम निकले हैं। जनवरी 82 से जून 82 में होने वाली दुर्घटनाओं में जुलाई 81 से दिसम्बर 81 के समय में अपेक्षाकृत 20 प्रतिशत कमी आई है। रेलवे संचालन के इस मुख्य पहलू के प्रति मैं पूर्ण रूप से जागरुक हूं और सदन की इस बात से पूर्णत: सहमत हूं कि रेल यात्रा सुरक्षित बनाने के लिए अभी भी बहुत काम करना है।

एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू जिससे चिंता उत्पन्न हो रही है वह है चलती गाड़ियों में होने वाली चोरियां और डकैतियों तथा रेलवे द्वारा भेजे जाने वाले माल की चोरियां हाल ही में, रेलवे पुलिस में करीब 7000 और कार्मिक रखे गए हैं तथा इस पर राज्य सरकारों द्वारा जो खर्च किया जाएगा उसमें से 50 प्रतिशत खर्च रेलवे वहन करेगी। राज्यों की पुलिस से उच्च-स्तर पर समन्वय बनाए रखा जा रहा है और रेलवे सुधार समिति भी इस मामले की जांच कर रही है। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि मन्त्रिमंडल के सचिव तथा गृह-सचिव की इस समस्या पर विचार करने के लिए 4 तारीख को मुझे मेरे साथ बैठक होगी और रेलवे पुलिस बल तथा सरकारी रेलवे पुलिस के बीच समस्या का समाधान किया जायेगा ताकि रेलवे पुलिस बल को उपयुक्त अधिकार दिया जा सके।

एक अन्य राष्ट्रीय बुराई जिसका सशक्त रूप से सामना किया गया है वह है बिना टिकट यात्रा की रोकथाम चालू वर्ष के पहले 5 महीनों में 1.3 लाख से अधिक व्यक्ति बिना टिकट अथवा अनुचित टिकटों से यात्रा करते हुए पकड़े गए। बिना टिकट यात्रा और माल को बिना बुक कराए ले जाने की जांच करने के परिणाम स्वरूप रेलवे ने इस अवधि में 3.7 करोड़ रुपए वसूल किए जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 2.77 करोड़ रुपए वसूल किए गए थे। मैं चाहता हूं कि इस कार्य को और तेजी से तथा व्यापक रूप से चालू रखा जाए।

एक अन्य महत्वपूर्ण मामले के बारे में निरन्तर शिकायतें मिलती रही हैं। वह गाड़ियों में आरक्षण कराने के सम्बन्ध में होने वाली कठिनाइयों तथा भ्रष्टाचार के बारे में है। अतः मैंने दिल्ली क्षेत्र में सीटों का आरक्षण कम्प्यूटर के माध्यम से करने का निर्णय किया है। तदनुसार आरम्भिक कार्य शुरू करने के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों में एक प्रस्ताव शामिल किया गया है। पहले इस वर्ष, हमने अनाधिकृत रूप से टिकटों की बिक्री तथा आरक्षण का प्रबन्ध

करने के लिए पर्याप्त सजा देने के लिए रेलवे अधिनियम में उपबन्धों को कार्यान्वित नहीं कर पाए हैं क्योंकि यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

गाड़ियों का ठीक समय पर चलाने का प्रश्न सदन में कई बार उठाया गया है। मैं सदन से पूर्णतः सहमत हूं कि गाड़ियों की पाबन्दी में अवश्य सुधार किया जाना चाहिए। मैं सदन को बता देना चाहता हूं कि लगभग 200 महत्वपूर्ण मेल/एक्सप्रेस गाड़ियां, जो प्रतिष्ठित गाड़ियां मानी जाती हैं, कार्य निष्पादन को रेलवे बोर्ड के कार्यालय में प्रतिदिन दर्शाया जाता है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जनवरी से जुलाई की अवधि में, विशेषकर मार्च में रेलों को समय पर चलाने के सम्बन्ध में काफी सुधार हुआ है। (व्यवधान)

इस बारे में दो मत हो सकते हैं (व्यवधान) तथ्य यह है कि सुधार 10 प्रतिशत अधिक हुआ है। अन्य मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के ठीक समय पर चलाने से भी कुछ सुधार हुआ है। दुर्भाग्य से पूर्वी, पूर्वोत्तर और पूर्वोत्तर फ्रन्टियर से गाड़ियां ठीक समय समय पर नहीं चलती। जबकि मध्य और दक्षिण पूर्वी रेलवे का कार्य भी सन्तोषजनक नहीं है। उत्तरी, दक्षिणी, दक्षिण मध्य और पश्चिमी रेलवे की 90 प्रतिशत से अधिक मेल/एक्सप्रेस गाड़ियां ठीक समय पर चलती हैं। हम पूर्व पूर्वोत्तर और पूर्वोत्तर सीमा रेलों तथा मध्य और दक्षिण पूर्वी रेलवे में रेलों को समय पर चलाने की समस्या की जांच कर रहे हैं।

मैं गाड़ियों को ठीक समय पर चलाने के विभिन्न कारणों का विस्तारपूर्वक वर्जन करना आवश्यक नहीं समझता। मैं केवल सदन को आश्वासन दे सकता हूं कि यह कई महत्वपूर्ण मामलों में से एक है जिस ओर पूरा रेल मन्त्रालय, और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्य अत्याधिक ध्यान दे रहे हैं।

उपलब्ध संसाधनों से हमने चालू कार्यों को यथासंभव शीघ्र पूरा करने का प्रयास किया हैं। इसके उदाहरण इस प्रकार है :—

"बंगलौर गुंटाकल परियोजना के लिए 6 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि का आबंटन। मैं समझता हूं कि इससे श्री शमन्ना, जिन्होंने पिछले वाद-विवाद में यह प्रश्न उठाया था, को कुछ सन्तोष होगा।"

"कारुर-डिंडीगल परियोजना को और 1 करोड़ रुपए का आबंटन, जिसका उल्लेख श्री सी० टी० दण्डपाणि और श्री कोमल राम ने किया।

"उत्तर-पूर्वी प्रदेश में 6 नई लाइनें बिछाने के लिए 4 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि का आबंटन। मुझे विश्वास है कि श्री अजीत कुमार साहा इस ओर ध्यान देंगे।"

अन्य कार्यों जैसे धन उपलब्ध करने के प्रयासों में तेजी लाई जाएगी। धन प्राप्त होने तथा

योजना आयोग की स्वीकृति मिलने पर ही सर्वेक्षण का कार्य पूरा किया जाएगा तथा परियोजनाएं अनुमोदित की जाएंगी । मैं इस बारे में पूरा जागरुक हूं कि देश के विभिन्न भागों में अधिकाधिक रेलवे लाइन बिछाने की आवश्यकता है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। सुधार कार्यक्रम पर भी यही बात लागू होती है। मैं योजना आयोग और वित्त मन्त्रालय का आभारी हूं कि उन्होंने हमें 190 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आबंटन उपलब्ध कराया, जिसको मैंने विचाराधीन अनुपूरक मांगों के माध्यम से अनुमति मांगी है।

मैं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के दौरान योजना आयोग को रेलवे के लिए नियतनों में वृद्धि करने पर विचार करने के लिए राजी करने का प्रयत्न करूंगा।

इस चर्चा मे सक्रिय भाग लेने के लिए तथा उपयोगी सुझाव देने के लिए मैं इस सदन के सदस्यो का आभारी हूं । इसके विस्तार में जाना मेरे लिए सम्भव नहीं होगा लेकिन मैं कुछ सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना चाहता हूं । उदाहरण के लिए, श्री काजी ने औरंगाबाद से डिवीजन का स्थानांतरण करने तथा आबंटन कम किए जाने संबधी प्रश्न पूछा था। मैंने डिवीजन वहीं रखने का आदेश दिया है तथा आबंटन की राशि बढ़ाकर 1 करोड़ रुपया कर दी गई है । और भविष्य में हम इस राशि में और भी वृद्धि करेंगे । श्री सत्यदेव सिंह ने गाड़ियों की सेवा में सुधार करने तथा दो स्टेशन के बीच धीमी गाड़ी चलाने जो मुश्किल से 30 मील है के सम्बन्ध में पूछा था । मैं निश्चय ही उसकी जांच करूंगा । श्री शास्त्री ने भ्रष्टाचार के दो मामलों का उल्लेख किया । मैं उनसे वायदा हूं कि मैं निश्चय ही उनकी जांच करूंगा; और जहां तक सोह बांद्रा एक्सप्रेस में पेंटरी कार तथा उसे नई दिल्ली लाने के प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं निश्चय ही उस पर विचार करूंगा । श्री राकेश ने यह मामला व्यक्तिगत रूप से मुझे सौंपा था । यह कहना गलत होगा कि मैंने आदेश जारी नहीं किए हैं । मैं मामले की जांच-पड़ताल करने के आदेश दे चुका हूं । अब उन्होंने यह बताया है कि सी० आर० बी० ने मेरे आदेशों के विरुद्ध कार्यवाही की है मैं निश्चय ही इसकी जांच करूंगा और यदि यह पाया गया कि सी० आर० बी० ने मेरे आदेशों के विरुद्ध कार्य किया है तो मुझे उस ओर गभीरता से ध्यान देना होगा।

श्री आर० एन० राकेश (चैल) : उस पेपर पर आपने उन अपराधियों के शीघ्र स्थानांतरण के आदेश दिए लेकिन उसे अमल में नहीं लाया गया।

श्री प्रकाश चन्द सेठी : नही, नहीं लेकिन आपने प्रमाण के साथ 145 व्यक्तियों के हस्ताक्षर भी दिए हैं।

श्री आर० एन० राकेश : मैं यह पहले ही आपको दे चुका हूं। सभी सम्बन्धित दस्तावेज आपके पास हैं।

श्री प्रकाश चन्द सेठी : जहां तक पटरियां बदलने का सम्बन्ध है, मैंने कहा है कि हमने

30 करोड़ रुपए का अतिरिक्त धन उपलब्ध कराया है और जहां तक पुलों की मरम्मत का सबंध है, पहले जब पुलों की मरम्मत के प्रश्न पर चर्चा की गई थी, मैंने कहा था कि उन पुलों पर विचार किया जा रहा है, जिन पर मरम्मत की जानी है, जहां तक श्री बनवारी लाल और राजस्थान के अन्य सदस्यों का सम्बन्ध है, कोटा-चित्तौड़गढ़ लाइन पहले ही मन्जूर शुदा है। हमने इस लाइन के लिए दी गई राशि और बढ़ा दी है और हमें आशा है कि वहां पर सीमेंट का कारखाना चालू होने से पहले लाइन पूरी कर दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा है कि राजस्थान में और अधिक रक्षा परियोजना बनाई जानी चाहिए। मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि सूरतगढ़ अनूपगढ़ और सूरतगढ़-बीकानेर की नई बड़ी लाइनों का कार्य शुरू हो गया है और वे अधिकांशतः रक्षा लाइनें ही हैं और रक्षा के प्रश्न की दृष्टि से, उन्हें आरम्भ कर दिया गया है। श्री जटिया और अन्य माननीय सदस्यों ने भी कुछ सुझाव दिए जिन पर मैं निश्चय ही विचार करूंगा।

श्री रवीन्द्र वर्मा बम्बई में रेलवे की उप नगरीय सेवा के बारे में प्रश्न पूछा है। जहां तक बम्बई में उप नगरीय सेवाओं का सम्बन्ध है, पूर्वी रेलवे में, उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि सेवाओं में अपेक्षाकृत सुधार हुआ है। लेकिन मध्य रेलवे में ई० एम० यू० पुरानी हो चुकी है और उनका आयात नहीं किया जा रहा, अब जोसेफ में उनका निर्माण किया जा रहा है और अब हम जोसेफ और आई० सी० पी० से और अधिक ई० एम० यू० प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम पहले ही दो या तीन ई० एम० यू० प्राप्त कर चुके हैं और अगले चार-पांच महीनों में, 9 और रैकस मिल जाने की सम्भावना है। जो गाड़ियां नष्ट हो गई थीं उनकी मरम्मत कर दी गई हैं; और उपनगर में मध्य रेलवे में 805 जोड़े गाड़ियां आ जा रही हैं। जहां तक बम्बई में हुई बैठक का सम्बन्ध है, मैंने वहां यात्रियों से भेंट की। मैं उन संसद सदस्यों से भी मिला जो नगर में उपस्थित थे और उनके साथ इस पर चर्चा की। यदि श्री वर्मा की इच्छा है तो मैं बम्बई के सभी सदस्य तथा संस्था के अन्य प्रतिनिधि उपस्थित होने पर एक बैठक और कर सकता हूं।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री आर० एन० राकेश : भूमि के अवैध कब्जे के बारे में आपको क्या कहना है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि मन्त्री महोदय अपना उत्तर पूरा कर चुके हैं। यदि उन्होंने आपके मुद्दों के उत्तर नहीं दिए हैं तो आपको इस आशय की कुछ सूचना मिलेगी कि आप की मांग पर क्या कार्यवाही की जा रही है।

सदस्यों ने 1982-83 के बजट (रेलवे) की अनुदान मांगों के बारे में कुछ कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। यदि माननीय सदस्यों को स्वीकार्य हो तो मैं सभी कटौती प्रस्तावों को सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सभा ने सभी कटौती प्रस्तावों को एक साथ रखना स्वीकार कर लिया है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप किस बात का विरोध कर रहे है ?

श्री सुधीर गिरि (कन्टई) : मैं सक्षेप में बोलना चाहता हूं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, अब आप कटौती प्रस्तावों के बारे में नहीं बोल सकते हैं। उन पर चर्चा समाप्त हो चुकी है। आप अब कटौती प्रस्तावों के बारे में नहीं बोल सकते हैं। मैं यही बता रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री आर० एन० राकेश : किस नियम के अधीन ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप चाहते हैं तो मैं आपके कटौती प्रस्ताव को अलग से सभा में मतदान के लिए रखूंगा। उसके लिए मैं तैयार हूं। आप अब नहीं बोल सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अब कटौती प्रस्तावों के बारे में नहीं बोल सकता है।

श्री सुधीर गिरि : ऐसा केसे हो सकता है। मैं बोलना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको पहले ही बता चुका हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब कोई नहीं बोल सकता है। अब कोई भाषण नहीं होगा। क्या मै प्रस्तुत किए गए सभी कटौती प्रस्तावों को सदन में मतदान के लिए रखूं ? अथवा क्या आप अपने कटौती प्रस्तावों को अलग से मतदान के लिए रखना चाहता हूं ?

(व्यवधान)

श्री सुधीर गिरि : मैं प्रत्येक के बारे में बोलना चाहता हूं। कृपया मुझे कटौती प्रस्तावों के बारे में बोलने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, ऐसी परम्परा नहीं। मुझे बड़ा खेद है।

(व्यवधान)

श्री सुधीर गिरि : आप ऐसा क्यों कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मैं सभी कटौती प्रस्तावों को एक साथ रखूं ?

मैं अब प्रस्तुत किए गए सभी कटौती प्रस्तावों को सदन में मतदान के लिए रखूंगा ।

जो सदस्य पक्ष में हों कृपया वे हां कहें ।

कुछ माननीय सदस्य : हां ।

उपाध्यक्ष महोदय : जो सदस्य विपक्ष में हों कृपया वे नहीं कहें ।

बहुत से माननीय सदस्य : नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से निर्णय नहीं वालों के पक्ष में हुआ ।

निर्णय नही वालों के पक्ष में हुआ ।

कुछ माननीय सदस्य : निर्णय हां वालों के पक्ष में हुआ ।

उपाध्यक्ष महादय : दीर्घाए खाली कर दी जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : दीर्घाएं खाली कर दी गई हैं । अब मैं सभी कटौती प्रस्तावों को सभा में मतदान के लिए रखूंगा ।

कटौती प्रस्ताव सभा में ततदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : जो कुछ आपने कहा है, क्या उसे आपका विनिर्णय माना जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : जो कुछ मैंने कहा है, वह सब कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित है ।

श्री बापू साहिब परूलेकर : यदि जो कुछ आपने कहा है, वह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित है तो वह पूर्व निर्णय बन जायेगा । अतः उसे कार्यवाही वृतांत में से निकाल दिया जाना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब यह सब ठीक हो गया है । आप इसको क्यों उठाना चाहते हैं ?

अब 5 अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल) 1982-83 सभा में मतदान के लिए रखता हूं । प्रश्न यह है :—

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राशियों से अनधिक सम्बन्धित अनुपूरक राशियां भारत की सचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं ।

मांग संख्या 2 और 16"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सदन द्वारा स्वीकृत मांगों की अनुपूरक मांगें (रेल) 1982-83

मांग संख्या	मांग का नाम	मांग की रकम
1	2	3
		रुपये
2	विविध व्यय (सामान्य)	2,00,000
16	परिसम्पतियां—अधिग्रहण, निर्माण तथा बदलाव	
	अन्य व्यय	200,50.00,000

विनियोग (रेल) संख्या 3 विधेयक, 1982

रेल मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1982-83 की सेवाओं के लिए संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीव वर्ष 1982-83 की सेवाओं के लिए संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर.स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री प्रकाश चन्द सेठी : महोदय, में विधेयक प्रस्तुत करता हूं।

श्री प्रकाश चन्द सेठी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1982-83 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वितीय वर्ष 1982-83 की सेवाओं के लिए भारत की सचित तिथि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री सुधीर गिरि (कंटई) : अपने कटौती प्रस्ताव पर बोलते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि मेरा चुनाव क्षेत्र पश्चिम बंगाल के एक बहुत ही पिछड़े हुए क्षेत्र में पड़ता है। इस क्षेत्र में रेल सुविधाएं नहीं हैं। इस क्षेत्र के हजारों लोगों को अपना दैनिक व्यवसाय निपटाने के लिए प्रतिदिन एक लम्बा रास्ता बसों और ट्रकों से तय करके कलकत्ता, हल्दिया तथा अन्य व्यापार केन्द्रों पर पहुंचाना पड़ता है। यदि यह लम्बा फासला रेलों द्वारा तय किया जाए तो रेलवे को भारी मात्रा में राजस्व मिलने के अतिरिक्त, यात्रा करने वाली जनता को भारी लाभ होगा। इस प्रयोजनार्थ मिदनापुर जिले के ताल्लुक और दीघा के बीच एक रेल सम्पर्क की तुरन्त आवश्यकता है।

1980-81 में ताल्लुक और दीघा के बीच रेल सम्पर्क की व्यवहार्यता का प्राथमिक सर्वेक्षण करने के लिए 20,000 रुपये का प्रावधान किया गया था। मेरे मौखिक प्रश्न के उत्तर में मन्त्री महोदय श्री मल्लिकार्जुन ने इस सदन में कहा था कि यात्रियों के विचार से तो प्रस्तावित रेल सम्पक के आसार बहुत ही अच्छे हैं। बाद में इस सम्बन्ध में पूछे गये एक प्रश्न के लिखित प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि योजना मन्त्रालय ने इस रेल सम्पर्क के लिए कोई धन प्रदान नहीं किया है।

मैं यहां यह बताना चाहूंगा कि मेरे चुनाव-क्षेत्र कन्टई के बंगाल की खाड़ी के निकट पड़ने के कारण, वहां से हजारों टन सूखी मछली देश के विभिन्न भागों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाहर भेजी जाती है। इसके अलावा उस क्षेत्र में बहुत सी नमक की फैक्टिरियां भी हैं, जिनमे हजारों टन नमक पैदा होता है जिसको कि देश के विभिन्न भागों में भेजना पड़ता है। पान के पत्ते भी इस क्षेत्र की एक मुख्य आर्थिक फसल है। ये भी देश के विभिन्न भागों को भेजे जाते हैं। ट्रक द्वारा इन सब वस्तुओं की ढुलाई, महगी होने के साथ ही साथ समय भी ज्यादा खाती है। ताल्लुक और दीघा के बीच जिस क्षेत्र से होकर यह प्रस्तावित रेल सम्पर्क गुजरेगा उसकी जनसंख्या लगभग 15 लाख है। आजकल इन लोगों की खाद्यान्नों, सीमेंट भवन सामग्री, कपड़े, तेल आदि जैसी उपभोक्ता वस्तुओं की आवश्यकता को मोटरों और देशी नावों द्वारा पूरा किया जाता है जो कि ऊंचा लागत व्यय होने के कारण पर्याप्त असुविधाजनक और कष्टदायक है।

इसके अतिरिक्त दीघा एक समुद्राश्रय—सीरगाह है जो कि हजारों की संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करती है वर्तमान में आवागमन को साधन केवल मोटरें हैं। स्वाभाविक है कि इससे पर्यटकों को असुविधा होती है, क्योंकि इसमें अधिक समय लगता है। इन सभी बातों पर विचार करते हुए, मैं मन्त्री महोदय से ताम्लुक और दीघा के बीच शीघ्र एक रेल सम्पर्क स्थापित करने की अपील करता हूं।

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नार्थ ईस्ट (पूर्वोत्तर) रेलवे की दुर्दशा के सम्बन्ध में थोड़ा-बहुत कहना चाहता हूं। अभी मैं कल दिल्ली से जयपुर गया

था, यह भी मीटर गेज लाइन ही है और एन० ई० रेलवे भी मीटरी गेज है, यदि कोई इन दोनों लाइनों पर सफर कर चुका हो तो वहां यही समझेगा कि पूर्वोत्तर रेलवे अब वाड-अप होने वाली है। जो भी इन्जन चलते हैं वह कहीं भी रास्ते में रुक जाते हैं, इक्वीपमेन्ट्स के रखरखाव की स्थिति यहां तक खराब हो चुकी है। इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी से आग्रह करता हूं कि वे इस पर ध्यान दें और इस स्थिति में सुधार से उपाय करें।

दूसरी बात यह है कि पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर स्टेशन को जो सुविधा पहले प्राप्त थीं वह भी हाल में वापिस ले ली गई हैं। 1975 में समस्तीपुर-हावड़ा के बीच तीन-तीन गाड़ियां थीं लेकिन आज एक भी नहीं है। जबकि आप दूसरे क्षेत्रों में सुविधायें-बढ़ा रहे हैं, समस्तीपुर में जो सुविधायें पहले से मौजूद थीं उनको भी आप वापिस ले रहे हैं। यदि आप उन गाड़ियों की हालत पर नजर दौड़ायें जो हावड़ा से समस्तीपुर होते हुए मुजफ्फरपुर और गोरखपुर तक जाती है तब आप राजी हो जायेंगे कि वहां पर और ट्रेन्स की आवश्यकता है।

कानपुरी से समस्तीपुर तक एक गाड़ी चलती है। पिछले रेल मन्त्री जी ने आश्वासन दिया था कि दिल्ली तक रोजाना रेल सेवा प्रारम्भ कर दी जाएगी। मेरा आग्रह है कि कानपुर से समस्तीपुर जो गाड़ी जाती हैं, उनको दिल्ली तक लायें।

तीसरी बात, दरभंगा समस्तीपुर परिवर्तित योजना जो बनी थी, उस में बाद के दिनों में 1980-81 में 15 लाख रुपए की राशि रखी गई थी। उसका उद्घाटन भी तत्कालीन रेल मन्त्री श्री केदार पांडे जी, कर चुके है। 1981-82 में इस योजना के तहत खर्चे के लिये 50 लाख रुपए की मंजूरी दी गई थी, लेकिन अब उसे वापिस ले लिया गया है। इसलिये मेरा आपसे आग्रह है कि आप उस पर ध्यान दें और जो जीवनोपयोगी योजनायें हैं, उनको फिर से कार्यान्वित कर दिया जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

श्री गिरीधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान रेल की लाइनों के मामलों में सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप कम से कम एक अलग जोन की इसके लिए व्यवस्था करवा दीजिए। इस सम्बन्ध में रेल मन्त्री जी को हम बराबर कहते आ रहे हैं और बराबर कहते हैं कि इस की व्यवस्था होनी चाहिये। जब तक राजस्थान में अलग रेल जोन नहीं बनेगा तब वहां का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। इस सम्बन्ध में हमारी मांग है, आप भी सिफारिश कर दीजिए कि वहां पर एक अलग जोन बनायां जाये। ताकि वहा का डेवलपमेंट हो। राजस्थान एक डैजर्ट इलाका है, सब से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है सबसे कैवर्ड है यदि वहां का विकास करना है तो निश्चित तरीके से वहां अलग जोन की व्यवस्था करनी चाहिए।

हमारे यहां पर एक सर्वे लाइन थी। इस बारे में कन्सलटेटिव कमेटी में कहा और चिट्ठी भी लिखी। जबाव दिया गया कि सर्वे हो जाएगा। कोटा से देवगढ़ तक ब्राडगेज लाइन के सर्वे के लिए बजट भाषण में स्वीकृति दी गई है। टोडारायसिंह ने नाथ द्वारा तक के लिए भी सैंक्शन किया है। पिछले दो तीन सालों में श्री कमलापति त्रिपाठी जी रेल मन्त्री थे, उसके बाद श्री केदार पांडे जी रेल मन्त्री बने और अब श्री सेठी जी रेल मन्त्री है—तीनों रेल मन्त्रियों ने इसको बजट में स्वीकृति दी लेकिन आज तक भी सर्वे नहीं हुआ है। पता नहीं इस सम्बन्ध में कब तक कार्यवाही होगी और कब लाइन बनेगी। हम लोगों की पांच साल की अवधि है। पांच साल बराबर इसके लिए हम चिल्लाते रहेंगे, लेकिन इस सम्बन्ध में कोई काम नहीं किया जाएगा। आपका रेलवे बोर्ड भी पता नहीं किस प्रकार काम करता है। जब भी कोई जानकारी हासिल करने की कोशिश की जाती है, तो कह दिया जाता है कि हो जाएगा। वहां स्टीरियों-टाइम जवाब दस साल पहले का रेलवे बोर्ड द्वारा दे दिया जाता है। इसके सिवाय और कुछ नहीं करता है। मैं चाहता हूं कि इसका सर्वे तुरन्त होना चाहिए और अगर यह लाइन बन सकती है तो उसको बनाने की कोशिश करनी चाहिए। प्लानिंग मन्त्री जी यहां पर बैठे हुए हैं, इस पिछड़े हुए क्षेत्र को प्राथमिकता देनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप सिफारिश कीजिये ताकि राजस्थान का कुछ विकास हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय से अलग बात करके मामला सुलझा लीजिए।

श्री गिरधारी लाल व्यास : दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मीनाक्षी एक्सप्रेस जो किदो दिन चलती है, उसको सात दिन चलाइए, क्योंकि लोगों को बहुत तकलीफ है। दूसरे चेतक को अपनी जल्दी लाने का आश्वासन दिया है, पार्लियामेंट के अन्दर, उसको जल्दी लाने की कोशिश कीजिए। इस गाड़ी में आप डीजल का इन्जन लगाइए।

उपाध्यक्ष महोदय :आप मन्त्री महोदय को पत्र लिख सकते हैं। आप ये सब बातें संसद में कैसे उठा सकते हैं आप केवल मामले के कुछ मुद्दों पर ही चर्चा कर सकते हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग चिट्ठी लिखते हैं, लेकिन इस संदर्भ में कोई जबाव नहीं मिलता है। कोई व्यवस्था नही हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सिफारिश करें कि वे इस सम्बन्ध में कुछ व्यवस्था करें।

भीलवाड़ा स्टेशन के लिये भी मैने पहले भी कहा था, उसको माडर्नाइज कराइये। अजमेर-खडवा लाइन बहुत पुरानी है, उसके ट्रैक्स टूटे हुए हैं जिससे बहुत ज्यादा एक्सीडेन्ट्स होते हैं। उसके कोचेज और वेगन्ज सब पुराने और टूटे-फूटे हैं। गाड़ियों में पानी और दूसरी सुविधाओं का अभाव है। आपने 700 करोड़ रुपया कलकत्ता को दे दिया और हमारी लाइनें टूटी पड़ी रहीं-यह आपका क्या न्याय है? आपकी इस बात को यहां पर कोई भी पसन्द नहीं करता। 50 साल तक वह भी अण्डक-ग्राउण्ड लाइन नहीं बनेगी, लेकिन हम पैसे के अभाव

में तड़पते रहें । इसलिये हमारी प्रार्थना है कि आप हमारी तरफ भी तवज्जह दीजिए । इनको तो उस बात की कोई परवाह नहीं है, ये बड़े लोग हैं, लेकिन हमारी तरफ ध्यान देने से हमारा बैकवर्ड क्षेत्र आगे बढ़ेगा, जिससे हमको ही नहीं देश को भी फायदा होगा ।

अब मैं एक-दो प्लाइन्ट और कहना चाहता हूं, दिल्ली से अहमदाबाद को बड़ी लाइन में कन्वर्ट करने की चर्चा बराबर चल रही है । प्लानिंग मिनिस्टर साहब भी यहां बैठे हुए है । यह सबसे पुरानी लाइन है, इस के बड़ी लाइन में बदले जाने से दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र-पांच राज्यों को फायदा होगा । इसलिये मेरा अनुरोध है कि इस की जल्द से जल्द बड़ी लाइन में बदलिये ताकि इन क्षेत्रों का विकास हो सके ।

एक ट्रेन-गरीब नवाज एक्सप्रेस-आप ने आगरा से जयपुर के लिये चलाई है, उसको अजमेर तक ले जाइये ताकि अजमेर जाने वाले लोगों को उस का लाभ मिल सके ।

इन शब्दों के साथ माननीय सेठी साहब ने जो बजट रखा है उस का समर्थन करता हूं । हमारा अनुरोध है कि हमारी बातों पर ध्यान दें कर उनको पूरा कराने की कृपा करें ।

श्री बापू साहब परूलेकर (रत्नगिरि): मुझे अपने विचार प्रकट करने के लिए जो यह अवसर दिया गया उसके लिये मैं धन्यवाद देता हूं । मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं पांच मिनट से ज्यादा समय नहीं लूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं ।

श्री बापू साहिब परूलेकर : मैं माननीय रेल मन्त्री का ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहता हूं । मैंने उनके भाषण को ध्यान से सुना है । उन्होंने कहा है कि, मैं नये प्रोजेक्ट शुरू करने के बारे में सोच रहा हू । लेकिन पैसे की कमी के कारण मैं यह कर पाने में असमर्थ हूं ।" लेकिन मैं उनका ध्यान एक अन्य प्रोजेक्ट—जो कि महाराष्ट्र में कोंकण के लोगों का स्वप्न है—पश्चिम तट रेलवे लाइन जो कि कोंकण रेलवे लाइन से मशहूर है; के बारे में दिलाना चाहता हूं । जब जनता राज्य में प्रो० मधु दंडवते, रेलमन्त्री थे, तो उन्होंने इस विशेष प्रोजेक्ट को शुरू किया था । लेकिन मैं देखता हू कि बम्बई से रोहा तक ही निर्माण कार्य हुआ है । जिन दो जिलों का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, यानि रायगढ़ और रत्नगिरि—और सिन्धुसागर, जिसका कि प्रो० दण्डवते प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां के 70% से ज्यादा लोगों ने रेलों को नहीं देखा है । क्या यह अच्छा लगता है ।

हम 20वीं शदी के अन्त में पहुंच गये हैं और लोगों ने अभी तक रेलों नहीं देखी हैं ! कोंकर्ण एवं तंगपट्टी है । इसके एक ओर सिन्धुसागर है और दूसरी ओर सियादरी पर्वत है । रक्षा की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रक्षा विशेषज्ञों का मत है कि जब लम्बी तट रेखा हो तो उसके समानान्तर रेलवे लाइन का होना अत्यन्त आवश्यक हैं । इन सभी तथ्यों को ध्यान में

रखते हुए, मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे हमारे स्वप्नों को साकार करने में मदद दें या कम से कम हमें बता दें कि उन्होंने इस काम को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ? अगर आपने कदम नहीं उठाए हैं, तो आप क्या कदम उठाने के बारे में सोच रहे है ? क्या यह सम्भव है कि मैं अपने जीवन में अपने क्षेत्र से बम्बई तक रेल यात्रा कर सकूंगा ? मैं आशा करता हूं कि श्री सेठी इस कार्य में मेरी सहायता करेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : हां, एक ससद सदस्य के रूप में ।

श्री बापू साहिब परूलेकर : संसद सदस्य की हैसियत से या जैसे भी । इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं कहना है । लेकिन रेल लाइन बिछाने में हमारी अवश्य मदद करें जिससे कि कोंकण क्षेत्र में रहने वाले लोगों का वर्षों का स्वप्न पूरा हो सके ।

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतिहारी) : उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान सम्मान के साथ इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि इनके भूतपूर्व मन्त्री श्री केदार पांडे जी ने पब्लिक में और पार्लियामेंट में कहा था मुजफ्फरपुर-नरकटिया गंज लाइन को रक्सोल तक बड़ी लाइन में बनायेंगे । मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय साफ-साफ बतलायें कि मुजफ्फरपुर-नरकटिया गज लाइन कब तक बनने जा रही है या नहीं बनने जा रही है ।

इसी के साथ मैं यह भी कहूंगा कि मेरे यहां एक बहुत ही नेग्लेक्टेड स्थान है जहां ब्रान्च लाइन की जरूरत है । मैं चाहता हूं कि हाजीपुर, लालगांव, वैशाली, साहब गज, केरारिया, पहाड़पुर, हरसिद्धि होकर सुगोली में जाकर मिले ।

यह गंडक कतांड एरिया में पड़ता है और वहां के विकास की बहुत बड़ी आवश्यकता है । इसका सर्वेक्षण आप कराएं और इसमें देरी नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे वैशाली को जोड़ा जा सकेगा जो कि पुराने जमाने में एक ऐतिहासिक महत्व रखता था और राजधानी रह चुका है । यह पर्यटन, व्यवसाय और तीर्थ-स्थलों को जोड़ने के लिए बहुत आवश्यक है और पिछड़े इलाकों के विकास के लिए भी इस लाइन का बनाना जरूरी है । इसलिए मेरी मांग है कि इसका सर्वेक्षण जल्द से जल्द कराया जाए और मुजफ्फरपुर से नरकटिया गंज और रक्सोल तक एक बड़ी लाइन बनाई जाए । आपके प्रोडेसेसर का यह वायदा है । इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, हर कोई बोलना चाहता है । असल में मैंने एक गलत परिपाटी की है, क्योंकि कई एक लोग बोलना चाहते हैं । इसको एक परिपाटी नहीं बना लेना चाहिए । श्री सोमनाथ चटर्जी भी यह जानते हैं ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको विनियोग (रेल) विधेयक पर बोलना था तो लिखकर देना चाहिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : तो, ठीक है। आप अपनी बात लिखकर मन्त्री महोदय को दे दें। वे इसका उत्तर देंगे। आप सभी मन्त्री महोदय को अपनी-अपनी बात लिख कर दे दें।

अब, रेल मन्त्री उत्तर देंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने के लिए नहीं कह रहा हूं। आप अपनी बात लिखकर मन्त्री को दे दें। इसे एक विशेष मामला मानकर मैंने विनियोग विधेयक पर चर्चा की अनुमति दे दी थी, लेकिन इसे एक परिपाटी मानकर कभी भी उल्लेख नहीं करना चाहिए। अब रेल मन्त्री इसका उत्तर देंगे।

(व्यवधान)

रेल मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : मैंने माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गये मुद्दों का पहले ही उत्तर दे दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1982-83 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों से संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार कर दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ करेंगे।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाय ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), 1982-83

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) पर चर्चा और मतदान करेंगे । इसके लिए 2 घंटे का समय निश्चित किया गया है । इस विधेयक को भी आज निपटाना है । कटौती प्रस्तावों की सूचनाएं । श्री टी० आर० रामन्ना उपस्थित नहीं ।

श्री पी० के० कोडियन (अडूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वस्त्र, हथकरघा और हस्तशिल्प के सम्बन्ध में 11,70,90,000 रुपये से अनधिक की राशि की अनुदान की अनुपूरक मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।"

श्री पी० के० कोडियन : राष्ट्रीय कपड़ा निगम के कार्यकरण में सुधार करने की आवश्कता । (5)

श्री सुधीर गिरि (कन्टई) : में प्रस्ताव करता हूं :

"कि शिक्षा के सम्बन्ध में 1,60,90,000 रुपये से अनधिक की राशि की अनुदान की अनुपरक मांग में 100 रुपये कम कि जाएं ।"

[भारत की तंग आर्थिक स्थिति को देखते हुए एशियाई खेलों पर व्यय में कमी करने की आवश्यकता । (6)]

"कि गृह मन्त्रालय के अन्य व्यय के सम्बन्ध में 5,83,000 रुपए से अनधिक राशि की अनुदान की अनुपूरक मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[कुडाल आयोग द्वारा जांच में तेजी लाने की आवश्यकता । (7)]

"कि प्रसारण के सम्बन्ध में 1000 रुपये से अनधिक राशि की अनुदान की अनुपूरक मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

[देश की भयंकर गरीबी को पृष्ठ भूमि को ध्यान में रखते हुए रंगीन टेलीविजन आरम्भ करने की नीति का पुनर्विलोकन करने की आवश्यकता । (8)]

श्री पी० के० कोडियन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सड़क और अन्तर्देशीय जल परिहवन के सम्बन्ध में 8,00,00,000 रुपये से अनधिक राशि की अनुदान अनुपूरक मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[दिल्ली के दैनिक बस यात्रियों के लिए दिल्ली परिवहन निगम को और बसें चलाने की आवश्यकता । (9)]

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, हालांकि सरकार द्वारा अनुपूरक मांगें रखना एक नियमित कार्य है । लेकिन अगर आप अनुपूरक मांगों को देखें तो पायेंगे कि बेतुकी है । लेकिन मैं इस अवसर पर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के बहुत ही निराश और अस्त-व्यस्त रूप के बारे में करना चाहता हूं । और साथ ही यह कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के सम्बन्धों में असन्तुलन काफी बढ़ता चला जा रहा है । और केन्द्रीय सरकार की सनक को राज्य सरकारों पर थोपा जा रहा है और इसके परिणामस्वरूप उनको इसका घाटा भी सहन करना पड़ता है । हालांकि हम 20 सूत्री कार्यक्रम, उत्पादकता वर्ष, मुद्रास्फीति की विपरीत दर आदि के बारे में बेतुकी बातें सुन रहे हैं । लेकिन आज स्थिति यह है कि एक ओर तो मन्दी हैं और दूसरी ओर कीमतें बराबर बढ़ रही हैं । सरकार के दोस्त जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था पर नियन्त्रण किया हुआ है, यानि चैम्बर आफ कामर्स और अखिल भारतीय निर्माता संगठन आदि जैसे संगठनों, जिन्हें सरकार परिपुष्ट कर रही है; का यह आरोप है कि पहले ही मंदी की स्थिति शुरू हो चुकी है । यहां तक कि श्री जे० आर० डी० टाटा ने भी यह कहा है कि जिन वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, उन्हें भी नहीं बेचा जा सकता । उन्होंने कहा है कि :

"यह स्वाभाविक ही है कि जो निर्माता अब अपना उत्पादन नहीं बेच पाते या उन्हें काफी हानी उठा कर अपना माल बेचना पड़ता है उन्हें तो यह विचार कर ही लेना चाहिए कि कम से कम उनके व्यापार में तो मंदी के लक्षण विद्यामान है ।"

उन्होने कुछ उद्योगों का ब्यौरा दिया है, जैसे सोडा राख, एल्यूमिनियम, पोलिएस्टर और विशेष स्टील, जहां पर मंदी के स्पष्ट लक्षण हैं । भारतीय व्यापारी सघ के महा सचिव ने मंदी के बारे में चिंता व्यक्त की है । अखिल भारतीय निर्माता संगठन के प्रधान ने भी अर्थ व्यवस्था में मंदी की स्थिति के बारे में चिन्ता व्यक्त की है । इसलिए 20 सूत्री कार्यक्रम तथा उत्पादकता वर्ष, दोनों के द्वारा यह सरकार जनता को यह भ्रमित करने की कोशिश कह रही है कि अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है । परन्तु स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है । एक ओर तो मंदी है और दूसरी ओर कीमतें बराबर बढ़ रही हैं नवीनतम आकड़ों के अनुसार 24 अप्रैल से 17 जुलाई तक, थोक

भावों का सूचांक 274.3 से बढ़कर 29/2 हो गया है, यानि इस सप्ताह तन्त्र 6.16% की वृद्धि हुई। 17 जुलाई को समाप्त हुए सप्ताह पिछले सप्ताह की तुलना में 0.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। और 17 जुलाई 1982 को समाप्त हुए सप्ताह में सबसे अधिक वृद्धि यानि 0.7 प्रतिशत आवश्यक वस्तु समूह में हुई।

यह सब होते हुए भी, सरकार यह दावा करती है कि मुद्रा स्फीति की दरक न हो रही है, जोकि जान बूझ कर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश है। मैंने जो आकड़े दिये, वह थोक भाव सूचकांक हैं। अगर थोक बिक्री मूल्य सूचकांक में औसतन 30 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का क्या हाल होगा, आप खुद ही अन्दाजा लगा सकते हैं। एक मूल्यांकन के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकाक में वार्षिक वृद्धि दर करीब 50 प्रतिशत है सरकार द्वारा चाहे जो भी प्रचार किया जाए, असली स्थिति यही है। यही देश में हो रहा है। भारी वृद्धि की वजह से लोग बुरी तरह पिस रहे हैं। स्थिति गम्भीर है।

हम देखते हैं कि प० बंगाल में न्यायालय के स्थगत आदेश की वजह से एक अस्पताल के भवन का निर्माण पिछले 1/2 वर्ष से रुका हुआ है।

शुरु में इसका निर्माण खर्च 70 लाख आंका गया था जोकि अब दुगनी यानि 1.30,00,000 रु० हो गया है।

आज बाजार में मुद्रास्फीति की यह स्थिति है। क्योंकि न्यायालय ने स्थगन आदेश दिया हुआ है, इसलिए इसकी निर्माण लागत अब 1,30,00,000 रु० हो गई है। इससे देश में व्याप्त मुद्रास्फीति का पता चलता है। इसके फलस्वरूप विकास कार्य बिलकुल रुक गये हैं। जो कुछ विकास कार्यक्रम शुरू भी किये गये हैं वे इस एशियाड की वजह से खत्म हो गये हैं, यह अनुत्पादक खर्चे हैं।

हम प० बंगाल में एक भी उपरि पुल नहीं बना सकते। बड़ी मुश्किल से हम 3 करोड़ रु० इक्ट्ठा कर पाते हैं।

लेकिन हम पाते हैं कि यहां पर 3 या 4 उपरि पुल हैं।

(व्यवधान)

वह तो प्रचार के लिए कह रहे हैं कि इस पर केवल 4 या 5 करोड़ का खर्चा हुआ है। यहां पर सड़कों को चौड़ा किया गया है।

लेकिन हम अपने निर्वाचन क्षेत्र के सड़कों का निर्माण नहीं कर सकते। में प्रयत्न करता रहा हूं। मैंने इनको स्वीकृत कराया है। लेकिन धन का अभाव है। यह स्थिति है। इस प्रकार

का असंतुलन उत्पन्न किया जा रहा है। विकास सम्बन्धी परियोजनाओं की बलि चढ़ा दी गई है। (व्यवधान) कृपया तबदीली के लिए कुछ समय तक शांत रहिये। अतः विकास सम्बन्धी परियोजनाओं के बारे में स्थिति पूर्णतः अवरुद्ध हो गई है।

कृपया इस असंगति को तो देखिए हम लोगों के लिये आवास तथा दैनिक आवश्यकताओं को उपलब्ध कराने के लिए उपयुक्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था तो नहीं कर सकते, जिनके द्वारा समाज नजुक वर्गों को आवश्यक वस्तुओं को उचित मूल्य पर प्राप्त हो सके लेकिन कुछ शक्तिशाली व्यक्तियों के निजी हितों के लिए भारत की राजधानी में पांच स्टार वाले होटल बना सकते रहे हैं।

इस प्रकार यह देश कैसे आगे बढ़ेगा? मुझे पूरा विश्वास है कि इनमें से अधिकतर पांच स्टार वाले होटल एशियाई खेलों के लिए तैयार नहीं हो पायेंगी। यद्यपि पांच स्तार वाले होटलों के निर्माण के लिये भूमि, सीमेंन्ट तथा इस्पात की बहुत ही कम मूल्यों पर दिया गया है लेकिन इनका एशियाई खेलों के लिए उपयोग नहीं होकर कुछ अन्य प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जायेगा। यह देश कैसे आगे बढ़ेगा?

मैं यह जानना चाहता हूं कि व्यापारिक मन्दी की प्रकृति तथा मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति के बारे में सरकार का क्या रवैया है।

आजादी के 35 वर्षों के पश्चात भी हम यह देखते हैं कि देश में हमें महान् संकटों का सामना करना पड़ रहा है वर्षा नहीं हुई है। सूखे की स्थिति बनी हुई है। सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। हम अपने खाद्यान्नों का उत्पादन करने के लिये अभी भी प्रकृति पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं।

मन्त्री महोदय ने यह बताया है। "कि अधिक वर्षा होने पर स्थिति में सुधार आयेगा।" क्या हम इसी तरीके से अपनी अर्थ व्यवस्था को नियमित कर पायेंगे तथा आत्म-निर्भरता प्राप्त कर पायेंगे? एक समय ऐसा आता है जब हमको सूखे की स्थिति तथा भारी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है प्रत्येक राज्य में यही स्थिति है।

केन्द्रीय अध्ययन दलों को राज्य सरकारों के पास भेजा जायेगा वापस आने पर अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेंगे। तब इसके पश्चात् सूखा से पीड़ित लोगों को कुछ धन उपलब्ध कराया जयेगा। क्या इस प्रकार ही देश को आगे बढ़ाना है?

आजादी के करीब चार दशकों के पश्चात भी हमारी यह स्थिति है। हम अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर सकते।

लेकिन असंगति देखिए हम अपने खेती के उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं। हम खाद्यान्न

का निर्माण कर रहे हैं। डा० अशोक मित्र द्वारा यह बिल्कुल ही ठीक कहा गया है। उन्होंने निर्यात करो अथवा समाप्त हो जाने का नारा दिया है। आज स्थिति यह है कि हमको निर्यात करने पर भी समाप्त होना पड़ रहा है। आज यह स्थिति है। जहां तक निर्यात निष्पादन का सम्बन्ध है पूर्ण असफलता रही है। लेकिन फिर भी निर्यात किया जाता है। इसमें कोई सुधार नहीं हुआ है इसके बीच का अन्तर और बढ़ता जा रहा है। जहां तक विदेश व्यापार का सम्बन्ध है हम यह जानते हैं कि उत्पादनों के निर्यात के लिये लगभग 480 करोड़ रु० के पूंजी व्यय की मांग है। विदेश व्यापार के बारे में हमारी यह स्थिति है।

जहां तक बिजली का सम्बन्ध है वे इसके लिये 7 करोड़ रु० की मांग कर रहे हैं। मंत्रणा समिति ने यह बात स्वीकार की गई है कि दामोदर घाटी निगम में केन्द्रीय संगठनों के कार्य-निष्पादन में कमी आई है। स्वयं मन्त्री महोदय ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि दामोदर घाटी निगम के कार्य-निष्पादन में अत्यधिक कमी हुई है। वास्तव में वह जो कुछ भी कहते हैं हम उसको नहीं समझते हैं। लेकिन मैं यह नहीं जानता कि वह जो कुछ भी कहते हैं उसको समझते हैं अथवा नहीं। यह स्थिति है। विद्युत के क्षेत्र में पूर्णतः अस्त्रव्यवस्था है। दिल्ली में हमको विशेष अधिकार प्राप्त व्यक्ति माना जाता है संभवत हमारे सर्किट को नम्बर एक से जोड़ कर रखा जाता है इसलिए हमको बिजली की अत्यधिक कटौती का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन दिल्ली के अन्य क्षेत्रों में बिजली की की अत्यधिक कमी है।

फरक्का केन्द्रीय क्षेत्र में है। लेकिन यह केवल मात्र कागज पर ही है। सभी माप डण्डों सभी सिद्धान्तों के विरुद्ध भर्ती की जाती है और कुछ भी नहीं किया जा रहा है। केन्द्रीय सरकार के अधीन रहते हुए भी इसका यह कार्य-निष्पादन है। विद्युत के क्षेत्र में जो असफलता है उसको स्वीकार किया गया है मैं यह नहीं जानता कि यहां पर मंत्री महोदय क्या करते हैं। कुछ भी नहीं करते हैं।

यह शिक्षा के सम्बन्ध में एक अनुपूरक मांग है। आज स्थिति यह है कि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, केन्द्रीय शिक्षा संस्थानों में कार्य ठप्प पड़ गया है। स्वयं दिल्ली में गम्भीर समस्याएं हैं। चूंकि समय सीमित है, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा।

जहां तक नौवहन और परिवहन का संबंध है। भारतीय नौवहन आज बहुत बुरी अवस्था है। भारतीय नौवहन कम्पनियां परिचलन से बाहर हो रही हैं। उनमें से अधिकांश कम्पनियां बीमार पड़ गई हैं, वे काम नहीं कर सकतीं। नौवहन विकास निधि समिति केवल बिरला कम्पनियों जैसी अपनी विशेष कृपापात्र कम्पनियों को ही धन उपलब्ध कराती है। छोटी कम्पनियों को नौवहन में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और वे नौवहन में भी मंदी की समस्या में फंसी हुई हैं। मैं नहीं जानता कि वे इस धन का क्या करने जा रहे हैं।

जहां तक सड़क तथा जल परिवहन का सम्बन्ध है, हम देखते हैं कि केवल दिल्ली की सड़कों को ही चौड़ा किया जा रहा है। जल परिवहन में भी हमें कोई सुधार नहीं दिखाई देता है।

मैं इस मौके पर जैसा कि मैंने आरम्भ में बताया, कि राज्यों के व्यय के सम्बन्ध में सरकार द्वारा अपनाए गए रुख के कारण हमारी राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में जो असंतुलन पैदा किया गया है उसका उल्लेख करना चाहता हूं। जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, पिछले तीन वर्षों के दौरान, 7000 करोड़ रुपए अधिक खर्च किया गया है। जहां तक सभी राज्यों का सम्बन्ध है, उन्होंने 3 वर्षों की अवधि में कुल मिलाकर 2500 करोड़ रुपए के ओवर ड्राफ्ट लिए हैं। जहां तक केन्द्रीय सरकार के ओवर-ड्राफ्ट का सम्बन्ध है— तकनीकी अर्थ में कोई 'ओवर ड्राफ्ट' नहीं है। अत्यधिक खर्च किया जा रहा है, उनके पास रिजर्व बैंक हैं, सरकारी हुण्डियां रिजर्व बैंक को दे दी जाती हैं, जिन्हें रिजर्व बैंक को स्वीकार करना पड़ता है। केन्द्रीय सरकार को रिजर्व बैंक वापस अदायगी करने का कोई दायित्व नहीं है। वे परियोजनाओं पर अत्याधिक खर्च कर रहे हैं, जिससे देश के आम लोगों को लाभ नहीं पहुंचता। वह राशि रिजर्व बैंक से प्राप्त होती है। रिजर्व बैंक उन्हें धन देने के लिए प्रविबद्ध है। लेकिन राज्यों का खर्च पर नियन्त्रन करने के बहाने के आपने आज ओवर ड्राफ्ट देना बिलकुल बन्द कर दिया है मैं सरकार को चेतावनी देता हूं और उसका परिणाम यह होगा कि इससे आप केवल पश्चिम बंगाल को ही सबक नहीं सिखा पाएंगे, इससे देश के प्रत्येक राज्य को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि आपको अपनी ओवर ड्राफ्ट की नीति वापिस लेनी पड़ेगी क्योंकि जिन राज्यों में आपकी सरकार सही अथवा गलत काम कर रही है और वहां आंतरिक झगड़े हो रहे हैं···मुझ आपके आंतरिक झगड़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है···।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : आपकी क्या स्थिति है ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : मुझे बहुत प्रसन्नता है कि चुनावों के दौरान श्री व्यास, कांग्रेस (आई) के पर्यवेक्षक के रूप में पश्चिम बंगाल गए···(व्यवधान) वहीं की गई उनकी जो अत्याधिक सेवा की गई उसके बदले लोगों ने केवल 49 सदस्यों को निर्वाचित किया है···महोदय, आप समझते है, केवल 49 सदस्य।

श्री गिरधारी लाल व्यास : आपके राज्य में आन्तरिक झगड़ों की क्या स्थिति है ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : मुझे आशा है कि आप एक बार और वहां जायें और आपको सदस्य और कम होंगे···(व्यवधान) यह जानते हैं कि उनका दल कैसा है। एक दिन मुझे

(श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए)

समाचार-पत्रों में यह समाचार पढ़ कर बहुत खुशी होगी कि राजस्थान के आगामी मुख्य मन्त्री

निश्चित किए जाए गे । मैं केवल सहानुभूति ही प्रकट कर सकता है···हम गम्भीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं और यह सज्जन नहीं जानते कि वह क्या बोल रहे हैं···

सभापति महोदय : आप कृपया अपना ध्यान इधर-उधर न ले जाइए ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : वह कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं, लेकिन यह सब क्या हो रहा है ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, स्थिति यह है कि राज्य सरकार के विकास योजना कार्यक्रमों में कटौती करनी होगी । राज्यों सरकारों के लिए केवल रिजर्व बैंक में पड़ी अपनी राशि से खर्च करना बहुत कठिन है । भारत की वित्तीय नीति कभी भी ऐसी नहीं रही जैसी यह सरकार अब काबू करना चाहती है । 35 वर्षों में कभी भी ऐसा नही हुआ है । सरकार इसमें परिवर्तन करना क्यों चाहती है ? अधिकतर सभी राज्यों को ओवर ड्राफ्टों की शरण लेनी पड़ती है । धन लेने और वापिस करने का जो सहारा इन्हें था, उसे आप समाप्त कर रहे हैं । कि मुद्रा स्फीति बढ़ रही है और मूल्यों में भी अत्याधिक वृद्धि हो रही है, ओवर ड्राफ्ट लेना समाप्त किया गया है निश्चय ही इससे न केवल पश्चिम बंगाल में ही किन्तु पूरे भारत में विकास की गति धीमी पड़ जाएगी । केन्द्रीय सरकार की नीतियां यह हैं कि जब मूल्य बढ जाते हैं तो वे केवल दिल्ली के लोगों को ही प्रति जबावदार हैं क्योंकि उनका यहां के लोगों से सीधा सम्पर्क है । जहां तक राज्यों में रहने वाले लोगों का सम्बन्ध हैं, इसका सामना राज्य सरकार को करना पड़ता है । जब सीमेंट, इस्पात और चीनी के मूल्यों में वृद्धि होती है, तो आपके क्षेत्र के लोग श्री पुजारी अथवा श्री प्रणव कुमार मुखर्जी या प्रधान मन्त्री से यह पूछने दिल्ली नहीं आते हैं कि आप मूल्यों पर नियंत्रण करने में समर्थ क्यों नहीं है ।

वे अब राज्य सरकारों के पास जायेंगे । यहां यह सब किया जा रहा है और राज्य सरकारों के संसाधनों को समाप्त करने के लिए अब एक नियोजित नीति अपनायी जा रही है । यह आपकी राष्ट्रपति प्रणाली वाली सरकार लाने की दिशा में एक कदम हो सकता है —मुझे नहीं मालूम । परन्तु इस देश में अपनायी गई मुद्रा तथा वित्त संबन्धी नीति वैसी रही है परन्तु अब इसको विशेष मोड़ दिया जा रहा है जिससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में तबाही मच जाएगी उत्पादकता वर्ष की बजाय—20 सूत्रीय कार्यक्रम का उत्पादकता वर्ष जो कुछ भी इसे कहें हम नीचे गिरते जा रहे हैं बड़ी तेजी से नीचे धसकते जा रहे हैं और हमें यह महसूस करना पड़ेगा कि···

सभापति महोदय : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय केवल दो मिनट और मैं समय की कमी से अवगत हूं ।

जहां तक राज्य सरकारों का सम्बन्ध है अब पंडित कमलापति त्रिपाठी की अध्यक्षता में बिठाई गई समिति इस पर विचार कर रही है । उन वस्तुओं की सूची में वृद्धि की जा रही है जिन

पर बिक्री कर लगाया जा सकता है या जिनको अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के अन्तर्गत लाया जा सकता है। परन्तु अतिरिक्त उत्पादन शुल्क की दरें नहीं बढ़ाई गई है। बिक्री कर की दरें बढ़ा दी गई है, महोदय आपको मालूम है वस्त्र, तम्बाकू तथा अन्य औद्योगिकों, पर अधिक कई भार डाला जा सकता है, अतिरिक्त शुल्क से मुक्त रखा जाता है। राज्य सरकार द्वारा 4 प्रतिशत से अधिक कोई बिक्री कर नहीं लगाया जा सकता। यदि राज्य सरकारें बिक्री कर लगाती है तो वे अतिरिक्त उत्पादन शुल्क के वितरण में भागीदार नहीं हो सकते। अब क्या होने जा रहा है ? हमने बिक्री कर की वसूली 47 प्रतिशत बढ़ी हुई दिखाई है और अतिरिक्त शुल्क की मात्रा 13 से 14 प्रतिशत तक। परन्तु इन अतिरिक्त उत्पाद शुल्कों के लाभ पूर्णत राज्य सरकारों को मिलने चाहिए परन्तु यह उन्हें नहीं मिल रहे क्योंकि आप अतिरिक्त शुल्क दरों में वृद्धि इस प्रकार से नहीं कर रहे है कि उनका बड़े व्यापार गृहों में प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

अब आप कर की दर को भी कम किया जा रहा है। आपको मालूम है वसूल किए गए आय कर का 80 से 85 प्रतिशत तक राज्य सरकारों में वितरित की जाती है और आय कर की दरों को बढाया जाये तो आय कर की और अधिक वसूली होगी तथा राज्यों के लाभ भी और अधिक होंगे परन्तु यदि अधिशुल्क में वृद्धि होती है तो वह सारा केन्द्र सरकार को जायेगा इसलिए जो नीति अपनायी गयी वह आयकर को कम करने की रही है और अधिशुल्क को बढ़ाने की ताकि जो कुछ भी कर वसूली हो वह केवल केन्द्र सरकार को जाये फिर राज्य सरकारें कैसे काम कर चलायेगी ? आज आप सोच रहे होंगे कि आप हमें कठिनाई में डाल देंगे। हम और हमारी जनता उन सभी कठिनाइयों को सह लेंगे जिनका उन्हें सामना करना पड़ेगा। परन्तु वे इस प्रकार की चालों के सम्मुख कभी समर्पण नहीं करेंगे।

इसलिए मैं सरकार को बतला देना चाहता हूं कि इस प्रकार का हेरा-फेरी का रुख अपनाकर आप समस्या का समाधान नहीं कर सकते। आपको राज्यों के संसाधनों को बढ़ाना होगा तथा उनके जीवन स्तर में असन्तुलन और असमानताओं को कम करना चाहिए। इस प्रकार के बेकार के खर्च करके जो हम यहां दिल्ली में रोजाना देख रहे हैं, आप समस्या का समाधान नहीं कर सकते। अनुत्पादक खर्च बढ़ रहा है और इससे निश्चित रूप से देश में मुद्रा स्फीति की प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए मैं सरकार से सशक्त शब्दों में अपनी नीति में परिवर्तन करने के लिए निवेदन करता हूं। यदि कोई सार्वजनिक वितरण प्रणाली है और यदि आप सामान्य व्यक्ति को कोई लाभ देना चाहिए तो उसको मजबूत बनाया जाना चाहिए। हम हर बार जोर-2 से चिल्लाते हैं और इस समस्या को उठाते हैं। आप सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने और पूरे देश में राशन की दुकानों पर 14 आवश्यक वस्तुओं को एक ही दर पर उपलब्ध करने के लिए धन क्यों नहीं उपलब्ध करते ? कम से कम समाज के असुरक्षित लोगों को यह लाभ मिलना चाहिए। परन्तु कुछ नहीं किया जा रहा है। अब देश की अर्थ-व्यवस्था अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष के कंजे में है, हमने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सामने समर्पण कर दिया और हमने बड़े व्यापारों सामने समर्पण कर दिया है। एकाधिकार तथा निवेदनकारी व्यापारिक व्यवहार अधिनियम म

सशोधन कर दिया गया है। इसलिए हम विरोध करते रहे हैं। हमें मालूम है कि पूंजीवादी से रचना मुख्य समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती। आप समाजवाद की बात करते हैं। आप यहां वहां जाते हैं और कहते हैं कि भारत इतनी प्रगति कर रहा है। आखिर आप क्या प्रगति कर रहे है। इसका लाभ केवल मुटठी भर लोगों को मिलता है। जनता स्वत: इस पर शेष प्रकट करेगी और हम निश्चित रूप से इस नियोजित प्रयास का विरोध करेंगे जो कि देश को नंगा करने तथा राज्यों को और उनके माध्यम से राज्य के लोगों को संसाधनों में वंचित करने के लिए किया जा रहा । इसलिए हम इन मांगों का विरोध करते हैं।

श्री समीनुद्दीन (गोंडा) : सभापति महोदय, आप बजट की जो सप्लीमेंटरी डिमान्ड्ज सदन में पेश की गई है, वे बहुत ही मुनासिब और दुरुस्त है और इसलिए मैं उनकी ताईद करता हूं। इस आम सप्लीमेंटरी बजट में बहुत सी चीजें आ जाती हैं : रेलों के अतिरिक्त खेती भी आ सकती है, सिचाई भी आ सकती है और ला एण्ड आर्डर भी आ सकता है। मैं कुछ बातो के बारे में इजहारे ख्याल करना चाहता हूं।

आज देश में ड्राउट छाया हुआ है, जिस पर एक स्पेशल बहस होगी। खासकर हमारे क्षेत्र मे नहर ऐसी है कि जब बारिश होती है, तब तो वह पानी पाती है और जब बारिश नहीं होती है, तब वह पानी नहीं देती है। 1979 और 1981 म बारिश नहीं हुई और हमारे क्षेत्र के चानन डैम ने पानी नही दिया। सारी की सारी खरीफ की फसल और रबी की फसल मर गई। लेकिन अफसोस इस बात का है कि चूकि नहर खुदी हुई है, कर्मचारी और अधकारी काम कर रहे हैं, इसलिए नहर विभाग सिचाई टैक्स वसूल करने के लिए नोटिस दे देता है। एक तरफ तो ड्राउट हो गया, सरकार ने उसे ड्राउट घोषित किया और दूसरी तरफ किसानों से इरिगेशन टैक्स वसूल किया जा रहा है। एक तो ड्राउट की वजह से परेशानी है और दूसरी सिचाई विभाग की धांधलियों से परेशानी है। जो नहर ड्राउट के वक्त पानी न दे सकती हो, उसका टैक्स वसूल नहीं करना चाहिए। यह कानूनी तौर पर नाजायज है।

मैं अभी-अभी कुछ दिन हुए सिचाई विभाग के मुख्य अभियन्ता, सुपरिन्टेडिंग इन्जीनियर, एक्सीक्यूटिव इन्जीनियर भागलपुर को अपने क्षेत्र के अन्तर्गत घोरैया के नहरी इलाके का दौरा कराया था। मैंने उन्हें बताया कि नहर को खुदे हुए नस बरस हो गए है, लेकिन अभी तक वहां पानी पास नहीं हुआ है, मगर फिर भी सिचाई टैक्स लेने के नोटिस दिए जा रहे हैं। पानी तो नहीं दिया, लेकिन सिचाई टक्स की मांग की जा रही है। दस बरसों से पानी पास नहीं हुआ है और कर्मचारी जागीर खा रहे हैं।

हमारी सरकार ने नहरों की खुदाई और डैम बनाने का जो काम किया है, वह काबिले-तारीफ है। लेकिन चूंकि उनसे आम किसानों को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है, इसलिए उनके बीच हमारी बड़ी बदनामी हो रही है। यहां रिपोर्ट्स आ जाती है कि सब जगहों पर पानी दिया

गया है। अगर सब जगहों पर पानी दिया गया था, तो 1979 और 1981 में ड्राउट कैसे हो गया ? चानन डैम से घोरैया तक के इलाके में अभी तक एक कतरा पानी भी नहीं दिया गया है। उस इलाके की सारी पौद खत्म हो चुकी है। लेकिन यहां पर रिपोर्ट आएगी कि वहां पानी पहुंच गया है। तो यह एक ऐसी चीज है कि हमारे पैसे भी खर्च होते हैं और हमारी सरकार ही खुशनामी न होकर हमारी बदनामी होती है। ऐग्रीकल्चर और इर्रीगेशन दो विभाग हैं। हमने बहुत गौर करने के बाद देखा कि इन दोनों विभागों से किसानों का ताल्लुक है। मगर ऐसा लगता है कि जैसे एक गाय हो जिसका पीछे का हिस्सा एक आदमी का हो और आगे का हिस्सा दूसरे आदमी का हो। तो पीछे वाला हिस्सा लाभदायक है और आगे वाला हिस्सा खर्चीला है। इसी तरह से इर्रीगेशन पर तो खर्च होता है...

सभापति महोदय : समीनुद्दीन साहब, सप्लीमेंट्री ग्रान्ट्स में इर्रीगेशन के बारे में कुछ नहीं है। यदि ड्राउट पर आपको बोलना है तो वह कल आएगा, कल उस पर बोल सकते हैं।

श्री समीनुद्दीन : मैं सामान्य बजट पर बोल सकता हूं।

मैं यह कह रहा हूं कि इन दोनों विभागों में तालमेल नहीं है ऐग्रीकल्चर वाले पीछे का हिस्सा को लेकर बताते हैं कि इतना गल्ला पैदा हुआ, इतनी प्रगति हुई मगर गल्ला पैदा हो नहीं सकता है जब तक कि सिंचाई न हो और सिंचाई एक खर्चीली चीज है। इसलिए मैं चाहूंगा कि ऐग्रीकल्चर के साथ इर्रीगेशन हो। ऐसा न हो कि खर्च करने वाला कोई और हो और नफा व आदाद शुमार बतलाने वाला कोई और हो। ऐग्रीकल्चर और सिंचाई विभाग का कुछ तालमेल होना चाहिए और ऐग्रीकल्चर के साथ कुछ हिस्सा सिंचाई का रहे तो किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सकता है। जो सूरत इस वक्त है, इसमें कोई ताल मेल नहीं है।

दूसरी बात यह है, चूंकि सामान्य बजट है इसलिए मैं पुलिस के सिलसिले में भी बोल रहा हूं। अभी-अभी मैं मिनिस्टर आफ स्टेट फार होम से मुलाकात करके आया हूं। इस दिल्ली शहर में जब पुलिस की ओर से अवाम पर मजालिम होते हों, और ज्यादती होती हो और यह माननीय संसद सदस्य उसकी सरकार के सामने होती हो, उसका कोई इलाज न होता हो तो यह बहुत अफसोसनाक बात है। अभी-अभी 6 जुलाई को बेगमपुर के मोहम्मद सलीम ने अपने दरख्त को काटा था। वह पीपल का दरख्त था। होज खास की पुलिस का एरिया वह है, वहां की पुलिस ने उसको पकड़ लिया कि तुमने पेड़ क्यों काटा। जो तूफान में गिर गया था। और वो उसके कम्पाउन्ड में था जब उसने काटा तो उसके लड़के को और उसके छः मजदूरों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार ही नहीं किया बल्कि उसको बहुत मारा। जिसका नाम मोहम्मद साबिर अली था। उसके बाद जब इन्जरी रिपोर्ट लेकर जमानत पर वह छूटकर आया तो इन्जरी रिपोर्ट लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर और आई० जी से इजाजत मांगी कि हम इस दरोगा पर केस करेंगे। यह इजाजत मांगनी थी यह खबर पाकर पुलिस ने कि उसके लड़के को मिति 29-7-82 को फिर गिरफ्तार कर लिया और आज आठ रोज हो गए हैं होज खास थाने से अब मेहरोली की तरफ

नेपाल पर चौकी में कहीं उसको छिपा रखा है। उसके पिता से यह कहलवाना चाहते हैं कि तुम ने यह केस क्यों किया? मैंने होम मिनिस्ट्री में लिखा दस बारह एम० पीज ने लिखकर भेजा। घर वाले परेशान हैं कि मेरा बच्चा कहां है? मगर पुलिस सारे मामले को दबाए हुए है। पता नहीं चल पाया है कि वह लड़का कहां है। तो ये सनसनीखेज वाकय राजधानी में होते हैं जिसकी पूरी दरख्वास्त वास्ते जानकारी मैं स्टेट होम मिनिस्टर के पास भेज चुका हूं और इसकी निशान देही भी कर चुका हूं। इतने रोज तक होज काजी थाने में गुरुलाल मेहता थाना प्रभारी ने रखा और आज वह लड़का कहां है पता नहीं लेकिन अभी तक उस लड़के को वापिस नहीं किया गया है। आज यह हालत पुलिस की है। यह पुलिस की ज्यादती है। पुलिस जो कि हमारी रक्षक है, वही अगर भक्षक हो जाएगी तो लोगों को कैसे राहत मिल सकती है। किसी तरह से भी राहत नहीं मिलेगी। इसलिए मैं चाहूंगा कि पुलिस जिम्मेदारी के साथ लोगों की हिफाजत करे, लोगों को राहत पहुंचाए, तभी हमारी हुकूमत कामयाब हो सकती है और तभी हम मुल्क और कौम को आगे बढ़ा सकते हैं।

आज समाज में दो चीजें सामने आती हैं। अखबारों में भी बार-बार यह आता है कि हरिजनों के घर जलाए जा गए और हिन्दू मुस्लिम रायट्स हो गए। बहुत गौर करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अंग्रेजी दौरे हुकूमत में ऐसा नहीं होता था और अगर होता भी था तो बहुत कम होता था लेकिन आज इतना क्यों हो रहा है। मैं बहुत गौर करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि कांग्रेस सरकार और श्रीमती इन्दिरा जी के प्रगतिशील कदम जो उठाए गए हैं उनका यह नतीजा है। हरिजनों को लोग मवेशी समझते थे, उन पर सवारी की जाती थी, उनको सामने बैठने नहीं दिया जाता था। आज प्रगतिशील कदमों के फलस्वरूप वे अपने हुकूक पहचानने लगे हैं, वे सामने बैठने का अपना हक लेना चाहते हैं लेकिन बड़ी जाति के लोग जोकि अंग्रेजी दौरे हुकूमत देख चुके हैं, इसको बरदाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए आज वे खून-खराबा कर रहे हैं।

सभापति महोदय : अब समाप्त कीजिए।

श्री समीनुद्दीन : दूसरी तरफ मुसलमानों पर जो प्रहार हो रहा है उसकी वजह यह है कि फिरकापरस्त हिन्दू कहते हैं कि मुल्क के दो टुकड़े हो गए, हिन्दुस्तान बन गया और पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान में इस्लामी हुकूमत कायम हो गई फिर हिन्दुस्तान में हिन्दू हुकूमत क्यों न कायम हो।

सभापति महोदय : सप्लीमेंट्री डिमाण्ड्स में यह सब कुछ नहीं है।

श्री समीनुद्दीन : हिन्दुस्तान में उर्दू तालीम भी सिखाई जाती है और अरबी तालीम भी सिखाई जाती है। सेक्युलर स्टेट की यह एक नुमांया पहचान है लेकिन इसका साम्प्रदायिक तत्वों

पर अच्छा नही पड़ रहा है । जो साम्प्रदायिक खयाल के लोग हैं वे इसको बर्दाश्त करने क लिए नही है । यही कारण है कि रोष में आकर कमजोर मुसलमानों पर हमलावार हो जाते हैं । लेकिन यह अत्याचार बहुत दिनों तक नहीं चलने वाला है इसका अन्त होकर रहेगा ।

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिए ।

श्री समीनुद्दीन : बहरहाल, जो सप्लीमेंट्री बजट यहां पर पेश किया गया है उसकी मैं मजीद पुरजोर ताईद करते हुए अपने भाषण को खत्म करता हू । जय हिन्द ।

श्री जगन्नाथ पाटिल (ठाणे) : सभापति महोदय, चार महीने पहले 1982-83 का बजट इस सदन में पास किया गया था । सरकार ने अब पूरक मांगों की एक पहली लिस्ट सदन के समक्ष रखी है । लगभग दो, सवा दो सौ करोड़ रुपए की मांग इस अनुपूरक बजट में की गई है । सरकार जब वर्ष का बजट तैयार करती है तब अन्दाजा लगाती है कि इस साल वाणिज्य मंत्रालय में इतना खर्चा होगा और शिक्षा मन्त्रालय पर इतना खर्चा आएगा ।

लेकिन इसका अन्दाजा अभी तक न सरकार को ही पता है और न बजट बनाने वालों को ही पता है । कम से कम नौ महीने परे हो जाते तो कुछ रिजल्ट सामने आता, लेकिन अभी चार ही महीने हुए और यह मांगों की लिस्ट यहां पर लाई गई है । सात-आठ मन्त्रालयों के 14 विभागों के लिए मांगें रखी गई हैं । मैं सबके ऊपर तो बोलना नहीं चाहूगा, लेकिन मैं वाणिज्य मन्त्रालय के बारे में कहना चाहता हूं । वाणिज्य मन्त्रालय में फारन-ट्रेड एण्ड एक्सपोर्ट प्राडक्शन के लिए शुरू में डेढ़ सौ रुपए की व्यवस्था की थी, लेकिन अब साढ़े चार सौ करोड़ तक बढ़ा दिया गया है । इन सबको देखते हुए लगता है कि एक्सपोर्ट तो बढ़ता नहीं है । हमारे अधिकारियों के विदेशों के दौरे चलते रहते हैं । मैं आपको आई० एफ० टी० के एक सम्माननीय डायरेक्टर के बारे में बताना चाहता हूं । उनकी ड्यूटी नहीं है, लेकिन वे फिर भी बहुत दौरे करते है, जिसकी वजह से हमको फारन एक्सचेंज की कमी होती है । एक्सपोर्ट बढ़ता नहीं है और इम्पोर्ट का काम बढ़ गया है इम्पोर्ट ज्यादा कर रहे है, जिसके कारण हम लोग नुकसान में जा रहे हैं । सम्माननीय डायरेक्टर जिनका नाम...

****सभापति महोदय :** आप किसी व्यक्ति विशेष के नाम का उल्लेख मत कीजिए ।

श्री जगन्नाथ पाटिल : उनके फारन टूअर्स में कोई कमी नहीं आती है । आपने नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन को 11 करोड़ 70 लाख रुपए का लोन दे रहे हैं, जैसा कि इस डिमांड में दिया गया है । मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब से नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन स्थापित हुआ था, तब से अब तक हम कितना लोन दे चुके हैं ? जहां तक मुझे जान-

** कार्यवाही वृतन्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

कारी है जितने भी सरकारी उद्योग हैं उनमें घाटा ही होता है, जबकि प्राइवेट कम्पनी में प्राफिट होता है। मन्त्री महोदय को इसके बारे में भी सोचना चाहिए। नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन की हमारे यहां 6-7 मिलें हैं, जिनमें से दो तीन बन्द हैं और 3-4 बिल्कुल नुकसान में चलती हैं। इस ओर भी मन्त्री महोदय को ध्यान देना चाहिए।

बजट में शिक्षा मंत्रालय के लिए सबसे कम पैसा मांगा गया है। जबकि और कामों के लिए अधिक पैसे की मांग की जाती है। इस देश की 70 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है, देहातों में रहती है, उनके लिए शिक्षा की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आया हूं, वहां पर आज भी ऐसे गांव हैं, जहां स्कूल के लिए बिल्डिंग नहीं हैं। जहां बिल्डिंग हैं, वहां टीचर नहीं है और जहां टीचर है, बिल्डिंग है, तो लड़के नहीं हैं। जहां पर लड़के हैं, टीचर हैं और बिल्डिंग भी हैं, तो उनको कोई सुविधायें नहीं हैं। किसी-किसी स्कूल में तो ब्लैक बोर्ड तक की भी सुविधा नहीं है। एक स्कूल तो मैंने खुद देखा है, जिसमें कि दो टीचर हैं—एक महिला और एक पुरुष—उसमें दोनों के बैठने तक के लिए भी एक ही कुर्सी है। जब एक टीचर बैठता है, तो दूसरा खड़ा हो जाता है, और जब दूसरा बैठता है, तो पहला खड़ा हो जाता है। मेरी समझ में नहीं आता है कि इस प्रकार की व्यवस्था कब तक कायम रहेगी।

आजादी प्राप्त हुए 35 साल हो गये, आज भी महाराष्ट्र की पोजीशन यह है कि स्कूलों में जाने वाले विद्यार्थियों के लिए 3000 अतिरिक्त क्लासें खोलने की इजाजत शिक्षा संस्थाओं को नहीं मिली। वहां की शिक्षा संस्थाओं ने सरकार से मांग की थी कि हमारे यहां विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है इसलिए हमको तीन हजार अतिरिक्त कक्षायें खोलने की इजाजत दी जाए, इस इजाजत के न दिये जाने से 1 लाख 80 हजार विद्यार्थी शिक्षा से वंचित रह गये, उनको कक्षाओं में भरती नहीं किया जा सका—यह हमारी आजादी की परिणति है।

इसमें ऊर्जा मन्त्रालय के लिए लगभग 7 करोड़ रुपये की मांग की गई है। देश की राजधानी दिल्ली के नार्थ एवेन्यू में मैं रहता हूं। पिछले 10-15 दिनों से बिजली का जो खेल वहां चल रहा है वह मैं देख रहा हूं। कभी बिजली आती है तो कभी चली जाती है। 1980 में श्रीमती इन्दिरा गान्धी जी ने कहा था कि हम को काम करने वाली सरकार चुनकर दो और देश की जनता ने उनको बहुमत दे कर काम करने वाली सरकार चुन दी लेकिन परिणाम क्या निकला लोगों को महसूस नहीं होता है कि यह काम करने वाली सरकार है। मेरा तो ऐसा कहना है कि हम 7 करोड़ के बजाए इनको 15 करोड़ रुपया दे दें जिससे जो एक जगह बैठी हुई सरकार है उस को थोड़ा "शाक" लगेगा और वह कुछ सक्रिय हो सकेगी।

सभापति महोदय, ऐसे कई प्राजेक्ट्स पूरे नहीं होते जिससे 1 करोड़ के बजाए 2 करोड़ और 2 करोड़ के बजाय 4 करोड़ रुपया खर्च हो जाता है। जो एस्टीमेट बनाया जाता है, उसके अन्दर समय से काम पूरा नहीं होता तथा उसकी कास्ट बढ़ती जाती है। महाराष्ट्र की यह हालत

है – हमें गांव-गांव में बिजली पहुंचाना है, लेकिन होता यह है कि जिस गांव ने इन्दिरा जी को वोट दिया, चाहे वह कितनी भी दूरी पर हो उसको बिजली मिल जाती है, लेकिन यदि किसी गांव के पास से बिजली की लाइन जाती है लेकिन उसने इन्दिरा जी को वोट नहीं दिया है तो उस को बिजली नहीं मिलती । आप महाराष्ट्र के विद्युत डिपार्टमेंट की जांच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितना खर्चा बिजली देने पर होता है उस से ज्यादा खर्चा "वहीकल्स" पर होता है । मेरा यह मतलब नहीं है कि वहीकल्स नहीं होने चाहिए, वहीकल्स होने चाहिए, लेकिन यदि उनका खर्चा बिजली देने की कास्ट से ज्यादा होता है तो वह आपत्तिजनक है । इस पर कन्ट्रोल होना चाहिए ।

इस बजट में गृह मंत्रालय के लिए भी धनराशि मांगी गई है । पिछले तीन हफ्तों से यहां बैठ कर मैं सदन की बहस को बड़े ध्यान से सुन रहा हूं । उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के बारे में अखबारों में रोजाना खबरें आती हैं कि कहीं महिलाओं के साथ अत्याचार किया गया, कहीं ट्रेन लूटी जाती हैं, कहीं बस लूटी जाती है, कहीं बैंक लूटा जाता है । अब महाराष्ट्र के अखबारों में भी इस प्रकार के समाचार आने लगे हैं कि कहीं पर बस लूटी गई, कहीं पर डकैती पड़ी, घर घर में चोरी होने लगी है । मेरे क्षेत्र में तो यूनियन के कारण मजदूरों में बहुत ज्यादा असन्तोष फैल गया है ।

हमारे मजदूर भाइयों में असन्तोष होने के कारण वहां झगड़े बढ़ रहे हैं और पुलिस कुछ नहीं करती है । झगड़ा होने के बाद पुलिस आती है—क्या हो गया, कैसे हो गया, किधर हो गया कुछ पता नहीं चलता है । अगर कहीं कुछ नाम दे दिए गए तो पुलिस वाले उसकी जानकारी नहीं करते हैं । थाना, डाम्बीविली, उल्हासनगर, कल्याण, अम्बरनाथ—ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां चोरी बढ़ रही है ।

दो-नम्बर का धन्धा करने वाले लोगों को पूरा मौका मिल गया है, वहां कानून का कोई राज्य नहीं है । इतना पैसा हम इस डिपार्टमेंट पर खर्च करते हैं तो हमें यह भी देखना चाहिए कि लोगों को सुविधा प्राप्त हो । लोगों को ऐसा महसूस होना चाहिए कि पुलिस वाले हमारा संरक्षण करेंगे ।

लेकिन ऐसी बात नजर नहीं आती है । इसलिए मैं माध्यम से सम्मान्य मन्त्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि आप इतना पैसा लेते हैं, करोड़ों रुपया आप लेते हैं, तो कुछ काम करने के भी आपको दिखाना चाहिए । एक साल का बजट आप पहले लाए थे लेकिन उसके 4 महीने बाद ही सप्लीमेंटरी डिमांड्स सदन के सामने ले आए हैं । और कितनी सप्लीमेंटरी डिमांड्स मन्त्री महोदय इस सदन में लाने वाले हैं, यह वे अपने जवाब में बताएं । अगर यह हमें बता देंगे तो आगे के लिए अच्छा हो जाएगा । हर एक महीने में सप्लीमेंटरी डिमान्डस सदन के सामने लाना अच्छी बात नहीं है ।

जनरल बजट की डिमान्डस पर जो आप ने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आप को धन्यवाद देता हूं ।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, जो सप्लीमेंटरी डिमांड्स आज सदन के सामने पेश हैं, उन का मैं समर्थन करता हूं ।

सबसे पहले तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान एक बहुत पिछड़ा हुआ प्रदेश है और जितना विकाश तेज गति से देश का हो रहा है, उसमें जितना हिस्सा राजस्थान को मिलना चाहिए, उतना नहीं मिल पा रहा है । हमारे यहां बहुत बड़ी तादाद में मिनरल्स हैं, जिन पर बैस्ट इंडस्ट्रीज हम वहां पर खड़ी कर सकते हैं जिससे उस क्षेत्र का विकास हो सके । भारत सरकार को उस तरफ ध्यान देना चाहिए । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां आंगूचा, भीलवाड़े में बहुत बड़ी खान जिंक की है । उसमें 6 करोड़ टन डिपोजिट है और आज के पेपर में निकला है कि हम 45 हजार टन सीसे और जस्ते का उत्पादन कर रहे हैं, जो कि हमारी खपत का आधे से कम है । इसका और उत्पादन हम 1989 से शुरू करेंगे । इसका मतलब यह होगा कि उस वक्त तक कम से कम 100 करोड़ रुपये का हमको इम्पोर्ट करना पड़ेगा । और सीमा और जस्ता मंगाने पर हमको इतना ज्यादा रुपया खर्च करना पड़ेगा । इतने ही पैसे में अगर एक सुपर जिंक स्मेल्टर प्लांट हमें आंगूचा, भीलवाड़ा जिले, में लगा दें और इस खान में डिपोजिट के जिंक को निकाल कर सीसे और जस्ते का उत्पादन करें, तो हम बहुत सा फारेन एक्सचेन्ज बचा सकेंगे और बहुत बड़े पैमाने पर अपने यहां एक इंडस्ट्री खड़ा कर लेंगे, जिनसे हजारों आदमियों को एम्पलायमेंट मिलेगा और जो रीजनल इम्बैलिंस है, उसको समाप्त करने में हम बहुत बड़ा योगदान करेंगे । इसलिए इस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । इतना बड़ा जिंक डिपोजिट हमारे यहां होते हुए भी हमको बाहर से ये सब चीजें मगानी पड़ती हैं । इसका सर्वे वगैरह हो चुका है और एक्स कंवेन्सन हुए हैं लेकिन इस प्लांट को बनाने में इतनी देरी की जा रही है, जिसकी वजह से करोड़ों रुपया में फारेन एक्सचेन्ज में खर्च करना पड़ता है । 300 करोड़ रुपये में हम यहां पर इंडस्ट्री स्थापित कर सकते हैं और फारेन एक्सचेन्ज को बचा कर देश को तेजी के साथ आगे ले जा सकते हैं और प्रगतिशील बना सकते हैं ।

(श्री सोमनाथ चटर्जी पीठासीन हुए ।)

मेरा कहना यह है कि इस योजना को कार्यान्वित करने में क्यों इतनी देरी लगाई जा रही है । इसको तुरन्त इम्पलीमेंट किया जाए और एक सुपर जिंक स्पेल्टर प्लांइट वहां पर लगाय जाए, जिससे हजारों आदमियों को एप्लायमेंट मिले और सीसे और जस्ते के मामले में देश आत्मनिर्भर हो सके । इस प्रकार की व्यवस्था तुरन्त की जाय, मेरा यह आप से निवेदन है।

दूसरा मेरा निवेदन माइका से पेपर बनाने के सम्बन्ध में है । इस देश में तीन जगहों पर

माइका निकलता है। बिहार में निकलता है, राजस्थान में भीलवाड़े में निकलता है और आंध्र प्रदेश में निकलता है। अपने माइका से पेपर का कारखाना बनाने का वहां आदेश दे दिया है, तो राजस्थान के अन्दर भी भीलवाड़े में, जहां बहुत बड़े पैमाने पर माइका निकलता है, पेपर का कारखाने लगाने की भारत सरकार व्यवस्था करे। अगर हमारे यहां पेपर का एक बड़ा कारखाना लग जाता है, तो निश्चित तरीके से बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को एम्प्लायमेंट मिलेगा और माइका से पेपर बना कर हम फारेन एक्सचेंन्ज भी बचा सकते हैं और न केवल उसको बचा सकते हैं बल्कि फारेन एक्सचेंन्ज प्राप्त कर सकेंगे। यह फारेन एक्सचेंन्ज कमाने वाली संस्था बन सकेगी और इससे हमारे देश को बहुत फायदा होगा। इसलिए काम को भी तुरन्त हाथ में लेना चाहिए।

दूसरा मेरा निवेदन है कि राजस्थान पिछड़ा हुआ प्रान्त है जहां के 70 परसेंट लोग खेती-बाड़ी पर निर्भर करते हैं। वहां के लिए तीन उर्वरक के कारखाने लगाने की योजना है-एक गैस पर आधारित, एक राक फास्फेट पर आधारित और एक पाईराइट पर आधारित गैस पर आधारित उर्वरक कारखाने की स्वीकृति हो चुकी है। मेरा निवेदन है कि इसे तुरन्त शुरू कराया जाए जिससे कि वहां के काश्तकारों को लाभ मिल सके। राक फास्फेट और पाईराइट पर आधारित कारखाने भी वहां स्थापित होने चाहिए। राक फास्फेट वहां बहुत बड़े पैमाने पर निकलता है और पाईराइट बहुत बड़े पैमाने पर निकलता है। इन पर आधारित खाद के कारखाने भी यदि राजस्थान में लग जाते हैं तो निश्चित तरीके से राजस्थान ही नहीं देश के अन्य भागों को भी बेहतर बनाने का काम हम कर सकते हैं और फौरन एक्सचेंज भी हम बचा सकते हैं इस पर आपको सोचने की आवश्यकता है।

राजस्थान पिछड़ा हुआ प्रांत है। वहां पर बिजली का बहुत अभाव है। वहां पर एक मध्यप्रदेश के हाइडल प्रोजेक्ट्स से बिजली मिलती है और एक पंजाब के हाइडल प्रोजेक्ट्स से बिजली मिलती है। इनसे राजस्थान को पूरी बिजली नहीं मिल पाती है। इसलिए राजस्थान को इंडस्ट्रीज ठप्प पड़ी हुई है। किसी इंडस्ट्री को वहां 50 परसेंट और किसी को 100 परसेंट तक बिजली नहीं मिल रही है। इससे राजस्थान में इंडस्ट्रीयल पैदावार न होने की वजह से 4 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। वैस्ट बंगाल के लोग जो कुछ नहीं करते हैं वहां तो बिजली मिलती है जो लेकिन लोग जो पैदा करना चाहते हैं उनको आप बिजली न दो तो हम लोगों का कितना बड़ा नुकसान होता है। राजस्थान को आपको थरमल पावर प्रोजेक्ट्स देने चाहिएं जिससे कि राजस्थान की विद्युत की आवश्यकता की पूर्ति हो सके।

आपने राजस्थान को चार सौ मेघावाट के एटोमिक पावर प्लांट्स दिये हैं जिनकी दोनों ईकाइयां खराब हैं। राजस्थान किस प्रकार से प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़े यह एक विचारणीय प्रश्न है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स से हम को बिजली नहीं मिलती, थरमल पावर प्रोजेक्ट कोटा में मार्च में कमीशन होने वाला था, वह नहीं हुआ। उस वक्त कहा गया कि जुलाई में कमीशंड होगा

लेकिन वह भी नहीं हुआ। हमको तो अब ऐसा लगने लगा है कि यह योजना खटाई में पड़ गयी है। राजस्थान का भविष्य उज्ज्वल होना चाहिए था लेकिन बिजली के अभाव की वजह से राजस्थान का भविष्य ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है।

वित्त मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि आप इन पर ध्यान दीजिए। वहां पर लिग्नाईट पर आधारित विद्युत की योजना चल सकती है जो फलाना के अन्दर लग सकती है। कोटा में दो यूनिट तैयार होने वाले हैं उनको जल्दी से जल्दी तयार करवा कर राजस्थान की विद्युत की पूर्ति जल्दी से जल्दी करवाएं जिससे कि राजस्थान प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ सके।

सेन्ट्रल असिसटेंश आपने ऐसी राज्य सरकारों को भी दी है जिन्होंने कि उसे खर्च नहीं किया। आपने वहां के लिए करोड़ रुपया दिया लेकिन राज्य सरकार ने दस करोड़ रुपया भी खर्च नहीं किया। ऐसी राज्य सरकारों के खिलाफ आपको सख्त कार्यवाही करनी चहिए सेन्ट्रल गवर्नमेंट जो पैसा रिलीफ के लिए दे और राज्य सरकार उसका खर्च न करे तो इससे लोगों को तो परेशानी होती है, केन्द्रीय सरकार की भी बदनामी होती है। फलड कंट्रोल के लिए आपने असिसटेंश दी उसको राज्य सरकार ने खर्च नहीं किया, इससे फ्लड कट्रोल राहत कार्यों में लोगों को जो रोजगार मिलने वाला था वह रोजगार उन्हें नहीं मिला। फलड कंट्रोल, फेमीन या अन्य प्रकार के जिन राहत कार्यों के लिए सेन्ट्रल असिसटेंश दी जाती है उनके लिए उसका उपयोग होना चाहिए, न कि उसको बर्बाद किया जाना चाहिए। वैस्ट बंगाल सरकार ने कई योजनाओं के पैसे की बर्बादी कर दी जिसको बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए था, उसका उपयोग होना चाहिए था जिससे लोगों का विकास होता। ऐसी सरकारों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की निश्चित तरीके से व्यवस्था होनी चाहिए।

हमारी एम्प्लाएमेंट और सेल्फ एम्प्लाएमेंट की स्कीमें हैं। एक एम०आर०ई०पी०, दूसरी आई०आर०डी०पी० और तीसरी ट्राईसम स्कीम है। इन स्कीमों को बहुत सी राज्य सरकारों ने इम्पलीमेंट नहीं किया है और बहुत सी राज्य सरकारों ने इसके लिए दिये गये पैसे को खर्च नहीं किया है क्योंकि इन योजनाओं के लिए इस प्रकार की व्यवस्था है कि जितना पैसा भारत सरकार देगी, उतना ही पैसा स्टेट गवर्नमेंट को भी देना होगा। बहुत सी सरकारें जो ओवर ड्राफ्ट की वजह से पैसा खर्च नहीं कर पा रही हैं, इसलिए वे सरकारें उस प्रकार की योजनाओं को क्रियान्वित नहीं करतीं, उसकी वजह से रोजगार भी नहीं दे सकतीं। हम लोगों की योजना थी कि लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन वे तमाम रोजगार योजनाएं असफल हो गए और हमारी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी जो रोजगार देना चाहती हैं, उनकी आर्थिक उन्नति करना चाहती हैं, राज्य सरकारों की वजह से, उनके असहयोग की वजह से वे योजनाएं क्रियान्वित नहीं हो पा रही हैं। ऐसी राज्य सरकारों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए।

ओवर ड्राफ्ट के संबंध में आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया है, उनकी प्रशंसा किए बिना में

नहीं रह सकता। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि जो सरकारें ओवर ड्राफ्ट करके पैसे का दुरुपयोग करती हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। अगर सही योजनाओं पर पैसा लगाया जाए तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर गलत जगह पैसा लगाया जाए, अपनी पार्टी के कैडर को तैयार करने में या कार्यकर्ताओं को नाजायज फायदा देने के लिए पैसा लगाया जाए, ऐसी राज्य सरकारों के खिलाफ सख्ती से कदम उठाए जाने चाहिएं। मैंने तो बार-बार मांग की है कि जहां-जहां भी नाजायज तरीके से पैसा खर्च किया गया है, उन सरकारों को बरखास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए, ताकि उनको नसीहत मिले और जनता को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए जनता के विकास के लिए जो योजनाएं हैं वे निश्चित तरीके से पूरी की जानी चाहिए—इस बात की उन सरकारों पर बंदिश लगाई जानी चाहिए। सारे कार्यक्रम ठीक प्रकार से चल सकें, इन बातों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

सभापति महोदय : आपने दो बातों के लिए समय चाहा था।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैं आपकी बात को सपोर्ट में एक प्वाइंट कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय : चाहें समर्थन में कहें या नहीं परन्तु आपने अपने समय से अधिक समय ले लिया है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक होना चाहिए। मैंने पहले भी इस बात की ओर ध्यान दिलाया था कि दो-तीन राज्यों को छोड़ कर बकाया राज्यों में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर देश में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक नहीं होगा तो जनता को लाभ नहीं पहुंचाया जा सकता। इसके लिए कोआपरेटिव मूवमेंट को मजबूत बनाना पड़ेगा, उनको आर्थिक मदद देनी होगी, तब जाकर के आवश्यकता की चीजें जनता तक पहुंचाई जा सकेंगी। इसलिए इस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम को मजबूत बनाएं। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

प्रो० अजित कुमार मेहता: सभापति जी, हमारे पूर्व वक्ता ने एक बात बहुत अच्छी कही कि जितना भी राज्यों में पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, जिन राज्य सरकारों ने पैसे का दुरुपयोग किया है उनको बरखास्त करके वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए जैसे कि राष्ट्रपति शासन में दुरुपयोग नहीं होगा। अगर यह हुआ भी तो मैं जहां तक समझता हूं कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, वहीं दुरुपयोग हुआ है और उन सरकारों के बरखास्त होने की नौबत आ जाएगी, अगर दुरुपयोग का अर्थ ही न बदल दिया जाए।

खैर, आज सवेरे कृषि मंत्री जी ने एक प्रश्न के जवाब में यह कहा कि हाल के दिनों में देश में वर्षा अधिक हुई है। इसलिए अच्छी फसल होने की संभावना है। बड़े आश्चर्य की बात है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के तीन दशक बीत जाने के बाद भी हम ऐसी स्थिति में हैं कि हमारा किसान अच्छी फसल के लिए आसमान की ओर ही ताकता रहता है। हम ऐसी कोई स्थायी व्यवस्था नहीं

कर पाए हैं, जिनसे मौसम की अनिश्चता पर हमारी खेती निर्भर न हर करके स्थायी रूप से सिंचाई की व्यवस्था पर निर्भर रहे ।

यह देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है मैं बिहार राज्य की बात करूंगा । वहां करीब छः अरब रुपया सिंचाई की व्यवस्था करने पर खर्च हो चुका है । लेकिन आज भी वहां यह स्थिति है कि किसान खेती के लिए वर्षा पर निर्भर करता है । अगर अच्छी वर्षा हो जाती है और नहीं होती है तो खेती भी अच्छी नहीं होती है इतनी राशि खर्च के बाद भी खेती मौसम की अनिश्चितता पर निर्भर करती है और खेती की जब बर्बादी होती है तो भगवान को दोषी ठहराता जाता है । यदि वर्षा अच्छी हो जाती है तो हम कह देते हैं कि हमारी सिंचाई व्यवस्था बहुत सफल रही, इसका श्रेय हम ले लेते हैं, प्रशसा के भागीदार बन जाते हैं लेकिन जब खेती बरबाद हो जाती है तो कसूरवार भगवान को ठहरा देते हैं । इस ओर ध्यान नहीं देते हैं कि सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त न होने के कारण यह बरबादी हुई है । दुःख तो तब होता है कि जहां पर सिंचाई की पक्की व्यवस्था का दावा भी किया जाता है वहां भी पानी न मिलने के कारण फसल बरबाद हो जाती है । हमारे राज्य की जनता को यह पूछने का अधिकार है कि ऐसा क्यों होता है ? जहां सिंचाई की व्यवस्था नहीं हैं वहां तो ठीक है लेकिन जहां सिंचाई की व्यवस्था नहीं वहां तो ठीक है लेकिन जहां सिंचाई की पक्की व्यवस्था है वहां ऐसा क्यों होता है,—इसके लिए कौन उत्तरदायी है, कौन दोषी है, यह जानने का जनता को अधिकार होना चाहिए । दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है, यह जानने का भी जनता को अधिकार होना चाहिए ।

हाल के वर्षों में विकास कार्यों पर जितना खर्च हुआ है उसको देखा जाए तो पता चलेगा कि कृषि सम्बन्धी विकास कार्यों पर खर्च का हिस्सा भी बढ़ा है । यह प्रशंसा की बात है । 1978-79 में यह प्रतिशत 27 तक चला गया था । किन्तु खेद की बात है कि इतने भारी वित्तीय निवेश के बावजूद भी उत्पादन की विकास दर अपेक्षित रूप से नहीं बढ़ी है । यह दर केवल तीन प्रतिशत रही जबकि देश की बढ़ती हुई आबादी का पेट भरने के लिए यह कम से कम चार प्रतिशत होनी चाहिए । इस तरह से हमारा काम कैसे चलेगा, पता नहीं ।

आरम्भ में लक्ष्य रखा गया था कि 1982 तक हम कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जायेंगे । किन्तु जब सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुई तो हमने इस लक्ष्य को बढ़ाकर दो हजार ईसवी कर दिया । लेकिन जैसी हालत है, न उर्वरक समय पर मिल पाता है, ऊर्जा का भी यही हाल है और मौसम की अनिश्चितता भी है, इसको देखते हुए मुझे सन्देह है कि दो हजार ईसवी तक भी हम इस लक्ष्य को पूरा कर पायेंगे ।

हमारे राज्य में नदियों की कमी नहीं है । कमी है तो केवल योजनाबद्ध रूप से उन नदियों के पानी के सदुपयोग की । आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि इस देश में जहां प्रति व्यक्ति

बिजली की खपत का औसत बहुत अधिक है, या राज्यों में प्रति व्यक्ति बिजली की जो खपत है उसकी तुलना में बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत बहुत ही कम है।

सारे देश में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष बिजली की खपत 188 किलोवाट है, जबकि बिहार में 162 किलोवाट और यदि केवल उत्तर बिहार की बात करें तो 14 किलोवाट प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष मिलती है। और उत्तर बिहार में बेगूसराय जिले को छोड़ दें इसलिए कि वहां थर्मल पावर स्टेशन है और उसके आसपास थोड़ा अधिक बिजली खर्च होती है क्योंकि वहां उर्वरक और तेल शोधक कारखाना है, तो केवल बेगूसराय को छोड़ दें तो उत्तरी बिहार में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 6, 7 किलोवाट से अधिक बिजली की खपत नहीं होती है। ऐसी स्थिति में हम कृषि में कैसे उन्नति कर पायेंगे? सुझाव दिया गया था कि अगर हम कोसी को बराह क्षेत्र में बांधन की बात सोचें तो 33 लाख किलोवाट बिजली का उत्पादन सम्भव है: केवल नदियों की बाढ़ रोकने के लिए नियन्त्रित करना आवश्यक नहीं है, हमारी योजना ऐसी होनी चाहिए कि बाढ़ भी रुके और सिचाई भी हो और बिजली का भी उत्पादन हो। और इसीलिए कोसी को बराह क्षेत्रों में बांधने की आवश्यकता है जिससे 33 लाख किलोवाट बिजली मिलने की संभावना है और साथ ही उत्तर बिहार का बहुत बड़ा हिस्सा उसके सिंचित हो जायेगा।

अभी जो कोसी में कठिनाइयां हैं उनमें सिल्टिंग का जिसके कारण कोसी अपना रास्ता बदल सकती है जिससे बिहार में और तबाही होगी। इसीलिए मेरा सुझाव है कि कोसी को बराह क्षेत्र में बांधने की बात पर आप गम्भीरतापूर्वक सोचें।

अकाल की जो स्थिति बिहार में पैदा हो गई है उसके लिये आपने व्यक्ति तौर पर राहत देने के लिए उदारता दिखाई है। लेकिन यह भी समझ लें कि इससे काम नहीं चलता है। हर साल यही होता है कि बाढ़ और सुखाड़ के मौसम में राहत देते हैं जिसका सही उपयोग कभी नहीं हो पाता। उदाहरण के लिए मानसी में नेशनल हाई-वे का इरोजन रोकने के लिए जब बाढ़ आ जाती है तो बहुत पैसा उड़ेल दिया जाता है। जो सामान उसमें लगाया जाता है बजाय नदी का इरोजन रोकने में उसका उपयोग हो, वह बाजार में चला जाता है। इसलिए वक्ती तौर पर जो भी सहायता देते हैं उसमें सावधानी रखें और ऐसा मौका ही न आये कि वक्ती तौर पर राहत देनी पड़े। क्यों न उसके पहले से ही उसका इन्तजाम कर लिया जाय?

1964 में बूढ़ी गंडक के पानी का सही इस्तेमाल करने के लिए नदी में फ्लोटिंग पंप की व्यवस्था करने की बात सोची गई थी। बूढ़ी गंडक के पानी के इस्तेमाल फ्लोटिंग पंप के द्वारा ही ठीक तौर से किया जा सकता है क्योंकि उसमें पानी का लेविल हमेशा घटता बढ़ता रहता है और वहां से नहरें निकालने में कठिनाई है। इसलिए फ्लोटिंग पंप व्यवस्था के बारे में आप सोचें तो उस इलाके को बड़ा लाभ मिलेगा।

इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री रामसिंह यादव (दलवर) : महोदय, केन्द्रीय सरकार ने 3 महीने के बाद ही जो सप्लीमेंट्री ग्रान्ट्स पेश की हैं उससे इस बात का संकेत मिलता है कि केन्द्र और राज्यों की वित्तीय स्थिति चेतावनी भरी और गम्भीर है और उसके प्रति हम सभी को गम्भीरतापूर्वक सोचना होगा। केवल 3 महीने में 2,262.61 करोड़ की सप्लीमेंट्री डिमान्ड्स लेकर आये, और शुरू की जो लाइनें हैं डिमान्ड्स की उसमें यह लिखा है कि यह फस्ट बैच है। कितनी और सप्लीमेंट्री डिमान्ड्स लेकर आएंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। यह इस बात का संकेत देता है कि आपको यह शंका है कि कितना और आपके बजट में इन्फ्लेशन होगा, कितना और अधिक बजट बढ़ेगा। इस बारे में आपको शायद अभी तक पूरे तरीके से जानकारी नहीं है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपके बजट पर जिस तरीके से आपका खर्चा हो रहा है, उस पर जब तक आप नियन्त्रण नहीं करेंगे, तब तक आप किसी तरह से भी स्टेट फाइनेन्सेज को और सेन्ट्रल फाइनेन्सेज को नियन्त्रण में नहीं ला सकते हैं। मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि छठी पंचवर्षीय योजना के फाइनेन्शियल इवैल्यएशन में 3 पब्लिक अण्डरटेकिंग्स पर आपका 12 हजार करोड़ रुपया ज्यादा खर्च हुआ है। आपकी अकेली पावर अण्डरटेकिंग पर छठे प्लान में 4 हजार करोड़ रुपया वेस्टफुल एक्सपेंडीचर हुआ है। इस तरीके से कन्ट्री में डेफिसिट हो रहा है। ट्रांसपोर्ट अण्डरटेकिंग और इर्रीगेशन अण्डरटेकिंग उसके नेक्सट हैं। जब 12 हजार करोड़ रुपये का घाटा 3 अण्डरटेकिंग्स पर हो तो किस तरह से उसको देश बर्दाश्त कर सकता है, इस पर आपको गम्भीरता से सोचना चाहिए।

आप जो यहां सप्लीमेंट्री डिमान्ड्ज लेकर आते हैं और पास करा लेते हैं, यह तो सीधा प्रोसीजर है। प्रोसीजर तो ठीक हो सकता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स पर आपका क्या नियन्त्रण है? आज सबमें होड़ लगी हुई है वह घाटे का बजट लेकर आती है, अपनी रिसोर्सेज डेवलप नहीं करतीं और जो रुपया उनको आप देते हैं उनका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं होता। जैसा और भी माननीय सदस्यों ने कहा है कि जिस काम के लिए रुपया दिया जाता है, उस प्रोजेक्ट पर खर्चा न करके और दूसरे तरीके से स्टेट्स में रुपया खर्च करते हैं। स्टेट्स ने आपके दिए हुए फाइनेन्स को किस तरह से सही इस्तेमाल किया है या नहीं, इस बात का कोई इवैल्यूएशन या जायजा आप नहीं लेते हैं। अगर किसी स्टेट ने सही इस्तेमाल नहीं किया है तो उसके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की है? जो स्टेट्स अपनी रिसोर्सेज नहीं बढ़ाती है और लगातार मांग करती रहती हैं कि उनको हिस्सा मिले, नए प्रोजेक्ट्स मिलें, अधिक रुपया मिले, उनके बारे में आपकी क्या नीति है? अगर आप नीति निर्धारण नहीं करेंगे तो कब तक इसको बर्दाश्त करते रहेंगे?

आपने आई० एम० एफ० का 5 हजार बिलियन का लोन ले रखा है। अगर आप वह लोन नहीं लेते तो आपकी क्या स्थिति होती? आज जो भी कंटिन्जेंसीज मुल्क के सामने हैं, अगर बाहर के लोन को किसी तरह से अपनी इनकम में से हम नेगेटिव कर दें, मायनस कर दें और देश को तब उनमें से गुजरना पड़े तो फिर हमारी वित्तीय स्थिति क्या होगी? इस बात को देखने की

आवश्यकता है । पब्लिक अन्डरटेकिंग्ज चाहे स्टेट गवर्नमेंट रन करती हों या सेन्ट्रल गवर्नमेंट रन करती हो, इनके बारे में जब तक आप सीरियस व्यू नहीं लेंगे तब तक आपका फाइनेन्स ठीक नहीं चलेगा ।

सुपर बाजार पर आप किस तरह से और किसलिए इतना रुपया खर्च करते हैं । गरीब आदमी पर टैक्स लगता है और सारे सुपर बाजार आज लास में जाते हैं । इसी तरह टूरिज्म की अन्डरटेकिंग हैं, वहां कई तरीके के अलग-अलग आइटम्ज हैं जिन पर वेस्टफुल एक्सपैंडीचर होता है । उस पर आपका कोई कन्ट्रोल नहीं है । आपका कोई भी प्रोडक्टिव प्रोग्राम नहीं है । जब तक कोई भी प्रोग्राम क्रिएटिव और प्रोडक्टिव न हो, सोसाइटी को उससे लाभ न हो तो आप क्यों उसमें इतना पैसा लगाते हैं ? उससे आपको क्या लाभ है ? आप गरीब आदमी पर टैक्स बढ़ाते हैं और उसका रिटर्न मिलता नहीं है ।

आपने 1742 करोड़ रुपये का स्टेट गवर्नर्ट्स को जो लोन में कन्वर्ट करने का प्रावधान कर दिया, लेकिन यह भी क्या आपने देखा है कि जितना ओवर-ड्राफ्ट स्टेट गवर्नमेंट्स का है, उतना ही सेन्ट्रल गवर्नमेंट का है । दोनों का ओवर-ड्राफ्ट बराबर है । इसके बारे में भी आपको देखना होगा कि यह ओवर-ड्राफ्ट क्यों बढ़ रहा है । जब तक आप इसको कन्ट्रोल नहीं करेंगे, प्राइसेस पर कन्ट्रोल नहीं करेंगे, प्राइसेस पर कन्ट्रोल नहीं हो सकता है । अगर ओवर-ड्राफ्ट कन्ट्रोल होगा तो प्राइसेस पर कन्ट्रोल करने की भी आपमें क्षमता आयेगी ।

जिन स्टेट्स पर नेचुरल कलैमिटीज आती हैं, आपने आज तक इतने फाइनेन्स कमीशन बैठाए हैं, लेकिन उनके साथ किसी ने भी आज तक जस्टिस नहीं किया, चाहे तमिलनाडु हो, वैस्ट बंगाल, बिहार, राजस्थान हो, जिनमें सूखा है या फ्लड है । उनसे निपटने के लिए आपको नेशनल लैवल पर थिंकिंग देने की आवश्यकता है ।

मैं सैवन्थ फिनान्स कमीशन की रिपोर्ट के बारे में कहना चाहता हूं कि एक एक्सपर्ट बॉडी होते हुए भी उसने एक अन-एक्सपर्ट रिपोर्ट दी है और नेचरल कैलेमिटीज को मीट करने के लिए उसी तरह की एलोकेशन्ज की है । सैवन्थ फिनांस कमीशन की रिपोर्ट के पेज 126 पर रेलिवेन्ट पोशंन यह है :—

"अन्य विचारणीय विषयों के बारे में हमारी सिफारिशें"

राहत व्यय के वित्त पोषण की वर्तमान नीति और प्रबन्धों के बारे में की समीक्षा तथा देवी विपदाओं के बाद निःशुल्क राहत देने और लोक परिसम्पत्तियों को पहले की स्थिति में लाने के लिए किए जाने वाले निर्माण कार्यों पर राज्य सरकारों द्वारा किए गए व्यय पर विचार करने के बाद हम लेखाशीर्ष "289-देवी विपदाओं के सम्बन्ध में राहत" के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों के लिए निम्नलिखित वार्षिक व्यवस्थाओं (मार्जिन) की सिफारिश करते हैं :—

(लाख रुपए)

राजस्थान	774	प्रति वर्ष

अगर राजस्थान जैसे प्रदेश को, जहां लगातार पांच साल से सूखा पड़ रहा है, 7 या 8 करोड़ रुपया दिया जाए, तो वह स्टेट सूखे की स्थिति से कैसे निबट सकती है ? कुछ राज्यों में कई समस्याएं ऐसी हैं कि अगर सेन्टर उन्हें हाथ में नहीं लेगा, तो राज्य तो उन्हें बीस साल तक भी हल नहीं कर सकेंगे । उदाहरण के लिए राजस्थान में पानी की समस्या है । जब तक सेन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इसके लिए कोई प्रोजेक्ट तैयार नहीं की जाएगी, तब तक राजस्थान के लोगों को पीने के पानी की सुविधा नहीं दी जा सकेगी । इसी तरह राजस्थान में बिजली की समस्या है, जो कि और स्टेट्स में भी है । हमारे यहां एटामिक पावर प्राजेक्ट सेन्टर का एक बहुत बड़ा प्राजेक्ट है । वह 175 करोड़ रुपये का प्राजेक्ट है । वहां पर 400 मैगावाट बिजली पैदा होनी चाहिए, लेकिन उसका यीअर्ली ऐवरेज 100 मेगावाट का भी नहीं है । इस प्रकार के जिन प्राजेक्ट्स से स्टेट की इकानोमी आगे बढ़ सकती है और प्राडक्शन में वृद्धि हो सकती है, अगर वे फेल हो जाती हैं, तो आल्टरनेटिव तरीका क्या है ?

कोटा का थर्मल प्लांट 1980 में कमीशन होना था, लेकिन वह आज तक कमीशन नहीं हो सका है । सेन्ट्रल गवर्नमेंट आज भी यह नहीं बता सकती है कि वह कौन सी तारीख को कमीशन होगा । अगर स्टेट की इकानोमी की बेसिक रेक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो पाती हैं, तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट क्या कार्यवाही करेगी ? वहां पर इण्डस्ट्रीज और एग्रीकल्चरल सेक्टर को बिजली नहीं मिलती है । फिनान्शल एक्सपर्ट्स ने एसेसमेंट किया है कि इसकी वजह से एग्रीकल्चरिस्ट्स और इण्डस्ट्रियलिस्ट्स का एक साल में 4,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है । इसलिए यह जरूरी है कि वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को कम किया जाए और ऐसी स्कीम्ज बनाई जाए, जिनसे प्राडक्शन बढ़े और हर आदमी को उसका लाभ हो ।

आज सुबह फरक्का बेराज के बारे में सदन में बात हुई कि उसके लिए धन की व्यवस्था की जाए और जो डेंजर्ज पैदा हुए हैं, उनके लिए क्या तैयारी है राजस्थान कैनाल विश्व का सबसे बड़ा प्राजेक्ट है । एक आर्टिफशल कैनाल द्वारा इर्रीगेशन के लिए पानी की व्यवस्था करने वाला दुनिया में उसके मुकाबले का कोई प्राजेक्ट नहीं है । लेकिन केन्द्रीय सरकार आज तक नहीं कह सकती कि राजस्थान कैनाल कब पूरी हो जाएगी । उसके दो चरण 1980 में कम्पलीट हो जाने थे, लेकिन अभी तक दूसरे चरण का एक तिहाई या एक-चौथाई हिस्सा पूरा हुआ है । पश्चिमी पाकिस्तान के बार्डर के साथ 700 किलोमीटर तक रहने के कारण उसका एक स्ट्रेटेजिक महत्व है, राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से उसका महत्व है । उससे दो लाभ है : उसके द्वारा हम डेजर्ट को गैनरी में चेन्ज कर देते हैं, अपने प्राडक्शन को बढ़ा सकते हैं और आम आदमी की स्थिति को बेहतर बना सकते हैं । दूसरे, अगर बार्डर पर पानी नहीं होगा, तो आदमी वहां रहने के लिए नहीं जाएगा जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा होगा । इसलिए जिन प्राजेक्ट्स को स्टेट्स पूरा नहीं कर सकती हैं, उन्हें पूरा करने के लिए स्टेट्स के लिए प्रापर्टी बेसिन पर पैसे का प्रावधान करना होगा ।

अन्त में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एट्थ फिनान्स कमीशन तो बिठा दिया।

लेकिन जब तक आप एक्सपेंडीचर कमीशन नहीं बनाएंगे इस देश के अन्दर, तब तक फाइनेन्स को कन्ट्रोल नहीं कर सकेंगे। आप एक्सपेंडीचर कमीशन बनाइए, स्टेट्स के ऊपर उनकी रिपोर्ट लीजिए। जो स्टेटस सही तरीके से रिसोर्सेज को मोबिलाइज नहीं करते और खर्च ठीक तरीके से नहीं करते उनके खिलाफ जब तक ऐक्शन नही होगा तब तक वित्तीय स्थिति काबू में नहीं आ सकती।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इन डिमान्ड्स का समर्थन करता हूं।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते (बम्बई उत्तर मध्य) : आपने मुझे सिर्फ पांच मिनट दिया है, मैं आपको सहयोग देने की पूरी कोशिश करूंगी। पहली बात यह है सप्लीमेंट्री बजट पेश करने की कोशिश सरकार ने की है इसलिए मैं पहले धन्यवाद देना चाहती हूं क्योंकि पिछले साल में एक नया रवैया शुरू हो गया था कि एग्जीक्यूटिव आर्डर्स से कुछ टैक्सेज बढ़ा दिए, प्राइसेज बढ़ा दी, इनकम बढ़ा दिया। तो कम से कम सप्लीमेंट्री बजट का पहला फेज आप लाए हैं जैसा कि आपने कहा है कि यह पहला फेज आया है अभी और कितने आएंगे कुछ पता नहीं।

मैं अपने विचार सिर्फ दो पहलुओं पर रखना चाहती हूं। पहली बात है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में। हमारे देश में अनाज बहुत पैदा हुआ है, चीनी बहुत पैदा हुई है। सीमेंट की भी हालत सुधारने के लिए अन्तुले जैसे व्यक्ति को निकाला भी गया है। लेकिन तब भी ऐसा लगता है कि आज भी देश में खासकर देहातों में ये सारी चीजें लोगों को ठीक तरह से मिलती नहीं हैं। 14 चीजों के बारे में आपने कहा है कि मिल जाएंगी। लेकिन मैं एक बात की ओर आपका ध्यान खींचना चाहती हूं कि आस्ट्रेलिया से हमारी सरकार ने 7 लाख 50 हजार टन गेहूं मंगाया है। आस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट करने के पहले ही यह कहा कि इसके ऊपर पेस्टिसाइड्स जो स्प्रे किया है उसकी वजह से यह खाने लायक नहीं है, ह्वायजनस है। लेकिन उन के यह कहने के बावजूद भी हमारे देश में सात लाख टन गेहूं आया हुआ है। यह सारा गेहूं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए हमारे देश के गरीब लोगों को ही खाना पड़ेगा। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि एक जमाना था कि जब धतूरा मिश्रित माइलों हमारे देश के लोगों को खाने को दिया गया। एक तरफ से खेसारी दाल का उत्पादन कम किया जाए या उसको बन्द किया जाए ऐसी मांग होती है तो हमारे कृषि मन्त्री कहते हैं कि यह सम्भव नहीं लगता। दूसरी तरफ यह कहते हैं कि देश में अनाज इतना पैदा हुआ है फिर भी परदेश से यहां इतना अनाज आया है। इसके लिए जो पैसा दिया गया है, जो राशि खर्च की गई है, उस राशि का क्या होगा ?

कन्ज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी आफ इण्डिया एक कन्ज्यूमर्स आर्गनाइजेशन है, उसने मांग की है और पूछा है कि इसके लिए जो भी राशि खर्च हो गई है उसका क्या होगा ? शायद सरकार

यह सोचे, वह शायद यह समझती है कि हमारे देश के लोग कैसा भी खाना हो, खाएंगे। पत्थर भी खाना पड़े तो खाकर रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर वार्निंग के बाद भी सरकार इस तरह की बातें करती है तो यह बहुत गलत बात है। मैं जानना चाहूंगी कि सरकार इसके बारे में तुरन्त क्या कार्यवाही कर रही है और हमारे देश के लोग जो कन्ज्यूमर्स हैं और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर पूरी तरह से निर्भर करते हैं उनके लिए वह क्या करने जा रही है? खर्चे के बारे में भी मैं जानना चाहूंगी कि इसका खर्चा किस प्रकार से मीट करने वाली है।

सीमेंट के बारे में इसलिए कहती हूं कि अन्तुले को निकाला लेकिन आज भी बम्बई में और महाराष्ट्र में लोग कहते हैं कि एक मन्त्री को निकाला, मगर आज भी लोगों को सीमेंट उपलब्ध नहीं है। तो यह सीमेंन्ट लोगों को कैसे मिलेगा यह बताने का कष्ट करें।

तीसरी बात मुझे कहनी है कि अगर हमारे देश में चीनी बहुत पैमाने पर पैदा हुई है तो राशन की दुकानों में उसकी मात्रा बढ़ानी चाहिए नहीं तो आखिर में एक इण्डस्ट्रियल क्राइसिस पैदा होने वाली है शुगर इण्डस्ट्री में। एक तरफ से बफर स्टाफ के लिए हमारा पैसा खर्च होने वाला है दूसरी तरफ उसके साथ-साथ जनता को चीनी अधिक मात्रा में मिले, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए।

दूसरी बात का एण्ड आर्डर सिचुएशन की है। मुझे दुख से कहना पड़ता है कि ला एण्ड आर्डर सिचुएशन की वजह से सबसे अधिक हमारी बहनों पर हमला हो रहा है। पुलिस उनके ऊपर अत्याचार कर रही है। पुलिस की भी कई शिकायतें हैं, कठिनाइयां हैं, इसके लिए सरकार ने खर्चा करके एक पुलिस कमीशन बैठाया। उसने अपनी पांच रिपोर्ट दी है लेकिन उनको वह हमारे सामने क्यों नहीं रखते? अगर हम ठीक तरह से उनके ऊपर पैसा खर्च कर सकें तो हम उनकी कठिनाइयां दूर करके देश की ला एण्ड आर्डर सिचुएशन को ठीक कर सकते हैं। दूसरी तरफ से डावरी के लिए आज एक डिमांस्ट्रेशन हो गया, कल एक होने वाला है। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर हमारे देश की रक्षा की पूरी जिम्मेदारी है ऐसा प्रधान मन्त्री कहती हैं कि मुझे सबक सिखाने की कोशिश विरोधी दलों ने की है। एक आम पुरुष स्त्री पर इसलिए अत्याचार करने उनको सबक सिखाने की कोशिश करता है। वे अपनी दुश्मनी दिखाना चाहते हैं।

मुझे लगता है यह पूरी समस्या का बहुत अधिक सरलीकरण हो गया है।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

आज डावरी के लिए अत्याचार हो रहे हैं। इतना सिम्प्लीफिकेशन करने से यह काम नहीं होगा। मेरी प्रार्थना है कि आप इतनी राशि खर्च करते हैं, पुलिस कमीशन बैठता है, जिसकी रिपोर्ट पांच वाल्यूम्स में है, उसको लोकसभा के सामने रखना बहुत महत्वपूर्ण है। जनता पार्टी

के जमाने में जो गोल्ड आक्शन हुआ उसके सम्बन्ध में एक कमेटी बनाई गई है, उसकी रिपोर्ट भी पार्लमेंट के सामने नहीं आई है। यह जो महत्वपूर्ण प्रश्न है यह देश के समक्ष आने चाहिए। आज पुलिस का जो सवाल है वह बहुत ही महत्व का है। मैं कहना चाहूंगी कि आगरा में मधु नाम की लड़की पर जो काण्ड हुआ है, इस प्रकार के अनेक कांड अलग-अलग जगहों पर हो रहे हैं। आज देश की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। ला एंड आर्डर मेनटेन करने के लिए हम इतना खर्च कर रहे हैं लेकिन जब तक हम इसके रुट काज पर नहीं जायेंगे तब तक यह हालत सुधरने वाली नहीं है।

तीसरी बात यह है कि अगर हम वास्तव में महिलाओं की रक्षा करना चाहते हैं तो सरकार को महिलाओं के लिए रोजगार उपलब्ध करने की कोशिश करनी चाहिए। छठी पंचवर्षीय योजना में कुछ आश्वासन हैं लेकिन उनके ऊपर कहां तक कार्यान्वयन किया गया है इसका जिक्र यहां पर होना चाहिए। अभी इस सदन के समक्ष यह पहला सप्लीमेंट्री बजट आया है, अभी आगे और कितने आएगे इसका पता नहीं है। यदि आगे और भी आने वाले हैं तो उसमें महिलाओं के लिए रोजगार और महिलाओं की शिक्षा और ट्रेनिंग देने की व्यवस्था करनी चाहिए। जब तक यह नहीं होगा तब तक ला एंड आर्डर की सिच्युएशन सुधर नहीं सकती है। कानून और व्यवस्था की स्थिति देश में महिलाओं की स्थिति से सम्बन्धित है जो कि आर्थिक रूप से तथा सभी प्रकार से किसी की आश्रित है।

मेरी आपसे प्रार्थना है कि इन दो तीन इश्युज पर यहां प्रकाश डालने की कृपा करें।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : आगरे वाली बात मन्त्री जी जरूर नोट कर लें।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री कोडियान।

क्योंकि हमें यह 6 बजे तक पूरा कर लेना है इसलिए प्रत्येक सदस्य को केवल 5 मिनट दिये जाएंगे। श्रीमती गीता मुखर्जी भी प्रतीक्षा कर रही है।

श्री एम० एम० गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) इसको कल जारी रखा जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : हां, श्री कोडियान :

श्री पी० के० कोडियान (अडूर) : यह अनुपूरक मांगों की पहली सूची है। जैसे कि अनेक सदस्य कह चुके हैं, मैं नहीं जानता कि अभी और कितनी अनुपूरक मांगें पेश होनी हैं।

यद्यपि सरकार दावा कर रही है कि अर्थ व्यवस्था में सुधार हुआ है और मुद्रा स्थिति की प्रवृत्तियों को नियन्त्रित कर दिया गया है, अथवा कम करके 6 प्रतिशत कर दिया है, फिर भी जहां तक सर्व साधारण के जीवन का सम्बन्ध है, देश की स्थिति सन्तोषजनक नहीं है।

पिछले तीन महीनों के दौरान थोक विक्रय मूल्यों के सूचकांक में लगातार वृद्धि हुई है जिसका मेरे विचार में सरकार खंडन नहीं कर सकती और परचून मूल्यों की वृद्धि थोक मूल्यों की वृद्धि से कहीं अधिक होगी।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों के अलावा देश के आमजीवी वर्ग के लोग भी मुद्रास्फीति की स्थिति से प्रभावित हुए हैं।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होती जा रही है। किसानों को उनकी पैदावार के लिए दिए जाने वाले मूल्यों में अभी हाल में कमी की गई हैं। उदाहरण के लिए, गन्ना, पटसन तथा नारियल को लीजिये। यहां मैं सरकार के इस दावे से सहमत नहीं हूं कि मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियों को नियन्त्रित कर दिया गया है और अर्थ-व्यवस्था में सुधार हो रहा है।

अनुपूरक मांगों का सबसे पहली मद ओवर ड्राफ्ट के ऋण में बदलने के बारे में है। समय की कमी के कारण मैं अधिक विस्तार में नहीं जाना चाहता। राज्यों को अधिक व्यय करने के लिए दोषी ठहराया गया है। ऐसे आरोप अक्सर सुने जाते हैं कि कुछ मामलों में मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि राज्य अधिक व्यय कर रहे हैं। उन पर वित्तीय अनुशासनहीनता का दोष भी लगाया जाता है। यदि हम पिछले कुछ वर्षों को घाटे की अर्थ-व्यवस्था को देखें तो हमें पता चलेगा कि केन्द्र में भी बड़े पैमाने पर घाटे की अर्थ-व्यवस्था रही है। जहां तक केन्द्र को घाटे की अर्थ-व्यवस्था का सम्बन्ध है, इसकी कोई सीमा नहीं है क्योंकि यहां भारतीय रिजर्व बैंक है। इसके सामने खजाने के बिल पेश किए जा सकते हैं और यह मुद्रा तथा पैसा देगा। लेकिन जहां तक राज्यों का सम्बन्ध है, इनके लिए घाटे की कोई सीमा होती है। ओवर-ड्राफ्ट की एक सीमा होती है। रिजर्व बैंक का ओवर ड्राफ्ट बंद कर दिया गया है और इसे ऋण में बदला जाता है। मेरे विचार में यह राज्यों की स्वतः वित्तीय कठिनाइयों का कोई समाधान नहीं है। राज्य सरकारें स्वयं ही राज्यों के विकास सम्बन्धी समस्याओं का समाधान करने के लिए जिम्मेवार हैं और विकास योजनाओं के बढ़ते खर्च को पूरा करना उनके लिए बहुत ही असम्भव हो रहा है। केन्द्र तथा राज्यों के बीच संसाधनों का विवरण बहुत ही असमान है। आयकर तथा आयात शुल्क सम्बन्धी प्रभार जैसे अधिक आय देने वाले ससाधन विभाज्य पूल से बाहर हैं। उदाहरण के लिए चीनी, कपड़ा, तम्बाकू तथा तम्बाकू उत्पादों को लीजिए। यदि आप पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र से राज्यों को हस्तांतरित किए गये संसाधनों को लें तो आप देखेंगे कि केन्द्र से राज्यों को हस्तांतरित संसाधनों में कमी होती आई है।

1977-78 में केन्द्र से राज्यों को अन्तरित कुल संसाधनों में 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 1978-79 में 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और 1979-80 में यह वृद्धि 19 प्रतिशत थी जो 1980-81 में घटकर 16 प्रतिशत हो गयी और 1981-82 में यह केवल 4 प्रतिशत रह गयी। राज्यों सरकारों के गैर-योजना व्यय में वृद्धि का एक कारण सूखा तथा बाढ़ भी रहा है। यद्यपि

केन्द्रीय सहायता दी जाती है, फिर भी उससे सूखे तथा बाढ़ राहत कार्यों का केवल एक ही भाग पूरा होता है।

राज्यों के गैर-योजना व्यय में वृद्धि का एक कारण राज्यों सरकारों द्वारा केन्द्रीय सरकार से लिए गए ऋण के ब्याज की अदायगी का कर भी है। राज्यों को हर वर्ष दिए गए कुल ऋण के एक तिहाई भाग को राज्य व्यय के रूप में अदा करते हैं। 1982-83 में राज्यों को 3,972.93 करोड रुपये के ऋण तथा अग्रिम दिये गये। बजट के अनुसार 1643 करोड़ रुपये वसूली के रूप मे प्राप्त होते थे। मेरा प्रश्न यह है कि केन्द्र द्वारा राज्यो को दिए गये ऋणों तथा अग्रिम का एक बड़ा भाग हर वर्ष केन्द्र को ब्याज तथा मूलधन के रूप में वापिस किया जाता है। राज्य सरकारों के गैर-योजना व्यय में वृद्धि के कारण यही हैं। अत: केवल ओवर ड्राफ्ट के ऋणों में परिवर्तित करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। यह एक अस्थायी समाधान है। मूल कारणों राज्यों तथा केन्द्र के बीच संसाधनो का असमय वितरण है। अत: मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि वित्तीय सुधारों के प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें।

केन्द्र तथा राज्यों के वित्तीय सम्बन्धों के मूल प्रश्न की पूर्णत: जांच करने के लिए राज्यों के मुख्य मंत्रियों तथा केन्द्रीय वित्त मन्त्री तथा योजना मन्त्री का एक सम्मेलन बुलाया जाना चाहिए। जिसकी अध्यक्षता प्रधान मन्त्री द्वारा की जानी चाहिए। अत: मेरा यही महत्वपूर्ण निवेदन है। मैं कुछ और मुद्दों पर भी बोलना चाहता हूं। लेकिन समय के अभाव के कारण मै अपने भाषण को यहां पर समाप्त कर रहा हूं।

धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री रामलाल राही बोलेंगे। (व्यवधान) कृपया कोई टिप्पणी न कीजिए। माननीय सदस्य अपने भाषण को पांच मिनट में समाप्त कर लेंगे। वह अन्तिम वक्ता होंगे। उसके पश्चात् मन्त्री महोदय उत्तर देंगे। मैं माननीय सदस्य से सहयोग करने की विनती करता हूं। मैं कल से बोलने के लिए अधिक समय दूंगा।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टसगंज) : आपको शासक दल सहित सभी के साथ न्याय करना चाहिए। अत: कृपया अनुपूरक बजट पर बोलने के लिए मुझको पांच मिनट का समय दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभी का ध्यान रखूंगा। श्री रामलाल राही।

श्री रामलाल राही (मिसरिख) : उपाध्यक्ष महोदय : ये अनुपूरक मांगें दो ही दिशाओं में सदन में पेश होती हैं, या तो साल के दौरान कोई नए काम प्रारम्भ किये जाएं, उनके लिए मांगें रखी जाती हैं अथवा सरकार की गलत नीतियों के कारण या दूषित मूल्य नीति के कारण जब चीजों के दाम बढ़ जाते हैं, तब अनुपूरक मांगें रखी जाती हैं और यह सिलसिला जहां तक मैं देख रहा हूं, लगातार एक लम्बे अर्से से चला आ रहा है और ऐसा लगता है कि यह प्रक्रिया

निरन्तर चलती रहेगी । यह सदन बड़ा महत्वपूर्ण है और एक सर्वोच्च संस्था है । जब देश में ऐसी प्रक्रिया बन जाए और बार-बार चलती रहे, तो ज्यादा बेहतर यह होगा कि जब जनरल बजट पेश हो, तो उसमें इस तरह का एक प्रावधान कर दिया जाना चाहिए कि अगर कोई नये काम किए जाएंगे या चीजों के दाम बढ़ने के कारण किन्हीं अनुदानों के लिए हमको और पैसा देना पड़ेगा, तो इस मद से पैसा दे दिया जाए । ऐसा करके अगर सदन का समय बचाया जा सकता है, ज्यादा बेहतर होगा । ये जो अनुपूरक मांगें पेश की गई हैं उनके साथ यह भी कह दिया गया है कि यह पहली किश्त है । इसके माने यह हुए कि अभी दूसरी, तीसरी औ चौथी किस्त फिर आने वाली है और अगर यह सदन छः बार बैठे, तो 18-20 घंटे इसी के लिए चाहिए सरकार को। इसलिए मैं मन्त्री जी से यह निवेदन करूंगा कि वे इस सदन का समय इस तरीके से नष्ट न करें ।

इसमें शुरू किया गया है कृषि से । मैं भी कृषि से शुरू करना चाहता हूं क्योंकि बीच में टोका-टाकी हो जाती है और कह दिया जाता है कि यह मद इसमें नहीं है । कृषि और वनों से इसको शुरू किया गया है और वनों के लिए पहली अनुदान मांग रखी गयी है । वनों का कटान और पहाड़ों को नंगा करना बहुत लम्बे अर्से से चला आ रहा है और इसका नतीजा यह हुआ है कि पहाड़ खिसकते गए और बरसात के कारण नदियों के जरिये मिट्टी बहती गई और पहाड़ नंगे हो गए । साथ ही मिट्टी जाने से नदियों की सतह ऊंची हो गई । इसलिए जहां इससे बुरे तरीके से पहाड़ प्रभावित हैं; पहाड़ के लोग कष्ट में है, जहां पहाड़ नंगे हो गये हैं, वहां बरसात आते ही नदियों का पानी चढ़ता है, तो सारा मैदानी इलाका उससे प्रभावित हो जाता है । इसलिए यह जो काम है । यह बहुत अच्छा है, बहुत उत्तम है और अधिक से अधिक, युद्ध स्तर पर अगर हम पहाड़ों पर बन लगा सकें, झाड़ियां लगा सकें और उनका नंगापन दूर करने के लिए प्रयास कर सकें, तो यह बहुत अच्छा काम होगा और इससे बहुत फायदा होगा । इससे जल संरक्षण का काम हो सकेगा और जल को रोकने में बहुत काफी मदद मिलेगी और जल को इकट्ठा करने में पहाड़ पुख्ता होंगे । इसलिए यह बहुत उत्तम काम है और इसको आपको बहुत पहले करना चाहिए था । अभी तक आप सोते रहे है लेकिन देर से आए, दुरुस्त आए और ठीक रास्ते पर आ गये, यह अच्छी बात है ।

दूसरी एक बात और मैं कहना चाहूंगा । बड़ी आवाज लगा-लगाकर सरकार की तरफ से कहा जाता है कि मुद्रास्फीति को हम कम कर रहे हैं—हमारे यहां एक कहावत है :

जब अन्धेरा आंखि पावे तब जगु पतियाए ।

अगर इसकी जरूरत है, आवश्यकता है तो इसके लिए आप क्या कर रहे ? अगर आप इसके लिए कुछ कर रहे हैं तब तो आपकी बात सही है । आप कहते हैं कि मुद्रास्फीति और मंहगाई कम हो रही है । मैं आपसे पूछता हूं कि पिछले साल इसी महीने में सीमेंट के, लोहे के क्या दाम थे और आज क्या दाम हैं ? हम आपसे चीनी का दाम पूछेंगे कि पिछले महीने में क्या थे

और आज क्या हैं तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे, और जवाब देंगे भी तो टाल मटोल करके देंगे। क्योंकि आपकी सरकार के आने के बाद से दाम बढ़े हैं और आप कीमतों को रोकने में असफल रहे है।

किसान जिस चीज की पैदावार करता है उसके दाम तो बढ़े नहीं हैं लेकिन वह जो चीजें पैदावार करने में इस्तेमाल करता है उसके दाम तो बढ़ गये हैं। लेकिन जब किसान की पैदा की हुई चीजों के दाम आपको तय करने होते हैं तो उस वक्त किसान की राय नहीं लेते हैं। कारखाने वाले, बड़े-बड़े उद्यमी मनमाने तौर पर दाम बढ़ाते चले जा रहे हैं और जो दाम वह तय कर देते हैं उनको आप मान लेते हैं। किसान की बात सुनी नहीं जाती है। आपके राज में किसान मारा जा रहा है। आपकी व्यवस्था में किसान की दुर्दशा है। यह स्थिति कब तक चलेगी? आखिर आप किसान की उपज के दाम, उसके उत्पादन मूल्य, उसकी लागत के अनुसार खाद, बीज, पानी की कीमत को जोड़कर क्यों नहीं तय करते हैं? आप गेहूं, चावल और दूसरी चीजों के दाम उसकी लागत को देखकर तय करें, यह मेरी मांग है। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक किसान दुखी रहेंगे और आप उनकी उपज का उसको उचित मूल्य देने में असफल रहेंगे।

आयात और निर्यात की बात आती है। यह बात सही है कि बाहर से सामान मगाने में आप माहिर हैं। हमारे अपने देश में हमारे उद्यमी, हमारे व्यवसायी बहुत-सी चीजें बना सकते हैं। उनको आप प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं। इसलिए विवशता में वे लोग अपने नए उद्योग नहीं लगा पा रहे हैं।

मैं आपको एक नयी चीज बताना चाहता हूं। गन्धक हमारे देश में आयात होता है और आयात होकर यह गन्धक हमारे देश की कई फैक्ट्रियों में काम में आता है। इस गन्धक के इस्तेमाल होने के बाद, इसकी जो मैल निकलती है, उस मैल को शुद्ध करके 60 से 70 फीसदी तक गंधक तैयार किया जा सकता है। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने, उद्यमियों ने इसको करके देखा है। एक उद्यमी ने तो महालक्ष्मी केमिकल्स के नाम से बरेली में एक कारखाना भी लगा दिया है। अपने आप यह कारखाना लगाया है। इस कारखाने में खराब गन्धक से 50 से 70 फीसदी तक गन्धक तैयार किया जाता है। अब ऐसे कारखाने को अगर सौ वैगन कोयला चाहिए तो आप उसे 6 वैगन कोयला ही देते हैं। गन्धक आप बाहर से मंगाते हैं और विदेशी मुद्रा जिसकी कि आपको किल्लत है, कठिनाई है, उसको आप इसके मगाने पर खर्च करते हैं। लेकिन आप इस प्रकार से गन्धक तैयार करने वाले को उचित मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में कोयला दे पाने में असमर्थ हैं। इस बात की बार-बार मांग की जाती रही है। चूंकि समय कम है इसलिए मैं ऐसे जो दूसरे बहुत से उद्योग हैं उनके बारे में नहीं कहूंगी, जो कि उन्होंने स्वय लगाए हैं और जिनको प्रोत्साहन देकर आप काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा की बचत कर सकते हैं। लेकिन आप उनको प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप उद्योग मन्त्री जी को या कोयला या कच्चे माल के जो भी सम्बन्धित मन्त्री हो उनको कहें कि ऐसे उद्योगों को अनुदान और कच्चा माल उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि इन चीजों के मंगाने में जो विदेशी मुद्रा हम खर्च करते हैं, उसकी

बचत हो और इन चीजों का अपने देश में ही उत्पादन बढ़े । इससे हम इन चीजों को दूसरे देशों को बेचने में भी समर्थ हो सकते हैं ।

यही मैं कहना चाहता हूं । धन्यवाद ।

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस वाद-विवाद में भाग लेने तथा महत्वपूर्ण सुझाव देने वाले सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं । इस विषय पर 9 माननीय सदस्यों ने भाग लिया है । उन्होंने व्यापारिक मन्दी, मुद्रा स्फीति की दर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सीमेंट की कमी बिजली की कमी बिजली के संयन्त्रों को स्थापित करने, असतुलनों आदि बहुत से विषयों पर विचार प्रकट किए हैं । प्रारम्भ में मैं आपको यह बताना चाहता हूं । कि इस वाद-विवाद का क्या क्षेत्र है । मुझे इस बात की अनुमति दी जाये कि मैं लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के लिए 2.16 की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर सकूं । इसमें यह बताया गया है :—

"अनुपूरक अनुदानों पर वाद-विवाद केवल उन मदों तक ही सीमित रहेगा जिनसे वे बने हों और जहां तक चर्चाधीन मदों की व्याख्या करने या उन्हें स्पष्ट करने के लिए आवश्यक न हो उस सीमा तक, मूल अनुदानों पर या उनसे सम्बन्धित नीति पर कोई चर्चा नहीं होगी ।"

मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करता हूं कि समय के अभाव के कारण सभी मुद्दों का समयाभाव के कारण उत्तर न दिये जाने के लिए मुझे क्षमा किया जाये । इन परिस्थितियों में मैं माननीय सदस्यों के सभी मुद्दों का उत्तर नहीं दे सकूंगा ।

वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए ये अनुपूरक मांगे पहली बार लाई गई हैं । कुल 2,262.61 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय के अन्तर्गत 14 मांगों को सम्मिलित किया गया है । इसमें भारत की संचित निधि में प्रभारित 1745.75 करोड़ रुपये का व्यय भी शामिल है । राजस्व लेखा के अन्तर्गत 8.55 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे तथा शेष 2254.0 करोड़ रुपए की रकम पूंजी परिव्यय के लिए होगी जिसमें ऋणों तथा अग्रिमों का वितरण भी सम्मिलित है । इसमें 15.24 करोड़ रुपये का अतिरिक्त योजना व्यय भी सम्मिलित है ।

इस अवधि से सम्बन्धित प्राप्तियां लगभग 480 करोड़ रुपये की होगी । इसके अतिरिक्त अनुपूरक मांगों में 2.25 करोड़ रुपये का पूंजी व्यय और भी सम्मिलित है जो ऋणों के रूप में राज्यों को दिया जायेगा । इसके अतिरिक्त इस अनुपूरक मांग में कुल 1780.36 करोड़ रुपए का व्यय सम्मिलित है । अत: अन्य शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि भारत की संचित निधि में से कुल 1780.36 करोड़ रुपये लिए जाएंगे ।

घाटे की वित्त व्यवस्था के बारे में उल्लेख किया गया है । माननीय सदस्य, श्री सोमनाथ

चटर्जी द्वारा केन्द्रीय सरकार के घाटे की वित्त व्यवस्था के बारे में कहा गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।

मैं दिए गए आंकड़ों से सहमत नहीं हूं। लेकिन इसके लिए कौन उत्तरदायी है? केन्द्रीय बजट में इस घाटे के लिए कौन जिम्मेदार हैं? हम इसका विश्लेषण करना चाहते हैं। इस विशेष बजट के बारे में मैं यह बताना चाहता हूं कि राज्य सरकारों द्वारा किया गया अधिक खर्च इस घाटे के लिए जिम्मेदार है। राज्य सरकारों द्वारा कुल कितना अधिक खर्च किया गया? यह 1,743.46 करोड़ रुपए हैं और इसमें से पश्चिम बंगाल ने जो श्री सोमनाथ चटर्जी जी का राज्य है, 340.11 करोड़ रुपए खर्च किए हैं।

श्री सुधीर गिरि (कन्टई) : वह केवल पश्चिम बंगाल के ही नहीं सम्पूर्ण भारत के हैं।

श्री जनार्दन पजारी : मैं जानता हूं। लेकिन इसके साथ ही आप केन्द्रीय सरकार पर यह आरोप नहीं लगा सकते कि केन्द्रीय सरकार ही इस घाटे के लिए जिम्मेदार हैं। इस घाटे के लिए कौन जिम्मेदार है?

अब हम इस अनुपूरक मांगों के रूप में पूरा करना चाहते हैं। हमें इस घाटे को पूरा करना है। हम इसको कैसे पूरा कर सकते हैं? इसको पूरा करने के लिए हमें अनुपूरक मांगो को सदन में लाना पड़ा है।

अनुपूरक मांगों की यह पहली किस्त है। अनुपूरक मांगों की इस विशेष किस्त में कुल 2262.11 करोड़ रुपए की मांगों में से 743.46 करोड़ रुपए की अनुपूरक मांग से राज्यों का घाटा पूरा किया जायेगा। अतः किसी उद्देश्य के बिना ही हम इन अनुपूरक मांगों को सदन में लेकर नहीं आये हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप इसके लिए उनको दोषी नहीं ठहरा सकते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : भारत सरकार।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं सभी राज्य सरकारों से व्यय के सम्बन्ध में सतर्कता बरतने की अपील करता हूं।

एक माननीय सदस्य : पश्चिम बंगाल की सरकार आपकी बात नहीं मानेगी।

श्री सुधीर गिरि : आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिए।

एक माननीय सदस्य : आप पश्चिम बंगाल को बर्खास्त नहीं कर सकते ··(व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी : मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गए मुद्दों का उत्तर दे रहा हूं।

प्रमुख व्यय राज्य सरकारों को 31 मार्च, 1982 तक अपने घाटों को पूरा करने के लिए 1743.46 करोड़ रुपये देने से सम्बन्धित है जिसके लिए सदन में इन मांगों को लाना पड़ा है। जैसा कि सभी माननीय सदस्य जानते हैं, माननीय वित्त मन्त्री जी ने 8 जुलाई 1982 को इस विषय पर सदन में एक विस्तृत विवरण दिया था। अतः मैं, इस विषय पर बहुत ही संक्षिप्त में अपने विचार प्रकट करूंगा। 2) राज्यों में से जो राज्य भारतीय रिजर्व बैंक से धन लेते हैं—जम्मू तथा कश्मीर और सिक्किम भारतीय रिजर्व बैंक से धन नहीं लेते हैं—उनमें से 18 राज्यों ने 31 मार्च, 1982 को कुल 1743.46 करोड़ रुपये के घाटे के साथ अपने खाते बन्द किये थे।

पश्चिम बंगाल के सम्बन्ध में यह घाटा 340.71 करोड़ रुपए है तथा उत्तर प्रदेश के मामले में 85 लाख रुपये हैं (व्यवधान)

श्री सुधीर गिरि : राजस्थान की क्या स्थिति है ?

श्री जनार्दन पुजारी : हम राजस्थान को इससे अलग नहीं रख रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : कितनी धनराशि है ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य चाहते हैं कि घाटे के राज्य-वार आंकड़े प्रस्तुत किए जाएं। आप उनको पढ़ दीजिए।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं आपको आंकड़े बताता हूं :—

आन्ध्र प्रदेश	18.95 करोड़ रु०
आसाम	127.43 करोड़ रु०
बिहार	197.39 करोड़ रु०
गुजरात	74.60 करोड़ रु०
हरियाणा	75.79 करोड़ रु०
हिमाचल प्रदेश	36.91 करोड़ रु०
केरल	93.93 करोड़ रु०
मध्य प्रदेश	154.88 करोड़ रु०
महाराष्ट्र	81.40 करोड़ रु०
मणिपुर	96.29 करोड़ रु०

1	2
मेघालय	16.41 करोड़ रु०
नागालैंड	21.96 करोड़ रु०
उड़ीसा	24.43 करोड़ रु०
पंजाब	97.35 करोड़ रु०
राजस्थान	283.46 करोड़ रु०
त्रिपुरा	30.72 करोड़ रु०
उत्तर प्रदेश	85 लाख
पश्चिम बंगाल	340.71 करोड़ रु०

बताई गई स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने इन राज्यों को कुल 1743.46 करोड़ रुपए का अधिक ऋण देने का निर्णय किया, ताकि वे अपने घाटों को पूरा कर सकें । ये ऋण विशेष वर्ग के राज्यों अर्थात, आसाम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय नागालैंड तथा त्रिपुरा के लिए 10 वर्ष की अवधि के लिए हैं । अन्य राज्यों के सम्बन्ध में यह ऋण की अवधि 5 वर्षों की है । इस ऋण पर 6.5 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज लिया जाएगा तथा मूल और ब्याज का भुगतान एक वर्ष की अवधि के स्थगन के पश्चात अर्थात 1984-85 के पश्चात प्रारम्भ होगा ।

रिजर्व बैंक ने भी राज्यों के मार्गोपाय साधनों की सीमा को दुगनी करने का निर्णय लिया है ताकि राज्यों की प्राप्तियों तथा व्यय के बीच अस्थायी असंतुलन को दूर किया जा सके । तदनुसार राज्यों के साधारण मार्गोपायों की सीमा को 260 करोड़ रु० से बढ़ाकर 520 करोड़ रु० कर दिया गया है । इन सामान्य मार्गोपायों की सीमाओं के अतिरिक्त राज्य अपनी प्रतिभूतियों के बदले विशेष मार्गोपायों का अग्रिम रूप से लाभ उठा सकते हैं । यह धनराशि इस समय 152.3 करोड़ रु० है । यह आशा की जाती है कि इस प्रकार के उपायों से राज्यों को ओवर-ड्राफ्ट लेने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा । लेकिन यदि दुर्भाग्य से उनको न कार्य दिवसों से अधिक समय के लिये ओवर ड्राफ्टों के लिए मजबूर होना पड़ता है तब भारतीय रिजर्व बैंक के पास उनके भुगतान को रोकने के सिवाय और कोई उपाय नहीं रह जाता है ।

जैसा कि माननीय वित्त मन्त्री जी द्वारा सदन में बताया गया है कि इस अनुपूरक मांग के द्वारा निःसंदेश रूप से केन्द्र के बजट सम्बन्धी व्यय में वृद्धि होगी । श्री सोमनाथ चटर्जी ने यह ठीक ही कहा है कि केन्द्र के बजट सम्बन्धी व्यय में वृद्धि होगी । लेकिन इसका अर्थ व्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि राज्यों ने मितव्ययता के द्वारा पहले ही इस कमी को पूरा कर लिया है ।

दूसरा प्रमुख मुद्दा द्विपक्षीय व्यापार तथा भुगतान समझौतों के अन्तर्गत तकनीकी ऋणों की व्यवस्था से सम्बन्धित है। इस उद्देश्य के लिये बजट में 80 करोड़ रुपये की व्यवस्था है लेकिन अब तक निकाली गई धनराशि तथा बाकी वर्ष में निकाली जाने वाली संभावित धनराशियों को ध्यान में रखते हुए इसको बढ़ाकर 480 करोड़ रु० की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। यह भी आशा की जाती है कि सम्बन्धित अदायगी भी उसी प्रकार होगी इसलिये भारत की संचित निधि में से इस मद के लिये कोई धन नहीं निकाला जायेगा।

जैसा कि सदन को मालूम है तकनीकी ऋणों को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाता है ताकि व्यापार करने वाले भागीदार देश में माल की खरीददारी करने अस्थायी असंतुलन होने के कारण उनके द्वारा किये गये निर्यात से भारत में रुपये की निधियां बढ़ती हैं और जो इस उद्देश्य के लिये पर्याप्त नहीं होती हैं।

अनुपूरक मांगों के अन्य मद राष्ट्रीय कपड़ा निगम की 11.7 करोड़ रु० तथा दिल्ली परिवहन निगम की 8 करोड़ रुपये की अनुपूरक मांगों से सम्बन्धित हैं। राष्ट्रीय कपड़ा निगम को कार्यगत पूंजी ऋण उपलब्ध कराना इसलिए आवश्यक हो गया है ताकि निगम रक्षा सेवाओं के लिए 15 करोड़ रु० के मूल्य की 30 लाख मीटरी टेरीकोट कपड़े की सप्लाई करने के अनुबन्ध को पूरा कर सकें। चूंकि निगम की ऋण चुकाने की स्थिति अच्छी नहीं है इसलिये सरकार द्वारा इस कार्यगत पूंजी ऋण को देना आवश्यक हो गया है।

दिल्ली परिवहन के बारे में जैसा कि सदन जानता है पिछले कई वर्षों से संचालन लागतों में वृद्धि हुई है लेकिन पिछले कई वर्षों से किरायों में वृद्धि नहीं की गई है। इस समय निगम को प्रति माह लगभग 2 करोड़ रुपये का नकद घाटा हो रहा है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या आप किराये भाड़ों में वृद्धि करना चाहते हैं ?

नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीता राम केसरी) : आप चाहते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : घाटे को पूरा करने के लिये।

श्री जनार्दन पुजारी : यह विषय नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय के विचाराधीन है।

यद्यपि बजट में इसके लिए 2 करोड़ रु० का प्रावधान किया गया है। अगस्त 1982 के अन्त तक निगम की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 8 करोड़ रुपये की अनुपूरक मांग के लिए निवेदन किया जा रहा है।

जहां तक मूल्य वृद्धि का सम्बन्ध है, यह सत्य है कि मूल्य स्थिति, जिसमें पिछले वर्ष काफी सुधार हुआ था, मई से फिर पुनः दबाव में आ गयी है। परन्तु ये दबाव मुख्य रूप से

मौसमी कारणों से है जिनमें प्रतिकूल मौसम तथा मानसून के देर से आने की वजह से मूल्यों में और अधिक वृद्धि हुई है जिसमें सट्टे की गतिविधियों को प्रोत्साहन मिला है और इस प्रकार से बाजार की प्रवृति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। तथापि हमें यह देखना चाहिए कि 17 जुलाई 1982 को थोक मूल्य सूचकांक की वार्षिक स्फीति दर केवल 1.3 थी जबकि पिछले वर्ष इसी समय यह दर 10.6 थी।

माननीय सदस्य, श्री सोमनाथ चटर्जी ने मन्दी के प्रश्न को उठाया है जिसका सामान्यतः अर्थ उत्पादन में कमी से है। 1981-82 में औद्योगिक उत्पादन 7.9 प्रतिशत बढ़ा। 1982 में पुनः 7 प्रतिशत की और वृद्धि हुई। मई 1982 में कोयला, कच्चा तेल पेट्रोलियम, सीमेंट वनस्पति और चीनी जैसे कई उद्योगों के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। कुछ क्षेत्रों में जैसे सूती वस्त्र उद्योग के उत्पादन में काफी कमी हुई है। चूंकि एक उद्योग से दूसरे उद्योग में इसके कारण भिन्न हैं इसलिए इसका सामान्यीकरण करके यह नहीं कहा जाना चाहिए कि अर्थ व्यवस्था में मन्दी की स्थिति आ गयी है।

श्री राम सेवक यादव ने उल्लेख किया कि सातवें वित्त आयोग ने राजस्थान में प्राकृतिक प्रकोप से राहत के लिए केवल 7.74 करोड़ रु० का ही प्रावधान किया है। जो कुछ भी प्रावधान किया गया है वह न्यूनतम राशि है।

उपाध्यक्ष महोदय: इसका उल्लेख श्री यादव ने किया था अथवा श्री व्यास ने ?

श्री जनार्दन पुजारी : इसका श्री यादव ने उल्लेख किया था श्री व्यास ने ऊर्जा की कमी तथा विद्युत संयत्रों की स्थापना का उल्लेख किया था।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री व्यास इसका जिक्र करना भूल गये होंगे।

श्री जनार्दन पुजारी : वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि यदि इस वर्ष खर्च उस स्तर से अधिक होता है। तो राज्य सरकारों को राहत खर्च की आवश्यकताओं का विस्तृत ब्यौरा देते हुए केन्द्र को ज्ञापन भेजना चाहिए और तब केन्द्र सरकार राज्य सरकारों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने तथा अतिरिक्त धन की सिफारिश करने के लिए एक दल भेजेगी। मैं देखता हूं कि श्री सोमनाथ चटर्जी यहां उपस्थित नहीं है। उनके द्वारा उठाये गये कुछ मुद्दों का मैं उल्लेख कर चुका हूं। उन्होंने कहा कि हमने 'निर्यात करो या समाप्त हो जाओ' नारे को त्याग दिया है। हम महसूस करते हैं कि विदेशी मुद्रा कमाने के लिए निर्यात करना आवश्यक है जो कि आवश्यक वस्तुओं का आयात करने के लिए भी बहुत आवश्यक है। निर्यात प्रोत्साहन तथा बाजार के विकास के लिए बजट में राजसहायता के रूप में लगभग 500 करोड़ रु० का प्रावधान किया गया है। अतः हमने निर्यातों को समाप्त नहीं होने दिया है बल्कि इसके विपरीत निर्यात को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

माननीय सदस्य ने कुछ और प्रश्न उठाये हैं। इस बात के अलावा कि समय सीमित है, मेरे ऊपर नियम 216 का प्रतिबन्ध भी है।

माननीय श्री व्यास ने समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के बारे में एक प्रश्न उठाया है। बजट में योजना अवधि के लिए समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए राजसहायता के रूप लगभग 1,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 1.5 करोड़ परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए लगभग 00 करोड़ रुपये की सहायता बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से जिनमें सहकारी बैंक भी शामिल है; से ली जायेगी। अतः उस उद्देश्य के लिए लाभार्थियों को छांट लिया गया है रिजर्व बैंक तथा सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र को सभी इकाईयों को अनुदेश जारी कर दिये हैं।

श्री राम प्यारे पनिका : इस योजना के अन्तर्गत आपके बैंक सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए निर्धारित धन का 25 प्रतिशत भी इस क्षेत्र में खर्च नहीं किया कृपया बैंकों को अनुदेश दीजिए।

श्री जनार्दन पुजारी : हम राज्य सरकारों से इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बैठक बुलाने जा रहे हैं और कुछ राज्यों के साथ हमने बातचीत भी शुरू कर दी है।

मेरे कुछ साथियों ने वित्तीय अनुशासन बनाये रखने की आवश्यकता का उल्लेख किया है। अब मैं सदस्यों से अजीब है कि वे सरकार से सहयोग करें।

कुछ सदस्यों ने उत्पादकता, 20-सूत्रीय कार्यक्रम और 20 सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन का भी उल्लेख दिया है। उन्होंने सरकारी उद्यमों के कार्य कारण में सुधार का भी उल्लेख है। महोदय सम्बन्ध में मैं 20 सूत्रीय कार्यक्रम के 20 वें सूत्र का उल्लेख कर सकता हूं। इसमें कहा गया है कि हमें कार्य कुशलता में वृद्धि करके सरकारी उद्यमों की कार्यकरण में सुधार करना हैं। जहां तक बैंकों तथा जीवन बीमा निगम का सम्बन्ध है हमने आवश्यक कदम उठाये हैं। मैं यह इसलिए कह सकता हूं कि बैंकिंग क्षेत्र का कार्य देख रहा हूं आप भी देख रहे होंगे कि हम इन बैंक तथा जीवन बीमा निगम जैसे सरकारी उद्यमों व वित्तीय संस्थाओं की काम करने की दशा को सुधारने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि हम साथ-साथ काम करें और हमें इसमें सहयोग करें।

श्री राम प्यारे पनिका : सहयोग कौन करेगा ?

श्री जनादन पुजारी : इसमें विपक्ष को सहयोग करना है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वे सहयोग दे रहे हैं उनका सहयोग बहुत ही उत्कृष्ट है। वे सहयोग दे रहे हैं। अन्य इसमें संदेह क्यों करते हैं ?

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : उत्पादन में सहयोग के सम्बन्ध में उन्हें उत्पादन में बाधा नहीं डालनी चाहिए ।

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, जहां तक उत्पादकता का सम्बन्ध है मेरा निवेदन यह है कि इसका उत्तर कड़ी मेहनत तब अनुशासन है । यही एक मात नारा है जिसे हम राष्ट्र को दे सकते हैं और इस सम्बन्ध में हम उस पक्ष के माननीय सदस्यों से भी सहयोग करने की अपील करते हैं । (व्यवधान)

हम साथ मिलकर काम करें । इन शब्दों के साथ मैं भाषण समाप्त करता है । आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

मेरा यह भी निवेदन है कि विपक्ष की ओर से भी महत्वपूर्ण योगदान किया गया है । मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूं । परन्तु मुझे खेद है कि मैं सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया क्योंकि समय का अभाव है । आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष महोदय : वर्ष 1982-83 की अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर कुछ माननीय सदस्यों द्वारा कुछ कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं, यदि सहमति हो तो मैं सभी कटौती प्रस्तावों को एक साथ सभा के मतदान के लिए रखूं । मैं आशा करता हूं कि आप सभी कटौती प्रस्तावों को एक साथ रखने के लिए सहमत होंगे ।

कटौती प्रस्ताव सभा में मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) 1982-83 को मतदान के लिए सभा मे रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के सम्बन्ध में 31 मार्च 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक सम्बधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें ।"

मांग संख्या 12, 13, 26, 30, 42, 52, 63
78 ,79 और 100

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सदन द्वारा स्वीकृति अनुदानों की अनुपूरक माँगें (सामान्य) 1982-83

माँग संख्या	माँग का नाम	माँग की राशि	
1	2	3	4
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
	वाणिज्य मन्त्रालय		
12.	विदेश व्यापार और निर्यात उत्पादन		480,00,000
13.	वस्त्रोद्योग, हथकरघा और हस्तशिल्प		11,70,00,000
	शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय		
26.	शिक्षा		1,60,90,000
	ऊर्जा मन्त्रालय		
30.	विद्युत विभाग	1,000	7,00,00,000
	वित्त मंत्रालय		
42.	वित्त मंत्रालय का अन्य व्यय	1,000	...
	गृह मन्त्रालय		
52.	गृह मंत्रालय का अन्य व्यय	5,83,060	...
	सूचना और प्रसारण मन्त्रालय		
63.	प्रसारण	...	1,000
	नौवहन और परिवहन मन्त्रालय		
78.	पत्तन द्वीप स्तम्भ और नौवहन	2,50,00,000	1,000
79	सड़क तथा अन्तर्देशीय जल परिवहन	...	8,00,00,000
	महासागर विकास विभाग		
100.	महासागर विकास विभाग	5, 99, 00,000	

विनियोग संख्या 3 विधेयक, 1982

वित्त मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1982-83 की सेवाओं के लिए भारतके कतिपय और राशियों के संदाय की संचित निधि में और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:-स्थापितकरने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1982-83 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि वित्तीय वर्ष 1982-83 की सेवाओं के लिए भारत की संचिय निधि में से कतिपय और राशियों के सदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1982-83 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के सदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए"

श्री रामावतार शास्त्री : आपको जितना अधिक सम्भव हो सके संक्षिप्त होना चाहिए।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, कपड़ा उद्योग और संकटों के भंवर में फंसा हुआ है। उसके उदाहरण स्वरूप मैं यह बता सकता हूं कि सात महीने से भी अधिक हो गए, बम्बई में ढाई लाख कपड़ा मजदूरों की हड़ताल आज भी जारी है रिवीजन आफ पे स्केल और दूसरे जो उनके सवाल हैं उनको लेकर। उनकी तरफ सरकार अभी भी ध्यान नहीं दे रही है और प्रतिष्ठा का विषय बनाकर इस हड़ताल को लम्बी करती जा रही है जिसका असर कपड़ा उद्योग पर अधिक से अधिक पड़ रहा है। मेरा निवेदन है कि सरकार अभी भी जो लोग हड़ताल में शामिल हैं उन मजदूरों की यूनियनों के साथ के समझौता वार्ता चलाकर रास्ता निकाले और इस संकट को हल करें।

दूसरी बात शिक्षा मन्त्रालय की मांगों से सम्बन्धित है। आप जानते हैं कि पूरे हिन्दुस्तान

की यूनिवर्सिटीज और कालेजे के टीचर्स बहुत दिनों से पे रिवीजन के सवाल को लेकर और कुछ दूसरे सवालों को लेकर आन्दोलन चला रहे हैं। बिहार के 16 हजार टीचरों ने लगभग तीन महीने तक हड़ताल भी की। अखिल भारतीय टीचर्स फेडरेशन उनका है। उनकी नौ सूत्री मांग है। मेरा निवेदन होगा, सरकार ने वादा किया था 1975 में कि उसकी पे का रिवीजन होगा। 1975 में नहीं हुआ, अब 1982 है। तो उनके पे रिवीजन की तरफ ध्यान जाना चाहिए।

उसी तरीके से छात्रों के ऐडमीशन का सवाल भयंकर रूप में है। दिल्ली में भी है और हर जगह है। इसका भी रास्ता निकाला जाना चाहिए ताकि जो लड़के पढ़ना चाहते हैं उनका ऐडमीशन हो सके।

तीसरी बात मैं ब्राडकास्टिक मिनिस्ट्री की मांग के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। मन्त्री महोदय बैठे हुए हैं। मैं उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, बार-बार यहां सवाल उठाया गया पटना में टी० वी० स्टेशन के बारे में। 1975 में वहां टी० वी० स्टेशन बनाने की बात थी। लेकिन 1975 तो बहुत दूर चला गया, 7 वर्ष हो गए, 7 वर्ष के बाद भी पटना वालों को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि साठे साहब उनके लिए कुछ कर सकें। वहां टी० वी० केन्द्र से शीघ्र से शीघ्र किया जाय इसकी तरफ मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

आखिरी बात मैं मांग संख्या 79 के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं रोड ऐण्ड इनलैंड वाटर ट्रांस्पोर्ट के बारे में गंगा नदी पर पटना में पुल बनाया गया। बहुत अच्छा काम किया गया हालांकि समय पर नहीं बनाया गया बहुत देर करके बनाया गया। उसको डबल करना है। वह प्राब्लम अपनी जगह पर है इसलिए उसको डबल होना चाहिए।

तीसरा सवाल मैं यह उठा रहा हूं कि उसकी वजह से आने जाने और ट्रांसपोर्ट की प्राब्लम अपनी बहुत विकट हो गई है, यदि पटना शहर में आप जाएं तो देखेंगे कि चलने की जगह नहीं है। जो हम लोग पैदल चलने वाले पेडेस्ट्रियन्स हैं, उनके लिए बड़ी कठिनाई पैदा हो गई है। वहां पर चालीस हजार रिक्शा हैं। पुल बनने से हजारों ट्रक्स और बसेज आती-जाती रहती हैं टमटम और टैक्सियां भी चलती है। लेकिन जो सड़कें हैं वह बहुत कम चौड़ी हैं। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं। कि इस प्राब्लम का हल निकालना होगा। इसका हल तो पहले ही निकाला जाना चाहिए था जबकि पुल की योजना बनी थी, तभी, ट्राफिक बढ़ेगा, यह बात जो प्लानर्स और इन्जीनियर्स थे उनको दिमाग में रखनी चाहिए थी। उन्होंने यह बात दिमाग में नहीं रखी। लेकिन अब वहां पर बहुत जरूरी है कि सड़कें चौड़ी की जाएं, फ्लाई-ओवर्स बनाए जाएं तथा दूसरे तरीकों से वहां पर ट्रान्सपोर्ट की जो समस्या है उसका हल निकाला जाए वरना पटना शहर में लोगों के लिए चलना भी मुश्किल हो जाएगा।

यही मेरे चार निवेदन थे जो आपके समक्ष प्रस्तुत हैं।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं माननीय सदस्य की विशेष रूप से वस्त्र उद्योग में हड़ताल के सम्बन्ध भावना तथा चिन्ता से पूर्णतः सहमत हूं। उन्होंने कुछ मुद्दे उठाए हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप इनको सम्बन्धित विभाग को भेज दीजिए।

श्री जनार्दन पुजारी : जी हां। दूरदर्शन केन्द्र के सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि सम्बन्धित मन्त्री ने जो यहां बैठे हुए हैं नोट कर लिया होगा।

जहां तक दूसरे मुद्दे हैं वे प्रशासनिक मामले हैं। और उनके विचार सम्बन्धित मन्त्रालयों तक पहुंचा दिए जाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं प्रस्ताव को मतदान के लिए सभा में रखता हूं :

प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1982-83 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम इस पर खण्डवार विचार आरम्भ करते हैं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 तथा 3 और अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 तथा 3 तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाए"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : आधे घंटे की चर्चा शुरू करने से पहले मेरा सुझाव है कि कल सूखे की स्थिति पर चर्चा होने की वजह से हम हम मध्याह्न भोजनकाल से कार्य जारी रख सकते हैं (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा इस बात पर सहमत है कि कल मध्यान्ह भोजनकाल नहीं होगा

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : हम कल मध्याह्न भोजन करेंगे लेकिन मध्याह्न भोजनकाल नहीं होगा।

आधे घण्टे की चर्चा

रेल गाड़ियों का विलम्ब से चलना

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे इस प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में (क) क्या सरकार को मालूम है कि अधिकांश रेल गाड़िया जिनमें प्रतिष्ठित रेल गाडियां भी शामिल हैं, असाधारण रूप से लेट चल रही हैं (ख) यदि हां, तो इनके क्या कारण हैं और (ग) और इनके लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं? माननीय मन्त्री श्री मल्लिकार्जुन ने अपने पहले ही वाक्य में कहा है कि :

"हां, कुछ प्रतिष्ठित रेल गाड़ियां कभी-कभी विलम्ब से चलती हैं।"

श्रीमन, यह उत्तर अधूरा उत्तर है। श्रीमन, नई शादी-शुदा बहू की तरह यह उत्तर भी शर्माया हुआ, अधूरा, और सही नहीं है। श्री मल्लिकार्जुन मेरे सामने बैठे हुए हैं। उनको एक शर्मीली बहू समझना कुछ मुश्किल सा लगता है। इसके लिए मुझे अपनी आखें बन्द करनी पड़ेगी। लेकिन कोई और इस प्रकार का वक्तव्य नहीं दे सकता। शायद यह सचाई के ज्यादा नजदीक होता, अगर मन्त्री केवल 'हां' में ही उत्तर देते। शायद कभी-कभी ही कुछ प्रतिष्ठित रेलें समय पर चलती हैं। श्रीमन, क्या आप मेरी इस बात से सहमत नहीं होंगे? मैं यहां बैठे हुए सभी सदस्यों से यह पूछना चाहती हू कि क्या आज स्थिति पढ़ी नहीं है क्या कोई कह सकता है कि यह सत्य नहीं है? क्या यह सत्य नहीं है कि कुछ प्रतिष्ठित रेलें कभी-कभी समय पर चलती हैं? (व्यवधान) इसके अलावा आपके पास कोई और चारा ही नहीं है लेकिन मैं जानती हूं कि कुछ लोगों में अभी भी विवेक है और मेरी इस बात से सहमत होंगे।

यह केवल उनके शब्दों के प्रति मेरे उद्गार ही नहीं हैं। इससे पहली, रेलें की अनुदात की अनुपूरक मांगों पर हुई चर्चा के दौरान माननीय रेल मन्त्री श्री सेठी ने यह दावा किया था

कि, जनवरी से जुलाई के दौरान रेलों के चलने के समय में 'काफी' सुधार हुआ है—आप 'काफी' शब्द पर ध्यान दें। हालांकि उन्होंने कहा था कि पूर्वी, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व और मध्य रेलवे में कभी भी समयनिष्ठा नहीं है। लेकिन वहां भी उन्होंने दावा किया था कि जनवरी से जून तक काफी सुधार हुआ है। 22 जून को मैं कालका मेल से हावड़ा पहुंची। इस रेल को हावड़ा सुबह 8.45 पर पहुंच जाना चाहिए था—मैं पुनः नई समय-सारणी पर बाद में चर्चा करूंगी—लेकिन यह हावड़ा दोपहर 12 बजे पहुंची। ज्यादा नहीं केवल 3 घण्टे 15 मिनट लेट पहुंची लेकिन जैसे ही मैं गाड़ी से उतर रही थी, मैंने एक घोषणा सुनी कि ए० सी० एक्सप्रेस आधे घण्टे लेट चलेगी और इसके फौरन बाद ही यह घोषणा की गई कि बिहार से आने वाली फलां-फलां गाड़ी 23 घण्टे लेट पहुंचेगी। यह जून की बात है। इसमें कोई शक नहीं कि जनवरी से जून तक काफी सुधार हुआ है।

संसद के लिए, दिल्ली वापस आते समय, हम छः संसद सदस्य इकट्ठे ए० सी० एक्सप्रेस में आ रहे थे, जो कि एक प्रतिष्ठित रे· हैं। यह रेल सुबह 9.35 (समय सारणी के अनुसार) पहुंचती थी, लेकिन दोपहर 2 बजे पहुंची। इसमें कोई शक नहीं कि स्थिति में काफी सुधार हुआ है? अगर इसे काफी सुधार कहा जा सकता है, जो मैंनही जानती कि आम खराब हालत क्या होगी।

मैं अन्य 'काफी सुधार' पर चर्चा करने से पहले कि अन्य बात कहना चाहती हूं। कलकत्ता की सियालदह लाइन, प्रत्येक के जीवन के लिए आफत बन गई है। उस लाइन पर प्रतिदिन हजारों यात्री यात्रा करते है। हर रोज, इस लाइन पर, रेलों के चलने म इतनी खराब हालत है कि आप लोगों की परेशानी का अन्दाजा नहीं लगा सकते। यात्री सुबह 10 बजे घर पहुचते हैं। लूटमार, पीटे जाने आदि की घटनाएं आम बात है। यह सब हमारे क्षेत्र में हो रहा है, इसीलिए मैं इसका जिक्र करना चाहती हूं।

इसके अलावा माननीय मन्त्री श्री ठठी ने कहा है कि अमुक-अमुक रेलों की स्थिति अच्छी नहीं है। लेकिन उन्होंने दावा किया है कि दक्षिण रेलवे में काफी सुधार हुआ है और वहां रेलों में 90 प्रतिशत समयनिष्ठा है। श्रीमन, आप भी दक्षिण से आये है और यहां के कुछ सदस्य भी दक्षिण से आये हैं।

एक प्रतिनिष्ठित रेल है, के० के० एक्सप्रेस। आप इन उपस्थित माननीय सदस्यों श्री ई० बालानन्दन, श्री वी० के० कोडियन या श्रीमती सुशीला गोपालन आदि से पूछ सकते हैं कि आप खुद भी माननीय मन्त्री से पूछ सकते हैं कि पिछले तीन माह के दौरान कितन दफा के० के० एक्सप्रेस समय पर चली?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस बात को मानता हूं लेट चलना दुर्घटना होने से अच्छा है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : यह एक अन्य बात है । माननीय मन्त्री महोदय ने कहा है कि :

"200 मेल और एक्सप्रेस रेलों पर खासतौर पर नजर रखी जा रही है ।"

मैं माननीय श्री प्रकाश चन्द्र सेठी से निवेदन करना चाहती हूं कि वे यहां वक्तव्य दें कि इन रेलों में से किसी में भी इस वर्ष पिछले जनवरी से जून के दौरान कोई सुधार हुआ है ? इन छः माह के दौरान कितनी दफा रेलें समय पर पहुंची ?

अगर स्थिति में सुधार हुआ है, तो यह निश्चय ही एक ताजा समाचार होगा, क्योंकि रेलों का लेट चलना एवं आम बात है । अगर यहां माननीय मन्त्री यह भी बता दें कि अमुक-अमुक दिन अमुक-अमुक रेल समय पर पहुंची तो, यह भी एक मुख्य खबर होगी । मैं वहां उपस्थित सभी से अनुरोध करना चाहूंगी कि अगर ऐसी कोई बात उनकी नजर में आती है तो, वे बात का प्रचार करें, वे एक प्रमुख खबर होगी ।

इसके कारण क्या हैं ? यह और भी ज्यादा रोचक हैं । मैं उद्धृत करना चाहती हूं कि :

"खतरे की जंजीर खींचने उपद्रवियों द्वारा पट्टण चलाने, होज पाइप को काट देने रोलिंग स्टाक में दोष और संचालन प्रक्रिया से दोष आदि की वजह से ।"

उपचारात्मक उपायों में भी :

"खतरे की जंजीर खींचने, शरारती तत्वों पर नजर रखने और होज पाइप को निकाल दिए जाने आदि की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए विभिन्न क्षेत्रीय रेलों द्वारा राज्य सरकारों से तालमेल रखा जाता है ।"

अगर इन सबको इकट्ठा करके देखें आपको प्रतीत होगा कि विश्व के सभी शरारती तत्वों रेल प्रशासन के विरुद्ध हो गए है जिससे रेलें विलम्ब से चल रही हैं ।

मैं इस बात से इन्कार नहीं करती कि देश के कुछ हिस्सों में कुछ लोग खतरे की जंजीर खींचने आदि के कार्य करते हैं, जिसकी वजह से रेलों में देरी होती है । लेकिन आखिरकार यह वक्तव्य दिया गया है । इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह एक शरारती तत्वों का ही मामला है ।

मैं चाहती हूं कि माननीय मन्त्री मुझे स्पष्ट रूप से यह बतायें कि कितनी दफा शरारती तत्वों की वजह से और कितनी दफा अन्य महत्वपूर्ण कारणों की वजह से गाड़ियां लेट चलीं, ताकि इन पर विचार किया जा सके ?

इन अन्य कारणों पर जाने से पहले मैं दो अन्य उपचारक उपायों पर चर्चा करनी चाहती हूं।

मेरे इस प्रश्न पर कि क्या उपचारक उपाय उठाये जा रहे हैं, वक्तव्य के उत्तर में कहा गया है कि :

"महत्वपूर्ण मेल और एक्सप्रेस रेल गाड़ियों पर रेलवे बोर्ड के कार्यालय द्वारा रोजाना के आधार पर इनकी समय पर चलने आदि के बारे में निगरानी रखी जाती है।"

"रेल गाड़ियां समय पर चलें, इसके लिए महा प्रबन्ध खुद व्यक्तिगत रूप से ध्यान रखते हैं।"

एक उपचारात्मक उपाय है, "रोजाना की कार्यविधि पर कार्यालय में निगरानी रखी जाती है।" यह एक काफी अच्छा लगने वाला वाक्य है··· "रेलवे बोर्ड के कार्यालय से रोजाना की गतिविधियों पर नजर रखना।"

मैं पूछना चाहती हूं कि अपने निर्धारित दौरे के अलावा रेलवे बोर्ड के चेयरमैन समेत कितने अधिकारियों ने पिछले तीन माह में रेलों पर यात्रा की है ? माननीय मन्त्री उत्तर दें।

मैं यह भी जानना चाहती हूं कि कितनी दफा माननीय मन्त्री महोदय ने रेल यात्रा की है और कितनी दफा हवाई जहाजों द्वारा दौरा किया है ?

बड़े-बड़े भवनों,खूबसूरत कुएं भवनों में बैठकर रोजाना की कार्यवाही पर नजर रखना ठीक है, लेकिन इसका परिणाम क्या होता है ? मैंने पहले ही इसका जिक्र कर दिया है। मैं इसे दोहराना नहीं चाहती।

एक अन्य प्रश्न है, महाप्रबन्ध रेलों के समय पर चलने के बारे में व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे रहे हैं। मैं सभी महा प्रबन्धकों के बारे में नहीं कह सकती, निश्चिय ही वे व्यक्तिगत रूप से ध्यान देते होंगे। लेकिन मैं एक व्यक्तिगत अनुभव हवाला देना चाहती हूं। जून में, मैं एक दिन खड़गपुर में थी। उस दिन भाग्यवश दक्षिण-पूर्व रेलवे का महाप्रबन्धक, जो कि रेल द्वारा खड़गपुर पहुंचा था, वहां पर। उसे वापिस कलकत्ता जाना था। उस दिन यह पाया गया कि ईस्ट कोयस्ट एक्सप्रेस छः घण्टे देर से चल रही है। महाप्रबन्धक ने व्यक्तिगत ध्यान देकर, अपने वापस कलकत्ता जाने के लिए एक विशेष रेल गाड़ी का प्रबन्ध करवा दिया। इनकी सेवा यह एक उदाहरण है, जिसे मै जानती हूं। निश्चित ही बहुत ज्यादा व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया गया। लेकिन यह मेरे थोड़े से व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर है।

मैं यही बताना चाहती हूं कि इस प्रकार के उत्तर वास्तव में गैर-जिम्मेदार पूर्ण उत्तर हैं, स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए, जबकि रेलों के लेट चलने की वजह से सब कुछ अस्त-व्यस्त

हो जाता है, आप स्टेशन पर किसी का स्वागत करके, लेने जाते हैं तो आपको घण्टों वहां इन्तजार करना पड़ता है। चाहे आने वाली कोई गर्भवती महिला ही हो, जो कि गाड़ी पहुंचने तक बच्चे को जन्म दे चुकी हो घर कोई दिल का मरीज हो, जो कि गाड़ी पहुंचने तक खत्म हो चुका हो। इसी प्रकार की अन्य बात भी हो रही हैं।

असल में जो कारण बताये गए है वे इस प्रकार के हैं कि आने वाले समय में भी इनके उत्तर यही होगे। बगाली मे हम यह कहते हैं और शायद हिन्दी में भी :

"युगे युगे काले काले सत्य

यह शास्त्र सच्चाई है। माननीय मन्त्री जो कुछ भी आपने उत्तर में कहें, हमारा अपन अनुभव यही है कि पिछले तीन या चार महीनों में स्थिति और ज्यादा बिगड़ी है आम बिगड़ते हुई हालत के अतिरिक्त स्थित के विशेष रूप से वे असली कारण क्या है ?

मेरा यह प्रश्न था, लेकिन उसकी पूर्ण रूप से उपेक्षा की गई है।

मैं इस सम्बन्ध में दो बातों का उल्लेख करना चाहती हूं। रेलवे बोर्ड से पहले ही निर्देश मिल चुका है यह मन्त्री महोदय मेरी बात का खण्डन करना चाहते हैं तो लेकिन मेरे विचार से स्थिति यह है कि आधा घण्टे की देरी को देरी नहीं माना जाएगा ; उस सम्बन्ध में सरकारी तौर से निर्देश दिया गया है। उसके अतिरिक्त, जैसा आप जानते है,पिछले मई से, अधिक दूरी वाली गाड़ियों, प्रतिनिष्ठित गाड़ियो को और अधिक समय दिया गया है। उदाहरण के लिए, अधिकृत रूप से कालका मेल के चलाने के समय दें एक घण्टा अतिरिक्त दिया गया। अतः डेढ़ घण्टे का समय तो उसमें पहले ही शामिल है। के० के० एक्सप्रेस के चलने के समय तीन घण्टे अतिरिक्त दिए गए हैं। इस अतिरिक्त समय में से तीन घण्टे भी पूरे हो जाते हैं और इसके अलावा आधे घण्टे का और दे दिया गया है।

अब आप इन आंकड़ों से देख सकते हैं। कि किस तरह 90 प्रतिशत तक गाड़ियां ठीक समय चलने का हिसाब किया गया है। यदि सब गाड़ियों को एक साथ लिया जाय जैसे अधिक दूरी की गाड़ियां के० के० एक्सप्रेस और कालका मेल और कुछ ही किलोमीटर तक जाने वाली थोड़ी दूरी की गाड़ियों को एक साथ लेकर यह आश्चर्यजनक प्रतिशत निकाला गया है जिससे प्रत्येक व्यक्ति भ्रम मे पड़ जाएगा। मैंने अपने अनुभव प्रस्तुत किए हैं जिनसे कोई इन्कार नहीं कर सकता।

अतः महोदय, आपको कृपया इस निर्देश का ध्यान रखना होगा कि जब नया प्रशासन आया, जब बोर्ड का नया अध्यक्ष आता है, चूंकि यह प्रश्न उठाया गया कि रेलवे का राजस्व बढ़ाया है और हम सबने इस पर सहमति प्रकट की है कि रेलवे राजस्व बढ़ाया जाना चाहिए ;

बिना टिकट यात्रा रोकी थामी जानी चाहिए आदि। लेकिन रेलवे राजस्व बढ़ाने के नाम पर, यह निर्णय लिया गया कि माल गाड़ियों को वरीयता दी जाएगी। अतः माल गाड़ियों और यात्री के बीच पूर्ण समन्वय समाप्त हो गया। तब से गाड़ियों के देर से चलने की घटनाओं में वृद्धि होती जा रही है।

अब, यहां दिन-प्रति दिन के आधार आदि पर जो कुछ भी लिखा गया है, मैं दृढ़ता से उसको अस्वीकार करती हूं और इसे जाली मानती हूं। हमारा अनुभव यह है कि आज स्थिति बिगड़ गयी है।

अन्य बात जिसका यहां सभी ने कल और आज उल्लेख किया, वह पटरियों की मरम्मत के बारे में है। उस दिन श्री दंडवते जी ने बताया कि 61,000 किलोमीटर में से 10000 किलोमीटर रेल पटरियां शोचनीय स्थिति में हैं। वहां पटरियों को अफ़सर फिर से बिछाने का काम बाकी है और साथ ही कुछ सदस्यों ने यह भी कहा कि आपके क्षेत्र में और गाड़ियां नहीं चल रही है, वे चलाई जानी चाहिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : वे धीमी गति से चल रही हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं उनकी गति धीमी नहीं है। वे पूरी तरह से ठप्प हैं। वास्तव में कुछ बहुत गम्भीर कम्पनियां हैं---

उपाध्यक्ष महोदय : धीमी गति से चलने की बात से भी क्या आप सहमत नहीं हैं ?

श्रीमती गीता मुखर्जी : यह सौभाग्य की बात है कि उनमें से कुछ धीमी गति से चल रही हैं। यह स्थिति बनी हुई है। कभी-कभी वे चलती ही नहीं हैं दौड़ने की बात तो अलग है कम से कम धीमी गति से चलना तो सुधार है।

महोदय, अधिक समय न लेते हुए, मैं यह बताना चाहती हूं कि एक क्षेत्र और भी है जो उपद्रवकारी है और कारणों की सूची में शामिल है। लेकिन मैं यह कहना चाहती हूं कि 2-3 अत्याधिक महत्वपूर्ण कारणों का उल्लेख नहीं किया गया है। मैं चाहती हूं कि मन्त्री महोदय इसकी पूरी तरह जांच करें और इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों के औपचारिक उत्तर न दें जो इसकी प्रतिष्ठा छिपा सकते हैं लेकिन वह मात्र पूर्ण रूप से आल्पनिक प्रतिष्ठा है। उन्हें वास्तविकता जाननी चाहिए और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। उनके लम्बी टांगें हैं वह दृढ़ता से खड़े हो सकते हैं। आखिर उन्हें नव विवाहित दुल्हन की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए और उन्हें हमारे प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए तथा वास्तविक कारणों का पता लगाना चाहिए। अन्यथा इस तरह के उत्तर से किसी को संतुष्टि नहीं होगी। इससे न केवल मैं और सदन के सदस्य ही असन्तुष्ट हैं बल्कि पूरा देश रेलवे को कार्य निष्पादन से असंतुष्ट है।

मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहती हूं कि मैंने जो प्रश्न पूछे हैं मन्त्री महोदय स्पष्ट रूप से उनका उत्तर दें।

प्रो० रूपचन्द पाल (हुगली) : यह विश्व भर में हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके सुझाव में एक संशोधन करना चाहता हूं। 'नव विवाहित दुल्हन' कहने के बजाय आप उन्हें 'नव विवाहित दुल्हा' कह सकते हैं। कोई भी दुल्हन श्री मल्लिकार्जुन के जैसी नहीं होगी।

जी हां, मन्त्री महोदय :

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : दुर्भाग्य से मैं ऐसा शर्मीला दुल्हा अथवा दुल्हन नहीं हूं जैसी कि मेरे दुल्हन होने की कल्पना की गई है।

इस महान सदन के माननीय सदस्यों की अपेक्षा के अनुसार जहां तक वास्तविकता का सम्बन्ध है सरकार देश के लोगों और विशेषकर आम आदमी, निर्धन आदमी, जिसके कई काम होते हैं और उसे अपने कार्य पूरे करने के लिए समय पर और बहुत कठिनाई से समय पर पहुंचना होता है, को दी जाने वाली सेवा के सम्बन्ध में वास्तविकता से परे कहने का प्रयास नहीं करेगी। अतः रेलवे प्रशासन का निरंतर यह प्रयास रहा है कि यह सुनिश्चित करें कि इन लोगों को इस देश के एक करने से दूसरे कोने तक पहुंचाया जाए। उन्हें समय पर ले जाने के लिए रेलवे प्रशासन हर सभव प्रयास कर रहा है। हमारे काम में कुछ भी छिपाने वाली बात नहीं है। गाड़ियों की पाबन्दी एक ऐसा मूल बात है, जिससे लोगों का तथा सरकार का अत्याधिक सम्बन्ध है।

प्रतिदिन करीब 100 लाख लोगों को भारतीय रेलों द्वारा देश के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाया जाता है। ले जाने की बात को हम गौण महत्व देते हैं, और ले जाने के साधन को अधिक महत्वपूर्ण है और इसमें करीब 1636 यात्री गाड़ियां, 23-6 ई० एम० यू० और 517 एक तथा एक्सप्रेस गाड़ियां हैं जो प्रतिदिन इन 100 लाख लोगों के लाने-ले-जाने के लिए चलाई जा रही है। और जिनमें, निश्चय ही, बम्बई में ही 45 लाख उपनगरीय यात्री होते हैं। तथापि, रेलवे का यह महत्वपूर्ण और मूल कर्तव्य हो जाता है कि वह यह सुनिश्चित करे कि यात्रा करने वाले यात्रियों को बिना किसी असुविधा शीघ्र उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचाया जाए विभिन्न कारणों से, जिनकी जानकारी इस महान सदन को है इसकी सूचना पहले भी दी गयी थी। पिछले कुछ वर्षों में भी समय की पाबन्दी पर बहुत प्रभाव पड़ा है। यदि आप पिछले 10 वर्षों को देखें इसमें कोई संकट नहीं कि गाड़ियों की पाबन्दी शत प्रतिशत संतोषजनक थी। लेकिन दो वर्ष के आपातकालीन स्थिति में और उससे 1 वर्ष पहले या इससे भी पहले के समय की पाबन्दी पर प्रभाव पड़ा है। अब भी इस पर असर पड़ा है।

यदि आप 1980-81 से 1981-82 तक के वर्षों को लें तो आप देखेंगे कि इस महान सदन में रेल मन्त्री महोदय ने यह उल्लेख किया है कि जनवरी से जून तक गाड़ियों के समय पर चलने में काफी सुधार हुआ है। माननीय सदस्य को इससे संतोष नहीं होगा। लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में इससे काफी सुधार हुआ है। जनवरी से जून 1981 तक गाड़ियों के समय पर चलने, गाड़ियों का कार्य निष्पादन काफी संतोषजनक रहा। मैं गाड़ियों की समय की पाबन्दी पर दोनों के सदस्यों द्वारा बताए गए अनुभवों पर विवाद नहीं करना चाहता विवाद करने की बजाए मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि वास्तव में सरकार क्या करने जा रही है। हमारा प्रयास यह देखना है कि गाड़ियां समय पर चलें और उचित प्रकार की सेवा प्रदान करें। उसके लिए रेलवे बोर्ड में ही गाड़ियों की समय बद्धता की जांच करने के लिए एक कक्ष बनाया गया है। जिसमें एक संयुक्त निदेशक है। उसके अतिरिक्त हमने एक आपातकाल सेल भी बनाया है जिसके द्वारा गाड़ियों के चलने की देख-रेख की जाती है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिस बजह से गाड़ियों के समय पर चलने में रुकावट आती है। जैसा कि माननीय सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया, खतरे का जंजीर खीचना, होज पाइप का अलग किया जाना और बहुत स अन्य कारण भी गाड़ियों के देरी से चलने के लिए जिम्मेदार हैं। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि कभी कभी इसका एक कारण कोयले का खराब होना, और हमारी दूर-संचार व्यवस्था में गड़बड़ी होना भी है। इस ओर ध्यान देना होगा।

×

जैसा कि माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा कि इसका एक कारण रेल पटरियों और रेल चल स्टाक की स्थिति भी है जो कारण हमारे नियन्त्रण से बाहर हैं वह—खतरे की जंजीर की खींचा जाना और होज पाइप का अलग किया जाना इत्यादि। यदि रेल विभाग पटरियों को नहीं बदलती तो गाड़ियों के समय पर न चलने का एक कारण यह भी हो जाता है किसी समय गाड़ियों की गति सीमा भी निश्चित कर दी जाएगी। इस समय 2000 किलो मीटर से अधिक लाइनों पर गति की पाबन्दी है। इसमें मुख्य मार्ग भी शामिल हैं जहां एक कोने से दूसरे कोने को जाने वाली मेल और एक्सप्रेस गाड़ियां तथा अन्य प्रतिष्ठित गाड़ियां गुजरती हैं, प्रशासन के द्वारा समय सारिणी बनाये जाने से पहले स्पष्ट रूप से अनुमान लगाने के बावजूद भी एक बार उन पर प्रतिबन्ध लगाया जाना है। बाद में विशषकर, जब कोई पुल या रेल पटरी के खराब होने के कारण आपा स्थिति उत्पन्न होती तो काफी गाड़ियां समय पर नहीं चल पायेंगी। इन्जनों के खराब होने पर भी वे शेड़ से समय पर नहीं आ सकतीं उसमे दो या तीन घन्टे की देरी होने से गाड़ी देर से छूटेगी अथवा बीच रास्ते म विभिन्न कारणों से गाड़ियां समय पर नही चल पाएंगी। आप जानते हैं कि हमारा यात्री डिब्बों के साथ भी गहरा सम्बन्ध है। योजना आयोग द्वारा कम राशि आवंटित किए जाने के कारण हम डिब्बे बदलने के लिए अपेक्षित मात्रा म उनका निर्माण करने में समर्थ नहीं हैं। एक विशाल देश होने के नाते भारत में निश्चय ही समय पर गाड़ियों को चलाने में कुछ कमियां है। फिर भी सरकार गाड़ियां समय पर चलाना सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

जहां तक 200 प्रसिद्ध रेल गाड़ियों का संबंध है, इनमें अनेक गाड़ियां लगभग 90 प्रतिशत तक ठीक समय पर चलती हैं। पूर्वी क्षेत्र और उत्तरी सीमान्त रेलवे में निश्चय ही गाड़ियों की समय के पाबन्दी पर प्रभाव पड़ा हैं लेकिन हम यह सुनिश्चित करने के लिए अब भी हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि वे गाड़ियों को ठीक समय पर चलाएं। अब कालका मेल को हमने 90 प्रतिशत तक समय पर चलाया है (व्यवधान)।

एक माननीय सदस्य : इस पर कौन विश्वास करेगा ?

श्री मल्लिकार्जुन : मैं मैं डाउन गाडी की बात करता हूं डाउन गाडी समय पर नहीं चलती है। डाउन कालका मेल के समय पर चलने की प्रतिशता केवल 43.3 है विद्युतीकरण, रेल पटरियों का नवीकरण तथा पुल का कार्य, आदि इसके विभिन्न कारण है। ये कुछ विभिन्न कारण हैं जो वास्तव में बाधक बन रहे हैं और सरकार अपनी तरफ से यह देखने का पूरा प्रयास कर रही है कि यात्रियों को, विशेषकर, निर्धन यात्रियों को, जो अधिकतर गाडी में सफर करते हैं, कोई तकलीफ न हो। हमने कुछ दल गठित किए हैं जो सुरक्षा उपायों तथा तकनीकी बातों के बारे में रिपोर्ट देंगे ताकि अगर कोई कमी रह जाती है तो उसकी तरफ ध्यान दिया जा सके।

जो कुछ माननीय मंत्री ने कहा है उसको इतना हल्के से नहीं लिया जाना चाहिए। मैं सम्मानित सदन को बडी नम्रता से यह कहना चाहता हूं कि रेलवे प्रशासन हर मुमकिन यह कोशिश कर रहा है कि रेलों के समय पर चलने में जहां तक हो सके शीघ्र ही सुधार हो।

*श्री सत्य गोपाल मिश्र (तामलर) : उपाध्यक्ष महोदय, आरम्भ में, मैं श्रीमती गीता मुखर्जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने लोक सभा में इतने महत्व के विषय पर चर्चा उठाई। इस चर्चा में उठाए गए मुदों और माननीय मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य पे ऐसा लगता है कि सरकार स्थिति की गम्भीरता का सही मूल्यांकन करने में सफल नहीं रही है। अभी कुछ समय पहले 'कालका मेल' का जिक्र किया गया था। मैं नहीं जानता कि आने या जाने पर, किस दिन कालका मेल समय पर चलती है। मंत्री महोदय ने कहा है कि 90% रेलें समय पर चलती हैं। पर क्या यात्रा करने वाली हमारी जनता इस पर विश्वास करती है ? इस गम्भीर मामले को बहुत ही लापरवाही से लिया जा रहा है और इस समस्या का मूल कारण को सुनियोजित ढंग से एक तरफ कर दिया जाता है।

कभी-कभी हम देखते हैं कि संसद में दिये गये विभिन्न मंत्रियों के वक्तव्यों में तालमेल नहीं होता है। एक मंत्री का वक्तव्य दूसरे से मेल नहीं खाता है। मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं : 5 मार्च, 1 8। के' हिन्दुस्तान टाइम्स' में यह कहा गया था कि तत्कालीन रेल मंत्री श्री केदार पांडे ने कहा कि यह सुनिश्चित करेंगे कि एक माह के भीतर ही रेल समय पर चलने लगें।

*नगला में दिये गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

इसके बाद 23 अप्रैल 1981 को श्री मल्लिकार्जुन ने ठीक इसके विपरीत बात कही। उन्होंने कहा कि हमारे देश में शायद रेलों को समय पर चला पाना सम्भव नहीं है। आज फिर मंत्री महोदय ने कहा है कि रेलों के चलने में काफी सुधार हुआ है। श्रीमन्, इस तरह से बार-बार परस्पर विरोधी वक्तव्य जारी किये जाते हैं।

हमारा एक विशाल देश है। लाखों लोग अपनी रोजी रोटी कमाते, अपना व्यापार चलाने या अपने सामान के यातायात आदि के लिए रेलों पर निर्भर करते हैं। पिछले 22 वर्षों में कई दफा रेलवे ने किराये और माल-भाड़े में वृद्धि की है। लेकिन इसका परिणाम यह हुआ है कि देर से चलने वाली रेलों की संख्या में वृद्धि हुई है। आखिरकार रेलों के लगातार देर से चलने के कारण इनके चलने के समय में दो, तीन घटे की वृद्धि कर दी गई है। लेकिन इसके बावजूद रेलें देर से चल रही हैं। देर से रेलें चलाने के जो कारण बताये गये हैं, वे हैं होज पाइपों का काटना, जंजीर खींचना, आन्दोलन आदि। इसका मतलब है देर से रेलें चलने के लिए जनता मुख्यः रूप से जिम्मेदार है, मैं मानता हूं कि खतरे की जंजीर खींचने के कुछ मामले है। मगर यह कहना कि यही मुख्य कारण हैं, शायद ये तथ्यों पर आधारित नहीं हैं, श्रीमन्, लाइनों और उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव सरकार की जिम्मेदारी है। रेल मंत्रालय के अलावा आप रेलवे लाइनों, सिगनल उपकरण आदि में खराबी के लिए किसे जिम्मेवार ठहरायेंगे? हमारे देश में रेलवे के दो मालिक है। एक रेलवे बोर्ड है दूसरा रेल मंत्रालय है। हम नहीं जानते कि किस बात के लिए कौन जिम्मेदार है। वे दो ऐसी समानान्तर रेखाओं की तरह कार्य करते हैं, जिनके विचार कभी भी आपस में मेल नहीं खाते। अन्य देशों में रेल व्यवस्था के लिए कुछ नियम हैं। हमारे भी कुछ नियम और कानून हैं। जैसे कि बिना टिकट यात्रा करना या जंजीर खींचने के लिए कुछ सजा निर्धारित है। यह ठीक है। ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन प्रशासन के बारे में क्या कहा जाय? वे देर से रेलों को चला कर करोड़ों यात्रियों का बहुमूल्य समय नष्ट कर रहे हैं। लोगों को इस हानी का मुआवजा कौन देगा? मैं जानता हूं कि स्वीडन में इस प्रकार की व्यवस्था है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि गाड़ियों के देरी से चलने की वजह से किसी खास हानि के लिए यात्रियों को मुआवजा देने के बारे में क्या वह कोई व्यवस्था लागू करेंगे? मंत्री महोदय ने 'निगरानी कक्ष' जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। हम 'निगरानी कक्ष' आदि में रुचि नहीं रखते। हम केवल इतना जानना चाहते हैं कि वह यात्रियों की सुविधा के लिए कब रेल को समय पर चलाने में समक्ष होंगे? श्रीमन, जनता पर, रेलों का देर से चलने का सारा आरोप थोपने से काम नहीं चलेगा। हम जानना चाहते हैं कि जिन रेल अधिकारियों की वजह से रेलें देर से चलती हैं, उनके विरुद्ध वह क्या कार्यवाही करने वाले हैं वह इसके लिए रेलवे कानून में संशोधन कर सकते हैं, जिनसे दोषी अधिकारियों को सजा मिल सके। वह ऐसा कब करेंगे? यह सत्य है कि यात्रियों का रोजाना का अनुभव मंत्री के वक्तव्य से मेल नहीं खाता है। व्यावहारिक दृष्टि से आजकल प्रत्येक रेल देर से चल रही है।

आखिर में, श्रीमन मैं कुछ के विशिष्ट बातों का जिक्र करना चाहता हूं मैं मंत्री महोदय से

पूछना चाहता हूं कि क्या पूर्व रेलवे में लालगोला-सियालदह सेक्शन में एक दिन भी रेल सही समय पर चली है ? श्रीमन्, सियालदह स्टेशन से प्रतिदिन करीब 8 लाख लोग आते-जाते हैं । मैं नहीं जानता कि किसी और स्टेशन पर भी 8 लाख यात्री आते-जाते हैं ? मैं जानना चाहता हूं कि 'सियालदह' की स्थिति में सुधार लाने के लिए वह क्या कदम उठा रहे हैं । बम्बई में उपनगरीय रेलों के लिए अलग लाइनें हैं । लेकिन सियालदह में जहां रोजाना 8 लाख यात्री आते जाते हैं स्थानीय उपनगरीय रेलगाड़ियों के लिए अलग से रेल लाइनें नहीं है । क्या इस समस्या की ओर ध्यान देने जा रहे हैं ? हम भारी-भारी शब्दों को सुनने के पक्ष में नहीं है : हम यह जानना चाहते हैं कि क्या वह सुझाये गये उपायों को अपनाने के लिए तैयार हैं, जिनसे कि यात्रियों की समस्याएं और असुविधाएं कम हों और रेलें समय पर चल सकें ।

धन्यवाद ।

हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : महोदय इस देश में रेलों का देर से चलना एक स्थायी बात बन गई है (व्यवधान) यह एक विश्व व्यापी घटना है । कुछ लोग यह समझ गए हैं कि अगर कहीं भी कुछ भ्रष्टाचार हो तो इसे एक विश्व व्यापी घटना मानना होगा । लेकिन मैं यह मानता हूं कि रेलवे प्रशासन के बहुत ही कठोर और उदासीन रवैये के कारण ऐसा होता है ।

इस बात के बावजूद कि माननीय मन्त्री यह जानते हैं कि रेलें समय पर नहीं चल रही हैं, वह मात्र सारे मामले का बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं । मुझे कहना चाहिए कि देश के किसी हिस्से में गाड़ियां समय पर नहीं चल रही है । मैं खासतौर पर पूर्वोत्तर रेलवे के बारे में चर्चा करना चाहता हूं । मैं, वास्तव में, गोरखपुर से आया हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अपने व्यक्तिगत अनुभवों के बारे में कुछ बतायें ।

श्री हरिकेश बहादुर : हां, इसीलिए मैं यही बातों का जिक्र कर रहा हूं, न कि गलत बातों का । आप केवल यही पता लगायें कि पूर्वोत्तर रेलवे में कितनी रेलें समय पर चलती हैं ।

मन्त्री महोदय ने कहा है कि करीब 90 प्रतिशत रेलें समय पर चलती हैं । उन्होंने कहा है कि एक 'निगरानी' कल है । और रेलवे बोर्ड द्वारा समय-पालन सम्बन्धी कार्य पर ध्यान रखा जाता है । अगर वह पता लगायेंगे कि पूर्वोत्तर रेलवे में कितनी रेलें समय पर चलती हैं तो पायेंगे कि यहां 90 प्रतिशत रेलें समय पर नहीं चलती हैं । इस विशेष क्षेत्र में रेलवे प्रशासन पूरी तरह से ठप्प है । ऐसा प्रतीत होता है कि वहां कोई रेलवे प्रशासन है ही नहीं । एक सज्जन वहां महा-प्रबन्धक हैं ।

अगर आप उनके दफ्तर में टेलीफोन करें, तो पायेंगे कोई भी इसे नहीं सुनता । जब हमने इसकी शिकायत रेलवे परामर्शदात्री समिति में की तो, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने प्रशासन का

बचाव किया। इस आदमी को जो कि इन सारी बातों के लिए जिम्मेवार है, प्रशंसा भी कर रहे थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस क्षेत्र में रहने वाले लोग इन सब को भुगतकर रहे हैं। हर रोज किराये में वृद्धि की जाती है, लेकिन इससे आप जनता को कोई लाभ या सुविधा नहीं मिल रही है। साथ ही रेलवे द्वारा लोगों को दी जाने वाली सुविधाओं में सुधार भी नहीं हुआ है। सरकार को इस ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और स्थिति को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। लखनऊ और गोरखपुर के बीच एक राप्ती—गोमती एक्सप्रेस रेल चलती है। यह गाड़ी हमेशा ही देर से चलती है। वास्तव में इसका परिचालन समय 5 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन समयसारिणी के अनुसार इसका पहुंचने का समय 9 घंटे है।

समय सारिणी के अनुसार गोरखपुर से लखनऊ तक इसे 9 घंटे में पहुंच जाना चाहिए। लेकिन यह हमेशा ही 10-11 घंटे में पहुंचती है, जिससे लोगों को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। इस मामले में कमी होनी चाहिए और फिर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रेल उसी समय-सारणी के अनुसार चले। लेकिन ऐसा नहीं होता। मैंने पहले भी इस बारे में शिकायत की है। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इन रेलों के बारे में ध्यान दें और साथ ही मैं यह एक प्रश्न भी पूछना चाहता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह पूर्वोत्तर रेलवे में रेलों को समय पर चलाने के लिए कोई कदम उठा रहे हैं, जिससे कि रेलें समय पर चलें और यात्रियों को असुविधा का सामना न करना पड़े। यह एक विशिष्ट प्रश्न है और मैं चाहूंगा कि वह इसका स्पष्ट उत्तर दें।

उपाध्यक्ष महोदय : आप श्री मिश्र और हरिकेश बहादुर को उत्तर दे सकते हैं। श्री अर्जुन सेठी यहां उपस्थित नहीं हैं।

श्री मल्लिकार्जुन : माननीय सदस्य श्री मिश्र ने कहा है कि केवल यह तर्क देना कि जंजीर खींचने होजपाइप अलग किए जाने के कारण ही रेलें लेट चलती हैं। संतोषजनक नहीं है। यह सही है।

मैं पहले ही बता चुका हूं कि इन दो के अलावा अन्य कारण भी हैं। जैसे कभी इंजनों को खराब हो जाना, कभी खराब कोयले की सप्लाई, कभी सिगनल दूर संचार प्रणाली में तोड़फोड़ करने वालों के कारण गड़बड़ी हो जाना। क्योंकि वे लोग बिना किसी कारण के कोई धातु निकाल लेते हैं तथा इससे बाधा पड़ जाती है। जैसा कि उन्होंने सुझाव दिया है कि सिगनल और दूरसंचार प्रणाली में सुधार होना चाहिए।

सरकार को इस बात का पता है कि कभी-कभी कुछ निहित स्वार्थ वाले व्यक्ति कुछ

लड़कों को रेल लाइनों पर भेजे जाते हैं जो कि कुछ तांबे के माल को निकाल कर ले जाते हैं तथा उसे उन स्वार्थी तत्वों को दो रुपए बेच देते हैं तथा उससे उक्त निहित स्वार्थ वाले व्यक्ति बहुत धन कमाते हैं। इस प्रकार इससे कुछ समाज विरोधी तत्व संबद्ध हैं। यह बात नहीं है कि मात्र यही कारण हो। गाड़ियों के ठीक ढंग से न चलने के बहुत से कारण हैं। सरकार इस बारे में सतर्क होते हुए ऐसे सभी प्रकार के प्रयत्न कर रही है कि लालगोला तथा सिमालदह तथा पूर्व रेलवे के कुछ अन्य भागों में समय पर गाड़ियां चलायी जाये। और सरकार की ओर से ठोस उपाय किये जा सकते हैं जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं।

जहां तक गाड़ियों के विलम्ब से चलने के लिए मुआवजा देने का प्रश्न है। चूंकि यात्रियों की इसमें रुचि नहीं है, सरकार के पास यात्रियों को क्षतिपूर्ति देने का कोई प्रस्ताव नहीं है, जैसा कि स्वीडन तथा अन्य देशों में यात्रियों को मुआवजा दिया जा रहा है।

श्री हरिकेश बहादुर ने पूर्वोत्तर रेलवे के बारे मे अपनी राय व्यक्त की है। मै उनसे पूरी तरह से सहमत हूं कि 10 प्रतिशत समय की पाबन्दी का पालन नही होता है, वह उससे भी कम है। परन्तु इसके अन्य कारण भी हैं। उदाहरण के तौर पर वह यह आश्वासन पाने के लिए उत्सुक और इच्छुक है कि पूर्वोत्तर रेलवे में गाड़ियां समय पर चले। उदाहरण के तौर पर उन्होने एक गाड़ी का उल्लेख किया है जो गोरखपुर से लखनऊ लगभग 9 घंटे में पहुंचती है। मैं इससे सहमत हूं। अभी हाल ही में कहा हुआ है समस्तीपुर बाराबंकी रेलवे लाइन के तथा अन्य लाइनो के बड़ी लाइनों के रूप में बदले जाने के कार्य के पूरा होने से गाड़ियो को अनुकूलतम गति से नही चलाया जा सकेगा। बदली हुई लाइनों के कारण गति धीरे-धीरे बढ़ाई जायेगी। अत: गोरखपुर से लखनऊ के बारे में माननीय सदस्य का अनुभव सही हो सकता है। इसके अलावा, उदाहरण के तौर पर पूर्वोत्तर रेलवे में बरौनी से कटिहार तक की हालत भी खराब है। उस सेक्सन को भी बड़ी लाइन में बदले जाने की स्वीकृति दी गई थी परन्तु धन के अभाव से हम उन सभी कार्यों को कर नहीं पाये। और लाइनों के हालात के कारण जैसा कि आपने ठीक ही बताया है, सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है। यदि कोई व्यक्ति अपने गन्तव्य स्थल पर देर से भी पहुंचता है, तो कोई बात नहीं है। सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस सन्दर्भ में इस पर समुचित बल दिया गया है तथा सरकार वर्तमान कमियों के प्रति पूरी तरह से सजग है, इसी-लिए गाड़ियों के समय पर चलने को प्राथमिकता दी जाती है। जब स श्री सेठी जी ने कार्य सभाला है वह खुले रूप में घोषणा करते आये हैं और वह ठोस उपाय भी कर रहे है कि गाड़ियों को समय पाबन्दी को समुचित रूप से बनाए रखा जाए।

गाड़ियों के समय पर चलाने के लिए सरकार सभी प्रयत्न कर रही है यदि कोई यांत्रिक कमी होती है तो उसे तुरन्त दूर कर दिया जाता है तथा इस उद्देश्य के लिए एक एस० जी० समिति गठित हुई है। लाइनों में दोषों जैसे अन्य कारणों पर भी, जो कि मैंने सभा में पहले बताये

है, तुरन्त ध्यान दिया जाता है ताकि समय का पालन किया जा सके, और इस देश के लोगों की आकांक्षाएं पूरी की जा सकें ।

रेलवे प्रशासन गाड़ियों के समय पर चलाने के लिए कोई कसर नहीं उठा रखेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कल 11 बजे तक के लिए स्थगित होती है ।

7.12 म० प०

तत्पश्चात लोकसभा, मंलवार, 3 अगस्त, 1982, 12 श्रावण, 1904 (शक) के ग्यारह बजे तत के लिए स्थगित हुई ।

———

सनलाइट प्रिंटर्स, फौहारा, दिल्ली-110006.